द्वादश माला, खंड 4, अंक 23

गुरुवार, 16 जुलाई, 1998
25 आषाढ़, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री रामलाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
गुरुवार, 16 जुलाई, 1998/25 आषाढ़, 1920 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
49	9	श्री प्रभाष चंद तिवारी	श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी
53	नीचे से 4	श्री विट्ठल तपे	श्री विठ्ठल तुपे
134	8	श्री खारबेल स्वाइन	श्री खारबेल स्वाईं
200	नीचे से 10	(घ)	(च)
272	नीचे से 8	श्री रामदास आठले	श्री रामदास आठवले
310	नीचे से 7	श्री खारबेल स्वाइन	श्री खारबेल स्वाईं
332	नीचे से 12	श्री अन्नान मोल्लाह	श्री हन्नान मोल्लाह
341	नीचे से 9	प्रो. पी.ज.कुरियन	प्रो. पी.जे.कुरियन

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 23, गुरुवार, 16 जुलाई, 1998/25 आषाढ़, 1920 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 422 से 424 और 426	1–42
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 425 और 427 से 441	42–71
अतारांकित प्रश्न संख्या 4250 से 4423	72–243
सभा पटल पर रखे गये पत्र	243–244
विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक	244–245
नाथू राम गोडसे पर नाटक के मंचन के बारे में	245–257
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में सई नदी के पानी को आस-पास के कारखानों द्वारा किए जा रहे प्रदूषण से बचाए जाने की आवश्यकता	
डा० रामविलास वेदान्ती	284
(दो) उत्तर प्रदेश में परियर और विठूर को पर्यटन केन्द्र घोषित किए जाने तथा इनके विकास के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री देवी बक्स सिंह	284
(तीन) बिहार में रांची में बाई-पास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम टहल चौधरी	284–285
(चार) राजस्थान में चुरू संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री नरेन्द्र बुडानिया	285
(पाँच) कपास एवं मिर्च बोर्ड बनाने तथा इनके मुख्यालय क्रमशः आंध्र प्रदेश के हैदराबाद तथा गुंटूर में स्थापित किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री आर० साम्बासिवा राव	285–286
(छह) आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बिटरागुंटा में एक प्रमुख लोको शेड अथवा एक कैरेज और वैगन वर्कशाप स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती लक्ष्मी पनबाक	286
(सात) पश्चिमी उड़ीसा विकास परिषद का गठन किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रसन्ना आचार्य	286–287
(आठ) दूरदर्शन केन्द्र, इम्फाल के लिए अनुदान और स्टाफ में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
कुमारी किम गंगटे	287
(नौ) 1984 के दंगों की घटनाओं की निन्दा करते हुए एक प्रस्ताव लाए जाने की आवश्यकता	
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	287–288

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(दस) कन्याकुमारी के समुद्री तट को समुद्री कटाव से बचाने के लिए तुरंत कदम उठाये जाने की आवश्यकता	
श्री एन० डेनिस	288
(ग्यारह) दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को बिहार में किशन गंज पर रोके जाने की आवश्यकता	
श्री सुब्रत मुखर्जी	289
(बारह) असम में संथाल और बोडो जनजातियों के बीच जातीय हिंसा का स्थायी हल ढूंढने तथा संथालियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री सालखन मुर्मू	289
वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1998	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	289
श्री वी०वी० राघवन	293
प्रो० सुदीप बंधोपाध्याय	297
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी	302
श्री चिन्मयानन्द स्वामी	310
श्री आर०एस० गवई	313
श्री तपन सिकदर	315
श्री पी० चिदम्बरम	315
श्री वी०के० चिन्नासामी	323
श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन	328
श्री चमल लाल गुप्त	334
श्री पी०सी० चाक्को	336
श्री वारकंला राधाकृष्णन	341
श्री खारबेल स्वाईं	346
प्रो० सैफुद्दीन सोज	349
श्री टी०आर० बालू	353
राव इन्द्रजीत सिंह	358
श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या	362
श्री जी०एम० बनातवाला	365
श्री शैलेन्द्र कुमार	369
श्री श्याम बिहारी मिश्र	372
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह	375
श्री एस० मुरुगेसन	380
श्री के० बापीराजू	384
श्री बी०एम० मेनसिंकाई	389
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	391
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
डाक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त किया जाना	
श्रीमती सुषमा स्वराज	333-334

लोक सभा

गुरुवार, 16 जुलाई, 1998/25 आषाढ़, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 422। श्री प्रदीप कुमार यादव

श्री सत्य पाल जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए।

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, कृपया मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दें। आज मेरा बैलट में पहला नम्बर है।

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्टीकरण मांगने का समय नहीं है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में प्रात: लिखित रूप में भी दिया था। यह सदस्य का अधिकार है। यदि हमें बैलट में पहला स्थान मिले तो कोई कारण नहीं है कि प्रश्न सूची में हमारा प्रश्न शामिल न हो।

अध्यक्ष महोदय : श्री जैन, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न आज सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया। आज के बैलट में मेरा नाम सबसे ऊपर था। यदि ड्रा में मुझे पहला स्थान मिले तो कोई तो कारण होना चाहिए कि मेरा नाम प्रश्न सूची में शामिल न किया जाए। इस बारे में मैंने लिखित रूप में भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में मेरे कक्ष में चर्चा कर सकते हैं।

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, मैंने आपसे मुलाकात की थी और मैंने लिखित रूप में भी आपसे अनुरोध किया था। मेरी क्या गलती है? कार्यालय को सभी सदस्यों के बारे में निष्पक्ष होना चाहिए। यदि मुझे ड्रा में पहला स्थान मिलता है तो मुझे उस अवसर से वंचित क्यों रखा गया है?

प्रो० पी० जे० कुरियन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। मेरा भी ऐसा अनुभव रहा है। मेरा प्रश्न जो बैलट में था, उसे प्रश्न सूची में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, आप इस बारे में मेरे कक्ष में चर्चा कर सकते हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। यदि हमें ड्रा में पहला स्थान मिलता है तो हमारे प्रश्न को प्रश्न सूची में से नहीं निकाला जाना चाहिए। कार्यालय को सभी सदस्यों के साथ एकसमान रवैया अपनाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में आपसे अपने कक्ष में चर्चा करूंगा। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, यह अलंघनीय बातें हैं। यदि कोई प्रश्न बैलट में आता है तो उसे प्रश्न सूची में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। यहां पर कुछ गलत हो रहा है। प्रश्नों की प्राथमिकता में हेरा-फेरी की जाती है और जो प्रश्न बैलट में आते हैं उन्हें प्रश्न सूची में शामिल नहीं किया जाता है। मैं माननीय सदस्य की बात का समर्थन करता हूं। वे सही कह रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसका समर्थन करती हूं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

[हिन्दी]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वर्षा जल को साफ करने की योजना

+
***422. श्री प्रदीप कुमार यादव :**
श्री मित्रसेन यादव :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्षा जल का संग्रह करने तथा इसे पेयजल और सिंचाई के प्रयोजन हेतु उपयोग में लाने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है और राज्य सरकारों को सभी गांवों/बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन अन्य बातों के साथ-साथ उनके प्रयासों में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के जरिए वित्तीय और अन्य प्रकार से सहायता करता है।

कार्यक्रम के भाग के रूप में यह मिशन राज्यों को सलाह देता रहा है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ मिशन द्वारा और जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना जैसे मंत्रालय के संबद्ध कार्यक्रमों

के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों का इस्तेमाल करके अपर्याप्त सतही अथवा भूजल संसाधन वाले क्षेत्रों में उपयुक्त जल एकत्रीकरण तकनीकों के जरिए वर्षा जल का उपयोग और संरक्षण करें। 1.4.98 से पहले स्थायी आधार पर उप-मिशन के अंतर्गत 17 राज्यों को लगभग 31 करोड़ रुपये जारी किए गए थे ताकि राज्य सरकारें जल एकत्रीकरण से संबंधित योजना शुरू कर सकें। 1.4.98 से जल एकत्रीकरण से संबंधित परियोजनाओं सहित सभी ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी के पूर्ण अधिकार राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दिए गए हैं। इसलिए इस संबंध में इस मंत्रालय द्वारा किसी नई योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री प्रदीप कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन सरकार की योजना है। इस योजना में 75 प्रतिशत रुपया केन्द्र सरकार का लगता है और 25 प्रतिशत रुपया राज्य सरकार का लगता है। मैं पूछना चाहता हूं कि फिर इसको पूर्णतः राज्य सरकार पर ही क्यों छोड़ दिया गया है? इसी के साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि इस मिशन में जो भी रुपया दिया जाता है या आपात स्थिति से निपटने के लिए नल, हैंडपम्प आदि की व्यवस्था की जाती है, जहां विधायकों को 25-25, 50-50 नल दे दिए जाते हैं, लेकिन सांसदों को कुछ नहीं दिया जाता है, फिर इसमें सांसदों की क्या भूमिका रहेगी?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : अध्यक्ष महोदय, पेयजल राज्य का विषय है। राज्य जल प्रदाय योजनाएं तैयार करते हैं, Øयान्वित करते हैं और उनकी निगरानी करते हैं और हम अर्थात् भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करते हैं। 1.4.1998 से, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी मिशन की पूर्ण शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं और हमने पेयजल प्रदाय योजनाओं के संबंध में संसद सदस्यों के सुझाव और सिफारिशें प्राप्त करने के लिए सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रदीप कुमार यादव : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना का पूरा पैसा डी.एम. के आधार पर लग जाता है, क्या उसमें सांसदों से सलाह लेने की जरूरत नहीं है और उनके अनुमोदन को मान्य बनाने के बारे में सरकार कुछ निर्देश दे रही है या नहीं, क्योंकि सांसदों से नहीं पूछा जाता है।

श्री बाबागौड़ा पाटील : हम निर्देश दे रहे हैं।

[अनुवाद]

मैंने संसद सदस्यों के सुझाव और सिफारिशें प्राप्त करने के लिए सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखे हैं *(व्यवधान)* किसी भी राज्य ने उत्तर नहीं भेजा है।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। मेरे प्रश्न के दो भाग थे—एक भाग में तो सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा किस प्रकार उपलब्ध कराई जाएगी और दूसरे भाग में पूछा था कि इस पानी को संचय यानी एकत्र किस प्रकार किया जा रहा है। मेरे पूछने का मतलब यह था कि बरसात में जो पानी बरसता है, उसका दुरुपयोग होता है। इस पानी को इकट्ठा करके सिंचाई और पीने के पानी के जल स्तर को ऊपर उठाया जाए। यदि माननीय मंत्री जी पूरे देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जानकारी के लिए सर्वेक्षण कराएं, तो पायेंगे कि उत्तर प्रदेश में पानी का जल स्तर तीन मीटर नीचे चला गया है और वहां सभी प्रकार की पेयजल सुविधाएं फेल हो चुकी हैं। माननीय प्रदीप जी ने बताया है कि पेयजल की सुविधाएं, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, त्वरित रोजगार योजना और मिनिमम नीड्स कार्यक्रम के अन्तर्गत आपने उपलब्ध कराई हैं और इनमें जो हैंडपाइप लगते हैं, उनमें संसद सदस्यों की कोई भागीदारी नहीं है। विधायकों को 25-25 नल दिए जाते हैं, लेकिन हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या भारत सरकार पूरे हिन्दुस्तान में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में जिन क्षेत्रों में जल स्तर नीचे चला गया है, उस स्तर को उठाने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना बनाने पर विचार कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। यदि हम भूजल के स्तर को ऊपर उठाने की समस्या को नजरअंदाज करते रहे तो हमें अब से कुछ ही बर्षों में जल का आयात करना पड़ेगा। अतः हमने इस वर्ष से वाटरशैड कार्यक्रम शुरू किया है। हमने सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत इन जल स्तर को ऊपर उठाने संबंधी कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं। सुनिश्चित रोजगार योजना के लिए पहली किश्त जारी की गई है जिसमें विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें इस योजना के अन्तर्गत बांधों, *नाला बांधों* और जल कुंडों के निर्माण पर कार्य करना होगा।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि उक्त प्रश्न का उत्तर देते समय, मंत्री महोदय ने केवल राज्यों का उल्लेख किया है। वे यह भूल गए हैं कि भारतीय संघ में संघ शासित क्षेत्र भी हैं।

महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीप दूर-दूर स्थित हैं। मैं विशेष तौर से छार द्वीप का जिक्र करना चाहूंगा, जहां शत-प्रतिशत आबादी आदिवासी है। वहां पानी की अत्यन्त कमी है। वहां केवल बरसात के पानी को ही जमा किया जा सकता है और इसकी आपूर्ति की जा सकती है। इस वर्ष पानी की इतनी कमी थी कि अन्य द्वीपों से पानी ले जाना पड़ा।

परन्तु जब मंत्री कहते हैं कि समस्त जिम्मेदारियां राज्य को दी गई हैं। लेकिन संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति क्या है? इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर है। केन्द्र को ही जिम्मेदारी निभानी है। आपने छार द्वीप जैसे क्षेत्रों में बारिश के पानी को जमा करने हेतु संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्री बाबागौड़ा पाटील : यदि माननीय सदस्य विशिष्ट सूचना देते हैं तो मैं उत्तर दूंगा।

श्री वी० धनंजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्र विशेषकर दक्षिण कन्नड़, उदूपी और उत्तर कन्नड़ जिलों में सर्वाधिक वर्षा हुई। मगर बरसात के मौसम में पानी अरब सागर में बह जाता है। मृदा की जल धारण करने की क्षमता भी उस क्षेत्र में सबसे कम है। इस कारण नागरिकों को पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए पानी के अत्यन्त संकट का सामना करना पड़ रहा है। क्या सरकार, विशेष तौर से बरसात के महीनों को छोड़कर किसी कार्यक्रम के कियान्वयन पर विचार कर रही है जिससे कि पीने का तथा सिंचाई का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा सके।

श्री बाबागौड़ा पाटील : किसान हर रोज भेदन-कुएं खोद रहे हैं और भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है। अगर हम इस संबंध में कानून नहीं बनाते तो जल स्तर गिरता जाएगा। इसलिए हमने एक आदर्श कानून बनाया है और हमने राज्य सरकारों को इसे अपनाने के लिए कहा है।

श्री बी० धनंजय कुमार : तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सरकार इस समस्या से कैसे निपटेगी?

श्री बाबागौड़ा पाटील : यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न पूछते हैं तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय मंत्री को भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार भारत सरकार की राष्ट्रीय पेयजल मिशन, राजीव गांधी पेयजल त्वरित योजना है, इसी के साथ-साथ सिंचाई और पेयजल के लिए 17 राज्यों में 31 करोड़ रुपये जल को संग्रह करने के लिए मंजूर किए गए हैं, आपने इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश को कितना धन स्वीकृत किया है? दूसरी बात यह है कि इन योजनाओं में माननीय सदस्यों की राय ली जा रही है या नहीं ली जा रही है? तीसरी बात यह है कि अनुसूचित-जाति बस्तियों में पेयजल योजना के लिए क्या आपके पास कोई ऐसा कार्यकम है या आरम्भ करने का कोई प्रावधान है?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : उत्तर पहले ही दे दिया गया है। करीब 31 करोड़ रुपये 17 राज्यों को दिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : आपने उत्तर प्रदेश को कितना दिया?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : मैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आप माननीय सदस्य को बाद में दे सकते हैं।

श्री बाबागौड़ा पाटील : यह उपलब्ध कर दी गई है। मेरे पास जानकारी है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी पूरी तैयारी से नहीं आए हैं *(व्यवधान)* मंत्री जी पूरी तैयारी से आएं और आंकड़े दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं।

श्री बाबागौड़ा पाटील : उत्तर प्रदेश को 146 लाख रुपये दिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, मंत्री जी 146 लाख रुपये में क्या होगा?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : यह बरसात के पानी के उपयोग के संरचना के लिए है। यह केवल इस प्रयोजन हेतु है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या आपके पास हरिजन बस्तियों के लिए, अनुसूचित-जाति बस्तियों के लिए कोई योजना है?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : इस बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है।

श्रीमती कृष्णा बोस : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग के कारण पश्चिम बंगाल के आधे जिलों में संटिया की समस्या है। यदि बरसात के पानी को जमा कर इसका वितरण किया जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। समुदाय-आधारित तथा रोजगार उन्मुख कार्यकम के द्वारा इस समस्या से अच्छी तरह से निपटा जा सकता है। क्या सरकार ऐसी योजना बनाएगी जिसके तहत गांव वाले गड्ढों तथा झीलों में जमा होने वाले बरसात के पानी की देख-भाल की, तथा वितरण की जिम्मेदारी स्वयं ही अपने ऊपर ले लें? इसके द्वारा आप भूमिहीन गरीबों को रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे।

क्या सरकार बरसात के पानी के उपयोग हेतु कोई योजना बनाएगी? योजना के अभाव में पानी जमा करने का क्या फायदा है? इसका उपयोग कैसे होगा? यह कह कर कि यह राज्य का विषय है और आप अपनी जिम्मेदारी से बच जाएं तो इससे कोई फायदा नहीं। कृपया समुदाय-आधारित अच्छी योजना बनाएं। क्या आप बरसात के पानी को जमा और वितरण हेतु तथा भूमिहीन किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाएंगे? मैं यह पूछता हूं।

श्री बाबागौड़ा पाटील : माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जाएगा। मगर भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। हम केवल वित्तीय सहायता द्वारा राज्य सरकारों की मदद कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए० वी० एस० एम० : माननीय अध्यक्ष जी, यहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों को मौका नहीं दे सकता। कृपया समझें।

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए० वी० एस० एम० : पहाड़ों में गंगा-यमुना होने के बावजूद भी पेयजल का भारी संकट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत उपयोगी योजना है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सब कुछ प्रदेश करेगा। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई योजना रिसर्च सैंटर को दी है कि वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत पहाड़ी इलाकों के नदी-नालों के जल को इकट्ठा करने की सस्ती योजना बनाए। उत्तर प्रदेश में गोविन्द वल्लभ पंत यूनीवर्सिटी है। गोविन्द वल्लभ पंत सर्वेक्षण केन्द्र, रानीखेत ने इस प्रकार की योजना बनाई थी, जहां 12 से 15 हजार रुपये की स्कीम में पानी इकट्ठा हो सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने ऐसी कोई रिसर्च करवाई है या किसी को कोई टास्क दिया है कि वह एक योजना बनाए कि विशेषकर पहाड़ी इलाकों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कैसे उपयोग हो।

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : हम प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न मंत्रालयों के तहत उन सभी कार्यक्रमों को मिलाकर इस वर्ष से कुछ पनधारा कार्यक्रम आरम्भ करें *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि मंत्री जी ने गंभीरता से उत्तर नहीं दिया। यह जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य है उसमें बरसाती पानी के भंडारण में एक बड़े टैंक का निर्माण करना पड़ता है, उसमें काफी पूंजी लगती है। जे० आर० वाई० की राशि न कभी पर्याप्त रही है और न रहेगी। इस योजना को लागू करने के लिए पूर्व कांग्रेस शासन ने डी० पी० ए० पी० स्कीम बनाई थी। उस योजना के अन्तर्गत दस करोड़ रुपया उन जिलों में भेजना था, जिनका चयन किया गया था। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा और भी राज्यों के जिले हैं। डी० पी० ए० पी० स्कीम कांग्रेस शासन में शुरू हुई थी।

[अनुवाद]

डी० पी० ए० पी० योजना कांग्रेस सरकार द्वारा आरम्भ की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री लक्ष्मण सिंह, कृपया अपना प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : अगर आप डी० पी० ए० पी० का पैसा राज्य सरकारों को भेजें तो उसके अन्तर्गत यह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य किया जा सकता है, इस प्रकार राशि भी पर्याप्त होगी और इस समस्या का हल भी किया जा सकता है। क्या आप डी० पी० ए० पी० का पैसा राज्यों को भेजेंगे ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य हो सके?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : हम माननीय सदस्य के सुझाव पर गौर करेंगे। हम राज्य सरकारों को निर्देश देंगे कि डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत ऐसे कार्यक्रमों को आरम्भ करें।

श्री लक्ष्मण सिंह : यह योजना पहले से ही है। आपको धनराशि उपलब्ध करानी है। *(व्यवधान)* डी० पी० ए० पी० योजना पहले से ही है। आपको धनराशि उपलब्ध करानी होगी जिससे कि कार्य आरम्भ किया जाएगा। क्या आप राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराएंगे? क्या आपको डी० पी० ए० पी० योजना के बारे में जानकारी है? यही मेरा प्रश्न है। मैं नहीं समझता कि आपको इसकी जानकारी है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : पूर्व कांग्रेस शासन में उसको शामिल किया गया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आप प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे?

श्री बाबागौड़ा पाटील : हां। सूखा प्रवण क्षेत्र संबंधी कार्यक्रम भी राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है।

श्री लक्ष्मण सिंह : सूखा प्रवण क्षेत्र संबंधी कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा नहीं लागू किया जाता है। यह केन्द्र सरकार की योजना है। राज्य सरकारों को धनराशि दी जानी है। क्या आप राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान करने जा रहे हैं ताकि वर्षा जल पर आधारित फसल की कटाई का कार्य शुरू किया जा सके? यही मेरा प्रश्न है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 423 । श्री चन्दू लाल अजमीरा

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझिए कि मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को अवसर नहीं दे सकता हूं। श्री राजेश पायलट, यदि सभा चाहती है, तो इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजेश पायलट : माननीय मंत्री इस पर सहमति व्यक्त करें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री, क्या आप इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा करवाने हेतु सहमत हैं?

श्री बाबागौड़ा पाटील : ठीक है, महोदय।

श्री राजेश पायलट : क्या इस पर इस सत्र में चर्चा होगी?

अध्यक्ष महोदय : हां, इस पर इस सत्र में चर्चा होगी।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदय, इस पर जल्दी डिस्कशन होना चाहिए *(व्यवधान)* ऐसा न हो कि इस पर बाद में चर्चा हो। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, इस प्रर चर्चा का टाइम दिया है।

[अनुवाद]

रेल परियोजनाएं

***423. श्री चंदू लाल अजमीरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक रेलवे द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) रेलवे इन परियोजनाओं का वित्त पोषण किस प्रकार करेगी; और

(ग) इन परियोजनाओं की परियोजना-वार अब तक की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) नीचे दी गई परियोजनाएं रेलवे के आंतरिक स्रोतों तथा सामान्य राजकोष से बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित की जाती हैं। परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है।

क्रम सं०	शामिल करने का वर्ष	कार्य का नाम	लागत करोड़ रु० में	प्रगति
1	2	3	4	5
नई लाइनें				
1.	1992-93	दुधनोई-देपा	22.33	राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण करने में समस्या है। भूमि उपलब्ध करा दिए जाने पर दो वर्ष के भीतर काम पूरा हो जाएगा।
2.	1993-94	अमरावती-नरखेड़	175	27 खंडों में से 18 में मिट्टी संबंधी काम चालू है। बड़े और छोटे पुलों के लिए ठेकों को अंतिम रूप दे दिया गया है। शेष नौ खंडों में पर्याप्त संसाधन के उपलब्ध न होने के कारण मिट्टी संबंधी कार्य शुरू नहीं किया जा सका।
3.	1993-94	पेद्दापल्ली-निजामाबाद	261	काम दो चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में पेद्दापल्ली से करीमनगर का काम हाथ में लिया गया है। मिट्टी संबंधी और पुलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और 1999-2000 तक पूरा हो जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। करीमनगर से निजामाबाद के दूसरे चरण के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है किन्तु यह कार्य पहले चरण के पूरा होने के बाद ही शुरू किया जाएगा।
4.	1993-94	लांजीगढ़-जूनागढ़	100	कुल 1220 हेक्टेयर भूमि में से लांजीगढ़ से भवानीपटना तक 623 हेक्टेयर भूमि प्राप्त कर ली गई है और इस भाग में मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है।
5.	1994-95	उधमपुर-श्रीनगर	2500	यह एक राष्ट्रीय परियोजना है। उधमपुर-कटरा खंड के लिए राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं। जहां-जहां राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी गई है वहां कार्य शुरू कर दिया गया है। कटरा से बारामूला तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसे अगस्त '98 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। श्रीनगर के लिए भूमि पहले ही अधिग्रहीत कर ली गई है और स्टेशन इमारत के लिए परामर्श संबंधी ठेका मैसर्स इरकॉन को दे दिया गया है। अन्य तीन स्टेशनों के लिए भूमि के बारे में राज्य सरकार के साथ कार्रवाई की जा रही है।
6.	1994-95	मंदारहिल-रामपुरहाट	170	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और दुमका से मंदारहिल तक चरण-1 के लिए अनुमान तैयार कर

1	2	3	4	5
				लिया गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिए जाने पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
7.	1994-95	खुर्दा रोड-बोलंगीर	353	खुर्दा रोड और बोलंगीर के बीच अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है और रिपोर्ट दिसंबर '98 तक प्राप्त हो जाने की संभावना है। सर्वेक्षण पूरा होते ही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और भूमि प्राप्त होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
8.	1995-96	अहमदनगर-बीड-परली बैजनाथ	353	अहमदनगर से 15 किलोमीटर के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और उसके द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिए जाने पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बीड में स्टेशन इमारत का कार्य चल रहा है।
9.	1995-96	पनवेल-करजत	107	संपूर्ण भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है और 2.61 कि०मी० लम्बी सुरंग के लिए निविदा दे दी गई है और कार्य शुरू कर दिया गया है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित कर ली गई है और उन्हें शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
10.	1995-96	दल्लीराजहरा-जगदलपुर	369	यह कार्य इस्पात मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर शुरू किया जाना है, दल्लीराजहरा से रौघाट तक पहले चरण के कार्य की पूरी लागत इस्पात मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी क्योंकि लाइन का उपयोग भिलाई को लौह अयस्क भेजने के लिए किया जाएगा, शेष लाइन के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण 25 करोड़ रुपये के धन की व्यवस्था कर रहा है जिसे मालभाड़ा रियायतों के माध्यम से समायोजित किया जाना है। मध्य प्रदेश सरकार 75 करोड़ रुपये के लागत की भूमि निःशुल्क मुहैया कराएगी और शेष धन की व्यवस्था रेलों द्वारा की जाएगी और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा अपने हिस्से की लागत की राशि जमा करा दिए जाने और भूमि उपलब्ध करा दिए जाने पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस समय, अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण चल रहा है।
11.	1995-96	कोट्टूर-हरिहर	66	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और दस्तावेज तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। परियोजनाओं की समीक्षा के लिए मंत्रिमण्डल द्वारा नियुक्त समिति ने इस परियोजना को छोड़ देने की सिफारिश की है। कार्य को शुरू करने के लिए उनका अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
12.	1996-97	नंदियाल-येरागुंटला	156	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और दस्तावेज तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पेन्नार पुल की मिट्टी की जांच शुरू कर दी गई है।
13.	1996-97	सकरी-हसनपुर	89.7	पूरी लम्बाई के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य

1	2	3	4	5
				सरकार के पास 11 करोड़ रुपये की राशि जमा करा दी गई है। 883 एकड़ के अंतर्गत आने वाली 50 कि०मी० लम्बाई के लिए राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
14.	1996-97	काडूर-चिकमंगलूर	157	काडूर और चिकमंगलूर के बीच मिट्टी और छोटे पुलों संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
15.	1996-97	हरिदासपुर-पारादीप	122	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और भूमि अधिग्रहण के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार के पास जमा करा दी गई है। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
16.	1996-97	दौसा-गंगापुर सिटी	151.84	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति करेगा।
17.	1996-97	कुमारघाट-अगरतला	575	648 एकड़ भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं जिसमें से अभी तक 70 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई है। अगरतला छोर से 5.3 कि०मी० में मिट्टी और छोटे पुलों संबंधी कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं चूंकि इस भूमि का उपयोग बड़ी लाइन के लिए किया जाएगा इसलिए घाट सेक्शन में राइट्स द्वारा नए सिरे से अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। शेष खंड पर कार्य संरेखण को अंतिम रूप दे दिए जाने और भूमि उपलब्ध हो जाने पर शुरू किया जाएगा।
18.	1996-97	खगड़िया-कुशेश्वरनाथ	78	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और दस्तावेज तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खगड़िया यार्ड में मिट्टी संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है।
19.	1996-97	हसन-बेंगलूरू	295	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण चल रहा है। 30 कि०मी० के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और 20 कि०मी० के लिए धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है। हसन और बेंगलूरू छोर के बीच 20 कि०मी० में तल्प और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है।
20.	1996-97	करूर-सलेम	136	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और दस्तावेज तैयार करने की कार्रवाई चल रही है। भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को 4.5 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
21.	1996-97	हुबली-अकोला	483	87 कि०मी० में अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और शेष भाग में सर्वेक्षण चल रहा है जिसे सितम्बर '98 तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है। 13 कि०मी० के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

1	2	3	4	5
आमान परिवर्तन				
1.	1992-93	दौंड-बारामती	12.5	कार्य पूरा हो गया है।
2.	1992-93	दिल्ली-रेवाड़ी	38	कार्य पूरा हो गया है।
3.	1992-93	बुढ़वल-सीतापुर	46.99	कार्य पूरा हो गया है।
4.	1992-93	मुजफ्फरपुर-रक्सौल और सगौली-नरकटियागंज	87.19	कार्य पूरा हो गया है।
5.	1992-93	इलाहाबाद-वाराणसी	86.65	कार्य पूरा हो गया है।
6.	1992-93	मनकापुर-कटरा	24.62	कार्य पूरा हो गया है।
7.	1992-93	न्यू गुवाहाटी-लमडिंग	179.58	कार्य पूरा हो गया है।
8.	1992-93	बेंगलूरू-हुबली	234.9	कार्य पूरा हो गया है।
9.	1992-93	दिंडीगुल-त्रिची	89.37	कार्य चल रहा है और 1998-99 में पूरा कर लिया जाएगा। कार्य पूरा करने के लिए पूरे धन की व्यवस्था कर दी गई है।
10.	1992-93	मिरज-लोंडा	122	कार्य पूरा हो गया है।
11.	1992-93	हासपेट-गोवा	312	कार्य पूरा हो गया है।
12.	1992-93	गुंतूर-गुंतकल-कोल्लारू	502	गुंतूर से गुंतकल पूरा हो चुका है। गुंतूर-कोल्लारू अभी शुरू किया जाना है। धर्मावरम-पकाला स्वीकृत कर दिया गया है जिसके लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। गुंतकल-पकाला का आमान-परिवर्तन एक चरण में किया जाएगा। गूटी से पेन्दाकल्लू तक नई लाइन के भाग के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है और भूमि उपलब्ध होते ही जिसकी सितम्बर 1998 तक प्राप्त हो जाने की आशा है, कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
13.	1992-93	सिकंदराबाद-द्रोणाचेल्लम एवं सिकंदराबाद-बोलारम	226.4	कार्य पूरा हो गया है।
14.	1992-93	कटपाडि-पकाला-तिरुपति	71	19 पुलों में से 15 पूरे हो चुके हैं और 4 पर कार्य चल रहा है। मिट्टी और मिट्टी सप्लाई संबंधी कार्य प्रगति पर है। कार्य अच्छी प्रगति पर है और 1999-2000 में पूरा करने का लक्ष्य है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
15.	1992-93	गोंदिया-चन्दाफोर्ट	170.22	कार्य पूरा हो गया है।
16.	1992-93	रेवाड़ी-जयपुर	104.6	कार्य पूरा हो गया है।
17.	1993-94	मिरज-लातूर	314	यह कार्य चरणों में प्रगति पर है। प्रथम चरण में लातूर से लातूर रोड और कुर्दवाडि से पधारपुर तक कार्य अच्छी प्रगति पर है।
18.	1993-94	रेवाड़ी-भंटिडा	135	कार्य पूरा हो गया है।
19.	1993-94	जोधपुर-जैसलमेर	125	कार्य पूरा हो गया है।
20.	1993-94	लूनी-मारवाड़	31	कार्य पूरा हो गया है।

1	2	3	4	5
21.	1993-94	लमडिंग-डिब्रूगढ़	300	कार्य पूरा हो गया है।
22.	1993-94	सोलापुर-गदग	180	होटगी से बीजापुर तक प्रथम चरण पूरा हो चुका है और खण्ड का शेष भाग दिसम्बर 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
23.	1993-94	फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद	280	कार्य पूरा हो गया है।
24.	1993-94	नीमच-रतलाम	116.74	दीर्घकालिक मदों पर कार्य शुरू किया गया है। इस परियोजना पर कार्य धीमी प्रगति पर है परन्तु अब इसे उच्चतर प्राथमिकता दे दी गई है और इसमें तेजी लाई जा रही है।
25.	1994-95	राजकोट-वेरावेल	100	यह कार्य गिर वन के निकट लाइन के मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण के कारण रुका हुआ था। यह कार्य अब प्रगति पर है और 9वीं पंचवर्षीय योजना में पूरा कर लिया जाएगा। 1998-99 में विनियोजित कार्यों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था कर दी गई है।
26.	1995-96	मथुरा-अचनेरा	20	यह कार्य पहले निर्माण-स्वामित्व-पट्टा-हस्तांतरण (बोल्ट) के अन्तर्गत किए जाने की योजना थी। बहरहाल, उच्च दरों और अस्वीकार्य शर्तों के कारण इन कार्यों को रेलवे की धनराशि से करने का विनिश्चय किया गया। इस कार्य को कानपुर-कासगंज-मथुरा आमान परिवर्तन के साथ करने की योजना है और जो आगामी वर्षों में पूरा हो जाएगा।
27.	1995-96	खड्डा-गोरखपुर	58.47	यह कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है और 1998-99 में बाल्मीकिनगर-नरकटियागंज और खड्डा-वाल्मीकिनगर के साथ पूरा हो जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए पूरा धन उपलब्ध करा दिया गया है।
28.	1995-96	लूनी-जोधपुर	20	कार्य पूरा हो गया है।
29.	1995-96	नरकटियागंज-वाल्मीकिनगर	44	यह कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है और मार्च 1999 तक वाल्मीकिनगर-खड्डा-गोरखपुर के साथ पूरा हो जाएगा। कार्य पूरा करने के लिए पूरा धन उपलब्ध करा दिया गया है।
30.	1995-96	मैसूर-हसन	80	कार्य पूरा हो गया है।
31.	1995-96	यशवंतपुर-सेलम	140	कार्य पूरा हो गया है।
32.	1995-96	त्रिची-नागौर-कैराकल	138	त्रिची से तंजावूर तक खण्ड पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है। शेष खण्ड निम्न परिचालनिक प्राथमिकता और धन की तंगी के कारण अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
33.	1995-96	मुदखेड़-अदिलाबाद	114	यह कार्य निर्माण-स्वामित्व-पट्टा-हस्तांतरण (बोल्ट) के अंतर्गत प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है। 1998-99 में यह कार्य पूरा होने की आशा है बशर्ते कि ठेकेदार धन प्राप्त कर ले जिसके लिए उसने इंग्लैंड में समझौता किया है।
34.	1995-96	रुपसा-बांगरीपोसी	58	कि०मी० 0 से 75 तक मिट्टी संबंधी कार्य शुरू किया गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस कार्य को नियमित किया जाएगा। 1998-99 में विनियोजित मिट्टी और पुल संबंधी कार्यों की प्रगति के लिए धन पर्याप्त है।
35.	1995-96	आगरा-बांदीकुई	89	यह कार्य पहले निर्माण-स्वामित्व-पट्टा-हस्तांतरण (बोल्ट) के अंतर्गत किए जाने की योजना थी। बहरहाल, उच्च दरों और अस्वीकार्य शर्तों के कारण इन कार्यों को रेलवे के धन की

1	2	3	4	5
				धनराशि से करने का विनिश्चय किया गया है। इस कार्य को कानपुर-कासगंज-मथुरा आमान परिवर्तन परियोजना के साथ करने की योजना है और आगामी वर्षों में पूरा हो जाएगा।
36.	1995-96	बांकानेर-मलिया मियाना	78.79	यह कार्य अब शुरू किया जा रहा है और दिसम्बर 2000 तक पूरा हो जाने की आशा है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। 1998-99 में विनियोजित चालू कार्यों की प्रगति के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया करा दी गई है।
37.	1995-96	गांधीधाम-भुज	41.04	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है और मार्च 1999 तक पूरे हो जाएंगे। तत्पश्चात संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार रेलपथ परिवर्तित किया जाएगा। तल्प कार्य पूरा करने के लिए धन पर्याप्त है।
38.	1996-97	मानसी-सहरसा	210	22 कि०मी० में मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है तथा शेष खण्ड में कार्य प्रगति पर है। छोटे और बड़े पुलों का कार्य भी प्रगति पर है तथा बड़े पुलों का कार्य पूरा होने में कम से कम 2-3 वर्ष लगेंगे। 1998-99 में नियोजित पुल एवं भूमि संबंधी कार्यों के लिए पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था की गई है।
39.	1996-97	हाजीपुर-सिलचर	67.17	कार्य पूरा हो गया है।
40.	1996-97	लमडिंग-सिलचर	648	बड़ी लाइन की अपेक्षा के अनुरूप घाट खण्ड में मार्ग परिवर्तन के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और दस्तावेज तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। बदरपुर और सिलचर के बीच जहां पर संरेखण में कोई परिवर्तन करना अपेक्षित नहीं है, मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है।
41.	1996-97	बालाघाट-कटांगी सहित जबलपुर-गोंदिया	386.3	बड़ी लाइन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मार्ग परिवर्तन निर्धारित करने के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं है।
42.	1996-97	रांची-लोहारडांगा, टोरी तक विस्तार सहित	147	कार्य का पहला चरण अर्थात रांची-लोहारडांगा खण्ड के आमान परिवर्तन का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। लोहारडांगा-टोरी (चरण-II) खण्ड पर अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। रांची-लोहारडांगा खण्ड पर मिट्टी एवं पुल संबंधी कार्यों तथा लोहारडांगा-टोरी खण्ड पर, अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण तथा भूमि-अधिग्रहण के लिए पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था की गई है।
43.	1996-97	अजमेर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर	262	उदयपुर-चित्तौड़गढ़ के बीच पहले चरण का कार्य प्रगति पर है।
44.	1996-97	पिपावाव तक विस्तार सहित सुरेन्द्रनगर-भावनगर, ढोला-ढसा-महुवा	337	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। परियोजना के वित्तपोषण के तौर-तरीकों का भारतीय रेल निर्माण कंपनी लिमिटेड के माध्यम से पता लगाया जा रहा है क्योंकि मैसर्स गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड ने धन लगाने में अपनी भागीदारी व्यक्त की है। वित्तपोषण के तौर-तरीकों का अभी पता लगाया जाना है। कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं और कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।

1	2	3	4	5
दोहरीकरण				
1.	1992-93	खाना-झापटेरढाल चरण-1	12.27	यह कार्य पहले न्यायालय मामले तथा संविदागत समस्याओं के कारण तथा दामोदर घाटी निगम द्वारा अधिक पानी छोड़े जाने से क्षेत्र में बाढ़ के कारण रोक दिया गया था। खाना में उपरि पुल सहित कार्य की अब 1998-99 में पूरा होने की आशा है।
2.	1992-93	कुप्पम-व्हाइटफील्ड	105	कार्य प्रगति पर है तथा व्हाइटफील्ड से मलूर तक कार्य पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है। मलूर से बंगारपेट तक कार्य अब प्रगति पर है और 1998-99 में पूरा होने की आशा है। बंगारपेट से आगे का कार्य उसके पश्चात शुरू किया जाएगा।
3.	1993-94	झापटेरढाल-गुसकरारा (चरण-II)	11.46	झापटेरढाल से बनपास तक एक ब्लाक पूरा हो गया है। शेष खण्ड का कार्य 1998-99 में पूरा हो जाएगा।
4.	1993-94	गजपतिनगरम-विजयानगरम (चरण-II)	22	गजपतिनगरम-गोतलम (16 किलोमीटर) पूरा हो चुका है और गोतलम-विजयानगरम 31.7.1998 तक पूरा हो जाएगा। यार्ड के ढांचे में परिवर्तन का कार्य भी प्रगति पर है।
5.	1994-95	चन्दनपुर-गुरप तीसरी लाइन	23.82	कार्य प्रगति पर है और 2000-2001 में पूरा करने का लक्ष्य है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
6.	1994-95	रजतगड़-नेरगुंडी-तालचेर	60	रजतगड़ से सालेगांव खण्ड सितम्बर 1998 तक पूरा हो जाने की आशा है। 4 किलोमीटर के शेष खण्ड में एक फ्लाईओवर है और जून 1999 तक तैयार हो जाएगा बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी जाए।
7.	1994-95	अकलतारा-चम्पा तीसरी लाइन, शिरोपरि उपस्कर सहित	39.97	अकलतारा-नैला (16 किलोमीटर) पूरा हो चुका है। नैला-चम्पा (12 किलोमीटर) का खण्ड जून 1999 तक पूरा हो जाएगा।
8.	1995-96	दीवा-वसई	90	कार्य अच्छी प्रगति पर है। चरण-1 में वसई रोड से कामन तक 11 किलोमीटर मार्च 1999 तक पूरा हो जाएगा और कामन से भिवंडी तक 17 किलोमीटर जून 1999 तक पूरा हो जाएगा। भिवंडी से दीवा तक दिसम्बर 1999 तक पूरा करने का लक्ष्य है बशर्ते कि अतिØमण हटा दिए जाएं और संसाधन उपलब्ध हों।
9.	1995-96	दीवा-पनवेल	47	कार्य पूरा हो गया है।
10.	1995-96	दौंड-भिगवान	32.42	पुल तथा तल्प का शेष कार्य और पूर्ण मिट्टी संग्रहण का कार्य सभी प्रकार से दिसम्बर 1999 तक पूरा हो जाएगा जिसके लिए 1998-99 में पर्याप्त धन उपलब्ध है।
11.	1995-96	गुस्कारा-भोलपुर, चरण-2	24.15	अजय पुल को छोड़कर जिसके लिए निविदाएं खोली गई हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है, सभी निविदाएं दे दी गई हैं। गुस्कारा से पिचकुरीदाल (5.5 किलोमीटर) का कार्य 1998-99 में और शेष खण्ड का कार्य दिसम्बर 2000 तक पूरा हो जाने की आशा है।
12.	1995-96	बज बज-अकरा, चरण-1	7.85	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। कार्य मार्च 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
13.	1995-96	टूंडला-यमुना पुल	24.6	टूंडला-इतमादपुर और फ्लाईओवर पर कार्य प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी कार्य और छोटे पुल पूरे हो चुके हैं। कार्य का क्षेत्र

1	2	3	4	5
				कम कर दिया गया है और कम किए गए कार्य के लिए लक्ष्य दिसम्बर 1999 है।
14.	1995-96	मुरादनगर-मेरठ सिटी	39.62	मिट्टी संबंधी कार्य और छोटे पुल पूरे हो चुके हैं। बड़े पुलों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं और पूरा होने में लगभग एक वर्ष लगेगा।
15.	1995-96	गाजियाबाद-मुरादाबाद, चरण-I	37.68	कार्य प्रगति पर है और गाजियाबाद-महरौली (7 किलोमीटर) का प्रथम ब्लाक खण्ड अगस्त 1998 तक पूरा हो जाएगा। महरौली-हापुड़ खण्ड पर कार्य दिसम्बर 2000 तक पूरा हो जाएगा।
16.	1995-96	कानपुर-पनकी, चरण-1	34.03	मध्य रेल लाइन को फ्लाईओवर के साथ जोड़ने के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है और फ्लाईओवर के लिए 76.2 मीटर गर्डरों हेतु मनमाड़ कारखाने को आर्डर दे दिया गया है।
17.	1995-96	कुट्टीपुरम-गुरूवायूर	30	यह कार्य दोहरीकरण के रूप में स्वीकृत था। बहरहाल, कुट्टीपुरम से शोरण्णूर तक दोहरीकरण का विस्तार हो जाने से यह अब नई लाइन होगी। रेलवे सर्वेक्षण को अद्यतन कर रही है तकि अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त की जा सकें।
18.	1995-96	बेंगलूरू-कंगेरी कहीं-कहीं दोहरीकरण	23.59	निम्न परिचालनिक प्राथमिकता के कारण यह कार्य फिलहाल रोक दिया गया है।
19.	1995-96	रघुनाथपुर-रहामा कहीं-कहीं दोहरीकरण	53.37	मिट्टी बड़े और छोटे पुलों से संबंधी कार्य प्रगति पर है। यह कार्य 1998-99 में पूरा करने का लक्ष्य है।
20.	1995-96	ऊरकुरा-रायपुर-सरौना	11.9	ऊरकुरा-रायपुर (6.5 किलोमीटर) पूरा हो चुका है। शेष खण्ड पर कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है और जोड़ने का कार्य पूरा हो चुका है।
21.	1995-96	कोटा-गुरला, चम्बल पुल का दोहरीकरण.	11.68	कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है और इस माह के अन्त तक पूरा हो जाएगा।
22.	1996-97	पनवेल-रोहा भूमि अधिग्रहण	4.1	अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जाएगा।
23.	1996-97	पटना-गया, चरण-1	10	मिट्टी संबंधी कार्य पूरा होने वाला है और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। कार्य मार्च 1999 तक पूरा होने की आशा है।
24.	1996-97	गुरुप-शक्तिगड़	41.43	योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य की प्रगति होगी। इस कार्य की सापेक्ष परिचालनिक प्राथमिकता निम्न है।
25.	1996-97	अलीपुर-अकरा, चरण-1	11.82	नक्शों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य में प्रगति होगी।
26.	1996-97	गोंडा-जरवाल रोड	62.56	कार्य प्रगति पर है और 20 प्रतिशत मिट्टी संबंधी कार्य और 33 छोटे पुलों में से 21 पूरे हो चुके हैं। 8 बड़े पुलों में से 3 पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है।
27.	1996-97	इरूगुरू-कोयम्बतूर	25.11	नक्शों और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में कार्य शुरू किया जाएगा।

1	2	3	4	5
28.	1996-97	विजयवाड़ा-कृष्णा कैनाल तीसरी लाइन	23.52	नक्शे और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। 1998-99 में विनियोजित मिट्टी संबंधी कार्यों और पुलों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था कर दी गई है।
29.	1996-97	कोरबा-साराबुंदिया	27.59	कार्य प्रगति पर है और साराबुंदिया-ऊरगा (6.5 किलोमीटर) सितम्बर 1998 और शेष कार्य जनवरी 1999 तक पूरा हो जाएगा।
30.	1996-97	तालचेर-कटक-पारादीप, बिरूपा और महानदी नदी पर दूसरा पुल	93.1	बिरूपा पुल के लिए मिट्टी की जांच और विस्तृत अभिकल्प का कार्य पूरा हो चुका है और आरेखण तैयार किए जा रहे हैं। महानदी के लिए जांच और अभिकल्प हेतु निविदाएं खोल दी गई हैं और इन पर कार्रवाई की जा रही है।
31.	1996-97	दालकोला-किशनगंज	26.18	मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे और बड़े पुलों के लिए निविदाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और अन्य निविदाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। किशनगंज-हतवाड-कनकी (17 किलोमीटर) दो ब्लाक खण्डों को मार्च 1999 तक और शेष खण्डों को 1999 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
महानगर परिवहन परियोजना				
1.	1995-96	ठाणे-थुरबे-नेरूल-वाशी, मुम्बई में गालियारा सं० 2 का भाग (19.00 कि०मी०)	403.39	कार्य प्रगति पर है।
2.	1995-96	बेलापुर-पनवेल, दैनिक यात्री लाइन (10.90 कि० मी०) का दोहरीकरण	279.83	कार्य प्रगति पर है।
3.	1995-96	कुर्ला-भाडुप 5वीं और 6ठी लाइन (10.00 कि०मी०)	49.84	कार्य प्रगति पर है।
4.	1996-97	बेलापुर/नेरूल-सीवुड-ऊरान दोहरी लाइन (22.30 कि० मी०)	495.44	अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है।
5.	1995-96	बोरीवली-विरार के बीच चौहरीकरण (25.84 कि० मी०)	401.66	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।
6.	1995-96	सांताØूज-बोरीवली 5वीं लाइन (15.81 कि०मी०)	64.17	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
7.	1996-97	लुज-वेल्लाचेरी, व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली का विस्तार (10.30 कि०मी०)	605.70	अनुमान का तीसरा भाग स्वीकृत कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।
कारखाने/सार्वजनिक उपक्रम				
1.	1992-93	चिरेका-उच्च्व अश्व शक्ति 3 फेज एबीबी रेल इंजनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं	29.81	कार्य प्रगति पर है।
2.	1996-97	लुधियाना-100 रेल इंजन खड़े करने के लिए बिजली रेल इंजन शेड	24.35	कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5
3.	1996-97	चित्रदुर्ग-नेमी ओवरहाल-आवधिक ओवरहाल माल-डिब्बा सुविधाएं	33.84	कार्य रोक दिया गया है।
4.	1996-97	काजीपेट-100 रेल इंजन खड़े करने के सम्हलाई के लिए तीसरा बिजली रेल इंजन शेड	24.35	कार्य प्रगति पर है।

कम सं०	परियोजना का नाम	अनुमोदन का वर्ष	लागत (आंकड़े करोड़ रुपये में)	प्रगति
1	2	3	4	5
रेल विद्युतीकरण				
1.	कोचीन हार्बर टर्मिनस सहित ईरोस-पालघाट-एर्णाकुलम	1992-93	156.09	मार्च 1999 तक, प्रगति 74 प्रतिशत, लक्ष्य मार्च 2000
2.	रेणिगुंटा-गुन्तकल हॉसपेट और तोरगागल्लु रंजीतपुरा शाखा लाइन	1992-93	177.00	लंबित
3.	अम्बाला-मुरादाबाद	1992-93		
	(i) अम्बाला-सहारनपुर		51.21	लक्ष्य दिसम्बर, 98
	(ii) सहारनपुर-मुरादाबाद		101.00	लंबित
4.	चाण्डील-मूरी-बरकाकाना	1992-93	45.06	पूरा हो गया
5.	जामादोबर-मोहुदा	1992-93	8.43	पूरा हो गया
6.	सामलकोट-काकीनाडा पोर्ट ब्रांच लाइन सहित विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम	1992-93	240.73	पूरा हो गया
7.	बंडेल-कटवा	1992-93	49.54	पूरा हो गया
8.	आद्रा-मिदनापुर	1993-94	84.41	मार्च, 98 तक, प्रगति 28 प्रतिशत, लक्ष्य सितम्बर, 99
9.	तालचेर-कटक-पारादीप की शाखा लाइन सहित खडगपुर-भुवनेश्वर	1995-96	310.19	कार्य प्रगति पर है, लक्ष्य मार्च 2002
10.	खुर्जा-हापुड़-मेरठ शहर-सहारनपुर	1996-97	89.21	लंबित

कम सं०	परियोजना	शामिल करने का वर्ष	लागत (करोड़ रुपयों में)	प्रगति
1	2	3	4	5
दूरसंचार				
1.	मुम्बई-भुसावल माइक्रोवेव लिंक का डिजीटल प्रणाली से बदलाव	1992-93	20.53	(1) प्रमुख दूरसंचार मदें प्राप्त हो चुकी हैं। (2) सभी इमारतों का निर्माण हो चुका है। (3) 12 टावरों में से 3 संस्थापित हो चुके हैं। समग्र प्रगति 55 प्रतिशत। कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि 31.3.99

1	2	3	4	5
2.	चर्चगेट-अहमदाबाद एनालॉग माइक्रावेव लिंक का (34+2) एम बी प्रणाली से बदलाव	1992-93	22.00	(1) प्रमुख दूरसंचार मदें प्राप्त हो चुकी हैं। (2) मुम्बई वीटी-चर्चगेट के बीच आंशिक लिंक जनवरी 1998 में चालू कर दिया गया है। (3) लिंक का अब परीक्षण किया जा रहा है। समग्र रूप से 85 प्रतिशत प्रगति हुई है। कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि 31.12.98
3.	चक्रधरपुर-राउरकेला-झारसगुडा रेलों के स्वामित्व वाले आप्टिक फाइबर केबल और चक्रधरपुर-झारसगुडा एनालॉग माइक्रोवेव प्रणाली	1996-97	20.96	यह कार्य प्रारम्भ में बोल्ट योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था जिसे 1998-99 के बजट में रेलवे वित्त के अन्तर्गत निष्पादित किए जाने के लिए परिवर्तित किया जा चुका है। कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि 30.6.2001

श्री चन्दूलाल अजमीरा : महोदय, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में ताजा आबंटन जारी करते समय धनराशियों की स्थिति पर ध्यान नहीं रखने के लिए रेलवे की आलोचना की है। रेलवे ने 1992-93 से 1996-97 तक 22,875 करोड़ रुपये की लागत पर 1847 नई परियोजनाएं शुरू की हैं। लेकिन धनराशि की कमी के कारण परि-योजनाएं बन्द कर दी गई या उनकी विकास गति धीमी कर दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रत्येक परियोजना के वित्तीय परिणामों का पता लगाया गया तथा अध्ययन किया गया। यदि हां, तो गत पांच वर्षों से निर्माणाधीन 235 कार्यों में प्रगति क्यों नहीं हो पाई।

मैं जानना चाहता हूं कि 1992-93 में शुरू की गई पेड्डापल्ली-निजामाबाद रेलवे लाइन परियोजना अभी भी लंबित है ··*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्दूलाल जी, आप प्रश्नकाल के दौरान वक्तव्य नहीं दे सकते हैं।

श्री चन्दूलाल अजमीरा : महोदय, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद से मंत्रालय, पुट्टापर्थी, तिरुपति इत्यादि रुकते हुए एक तीर्थ रेलगाड़ी शुरू करने का आग्रह किया है। '97 को तत्कालीन रेल मंत्री ने कहा था कि मार्ग का पता लगाया जा रहा है। ··*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्दूलाल, कृपया समझिए कि यह प्रश्नकाल है।

श्री चन्दूलाल अजमीरा : मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष के बजट में यह रेलगाड़ी क्यों नहीं शुरू की गई। इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : जो सवाल देश भर के बारे में पूछा गया है उसका पूरा विस्तृत उत्तर दे दिया गया है। उसमें किसी सप्लीमेंट्री की गुंजाइश नहीं है। जहां तक तारांकित या दो-चार प्रश्न के उत्तर का सवाल है मैं समझता हूं कि देश भर के अलग-अलग प्रोजैक्ट के स्थितियों पर चर्चा सम्भव नहीं है। अभी हाल ही में रेल बजट पर चर्चा हुई है जिसमें सबने अपनी बात रखी है। जहां तक प्रोजैक्ट की स्थिति का सवाल है या जिस रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया है, यह बात है, परिपाटी है कि जहां नई रेल परियोजनाओं ली जाती रही हैं, पेंडिंग प्रोजैक्ट्स भी उसमें रहते हैं, सारी स्थिति का बखान करते हुए एक स्टेटस पेपर सदन में रखा जा चुका है और उस पर चर्चा भी हुई है।

जहां तक प्रोजैक्ट्स की डिटेल का सवाल है। पूरे प्रोजैक्ट्स की स्थिति, उसकी कब मंजूरी हुई, उसकी क्या स्थिति है, इस बारे में एक व्हाइट पेपर मैं इसी सत्र में सदन के पटल पर अन्तिम सप्ताह में रखूंगा।

[अनुवाद]

श्री चन्दूलाल अजमीरा : मैं जानना चाहता हूं कि 1997 में सर्वेक्षण कार्य करवाए जाने के बावजूद नान्दयाल-येरागुंटा परियोजना क्यों नहीं शुरू की गई।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सिर्फ सर्वे के कम्पलीट होने से नहीं, प्रोजेक्ट्स के बारे में उसकी डिटेल तैयार होती है जो सदन के सामने आती है, प्लानिंग कमीशन में जाती है, एक्सपेंडेंट बोर्ड में जाती है, कैबिनेट की क्लीयरेंस ली जाती है और इन सब पकियाओं के बाद ही प्रोजैक्ट्स को लिया जाता है। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं अगर वह चाहें तो हमसे मिलकर पूरी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : माननीय मंत्री महोदय से मैं छोटा-सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपने प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसको मैंने देखा है और मुझे पता लगा है। जैसे राजस्थान में प्रकृति का प्रकोप रहा है खासकर बीकानेर एरिया में। वहां वैसे ही पानी की किल्लत है, रेतीला इलाका है और बड़ी मुश्किल से कभी बरसात होती है। आपके पहले उत्तर में लिखा हुआ था। उसे मैंने देखा है और मुझे पता है कि रिवाड़ी से लेकर बीकानेर तक गेज कन्वर्शन की स्कीम पहले थी लेकिन इसमें उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। आप कृपया उस पर ध्यान दीजिए। कम से कम उसको ठीक करवाइये क्योंकि वह बड़ा ऐतिहासिक शहर है। ··*(व्यवधान)* यह निवेदन है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी पिछड़े हुए इलाके को आगे ले जाने के लिए आवश्यक है कि आप वह काम करें। उसके लिए आपसे विनती है। क्या आप मुझे बतायेंगे? आपके बोर्ड में भी आया हुआ है, इसमें क्यों नहीं आया है, इस बारे में मुझे पता नहीं है। मुझे पूरी तरह से ज्ञात है। आप

उस पर ध्यान दीजिए और मुझे बताइए या लिखकर बाद में किसी वक्त बताइए कि आप उसे कब करवा रहे हैं।

दूसरी विनती है कि रेलगाड़ियां चलती हैं लेकिन हमारे छोटे-छोटे स्टेशनों पर उन्हें रोकना बन्द कर दिया गया है। कहा जाता है कि यह अनइकोनौमीकल है। आप किसानों को तो चढ़ने दें। इसके लिए मैंने आपको चिट्ठी लिखी है। इस बारे में भी बताएं।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। इन्होंने निवेदन किया है, उस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम देव केशरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री सभा में श्वेत पत्र रखने पर सहमत हो गए हैं। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बनाए गए नौ नए जोनों में से उड़ीसा के लिए पूर्व तटीय जोन है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा इस जोन पर कार्य शुरू करने तथा वाल्टियर, सम्भलपुर तथा खुर्दा को पूर्व तटीय जोन में मिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यह कार्य कब तक शुरू होगा?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह प्रश्न मूल सवाल से पैदा नहीं होता।

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, हमारा तजुर्बा है कि रेलवे प्रोजैक्ट्स के इम्प्लीमैंटेशन में बहुत समय लगता है। यह सिलसिला बहुत पहले से चलता आ रहा है। प्रोजैक्ट के सैंक्शन होने, क्लीयरैंस, उसके बाद टैक्नो-इकोनौमिक सर्वे, फाईनल लोकेशनल सर्वे, टैंडर और टैंडर फाईनलाईजेशन में जो यह सारा पैराफरनेलिया है, उसमें तीन-चार साल लग जाते हैं। 1993-94 में आद्रा-मिदनापुर सैक्शन का इलैक्ट्रीफिकेशन सैंक्शन हुआ था लेकिन आज तक उसमें केवल 28 प्रतिशत प्रोग्रैस हुई है। दूसरा कुमारघाट-अगरतला प्रोजैक्ट 1996-97 में सैंक्शन हुआ। जब उस समय तय हो गया था कि नई लाइन ब्रॉडगेज होगी फिर उसका सर्वे मीटरगेज में कैसे हुआ। अभी जो बयान रखा गया है, उसमें बताया गया है कि मीटरगेज से ब्रॉडगेज का सर्वे फिर से होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्य भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। अतएव, कृपया मुद्दे पर आइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : हम प्रश्न पर आ रहे हैं। यह बहुत बड़ी प्रौब्लम है। धर्मतल्ला से कुमारघाट मीटरगेज लाइन है, उसे ब्रॉडगेज करना ही पड़ेगा क्योंकि सिलचर-लामडिंग-बदरपुर सैक्शन में भी ब्रॉडगेज कन्वर्शन हो रहा है। प्रोजैक्ट के क्रियान्वयन में जो चार-पांच साल का समय लगता है, उसे कैसे घटाया जाए। आप जो व्हाइट पेपर रखेंगे, हम चाहेंगे कि उसमें इसे भी इन्क्लूड करें। एक बार प्रोजैक्ट अगर सैंक्शन हो गया, उसका काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, क्या इस तरह का कोई प्रपोजल रेल मंत्रालय का है या नहीं?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जितने प्रोजैक्ट्स सैंक्शन्ड हैं, उन्हें पूरा करने में आज रेलवे के पास जो धन है और हर साल जो बजटरी सपोर्ट मिलता है ... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, शुरू करने की बात कर रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : आप पूरी बात तो सुन लीजिए। ... *(व्यवधान)* आप तो सब बात जानते हैं। आप रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : हमने तो सुझाव दिया है।

श्री नीतीश कुमार : हमने स्टेटस पेपर में भी इस समस्या की चर्चा की है और प्रोजैक्ट के हालात पर, उसकी स्थिति पर व्हाइट पेपर इसी सत्र में लाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, काम शुरू करने के लिए आवश्यक है कि अपेक्षित धनराशि का प्रावधान हो और जितने प्रोजैक्ट पैंडिंग हैं, उनको पूरा करने के लिए आज के हिसाब से कम से कम 35,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी जबकि हर साल इसके लिए 2,000 या 2,100 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध हो पाती है—इसे भी देखना होगा। इसका फिर एक ही उपाय है कि पूरी स्कीम को रीप्रायर्टाइज किया जाए, फिर से प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएं या फिर सारे प्रोजैक्ट को पूरा करने के लिए सरकार धनराशि का प्रावधान करे। दोनों में से एक इंतजाम करना होगा। इन सारी बातों की चर्चा इस सदन में हो चुकी है और माननीय सदस्य अवगत हैं।

श्री राजो सिंह : सरकार तो आप ही हैं।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, रेलवे की मांग रही है कि भारत सरकार बजटरी सपोर्ट बढ़ाए। बैकवर्ड रीजन के डैवलपमेंट के लिए प्रोजैक्ट लेना लाजमी है, लेकिन उसके लिए पैसा कहां है? नार्थ-ईस्ट के प्रोजैक्ट को पूरा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये चाहिए जबकि हर साल हम 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर पाते हैं, इससे आप जोड़ लीजिए कि इसे पूरा करने में कितने साल लगेंगे। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। स्टेटस पेपर में ये सारी बातें हमने रख दी हैं। यह सब की चिन्ता का विषय है कि कैसे इससे निपटा जाए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : अग्रिम पंक्ति में बैठे सदस्यों द्वारा ही पूरा समय लिया जा रहा है। हमें गंभीर शिकायत है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं दो भागों में रेल मंत्री महोदय से अपना प्रश्न पूछूंगा। एक भाग यह है कि जब हमारी सरकार थी, तो हमने बैकवर्ड एरिया के डवलपमेंट के लिए यह सोचा था कि सारे नियमों को शिथिल करके उन एरिया के विकास के लिए प्रोजैक्ट लिए जाएं। जैसा अभी बसुदेव आचार्य जी ने कहा और मंत्री जी भी जानते हैं कि किसी प्रोजैक्ट के लेने से पहले उसका सर्वे होता है। उसके बाद वह प्लानिंग कमीशन में जाता है, एक्सपेंडेड बोर्ड में जाता है और फिर कैबिनेट में, सी०सी०ए० में जाता है। उसके बाद ही वह रेलवे बजट में जुड़ता है। मंत्री जी जिस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। वह बैकवर्ड एरिया के लिए कभी संभव नहीं है। इसीलिए बैकवर्ड एरियाज के डैवलपमेंट के लिए कहा गया था कि यदि प्रोजैक्ट इकनौमिक

दृष्टि से वाएबल न हो, यदि सरकार यह समझे कि वह बैकवर्ड एरिया के डवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो वह प्रोजैक्ट लिया जाएगा और इस दृष्टि से बिहार में, नार्थ-ईस्ट में और सारी जगहों में प्रोजैक्ट्स लिए गए हैं और उनको कैबीनेट ने पास भी कर दिया है। अत: मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो प्रोजैक्ट रेलवे ने पास कर दिए उन सारे प्रोजैक्ट को जल्द से जल्द पूरा कराएंगे, क्योंकि जो प्रोसीजर मंत्री जी एडाप्ट करेंगे, उसमें रेलवे बोर्ड के सामने डिफीकल्टीज हैं और यदि आर्थिक दृष्टि से वाएबल वाली बात को देखेंगे तो रेलवे के 90 प्रतिशत प्रोजैक्ट रिजैक्ट हो जाएंगे। इसलिए जिनको रेलवे बजट ने पास कर दिया है, क्या उन सारे प्रोजैक्ट को आप जल्द से जल्द, जहां सरकार सैटिस्फाइड है, उन प्रोजैक्ट को आप कैबीनेट से पास कराएंगे?

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार के समय में, प्रधानमंत्री जी के वक्त में, जितने भी रेलवे के प्रोजैक्ट्स हैं, उनकी आलरेडी प्रापर्टीज फिक्स कर दी गई और यह कहना आंशिक रूप में सही है कि रेलवे में इतने हजार करोड़ रुपये लगते हैं, उतना पैसा कहां से आएगा। जो नई रेलवे लाइन हैं जिनके लिए पिछले साल 400 करोड़ रुपये रखे गए थे और मैं समझता हूं कि वह रुपया भी नई रेलवे लाइनों के बनाने पर खर्च नहीं हुआ है। इस बार भी 500 करोड़ रुपया रखा गया है, वह भी खर्च नहीं हुआ है। जहां पैसे का आबंटन आवश्यक है, वहीं यह भी जरूरी है कि नई रेलवे लाइनों के ऊपर पैसा खर्च हो, लेकिन जो मेरे प्रश्न का पहला पार्ट है कि उन सारे प्रोजैक्ट को इमीडिएटली कैबीनेट में पास करके उनके ऊपर काम शुरू किया जाएगा या नहीं, इसके बारे में आप बताइए?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कहा है कि जहां तक पिछड़े इलाकों की बात है, अनरैम्यूनरेटिव प्रोजैक्ट भी लिए गए हैं, लिए जा रहे हैं और लिए जा सकते हैं, क्योंकि पिछड़े वर्गों के विकास के लिए जो रेलें बिछाई जाएंगी, उनसे तुरन्त रिटर्न अपेक्षित दर पर नहीं होगा। इसलिए जहां निगेटिव रेट आफ रिटर्न भी है, या जहां उतना रेट आफ रिटर्न नहीं है जितना रेलवे मानती है, इसके बावजूद अगर लाभप्रद योजना है, रेलवे में ऐसी नई रेल परियोजनाएं पिछड़े वर्ग के विकास के लिए ली जाती रही हैं। उस नीति में परिवर्तन का कोई सवाल नहीं है। वह नीति यथावत जारी है, जारी रहेगी।

अब सवाल रहा जैसा पासवान जी ने कहा कि उसका इम्पलीमेंटेशन कैसे होगा, उसके इम्पलीमेंटेशन के लिए सब लोग जानते हैं कि अभी जो पैंडिंग रेलवे प्रोजैक्ट्स हैं, जिसमें नई रेल लाइनें, गेज कन्वर्शन, दोहरीकरण और इलैक्ट्रीफिकेशन के प्रोजैक्ट्स हैं, इन सब को मिला दिया जाए तो प्रोजैक्ट्स को पूरा करने के लिए 35 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है और 35 हजार करोड़ रुपया रेलवे के पास नहीं हो सकता है। इसके लिए खासकर जो पिछड़े इलाके की रेल लाइनें हैं, नार्थ-ईस्ट की हैं, कश्मीर की है या इस प्रकार के अन्य पिछड़े इलाके के प्रोजैक्ट्स हैं *(व्यवधान)* इन इलाकों के लिए जो बजटरी सपोर्ट है, उसमें वृद्धि की जानी चाहिए। दूसरे जो बैकवर्ड एरिया के डवलपमेंट के प्रोजैक्ट्स के लिए पैसा मिलता है, उस पर डिवीडेंड लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। यह बात स्टैंडिंग कमेटी ने भी कही है। ये बातें हम लोगों की तरफ से स्टेटस पेपर में भी कही गई हैं।

जहां तक प्रियोयटाईजेशन का सवाल है, प्लानिंग कमीशन ने पुन: प्रियोयटाईजेशन के लिए कहा है। पासवान जी ने कहा कि पिछली सरकार ने प्रियोयटाईजेशन किया था, हां, इन्होंने प्रियायटाईजेशन की प्रकिया 18 मार्च को की थी, जिस दिन इनकी सरकार का आखिरी दिन था, उस दिन प्रियोयटाईजेशन की प्रकिया हुई थी। *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : नौ मार्च को।

मैंने एक छोटा-सा सवाल पूछा था कि जो प्रोजैक्ट बजट में पास कर दिया है, उन सारे प्रोजैक्ट्स को आप कैबिनेट से पास कराएंगे, यह मेरा सीधा-सा सवाल था?

श्री नीतीश कुमार : हमारी तरफ से किसी प्रोजैक्ट को रोकने का सवाल ही नहीं है। उसके लिए प्लानिंग कमीशन और सी०सी०ए० से वह प्रकिया हम जारी रखे हुए हैं।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रेल मंत्री द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं से संबंधित है। इस सभा में सभी लोग जानते हैं कि संसद सर्वोच्च है। आप सदन के संरक्षक हैं।

ग्यारहवीं लोक सभा में, पूर्व रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान ने पिछड़े क्षेत्रों के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की थी। क्या उन परियोजनाओं को इस बजट में शामिल किया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं तो उन्हें क्यों नहीं शामिल किया गया है? पिछली सरकार ने जिन परियोजनाओं की घोषणा की थी उनकी स्थिति क्या है? यदि उन्हें शामिल नहीं किया गया है तो यह भारत सरकार द्वारा की गई भूल है। अतएव माननीय अध्यक्ष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पिछली सरकार द्वारा घोषित सभी परियोजनाओं को शामिल किया जाए तथा उन प्रतिबद्धताओं के अनुरूप ही यथाशीघ्र पूरा किया जाए।

श्री नीतीश कुमार : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की शंका गलत है। 'पिंक बुक' से एक भी परियोजना को नहीं निकाला गया है। मैं उन्हें रेलवे की 'पिंक बुक' को पढ़ने की सलाह देता हूं। उन्हें इसमें उत्तर मिल जाएगा कि एक भी परियोजना नहीं छोड़ी गई है। मैंने किसी भी पूर्व रेल मंत्री के बजट भाषण में घोषित या सम्मिलित परियोजनाओं को नहीं छोड़ा है। *(व्यवधान)*

सदन में श्वेत पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् माननीय सदस्य को परियोजनावार विवरण मिल जाएगा।

श्री अनिल बसु : आप सिर्फ पूर्व मंत्रियों को ही मौका दे रहे हैं। अन्य सदस्यों का क्या होगा?

श्री टी० आर० बालू : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने एक भी परियोजना नहीं छोड़ी है। इसके साथ ही अपने निष्पादन बजट में उन्होंने कई कारण बताए हैं।

जहां तक तिरुची-थन्जावुर-नागोर-कारैक्कल छोटी लाइन के आमान परिवर्तन का संबंध है उन्होंने कहा है कि ठेकेदार उपयुक्त योग्यता वाला नहीं था। चूंकि ठेकेदार ने काम नहीं किया इसलिए इस कार्य के लिए आबंटित 5 करोड़ रुपया उन्होंने दूसरे मद में दे दिया है। जब मैंने यह जानना चाहा कि इसे क्यों रद्द कर दिया गया तो निष्पादन बजट में उन्होंने बताया है कि ठेकेदार उपयुक्त योग्यता वाला नहीं था। अब वह प्रचालन प्राथमिकताओं तथा धन की कमी को इसका कारण बता रहे हैं। एक तरह से वे यह भी कह सकते हैं कि धन की कमी या प्रचालन प्राथमिकताओं के कारण ऐसा है।

उस क्षेत्र विशेष में ईसाईयों का प्रसिद्ध वैलनकन्नी गिरजाघर है, नागौर में मुस्लिम दरगाह है तथा तिरुवरुर में हिन्दू मंदिर है। इस तरह से इस क्षेत्र में भारी संख्या में यात्रियों की आवाजाही की गुंजाइश है। माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न यह है कि इस परियोजना को बेवजह छोड़ने की क्या आवश्यकता थी?

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, कृपया यह समझने का प्रयास करें कि नए सदस्यों को अवसर नहीं मिलने के कारण उनमें काफी निराशा है। मैं पुराने सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस बात को समझने का प्रयास करें।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, उनके प्रश्न में मुझे कोई प्रश्न नजर नहीं आता है।

श्री टी० आर० बालू : महोदय, उन्होंने इस परियोजना को बन्द कर दिया है तथा उन्होंने दूसरा जवाब नहीं दिया है।

श्री नीतीश कुमार : यह एक अलग बात है।

श्री टी० आर० बालू : यह बात अलग कैसे है? उन्होंने इस परियोजना को बन्द कर दिया है।

श्री नीतीश कुमार : श्री बालू, आप मुझसे ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं। यह आप इस सत्र के अन्तिम सप्ताह तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। मैं आपको प्रत्येक परियोजना के बारे में पूरी-पूरी जानकारी दूंगा। अतएव, इस सत्र के अन्तिम सप्ताह तक प्रतीक्षा करें।

सोफ्टवेयर का विकास

*424. **श्री नृपेन गोस्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन स्थानों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उन सभी स्थानों पर नेटवर्किंग व्यवस्था के लिए सोफ्टवेयर उपलब्ध है और क्या ऐसी व्यवस्था का और अधिक विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी राज्यों की राजधानियों को नेटवर्किंग व्यवस्था के अंतर्गत कब तक लाए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और सिकंदराबाद की पांच प्रणालियों की नेटवर्किंग के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। नेटवर्किंग के लिए साफ्टवेयर विकसित कर लिया गया है। दिल्ली और सिकंदरावाद प्रणालियों को जोड़कर परियोजना का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। पूरी नेटवर्किंग परियोजना दिसंबर, 1999 तक पूरी कर लिए जाने की आशा है। इससे सभी यात्री आरक्षण प्रणाली (पी. आर. एस.) स्थल इस नेटवर्क के अंतर्गत आ जाएंगे।

श्री नृपेन गोस्वामी : अध्यक्ष जी, पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का दूरस्थ किनारा है, क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र को इस नेटवर्किंग व्यवस्था के अंतर्गत शामिल करने हेतु प्राथमिकता देंगे या नहीं ? मैं कहना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर को, विशेषकर गुवाहाटी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि उसे इस नेटवर्किंग व्यवस्था में लाया जाए। क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्रालय के पास इस संबंध में कोई प्रस्ताव है या नहीं ?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : कम्प्यूटराज्ड पब्लिक रिजर्वेशन सिस्टम और पैसेंजर्स रिजर्वेशन सिस्टम सारी जगहों पर है और नार्थ-ईस्ट में भी कई जगहों पर है। जहां पहले 300 पर कम्प्यूटराइज्ड रिजर्वेशन की सुविधा थी, इस बार उसमें रिलैक्सेशन देकर 200 कर दिया गया है। नार्थ-ईस्ट में जहां रेल हैड नहीं है, वहां भी यह फैसिलिटी दी गई है। आउट स्टेशन फैसेलिटीज भी पहले से वहां दी गई है। इस पर भी आपको लगता है कि कहीं कोई जरूरत है तो आप कृपया लिखकर दें, मैं जरूर विचार करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नृपेन गोस्वामी जी, कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न कीजिए।

श्री नृपेन गोस्वामी : बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आपका दूसरा अनुपूरक प्रश्न हो गया ?

श्री नृपेन गोस्वामी : जी, मैं अपना अनुपूरक प्रश्न कर चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा। श्री गोविन्दन।

श्री टी० गोविन्दन : महोदय, सबसे पहले मैं आपको मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरा अनुपूरक प्रश्न मेरे चुनाव क्षेत्र के रेल परियोजनाओं संबंधी पिछड़ेपन के बारे में हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसे नगण्य न समझें या विषय को न टाल दें। मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान मेरे चुनाव क्षेत्र के यात्री संघ द्वारा पालघाट क्षेत्रीय रेलवे कार्यालय के सामने आरंभ किए गए आंदोलन की ओर दिलाना चाहूंगा।

अन्य मांगों में से सबसे महत्वपूर्ण जो मांगें हैं, उनमें से एक मांग थी मेरे चुनाव क्षेत्र कासरगोड में एक कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराना। इसकी व्यवस्था का प्रस्ताव था किन्तु दुर्भाग्यवश इसमें विलंब किया गया; और उसका कोई कारण नहीं बताया गया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र के मुख्यालय कासरगोड में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली कब तक लगा दी जाएगी ?

श्री नीतीश कुमार : इसे इसी वित्त वर्ष में कर लिया जाएगा।

श्री सी० पी० राधाकृष्णन : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक प्रश्न उठाना चाहूँगा। कोंकण रेलवे पर यातायात आरंभ कर दिया गया है। रेल मंत्री जी ने कुर्ला एक्सप्रेस को उस रेल मार्ग से होकर चला दिया है और मंगला एक्सप्रेस को भी उस रेल मार्ग से होकर चलाने का प्रस्ताव है।

अतः पूरी टेक्स्टाइल बेल्ट, कोयम्बटूर-पालघाट-कोयम्बटूर...

अध्यक्ष महोदय : राधाकृष्णन जी, कृपया ध्यान रखें कि यह प्रश्न साफ्टवेयर के विकास के बारे में है, रेलगाड़ियों में मार्ग परिवर्तन के बारे में नहीं।

श्री सी० पी० राधाकृष्णन : महोदय, मैं अपने प्रश्न पर आ रहा हूं। संपूर्ण टेक्स्टाइल बेल्ट को दिल्ली के साथ जोड़ने के लिए एक नई लाइन आरंभ करने हेतु रेल मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयम्बटूर में कोई आरक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है। 'ई क्यू' ओलावकोड नामक स्थान से जारी की जा रही हैं। मैं कोयम्बटूर से भी आरक्षण प्राप्त करने में सक्षम नहीं हूं, हालांकि वहां कम्प्यूटर प्रणाली है। हर बार मुझे ओलावकोट फैक्स भेजना पड़ता है। उसे कन्फर्म कराने के लिए फैक्स पर 40 से 50 रुपये तक खर्च कर रहा हूं। और मुझे कन्फर्म सीट केवल अंतिम क्षणों पर मिल रही है। यही बात मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों और 'ई क्यू' के साथ भी है।

श्री नीतीश कुमार : यह अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न में से नहीं उठता। यह एक व्यक्तिगत समस्या है।

श्री सी० पी० राधाकृष्णन : यह मेरी अपनी समस्या नहीं है। यह मेरे चुनाव क्षेत्र की समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें एक पत्र लिख सकते हैं और वे उसका उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री रामफल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अध्यक्ष जी की मार्फत आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में अजमेर डिवीजन अलग हो गया है और उससे लगे हुए भीलवाड़ा और चित्तौड़ जिले रतलाम डिवीजन में लगते हैं, जो काफी दूर हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या भीलवाड़ा और चित्तौड़ जिलों को अजमेर डिवीजन में मिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री नीतीश कुमार : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का इस प्रश्न से संबंध नहीं है। यह पैसेंजर रिजर्वेशन का सवाल है और माननीय सदस्य डिवीजन का सवाल पूछ रहे हैं। इस बारे में वे अलग से सवाल पूछ सकते हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, जब से हिन्दुस्तान के अन्दर टिकटिंग का कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम शुरू हुआ है, लोगों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता है। जैसे ही टिकट मिलना शुरू होता है, उसके साथ वेटिंग लिस्ट शुरू हो जाती है। मंत्री जी क्या इसको दिखवा लेंगे ? साथ ही इसी सदन के अन्दर पूर्व रेल मंत्री जी ने वायदा किया था कि हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी भी युनिवर्सिटीज हैं, अगर वे प्रार्थना करेंगी कि उनकी युनिवर्सिटीज के अन्दर कम्प्यूटराइज्ड रिजर्वेशन का इंतजाम हो, तो उसको निश्चित रूप से सुविधा देंगे, लेकिन वह सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या आप हर युनिवर्सिटी में, अगर वहां के वाइस-चांसलर और विद्यार्थी चाहते हैं, तो रिजर्वेशन की सुविधा दे देंगे ? लहरिया सराय स्टेशन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, इस स्टेशन को कम्प्यूटराइज्ड करने के लिए एनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन अभी तक वहां कम्प्यूटर नहीं लग सका है, जबकि वहां 300 ही नहीं 600 टिकट रोज खरीदे जाते हैं। मंत्री जी इस बारे में भी कृपया बताएं।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, जहां तक तत्कालीन मंत्री द्वारा इसी सदन में दिए गए आश्वासन का सवाल है, अगर आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है, तो वह सरकार का आश्वासन होता है, उसे जरूर पूरा किया जाएगा। जो जिस प्रकार का आश्वासन हो, उसी प्रकार से आप उस पर पहल करें। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : बिहार के लिए आश्वासन हो तो ठीक है, लेकिन यू. पी. के लिए ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : उन्होंने आश्वासन सारे देश के विश्वविद्यालयों के संबंध में दिया है, मुलायम सिंह जी। इन्होंने बताया है कि सारे देश के विश्वविद्यालयों के अनुरोध करने पर मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। मंत्री जी का आश्वासन सरकार का आश्वासन है और उस आश्वासन को जरूर पूरा किया जाएगा। अगर इस प्रकार का आश्वासन है, और अगर आप सदन में सही बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सही बोल रहा हूं। यह आप बताइए कि मंत्री जी आश्वासन है या नहीं—यह मेरा सवाल है।

श्री नीतीश कुमार : मेरा जवाब है। यह टकराव की चीज नहीं है, यह प्रश्न-उत्तर का समय है।

जहां तक इन्होंने एक खास स्टेशन का जिक्र किया है, उसके बारे में जो रिलैक्स नार्म्स हैं कि 200 रिजर्वेशन वहां से होनी चाहिए, अगर इस तरह की स्थिति होगी, तो उसको वर्क प्लान में इंक्ल्यूड किया जाएगा। अगर वह रिलैक्सड नार्म्स के अंतर्गत होगा, तभी यह संभव है। अगर नार्म्स के मुताबिक नहीं आता है और इसे फिर भी वे चाहते हैं, तो इसके लिए उनको बार-बार अनुरोध करना पड़ेगा।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने रियलाइज किया है कि पूर्व सरकार के रेल मंत्री ने जो आश्वासन दिए हैं, सरकार उनसे वचनबद्ध है और वे सरकार के आश्वासन हैं। फिरोजबाद एक औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र है, जहां अनेक व्यापारी आते हैं। इस क्षेत्र में कम्प्यूटराइज्ड रिजर्वेशन के लिए इसी सदन में पूर्व माननीय रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था, लेकिन वह व्यवस्था अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। महोदय, इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है, फिरोजाबाद में कुछ समय पूर्व काफी बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिस पर सारा देश रोया था। वहां एक पुलिया डैमेज हो रही है और कल बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि वहां एक टीम भेजकर उस डैमेज्ड पुल को ठीक कराने की व्यवस्था की जाए। माननीय मंत्री जी कृपया बताएं, वहां कब तक कम्प्यूटर की व्यवस्था हो जाएगी और पुलिया को ठीक करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री नीतीश कुमार : महोदय, इनकी सूचना मैंने ग्रहण कर ली है।

[अनुवाद]

श्री एन० एन० कृष्णदास : महोदय, अब रेलवे उन व्यक्तियों से आरक्षण शुल्क ले रही है जो प्रतीक्षा सूची में होते हैं। यह एक बहुत गंभीर मामला है। मेरे राज्य में जब कालीकट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के रूप में लोग अपने टिकट आरक्षित करा रहे हैं तो उनसे आरक्षण शुल्क लिया जा रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि रेल मंत्री जी को इसकी जानकारी है या नहीं ?

श्री नीतीश कुमार : उस कदम की घोषणा मेरे बजट भाषण के दौरान की गई थी। अतः हमें इसकी पूरी जानकारी है। हमने जानकर ऐसा कर दिया है। अगर कोई शिकायत हो तो आप उसे मेरी जानकारी में ला सकते हैं। मैं उसकी जांच करूंगा।

श्री एन० एन० कृष्णदास : मैं इसे आपके ध्यान में ला चुका हूं।

श्री नीतीश कुमार : वे किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं ? आप उन्हें कृपया मेरी जानकारी में लाइए।

[हिन्दी]

श्री भजनलाल : महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक भी सवाल का जवाब हां में नहीं दिया है। इन्होंने सारी बातों को गोल करके उनको दबाने की कोशिश की है। मैं उनको बधाई देता हूं और साथ ही इससे मिलता हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूं और कृपा करके वे इसका हां में जवाब दें, टालने की कोशिश मत करें।

अजमेर शरीफ एक ऐतिहासिक जगह है। अजमेर शरीफ से स्ट्रेट गुड़गांव वाया मेवात, नूह, फिरोजपुर झिरका बहुत जरूरी रेल लाइन है। इस लाइन का दस वर्ष पहले सर्वे हो चुका है और प्रोजैक्ट लिया हुआ है। इसी प्रकार पानीपत दूसरी ऐतिहासिक जगह है, जहां तीन ऐतिहासिक लड़ाइयां हुई हैं। मराठों ने पानीपत में लड़ाई लड़ी। इसलिए पानीपत से हरिद्वार और हिसार से फतेहाबाद होते हुए रतिया, जाखल तक जोड़ने की कृपा करेंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण जी।

[हिन्दी]

श्री भजनलाल : महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : जवाब बाद में देंगे।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण (कराड़) : महोदय, यह सॉफ्टवेयर के विकास पर आरक्षण प्रणाली की नेटवर्किंग के लिए एक अति विशिष्ट प्रश्न है। अब आरक्षण के पूरे विषय पर चर्चा की अनुमति देने के साथ आप हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर सूचना प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह सब आरक्षण प्रणाली क्या है, इस बारे में है।

मेरा प्रश्न विशिष्टतः मुख्य प्रश्न के बारे में है, अर्थात् रेल मंत्रालय के अधीन एक संगठन द्वारा सॉफ्टवेयर के विकास के बारे में है। मैं सोचता हूं इसका विकास 'क्रिस' कर रहा है। प्रणाली का नाम है 'कन्सर्ट'। इस नेटवर्किंग प्रणाली के लिए सॉफ्टवेयर के विकास का क्या हो रहा है ? पूरा देश आरक्षण प्रणाली की नेटवर्किंग चाहता है ताकि हम देश में कहीं भी किसी भी स्थान के लिए कभी भी टिकट खरीद सकें। हम यही जानना चाहते हैं।

और मैं विशिष्टतया यह जानना चाहता हूं कि यह परियोजना कब आरंभ हुई थी ? क्या इस सॉफ्टवेयर का विकास कर रही एजेंसी, इसका विकास करने के लिए समर्थ है ? हाल ही में हमारे सामने एक समस्या आई। पिछले हफ्ते विभिन्न स्थानों पर आरक्षण हेतु लगाई गई कम्प्यूटरीकृत टिकेटिंग मशीनों के बारे में सवाल उठा था। एक बड़ी धोखाधड़ी थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने निर्माताओं के एक कर्मचारी और रेलवे के सात या आठ कर्मचारियों के विरुद्ध जांच आरंभ की है। वे क्या सुरक्षा उपाय कर रहे हैं ?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि क्रेडिट कार्ड से टिकटों की इंटरनेट पर खरीद कब आरंभ होगी ? क्या इसे समाप्त किया जा रहा है ? यह भारतीय उद्योग की सामर्थ्य के भीतर है। वे इसे दूसरे सक्षम लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं ? परियोजना कब आरंभ हुई थी ? इसे कब पूरा किया जाएगा ?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न का जवाब मूल प्रश्न के उत्तर में दिया जा चुका है। पांच प्रमुख जगह हैं, जो नेटवर्क में कवर्ड हैं। दिल्ली और सिकंदराबाद लिंक किया जा चुका है। इसी महीने के आखिर में दिल्ली और कलकत्ता लिंक हो जाएगा और इस साल के आखिर तक मुंबई और चेन्नई लिंक हो जाएगा। इस प्रकार इस देश के किसी भी एक कोने से दूसरे कोने तक, आने और जाने का रिजर्वेशन कराने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। यह बात जवाब में बता दी गई है।

जहां तक सोफ्टवेयर का सवाल है, एक फ्राड डिटैक्ट हुआ है और इसके संबंध में पिछले सप्ताह जो मैंने उत्तर दिया था, वह रिजर्वेशन सिस्टम से संबंधित नहीं था।

वह सेल्फ प्रिंटिंग टिकटिंग मशीन को लेकर था। वहां जो पहले सोफ्टवेयर था उसमें कोई सिक्योरिटी डिवाइज नहीं था जिसका नाजायज फायदा उठाकर फ्रॉड हुआ था, उसे डिटेक्ट कर लिया गया। अब उसमें सिक्योरिटी डिवाइज का इनपुट लगाया जा रहा है। जहां यह फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है वहां फिलहाल यह फेसिलिटी बंद कर दी गई है, वहां मेनुअल तरीके से टिकट बेचा जा रहा है। जहां तक रिजर्वेशन सिस्टम का सवाल है, इस सिस्टम में ऐसी कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं है। इसका सोफ्टवेयर ठीक है, जो क्रिम्प के द्वारा तैयार किए गए हैं। जहां तक मेंटेनेंस का सवाल है, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग सीएमसी करती है।

[अनुवाद]

नौसेना में नई प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना

***426. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना प्रमुख ने इस बात का उल्लेख किया है कि भारत की नौसेना में समय रहते नई प्रौद्योगिकी अपनाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या हमारी नौसेना को प्रमुख भूमिका निभानी है, क्योंकि भारत विशाल समुद्री क्षेत्रों से घिरा हुआ है;

(ग) क्या हमारी नौसेना के पास इस समय नई प्रौद्योगिकी की कमी है;

(घ) क्या नौसेना में लागू की जाने वाली नई प्रौद्योगिकी के संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) भारत के सामुद्रिक हितों को सुरक्षित रखने की नौसेना की भूमिका के अनुरूप भारतीय नौसेना में नई प्रौद्योगिकी शामिल किए जाने से संबंधित प्रस्तावों पर समय-समय पर कार्रवाई की जाती रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) नौसेना बलों में नई प्रौद्योगिकी शामिल किए जाने का कार्य, जो एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, को या तो विदेश से खरीदी गई नई प्रौद्योगिकी या देश में ही विकसित स्रोतों के जरिए निष्पादित

किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के युद्धपोत प्राप्त करते समय/उनका देश में ही निर्माण करते समय शस्त्रागार/प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, आदि के क्षेत्रों में भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नई प्रौद्योगिकियां शामिल किए जाने की वांछनीयता को सरकार ने ध्यान में रखा है।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, भारतीय नौसेना की अब तक जो परफोरमेंस रही है उस पर हम सबको अभिमान है, गर्व है, लेकिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद हालात में जो तब्दीली आई है उसके मद्देनजर हमें स्थिति का अवलोकन करने की जरूरत है। जैसा हमें जानकारी है कि आज हमारे पास केवल 136 जहाज हैं जिनमें से केवल 50 प्रतिशत ही काम के हैं, इसलिए यह तत्काल जरूरी है कि ऐसे जहाजों को आधुनिक जहाजों से बदला जाए। ये जहाज केवल युद्ध के लिए उपयोग में नहीं आते बल्कि हमारी जो विशिष्ट समुद्री संपत्ति है–"एक्सक्लुजिव इकोनोमिक जौन", हमारा जो प्राकृतिक तेल है, उनकी पाइपलाईन है और परकीय आक्रमण से भी संरक्षा करने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज उपयोग में आते हैं। इस स्थिति का हाल ही में जायजा लिया गया है। उसके आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी मंत्री जी जानकारी दें ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हमारी नौसेना के कार्य आदि के बारे में जो बातें कही हैं वे अपनी जगह बिलकुल दुरुस्त हैं। इन्होंने जो जहाजों की संख्या बताई कि आज 136 जहाजों में से मात्र 50 प्रतिशत काम के लायक हैं, इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ जहाजों के अपनी उम्र के हिसाब से बहुत दिन बाकी हैं लेकिन कुछ जहाज उनकी उम्र पूरी कर चुके हैं, इसलिए वे आज काम से बाहर हैं। लेकिन जो नौसेना की आज के दिन आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहां-जहां, जो भी कदम उठना चाहिए वह हम उठाएंगे। अपने देश में जो जहाज बन सकते हैं वे अपने देश में बनाकर और जो विदेश से खरीदकर अपनी नौसेना में कार्यरत होने हैं उनको विदेशों से खरीदकर, उनकी आपूर्ति करने की बात लगातार जारी है। जहां तक नौसेना की आज जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने की ताकत उनके हाथों में चाहिए, वे आज के दिन उनके पास है।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष जी, न्यूक्लीयर एक्सपलोजन के बाद जो हालात में तब्दीली आई है क्या उसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया है। इसके तहत हमारा जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है, जो हमारा हाई-प्रौफाइल थिंक टैंक भी कहलाता है, उसने हाल ही में नाविक दल का मूल्यांकन करने की कोशिश की है जिसमें रणनीति पर आधारित व्यापक कार्य योजना की भी उसमें चर्चा हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो तब्दीली आई है और हमारा एक परंपरागत शत्रु भी है, उसके मद्देनजर हमने उस ओर क्या ध्यान दिया है ? अगर दिया है तो हमने कौन-कौन से उपाय किए हैं। क्योंकि आज हालात बदले हुए हैं इसलिए यह मेरी शंका है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान द्वारा अपने को अणु-शस्त्र राष्ट्र घोषित करने के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई हैं उनको सामने रखकर जो-जो कदम उठाने जरूरी हैं वे केवल नौसेना ने ही नहीं बल्कि सुरक्षा बलों के तीनों विभागों ने उठाए हैं और इस दिशा में कार्य जारी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

नई रेल लाइनें बिछाया जाना

***425. श्रीमती रानी नरह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रेल लाइनें बिछाने के लिए असम सरकार और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत नई रेल लाइनें बिछाने के लिए कराए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त प्रस्तावित नई रेल लाइनों में से लाभकारी पाए गए और अनुमोदित किए गए नए रेल मार्गो का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत नई रेल लाइनों का निर्माण करने के लिए प्रति वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ङ) नई रेल लाइनों को कब तक बिछाए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों से नई लाइनें बिछाए जाने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं–

(1) असम	– लेखापानी से खरसांग, मोरनहाट के रास्ते डिब्रूगढ़ से जोरहाट गुवाहाटी से बरनीहाट
(2) अरुणांचल प्रदेश	– मुरकांगसेलेक से पासीघाट हरमुटी से ईटानगर
(3) मिजोरम	– भैराभी से सैरांग/आइजोल
(4) मणीपुर-नागालैंड	– करोंग के रास्ते दिफू से इम्फाल
(5) मेघालय	– दुधनोई से देपा
(6) सिक्किम/पश्चिम बंगाल	– सेवोक से गेल्लाखोला-गंगटोक
(7) त्रिपुरा	– कुमारघाट से अगरतला अगरतला से सबरूम

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में नई लाइनें बिछाने के लिए निम्निलिखित सर्वेक्षण किए गए थे–

(1) कुमारघाट से अगरतला तक नई लाइन बिछाने के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण

(2) लमडिंग से सिलचर तक आमान परिवर्तन के विकल्प सहित लंका से सिलचर तक नई लाइन का निर्माण

(3) दिफू से करोंग तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन करना

(4) लेखापानी से खरसांग तक नई लाइन

(5) हरमुटी से ईटानगर तक नई लाइन

(6) दुधनोई से देपा तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण।

(ग) उपर्युक्त कार्यों में से कोई भी रेल मार्ग लाभप्रद नहीं पाया गया था किन्तु उपर्युक्त में से निम्नलिखित कार्यों को अनुमोदित किया गया है–

(1) कुमारघाट से अगरतला तक नई लाइन का निर्माण

(2) लमडिंग से सिलचर तक आमान परिवर्तन

(3) दिफू से करोंग तक नई लाइन का निर्माण (आवश्यक स्वीकृति मिल जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा)

(4) हरमुटी से ईटानगर तक नई लाइन का निर्माण

(5) दुधनोई से देपा तक नई लाइन का निर्माण

इसके अतिरिक्त, दोनों ओर रेल एवं सड़क संपर्कों सहित ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीभील पुल का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इसं कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हर वर्ष पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए धनराशि का आवंटन इस प्रकार रहा है–

वर्ष	रुपए (करोड़ में)
1995-96	40.50
1996-97	36.00
1997-98	81.02

(ङ) इन लाइनों का निर्माण कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा। बहरहाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र की परियोजनाओं को तरजीह दी जा रही है और इन कार्यों के लिए योजना आयोग से अतिरिक्त धनराशि का आवंटन कराने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये कार्य शीघ्र पूरे हो सकें।

ग्रामीण आवास योजना में केन्द्रीय निवेश

***427. श्री पी० सी० थामस :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण आवास योजना में निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार केन्द्रीय निवेश में वृद्धि की गई है और क्या लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्र में आवास व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार के पास विशिष्ट योजनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1998-99 के दौरान उसके लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्य आवंटन तथा गरीबी अनुपात के आधार पर वार्षिक तौर पर निर्धारित किए जाते हैं, जैसा कि योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। अतः केन्द्रीय आवंटन लक्ष्यों को निर्धारित करने से पहले किया जाता है।

विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए लक्ष्य के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) इंदिरा आवास योजना एकमात्र केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जो देशभर में कार्यान्वित की जा रही है और जिसका प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों और गरीबी रेखा से नीचे के गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण गरीबों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराकर आवास प्रदान करना है।

(घ) 1998-99 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अंतिम केन्द्रीय आवंटन के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

इंदिरा आवास योजना

(संख्या में)

राज्य का नाम	1993-94 उपलब्धि	1994-95 उपलब्धि	1995-96 उपलब्धि	1996-97 उपलब्धि	1997-98* उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	44,897	57,483	69,086	46,181	1,04,115
अरुणाचल प्रदेश	120	219	420	387	932
असम	4,304	6,862	24,871	13,401	17,507
बिहार	88,960	59,216	1,14,506	1,33,244	1,03,506
गोआ	358	329	967	466	463
गुजरात	7,117	7,895	31,770	30,481	17,854
हरियाणा	1,552	3,536	9,024	6,153	4,505
हिमाचल प्रदेश	629	853	1,727	2,373	1,843
जम्मू व कश्मीर	390	1,697	3,554	10,197	6,172
कर्नाटक	8,820	13,831	37,460	45,503	43,522
केरल	16,999	18,549	29,368	23,202	12,834
मध्य प्रदेश	48,108	48,967	1,25,757	87,371	1,01,549
महाराष्ट्र	18,870	22,812	66,648	58,244	60,709
मणिपुर	208	197	784	715	1,096
मेघालय	353	283	207	646	316

1	2	3	4	5	6
मिजोरम	240	368	569	369	302
नागालैंड	1,536	895	470	3,691	1,933
उड़ीसा	10,588	13,297	51,033	54,612	50,023
पंजाब	2,739	3,849	1,121	1,709	3,235
राजस्थान	19,958	28,934	41,756	46,682	34,858
सिक्किम	142	108	1,065	760	590
तमिलनाडु	33,758	33,176	56,885	63,959	55,830
त्रिपुरा	636	567	1,348	983	1,665
उत्तर प्रदेश	47,722	50,908	1,59,073	1,39,801	94,535
पश्चिम बंगाल	13,389	15,526	34,278	34,722	43,931
अंडमान निकोबर	21	21	21	78	6
दादर व न० हवेली	60	59	13	50	100
दमन व द्वीप	13	45	62	92	38
लक्षद्वीप	0	0	10	105	60
पांडिचेरी	48	0	36	113	214
कुल	3,72,535	3,90,482	8,63,889	8,06,290	7,64,243

*अनंतिम

विवरण-II

वर्ष 1998-99 के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार आवंटन

(रुपए लाख में)

क्र०सं०	राज्य	आवंटन*		
		केन्द्र	राज्य	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8,370.41	2,092.60	10,463.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	184.03	46.01	230.04
3.	असम	4,781.82	1,195.46	5,977.28
4.	बिहार	27,420.52	6,855.13	34,275.65
5.	गोआ	19.29	4.82	24.11
6.	गुजरात	3,150.78	787.70	3,938.48
7.	हरियाणा	1,853.66	463.42	2,317.08
8.	हिमाचल प्रदेश	780.64	195.16	975.80
9.	जम्मू व कश्मीर	966.16	241.54	1,207.70
10.	कर्नाटक	6,320.85	1,580.21	7,901.06
11.	केरल	2,836.14	709.04	3,545.10
12.	मध्य प्रदेश	13,898.74	3,474.69	17,373.43
13.	महाराष्ट्र	12,494.77	3,123.69	15,618.46
14.	मणिपुर	320.57	80.14	400.71
15.	मेघालय	359.16	89.79	448.95
16.	मिजोरम	83.11	20.78	103.89
17.	नागालैंड	246.36	61.59	307.95
18.	उड़ीसा	9,574.03	2,393.51	11,967.54
19.	पंजाब	900.86	225.21	1,126.87
20.	राजस्थान	4,799.63	1,199.91	5,999.54
21.	सिक्किम	92.02	23.00	115.02
22.	तमिलनाडु	7,401.28	1,850.32	9,251.60
23.	त्रिपुरा	578.80	144.70	723.50
24.	उत्तर प्रदेश	30,176.52	7,544.13	37,720.65
25.	पश्चिम बंगाल	10,639.62	2,659.91	13,299.53
26.	अंडमान निकोबार	44.40	0.00	44.40
27.	दादर व न० हवेली	43.79	0.00	43.79
28.	दमन व द्वीप	1.82	0.00	1.82
29.	लक्षद्वीप	3.65	0.00	3.65
30.	पांडिचेरी	56.57	0.00	56.57
	कुल	1,48,400.00	37,100.00	1,85,500.00

*आबंटन अनंतिम है।

'कपार्ट' के पास लम्बित परियोजनाएं

***428. श्री पी० उपेन्द्र : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक कार्यवाही तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद् (कपार्ट) द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में असाधारण विलंब होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों के कितने प्रस्ताव 'कपार्ट' के पास राज्यवार लम्बित पड़े हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) और (ख) कपार्ट ने सूचना दी है कि उनके द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदित करने में सामान्यतया कोई असामान्य विलंब नहीं होता है। तथापि, कुछ मामलों में विलंब मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होता है—

(i) गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्ताव निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें वापस भेजना पड़ता है।

(ii) अतिरिक्त जानकारी मांगने अथवा स्पष्टीकरण मांगने/उपलब्ध कराने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और कपार्ट के बीच पत्राचार में अधिक समय लगना।

(iii) मॉनीटरों में वित्त-पोषण पूर्व मूल्यांकन रिपोर्टों की प्राप्ति में विलंब होना।

(ग) कपार्ट के पास 30-06-1998 तक लंबित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) कपार्ट ने सूचना दी है कि उनके पास लंबित प्रस्तावों के 31-12-1998 तक अनुमोदित हो जाने की संभावना है।

विवरण

30-6-1998 तक कपार्ट के पास लंबित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कपार्ट के पास लंबित प्रस्तावों की संख्या*
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1,246
2.	अरुणाचल प्रदेश	4
3.	असम	64
4.	बिहार	464
5.	दिल्ली	19
6.	गुजरात	61
7.	हरियाणा	39
8.	हिमाचल प्रदेश	49
9.	जम्मू व कश्मीर	19
10.	कर्नाटक	95
11.	केरल	75
12.	मध्य प्रदेश	48
13.	महाराष्ट्र	55
14.	मणिपुर	107
15.	मेघालय	5
16.	मिजोरम	15
17.	नागालैंड	19
18.	उड़ीसा	434
19.	पंजाब	1
20.	राजस्थान	261
21.	तमिलनाडु	269
22.	त्रिपुरा	10
23.	उत्तर प्रदेश	348
24.	पश्चिम बंगाल	1,112
	कुल	4,819

*अनंतिम

शताब्दी एक्सप्रेस रेल गाड़ियां

***429. श्री नरेश पुगलीया :**
श्री अमर पाल सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शताब्दी एक्सप्रेस रेल गाड़ियां चलाने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या अनेक शताब्दी एक्सप्रेस रेल गाड़ियां घाटे में चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक मार्ग पर कुल कितना घाटा हुआ;

(ङ) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने इस बात का उल्लेख किया है कि सरकार द्वारा अधिकांश शताब्दी रेल गाड़ियों का लागत विश्लेषण नहीं किया गया है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इन रेल गाड़ियों को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) उच्च वर्ग के यात्रियों, लोकप्रिय मांग और अन्य यातायात की प्रत्याशित वृद्धि वाले दो महत्वपूर्ण टर्मिनलों को जोड़ने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई गई हैं।

(ख) रेलों पर गाड़ीवार लागत का विश्लेषण नहीं किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेलों पर गाड़ीवार/मार्गवार विश्लेषण नहीं किया जाता है।

(ङ) जी, हां।

(च) रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(छ) भारतीय रेलें प्रणाली की वित्तीय अर्थक्षमता को बनाए रखते हुए उचित लागत पर रेल परिवहन मुहैया कराने वाला एक विभागीय उपक्रम है। सरकार का एक भाग होने के कारण भारतीय रेलों से आशा की जाती है कि वे देश के आर्थिक विकास तथा औद्योगिकीकरण के लिए आधारभूत परिवहन अवसंरचना मुहैया कराएं। स्थिरता के प्रारंभिक दौर के बाद शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां धीरे-धीरे परिवहन का लोकप्रिय साधन बन रही हैं।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

***430. श्री प्रभाष चंद तिवारी :**
श्री चिन्मयानंद स्वामी :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि वास्तव में वितरित की गई;

(ख) क्या सरकार द्वारा रोजगार सृजन के संबंध में इस योजना का कोई व्यापक आकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार आवंटित और वास्तव में वितरित राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। जवाहर रोजगार योजना के समवर्ती मूल्यांकन के दो दौर आयोजित कराए गए हैं। पहला दौर जनवरी, 1992 से दिसंबर, 1992 तक और दूसरा दौर जून, 1993 से मई, 1994 तक आयोजित किया गया था। रोजगार सृजन के रूप में समवर्ती मूल्यांकन के दूसरे दौर से पता चला कि समवर्ती मूल्यांकन के पहले दौर के 3.81 श्रमदिनों की तुलना में सर्वेक्षण के दिन से पहले के आखिरी 30 दिनों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के एक कामगार को औसतन 11 दिनों का रोजगार मिला। इन मूल्यांकनों से यह भी पता चला कि पहले दौर और दूसरे दौर के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और भूमिहीन श्रमिकों का हिस्सा सृजित मजदूरी रोजगार का क्रमशः 54% और 38% तथा 47.16% और 36.2% था। रोजगार में महिलाओं का हिस्सा समवर्ती मूल्यांकन के पहले दौर के 20% की तुलना में दूसरे दौर के दौरान 16.59% था।

विवरण

वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय आवंटन और रिलीज

(रुपए लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97 आवंटन	1996-97 रिलीज	1997-98 आवंटन	1997-98 रिलीज
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13,897.91	14,594.96	15,528.39	16,685.84
2.	अरुणाचल प्रदेश	142.84	103.88	159.37	102.064
3.	असम	4,574.54	3,186.93	5,111.22	5,524.152
4.	बिहार	27,260.46	22,856.07	30,458.60	29,322.768
5.	गोवा	154.12	116.88	172.20	104.384
6.	गुजरात	5,101.00	4,419.33	5,699.44	5,747.72
7.	हरियाणा	1,225.45	1,195.38	1,369.22	1,624.752
8.	हिमाचल प्रदेश	489.73	388.12	547.18	403.464
9.	जम्मू व कश्मीर	995.14	1,199.75	1,111.83	974.624
10.	कर्नाटक	9,332.27	8,873.18	10,427.12	10,353.992
11.	केरल	3,395.33	3,286.60	3,793.66	3,734.12
12.	मध्य प्रदेश	17,611.61	15,453.15	19,677.78	18,977.152
13.	महाराष्ट्र	15,150.04	14,338.51	16,927.42	16,816.088
14.	मणिपुर	182.82	129.92	204.27	248.52
15.	मेघालय	213.92	106.95	239.02	159.584
16.	मिजोरम	90.12	84.21	100.69	102.872
17.	नागालैंड	229.31	210.66	256.21	243.128
18.	उड़ीसा	11,274.49	10,709.94	12,597.20	13,421.32
19.	पंजाब	871.51	809.26	973.75	992.792
20.	राजस्थान	7,317.12	7,234.81	8,175.55	8,351.864
21.	सिक्किम	83.49	81.37	93.28	96.784
22.	तमिलनाडु	12,563.97	12,088.51	14,037.96	14,564.384
23.	त्रिपुरा	237.46	237.45	265.32	476.352
24.	उत्तर प्रदेश	33,867.33	32,442.69	37,841.25	35,894.152
25.	पश्चिम बंगाल	12,455.47	9,564.86	13,916.74	9,066.992
26.	अंडमान व नि. द्वीप समूह	84.41	42.21	94.31	50.7
27.	दादरा व नागर हवेली	45.81	44.57	51.18	50.22
28.	दमन व दीव	26.99	26.99	30.16	16.21
29.	लक्षद्वीप	42.32	21.16	47.28	25.41
30.	पांडिचेरी	82.64	64.68	92.34	74.37
	कुल	1,79,000.00	1,63,909.98	20,000.00	1,94,106.73

[अनुवाद]

मल्होत्रा पैनल का प्रतिवेदन

***431. श्रीमती जयंती पटनायक :**

श्री सदाशिवराव मंडलिक :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मल्होत्रा पैनल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आवास क्षेत्र को मिलने वाले विदेशी अनुदानों पर लगाए गए प्रतिबंधों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ग) जी, हां। रिहायशी संपत्तियों के बारे में समिति की रिपोर्ट का खंड-I प्राप्त हो गया है, मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। मास्टर प्लान में संशोधन करने संबंधी सिफारिशों की जांच कर ली गई है और कुछ परिवर्तनों के साथ प्रस्तावित संशोधनों की आपत्तियां/सुझाव को आमंत्रित करने के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। उनकी जांच के बाद, सरकार का अंतिम निर्णय अधिसूचित किया जाएगा। तत्पश्चात् भवन उपनियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

(घ) मौजूदा आकलन के अनुसार, आवास क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए मिलने वाली विदेशी सहायता पर प्रतिबंधों का कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है। सभी चालू परियोजनाओं को धन मिलता रहेगा।

विवरण

मल्होत्रा समिति रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	मल्होत्रा समिति सिफारिश
1	2
1.	**स्वीकार्य ग्राउंड कवरेज और फर्शी क्षेत्रफल अनुपात**—समिति ने स्वीकार्य ग्राउंड कवरेज और फर्शी क्षेत्रफल अनुपात में वृद्धि की सिफारिश की है।
2.	**बेसमेंट**—यदि बेसमेंट बनाया जाता है, तो उसमें घरेलू समान के भंडारण तथा उसे फर्शी क्षेत्रफल अनुपात में शामिल किए बिना ग्राउंड फ्लोर कवरेज के बराबर जिसमें सेवाओं के लिए इस्तेमाल की अनुमति होगी।
3.	बेसमेंट उपयोग की अनुमति समिति ने सिफारिश की है कि बेसमेंट में व्यवसायिक परामर्श सेवाओं की अनुमति दी जा सकती है।
4.	**बेसमेंट में शौचालय खंड**—बेसमेंट में शौचालय खंड निर्माण की अनुमति इस शर्त के साथ देने की सिफारिश की गई है कि शौचालय से दूषित जलमल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
5.	**समूह आवास स्कीमें**—समिति ने सिफारिश की है : (क) कि भविष्य में फर्शी क्षेत्रफल अनुपात को 133 से बढ़ाकर 167 करने की अनुमति दी जाए, ताकि एक और मंजिल बनाई जा सके। (ख) कि समूह आवास के सामने की सड़कें न्यूनतम 20 मीटर की बजाए 18 मीटर की होनी चाहिए। (ग) समूह आवास के एक से अधिक ब्लाक होने पर प्रत्येक ब्लाक में भूतल पर 4.5 × 2.4 मीटर तक की कैनोपी की अनुमति दी जाए। (घ) प्रत्येक फ्लैट के प्रत्येक शयनकक्ष के साथ छत तक ऊंचाई वाली 1.2 मीटर चौड़ी 3.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की बालकनी की प्रति फ्लैट 3 बालकनी तक की अनुमति दी जाए। (ङ) शौचालय/स्नानघर से प्रवेश वाली और 1.2 मीटर चौड़ी बालकनी में कपड़े सुखाने की अनुमति दी जाए। (च) समूह आवास कालोनी में खाली जगह का सामुदायिक जरूरतों यथा मनोरंजन कक्षों/क्लब आदि के लिए उपयोग की अनुमति दी जाए।
6.	**पुरानी दिल्ली (प्राचीर बंद शहर) में पुराने निर्माणों में फेरबदल**—पुरानी दिल्ली में प्राचीन इमारतों (निगम बनने से पूर्व बनी) में आंतरिक फेरबदल की इस शर्त के साथ अनुमति दी जाए कि बाहरी दीवारें और इमारत की ऊंचाई, उपयोग, कवरेज पूर्ववत् रहेगा।
7.	**सायवान (सनशेड)**—सार्वजनिक सड़कों में निकट के भूतल फ्लैटों में खिड़कियों के ऊपर छजली/सायवान (0.45 मीटर तक चौड़ाई के) की अनुमति दी जाए।
8.	**फार्म हाउस**—फार्म हाउसों का न्यूनतम क्षेत्रफल 2.5 एकड़ से घटाकर 1.0 एकड़ कर दिया जाए तथा सेवा सुविधा वाली फार्म भूमि का स्वीकार्य कवरेज और फर्शी क्षेत्रफल अनुपात बढ़ाकर क्रमशः 5% और 10% कर दिया जाए। उनके अंदर रिहायशी वास का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। फर्शी क्षेत्रफल अनुपात 10% से रिहायशी वास के लिए 6% और सेवा सुविधाओं के लिए 4% की अनुमति दी जाए और उसकी 8 मीटर से अधिक ऊंचाई की अनुमति नहीं हो।
9.	**रिहायशी भवनों का व्यावसायिक परामर्शी सेवाओं हेतु उपयोग**—रिहायशी प्लाटों/फ्लैटों में व्यावसायिक परामर्शी सेवाएं देने की सुविधा के लिए फर्शी क्षेत्रफल अनुपात का 25% या 50 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, के गैर-रिहायशी शोर रहित कारोबार को चलाने के लिए उपयोग की अनुमति दी जाए।
10.	**मार्गाधिकार से प्रभावित प्लाट का भाग**—मार्गाधिकार से प्रभावित होने वाले प्लाटों के लिए बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति के समय भूमि को मुफ्त (लागत मुफ्त) माना जाए तथा कवरेज और फर्शी क्षेत्रफल अनुपात का लाभ प्लाट के पूरे क्षेत्रफल पर दिया जाए।

1	2
11.	**मम्टी क्षेत्रफल**—ऊपरी मंजिल पर सीढ़ियों के ऊपर मम्टी की अनुमति फर्शी क्षेत्रफल अनुपात के बाहर दी जाए।
12.	**छत पर शौचालय**—छत में 2.2 मीटर ऊंचाई के शौचालय की अनुमति दी जाए।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ रक्षा सहयोग

***432. डॉ० असीम बाला :**

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने विगत में रक्षा सहयोग कार्यक्रम की धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में नए सिरे से बातचीत करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या अमरीकी थल सेनाध्यक्ष ने भारत की अपनी हाल की यात्रा के दौरान रक्षा कार्मिकों के साथ बातचीत की थी और कश्मीर तथा देश के कुछ अन्य क्षेत्रों का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो भारत और संयुक्त राज्य अमरीका रक्षा सहयोग के संबंध में किस सीमा तक सहमत हुए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अमरीका के सेनाध्यक्ष जनरल डेनिस जे रीमर ने 13 से 17 अप्रैल, 1998 तक भारत का दौरा किया। जनरल रीमर ने अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव तथा विदेश सचिव से मुलाकात की। उन्होंने तीनों सेनाध्यक्षों से भी मुलाकात की। जनरल रीमर ने कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों की यात्रा की तथा उत्तर कमान के जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ, 15 कोर के जनरल अफसर कमांडिंग और पूर्वी कमान के जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ से भी मुलाकात की। जनरल रीमर की यात्रा औपचारिक तथा सद्भावना यात्रा थी। तथापि, भारतीय पदाधिकारियों के साथ अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत-अमरीका संबंधों के रक्षा संबंधी पहलुओं तथा कुछ अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

(घ) इस यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग से संबंधित किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मेगासिटी की घोषणा

***433. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :**

श्री विट्ठल तुपे :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेगा सिटी योजना के अंतर्गत मेगासिटी घोषित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत इस समय कितनी परियोजनाएं चल रही हैं और इस समय तक उन पर कितना कार्य हो चुका है और कितनी धनराशि इसके लिए अब तक आवंटित की गई है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस संबंध में अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत कुछ अन्य शहरों को शामिल करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) सरकार ने मेगासिटी स्कीम के तहत किसी नगर को 'मेगासिटी' के रूप में घोषित नहीं किया गया है। तथापि, 1991 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन और इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों (दिल्ली को छोड़कर) को मेगासिटी स्कीम के तहत शामिल किया गया है।

(ख) मेगासिटी स्कीम के तहत 95 परियोजनाएं चल रहीं हैं। मेगासिटी स्कीम के तहत चल रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है।

मेगासिटी स्कीम के तहत मंजूर परियोजना लागत की 25% राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा, 25% राज्य सरकार द्वारा दी जाती है तथा 50% राशि वित्तीय संस्थानों और पूंजी बाजार से संस्थागत वित्त द्वारा पूरी की जाती है। अब तक 350.70 करोड़ रुपये केन्द्रीय अंश के रूप में जारी किए गए हैं और 503.36 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा राज्य के अंश के रूप में जारी किए गए हैं तथा मेगासिटी स्कीम के तहत विभिन्न नोडल एजेंसियों द्वारा 530.64 करोड़ रुपये संस्थागत वित्त के रूप में जुटाए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

मेगासिटी स्कीम के तहत चल रही कार्यान्वयन स्थिति का ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजना का नाम	वर्तमान (% व्यय)
1	2	3
I. बंगलौर मेगासिटी परियोजना		
1.	सिरसी सर्किल से टाउन हाल फ्लाइओवर परियोजना	18%
2.	माहीवाला शापिंग काम्पलेक्स चरण-II	24%
3.	रिचमोड सर्किल पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	1%

1	2	3
4.	ववशेकरी में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण	23%
5.	वोमनहाली में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण	23%
6.	तवरेकरे पार्क का विकास	20%
7.	मथीकेरे में जे पी पार्क का विकास	1%
8.	आई आर आर का निर्माण	32%
9.	लौह एवं इस्पात बाजार	25%
10.	ओ आर आर का निर्माण (क) वेनीगनहाली में आर ओ वी (ख) नेशनल हाइवे 4 से सरजापुर रोड	26%
11.	जल आपूर्ति स्कीम का सुधार	30%
II. हैदराबाद मेगासिटी परियोजना		
1.	अमीरपेट कमर्शियल काम्पलेक्स	5%
2.	जल आपूर्ति एवं मल व्ययन योजनाएं	10%
3.	साहेब नगर इट्स एंड सर्विसिज	पूरा होने वाला है।
4.	मनीकोंडा साइट्स एंड सर्विसिज	5%
5.	फ्लाईओवर्स-1 का निर्माण	24%
6.	नेकलेस रोड चरण-II	20%
7.	फ्लाईओवर-II	45%
8.	मूसी नदी पर समानांतर पुल	9%
9.	पार्क और खेल के मैदान	8%
10.	पुल के नीचे और पुल पर सड़क	13%
11.	फ्लाईओवर-III	9%
12.	एन टी आर गार्डन	हाल ही में कार्य शुरू हुआ है।
III. मुंबई मेगासिटी परियोजना		
1.	सड़क पर रोशनी (वेस्ट)	45%
2.	नोडल बस स्टेशन का विकास	10%
3.	मौजूदा राहत स्थलों का उन्नयन	2%
4.	खरगर में भूमि विकास	25%
5.	वाशी नोड पर भूमिगत रास्ता	पूरा होने वाला है।
6.	सड़क पर रोशनी (टी एम सी)	85%
7.	शॉपिंग काम्पलेक्स एवं टाउन हाल	55%
8.	स्पोर्ट्स काम्पलेक्स	60%
9.	डीजल शवदाहगृह	50%
10.	कल्याण शिल पटरी रोड में आर ओ टी	25%
11.	वेलापुर–पनवेल रेलवे लाइन पर खन्देश्वर में आर ओ वी	8%
12.	टायलेट परिसर	20%
13.	गटरों का निर्माण	10%
IV. चेन्नई मेगासिटी परियोजना		
1.	गांधी इर्विन पुल को चौड़ा करना	रेलवे द्वारा कार्य निष्पादन किया जा रहा है।
2.	गेंगू रोड पर एफ ओ वी	पूरा होने वाला है।
3.	ट्रिपलीकेन में जलाशय	60%
4.	कन्नापर थिडाल में भंडारण जलाशय	55%
5.	रेड हिल से पोरर को स्वच्छ जल प्रेषण	90%
6.	एम एम डी ए टावर-II	53%
7.	गांधी इर्विन पुल को चौड़ा करना	पूरा होने वाला है।
8.	पेरम्बूर में रेज्ड पेनल का निर्माण	रेलवे द्वारा कार्य निष्पादन किया जा रहा है।
9.	नेपियर पुल को चौड़ा करना	10%
10.	हैड वर्क्स का निर्माण	40%
11.	मल व्ययन सुविधाएं मुहैया कराना	80%
12.	मल प्रणाली को रूट बदलना और बड़े आकार की मल प्रणाली मुहैया कराना	5%
13.	मलजल सुविधाएं	35%
V. कलकत्ता मेगासिटी परियोजना		
	जल आपूर्ति स्कीम	
1.	राजरहाट	29%
2.	उत्तरपाड़ा	65%
3.	नवग्राम	50%
4.	नूंगी श्यामपुर	83%
5.	जटिया, गनीपुर एवं नवपल्ली	97%
6.	वल्ली, बंका, सेरेंगा एवं वेलानगर, अभोयनगर	96%
7.	एन्दुल मोहारी	62%
8.	वोरिया, उलवेरिया, चेंगेल	पूरा होने वाला है।

1	2	3
9.	देयोलपारा	78%
10.	स्रोतों का संवर्धन	87%
11.	डब्ल्यू एस जे डी वी वेहाला का सुधार	22%
12.	साल्ट लेक और लेक टाउन में यू जी आर	96%
13.	नई सप्लाई लाइन और स्रोत	88%
14.	गार्डन रीच टी पी का संवर्धन	26%
15.	हावड़ा डब्ल्यू डब्ल्यू का स्थायीकरण	60%
16.	मोहम्मद अली पार्क में वूस्टिंग स्टेशन	90%
17.	1500 एम एम पाल्टा–ढल्ला वाटर मैन का शेष भाग	39%
18.	पदमपुकर डब्ल्यू टी प्लांट का संवर्द्धन	2%
	यातायात एवं परिवहन	
19.	कौनाकर रेलवे भूमिगत रास्ता	88%
20.	अल्टाडंगा रेलवे भूमिगत रास्ता	62%
21.	सलकिया फ्लाइओवर	70%
22.	आर वी कनैक्टर को चौड़ा करना	76%
23.	नगरपालिका कस्बों में सड़कों का सुधार	90%
24.	गडिया पुल	पूरा होने वाला है।
25.	ई एम बी पी-I को चौड़ा करना	36%
26.	ई एम बी पी-II को चौड़ा करना	73%
27.	पी ए शाह रोड का निर्माण	20%
28.	लेक गार्डन के पुल पर सड़क	2%
29.	वोन्डेलगेट के पुल पर सड़क	3%
30.	वी के पी–डी डी एम एक्सप्रेसवे	· 1%
	मल व्ययन और जल निकासी	
31.	बंगूर एवेन्यू मलजल	95%
32.	टी पी वेसिन के ब्रांच चैनल का सुधार	90%
33.	सी एम सी वार्ड 111-112 में मल व्ययन	63%
34.	नगरपालिका क्षेत्रों में शौचालयों को बदलना	92%
35.	एम एम सी वार्ड में जल निकासी अवरोधों को हटाना	67%
36.	तपसिया पी. एस. नवीकरण	84%
37.	नंदन नगर में जल निकासी अवरोध को हटाना	87%
38.	एच एम सी वार्ड 1-16 (चरण-I) में भीतर बरसाती पानी की निकासी	35%
	ठोस कचरा प्रबंध	
39.	वैश्नव घाट पटूली में मध्यम आय वर्ग आवास	36%
40.	कस्बा में क्षेत्र विकास	24%
41.	गोल्फ ग्रीन में आवास	67%
42.	वराचपुर आवास	36%
43.	वाघजटिन में सी एम डी ए आवास	1%
	बस्ती विकास	
44.	सी एम सी वार्ड में वी-I निर्माण कार्य	81%

विवरण-II

मेगासिटी स्कीम के तहत राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा

राज्य का नाम	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा
1. कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	राज्य सरकार ने कलकत्ता मेगासिटी परियोजना के लिए केन्द्रीय अंश को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है।
2. हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	राज्य सरकार ने हैदराबाद मेगासिटी परियोजना के लिए केन्द्रीय अंश को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है।
3. चेन्नई (तमिलनाडु)	चेन्नई मेगासिटी परियोजना की नोडल एजेंसी ने स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा नोडल एजेंसी को जारी राज्य अंश के समकक्ष केन्द्रीय अंश जारी करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने चेन्नई मेगा-सिटी परियोजना के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्रीय अंश को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने का भी अनुरोध किया है।
4. बंगलौर (कर्नाटक)	राज्य सरकार ने मेगासिटी स्कीम के तहत प्रत्येक वर्ष नोडल एजेंसी को जारी राज्य अंश के समकक्ष केन्द्रीय अंश जारी करने का अनुरोध किया है।

भूमि लाइसेंस का दुरुपयोग

***434. श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा निजी पार्टियों को जारी किए गए भूमि लाइसेंस के बहुत अधिक मामलों में लाइसेंस-धारियों द्वारा लाइसेंसिंग समझौते का उल्लंघन करके उनका दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे मामलों में लाइसेंस समाप्त करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने निजी पार्टियों के कब्जे वाली रेलवे भूमि के लाइसेंसिंग समझौतों को समाप्त करने की वांछनीयता पर भी विचार किया है ताकि वे ऐसी भूमि पर मालिकाना हक का दावा न कर सकें;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार ऐसे लाइसेंसिंग समझौतों की समीक्षा करेगी और उन्हें रद्द करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस करारनामे की किसी शर्त अथवा निबंधन का उल्लंघन करने की स्थिति में लाइसेंस रद्द करने और परिसर खाली कराने सहित उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (च) रेलवे भूमि वार्षिक आधार पर लाइसेंस पर दी जाती है और हर वर्ष पुनरीक्षा के बाद उसका नवीकरण किया जाता है। मानक करारनामे में लाइसेंस का निर्धारण करने और 3 माह का नोटिस देकर किसी भी पार्टी द्वारा किसी भी समय उसे समाप्त करने की व्यवस्था होती है। करारनामे में यह व्यवस्था भी होती है कि करारनामे में अंतर्निहित किसी भी विषयवस्तु का अर्थ लाइसेंसधारी के पक्ष में किरायेदारी सृजित करना नहीं होगा।

[हिन्दी]

घटिया किस्म के गोला-बारूद की खरीद

***435. श्री मोतीलाल वोरा :**
श्री जंगबहादुर सिंह पटेल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों के लिए घटिया किस्म के उपकरणों की खरीद के कारण सरकार को करोड़ों रुपये का घाटा हुआ है जैसा कि 14 जून, 1998 के 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सरकार ने 14 जून, 1998 के दैनिक जागरण में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है। इस संबंध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

14 जून, 1998 के दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार में मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट से निष्कर्ष निकाले गए हैं। समाचार में उल्लिखित परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) **राडारों की अधिप्राप्ति**—इन राडारों में से अधिकांश की खामियों को दूर कर दिया गया है तथा अब ये राडार कार्य कर रहे हैं। एक राडार की मरम्मत की जा रही है तथा एक अन्य राडार दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जिसकी जांच की जा रही है।

(2) **बैरलों की अधिप्राप्ति**—पहले खरीदे जा चुके बैरलों का उपयोग आगामी वर्षों में किया जाएगा। जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बैरल खरीदे जाएंगे।

(3) **गोलाबारूद की अधिप्राप्ति**—प्रौद्योगिकी के उन्नयन के कारण गोलाबारूद की आपूर्ति एक यंत्र के बिना की गई थी जिसका फील्ड परीक्षण में कार्य-निष्पादन बेहतर रहा।

(4) **प्रक्षेपास्त्रों की अधिप्राप्ति**—वर्ष 1994 में विदेशों से खरीदे गए प्रक्षेपास्त्रों में से कुछ प्रक्षेपास्त्र फायर करने में असफल रहे। प्रक्षेपास्त्रों की इस असफलता की जांच की जा रही है।

(5) **उपस्कर वॉटमीटर का आयात**—वर्ष 1989 में कुछ उपस्कर वॉटमीटरों तथा सहायक तथा अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों का आयात किया गया था। बाद में, संविदा में संशोधन करके कुछ सहायक/अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों को आपूर्ति-सूची से हटा दिया गया था। संविदा प्राप्त होने पर, यह पाया गया कि संविदा में सम्मिलित कतिपय सहायक हिस्से-पुर्जों की आपूर्ति नहीं की गई थी जबकि कतिपय अन्य मदों की आपूर्ति की गई थी जो संविदा में शामिल नहीं थे। इस संबंध में, निरीक्षण प्राधिकारियों की इस सलाह पर कि ये उपस्कर उपलब्ध सहायक हिस्से-पुर्जों से अभीष्ट प्रयोजनों को पूरा करेंगे, इन उपस्करों को प्रयोक्त यूनिटों को दिया गया था।

(6) **यूगोस्लाविया से टैंक फायर नियंत्रण प्रणाली का आयात**—यह मामला पहले ही यूगोस्लाविया की सरकार के साथ विदेश मंत्रालय के माध्यम से तथा बेल्ग्रेड में हमारे राजदूत के माध्यम से उच्चतम स्तर पर उठाया जा चुका है।

(7) **राइफलों और उनके गोलाबारूद की अधिप्राप्ति**—1993 में हुई संविदा से विदेशी विक्रेता मुकर गए। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी आयात संविदाओं में निष्पादन-बांड का भरा जाना पूर्व शर्त रखी गई है। इसमें हुई हानि केवल कल्पनात्मक है क्योंकि संविदा के अनुरूप वास्तविक आपूर्ति की ही नहीं गई।

(8) **1000 लो लेवल पैराशूटों की आपूर्ति**—आपूर्तिकर्ता ने फरवरी, 1997 में सभी 1000 पैराशूटों को परिष्कृत किया है। ये परिष्कृत पैराशूट वायुवाहित बलों की संक्रियात्मक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए हमारे अफसर बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं। इस प्रकार, 1000 लो लेवल पैराशूटों की अधिप्राप्ति में कोई हानि नहीं हुई है।

[अनुवाद]

रेलवे का विदेशों में विस्तार

***436. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :**
श्री आर० साम्बासिवा राव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने विदेशों में अपना विस्तार करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या भारतीय रेलवे ने बंगलादेश और पाकिस्तान के लिए मार्गों को खोलकर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो अन्य देशों में रेलवे का विकास करने की योजना बनाने के लिए रेलवे द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार अनेक देशों में रेलवे का विकास करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक देश के बारे में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां। विदेशों के साथ यथासंभव यातायात में भागीदारी और उनके साथ व्यापार करना।

(ख) बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ गलियारे पहले से चालू हैं। इन दो देशों के साथ आदान-प्रदान समझौतों के अंतर्गत होता है।

(ग) भारतीय रेल यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया बरास्ता ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यंमार, थाईलैंड, मलेशिया के बीच रेल संपर्क स्थापित करने के लिए ट्रांस एशियन रेलवे लिंक में शामिल होने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गई है। इसके अलावा, रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे कि भारतीय रेल निर्माण कंपनी लिमिटेड (इरकॉन) और रेल इंडिया तकनीकी एवं आर्थिक सेवाएं लिमिटेड (राइट्स) ने विदेशी मुद्रा अर्जन करने के लिए विदेशों में परियोजनाएं शुरू की हैं। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कनकोर) अंतर्राष्ट्रीय कारगो के परिवहन के लिए भारत और विदेशों में अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कंटेनरों की सम्हलाई का कार्य कर रही है।

(घ) इरकॉन और राइट्स निर्माण कार्यों, परामर्श, प्रशिक्षण आदि के लिए विदेशों में संविदाओं के लिए बोली देती हैं ताकि विदेशी मुद्रा कमाई जा सके।

(ङ) इरकॉन और राइट्स द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

इरकॉन और राइट्स द्वारा विदेश में निष्पादित की जा रही परियोजनाओं की सूची

	इरकॉन		
1.	बांग्लादेश	सोना मस्जिद नवाबगंज खंड को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना	35 करोड़ (रु.)
2.	नेपाल	थानकोट-नौबिज राजमार्ग	13 करोड़ (रु.)
3.	मलेशिया	मशीन ट्रैक रिलेइंग	11 करोड़ (रु.)
4.	तंजानिया	मी. ला. डीजल रेल इंजन 10 अदद	पट्टे पर
5.	वियतनाम	पैसेंजर कोच 150 अदद	292.50 लाख (रु.)
	राइट्स		
6.	बांग्लादेश	मी. ला. रेल इंजनों की आपूर्ति-10 अदद प्रशिक्षण आदि सहित	3,430.15 लाख (रु.)
7.	श्रीलंका	- यथोक्त -	1,953 लाख (रु.)
8.	तंजानिया	- यथोक्त -	2,030 लाख (रु.)
9.	पुट्टालाम	एक ब. ला, रेल इंजन की आपूर्ति	385 लाख (रु.)
10.	पेरु	डीजल रेल इंजन की आपूर्ति	120.30 लाख (रु.)
11.	बांग्लादेश	रेल इंजनों का अनुरक्षण	1,800 लाख (रु.)
12.	वियतनाम	डीजल रेल इंजनों के लिए अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति	292.18 लाख (रु.)
13.	श्रीलंका	रेल इंजन की आपूर्ति	33.00 लाख (रु.)
14.	श्रीलंका	रेल इंजनों की आपूर्ति	223.40 लाख (रु.)
15.	वियतनाम	चार ब.ला. रेल इंजनों की आपूर्ति	1953 लाख (रु.)
16.	मोजाम्बिक	वित्तीय विशेषज्ञता	.176 मिलियन अमरीकी डालर
17.	बोत्सवाना	प्रबंधन सहायक सेवाएं	.252 मिलियन अमरीकी डालर
18.	-यथोक्त-	प्रबंधन लेखा सेवाएं	.115 मिलियन अमरीकी डालर
19.	-यथोक्त-	एजीएम की स्थिति (अव.)	.132 मलियन अमरीकी डालर

20	तंजानिया	सामान्य प्रबंधन सेवा	.641 मिलियन अमरीकी डालर
21.	नेपाल	निर्माण प्रबंधन	248 लाख (रु.)
22.	भूटान	निविदा दस्तावेज आदि	28 लाख (रु.)
23.	नेपाल	पुलों का पुनर्स्थापन	10.10 लाख (रु.)
24.	नेपाल	पर्यावरण अध्ययन	7 लाख (रु.)
25.	तंजानिया	रेलपथ नवीकरण परियोजनाएं	.026 मिलियन अमरीकी डालर
26.	नेपाल	नदी नियंत्रण संबंधी कार्य	25 लाख (रु.)
27.	मलेशिया	रेलवे पुलों का ग्रेडोन्नयन	.077 मिलियन अमरीकी डालर
28.	मलेशिया	सवारी और माल डिब्बों का अनुरक्षण	.038 मिलियन अमरीकी डालर
29.	मलेशिया	अल्पकालीन परामर्श सेवा	.090 मिलियन अमरीकी डालर
30.	जमैका	तकनीकी आर्थिक अध्ययन	.152 मिलियन अमरीकी डालर
31.	तंजानिया	सड़क परियोजना	.140 मिलियन अमरीकी डालर

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की परिचालन लागत

***437. डॉ० सरोजा वी० : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की परिचालन लागत का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान इस शीर्ष में दोनों एयरलाइनों द्वारा अपनी कुल आय का कितने प्रतिशत खर्च किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने व्यय को कम करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की प्रचालन लागत, कुल अर्जन, कुल राजस्व के प्रचालन व्यय का प्रतिशत निम्न प्रकार है–

(करोड़ रुपयों में)

	इंडियन एयरलाइंस	एयर इंडिया
प्रचालन व्यय	2,939.10	4,031.81
कुल राजस्व	3,217.25	3,988.36
कुल राजस्व के प्रचालन व्यय का प्रतिशत	91.35	101.08

(ग) और (घ) व्यय में नियंत्रण और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए दोनों एयरलाइनों द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं–

एयर इंडिया

(1) अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने के लिए मार्केटिंग प्रयासों को और ऊपर उठाया गया है।

(2) लाभप्रद मार्गों के नेटवर्क योक्तिकीकरण और सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया है।

(3) और अधिक इन-हाऊस मरम्मत संबंधी कार्यों को हाथ में लेकर विमानों के बाह्य मरम्मत संबंधी कार्यों पर व्यय में कमी की गई।

(4) विदेश में विभिन्न विभागों में भारतीय अधिकारियों के अनेक पदों को समाप्त कर दिया गया है।

इंडियन एयरलाइंस

(1) ऑफर-लाइन स्टेशनों को बंद करना और बुकिंग कार्यालयों की संख्या में कमी करना।

(2) नियुक्ति पर प्रतिबंध, बशर्ते कि प्रचालनात्मक कारणों से यह नितांत आवश्यक न हो।

(3) कार्यालय भवन पर व्यय में भारी कटौती।

(4) पूंजीगत व्यय पर रोक लगाना, बशर्ते प्रचालनात्मक कारणों से यह नितांत आवश्यक न हो।

(5) हानि वाले मार्गों की आवृत्तियों में कमी करना।

खमरिया आयुध कारखाने द्वारा आपूर्ति किए गए खराब कारतूस

***438. श्री मुकुल वासनिक : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेना मुख्यालय ने वर्ष 1990-93 के दौरान खमरिया आयुध कारखाने द्वारा आपूर्ति किए गए 1.08 लाख कारतूसों को लड़ाकू विमानों के चालक दल के प्रशिक्षण के वांछित प्रयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किया था;

(ख) यदि हां, तो इनमें पाई गई खामियों, अनुपयुक्त घोषित किए गए कारतूसों का मूल्य तथा कारतूस के निर्माण के लिए घटिया सामग्री के प्रयोग को स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयुध कारखानों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) वायुसेना को वर्ष 1993 तक सप्लाई किए गए 7.18 लाख राउंडों में से लड़ाकू वायुयानों के चालक दल के प्रशिक्षण के वांछित प्रयोग के लिए 2.53 करोड़ रुपये मूल्य के गोला-बारूद के 96,683 राउंड अनुपयुक्त घोषित किए गए थे। बाद में भारतीय वायुसेना ने आई एल-76 वायुयानों के चालक दल के प्रशिक्षण के लिए इन कारतूसों के प्रयोग की स्वीकृति दे दी।

वायुसेना मुख्यालय द्वारा की गई जांच से पता लगा कि यह खराबी कारतूस-खोलों का टुकड़े-टुकड़े हो जाना है जिसका कारण खोल की सामग्री है। इन सभी 7.18 लाख राउंडों का निर्माण उनके खोलों के लिए विदेशी सहयोगी द्वारा विनिर्दिष्ट सामग्री के स्वदेशी स्रोतों से उपलब्ध न होने के कारण उसके स्थान पर वैकल्पिक इस्पात सामग्री एस एस ई-30 का उपयोग करके किया गया था। इस वैकल्पिक सामग्री का उपयोग, निरीक्षण एजेंसी के साथ-साथ मुहरबंद ब्यौराधारी प्राधिकारी (ए एच एस पी) के रूप में तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वा), अब वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय (वायु), द्वारा प्राधिकृत किया गया था। वैकल्पिक सामग्री के इस्तेमाल के दौरान भी मूल विनिर्देशों के अनुरूप सामग्री का विकास किए जाने के प्रयास भी साथ के साथ किए जा रहे थे।

इस जांच के अनुसरण में तथा वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (वायु) के निर्देशों के अनुसार वैकल्पिक सामग्री का उपयोग बंद कर दिया गया था। इस बीच सहयोगी के विनिर्देश के अनुरूप इस्पात का देश में ही विकास कर लिया गया जो 1993-94 से दोषमुक्त रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

***439. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा पर घुसपैठ और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए कितनी लंबी सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता है;

(ख) पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र के त्रिपुरा और मणिपुर में चल रहे निर्माण कार्य की मरम्मत और उसके रख-रखाव के बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस में टिकट एजेंट

***440. श्री मोहन रावले :**
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के टिकट एजेंटों पर इंडियन एयरलाइंस के करोड़ों रुपये की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडियन एयरलाइंस द्वारा इन एजेंटों से बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या चूककर्ता एजेंटों के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ये एजेंसियां देने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) 30 जून, 1998 की स्थिति के अनुसार, इंडियन एयरलाइंस ने चूककर्ता से लगभग 2.69 करोड़ रुपए की राशि वसूल करनी थी।

(ग) एजेंटों द्वारा देयताओं के भुगतान में चूक के मामले में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं–

- यदि 24 घंटों के अंदर भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो टिकट स्टॉक उठा लिया जाता है और संबंधित एजेंट को नकद कमीशन आधार पर रख लिया जाता है।
- यदि आगामी 72 घंटों के भीतर भी भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो बैंक गारंटी को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जाते हैं।
- यदि बैंक गारंटी की राशि देय राशि से कम पड़ती है तो देयताओं की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है।
- इंडियन एयरलाइंस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री के लिए नियुक्त आयटा अनुमोदित एजेंटों को आयटा एजेंसी कार्यविधि के अनुसार कार्य करना होता है।

इन एजेंटों द्वारा चूक के मामले में, दावे को एयरलाइंस जांच पेनल (एक आयटा निकाय जो आयटा एजेंटों से ली गई बैंक गारंटी का समेकित रूप से अनुरक्षण करती है और जो आयटा एजेंटों के एजेंटी प्रशासन की देखभाल करती है) में दर्ज करवाया जाता है। यह निकाय बैंक गारंटी को प्राप्त कर लेती है और अनुपातिक आधार पर एयरलाइनों को भुगतान करती है।

(घ) और (ङ) चूककर्ता एजेंटों से वसूली जाने वाली देयताओं और राशियों को वसूलने के लिए की गई कार्रवाई का एक विवरण संलग्न है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

30 जून, 1998 की स्थिति के अनुसार चूककर्ता एजेंटों से वसूली जाने वाली देयताओं को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	एजेंटों के नाम और स्थान	राशि (लाख रु. में)	वसूली की स्थिति
1	2	3	4
1.	आर. के. ट्रेवल्स, दिल्ली	4.31	कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है
2.	ट्रेवल मार्ट, दिल्ली	5.55	- वही -
3.	मैक ट्रेवल्स, अलीगढ़	7.75	- वही -
4.	राजदान ट्रेवल्स, नोएडा	21.94	- वही -
5.	शाह ट्रेवल्स, श्रीनगर	21.53	- वही -
6.	ए. एस. ट्रेवल्स, बल्लभगढ़	4.71	- वही -
7.	ग्लोब ट्रेवल्स, गुड़गांव	1.27	- वही -
8.	पूनम एयरफ्रेट, दिल्ली	2.71	- वही -
9.	ओम साईं ट्रेवल्स, नोएडा	1.27	- वही -
10.	कबीर ट्रेवल्स, रोहतक	1.65	- वही -
11.	कम्बाइंड ट्रेवल्स, दिल्ली	2.99	- वही -
12.	विनफील्ड ट्रेवल्स, दिल्ली	43.17	- वही -
13.	आर. आर. ट्रेवल्स, दिल्ली	4.87	- वही -
14.	जी. के. ट्रेवल्स, दिल्ली	4.36	- वही -
15.	क्विक ट्रेवल्स, दिल्ली	11.96	- वही -
			9.96 लाख रु. तथा 2 लाख रु. के शुरुआती बकाया के लिए एआईपी-9 में दावा कर दिया गया है।
16.	कुणाल ट्रेवल्स, दिल्ली	2.14	एआईपी-9 में दावा कर दिया गया है
17.	ब्लू बर्ड ट्रेवल, श्रीनगर	0.79	कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है
18.	सीनियर ट्रेवल्स, मुंबई	0.65	- वही -
19.	प्रकाश ट्रेवल्स, राजकोट	0.12	वसूली की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है
20.	श्री गजानन्द, नासिक	0.05	- वही -
21.	ट्रीडेंट ट्रेवल्स, अहमदाबाद	0.31	टीएएआई में दावा किया जा चुका है
22.	लीडर ट्रेवल्स, कराची	2.10	वसूली संदेहास्पद है, बट्टे खाते डालना पड़ सकता है
23.	वेस्टर्न ट्रेवल्स, कराची	1.76	- वही -
24.	रियल वैल्यू, मुंबई	25.00	बैंक गारंटी को प्राप्त किया जा रहा है
25.	ओलंपिक एक्सप्रेस, मुंबई	14.00	- वही -

1	2	3	4
26.	रवि ट्रेवल्स, पुणे	35.00	बैंक गारंटी को प्राप्त किया जा रहा है
27.	एसीएससीओ ट्रेवल्स, शिलांग	5.03	कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है
28.	गणेश ट्रेवल्स, अगरतला	5.67	- वही -
29.	हाओकिप ट्रेवल्स, इंफाल	1.13	- वही -
30.	पैनोरमा ट्रेवल्स, विजाग	0.62	मामला टीएएआई को सौंप दिया है
31.	ट्रेवल प्वाइंट, हैदराबाद	9.51	कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है
32.	सागर ट्रेवल्स, चेन्नई	1.64	- वही -
33.	यूनाइटेड टूर्स, कालीकट	0.91	- वही -
34.	लावन्य टूर्स, कालीकट	0.40	वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है
35.	आबरू ट्रेवल्स, चेन्नई	0.37	इंडियन एयरलाइंस के पक्ष में डिगरी मिल गई है। वसूली की जा रही है
36.	मेनका ट्रेवल्स, हैदराबाद	12.36	- वही -
37.	सिल्वर स्ट्रीक, चेन्नई	2.14	- वही -
38.	हंसा ट्रेवल्स, कोचीन	6.31	कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है
39.	सोनीज ट्रेवेलाइंस, बंगलौर	1.21	बैंक गारंटी प्राप्त की जा रही है
	कुल देयताएं	269.26	

इंडियन एयरलाइंस द्वारा खर्च में कमी

***441. प्रो० अजित कुमार मेहता :**
श्रीमती शीला गौतम :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने अलाभकारी मार्गों पर उड़ानों में कमी करके खर्च को कम करने के उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडियन एयरलाइंस की आर्थिक रूप से अलाभकारी उड़ानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन उड़ानों को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस द्वारा गैर-किफायती मार्गों पर लगाई गई क्षमता पर लगातार निगरानी रखी जाती है और इन उड़ानों के प्रचालनों में आर्थिक दृष्टि से सुधार करने के लिए जहां आवश्यक होता है, प्रचालनों की आवृत्ति में परिवर्तन किया जाता है।

(ग) एलायंस एयर सहित इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रचालित सेवाओं के संबंध में, जो वर्ष 1997-98 के दौरान जो अपना खर्च पूरा नहीं कर सकी एक विवरण संलग्न है।

(घ) की गयी समीक्षाओं के परिणामस्वरूप, कुछ सेक्टरों पर सेवाओं की आवृत्तियों में संशोधन किया गया, उपस्कर (विमान) बदला गया था अथवा उड़ानों को मिला दिया गया था।

विवरण

इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड
वे सेवाएं जो अपना खर्च पूरा नहीं कर पाती
(एलायंस एयर सहित)
अंतर्देशीय (वित्त-वर्ष 1997-98)

क्र. सं.	सेक्टर
1	2
1.	गुवाहाटी-अगरतला
2.	चेन्नई-बंगलौर-कोयम्बटूर
3.	कलकत्ता-रांची-पटना-मुंबई
4.	कलकत्ता-गुवाहाटी
5.	दिल्ली-श्रीनगर
6.	जयपुर-मुंबई
7.	बंगलौर-कालीकट
8.	चेन्नई-बंगलौर-कालीकट

1	2
9.	चेन्नई-कोयम्बटूर-कालीकट
10.	कालीकट-चेन्नई
11.	मुंबई-कालीकट
12.	चेन्नई-गोवा-अहमदाबाद-कलकत्ता
13.	दिल्ली-लेह
14.	कलकत्ता-सिल्चर-इम्फाल
15.	दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर-दिल्ली
16.	कलकत्ता-तेजपुर-दीमापुर-कलकत्ता
17.	चेन्नई-तिरुपति-हैदराबाद
18.	कलकत्ता-जोरहाट-दीमापुर-कलकत्ता
19.	लेह-जम्मू
20.	चेन्नई-हैदराबाद-भुवनेश्वर
21.	मुंबई-औरंगाबाद
22.	कलकत्ता-इम्फाल-जोरहाट-कलकत्ता
23.	दिल्ली-आगरा-खजुराहो-वाराणसी
24.	दिल्ली-खजुराहो-वाराणसी
25.	लेह-श्रीनगर
26.	चेन्नई-हैदराबाद
27.	कलकत्ता-भुवनेश्वर
28.	दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-जैसलमेर
29.	कलकत्ता-इम्फाल
अंतरराष्ट्रीय	
1.	काठमांडु-वाराणसी
2.	बंगलौर-सिंगापुर
3.	कलकत्ता-सिंगापुर
4.	कलकत्ता-रंगून-सिंगापुर
5.	चेन्नई-सिंगापुर
6.	कलकत्ता-चटगांव*

*अब बंद कर दी गयी है।

टिप्पणी : उपरोक्त सेवाओं में वर्ष के कुछ भाग के लिए प्रचालित की गयी सेवाओं को भी सम्मिलित किया गया है।

ठेकेदार के कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

4250. श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री मोइनुल हसन :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड की एच. एस. सी. एल. सहित बोकारो स्टील प्लांट में काम करने के दौरान मरने वाले ठेकेदारों के कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान करने की कोई पद्धति है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे कितने लोगों को रोजगार दिया गया;

(ग) क्या एच. एस. सी. एल. के ऐसे मृत कर्मचारियों के कई मामलों पर बार-बार अभ्यावेदन देने के बाद भी विचार नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) बोकारो इस्पात संयंत्र (बी. एस. एल.) में प्राणघातक दुर्घटना में ठेकेदार के मरने वाले प्रत्येक कर्मचारी के एक निकटतम आश्रित को रोजगार देने की पद्धति है। एच. एस. सी. एल. के मामले में, इसके मृतक कर्मचारी के आश्रित को रोजगार देने का उत्तरदायित्व एच. एस. सी. एल. का है। तथापि बोकारो इस्पात संयंत्र में एच. एस. सी. एल. के कर्मचारियों की प्राणघातक दुर्घटनाओं के कुछ मामलों में बोकारो इस्पात संयंत्र ने मानवीय आधार पर मृतकों के आश्रितों को रोजगार दिया था। गत तीन वर्षों में एच. एस. सी. एल. के मामलों सहित, ऐसे मामलों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है–

वर्ष	मामलों की संख्या
1995	07
1996	06
1997	06
कुल	19

(ग) और (घ) एच. एस. सी. एल. के एक मृतक कर्मचारी, स्वर्गीय श्री अमूल्य महतो के मामले में, उसके आश्रित को रोजगार देने का उत्तरदायित्व एच. एस. सी. एल. का है। एच. एस. सी. एल. अत्यधिक अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या के कारण कोई नया रोजगार देने की स्थिति में नहीं है।

[हिन्दी]

निजी बिल्डर/कोलोनाइजर

4251. श्री सोहन पोटाई : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निम्न/मध्यम दर्जे के प्लाट धारकों को निजी बिल्डरों/कोलोनाइजरों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से बचाने के लिए निजी बिल्डरों/कोलोनाइजरों पर कोई नियंत्रण रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) चूंकि भूमि और आवास मामले राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं, अतः राज्य सरकार का प्राइवेट भवन निर्माताओं/कालोनी निर्माताओं के नियंत्रण के लिए आवश्यक कानून बनाना चाहिए। तथापि, सरकार ने प्राइवेट भवन निर्माताओं/विकासकर्ताओं के नियमन के लिए एक मॉडल विधेयक तैयार किया और उसे भवन निर्माताओं/विकासकों पर नियंत्रण रखने के लिए कानून बनाने में सभी राज्यों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए 1992 में परिचालित किया गया था। मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाने के लिए नियमित रूप से मानिटर किया जा रहा है, ताकि प्राइवेट भवन निर्माताओं द्वारा खरीदारों के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सके।

दिल्ली में विकासकों (प्रमोटर्स) और भवन निर्माताओं के कार्यकलापों में नियंत्रण के लिए एक अधिनियम विचाराधीन है। प्रस्तावित विधान में प्रोत्साहकों/संपदा एजेंटों का अनिवार्य पंजीयन, विना अग्रिम राशि लिए ही बिक्री करार, अवस्थापना सहायता और सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिए प्रोत्साहकों का दायित्व, लेखा-जोखा प्रबंधन में स्पष्टता, अनधिकृत कालोनियों को वसाने पर रोक, तथा उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नगरपालिका संबंधी प्रावधान

4252. श्री गिरिधर गमांग : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के भाग 9 क के अनुच्छेद 243 के प्रावधानों को नगरपालिका प्रावधानों में कुछ अपवाद और संशोधनों के साथ अनुच्छेद 244 में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) अनुसूचित क्षेत्र में नगरपालिकाएं बनाने के संबंध में समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) राज्यों द्वारा संवैधानिक दायित्व पूरे करने के लिए राज्य वित्त आयोग, जिला आयोजना समितियों का गठन करने और अधिनियम बनाने के लिए सरकार ने क्या पहल की है और क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में पहले से हो चुके चुनावों के परिणामस्वरूप उठी संवैधानिक और कानूनी समस्याओं का ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) अनुच्छेद 243 जैड सी के अनुसार, संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, संविधान के अनुच्छेद 244 में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू नहीं है। तथापि, संसद कानून द्वारा उपर्युक्त अधिनियम को अपवादों तथा संशोधनों के साथ इस प्रकार के क्षेत्रों में लागू कर सकती है। संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने संबंधी कानून की मुख्य विशेषताएं प्रस्तावित करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा सांसदों तथा विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था। उपर्युक्त समिति की सिफारिशों पर संसद में अपेक्षित कानून प्रस्तुत करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ आवश्यक विचार-विमर्श पहले ही कर लिया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों वाली राज्य सरकारों से भी समिति की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया है।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के संघटन, इस प्रकार की नगरपालिकाओं के कार्यों तथा शक्तियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए नगरपालिकाओं में सीटों का आरक्षण तथा विकास कार्यक्रमों में समुचित आरक्षण, उनकी भूमि के अधिग्रहण इत्यादि जैसे कल्याणकारी उपायों से संबंधित है।

(ग) मंत्रालय द्वारा की गई पहल के परिणामस्वरूप, जिन राज्यों में संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम लागू है, उन सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मणिपुर (चार जिलों में से दो में), पश्चिम बंगाल (18 जिलों में से 16 जिलों में), अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और दमन तथा दीव में जिला आयोजना समितियां गठित की गई हैं।

(घ) अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में हुए नगरपालिका चुनावों के कारण सांविधानिक तथा कानूनी समस्याओं से संबंधित कोई मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों का निर्माण

4253. श्री जुआल उराम : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा मोदी कोलफील्ड लिमिटेड वसुंधरा क्षेत्र में घटिया स्तर की सड़कें बनाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) सीमा सड़क संगठन मोदी कोलफील्ड लिमिटेड में सड़क नहीं बना रहा है। तथापि, यह संगठन वसुंधरा क्षेत्र में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार उनके लिए सड़क बना रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सी० एस० डी० कैंटीन

4254. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सी. एस. डी. के अंतर्गत घरेलू सामानों तथा शराब की बिक्री करने वाली कैंटीनों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है तथा जनवरी, 1997 से मई, 1998 के दौरान उनमें बिक्री हेतु कौन-कौन सी नई उपभोक्ता वस्तुएं जोड़ी गईं/हटाई गईं;

(ख) उक्त अवधि में इन कैंटीनों की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले अधिकारियों/जवानों तथा रक्षा असैन्य कर्मियों की अलग-अलग संख्या कैंटीन वार तथा महीना-वार क्या है;

(ग) क्या सशस्त्र सैन्य कर्मियों के लिए शराब की खरीद का कोई कोटा निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रैंक-वार ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) दिल्ली में घरेलू मदों तथा शराब की बिक्री करने वाली विभिन्न कैंटीनें इस प्रकार हैं—

(i) सेना मुख्यालय कैंटीन, सेना भवन के नजदीक।

(ii) राजपूताना राइफल सैंटर कैंटीन, दिल्ली कैंट।

(iii) टॉरस कैंटीन, दिल्ली कैंट।

(iv) वायुसेना कैंटीन रेसकोर्स, नई दिल्ली।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली स्थित सभी रक्षा यूनिटों को अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते अपनी यूनिट कैंटीने हैं।

जनवरी, 1997 से मई, 1998 के दौरान जोड़ी गई/हटाई गई उपभोक्ता मदों की विस्तृत सूची संलग्न विवरण-I दी गई है।

(ख) एक नीति के रूप में कैंटीने उनसे संबद्ध सभी अफसरों और जवानों तथा भूतपूर्व सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इन कैंटीनों के नजदीक/निकटवर्ती कार्यालयों के रक्षा सिविलियन कर्मचारी भी शराब को छोड़कर इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए शराब की खरीद के वास्ते संलग्न विवरण-II में दिए गए अनुसार विशेष कोटे निर्धारित किए गए हैं।

विवरण-I

1 जनवरी, 1997 से मई, 1998 के बीच शामिल की गई नई मदों की सूची (मुख्य मदें)

1.	सूप सैट	मैसर्स ला ओपेला ब्रांड
2.	किचन सैट बॉउल सैट	-वही-
3.	सर्विंग बॉउल सैट	-वही-
4.	निरलैप कोनकैव ग्रिडल	मैसर्स सिलवर ग्लास लिमिटेड
5.	सिरीज 1	मैसर्स टाइटन इं. लि.
6.	सिरीज 11	-वही-
7.	टी वी श्याम 14" श्वेत अजीत 208	मैसर्स बी पी एल लि.
8.	-वही- 14"	-वही-
9.	-वही- 14"	-वही-
10.	टी वी रंगीन मॉडल एफ एस आर	-वही-
11.	-वही- एफ टी आर	मैसर्स बी पी एल लि.
12.	परफयूम सप्रे मिस्टीक्यू 60 मि. ली.	मैसर्स संगम एक्सपोर्ट लि.
13.	रिवाइव स्टार्च 400 ग्राम	मैसर्स मेरीको इ. लि.
14.	हेयर एंड केयर आयल 200 मि.ली.	-वही-
15.	बूट पालिस कीवी ब्लैक (तरल)	मैसर्स पी. टी. के. लि. कीवी
16.	-वही- ब्राउन (तरल)	-वही-
17.	-वही- नेचूरल	-वही-
18.	ब्राइलक्रीम ट्यूब 100 ग्राम	-वही-
19.	सुप्रिमो शक्स	मैसर्स जुनेजा इं. लि.
20.	गोल्फ पोलो टी शर्ट (आठ मदें)	मैसर्स पैनक्विन क्लोथिंग कंपनी
21.	हाथ घड़ी टाइटन (6 वैरायटी)	मैसर्स टाइटन इं. लि.
22.	हाथ घड़ी टाइमेक्स (8 वैरायटी)	मैसर्स टाइमेक्स वाच लि.
23.	लिक्वीरस कैलीज एंड आरचर्स	मैसर्स इंटरनेशनल डिस्ट्रीलरी इंडिया
24.	व्हिस्की ब्लैंडर्स प्राइड, ओकेन ग्लो एंड रॉयल स्टेग्	मैसर्स सीग्राम मैनुफैक्चरिंग लि.
25.	बैट्रीज एवेरेडी (8 मदें)	मैसर्स एवेरेडी इं. इंडिया लि.
26.	रेक्सोना डीओड्रांट रोल	मैसर्स पोंड (इंडिया) लि.
27.	रेक्सोना डीओड्रांट पंप स्प्रे	-वही-
28.	अभ्यास पुस्तिका (5 मदें)	मैसर्स संगीता पेपर मर्चेंट्स
29.	टाइटन अलार्म पीस	मैसर्स टाइटन इं. लि.
30.	रेडियो कैसेट रिकार्डर ए जैड 8051	मैसर्स फिलिप्स इंडिया लि.
31.	लिगेंट प्रेम व्हिस्की	मैसर्स सोम डिस्ट्रीलरी
32.	रम ब्लैक	-वही-
33.	बिस्कुट 10 ब्रांड	मैसर्स क्रेमिका एगरो फूड्स लि.
34.	क्रेकल 40 ग्राम	मैसर्स कैडबरी इंडिया लि.
35.	जैम्स 35 ग्राम	-वही-
36.	नटीज 40 ग्राम	-वही-
37.	ड्रिंकिंग चाकलैट 500 ग्राम	-वही-
38.	डबल बर्नर गैस स्टोव एस/एस स्टील	मैसर्स सनफलैम इंटरप्राईसिस प्र. लि.
39.	वाटर फिलटर कैडल लोहाट	मैसर्स गोल्ड लाइन होम एप्लाइसिस
40.	सिंगल बर्नर एस/स्टील	मैसर्स एस के एन गैस एप्लाइसिस

41.	डबल बर्नर एस/स्टील गैस स्टोव	मैसर्स एस के एन गैस एप्लाइंसिस
42.	एच आई एफ फुट पंप	मैसर्स दि हमर इं.
43.	फैनो आयल आई एस आई मार्कड (3 ब्रांड)	मैसर्स बंगाल फार्मास्यूटिक्ल लि.
44.	मिक्सर-कम-ग्राइंडर (2 ब्रांड)	मैसर्स जैन एंड कंपनी लि.
45.	मिक्सर एंड ग्राइंडर	मै. क्लीन एन केरे इले. एप्ला.
46.	एलफा यैलो एल्युमिनियम फायल 1006	मैसर्स जगदंबा फायल
47.	कैज्युअल पेपर नेपकीन एन ए 3003	-वही-
48.	वाशिंग मशीन मॉडल बीएस 50 और बीएस 30	मैसर्स बीपीएल लि.
49.	थ्री पिसीज कैसरोल सेट	मैसर्स ए पी एल इं. लि.
50.	इलैक्ट्रोनिक पंखा	मै. एसिएटिक इंजीनयर्स प्रा. लि.
51.	कॉफिट सेनेटरी टावल	मैसर्स क्रिस्टाइन होडन (इंडिया)
52.	लुंगी गंगा	मैसर्स हस्तीमल एंड कंपनी
53.	रबर चप्पल साइज 5 से 9	मैसर्स प्रिंस रबर इं. लि.
54.	ब्रीफ् समर टैक्स व्हाइट (80 से 100 सेंमी.)	मैसर्स डावन मिल्स कंपनी लि.
55.	वेस्ट डाइमंड किंग आर एन (80-100 सेंमी.)	-वही-
56.	फोर्ड कॉटन	मैसर्स शांता होजरी लि.
57.	रोबिन नायलान	-वही-
58.	रिजेंट कॉटन स्पोर्टस	-वही-
59.	टायलैट सोप मिल्क एंड रोजिज 75 ग्राम	मैसर्स विपरो लि.
60.	टी रैड एंड गोल्ड 250 ग्राम	मैसर्स एंड्रू यूल एंड कंपनी लि.
61.	हैलमेट 3 ब्रांड	मैसर्स न्यू स्टील बर्ड लि.
62.	च्यवनप्राश स्पेशल 250 ग्राम व 500 ग्राम	मैसर्स श्री वैद्यनाथ आयुर्वेध
63.	लवण भास्कर चूर्ण 60 ग्राम	-वही-
64.	दंत मंजन लाल 50 ग्राम	-वही-
65.	बिस्कुट बैकमैन मेरी 200 ग्राम	मैसर्स बैकमैन इं. लि.
66.	पुदीन हरा पल्स 10 कैप्सूल	मैसर्स डाबर इंडिया लि.
67.	वोडी शिल्क टेल्कम पाउडर	मैसर्स कैलिको लगेज मै. कं.
68.	एरोस्ट्रोक्रेट ब्रीफकेस फोरटूना	मैसर्स यूनिवर्सल लगेज मै. कं.
69.	फुटबाल, बालीबाल और बास्केटबाल	मैसर्स ईएमसीईई स्पोर्टस ए. लि.
70.	वाशिंग मशीन वर्लपूल (5 ब्रांड)	मैसर्स वर्लपूल ऑफ इंडिया लि.
71.	डोमेस्टिक मोनोब्लाक पंप	मैसर्स उषा इंटरनेशनल लि.
72.	रंगीन टी वी मॉडल 35, 51, 54, 51 और 63	मैसर्स कल्याणी शार्प इंडिया लि.
73.	डर्ट बस्तर वैक्यूम क्लीनर	मैसर्स बजाज इलैक्ट्रिकल्स लि.
74.	मॉर्टिन मैस्क्टिो मैट	मै. रैकेट एंड कालमैन ऑफ इं. लि.
75.	मॉर्टिन मैस्किटो रैपीलेंट कायल	-वही-
76.	मैसूर डिटरजेंट पाउडर 1 कि. ग्राम	मैसर्स कर्नाटका सोप एंड डिटर्ज. लि.
77.	क्लीनिंग पाउटर 1 कि. ग्राम	मैसर्स फैना लिमिटेड
78.	डिसक्लीनिंग बार 200 ग्राम	-वही-
79.	डिटरजेंट पाउडर 1 कि. ग्राम	-वही-
80.	डिटरजेंट केक 250 ग्राम	-वही-
81.	डिटरजेंट केक 125 ग्राम	-वही-
82.	प्रेम ब्रांड टायलैट सोप 100 ग्राम	मैसर्स जे. के. हेलन कर्टीस लि.
83.	यूडीक्लोन 100 मि. ली.	-वही-
84.	ओल्ट फलैग थ्री एक्स रम	मैसर्स रेंजर ब्रेवीरीज लि.
85.	ब्रिटानिया बिस्कुट (9 ब्रांड)	मैसर्स ब्रिटानिया इं. लिमिटेड
86.	टी. टोमाटो सूप 75 ग्राम	मैसर्स कार्न प्रोडक्टस लि.
87.	स्वीट कार्न चिकन सूप 58 ग्राम	-वही-
88.	गीट्स ब्रांड इडली मिक्स 200 ग्राम पाउडर	मैसर्स गीट्स फूट प्रोडक्स प्रा. लि.
89.	-वही- डोसा मिक्स 200 ग्राम पाउडर	-वही-
90.	केरा कोकोनट आयल 100, 200 और 500 मि. ली.	मै. केरला कराकारशाका शाहकाराना
91.	आई एफ बी वाशिंग मशीन मॉडल सुप्रिमों	मैसर्स आई एफ बी इं.
92.	-वही- मॉडल एक्जिक्यूटिव	-वही-
93.	रोज गार्डन जूसी फ्रूटी ब्लैक करांट कैंडी और बटर पंच टॉफी (2 आइटम)	मैसर्स रोज गार्डन कंफैक. लि.
94.	गोदरेज रेफ्रिजरेटर्स (5 ब्रांड)	मैसर्स गोदरेज इं. लि.
95.	पायल रबर चप्पल 5 से 9	मैसर्स प्रिस रबर चप्पल
96.	चाय लिपटन यैलो 250, 500 ग्राम	मैसर्स हिंदुस्तान लीवर लि.

97.	चाय ताजमहल 100 और 50 ग्राम	मैसर्स हिंदुस्तान लीवर लि.
98.	हैक्सट 1 लीटर टीन पैक	मैसर्स हैक्सट सीयरिंग एग्रीवो लि.
99.	जी एल एस लैंप 60-100 वाट	मैसर्स दी मैसूर लैंप वर्क्स लि.
100.	रैक्टैलर 17 वाट	मैसर्स गोलडन डेज क्रिएशन प्रा. लि.
101.	हैंगर फोलडिंग (3 टाइप)	मैसर्स एम वी एम हैंगर प्रा. लि.
102.	पी/कूकर यूनाइटेड ब्रांड	मैसर्स यूनाइटिड ब्रादर्स
103.	सिमको हेयर फिक्सर जैल 150 ग्राम	मैसर्स शिमला कैमिकल लि.
104.	बोरोसिल गिलास (4 टाइप)	मैसर्स बोरोसिल गिलास वर्क्स लि.
105.	पान फ्रेस टिसूज बॉक्स	मैसर्स पान कासमैटिक लि.
106.	चेयर नीलकमल ब्रांड (3 टाइप)	मैसर्स नीलकमल प्लासटोक्स लि.
107.	टूथ ब्रूस वी आई पी (6 ब्रांड)	मैसर्स जोशी प्लास्टिक इं.
108.	गोलफ सेट स्प्रेलडिंग (4 टाइप)	मैसर्स आर एच एस स्पोर्टस मार्केटिंग
109.	कैस्पर ब्रांड मस्किटो (2 टाइप)	मैसर्स टैनवाला पवीजोनल केयर
110.	ब्रीफ (9 साइज) जोकी ब्रांड	मैसर्स पेज अपरैल मैनुफैकचरिंग
111.	एल एम एल स्कूटर (4 टाइप)	मैसर्स एल एम एल लि.
112.	एच एम टी ट्रैक्टर (4 मॉडल)	मैसर्स एचएमटी लि.
113.	इलैक्ट्रीक एमरसन वाटर हीटर (3)	मैसर्स सनफलैम इंटरप्राइजिज प्रा. लि.
114.	एमरसन राड (4 टाइप)	मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स
115.	ब्रीफकेस फोकस (4 ब्रांड)	मैसर्स सैमसोनाईट इं. लि.
116.	वैस्ट/ब्रीफ रूपा (6 आइटम)	मैसर्स रूपा एंड कंपनी लि.
117.	मस्किटो नैटस (4 टाइप)	मैसर्स श्री रंगा नेटवीयर्स
118.	रीवेरा रैड वाइन	मैसर्स इंडियन लैबोरट्रीज
119.	रुबी पोर्ट वाइन	-वही-
120.	व्हाइट फोर्ट वाइन	-वही-
121.	विडियोकोन रेफ्रीजरेटर्स (3 मॉडल)	मैसर्स विडियोकोन एप्लाईसिस लि.
122.	विडीयोकोन एयरकंडीशनर्स (5 मॉडल)	-वही-
123.	सन ब्रांड एम्ब्रेला डायना	मैसर्स सैत नैगीज पुरुषोत्तम
124.	सूटकेस वी आई पी (3 टाइप)	मैसर्स वी आई पी लिमिटेड
125.	हाइकट बिकनी (4 टाइप)	मैसर्स पीज अपारेल मैनु.
126.	टीशू वाइपस 200 ग्राम	मैसर्स एस आर फोयल्स लि.
127.	पी/कूकर फयुचूरा ब्रांड	मैसर्स हाकिंस कूकर लि.
128.	अल्ट्रा लाइटवेट आयरन (3 टाइप)	मैसर्स सुपर पार्ट लि.
129.	अलट्रा सैंपू नारमल (9 ब्रांड)	मैसर्स इंडेलोर इंडिया प्रा. लि.
130.	मोर्टिन कंफैक्शनरी (3 टाइप)	मैसर्स मूरटोन कंफै. एंड माइल्ड प्रो.
131.	फोर्ट एंड शोर वेजी. एंड थिक मशरुम	मैसर्स कार्न प्रोडक्टस कंपनी
132.	सी टी सी चाय 500 ग्राम, 250 ग्राम	मैसर्स टाटा टी लि.
133.	काफी मेकर प्रित	मैसर्स माया एप्लाईसिस (प्रा. लि.)
134.	सर्फ एक्सल/एजिल मैटिक (4 टाइप)	मैसर्स हिंदुस्तान लीवर लि.
135.	ओवन टोस्टर ग्रोलर	मैसर्स क्राम्पटन ग्रिव्ज लि.
136.	सनफलैम ब्रांड ओवन	-वही-
137.	एटलस गोल्ड लाइन साइकिल 24"	मैसर्स एटलस साइकिल लि.
138.	-वही- 22"	-वही-

1 जनवरी, 1997 से मई, 1998 तक हटाई गई मदों की सूची (बड़ी मदें)

1.	स्पोर्टस शॉर्टस जैंट्स (दो मदें)	मैसर्स जुनेजा इंड.
2.	हॉट व्हील सूनागन (4 मदें)	मैसर्स मटेल टॉयस (इंडिया) लि.
3.	सीजर्स 125, 200 मिमी.	मैसर्स फिसकर्स इंडिया लि.
4.	केमरा कोडक फोर्मा	मैसर्स इंडियन फोटोग्रेफिक कं.
5.	डिनर सैट	मैसर्स हितकारी चाइना लि.
6.	गंगा ऊनी कंबल	मैसर्स केवल कृष्ण मेहरा
7.	ऊषा के छत के पंखे	मैसर्स ऊषा कं.
8.	नवतल पेडलॉक (3 ब्रांड)	मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैनुफेक्चरिंग कं.
9.	सनलाइट साबुन और डिटर्जेंट पाउडर	मैसर्स हिंदुस्तान लीवर लि.
10.	चद्दर लूनिया	मैसर्स लूनिया एंटरप्राइजिज
11.	ब्राइट कंघा	मैसर्स क्वालिटी प्लास्टिक
12.	गोदरेज स्टोरवेल (3 किस्म)	मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैनुफैक्चरिंग कं.
13.	टॉयस एंड गेम्स (9 किस्म)	मैसर्स फनकूल (इंडिया)
14.	सभी तरह के जूते (22 मदें)	मैसर्स विष्णु कारपोरेशन
15.	टेबल लैंप टीएलबी और टीएलएफ	मैसर्स इलेक्टरफलेम लि.
16.	वीडियो केसेट प्रीमियम एंड सुपर	मैसर्स सुपर एंटरप्राइजिज

17.	एस/क्रीम अफगान	ई एस पटनवाला
18.	मंगलम मच्छरदानी	मैसर्स मंगलम
19.	ब्रांडी बिहाइव	मैसर्स पोलिकेम लि.
20.	पनामा सिगरेट	जी टी सी लि.
21.	ऑटो हॉट केस रेकॉलड	मैसर्स रेकॉलड इलेक. एप्लाईंसिस
22.	टाइपराइटर	रेमिंगटन रेंड ऑफ इंडिया
23.	पुरुष और महिला की बी एस ए वाइसाइकल	मैसर्स टी टी साइकिल इंडिया लि.
24.	पोस्टमेन तेल 2 कि. ग्रा.	मैसर्स अहमद कमरभाई
25.	अर्भ्यास पुस्तिका (4 किस्म)	मैसर्स गुजरात सैभिक सोसाइटी
26.	पोली सेट्स (4 सेट)	मैसर्स पोली सेट प्रोडक्ट लि.
27.	होलदल मोहन लेदर (2 किस्म)	मैसर्स मोहन लेदर्स वर्क्स
28.	सेंटविच टोस्टर	मैसर्स मोनार्क इंजीनियरिंग
29.	पेंटागन जूते नं. 7	मैसर्स पेंटागन फुटवियर
30.	स्कूली बस्ते एलोरा	मैसर्स ड्यूक एजेंसीज
31.	स्कूली बस्ते	मैसर्स एक्स-सर्विसमेन प्रोडक्ट
32.	हेंगर बीजू (2 ब्रांड)	मैसर्स विजय एंटरप्राइजिज
33.	विलियम प्रोडक्ट्स (4 किस्म)	मैसर्स विलियम इंडस्ट्रीज
34.	वीडियो वीसीआर (2 किस्म)	मैसर्स वीडियोकॉन इंटरनेशनल लि.
35.	स्पोर्ट्स शू (19 ब्रांड)	मैसर्स पेरागॉन फुटवियर
36.	ओनिडा रंगीन टीवी (3 किस्म)	मैसर्स एमआईआरसी इलेक्ट्रानिक लि.
37.	हॉट लाइन कुकिंग रेंज	मैसर्स फ्यूज बेस इंडिया लि.
38.	डिनर सेट/प्लेटें (मद 9)	मैसर्स रॉयल इंडस्ट्रीज
39.	टेबलफेन/सीलिंग फेन (मद 3)	मैसर्स एचएमपी इंजीनियरिंग लि.
40.	मैकुक ओवन (मद 3)	मैसर्स एक्सपो मशीनरीज लि.
41.	वीडियोकॉन आडियो (मद 9)	मैसर्स वीडियोकॉन इंटरनेशनल लि.
42.	टीवी अपट्रॉन (मद 3)	मैसर्स अपट्रॉन इंडिया लि.
43.	जीप टार्च केस (मद 5)	मैसर्स जीप इंडस्ट्रीयल लि.
44.	रबड़ चप्पल पायल ब्रांड	मैसर्स प्रिंस रबड़ इंडस्ट्रीज
45.	टोबू साइकिल (4 किस्म)	मैसर्स टोबू एंटरप्राइजिज
46.	बिस्कुट गुलूकोज डी और मैरी	मैसर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लि.
47.	फिश मेकरॉलस	मैसर्स कोस्टा एंड कं.
48.	चिक्कन मखानी और पालक पनीर	मैसर्स टेस्टी बाइट इटेबल्स लि.
49.	शुद्ध शहद 100 ग्रा., 500 ग्रा.	मैसर्स रामतीर्थ योगाश्रम
50.	हेलमेट विकेट और डाइमंड	मैसर्स न्यू स्टीलबर्ड इंडस्ट्रीज
51.	खाकी हरा कपड़ा	मैसर्स कमर्शियल कारपोरेशन लि.
52.	निर्मल बनियान (7 मद)	मैसर्स निर्मल टैक्सटाइल कं.
53.	डोर मेट कॉयर मेट (6 किस्म)	मैसर्स केरल स्टेट कॉयर कं.
54.	नटराज पेंसिल (7 मद)	मैसर्स नटराज पेंसिल प्राइवेट लि.
55.	किसान स्वीट कॉर्न 400 ग्राम	मैसर्स ब्रुकबांड लिप्टन इंडिया
56.	मेलमोवेयर डिनर सेट 28 पीस, 15 पीस	मैसर्स राताचंद नरजसराय
57.	सपना डेरी स्पेशल 500 ग्राम	मैसर्स डालमिया इंडस्ट्रीज लि.
58.	रेडियो पामन	मैसर्स रोशनी इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लि.
59.	बल्ब इलैक्ट्रिक 100 वाट, 60 वाट, 40 वाट	मैसर्स गायत्री एंटरप्राइजिज
60.	साबुत कालीमिर्च, 100 ग्राम	मैसर्स हाइटेक फूड
61.	साल्ट कैच ब्रांड 200 ग्राम	-वही-
62.	जेम रेक्स स्ट्राबेरी	मैसर्स कॉर्न प्रोडक्ट
63.	जेम रेक्स पाइनएप्पल	-वही-
64.	जेम रेक्स मारमलेड	-वही-

विवरण-II

सीएसडी से आईएमएफएल का स्केल

शराब और इसके समतुल्य के प्राधिकार का मौजूदा पैमाना लीटरों में इस प्रकार है–

(क)	सक्रिय सूची में सेनाध्यक्ष/नौसेनाध्यक्ष/वायुसेनाअध्यक्ष और फील्ड मार्शल, बेड़े का एडमिरल/वायुसेना का मार्शल	कोई सीमा नहीं। भारत में किसी सेना केंटीन से आवश्यकतानुसार।
(ख)	सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष/नौसेनाध्यक्ष/वायुसेनाध्यक्ष	-वही-
(ग)	सक्रिय सूची में सेना कमांडर और अन्य दो सेनाओं में उनके संमतुल्य	-वही-

(घ) सेवानिवृत्त सूची में नौसेना और वायुसेना से सेना कमांडर या उनके समुतुल्य	भारत में किसी सेना केंटीन से यथापेक्षित किसी युग्म में प्रतिमाह 18 यूनिट/13.5 लीटर।
(ङ) सक्रिय सूची में लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल या नौसेना तथा वायुसेना से उनके समतुल्य	आश्रित केंटीन से किसी युग्म में प्रतिमाह 16 यूनिट/12 लीटर।
(च) सभी अन्य सेवानिवृत्त जनरल अफसर या अन्य दो सेनाओं से उनके समतुल्य	यूनिट केंटीन/स्टेशन केंटीन, जिस पर आश्रित/सम्बद्ध है, से वांछित किसी युग्म में प्रतिमाह 14 यूनिट/10.5 लीटर।
(छ) सक्रिय सूची में ब्रिगेडियर और नौसेना तथा वायुसेना में उनके समतुल्य	14 यूनिट/10.5 लीटर प्रतिमाह जिसमें से रम को 6 यूनिट/4.5 लीटर प्रतिमाह तक प्रतिबंधित किया जाएगा।
(ज) सक्रिय सूची में सभी अफसर/परिचर्या अफसर और जो भारत में अन्य किसी विभाग में प्रतिनियुक्त पर हैं	12 यूनिट/9 लीटर प्रतिमाह जिसमें से रम 6 यूनिट/4.5 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(झ) सभी अन्य सेवानिवृत्त सैन्य अफसर या भूतपूर्व सैन्य अफसर (भूतपूर्व एमएनएस अफसर केवल तभी प्राधिकृत हैं यदि वे भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति में हों) और ऑनरेरी कमीशन प्राप्त अफसर	10 यूनिट/7.5 लीटर प्रतिमाह जिसमें से रम 6 यूनिट/4.5 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(ञ) सक्रिय सूची में सेना के जेसीओ और अन्य दो सेनाओ में उनके समकक्ष	8 यूनिट/6 लीटर प्रतिमाह जिसमें से रम 4 यूनिट/3 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(ट) सेना के सेवानिवृत्त जेसीओ और अन्य दो सेनाओं के उनके समतुल्य तथा ऑनरेरी कमीशन प्राप्त नायब सूबेदार	5 यूनिट/3.75 लीटर प्रतिमाह जिसमें से रम 3 यूनिट/2.25 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(ठ) सक्रिय सूची में अन्य रैंक और अन्य दो सेनाओं में उनके समतुल्य	4 यूनिट/3 लीटर प्रतिमाह जिसमें से रम 2 यूनिट/1.5 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(ड) सेना के सभी भूतपूर्व अयोद्धी अफसर, अन्य रेंक और अयोद्धी नामांकित तथा अन्य दो सेनाओं में उनके समुतुल्य	2 यूनिट/1.5 लीटर रम प्रतिमाह और 1 यूनिट/0.75 लीटर ब्रांडी/जिन/ह्विस्की/बीयर आदि।
(ढ) फील्ड, प्रतिकूल/उच्च तुंगता क्षेत्रों में सेवारत सक्रिय सूची में अन्य रेंक तथा अन्य दो सेनाओं में उनके समुतुल्य	5 यूनिट/3.75 लीटर जिनमें से रम 3 यूनिट/2.25 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हवाई दुर्घटना में एयर कमांडर (सेवानिवृत्त) की मृत्यु

4255. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जून, 1998 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'एयर कॉम (रिटायर्ड) एच. एस. मंगत वाज किल्ड फ्लाइंग ए वेस्ट-लैंड चौपर' नाम शीर्ष स प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए डी. जी. सी. ए. द्वारा की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) 14-7-1988 को सांझीछत पर पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड का एक वेस्टलैंड हेलीकाप्टर दुर्घनाग्रस्त हो गया जिसके परिणामस्वरूप हेलीकॉप्टर के सभी सात सवारों को घातक चोटें आईं जिनमें एयर कमोडोर (सेवानिवृत्त) एच. एस. मंगत भी थे जो हेलीकॉप्टर के सह-विमानचालक थे।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा की गई जांच के अनुसार, हेलीपैड और उससे साथ की घाटी में छाए बादलों में उड़ान कर्मीदल द्वारा दाष्ट्रिक उड़ान नियमों के अधीन उड़ान जारी रखी गई और इस प्रकार उनका भूमि से दाष्ट्रिक संपर्क टूट गया जिसका परिणाम यह हुआ कि हेलीकॉप्टर पहाड़ी ढलान से टकराया। जिस कारण दुर्घटना हुई। सांझीछत पर अनुकूल मौसम की अनुपलब्धता दुर्घटना का एक अंशदायी कारक था। दुर्घटना के तुरन्त बाद, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ने सांझीछत के लिए प्रचालन बंद कर दिए थे।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कें

4256. श्री ए० एफ० गुलाम उस्मानी : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया; और

(ख) उस पर राज्यवार कितनी राशि व्यय की गई ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कें और उस पर खर्च की गई राज्यवार राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	निर्मित सड़कें (कि. मी.)			किया गया खर्च (लाख रुपए में)		
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1.	आंध्र प्रदेश	*	*	*	*	*	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.00	93.66	318.00	9.03	34.45	28.88
3.	असम	995.87	221.97	*	760.68	408.54	*
4.	बिहार	*	1,539.00	*	*	2,062.05	*
5.	गोवा	*	*	*	*	*	*
6.	गुजरात	683.00	889.00	*	1,039.11	627.11	*
7.	हरियाणा	*	*	*	*	*	*
8.	हिमाचल प्रदेश	*	670.00	*	*	436.31	*
9.	जम्मू और कश्मीर	*	*	*	*	*	*
10.	कर्नाटक	10,378.00	*	*	3,097.88	*	*
11.	केरल	464.19	802.34	722.31	703.68	2,068.66	1,588.48
12.	मध्य प्रदेश	1,593.00	2,945.00	*	89.36	1,377.95	*
13.	महाराष्ट्र	2,341.74	4,082.00	*	705.05	4,716.57	*
14.	मणिपुर	246.00	454.00	*	21.82	18.75	*
15.	मेघालय	47.00	*	*	22.80	*	*
16.	मिजोरम	201.00	11.69	47.50	5.08	27.73	38.76
17.	नागालैंड	73.00	13.81	*	36.50	7.17	*
18.	उड़ीसा	2,515.02	14,026.66	*	4,695.24	2,405.64	*
19.	पंजाब	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*
20.	राजस्थान	*	*	*	*	*	*
21.	सिक्किम	0.00	40.00	0.00	0.00	45.50	*
22.	तमिलनाडु	240.54	583.06	*	889.95	6,534.35	*
23.	त्रिपुरा	573.23	450.00	*	104.70	191.00	*
24.	उत्तर प्रदेश	6,961.00	5,307.00	*	6,815.18	7,998.80	*
25.	पश्चिम बंगाल	2,558.00	7,335.00	*	941.98	5,224.40	*
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	8.00	4.37	*	1.23	8.23	*
27.	दादरा और नागर हवेली	21.10	5.00	35.50	8.09	2.72	40.83
28.	दमण व दीव	1.40	0.00	*	2.80	0.00	*
29.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*
30.	पांडिचेरी	7.66	*	*	3.11	*	*
	कुल	29,934.35	38,473.56	1,123.31	20,023.04	34,195.93	1,894.93

0.00—शून्य

*—राज्य सरकार से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नई योजना शुरू करना

4257. श्री विजय गोयल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण आवास इकाइयों की मांग को पूरा करने के लिए कोई नई योजना शुरू करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की स्थिति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों/प्लाटों के लिए योजनावार कितने पंजीकृत आवेदक प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई नई योजना शुरू करने के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

(ग) आज की तारीख तक पंजीयन कराने वाले निम्नांकित व्यक्ति स्कीमवार फ्लैटों/प्लाटों के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं–

1. न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1979

एम आई जी	एल आई जी
9,662	17,558

2. अम्बेडकर आवास योजना, 1989

एम आई जी	एल आई जी
3,708	6,059

3. जनता हाउसिंग रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1996

जनता

15,338

4. रोहिणी आवासीय स्कीम (प्लाटेड स्कीम)

38,295

[अनुवाद]

जवाहर रोजगार योजना

4258. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन विभाग ने उत्तर प्रदेश की जवाहर रोजगार योजना का आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या अध्ययन से यह पता चला है कि उत्तर प्रदेश में कुल पंचायतों ने इस योजना के अंतर्गत प्राप्त निधियों का उपयोग नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग ने अप्रैल, 1989 से सितंबर, 1991 की अवधि को शामिल करके 1992 के दौरान जवाहर रोजगार योजना का एक तीव्र अध्ययन करवाया था। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने इस प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों, 20 जिलों (प्रत्येक राज्य से 2) तथा 40 ग्राम पंचायतों (प्रत्येक जिले से 2) का चयन किया था। उत्तर प्रदेश से गोंडा जिले से लताई, रामपुर तथा चंदापुर तथा फर्रुखाबाद जिले से थथिया तथा होतपुर नामक चार पंचायतों का चयन किया गया था। उपलब्ध नमूनों के आधार पर अध्ययन यह बताते है कि रोजगार के लिए उपलब्ध कुल जनसंख्या के 35.9% लोगों में से 1989-90 और 1990-91 के दौरान वास्तव में क्रमशः 14.78% तथा 14.26% लोगों ने रोजगार प्राप्त किया। ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सृजन में महिलाओं का प्रतिशत 15% से 18% था। यह भी देखा गया था कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सड़कें, पेयजल कुएं/तालाब तथा पंचायत घरों जैसी सृजित परिसंपत्तियों की गुणता अच्छी थी तथा 80% लाभार्थियों ने महसूस किया कि सृजित परिसंपत्तियां उपयोगी थी। पंचायतों द्वारा सृजित परिसंपत्तियों का रख-रखाव किया जाता था। यह भी पाया गया था कि पंचायत कार्यकर्ता प्रशिक्षित नहीं थे तथा ग्राम पंचायत लेखाओं की लेखा परीक्षा करने के लिए स्टाफ पर्याप्त नहीं था। परियोजनाओं की तकनीकी संवीक्षा के लिए विकास खंड स्तर पर तकनीकी स्टाफ को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, अध्ययन से पाया गया है कि 1989-90 और 1990-91 के दौरान चयनित सभी चार पंचायतों में निधियों का उपयोग किया गया था। तथापि, गोंडा जिले की चंदापुर पंचायत ने 1991-92 की प्रथम छमाही के दौरान निधियों के उपयोग की रिपोर्ट नहीं दी थी।

सरकार ने शुरू से लेकर अब तक जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। पहले 1993-94 और पुनः जनवरी, 1996 के दौरान कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी और उसे कारगर बनाया गया था। किसी भी पंचायत को आवंटित निधियों के 25% से अधिक को अगले वर्ष ले जाने की अनुमति नहीं है। यदि अगले वर्ष ले जाई गई निधियां 25% से अधिक हैं तो अगले वर्ष के दौरान दूसरी किस्त जारी करते समय बढ़ी हुई राशि के बराबर पंचायत के अंश की कटौती कर ली जाती है। इसके अलावा ग्राम स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा निगरानी करने के लिए निगरानी और सतर्कता समितियां बनाई जाती हैं।

तमिलनाडु के लिए आवासीय परियोजना

4259. श्री सी० कुप्पुसामी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा तमिलनाडु से प्राप्त और अनुमोदित आवासीय योजनाओं का पृथक् ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक को कितना ऋण दिया गया और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) 1998-99 (30-6-98 तक) की स्थिति के अनुसार हुडको द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में विभिन्न ऋण एजेंसियों को स्वीकृत की गई आवास योजनाओं के वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं–

ब्यौरे	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 (30-6-98 तक)
1	2	3	4	5
योजनाओं की संख्या	130	119	104	30
परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	219.77	273.42	256.83	53.13
ऋण की राशि (करोड़ रु. में)	156.55	190.58	176.03	39.46
स्वीकृत रिहायशी इकाइयां	41,268	44,412	72,531	6,700
स्वीकृत प्लॉट	643	1,630	—	2,159

स्वीकृत योजनाओं के परियोजनावार तथा वर्षवार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

हुडको विभिन्न राज्यों की आवास तथा शहरी विकास परियोजनाओं का केवल वित्तपोषण करता है तथा वास्तव में निर्माण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है। तथापि प्रत्येक योजना की परियोजना अवधि भिन्न-भिन्न तथा साधारण तथा तीन वर्ष तक होती है।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान तमिलनाडु के लिए स्वीकृत आवासीय योजनाओं की सूची

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	परियोजना लागत	ऋण राशि	मकान	भूखंड
1	2	3	4	5	6
1.	ईडब्ल्यूएस आवास सह-योजना हस्त बुनकर, वैल्लूर	42.58	18.02	117	0
2.	ईडब्ल्यू आवास योजना समोगरंगधा, जिला नटीरुनेलवयी	46.18	34.32	176	0
3.	ईडब्ल्यूएस-आवास-सह-योजना-हस्त बुनकर, मदुरै	33.49	14.17	92	0
4.	ईडब्ल्यूएस-आवास-सह-योजना-हस्त बुनकर, सरमुगई	47.68	20.17	131	0
5.	आवास एवं आश्रय उन्नयन के माध्यम से शहरी रोजगार योजना, तिरुनलवलि	23.60	19.95	210	0
6.	एलआईजी सहकारीनकद ऋण आवास योजना, चेंगलपट्टू	88.40	74.80	136	0
7.	एलआईजी सहकारीनकद ऋण आवास योजना, जिला तिनजावर	88.40	74.80	136	0
8.	एलआईजी सहकारीनकद ऋण आवास योजना, क्वायद ए मिलात	88.40	74.80	136	0
9.	एलआईजी सहकारीनकद ऋण आवास योजना, 2 जिलों में	88.40	74.80	136	0
10.	एलआईजी सहकारीनकद ऋण आवास योजना, जिला पुदुकोट्टई	88.40	74.80	136	0
11.	एलआईजी सहकारीनकद ऋण आवास योजना, जिला सेलम	88.40	74.80	136	0
12.	एलआईजी सहकारीनकद ऋण आवास योजना, जिला मदुरै	88.40	74.80	136	0
13.	एलआईजी सहकारीनकद ऋण आवास योजना, रामनाथपुरम	88.40	74.80	136	0
14.	एलआईजी सहकारीनकद ऋण आवास योजना, कामराजर	88.40	74.80	136	0
15.	एलआईजी सहकारीनकद ऋण आवास योजना, पसुमपेन तेव्र	88.40	74.80	136	0
16.	एलआईजी सहकारीनकद ऋण आवास योजना, 2 जिलों में	88.40	74.80	136	0
17.	एलआईजी सहकारीनकद ऋण आवास योजना, चिदाम्बरनर	88.40	74.80	136	0
18.	पश्चिम सीमेंट्री मार्ग पर एनएचबी, आरईएफ आवास योजना	115.35	106.56	64	0
19.	पनरुति में आवास एवं आश्रय उन्नयन के माध्यम से शहरी रोजगार योजना	33.96	30.56	324	0

1	2	3	4	5	6
20.	आवास एवं आश्रय उन्नयन के माध्यम से शहरी रोजगार योजना, पल्लवपरम	62.26	56.04	594	0
21.	आवास एवं आश्रय उन्नयन के माध्यम से शहरी रोजगार योजना, कुजीतुरी	12.77	9.77	300	0
22.	आवास एवं आश्रय उन्नयन के माध्यम से शहरी रोजगार योजना, नागापटनम	12.77	9.77	300	0
23.	सत्तुर में आवास एवं आश्रय उन्नयन के माध्यम से शहरी रोजगार योजना	10.98	8.98	200	0
24.	आवास एवं आश्रय उन्नयन के माध्यम से शहरी रोजगार योजना, कुमरापलयम	21.27	16.27	500	0
25.	जे जे नगर में एलआईजी आवास, तिरुवोट्टरियूव, फेस-II, चेन्नई	68.43	58.15	72	0
26.	जे जे नगर में एलआईजी आवास, तिरुवोट्टरियूव-3	68.02	14.18	72	0
27.	जे जे नगर में एलआईजी आवास, तिरुवोट्टरियूव-4	88.42	16.98	96	0
28.	जे जे नगर में एलआईजी आवास, तिरुवोट्टरियूव, फेस-I, चेन्नई	87.11	74.04	96	0
29.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना, आरकोट ग्रुप-II	44.00	30.80	400	0
30.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना, तिरुवोट्टरियूव	66.00	46.20	600	0
31.	त्रिचे में सीमांत किसानों सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना, वर्ग-9	66.00	46.20	600	0
32.	पुदुकोट्टई में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	66.00	46.20	600	0
33.	सेलम में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना, वर्ग I-IX	66.00	46.20	600	0
34.	एलआईजी सहकारी नकद ऋण आवास योजना, रामनाथपुरम	76.57	60.00	150	0
35.	वेल्लूर में आवास एवं आश्रय उन्नयन के माध्यम से शहरी रोजगार योजना	10.47	8.01	246	0
36.	आवास एवं आश्रय उन्नयन के माध्यम से शहरी रोजगार योजना, तिरुमंगलम	31.44	28.29	300	0
37.	आवास एवं आश्रय उन्नयन के माध्यम से शहरी रोजगार योजना, मदुरंतागम	31.44	28.30	300	0
38.	आवास एवं आश्रय उन्नयन के माध्यम से शहरी रोजगार योजना, कोविलपट्टी	21.28	16.28	500	0
39.	आवास एवं आश्रय उन्नयन के माध्यम से शहरी रोजगार योजना, पोल्लची	12.76	9.76	300	0
40.	आवास एवं आश्रय उन्नयन के माध्यम से शहरी रोजगार योजना, अरुप्पुकोटि	17.02	13.02	400	0
41.	मुसीरी में मिश्रित आवास योजना, चरण-I, तिरुचिरपल	107.29	77.58	63	0
42.	विल्लुपुरम में आवास एवं आश्रय उन्नयन के माध्यम से शहरी रोजगार योजना	31.50	28.35	300	0
43.	आवास एवं आश्रय उन्नयन के माध्यम से शहरी रोजगार योजना, संकरनकिल	8.51	6.51	200	0
44.	आवास एवं आश्रय उन्नयन के माध्यम से शहरी रोजगार योजना, तेनकास्ति	21.28	16.28	500	0
45.	सेलम जिला के अट्टूर में मिश्रित आवास-सह-पीडी योजना	208.20	144.30	81	235
46.	अम्बट्टूर, चैंगलपट्टू में एमआईजी आवास योजना	150.12	112.50	60	0
47.	बीड़ी कारीगरों के लिए ईडब्ल्यू सह-कार्य योजना	98.78	57.07	439	0
48.	तुदीयल्यूर में विकसित भूखंडों में एलआईजी आवास योजना	98.26	67.26	169	0
49.	अन्नई सत्या नगर, फेज-II में एलआईजी आवास (ए-1891)	47.98	33.00	48	0
50.	आवास एवं आश्रय उन्नयन के माध्यम से शहरी रोजगार योजना, नागेरकोइल	4.26	3.26	100	0
51.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	176.00	123.20	1,600	0
52.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	220.00	154.00	2,000	0

1	2	3	4	5	6
53.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना, मदुरै	275.00	192.50	2,500	0
54.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	214.50	150.15	1,950	0
55.	विकसित भूखंडों पर एनएचबी, पुनर्वित्त आवास योजना, होसूर, फेज-X, चरण-7	91.82	85.22	99	0
56.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना, वल्लालर	165.00	115.50	1,500	0
57.	जिला तिरुनेलवेलि में मिश्रित आवास योजना	279.08	183.07	155	0
58.	सेलम में मिश्रित आवास सह-प्लाटिड विकास	84.05	59.89	35	48
59.	मेलापट्टी में एमआईजी आवास योजना	83.61	63.00	36	0
60.	मेलापट्टी, पोनप्पा, फेज-II में एमआईजी आवास योजना	60.04	42.00	24	0
61.	पुदुकोट्टाई में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	231.00	161.70	2,100	0
62.	वर्ग-II में एलआईजी नकद ऋण आवास योजना, धर्मपुरी	201.50	170.50	310	0
63.	तिदीयलयूर में विकसित भूखंडों पर एमआईजी आवास योजना	264.85	199.58	163	0
64.	हस्त बुनकरों के लिए ईडब्ल्यूएस नकद ऋण आवास योजना	18.93	8.01	52	0
65.	हस्त बुनकरों के लिए एचआईजी आवास, फेज-I, नोलम्बूर	179.61	107.77	44	0
66.	तिदीयलयूर में विकसित भूखंडों पर एचआईजी आवास योजना	171.27	99.54	46	0
67.	नोलम्बूर, ग्रेड-II. फेज-I में एचआईजी आवास योजना	198.22	118.93	48	0
68.	अतिनकुलम में एनएचबी पुनर्वित्तपोषण आवास योजना	309.80	287.52	160	0
69.	चित्रा नागमदर्स में एलआईजी आवास योजना	169.91	116.88	170	0
70.	कविलल्लपट्टी में मिश्रित आवास योजना	100.84	70.79	60	0
71.	कोयम्बटूर में एमआईजी नकद ऋण आवास योजना	175.10	120.00	150	0
72.	तिरचुररापल्ली में एमआई नकद ऋण आवास योजना	175.10	120.00	150	0
73.	दक्षिणी क्षेत्र में एमआईजी नकद ऋण आवास योजना	175.10	120.00	150	0
74.	धर्मपुरी में एमआईजी नकद ऋण आवास योजना	175.10	120.00	150	0
75.	वेल्लानू के दक्षिणी छोर में एलआईजी नकद ऋण आवास योजना	201.50	170.50	310	0
76.	कोयम्बटूर में एलआईजी नकद ऋण आवास योजना	201.50	170.50	310	0
77.	कन्याकुमारी मे एलआईजी नकद ऋण आवास योजना	201.50	170.50	310	0
78.	पेरियार में एलआईजी नकद ऋण आवास योजना	201.50	170.50	310	0
79.	मदुरई डिंडीगुला में एचआईजी नकद ऋण आवास योजना	325.00	195.00	65	0
80.	पेरियार, सेलम में एचआईजी नकद ऋण आवास योजना	325.00	195.00	65	0
81.	चेंगपट्टु में एचआईजी नकद ऋण आवास योजना	335.00	200.00	100	0
82.	कोयम्बटूर में एचआईजी नकद ऋण आवास योजना	335.00	200.00	100	0
83.	सेलम एवं पेरियार मं एचआईजी नकद ऋण आवास योजना	335.00	200.00	100	0
84.	चेंगलपट्टू में एचआईजी नकद ऋण आवास योजना	325.00	195.00	65	0
85.	मद्रास में सरकार के लिए किराया आवास योजना	285.37	197.44	88	0

1	2	3	4	5	6
86.	मद्रास में सरकार के लिए किराया आवास योजना	289.48	199.75	96	0
87.	मद्रास में सरकार के लिए किराया आवास योजना	289.48	199.75	96	0
88.	नल्लानकुपम, मद्रास में एलआईजी आवास योजना	141.85	115.50	168	0
89.	सेलम में एलआईजी नकद ऋण आवास योजना	201.50	170.50	310	0
90.	पुदुक्कोट्टई में एलआईजी नकद ऋण आवास योजना	201.50	170.50	310	0
91.	मदुरै में एलआईजी नकद ऋण आवास योजना	210.50	170.50	310	0
92.	चेंगलपट्टू में एलआईजी नकद ऋण आवास योजना	201.50	170.50	310	0
93.	पदयाताचि में एलआईजी नकद ऋण आवास योजना	201.50	170.50	310	0
94.	तिंजावर में एलआईजी नकद ऋण आवास योजना	201.50	170.50	310	0
95.	मदुरै एवं डिंडीगुल में एचआईजी नकद ऋण आवास योजना	335.00	200.00	100	0
96.	कामराज एवं तिरुनेलवेलि में एमआई नकद ऋण आवास योजना	291.83	200.00	250	0
97.	मदुरै एवं डिंडीगुल में एमआईजी नकद ऋण आवास योजना	291.83	200.00	250	0
98.	मदुरै एवं डिंडीगुल में एमआईजी नकद ऋण आवास योजना	332.50	199.50	133	0
99.	सेलम एवं पेरियार में एमआईजी नकद ऋण आवास योजना	291.83	200.00	250	0
100.	पुदुको एवं पसुमपोनतेव की एमआईजी नकद ऋण आवास योजना	291.83	200.00	250	0
101.	तन्जेव एवं नगई कुयाद में एमआईजी नकद ऋण आवास योजना	291.83	200.00	250	0
102.	चिंदाम्बरनर एवं कन्याकुमार में एमआईजी नकद ऋण आवास योजना	291.83	200.00	250	0
103.	चेंगलपट्टू एवं विल्लूपुरम में एमआईजी नकद ऋण आवास योजना	291.83	200.00	250	0
104.	मोगप्पायर, मद्रास में एचआईजी आवास योजना	324.51	192.00	64	0
105.	मदुरावोयाल, मद्रास में एचआईजी आवास योजना	315.07	189.04	108	0
106.	अम्बेडकर एवं तिरुवन्नामलचा में एमआईजी नकद ऋण योजना	291.83	200.00	250	0
107.	अंदिपट्टी में एनएचबी पुनर्वित्त आवास योजना	541.95	502.97	588	0
108.	विकसित भूखंडों पर मिश्रित आवास योजना, नमक्कल, फेज-3	118.15	81.83	51	0
109.	सिंगावेलनगर, फेज-II में एलआईजी आवास योजना	207.84	144.38	210	0
110.	हस्त बुनकरों के लिए ईडब्ल्यूएस आवास सहवर्क शेड योजना	14.56	6.16	40	0
111.	अम्बातुर मद्रास में एमआईजी आवास योजना	215.31	136.50	78	0
112.	तिरुवनमलाई साम्बुवर में एलआईजी कैश लॉन आवास योजना	210.50	170.50	310	0
113.	डिंडिगुल अन्ना में एलआईजी कैश लॉन आवास योजना	201.50	170.50	310	0
114.	रामनाथपुरम में एलआईजी कैश लॉन आवास योजना	201.50	170.50	310	0
115.	कामराज नगर में एलआईजी कैश लॉन आवास योजना	201.50	170.50	310	0
116.	तिरुनेलवेलि में एलआईजी कैश लॉन आवास योजना	201.50	170.50	310	0
117.	चिदम्बर नगर में एलआईजी कैश लॉन आवास योजना	201.50	170.50	310	0
118.	तिरुचिलापल्ली में एलआईजी कैश लॉन आवास योजना	201.50	170.50	310	0

1	2	3	4	5	6
119.	कोयम्बटूर में एमआईजी कैश लॉन आवास योजना	332.50	199.50	133	0
120.	सलेम पेरियार में एमआईजी कैश लॉन आवास योजना	332.50	199.50	133	0
121.	दो जिलो में एमआईजी कैश लॉन आवास योजना	332.50	199.50	133	0
122.	रामनाथपुरम में एमआईजी कैश लॉन आवास योजना	175.10	120.00	150	0
123.	कोयम्बटूर में एचआईजी कैश लॉन आवास योजना	325.00	195.00	65	0
124.	एनए अम्बेडकर में एलआईजी कैश लॉन आवास योजना	201.50	170.50	310	0
125.	क्वैड-ए-मिल्थ में कैश लॉन आवास योजना	201.50	170.50	310	0
126.	सिमेट्री रोड मद्रास में एलआईजी आवास योजना	126.31	88.00	128	0
127.	किलपेपरुबक्कम में कम्पोजिट आवास योजना	295.54	199.78	100	360
128.	पसुम्पान थीव्र में एलआईजी आवास योजना	201.50	170.50	310	0
129.	तीन जिलों में अग्निशमक कर्मियों के लिए किराया आवास	196.74	118.05	100	0
130.	तीन जिलों में पुलिस कर्मियों के किराया आवास योजना	348.42	209.29	191	0
131.	6 जिलों में पुलिस कर्मियों के लिए किराया आवास योजना	440.27	246.37	215	0
	कुल	21,977.25	15,655.46	41,268	643

वर्ष 1996-97 के दौरान तमिलनाडु के लिए स्वीकृत आवासीय योजनाओं की सूची

(रु. लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	परियोजना लागत	ऋण राशि	मकान	भूखंड
1	2	3	4	5	6
1.	आर जी नगर फुटपाथवासियों के पुनर्वास हेतु एलआईजी आवास योजना	112.96	79.20	144	0
2.	जे जे नगर फुटपाथवासियों के पुनर्वास हेतु एलआईजी आवास योजना	86.30	59.40	108	0
3.	जे जे नगर फुटपाथवासियों के पुनर्वास हेतु एलआईजी आवास योजना	78.31	53.90	98	0
4.	गोण्डु नगर फुटपाथवासियों के पुनर्वास हेतु एलआईजी आवास योजना	44.68	32.45	59	0
5.	पनथोपी में गोण्डु नगर फुटपाथवासियों के पुनर्वास हेतु एलआईजी आवास योजना	58.30	33.00	60	0
6.	पनथोपी में गोण्डु नगर फुटपाथवासियों के पुंनर्वास हेतु एलआईजी आवास योजना	52.46	29.70	54	0
7.	पनथोपी में गोण्डु नगर फुटपाथवासियों के पुनर्वास हेतु एलआईजी आवास योजना	64.10	36.30	66	0
8.	किलपेरुवक्कम विलुपुरम में कम्पोजिट आवास योजना	210.00	132.23	80	0
9.	एसटी-II, फेज-I, कम्पोजिट-सह-भूखण्ड विकास योजना	140.34	96.25	30	191
10.	तिरुनेलवेलि में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	220.00	154.00	2,000	0
11.	तिरुचिरापल्ली के लिए ग्रामीण आवास योजना	330.00	231.00	3,000	0
12.	धर्मापुरी में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	297.00	207.90	2,700	0
13.	सलेम जिले में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	320.00	224.30	2,900	0
14.	4 जिलों में अग्निशमक कर्मियों के लिए किराया आवास योजना	216.87	130.12	101	0
15.	सीमांत किसानों के ग्रेड V के लिए ग्रामीण आवास योजना	220.00	154.00	2,000	0

1	2	3	4	5	6
16.	सीमांत किसानों के ग्रेड 13 के लिए ग्रामीण आवास योजना	232.50	164.85	2,050	0
17.	पुलिस कर्मियों के लिए किराया आवास योजना	427.45	256.47	251	0
18.	6 जिलों में पुलिस कर्मियों के लिए किराया आवास योजना	667.47	386.29	343	0
19.	थोपुर तिरुपरंकन्द्रम में कम्पोजिट आवास योजना	248.39	174.15	97	0
20.	पेरियार जिले में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास	187.00	130.90	1,700	0
21.	एन अम्बेडकर के लिए सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास	148.50	103.95	1,350	0
22.	तिरुवनमलाई में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास	165.00	115.50	1,500	0
23.	संकरापुरुटिकोरिन में कम्पोजिट भूखण्ड विकास योजना	81.23	67.67	0	339
24.	कलापोट्टी कोयम्बटूर में वि. मू. पर एमआईजी आवास योजना	90.39	67.79	98	0
25.	मदुरावोयाल मद्रास में एचआईजी आवास योजना	174.38	104.62	46	0
26.	मोगपेयर मद्रास में एचआईजी आवास योजना	2,796.53	1,677.92	549	0
27.	संकरी में कम्पोजिट आवास सह भूखण्ड विकास योजना	776.22	532.83	275	430
28.	कुम्बाकोनम तंजावुर जिले में कम्पोजिट आवास सह भूखण्ड विकास योजना	446.53	291.72	100	249
29.	कोटागुण्डमपोट्टी सलेमे में कम्पोजिट आवास योजना	547.00	382.78	200	384
30.	ईरोड म. फेज-I में विक. भूख. पर कम्पोजिट आवास योजना	604.30	426.26	325	0
31.	नवलार नगर रुकुपेट फेज-I. मद्रास में एलआईजी आवास	110.73	84.00	96	0
32.	नवलार नगर रुकुपेट फेज-III. मद्रास में एलआईजी आवास	110.73	84.00	96	0
33.	नवलार नगर रुकुपेट फेज-IV, मद्रास में एलआईजी आवास	110.73	84.00	96	0
34.	नवलार नगर रुकुपेट फेज-V, मद्रास में एलआईजी आवास	110.73	84.00	96	0
35.	एनवीएम नगर थिरुमंगलम मद्रास में एमआईजी आवास योजना	69.71	52.28	10	0
36.	नवलार नगर कोरुपेट्ट फेज-II. मद्रास के लिए एलआईजी आवास योजना	110.73	84.00	96	0
37.	पलायम कोटई फेज-VI. एसटी-II में एमआईजी आवास योजना	48.06	36.04	21	0
38.	सुथमल्लि जिला तिरुनेलवेलि स्टेज-I में एलआईजी आवास योजना	53.12	45.16	66	0
39.	पेड्डियम रोडवेज कार. एमप. कोआ. बिल्डिंग एमआईजी कैश लॉन आवास	208.00	145.60	104	0
40.	मप्पिलई उरानी फेज-II. स्टेट-I में एलआईजी आवास योजना	96.18	72.80	104	0
41.	सीमांत किसानों ग्रेड XXI. शृंखला XIII के लिए ग्रामीण आवास योजना	165.00	115.50	1,500	0
42.	सीमांत किसानों ग्रेड III. शृंखला XIII के लिए ग्रामीण आवास योजना	165.00	115.50	1,500	0
43.	सीमांत किसानों ग्रेड XX. शृंखला XIII के लिए ग्रामीण आवास योजना	159.60	111.65	1,450	0
44.	सीमांत किसानों ग्रेड IV. शृंखला XIII के लिए ग्रामीण आवास योजना	176.00	123.20	1,600	0
45.	सीमांत किसानों ग्रेड XV. शृंखला XIII के लिए ग्रामीण आवास योजना	197.50	139.75	1,750	0
46.	जे जे नगर नाग मंगलम स्टेज V त्रिचि में एलआईजी आवास	120.02	101.50	145	0
47.	जे जे नगर नाग मंगलम स्टेज V त्रिचि में एलआईजी आवास	81.11	68.60	98	0
48.	थिरुवोट्रियूर फेज-V. मद्रास में एमआईजी कैश लॉन आवास	113.26	84.94	30	0

1	2	3	4	5	6
49.	पेडियम रो. वे. कारपो. एम्प. को. वि. सो. में एमआईजी आवास योजना	208.00	145.60	104	0
50.	चेंगई अन्ना एवं एमआरजी, क. XIV, फेज-I, ग्रेड-II की एलआईजी आवास योजन	162.50	137.50	250	0
51.	एसए वल्लालट एवं वी आर पी क्र. XIV, फेज-I, एलआईजी आवास योजना	162.50	137.50	250	0
52.	ए टी पी एस तथा एन क्यू ई एम क्र. XIV, फेज-I, ग्रेड-II की एलआईजी आवास योजना	162.50	137.50	250	0
53.	क्र. XIV, फेज-I, ग्रेड-IV तंजावुर पीएम में एलआईजी आवास	162.50	137.50	250	0
54.	थीरन चिन्नामलाई सलेम फेज-I, ग्रेड-V में एलआईजी कैश लॉन आवास	162.50	137.50	250	0
55.	क्र. XIV, फेज-I, ग्रेड VI, पुड्डफकोट्टई पसुम्पान में एलआईजी कैश लॉन	162.50	137.50	250	0
56.	क्र. XIV, फेज-I, ग्रेड-VII, मदुरई एवं रामनाथपुरम में एलआईजी कैश लॉन आवास	162.50	137.50	250	0
57.	क्र. XIV, फेज-I, ग्रेड-VIII, मनार थिरुमलाई में एलआईजी कैश लॉन आवास	162.50	137.50	250	0
58.	क्र. XIV, फेज-I, ग्रेड-IX, कामराज नगर एलआईजी कैश लॉन आवास	162.50	137.50	250	0
59.	क्र. XIV, फेज-I, ग्रेड-X, कन्याकुमारी में एलआईजी कैश लॉन अगवास	162.50	137.50	250	0
60.	क्र. XIV, फेज-I, ग्रेड-XI, कोयम्बटूर एलआईजी कैश लॉन आवास	162.50	137.50	250	0
61.	क्र. IXV, फेज-I, ग्रेड-XII, अम्बेडकर में एलआईजी कैश लॉन आवास	162.50	137.50	250	0
62.	क्र. IXV, फेज-I, ग्रेड-XIII, धर्मपुरी सलेम में एलआईजी कैश लॉन आवास	162.50	137.50	250	0
63.	क्र. IXV, फेज-I, ग्रेड-XIV, राजाजी एवं पेरियार एलआईजी कैश लॉन आवास	162.50	137.50	250	0
64.	विशाखाक्षीमल में एमआईजी एवं वाणिज्यिक आवास	84.55	58.90	16	0
65.	कालापेट्टी कोयम्बटूर फेज-I, स्टेज-III में विकसित भूखण्डों पर कम्पोजिट आवास	90.67	63.71	44	0
66.	जे जे नगर नागामंगलम स्टेज-II, त्रिचि में एलआईजी आवास	96.83	81.90	117	0
67.	जे जे नगर नागामंगलम स्टेज-IV, त्रिचि में एलआईजी आवास	96.83	81.90	117	0
68.	ग्रड-III, फेज-II, तिरुनेलविल्लि में एमआईजी कैश लॉन कोआ. आवास	200.00	150.00	100	0
69.	हस्त बुनकरों हेतु ईडब्ल्यूएस कैश लॉन सह वर्क शेड	43.54	23.50	94	0
70.	हस्त बुनकरों हेतु ईडब्ल्यूएस कैश लॉन सह वर्क शेड	19.92	10.75	43	0
71.	हस्त बुनकरों हेतु ईडब्ल्यूएस कैश लॉन सह वर्क शेड	34.75	18.75	75	0
72.	हस्त बुनकरों हेतु ईडब्ल्यूएस कैश लॉन सह वर्क शेड	27.34	14.75	69	0
73.	हस्त बुनकरों हेतु ईडब्ल्यूएस कैश लॉन सह वर्क शेड	36.60	19.75	79	0
74.	हस्त बुनकरों हेतु ईडब्ल्यूएस कैश लॉन सह वर्क शेड	19.45	10.50	42	0
75.	थिलागंर नगर फेज-I चेन्नई में एलआईजी मकान	133.49	105.00	120	0
76.	हस्त बुनकरों हेतु ईडब्ल्यूएस कैश लॉन सह वर्क शेड	30.12	16.25	65	0
77.	हस्त बुनकरों हेतु ईडब्ल्यूएस कैश लॉन सह वर्क शेड	27.80	15.00	60	0
78.	हस्त बुनकरों हेतु ईडब्ल्यूएस कैश लॉन सह वर्क शेड	140.32	72.50	290	0
79.	हस्त बुनकरों हेतु ईडब्ल्यूएस कैश लॉन सह वर्क शेड	65.78	35.50	142	0

1	2	3	4	5	6
80.	पेरुमुथ धी चिन-II, ग्रेड-IV, फेज-II में एमआईजी कैश लॉन कोआपरेटिव आवास	243.00	180.00	90	0
81.	नार्थ आरकोट आम्बि तिरु फेज-I, ग्रेड-I में कैश लॉन कोअपारेटिव आवास	200.00	150.00	100	0
82.	मदुरई मन्नार थिर, रामा ग्रेड-II, फेज-I में कैश लॉन कोआपरेटिव आवास	200.00	150.00	100	0
83.	तंजावुर नगर क्यून्नई एम ग्रेड-IV, फेज-I में कैश लॉन कोआपरेटिव आवास	200.00	150.00	100	0
84.	चेंगई, अन्ना, चेंगई एमजीआर ग्रेड-V, फेज-I में कैश लॉन कोआपरेटिव आवास	200.00	150.00	100	0
85.	तंजावुर एवं पेरमपिडुगु ग्रेड-IV, फेज-II में एलआईजी कैश लॉन कोआपरेटिव आवास	202.13	171.50	245	0
86.	चेंगई, अन्ना, चेंगई एमजीआर ग्रेड-I, फेज-II, एलआईजी कैश लॉन कोआपरेटिव आवास	202.13	171.50	245	0
87.	ए टी पेनिरसेलवम एन क्यू ई मिलेथ में एलआईजी कैश लॉन कोआपरेटिव आवास	202.13	171.50	245	0
88.	मदुरई एवं रामनाथपुरम ग्रेड-VII में एलआईजी कैश लॉन कोआपरेटिव आवास	202.13	171.50	245	0
89.	साउथ आरकोट वलालार एवं विल्लुपुरम में एलआईजी कैश लॉन कोआपरेटिव आवास	202.13	171.50	245	0
90.	पुडुकोट्टई एवं पसुमपोन थीवर में एलआईजी कैश लॉन कोआपरेटिव आवास	202.13	171.50	245	0
91.	थीरन चेन्नामलाई एवं थिरुवल में एलआई कैश लॉन कीआपरेटिव आवास	202.13	171.50	245	0
92.	थीरन चेन्नामलाई एवं थिरनवेल्लि कट्टा वीओ चिड कनि एमआईजी कैश लॉन कोआपरेटिव आवास	243.00	180.00	90	0
93.	चेन्नई, अन्ना चेनगई मार्ग फेज-III में एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास	280.00	210.00	70	0
94.	मदुरई, मन्नार, तिरुमलई, रामन्ड में एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास योजना	243.00	180.00	90	0
95.	कोयम्बटूर, पेरियार, सेलम, राजाजी में एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास योजना	243.00	180.00	90	0
96.	क्लानिवासल, करईकुड्डी में भूमि अधिग्रहण योजना	45.14	36.11	0	0
97.	एसआर-XIV, फसी-II, जीआर-VIII में सीमांत किसानों के लिए ईडब्ल्यूएस (ग्रामीण) आवास योजना	220.00	154.00	2,000	0
98.	त्रिपुर, जिला पेरियार में चैलैन्दी अमन कौल एलआईजी आवास योजना	217.52	168.00	240	0
99.	पेरियाईकिनपल्लाम एवं वीरपाण्डी में नकद ऋण योजना	288.60	202.02	0	0
100.	पट्टीनामकथान, रामनाथपुरम में नकद ऋण योजना	450.00	360.00	0	0
101.	अवन्तीपुरम, मैदुरई, एसटी-I में एचआईजी आवासीय योजना	298.89	179.33	51	0
102.	अवन्तीपुरम, मैदुरई, एसटी-II में एचआईजी आवासीय योजना	347.87	208.71	63	0
103.	मिश्रित आवास सह-भूखण्डीय विकास योजना पैरा-II	275.90	177.63	58	37
104.	तिरुयानयूर, चेन्नई में एचआईजी आवासीय योजना	309.84	179.18	38	0
105.	धर्मापुरी में आग बुझाने वाले व्यक्तियों के लिए किराया आवास	67.02	40.21	36	0
106.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास फेज-III, ग्रेड-II	280.00	210.00	70	0

1	2	3	4	5	6
107.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास, फेज-III, ग्रेड-III	280.00	210.00	70	0
108.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास, फेज-III, ग्रेड-IV	280.00	210.00	70	0
109.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास, फेज-III, ग्रेड-V	280.00	210.00	70	0
110.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास, फेज-II, ग्रेड-I	243.00	180.00	90	0
111.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास, फेज-IV, ग्रेड-XI	251.55	171.20	214	0
112.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास. फेज-IV, ग्रेड-XII	251.55	171.20	214	0
113.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास, फेस-IV, ग्रेड-XIII	252.73	172.00	215	0
114.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास, फेस-IV. ग्रेड-XIV	252.73	172.00	215	0
115.	पेरुनदुरई में विकसित भूखंडों पर मिश्रित आवास योजना	206.01	144.45	100	0
116.	कमारजार में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	148.50	103.95	1,350	0
117.	जे जे नगर, स्टेज-I, मोगप्पयर, चेन्नई में एचआईजी आवासीय योजना	840.71	504.40	152	0
118.	जे जे नगर, स्टेज IV, मोगप्पयर, चेन्नई में एचआईजी आवासीय योजना	966.97	580.18	160	0
119.	जे जे नगर, स्टेज-III. मोगप्पयर, चेन्नई में एचआईजी आवासीय योजना	939.60	563.71	174	0
	कुल	27,342.74	19,058.01	44,412	6,630

वर्ष 1997-98 के दौरान तमिलनाडु के लिए स्वीकृत आवासीय योजनाओं की सूची

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	परियोजना लागत	ऋण राशि	मकान	भूखंड
1	2	3	4	5	6
1.	सेन्नोपेरट्टी करुर में विकसित भूखंडों पर मिश्रित आवास योजना	109.05	75.44	75	0
2.	हथकरघा बुनकरों के लिए ईडब्ल्यूएस सह कार्यस्थल नकद ऋण आवास योजना	22.95	11.73	51	0
3.	थिलागर नगर, फेस-II. चेन्नई में एलआईजी मकान	186.82	147.00	168	0
4.	चैनगलपट्टू नगर में सीमांत किसानों के लिए ईडब्ल्यूएस (ग्रामीण) आवास	242.00	169.40	2,200	0
5.	नागाई क्वैड-ई-एमआई में सीमांत किसानों के लिए ईडब्ल्यूएस (ग्रामीण) आवास योजना	220.00	154.00	2,000	0
6.	सेलम, सेक्टर XIV में सीमान्त किसानों के लिए ईडब्ल्यूएस (ग्रामीण) आवास योजना	246.00	173.40	2,200	0
7.	कोयम्बटूर एवं नीलगिरी में सीमांत किसानों के लिए ईडब्ल्यूएस (ग्रामीण) आवास योजना	270.50	192.95	2,350	0
8.	ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	143.00	100.10	1,300	0
9.	ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	198.00	138.60	1,800	0
10.	ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	110.00	77.00	1,000	0
11.	ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	110.00	77.00	1,000	0
12.	पुदुकोट्टई में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	137.50	96.25	1,250	0

1	2	3	4	5	6
13.	धर्मापुरी में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	209.00	146.30	1,900	0
14.	चिदाम्बरानगर में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	115.50	80.85	1,050	0
15.	एलआईजी आवास, तन्कासी, फेज-II, स्टेज-II, तिरुनेलवली, कोट्टाबोमन	79.98	56.00	80	0
16.	शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एलआईजी नकद ऋण आवास योजना	141.50	120.00	200	0
17.	शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एलआईजी नकद ऋण आवास योजना	141.50	120.00	200	0
18.	शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एलआईजी नकद ऋण आवास योजना	141.50	120.00	200	0
19.	शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एलआईजी नकद ऋण आवास योजना	141.50	120.00	200	0
20.	शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एलआईजी नकद ऋण आवास योजना	141,50	120.00	200	0
21.	होसर जिला, धर्मापुरी में विकसित भूखंडों पर एलआईजी आवास योजना	169.35	127.02	65	0
22.	नन्नर तिरुमलई एवं वीरन्न अलगमुथ्यू में एलआईजी आवासीय योजना	202.13	171.50	245	0
23.	दो जिले फेस-II, ग्रेड-IV में एलआईजी नकद ऋण सहकारी आवास योजना	202.13	171.50	245	0
24.	दो जिले ग्रेड-X, फेज-II में एलआईजी नकद ऋण आवास योजना	202.13	171.50	245	0
25.	कोयम्बटूर एवं नीलगिरी, फेज-II, ग्रेड-XI में एलआईजी नकद ऋण सहकारी आवास योजना	202.13	171.50	245	0
26.	एन. ए. अम्बेडकर एवं तिरुवनामलाल सम्बूवयर में एलआईजी नकद ऋण आवास योजना	202.13	171.50	245	0
27.	एलआईजी नकद ऋण सहकारी आवास योजना, धर्मापुरी एवं सेलम, फेस-II, ग्रेड-XIII	202.13	171.50	245	0
28.	राजाजी एवं पेरियार, फेस-II, ग्रेड-XIV में एलआईजी नकद ऋण आवास योजना	202.13	171.50	245	0
29.	होसर में विकसित भूखंडों पर मिश्रित आवास योजना	456.77	283.14	100	0
30.	साउथ माउंट रोड, तिरुनल्लवली में एलआईजी आवास योजना	263.41	190.00	272	0
31.	पुलिस कर्मियों के लिए स्टाफ किराया आवास योजना	253.02	151.81	102	0
32.	ईडब्ल्यूएस (शहरी) सहकारी नकद ऋण आवास योजना	168.00	150.00	600	0
33.	ईडब्ल्यूएस (शहरी) सहकारी नकद ऋण आवास योजना	168.00	150.00	600	0
34.	ईडब्ल्यूएस (शहरी) सहकारी नकद ऋण आवास योजना	168.00	150.00	600	0
35.	ईडब्ल्यूएस (शहरी) सहकारी नकद ऋण आवास योजना	140.00	125.00	500	0
36.	ईडब्ल्यूएस (शहरी) सहकारी नकद ऋण आवास योजना	140.00	125.00	500	0
37.	ईडब्ल्यूएस (शहरी) सहकारी नकद ऋण आवासीय योजना, ग्रेड-XIII, फेज-I	168.00	150.00	600	0
38.	मल्पही पोन्नप्पा, फेस-II में एमआईजी आवासीय योजना	150.93	113.20	60	0
39.	ए वी पैथी नगर, तनजावुर में एलआईजी आवास योजना	177.37	126.00	180	0
40.	ए वी पैथी नगर, फेज-I, तनजावुर में एलआईजी आवास योजना	189.19	134.40	192	0
41.	कोयम्बटूर में विकसित भूखंडों पर मिश्रित आवास योजना	695.13	487.34	285	0
42.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास योजना, फेज-IV, ग्रेड-II	251.55	171.20	214	0
43.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास योजना, फेज-IV, ग्रेड-III	251.55	171.20	214	0

1	2	3	4	5	6
44.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास योजना, फेज-IV, ग्रेड-IV	251.55	171.20	214	0
45.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास योजना, फेज-IV, ग्रेड-V	251.55	171.20	214	0
46.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास योजना, फेज-IV, ग्रेड-VI	251.55	171.20	214	0
47.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास योजना, फेज-IV, ग्रेड-VII	252.73	172.20	214	0
48.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास योजना, फेज-IV, ग्रेड-VIII	251.55	171.20	214	0
49.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास योजना, फेज-IV, ग्रेड-IX	251.55	171.20	214	0
50.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास योजना, फेज-IV, ग्रेड-X	252.73	172.00	215	0
51.	एमआईजी नकद ऋण सहकारी आवास योजना, फेज-IV, ग्रेड-I	251.55	171.20	214	0
52.	सेलम एंड मनक्कल-राजाजी ग्रेड XI में ईडब्ल्यूएस (शहरी) सहकारी नकद ऋण आवास योजना	252.00	225.00	900	0
53.	सत्यमूर्ति नगर, फेज-IV, स्टेज-II में एलआईजी आवास योजना	117.97	84.00	96	0
54.	सत्यमूर्ति नगर, फेज-IV, स्टेज-I में एलआईजी आवास योजना	137.64	98.00	112	0
55.	डॉ. जे जे नगर (मोगाप्पयर) स्टेज-II में एचआईजी आवास योजना	396.48	237.84	171	0
56.	नीलगिरि जिले में पुलिस कार्मिकों के लिए किराया आवास योजना	324.96	194.98	95	0
57.	अम्बेटूर, मद्रास में फ्लैटों का निर्माण	106.51	42.00	27	0
58.	एन आरकॉट अम्बेडकर में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	203.50	142.45	1,850	0
59.	पेरियार, सेक्टर-XIV में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	170.50	119.35	1,550	0
60.	त्रिची, पेरुमबीदूघम में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास	44.00	30.80	400	0
61.	पेसूम्पन दिवर में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास योजना	143.00	100.10	1,300	0
62.	तिरुनेलवली में सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण आवास	165.00	115.50	1,500	0
63.	उप्पिलीपालयम, शोरीपल्लयम में मिश्रित आवास योजना	665.09	463.36	209	0
64.	नवलपटू फेस-IIए, स्टेज-II में विकसित भूखंडों पर एमआईजी आवास	502.29	376.72	200	0
65.	त्रिची में पुलिस कार्मिकों के लिए किराया क्वार्टर्स का निर्माण	714.82	418.52	302	0
66.	मारतन्डम में पॉमिर कार्यकर्त्ताओं के लिए ईडब्ल्यूएस आवास योजना	35.82	30.00	150	0
67.	फेज-II, स्टेज-I, मुथामपलयम में विकसित भूखंडों पर मिश्रित आवास योजना	357.67	250.93	155	0
68.	सिंगरिवेलन नगर, फेस-IV, चेन्नई में एलआईजी आवास योजना	248.29	175.87	201	0
69.	सेलथाम्पा टीटीआई, फेस-I, सेलम में एलआईजी आवास योजना	237.92	167.00	240	0
70.	सिंगारवेलन नगर, फेज-V, चेन्नई में एलआईजी आवास योजना	212.43	148.75	170	0
71.	थामस रोड, स्लम बसाव के पुनर्वास के लिए एलआईजी आवास	119.78	84.00	96	0
72.	पुलिस कार्मिकों के लिए किराया क्वार्टर्स का निर्माण	322.34	192.09	118	0
73.	त्रिची एवं पुदुकोटई जिले में पुलिस कार्मिकों के लिए किराया आवास	509.27	305.56	149	0
74.	सेलथाम्बा टीटीआई, फेस-II, सेलम में एलआईजी आवास योजना	594.74	420.00	600	0
75.	विभिन्न नगरों में पुलिस कार्मिकों के लिए स्टाफ किराया आवास	617.08	364.90	233	0

1	2	3	4	5	6
76.	शिनाय नगर, चेन्नई में एमआईजी-II आवास योजना	129.58	97.18	30	0
77.	कामराजार जिला में सीमांत किसानों के लिए ईडब्ल्यूएस (ग्रामीण) आवास योजना	148.50	103.95	1,350	0
78.	कन्याकुमारी जिले में सीमांत किसानों के लिए ईडब्ल्यूएस (ग्रामीण) आवास योजना	44.00	30.80	400	0
79.	चित्रा नगर, फेस-III, चेन्नई में एलआईजी आवास योजना	199.45	140.00	160	0
80.	राजीव गांधी नगर, फेज-II में एलआईजी मकानों का निर्माण	75.50	63.00	72	0
81.	कष्णापेट, चेन्नई में स्कवेंजर के लिए ईडब्ल्यूएस आवासीय योजना	38.37	25.00	100	0
82.	तनजाबूर क्रम XIV, फेस-II में सीमांत किसानों के लिए ईडब्ल्यूएस (ग्रामीण) आवास योजना	203.50	142.45	1,850	0
83.	रामनाथपुरम, क्रम-XIV, फेस-II में सीमांत किसानों के लिए ईडब्ल्यूएस (ग्रामीण) आवास योजना	165.00	115.50	1,500	0
84.	मदुरई, क्रम-XIV, फेस-II में सीमांत किसानों के लिए ईडब्ल्यूएस (ग्रामीण) आवास योजना	209.00	146.30	1,900	0
85.	डिनडिगुल अन्ना, क्रम-XIV, फेज-II में सीमांत किसानों के लिए ईडब्ल्यूएस (ग्रामीण) आवास योजना	150.50	105.95	1,350	0
86.	पुलिस कार्मिकों के लिए किराया क्वाटर्स का निर्माण	598.82	335.41	168	0
87.	पुलिस कार्मिकों के लिए किराया क्वाटर्स का निर्माण	539.12	323.47	216	0
88.	पुलिस कार्मिकों के लिए किराया क्वाटर्स का निर्माण	1022.88	613.73	392	0
89.	पुलिस कार्मिकों के लिए किराया क्वाटर्स का निर्माण	579.58	347.75	224	0
90.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण ईडब्ल्यूएस-I, आवास योजना क्रम-XV, ग्रेड-I	140.00	100.00	1,000	0
91.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण ईडब्ल्यूएस-I, आवास योजना क्रम-XV, ग्रेड-II	280.00	200.00	2,000	0
92.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण ईडब्ल्यूएस-I, आवास योजना क्रम-XV, ग्रेड-III	364.00	260.00	2,600	0
93.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण ईडब्ल्यूएस-I, आवास योजना क्रम-XV, ग्रेड-IV	336.00	240.00	2,400	0
94.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण ईडब्ल्यूएस-II, क्रम-XV, ग्रेड-I	183.95	130.00	1,300	0
95.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण ईडब्ल्यूएस-II, क्रम-XV, ग्रेड-II	183.95	130.00	1,300	0
96.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण ईडब्ल्यूएस-II, क्रम-XV, ग्रेड-III	240.55	170.00	1,700	0
97.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण ईडब्ल्यूएस-II, क्रम-XV, ग्रेड-V	212.25	150.00	1,500	0
98.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण ईडब्ल्यूएस-II, क्रम-XV, ग्रेड-VII	169.80	120.00	1,200	0
99.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण ईडब्ल्यूएस-II, क्रम-XV, ग्रेड-IX	226.40	160.00	1,600	0
100.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण ईडब्ल्यूएस-II, क्रम-XV, ग्रेड-VIII	198.10	140.00	1,400	0
101.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण ईडब्ल्यूएस-II, क्रम-XV, ग्रेड-X	283.00	200.00	2,000	0
102.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण ईडब्ल्यूएस-II, क्रम-XV, ग्रेड-IV	311.30	220.00	2,200	0
103.	सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण ईडब्ल्यूएस-II, क्रम-XV, ग्रेड-VI	254.70	180.00	1,800	0
104.	फर्नलैंड रिहायशी परियोजना का निर्माण	649.24	150.00	66	0
	कुल	25,688.88	17,602.64	72,539	0

30-6-98 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1998-99 के दौरान तमिलनाडु के लिए स्वीकृत आवासीय योजनाओं की सूची

(रु. लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	परियोजना लागत	ऋण राशि	मकान	भूखंड
1	2	3	4	5	6
1.	हथकरघा बुनकरों के लिए ईडब्ल्यूएस नकद ऋण आवास-सह-कार्यस्थल योजना	41.37	22.00	88	0
2.	हथकरघा बुनकरों के लिए ईडब्ल्यूएस नकद ऋण आवास-सह-कार्यस्थल योजना	44.67	23.75	95	0
3.	हथकरघा बुनकरों के लिए ईडब्ल्यूएस नकद ऋण आवास-सह-कार्यस्थल योजना	27.74	14.75	59	0
4.	हथकरघा बुनकरों के लिए ईडब्ल्यूएस नकद ऋण आवास-सह-कार्यस्थल योजना	31.97	17.00	68	0
5.	हथकरघा बुनकरों के लिए ईडब्ल्यूएस नकद ऋण आवास-सह-कार्यस्थल योजना	78.73	41.75	167	0
6.	हथकरघा बुनकरों के लिए ईडब्ल्यूएस नकद ऋण आवास-सह-कार्यस्थल योजना	48.44	25.75	103	0
7.	हथकरघा बुनकरों के लिए ईडब्ल्यूएस नकद ऋण आवास-सह-कार्यस्थल योजना	42.32	22.50	90	0
8.	हथकरघा बुनकरों के लिए ईडब्ल्यूएस नकद ऋण आवास-सह-कार्यस्थल योजना	12.23	6.50	26	0
9.	हथकरघा बुनकरों के लिए ईडब्ल्यूएस नकद ऋण आवास-सह-कार्यस्थल योजना	32.91	17.50	70	0
10.	हथकरघा बुनकरों के लिए ईडब्ल्यूएस नकद ऋण आवास-सह-कार्यस्थल योजना	16.47	8.75	35	0
11.	हथकरघा बुनकरों के लिए ईडब्ल्यूएस नकद ऋण आवास-सह-कार्यस्थल योजना	78.99	42.00	168	0
12.	मदुरई एवं थीनई ग्रेड-IV में एमआईजी-I, नकद ऋण आवास योजना	400.02	300.00	250	0
13.	ईरोड एवं कोयम्बटूर जिले में एमआईजी-I, नकद ऋण योजना	400.02	300.00	250	0
14.	सेलम एवं नमाक्कल, ग्रेड-II, जिले में एमआईजी-I, नकद ऋण योजना	400.02	300.00	250	0
15.	धर्मापुरी एवं तिरुवनमलाई जिले में एमआईजी-I, नकद ऋण योजना	400.02	300.00	250	0
16.	भूमि बैंक स्थल पर ईडब्ल्यूएस स्थल एवं सेवाएं योजना	30.86	30.86	0	548
17.	आश्रयहीन श्रेणी के लिए ईडब्ल्यूएस भूखंडीय विकास योजना	31.75	31.75	0	480
18.	भूमि बैंक स्थल पर ईडब्ल्यूएस स्थल एवं सेवाएं योजना	23.22	23.22	0	379
19.	भूमि बैंक स्थल पर ईडब्ल्यूएस स्थल एवं सेवाएं योजना	29.56	29.32	0	425
20.	तिरुवनामलाई सांभूवराय्यर में ईडब्ल्यूएस (शहरी) सहकारी आवास योजना	168.00	150.00	600	0
21.	रमणा रिमलेटर प्राई. लि. के लिए अल्प अवधि क्रेडिट	300.00	300.00	0	0
22.	बेसंत नगर में रिहायशी फ्लैट्स का निर्माण	481.14	240.00	31	0
23.	करुरथिरन चिन्नामलाई में ईडब्ल्यूएस सहकारी नकद ऋण आवास	196.00	175.00	700	0
24.	भूमि बैंक स्थल में ईडब्ल्यूएस भूखंडीय विकास योजना	24.64	23.50	0	327
25.	ईडब्ल्यूएस (शहरी) सहकारी नकद ऋण आवास ग्रेड-I	224.00	200.00	800	0
26.	एमआईजी। नकद ऋण आवास योजना, ग्रेड-VI	400.02	300.00	250	0
27.	एमआईजी। नकद ऋण आवास योजना, ग्रेड-VII	400.02	300.00	250	0
28.	एमआईजी। नकद ऋण आवास योजना, ग्रेड-VIII	400.02	300.00	250	0
29.	ईडब्ल्यूएस (शहरी) सहकारी नकद ऋण आवास योजना ग्रेड-IV	224.00	200.00	800	0
30.	ईडब्ल्यूएस (शहरी) सहकारी नकद ऋण आवास योजना ग्रेड-VIII	224.00	200.00	800	0
31.	एमआईजी। नकद ऋण आवास योजना ग्रेड-V	400.02	300.00	250	0
	कुल	5,312.97	3,945.90	6,700	2,159

दिल्ली और मुम्बई से कांडला को हवाई सेवा से जोड़ना

4260. श्री पी० एस० गढ़वी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से कांडला वाया अहमदाबाद और मुम्बई से कांडला के लिए हवाई सेवा संबंधी कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। कांडला विमानपत्तन पर विमान सेवा प्रदान करने के बारे में विभिन्न पक्षों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) कांडला विमानपत्तन पर केवल कम क्षमता वाले (छोटे विमान) विमानों से ही प्रचालन किए जा सकते हैं। इस प्रकार के विमानों की कमी के कारण, इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एयर इन स्थानों के लिए अपनी सेवाएं प्रचालित नहीं कर सकती। जिन निजी प्रचालकों के पास छोटे विमान हैं उन्हें अपने नेटवर्क में व्यवहार्यता के आधार पर कांडला जैसे नये स्टेशनों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इस्पात क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश

4261. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस्पात क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए पेशकश की है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उस समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(घ) इन समझौतों के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) 4 जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत 'लोहा और इस्पात' को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। इस समय इस्पात क्षेत्र में 74 प्रतिशत साम्या के बराबर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वतंत्र रूप से स्वतः स्वीकृति के आधार पर करने की अनुमति दे दी गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जुलाई, 1991 से इस्पात क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जुलाई 1991 से इस्पात क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगी (निवेशकर्ता) का नाम	विनिर्माण की मद और क्षमता
1	2	3	4
इस्पात			
1.	मैसर्स मोनिका मेटल्स लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा	मैसर्स विनीतो आल यूनियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टिट्यूट, रूस	विद्युत स्लेम गलन और परिमार्जन प्रक्रिया की उच्च शुद्धता वाला विशेष एलोय इस्पात, क्षमता 600 टन वार्षिक।
2.	मैसर्स पीयूष स्टील्स लिमिटेड, बड़ोदरा, गुजरात	मैसर्स मुकेश के. पटेल एंड मि. हरिकिशन एम. पटेल (अनिवासी भारतीय) लंदन, यू. के.	कम कार्बनयुक्त इस्पात तारें जो प्लेटिड अथवा कोटिड न हों। क्षमता 50,000 टी. पी. ए.।
3.	मैसर्स ऊषा मार्टिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रांची, बिहार।	मैसर्स मारटेक लिमिटेड, पहले मार्टिन ब्लेक एंड कम्पनी लिमिटेड, यू. के.	लॉक्ड कॉयल रोप्स सहित सभी प्रकार के स्टील वायर, वायर रोप्स, वायर स्टेंड्स।
4.	मैसर्स निप्पन डेनरो इस्पात लि., दोल्वी, रैयगाद, महाराष्ट्र	मैसर्स इस्पात मैक्सिकाना मैक्सिको	एच. आर. कॉइल्स क्षमता 20 लाख टी. पी. ए.।
5.	मैसर्स ओरींड स्टील्स लिमिटेड, कियोंझर, उड़ीसा, (फेस-4, दैतारी)	मैसर्स गोल्ड स्टार इन्वेस्टमेंट तिमिटेड, दुबई, यू. एस. एक्स. इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स इंक. यू. एस. ए.	तप्त एवं शीत कॉयल्स/चादरें इत्यादि क्षमता-7,00,000 टी. पी. ए. (सी. आर. सी., चरण-I) 10,00,000 टी. पी. ए. (एच. आर. सी./सी. आर. ओ., चरण-II)।
6.	मैसर्स कलिंग स्टील्स इंडिया लिमिटेड, दैतारी के नजदीक, जिला कटक, उड़ीसा	डॉ. स्वराजपाल, कफरो ग्रुप लिमिटेड, लंदन	एच. आर. कॉयल्स एवं कच्चा लोहा क्षमता-1.5 मिलियन टन वार्षिक एच. आर. सी. एंड 8.42 मिलियन टन वार्षिक कच्चा लोहा (संशोधित : 1.25 मिलियन टन वार्षिक एच. आर. सी.)।
7.	मैसर्स मिड-ईस्ट इंटीग्रेटिड स्टील्स लिमिटेड, कलिंग नगर इंडस्ट्रीज कॉम्पलैक्स, उड़ीसा	मैसर्स चीन मैटलर्जिकल इम्पोर्ट एवं एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, चीन और अन्य	चरण-I : कच्चा लोहा, क्षमता 0.464 मिलियन टन वार्षिक (100% ई. ओ. यू.)। चरण-II : कच्चा लोहा, क्षमता-2 लाख टन वार्षिक स्टील बार्स एंड स्ट्रक्चरल्स-10 लाख टन वार्षिक (100% ई. ओ. यू.)।

1	2	3	4
8.	मैसर्स मेस्को-कलिंग स्टील लिमिटेड, कलिंग नगर इंडस्ट्रीज कॉम्पलैक्स, जिला जाजपुर, उड़ीसा	मैसर्स दैनिली एंड कंपनी इटली, यूनाइटेड इंजी. इंक., यू. एस. ए., सैमसन कॉरपोरेशन, कोरिया, मित्सुई एंड कंपनी, जापान	एच. आर. कॉयल्स (चपटे उत्पाद), 2.25 मिलियन टन वार्षिक, कच्चा लोहा, 235 लिमियन टन वार्षिक (100% ई. ओ. यू.)।
9.	मैसर्स किनोरा स्टील लिमिटेड, गांव कुदियाना, तालुका-ओल्पाड, जिला सूरत, राज्य गुजरात	नहीं दर्शाया गया	इलैक्ट्रोड क्वॉलिटी वायर रोड्स 75000 टन वार्षिक।
10.	मैसर्स नागार्जुन कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कनारा, मंगलौर, कर्नाटक	एन. आर. आई.	एच. आर. कॉयल्स-2.2 मिलियन टन वार्षिक (100% ई. ओ. यू.)।
11.	मैसर्स बी. एच. पी. (इंडिया) स्थान नहीं दर्शाया गया है	बी. एच. पी., आस्ट्रेलिया	रोल बनाना-15,000 ध्अ वार्षिक (3 इकाइयां) जिंकलूमे-1,50,000 टी. पी. ए., सी. आर. कॉयल्स-3,00,00 टन वार्षिक।
12.	मैसर्स ऊषा आयरन एंड फैरो मेटल्स कॉरपोरेशन लि. ब्रहनावाड, कर्नाटक	मैसर्स फैरोस्टॉल, जर्मनी, आई. एफ. सी./ए. डी. बी.	इस्पात के लंबे उत्पाद, क्षमता : 1.5 मिलियन टन वार्षिक, कच्चा लोहा, क्षमताा-0.75 मिलियन टन वार्षिक।
13.	मैसर्स सुपर एंड स्टेनलैस हाई-एलॉयज लिमिटेड, तलोजा, महाराष्ट्र	मैसर्स गोल्डन हाई-टैक लिमिटेड, यू. के.	विशेषज्ञता-बेदाग इस्पात, निकिल सुपर एलोयज, एच. एस. एस. क्षमता-10,000 टन वार्षिक।
14.	मैसर्स श्री विष्णुप्रिया इंड. लिमिटेड, परुयम, कर्नूल, आंध्र प्रदेश	मैसर्स एस. एम. पी. सी. स्टील सर्विस सेंटर, मलेशिया मैसर्स मिनो-एस. पी. ए. इटली	सी. आर. कॉयल्स-1.5 लाख टन वार्षिक।
15.	मैसर्स एस. जे. के. स्टील कॉरपोरेशन, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	मैसर्स एशियन फाइनेंस इन्वेस्मेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सिंगापुर	मेटल स्टील बुलेटिन 2.63 लाख टन वार्षिक।
16.	मैसर्स जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड, 28, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली	मैसर्स यूसीनर सेसिलर (यूजाइल डिविजल) ट्रांस.	इंटीग्रेटिड फ्लैट स्टेनलैस स्टील प्लांट क्षमता : 4,00,000 टन वार्षिक।
17.	मैसर्स बेल्लारी स्टील्स एलोयज लिमिटेड, अमरपुर बेल्लारी, कर्नाटक	(i) मैसर्स सोगेंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंजी. कॉर. लि., चीन (ii) वी.आई.एस.ए. लिमिटेड, लंदन	तार, छडें, बार्स, इस्पात बेल्लित उत्पाद, क्षमता 5.0 लाख टन वार्षिक।
18.	मैसर्स रामन इस्पात लिमिटेड, कलकत्ता (100% ई. ओ. यू.)	मैसर्स एसेंसियल फाइनेंस मैनेजमेंट लिमिटेड, यू. एस. ए.	शीत बेल्लित कायल्स, क्षमता : 50,000 टन वार्षिक।
19.	मैसर्स यूजाइन फर्नेस, फ्रांस	यूजाइन फर्नेस, फ्रांस	चपटे उत्पाद।
20.	मैसर्स मोर्गन कंस्ट्रक्शन कंपनी, यू. एस. ए.	मोर्गन कंस्ट्रक्शन कंपनी, यू. एस. ए.	स्वामित्व प्रौद्योगिकी के अंतरण को सुसाध्य बनाना तथा उनसे बेक-अप गारंटी मुहैया कराना।
21.	मैसर्स गुस्तव वोल्फ कोआर्डिनेशन एंड वायर प्रा. लि.	गुस्तव वोल्फ सेल यू. एन. डी. दरहतवर्के गंभ एंड कंपनी, जर्मनी	टायर बीड वायर, होस वायर, स्टील कोर्डस का विनिर्माण एवं बिक्री।
22.	मैसर्स हुगोवन्स टेक्नीकल सर्विसिज एशिया, बी. वी., दि नीदरलैंड	हुगोवास टेक्नीकल सर्विसेज एशिया, बी. वी., दि नीदरलैंड	इस्पात एवं एल्यूमीनियम संयंत्रों की स्थापना एवं उनका उन्नयन।
	कच्चा लोहा		
23.	मैसर्स लैंको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गांव पंचागून्नैरी, जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश	एशियन फाइनैंस एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि., सिंगापुर	कच्चा लोहा, क्षमता : 90,000 टन वार्षिक।
24.	मैसर्स सीसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिचोलिय, गोवा	फिंसिडर इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड, लंदन (फिंको)	कच्चा लोहा, क्षमता : 98,000 टन वार्षिक।
25.	मैसर्स रोगेल्ट सेल इंडिया प्राइवेट लि., नई दिल्ली	(1) मैसर्स योस्को इंस्टिट्यूट ऑफ एंड एलोयज, रूस (2) मैसर्स योवोलिपेटस्क आयरन एंड स्टील वर्क्स, रूस (3) मैसर्स अमित लिमिटेड, रूस	लोहा, क्षमता : 3 लाख टन वार्षिक।
	स्पंज लोहा/तप्त ब्रिक्वेटिड लोहा		
26.	मैसर्स कल्याणी कोनकोन स्पंज प्राइवेट लिमिटेड	(i) मैसर्स दैवी मक्की कॉरपोरेशन, यू.एस.ए. (निवेशक) (ii) मैसर्स एच.वाई.एल.एम.ए., एस.ए., डेक्व., मैक्सिको	स्पंज आयरन/सप्त आयरन क्षमता : 7.5 लाख टन वार्षिक।

कापार्ट के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

4262. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोज़गार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत तीन वर्षों के दौरान कापार्ट द्वारा स्वीकृत की गई जिलावार परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कापार्ट द्वारा कौन-कौन सी स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान की गई तथा ये एजेंसियां कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) इन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई तथा प्रत्येक एजेंसी द्वारा कितनी-कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(घ) क्या इन परियोजनाओं की सफलता का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एयर इंडिया के अंतर्गत सिविल सुविधाओं संबंधी कार्य करने वाले कामगारों की भविष्य निधि कटौती

4263. श्री मोइनुल हसन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया में ठेके पर सिविल सुविधाओं संबंधी कार्य करने वाले कामगार भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कामगारों के वेतन से भविष्य निधि की कटौती की जाती है;

(ग) क्या कामगारों ने अपने भविष्य निधि में की जाने वाली अनियमित कटौती के बारे में कोई विवाद खड़ा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखती है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अधिनियम, 1952 के अधीन मात्र 1 ठेकेदार आता है। शेष 12 ठेकेदार ईपीएफ अधिनियम के अधीन नहीं आते चूंकि उन्होंने 20 कर्मचारियों से कम कर्मचारी नियोजित कर रखे हैं।

(ख) ठेकेदार द्वारा ठेके पर लगाए मजदूरों की मजदूरी से ही भविष्य निधि संबंधी पैसे काटे जाते हैं जो भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन आते हैं। शेष ठेकेदारों, जिनके अधीन कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत कोई मजदूर कार्यरत नहीं है, के संबंध में भविष्य निधि की राशि एयर इंडिया द्वारा पूर्वोपाय के रूप में ठेकेदारों के बिलों से काटी जाती है चूंकि एयर इंडिया प्रमुख नियोक्ता है।

(ग) कोई विशिष्ट विवाद इस मामले में नहीं उठा था।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

एयर इंडिया के तकनीकी कर्मचारियों को प्रोन्नति

4264. श्री सुधीर गिरि : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995, 1996 और 1997 के दौरान औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत एयर इंडिया के तकनीकी कर्मचारियों को प्रोन्नति न दिए जाने के संबंध में कितने विवाद उठे;

(ख) कितने मामलों में समझौता हुआ;

(ग) क्या इन समझौतों को एयर इंडिया द्वारा अक्षरशः लागू किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1996 में औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत एक वरिष्ठ विमान टेक्नीशीयन के प्रोन्नति की अस्वीकृति से संबंधित सिर्फ एक विवाद उठाया गया था। सहायक श्रम आयुक्त (ए. एल. सी.) के समक्ष समाधान बैठक के दौरान एक समझौता हुआ था कि संबंधित कर्मचारी की प्रोन्नति के मामले पर संशोधित प्रोन्नति नीति के तहत मापदंडों के पूरा होने पर विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) सहायक श्रम आयुक्त का सुझाव एयर इंडिया प्रबंधन के विचाराधीन है।

यूरो-रेल क्रेडिट कार्ड का आरंभ करना

4265. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में यूरो-रेल क्रेडिट कार्ड आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या कुछ ऐसे कार्डों को जारी करने हेतु कोई मार्गनिर्देशों का निर्धारण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कार्डो को कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) भारतीय रेल ने 'यूरो ट्रेन इंटरनेशनल एक्सप्लोरर पास स्कीम' नामक एक योजना अनुमोदित की है न कि यूरो-रेल किस्म का क्रेडिट कार्ड। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं–

(i) सभी भागीदार देशों पर समान रूप से लागू मानक पास शुरू किया जाएगा। इस योजना से इस पास के साथ भारत आने वाले विदेशी पर्यटक भारतीय रेल की गाड़ियों में यात्रा करने के लिए इसे इंडरेल पास में बदलने के पात्र होंगे।

(ii) एक्सप्लोरर पास धारक इंडरेल पास योजना की भांति पास की वैधता अवधि के लिए असीमित रेल यात्रा करने के लिए पात्र होगा।

(iii) मै. यूरोट्रेन अपनी लागत पर अपने एजेंटों के लिए एक्सप्लोरर पासों के मुद्रण और आपूर्ति के लिए जिम्मेवार होगा।

(iv) यूरोट्रेन इंटरनेशनल द्वारा अपने एजेंटों के माध्यम से बेचे गए पासों पर 15% कमीशन का भुगतान करेगा। यूरोट्रेन इंटरनेशनल बेचे गए टिकटों से प्राप्त किरायों का हिसाब रखने और भुगतान करने के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी होगा और इसकी विश्वव्यापी विपणन भी करेगा।

(ङ) प्रक्रिया संबंधी तौर-तरीके निर्धारित करने के पश्चात् यह योजना लागू की जाएगी।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

4266. श्री एस० एस० ओवेसी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग में 1990 से अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के जोनवार कितने मामले लंबित हैं;

(ख) पात्र व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में विलंब के कारण क्या हैं; और

(ग) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के सभी मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोकसभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने में विलंब आश्रितों की उम्र कम होने, उपयुक्त रिक्ति उपलब्ध न होने और अदालतों में विधिक मामलों के लंबित होने आदि के कारण होता है।

(ग) अनुदेश जारी किए गए हैं तथा समय-समय पर दोहराए गए हैं ताकि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मार्ग निर्देशों के अंतर्गत यथाशीघ्र पात्र व्यक्तियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां मुहैया कराने के हर संभव प्रयास किए जा सकें। बहरहाल, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना मुश्किल है क्योंकि यह पात्र आश्रितों की उपलब्धता तथा उपयुक्त रिक्तियों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है।

एच. ए. एल. द्वारा प्रशिक्षण विमान का निर्माण

4267. डॉ० सुगुण कुमारी चलामेला : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनोटिकल लि. द्वारा भारतीय वायुसेना हेतु निर्मित एच. पी. टी.-32 आरंभिक प्रशिक्षण विमान की विश्वसनीयता आरंभ से ही संदिग्ध रही है; और

(ख) यदि हो, तो इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। भारतीय वायुसेना के लिए हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन, विकसित और सप्लाई किए गए बुनियादी प्रशिक्षण वायुयान एच. पी. टी.-32 की विश्वसनीयता के बारे में शंका की कोई बात नहीं है। यह बेड़ा 1,50,000 उड़ान घंटों से अधिक उड़ान उड़ चुका है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

कुइल हवाई अड्डा (कश्मीर)

4268. श्री जी० गंगा रेड्डी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर का कुइल हवाई अड्डा वाणिज्यिक हवाई यातायात के लिए उपयुक्त नहीं है जैसा कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) कुइल विमानपत्तन अवन्तीपुर विमानपत्तन का ही नाम प्रतीत होता है जो रक्षा मंत्रालय का है। श्रीनगर विमानपत्तन को अस्थाई रूप से बंद कर दिए जाने पर, सिविल उड़ानों का प्रचालन अब अवन्तीपुर वायु सेना स्टेशन के लिए/से किया जाता है। एयरलाइनों के वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय वायु सेना द्वारा इस नये स्थान पर सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

भुवनेश्वर के लिए नई विमान सेवाएं

4269. श्री रंजीव विस्वाल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत के विभिन्न शहरों से भुवनेश्वर के लिए शुरू की जाने वाली नई उड़ानों संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) इस समय, अन्य शहरों से भुवनेश्वर के लिए नई उड़ानें शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विमान कंपनी प्रचालक मार्ग वितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में और व्यवहार्यता के अध्यधीन अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर नए स्थानों के लिए प्रचालन हेतु स्वतंत्र हैं।

रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बों को बढ़ाया जाना

4270. श्री एस० अजय कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चुनिंदा मार्गों की लोकप्रिय गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रेलगाड़ी/मार्ग-वार ब्यौरा क्यो है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) परिचालनिक व्यवहार्यता, यातायात औचित्य तथा सवारी डिब्बों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों में सवारी डिब्बे बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है। बहरहाल, 1-6-1998 से निम्नलिखित गाड़ियों में सवारी डिब्बे बढ़ाए गए हैं–

1. 1019/1020 मुंबई-भुवनेश्वर एक्सप्रेस
2. 2105/2106 मुंबई-नागपुर एक्सप्रेस
3. 2619/2620 मंगलोर-कुर्ला एक्सप्रेस
4. 6635/6636 एर्णाकुलम-कुर्ला नेत्रवती एक्सप्रेस
5. 2303/2304 नई दिल्ली-हवड़ा पूर्वा एक्सप्रेस
6. 2381/2382 नई दिल्ली-हवड़ा पूर्वा एक्सप्रेस
7. 3045/3046 हवड़ा-गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस
8. 3073/3074 हवड़ा-जम्मूतवी हिमगिरी एक्सप्रेस
9. 2001/2002 नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस
10. 2003/2004 नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस
11. 2011/2012 नई दिल्ली-चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस
12. 2013/2014 नई दिल्ली-अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस
13. 2029/2030 नई दिल्ली-अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस
14. 2433/2434 निजामुद्दीन-चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस
15. 2429/2430 निजामुद्दीन-बेंगलूरु राजधानी एक्सप्रेस
16. 2431/2432 निजामुद्दीन-त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस
17. 2437/2438 निजामुद्दीन-सिकन्दराबाद राजधानी एक्सप्रेस
18. 2423/2424 नई दिल्ली-गुवाहाटी एक्सप्रेस
19. 7001/7002 हैदराबाद-मुंबई एक्सप्रेस
20. 7031/7032 हैदराबाद-मुंबई एक्सप्रेस
21. 2703/2704 सिकन्दराबाद-हवड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस
22. 7685/7686 बेंगलूरु-सिकन्दराबाद एक्सप्रेस
23. 7497-7498 काचीगुडा-तिरुपति एक्सप्रेस
24. 7225/7226 विजयवाडा-लोंडा एक्सप्रेस
25. 7089/7090 कोचीन-वाराणसी एक्सप्रेस
26. 7091/7092 सिकन्दराबाद-वाराणसी एक्सप्रेस
27. 2841/2842 हवड़ा-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस
28. 2953/2954 निजामुद्दीन-मुंबई अगस्तक्रांति एक्सप्रेस
29. 9759/9760 जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस
30. 9707/9708 जयपुर-बान्द्रा एक्सप्रेस
31. 9263/9264 दिल्ली-पोरबन्दर एक्सप्रेस
32. 2009/2010 मुंबई-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस
33. 2925/2926 मुंबई-अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस
34. 2927/2928 मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस
35. 9031/9032 मुंबई-गांधीधाम एक्सप्रेस
36. 2955/2956 मुंबई-जयपुर एक्सप्रेस
37. 9305/9306 इन्दौर-हवड़ा शिप्रा एक्सप्रेस
38. 9307/9308 इन्दौर-जयपुर एक्सप्रेस
39. 2903/2904 मुंबई-अमृतसर गोल्डन टेम्पल मेल
40. 9005/9006 मुंबई-ओखा सौराष्ट्र मेल

[हिन्दी]

भारतीय वायुसेना के इंजीनियरों और विमान चालकों के वेतनमानों में विसंगतियां

4271. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायुसेना के ग्राउंड ड्यूटी इंजीनियरी स्टाफ और पायलटों के वेतन और भत्तों के बारे में उत्पन्न विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) चूंकि पायलटों के जीवन को जोखिम रहता है क्या इससे पूर्व भी उपर्युक्त दोनों श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमान में अंतर रहा है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस सिद्धांत को हाल ही में मान्यता दे दी है; और

(घ) इस मसले को हल करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) अजीत कुमार समिति ने भारतीय वायुसेना के ग्राउंड ड्यूटी इंजीनियरी स्टाफ और विमान चालकों के वेतनमानों में विसंगति सहित पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप सशस्त्र बलों के कार्मिकों के वेतन और भत्तों में आई विसंगतियों पर विचार किया है तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस संबंध में विधिवत् विचार-विमर्श करने के बाद उपयुक्त निर्णय लिए जाएंगे।

[अनुवाद]

देहरादून से विमान सेवा

4272. मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी ए० वी० एस० एम० : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जौली ग्रांट विमानपत्तन (देहरादून) से नियमित उड़ानें चलाई जा रही थीं;

(ख) क्या सरकार का इस विमानपत्तन के लिए विमान सेवाएं फिर से शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब से यह उड़ान शुरू की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) देहरादून विमानपत्तन पर केवल कम क्षमता के विमानों से ही प्रचालन किया जा सकता है। इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर के पास ऐसे विमानों की कमी है इसलिए ये फिलहाल यहीं के लिए प्रचालन करने की स्थिति में नहीं है। जिन निजी प्रचालकों के पास छोटे विमान हैं उन्हें व्यवहार्यता के अध्ययीन अपने नेटवर्क में देहरादून जैसे नए स्टेशन शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सरकारी क्वार्टरों में अनधिकृत निर्माण

4273. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में बाबर प्लेस, नई दिल्ली के सरकारी मकानों में अनधिकृत निर्माण के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) अनधिकृत निर्माण को कब तक हटाए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) तीन।

(ख) और (ग) अनधिकृत निर्माण को हटाना एक सतत प्रक्रिया है। जब कभी अनधिकृत निर्माण की सूचना मिलती है, उस पर कार्रवाई की जाती है।

संबंधित आवंटियों को नोटिस जारी किए गए हैं कि वे नोटिस जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अनधिकृत निर्माण हटा दें।

आर० पी० एफ०/आर० पी० एस० एफ० की संख्या

4274. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर. पी. एफ./आर. पी. एस. एफ. की जोनवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या 'भावे समिति' की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस बल की संख्या में वृद्धि माल गाड़ियों/सवारी गाड़ियों, अन्य महत्वपूर्ण अधिष्ठापनाओं तथा आवश्यकताओं में हुई वृद्धि के अनुपात में की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण/औचित्य हैं;

(घ) क्या रेलवे के सभी स्टेशनों, प्लेटफार्मों, यार्डों, डीजल/विद्युत शेडों, माल/पार्सल शेडों पर आर. पी. एफ. के कार्मिक आवश्यकतानुसार हमेशा तैनात रहते हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क)

रेलवे	जनशक्ति
मध्य	7182
पूर्व	10782
उत्तर	9347
पूर्वोत्तर	4433
पूर्वोत्तर सीमा	4476
दक्षिण	5250
दक्षिण मध्य	3966
दक्षिण पूर्व	8898
पश्चिम	7174
रे. सु. वि. व.	8088
जोड़	69596

(ख) जी, नहीं।

(ग) सामान और अन्य संस्थापनाओं के लिए सुरक्षा आवश्यकता के आधार पर मुहैया करायी जाती है, न कि माल/यात्री गाड़ियों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में कतिपय खंड अपराधग्रस्त नहीं भी हो सकते हैं चाहे वहां यातायात में वृद्धि हुई हो। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण संस्थापनाओं को संभवतः सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता न हो।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र की लंबित रेल परियोजनाएं

4275. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री बिठ्ठल तुपे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे से संबंधित महाराष्ट्र सरकार के कई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ परियोजनाओं के मामले में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) निर्माण कार्य कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में बारामती-लोनंद बरास्ता फाल्टन तथा कोपरगांव-शिरडी नामक दो नई लाइन परियोजनाएं इस समय सरकार के पास लंबित हैं।

फाल्टन के रास्ते बारामती-लोनंद लाइन पर कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जहां तक कोपरगांव-शिरडी लाइन का संबंध है, योजना आयोग ने सूचित किया है कि लाइन को अर्थक्षम बनाने के लिए लागत रेलवे तथा मंदिर प्राधिकारियों द्वारा भागीदारी के आधार पर वहन की जानी चाहिए। बहरहाल, मंदिर प्राधिकारियों ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। मामला विचाराधीन है।

(ग) से (ङ) शिरपुर के रास्ते धुले-नरदाना, बीड़-जालना तथा घाटनांदूर-अंबाजोगई नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण हाल में ही पूरे किए गए हैं। इन लाइनों के सर्वेक्षणों के परिणाम उनके अत्यधिक अलाभप्रद होना प्रकट करते हैं। उपरोक्त तथा संसाधनों की अत्यधिक तंगी को ध्यान में रखते हुए परियोजना को रोक दिया गया है।

[हिन्दी]

कोयले के वैगनों का गुम होना

4276. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने कोयले के वैगनों के गुम हो जाने के संबंध में कितनी राशि का दावा किया हुआ है;

(ख) कायले के वैगनों का अपने गंतव्य पर न पहुंचने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन दावों का निपटान कब तक हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 31-3-1995 की स्थिति के अनुसार, उत्तर पदेश राज्य विद्युत बोर्ड (उ. प्र. रा. वि. बो.) से 18,827 मालडिब्बों के लिए दावे प्राप्त हुए थे।

(ख) इल मालडिब्बों की परिचालनिक कारणों और अन्य आकस्मिकताओं यथा मार्ग में दुर्घटना, मालडिब्बा ग्रहण/उतारने में विद्युत घरों की असमर्थता आदि के कारण सुपुर्दगी नहीं दी जा सकी थी।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को सुपुर्द किए गए अधिक मालडिब्बों के साथ समायोजन के पश्चात् इन दावों का निपटान कर दिया गया है। यह एक सतत प्रक्रिया है और भुगतान द्वारा किसी दावे का निपटान नहीं किया जाता है। दावे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और रेलों के बीच हुई संयुक्त समाधान संबंधी बैठकों में समायोजन के आधार पर निपटाए जाते हैं। संयुक्त समाधान के आधार पर यह पाया गया कि उनके द्वारा दावा किए मालडिब्बों की संख्या की तुलना में समतुल्य समायोजन में उन्हें अधिक/मालडिब्बे सुपुर्द किए गए हैं। अतः, 31 मार्च, 1995 तक उन्हें कोई दावे का भुगतान देय नहीं है।

मृतक सेनाकर्मियों के आश्रित बच्चों को सुविधाएं

4277. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 में सेवा के दौरान मारे गए भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों की संख्या क्या है;

(ख) इन अधिकारियों एवं जवानों के परिवारों को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अधिकारियों एवं जवानों के परिवारों के कितने सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर अब तक रोजगार दिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों में ड्यूटी के दौरान मारे गए रक्षा कर्मियों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

वर्ष	अधिकारी	जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर	अन्य रैंक	कुल
1995	85	192	1490	1767
1996	95	163	1350	1608
1997	92	134	1435	1661

ड्यूटी के दौरान मारे गए रक्षा कार्मिकों के परिवारों को दिए गए वित्तीय लाभ का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

ड्यूटी के दौरान मारे गए सेना और सिविलियन कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर दी गई नियुक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

ड्यूटी के दौरान मारे गए सेना कार्मिकों को सरकार द्वारा भुगतान किया गया हर्जाना

(क) युद्ध/युद्ध जैसी कार्रवाइयों में हुई मौत

सेना कार्मिक द्वारा मृत्यु अथवा जयोग्य करार दिए जाने तक लिए गए अंतिम वेतन की दर से उदारीकृत परिवार पेंशन।

(2) मृत्यु उपदान :

(क) एक वर्ष से कम सेवा	2 महीने का वेतन#
(ख) 1 से 5 वर्ष तक की सेवा	6 महीने का वेतन
*(ग) 5 वर्ष से अधिक लेकिन 20 वर्ष से क्रम की सेवा	12 महीने का वेतन

*(घ) 20 वर्ष अथवा इससे अधिक की सेवा — पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने का वेतन जो अधिकतम 33 महीने के वेतन अथवा 3.5 लाख रुपए इनमें जो भी कम हो, के बराबर होगा।

*मृत्यु उपदान की गणना किए जाने के लिए की गई वास्तविक सेवा में अतिरिक्त पांच वर्ष जोड़ दिए जाते हैं।

#वेतन में मूल वेतन + एन पी + मृत्यु के समय स्वीकार्य महंगाई भत्ता शामिल हैं।

(3) अनुग्रही आदयगी—प्रति विद्रोही कार्रवाइयों में मारे गए सेना कार्मिकों के निकट संबंधी केन्द्र सरकार से 2 लाख रुपए अनुग्रही राशि पाने के हकदार होते हैं।

निम्नलिखित राज्य सरकारें प्रतिविद्रोही कार्रवाइयों में मारे गए सेना कार्मिकों के निकट संबंधियों को अपने राज्यों में भी अनुग्रही राशि दे रही हैं, जो केन्द्र सरकार द्वारा की गई अदायगी के अतिरिक्त है।

(क) असम	5 लाख रुपए
(ख) जम्मू व कश्मीर	2 लाख रुपए
(ग) मणिपुर	1 लाख रुपए
(घ) त्रिपुरा	25,000 रुपए

(ख) सैन्य सेवा के कारणों से हुई मौतें

*(1) निम्नलिखत दर से विशेष परिवार पेंशन—

	गणनीय परिलब्धियां	विशेष परिवार पेंशन की दर (प्रतिमाह)
(क) अगर विधवा निःसंतान हो	(1) 1500/- रुपए से अधिक नहीं	गणनीय परिलब्धियों का 50 प्रतिशत।
	(2) 1500/- रुपए से अधिक किन्तु 3000/- रुपए से अधिक नहीं	गणनीय परिलब्धियों का 40 प्रतिशत जो कम-से-कम 750 रुपए होगा।
	(3) 3000/- रुपए से अधिक	गणनीय परिलब्धियों का 30 प्रतिशत जो कम-से-कम 1200/- रुपए तथा अधिकतम 2500/- रुपए होगा।
(ख) यदि विधवा के बच्चे हों	सभी मामलों में	गणनीय परिलब्धियों का 60 प्रतिशत जो कम-से-कम 750/- रुपए तथा अधिकतम 2500/- रुपए होगा।

*पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दरों को संशोधित किया जाना है।

(2) मृत्यु उपदान जो युद्ध/युद्ध जैसी कार्रवाइयों में हुई मृत्यु के लिए लागू है।

(ग) गैर सैन्य कारणों से हुई मृत्यु

(1) मृत्यु के समय ली गई गणनीय परिलब्धियों की 30% की दर से सामान्य परिवार पेंशन।

(2) मृत्यु उपदान : जैसा युद्ध/युद्ध जैसी कार्रवाइयों में लागू है।

विवरण-II

वर्ष	सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या	अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए उपलब्ध रिक्तियां (कॉलम 1 का 5%)	आश्रितों से अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए प्राप्त आवेदन पत्र						अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्तियां			अनुकंपा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों से संबंधित लंबित मामले		
			वर्ष के दौरान		पिछले वर्ष के बकाया प्रा आवेदन		जोड़							
			सेना	सिवि.	सेना	सिवि.	सेना	सिवि.	सेना	सिवि.	जोड़	सेना	सिवि.	जोड़
1994-95														
ग्रुप 'सी'	1800	90	124	283	176	398	300	681	43	191	234	257	490	747
ग्रुप 'डी'	9782	489	68	986	86	873	154	1859	20	674	694		1185	1319
1995-96														
ग्रुप 'सी'	2237	112	233	302	257	490	490	792	57	146	203	433	646	1079
ग्रुप 'डी'	10643	532	197	976	134	1185	331	2161	67	603	670	264	1558	1622
1996-97														
ग्रुप 'सी'	2230	111	300	322	433	646	733	968	37	84	121	696	884	1580
ग्रुप 'डी'	10467	523	220	962	264	1558	487	2540	38	487	525	449	2053	2502

सेना = सेना

सिवि. = सिविलियन

रसोईयान सुविधा

4278. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 के दौरान किन-किन रेलगाड़ियों में रसोईयान सुविधा उपलब्ध कराई गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित गाड़ियों में रसोईयान सेवा मुहैया कराने का विनिश्चय किया गया है–

1. 1063/1064 चेन्नई-छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई एक्सप्रेस
2. 1081/1082 मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस-कन्याकुमारी एक्सप्रेस
3. 2703/2704 फलकनुमा एक्सप्रेस
4. 3005/3006 हवड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस
5. 3151/3152 सियालदह-जम्मूतवी एक्सप्रेस
6. 5217/5218 कुर्ला टर्मिनस-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस
7. 5219/5220 कुर्ला टर्मिनस-दरभंगा एक्सप्रेस
8. 6331/6332 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-कुर्ला टर्मिनस एक्सप्रेस

[अनुवाद]

धूले से नरधाना तक रेल लाइन का विस्तार

4279. श्री डी० एस० अहिरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में धुले से नरधाना तक रेल लाइन का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरा कर लिया गया है और ट्रैफिक रिपोर्ट भी पूरी कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो विस्तार कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) शिरपुर के रास्ते धुले-नरदाना के लिए नई रेल लाइन के सर्वेक्षण के परिणाम से पता चलता है कि 61.77 कि. मी. लंबी लाइन की लागत (–) 2.19% प्रतिफल की दर सहित 104 करोड़ रुपए होगी। लाइन की पूर्णतः अलाभकारी प्रकृति तथा संसाधनों की तंगी के कारण परियोजना को स्थगित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा उर्वरकों का उत्पादन

4280. श्री आर० एस० गवई :
श्री जोगेन्द्र कवाडे :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने किन-किन उर्वरकों का उत्पादन किया है;

(ख) 'सेल' ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों का उत्पादन किया और उनकी बिक्री की;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक इन उर्वरकों की बिक्री से सरकार को कितना घाटा या लाभ हुआ; और

(घ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अपने उर्वरकों की बिक्री बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा उत्पादित उर्वरक अमोनियम सल्फेट (ए एस) और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (सी ए एन) हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक सेल द्वारा उत्पादित और बिक्री किए गए उर्वरकों की कुल मात्रा निम्नानुसार है–

इकाई : टन

मद	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 (अप्रैल, 98 अनंतिम)
अमोनियम सल्फेट	84869	86793	87910	6409
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	148284	115195	91275	973
योग :	233153	201988	179185	7382
बिक्री			(अनंतिम)	
अमोनियम सल्फेट	79901	90340	89321	1423
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	172999	116827	95013	547
कुल :	252900	207167	184334	1970

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के संबंध में सेल को हुई हानि निम्नानुसार है–

(करोड़ रुपए)

1995-96	1996-97	1997-98 (अनंतिम)
35	46	45

(घ) सेल में अमोनियम सल्फेट एक उतोत्पाद है। इसका उत्पादन इस्पात की उत्पादन योजना, कोक ओवन पुशिंग आदि पर निर्भर करता है जहां तक

कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का संबंध है इसका और मध्यवर्ती उपोत्पादों का उत्पादन अनेक प्रचालनात्मक पहलुओं, नेफ्था के मूल्य और उत्पादन के आर्थिक पहलू आदि पर निर्भर करेगा।

10-06-1994 के अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के मूल्य पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है। जिसके परिणामस्वरूप राज सहायता देनी वंद कर दी गई जिससे उर्वरकों का उत्पादन करने और इनकी बिक्री में वृद्धि करने का सेल संयंत्रों को कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। मंत्रालय ने इस मामले में सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित मंत्रालयों से बातचीत शुरू की है।

जबलपुर रेलवे पार्सल कार्यालय में दलाल

4281. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जबलपुर रेलवे पार्सल कार्यालय में रेलवे अधिकारियों की मिलीभगत से दलालों द्वारा व्यापारियों से कई वर्ष से अवैध रूप से धन की वसूली की जा रही है;

(ख) क्या सामान की गलत घोषणा और नियमों के विरुद्ध दलालों द्वारा भार मापक पर कब्जा कर लेने से रेलवे को राजस्व घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) जबलपुर पार्सल कार्यालय में लेनदेन में दलालों की गतिविधियां नजर में नहीं आई हैं। परेषण या तो पार्टी स्वयं सीधे ही या पार्टी द्वारा अधिकृत एजेंट के माध्यम से बुक किए जाते हैं। सुपुर्दगी ली जाती है। संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा अचानक जांचें की जाती हैं। 1997-98 के दौरान, मध्य रेलवे के विभिन्न पार्सल कार्यालयों में सतर्कता विभाग द्वारा 93 जांचें की गईं और 32 कर्मचारियों को कदाचार में लिप्त पाया गया और गलती के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस अवधि के दौरान, जबलपुर पार्सल कार्यालय में 2746 बार भार चेक किए गए और 8278/- रु. का अवप्रभार निकाला गया और वसूल किया गया।

निजी एयरलाइंस के विरुद्ध शिकायतें

4282. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की निजी एयरलाइंस कंपनियों के कार्यकरण के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) सभी विमान कंपनियों से नागर विमानन महानिदेशालय/नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। जब कभी भी प्रचालन सुरक्षा, विनियमों और कार्यविधियों के उल्लंघन को प्रभावित करने वाली शिकायत प्राप्त होती है, वायुयान अधिनियम, 1935 तथा वायुयान नियमावली 1937 के तहत बनाए गए नियमों विनियमों और मार्गदर्शी सिद्धांतों में किए गए प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

रेलवे कूपनों का दुरुपयोग

4283. श्री खारबेल स्वाइन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार भवन, नई दिल्ली से ऐसे कितने निःशुल्क रेलवे कूपन पाए गए जिन्हें केवल विधायकों द्वारा इस्तेमाल हेतु जारी किया गया था;

(ख) इसमें कुल कितनी राशि शामिल है; और

(ग) विधायकों को जारी कूपनों का भविष्य में दुरुपयोग रोकने हेतु रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ख) जांच के दौरान सी बी आई द्वारा कूपन वसूल किए गए थे और एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया था और गिरफ्तार कर लिया गया था। चूंकि मामला सी बी आई के जांचाधीन है अतः वास्तविक स्थान, जहां सी बी आई टीम ने जाल बिछाया था, वसूल किए गए कूपनों की संख्या तथा सम्मिलित राशि के बारे में रेलवे को जानकारी नहीं है।

(ग) कूपनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए विधान सभाओं/परिषदों को रेलवे द्वारा कूपनों की छपाई और आपूर्ति करने तथा बुकिंग के समय कूपनों के उपयोग पर निगरानी रखी जाती है।

नगरपालिकाओं के कार्यकरण हेतु मॉडल ड्राफ्ट

4284. श्री विजय कुमार 'विजय' :
श्री सीताराम यादव :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 मई, 1998 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'सिंगल एक्ट टु कवर म्युनिसीपैलिटीज सॉट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी अध्ययन दल का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) 'सिंगल एक्ट टु कवर म्युनिसिपिलिटीज साट' के

बारे में दिनांक 15 मई, 1998 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ।

(ग) और (घ) संविधान के राज्य सूची की 5वीं प्रविष्टि (इंट्री) के अनुसार म्युनिसिपिलिटी राज्य का विषय है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई करना राज्य सरकार का विषय है। शहरी कार्य व रोजगार मंत्रालय ने म्युनिसिपिलिटीज को कबर करने के लिए सिंगल एक्ट निरुपण हेतु प्रस्ताव तैयार करने के वास्ते कोई अध्ययन दल गठित नहीं किया है।

[हिन्दी]

तूफान के कारण रेलवे को हुई क्षति

4285. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और राजस्थान में हाल के तूफान के कारण रेलवे की कितनी परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हुई; और

(ख) क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति की मरम्मत हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) रेलपथ, सिगनल एवं दूरसंचार उपस्कर, बिजली और अन्य संरचानाओं से संबंधित रेलवे संपत्ति को हुई क्षति निम्नानुसार है–

(i)	रेलपथ और अन्य संरचनाएं (स्टेशन इमारत एवं आवास आदि)	– 7.67 करोड़ रुपए
(ii)	सिगनल एवं दूरसंचार उपस्कर	– 14.29 करोड़ रुपए
(iii)	विजली उपस्कर	– 1.41 करोड़ रुपए

(ख) प्रभावित हुआ रेलपथ बहाल कर दिया गया है। अधिकांश स्टेशनों को गुजरात विद्युत बोर्ड की सप्लाई बहाल कर दी गई है। अन्य बिजली कार्य यथा शिरोपरि सरेखण की बहाली, क्वार्टरों, सेवा इमारतों में पुनः तार लगाना प्रगति पर है। 55 स्टेशनों/स्थलों में प्रभावित खंडों पर सिगनल गियर बहाल कर दिए गए हैं और शेष 39 स्टेशनों/स्थलों पर बहाली कार्य प्रगति पर है और सिरवा स्टेशन को छोड़कर 31-8-1998 तक पूरा हो जाने की आशा है। अधिकांश रेलवे दूरसंचार सर्किट भी अति उच्च बारम्बारता दूरसंचार (पी. एच. एफ.) के माध्यम से अस्थायी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। वांसजालिया-जेतलसर खंड छोड़कर दूरसंचार सर्किट की स्थायी बहाली 31-3-1999 तक पूरा होने की आशा है।

[अनुवाद]

अपार्टमेंट अधिनियम

4286. **श्री सत्यपाल जैन** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए लागू होने वाले अपार्टमेंट अधिनियम में प्रावधान करने हेतु संगठनों/व्यक्तियों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मापोरदा में रेल पुल का निर्माण

4287. **श्री फ्रांसिस्को सारदीना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे द्वारा मापोरदा में उपरि पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त पुल का निर्माण कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं। मजोरडा में उपरि पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गुजरात में उपरि पुलों का निर्माण

4288. **श्री जयसिंहजी चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार गुजरात राज्य में निर्माणाधीन रेलवे पुलों और उपरि पुलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या अधिकांश परियोजनाएं अपनी निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने उपरि पुलों के निर्माण के लिए कोई नया प्रस्ताव भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है–

1.	अहमदाबाद-साबरमती : साबरमती पुल सं० 733 के पुराने गर्डरों का बदलाव।	कार्य पूरा हो गया।
2.	सेवालिया : पुल सं० 65 पर पुन: गर्डर बिछाना (माही पुल)।	गर्डर के फेब्रिकेशन का कार्य प्रगति पर है (प्रगति 30 प्रतिशत/लक्ष्य तिथि 30.6.99 है)।
3.	भड़ुच : पुल सं० 502 पर स्ट्रिंजरों का रिकंडिशनिंग (नर्मदा पुल)।	विस्तृत आरेखणों को अंतिम रूप दे दिया गया है। फेब्रिकेशन का कार्य शुरू किया जा रहा है। लक्ष्य तिथि 30.12.1999।
4.	सूरत : रामपार सं० 146 के बदले उपरि सड़क पुल।	कार्य पूरा हो चुका है और अक्तूबर 1997 में चालू कर दिया है।
5.	संत रोड़-पिपलोद : रामपार सं० 20-बी के बदले उपरि सड़क पुल।	कार्य बन्द कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ कार्य निक्षेप शर्तों पर निमार्णाधीन हैं—

1.	अहमदाबाद-मेहसाणा खण्ड पर सैजन्सेरथा (कलोल) समपार सं० 253 के बदले उपरि सड़क पुल।	उप अवसंरचना संबंधी कार्य पूरा हो गया है और गर्डरों का निर्माण प्रगति पर है।
2.	मणिनगर-अहमदाबाद समपार सं० 308/ए (कोकरा) के बदले उपरि सड़क पुल।	पहुंच मार्ग संबंधी कार्य लगभग समाप्ति पर है, रेलवे हिस्से के 4 गर्डरों का निर्माण कर दिया गया है।
3.	अहमदाबाद-भावनगर पारा खण्ड पर गांधीग्राम-वस्त्रपुर के बीच उपरि सड़क पुल।	कार्य प्रगति पर है।
4.	आणंद : वडोदरा-अहमदाबाद खण्ड पर समपार सं० 259 के बदले उपरि सड़क पुल।	लेखा द्वारा विधिवत् रूप से विधीक्षित विस्तृत अनुमान राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु 8.10.97 को भेज दिया गया था। जो अभी तक प्रतीक्षित है।
5.	वीरमगाम-गांधीधाम : समपार सं० 217, 212 और 232 के बदले उपरि सड़क पुलों की व्यवस्था।	विस्तृत अनुमानों पर कार्रवाई की जा रही है।
6.	आर आर सी-गोधराज खण्ड पर छायापुरी-पिलोद के बीच 403/24-26 कि०मी० पर 4 लेनों के लिए उपरि सड़क पुल को चौड़ा करना।	रेलवे द्वारा कार्य की 60 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत प्रगति।
7.	अहमदाबाद-उदयपुर खण्ड पर हिम्मतनगर में 321/10-11 कि०मी० पर निचला सड़क पुल।	निविदा दे दी गई है। कार्य शुरू किया जा रहा है।
8.	दक्षिणी सोसाइटी-अहमदाबाद के समीप मणिनगर-वातव पर 491/7-8 कि०मी० पर निचला सड़क पुल।	कार्य की 20 प्रतिशत प्रगति।
9.	अनुमोदित जामनगर बाई-पास रोड (जामनगर शहर) पर लाखा-बावल में उपरि सड़क पुल।	राज्य सरकार द्वारा पूरी राशि जमा नहीं की गई है।

(ख) जी, नहीं। धन की उपलब्धता और राज्य सरकार द्वारा पूरी की गई अपेक्षाओं के अनुसार प्रगति संतोषजनक है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) गुजरात सरकार से उपरि सड़क पुलों के निर्माण हेतु 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनके लिए योजना की तैयारी के लिए प्रारंभिक राशि और आकलन जमा करा दिए गए हैं। ये निम्नलिखित हैं—

1. किम : समपार सं० 158 के बदले में उपरि सड़क पुल।
2. लिम्बदी : समपार सं० 123 के बदले में उपरि सड़क पुल।

(च) इन दो कार्यों के लिए आवश्यक योजना और आकलन तैयार किए जा रहे हैं।

रेलवे सुरक्षा बल

4289. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15, जून 1998 के "दैनिक जागरण" में "अधिकारियों के दबाव के कारण आर० पी० एफ० असहाय" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह सूचित किया गया कि रेल सुरक्षा बल/जम्मू ने रेल सामग्री को बरामद करने के दो मामले दर्ज किए हैं।

एक मामले में रेलवे सुरक्षा बल/जम्मू ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और 1,25,000/- रुपये मूल्य की रेल सामग्री बरामद की है तथा 27.5.1998 को रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत अपराध सं० 7/98 का मामला दर्ज किया है।

दूसरे मामले में रेलवे सुरक्षा बल/जम्मू ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और 1,50,000/- रुपये मूल्य की सामग्री बरामद की है तथा 27.5.1998 को रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत अपराध सं० 8/98 का मामला दर्ज किया है।

दोनों मामलों की जांच की जा रही है।

बैलाडिला खान

4290. श्री बलीराम कश्यप : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना संबंधी कार्य किस तिथि से आरम्भ कर दिया गया·

(ख) 31 मार्च, 1998 तक कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया; और

(ग) इस परियोजना से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन० एम० डी० सी०) द्वारा 1964 में मध्य प्रदेश में बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और लौह अयस्क का उत्पादन 7.4.1968 से शुरू हुआ था।

(ख) एन० एम० डी० सी० ने सूचित किया है कि 31.3.1998 तक निर्यात किए गए लौह अयस्क की मात्रा 1433.6 लाख टन है।

(ग) निक्षेपों जिनके लिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पास बैलाडिला क्षेत्र में खनन पट्टा है, हेतु मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 31.3.1998 तक रायल्टी से प्राप्त राजस्व 136.72 करोड़ रुपये था।

केन्द्र सरकार को आय-कर का भुगतान करने के लिए इस परियोजना से अर्जित आय को एन० एम० डी० सी० की अन्य परियोजनाओं की आय के साथ सरकारी क्षेत्र के उपकम द्वारा निगमित स्तर पर शामिल किया जाता है। केन्द्र सरकार को परियोजना-वार/इकाई-वार आय-कर का भुगतान नहीं किया जाता। 31.3.1998 तक दिया गया संचयी आय-कर 257 करोड़ रुपये था।

एन० एम० डी० सी० ने भारत सरकार को मार्च, 1996-97 तक 168.13 करोड़ रुपये लाभांश के रूप में अदा किए। लाभांश का भुगतान एन० एम० डी० सी० के लाभ जिसमें बैलाडिला परियोजना से प्राप्त लाभ भी शामिल है, में से किया जाता है।

[अनुवाद]

नालको द्वारा अधिकारियों और अभियन्ताओं को विदेश भेजा जाना

4291. श्री तथागत सत्पथी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नालको ने आज तक अपने खर्चे पर कितने अधिकारियों और अभियन्ताओं को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा है;

(ख) इन प्रशिक्षणों/यात्राओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त इन अधिकारियों/अभियन्ताओं ने कितनी अवधि के बाद नालको की नौकरी छोड़ी है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) वर्ष 1982-83 से 1997-98 की अवधि में नालको के 238 अधिकारियों/इंजीनियरों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया। इसमें से 167 अधिकारियों/इंजीनियरों को एल्यूमिनियम पिशाने, फ्रांस के साथ विदेशी सहयोग करार के प्रावधानों के तहत प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

(ख) प्रशिक्षण पर व्यय की गई कुल राशि से संबंधित वर्ष 1993-94 से 1997-98 की अवधि की सूचना उपलब्ध है जो निम्न प्रकार है :

वर्ष	प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित अधिकारियों/इंजीनियरों की सं०	इस प्रकार के प्रशिक्षण/दौरे पर व्यय की गई कुल राशि
1993-94	04	7,03,760/- रु०
1994-95	21	40,56,022/- रु०
1995-96	25	52,14,374/- रु०
1996-97	05	11,66,914/- रु०
1997-98	08	19,85,080/- रु०
कुल	63	1,31,26,150/- रु०

(ग) प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए 238 अधिकारियों/इंजीनियरों में से 44 ने कम्पनी छोड़ दी है। इन 44 में से भी 1 व्यक्ति का निधन हो गया है, 2 निवर्तमान आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त हो गए हैं और 2 व्यक्तियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। 39 व्यक्तियों ने त्यागपत्र दे दिया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

प्रशिक्षण के पश्चात् निम्नलिखित अवधि के बाद त्यागपत्र दिया	अधिकारियों/इंजीनियरों की संख्या
1-3 वर्ष	13
4-6 वर्ष	19
6 वर्ष से अधिक	07
कुल :	39

अहमदाबाद-खेड़ब्रह्मा रेलवे लाइन का विस्तार

4292. **श्रीमती निशा अ० चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अहमदाबाद-खेडब्रह्मा रेल लाइन का विस्तार आबू रोड तक करने का प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम

4293. **श्री रवि सीताराम नायक :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के अनुमोदन हेतु अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं इसके उद्देश्य क्या हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां।

(ख) देश में लोहा और इस्पात के समग्र अनुसंधान प्रयासों के लिए समग्र निवेश उपलब्ध कराने और समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं को अनुमोदित करने की दृष्टि से सचिव, इस्पात विभाग की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, योजना आयोग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, इस्पात के मुख्य उत्पादक, आई० आई० टी० खड़गपुर, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर, विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात एवं अन्य इस समिति के सदस्य हैं।

अधिकार प्राप्त समिति अन्य बातों के साथ-साथ लोहा और इस्पात क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं की जांच, लोहा और इस्पात क्षेत्र में चल रहे अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का समन्वय एवं प्रबोधन, लोहा और इस्पात उद्योग में राष्ट्रीय महत्व के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा तथा लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए घरेलू क्षमताएं विकसित करने की नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में इस्पात मंत्रालय को परामर्श देगी।

दिल्ली राजकोट मार्ग पर हवाई सेवा

4294. **श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई योजना दिल्ली तथा राजकोट के बीच इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान प्रचालित करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एयर के विमान बेड़े में उपलब्ध जेट विमान के प्रचालनार्थ दिल्ली राजकोट सैक्टर पर यातायात संभाव्यता पर्याप्त नहीं है। जिन निजी प्रचालकों के पास उपयुक्त विमान उपलब्ध हैं, उन्हें अपने नेटवर्क में वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अध्यधीन राजकोट सहित अन्य नए स्थानों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अध्यक्ष की नियुक्ति

4295. **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में पिछले दो वर्षों से अध्यक्ष नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में पूर्णकालिक अध्यक्ष का पद दिनांक 14.10.1996 को रिक्त हो गया था और तब से नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव उक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। जबकि लोक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशों तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर दिनांक 6.7.98 से श्री डी० वी० गुप्ता की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो चुकी है।

एच० एस० सी० एल० और वी० आई० एस० एल० का सेल के साथ विलय

4296. **डॉ० जयन्त रंगपी :**
श्री मंजुनाथ अयानूर :
श्री सुनील खां :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड (एच० एस० सी० एल०) और विश्वेश्वरैया आयरन और स्टील लिमिटेड (वी० आई० एस० एल०) का भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के साथ विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई समिति गठित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के प्रावधान के तहत विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड (वी० आई० एस० एल०) को जनहित में स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के साथ विलय करने का निर्णय लिया है। इसका सेल में विलय करने से प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा बेहतर संसाधन प्रबन्धन के सही अवसर प्राप्त होंगे। विलय से बेहतर बाजार सहयोग और सेल आदि के अन्य विशेष इस्पात संयंत्रों के साथ उचित सम्बन्ध भी बन सकेंगे।

इस समय, हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड (एच० एस० सी० एल०) को सेल में विलय करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

आमान परिवर्तन

4297. श्री नेपाल चन्द्र दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुवाहाटी से लुम्डिग तक बड़ी लाइन (मीटर गेज) को समाप्त करने के क्या कारण हैं जिससे असम की बराक घाटी त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के यात्रियों और व्यापारियों को बड़ी परेशानी हो रही है; और

(ख) इस क्षेत्र में आमान परिवर्तन का कार्य पूरा होने तक माल एवं पैसेंजर गाड़ियों की सुगम आवाजाही हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) गुवाहाटी और लमडिंग के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया गया है।

(ख) लमडिंग-सिलचर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य शुरू कर दिया गया है, इस कार्य के पूरा होने तक लमडिंग में पर्याप्त यानांतरण सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

भुसावल रेलवे स्टेशन पर आरक्षण कोटा

4298. डा० उल्हास वासुदेव पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुसावल स्टेशन पर रेलगाड़ीवार आरक्षण कोटा कितना है;

(ख) क्या भुसावल स्टेशन के लिए आबंटित आरक्षण कोटा यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करता है;

(ग) यदि नहीं, तो यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का भुसावल से कर्नाटक एक्सप्रेस के लिए वी० आई० पी० कोटा भी मंजूर करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) भुसावल में उपलब्ध आरक्षण कोटों का अधिकांश गाड़ियों में पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है और इसलिए यातायात के मौजूदा स्तर को सम्हालने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं। बहरहाल, नवम्बर, 1997 से भुसावल में विभिन्न गाड़ियों में 67 शायिकाओं का अतिरिक्त कोटा जहां यह आवश्यक समझा गया, आबंटित किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) 2627/2628 कर्नाटक एक्सप्रेस एक पूर्णत: लोकप्रिय गाड़ी है और भुसावल पर आपातकालीन कोटा आबंटित करने की दृष्टि से इस गाड़ी में कोई समायोजन करना व्यावहारिक नहीं है।

विवरण

भुसावल में उपलब्ध आरक्षण कोटा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम सं०	गाड़ी नं०	गंतव्य	श्रेणी	कोटा
1	2	3	4	5
1.	2106 विदर्भ एक्सप्रेस	मुम्बई	वाता० 2 टियर	8
			वाता० 3 टियर	6
			शयनयान	25
2.	1015 कुशीनगर एक्सप्रेस	गोरखपुर	वाता० 2 टियर	2
			शयनयान	24
3.	1016 कुशीनगर एक्सप्रेस	मुम्बई	शयनयान	24
4.	1027 दादर-गोरखपुर एक्सप्रेस	गोरखपुर	वाता० 2 टियर	6
			शयनयान	10
5.	1028 गोरखपुर-दादर एक्सप्रेस	मुम्बई	शयनयान	6

1	2	3	4	5
6.	2133 पुष्पक एक्सप्रेस	लखनऊ	प्रथम वाता०	1
			वाता० 2 टियर	6
			वाता० 3 टियर	6
			शयनयान	12
7.	2134 पुष्पक एक्सप्रेस	मुम्बई	वाता० 2 टियर	2
			शयनयान	6
8.	2137 पंजाब मेल	फिरोजपुर	वाता० 2 टियर	2
			वाता० 3 टियर	2
			शयनयान	12
		नई दिल्ली	शयनयान	2
9.	1061 लश्कर एक्सप्रेस	आगरा कैंट	वाता० 2 टियर	4
			शयनयान	8
10.	1062 लश्कर एक्सप्रेस	मुम्बई	शयनयान	4
11.	1065 कुर्ला-वाराणसी एक्सप्रेस	वाराणसी	वाता० 2 टियर	2
			शयनयान	10
12.	1067 साकेत एक्सप्रेस	फैजाबाद	वाता० 2 टियर	3
			शयनयान	8
13.	1069 तुलसी एक्सप्रेस	इलाहाबाद	वाता० 2 टियर	2
			शयनयान	20
14.	1439 सेवाग्राम एक्सप्रेस	नागपुर	वाता० 2 टियर	6
			शयनयान	44
15.	1057 दादर-अमृतसर एक्सप्रेस	अमृतसर	वाता० 2 टियर	4
			शयनयान	10
16.	1058 अमृतसर-दादर एक्सप्रेस	मुम्बई	शयनयान	34
17.	2779 गोआ एक्सप्रेस	नई दिल्ली	वाता० 2 टियर	2
			शयनयान	14
18.	2780 गोआ एक्सप्रेस	मिरज	शयनयान	2
		लोंडा	शयनयान	2
19.	2627 कर्नाटक एक्सप्रेस	नई दिल्ली	प्रथम दर्जा	2
			शयनयान	10
20.	2628 कर्नाटक एक्सप्रेस	बेंगलूरु	शयनयान	8
21.	2859 गीतांजलि एक्सप्रेस	हवड़ा	वाता० 2 टियर	8
			वाता० 3 टियर	6
			शयनयान	32
22.	3448 दादर-भागलपुर एक्सप्रेस	भागलपुर	शयनयान	20
23.	9045 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस	वाराणसी	वाता० 2 टियर	2
			शयनयान	25
24.	9047 सूरत-पटना एक्सप्रेस	पटना	वाता० 2 टियर	2
			शयनयान	25
25.	4313 दादर-बरेली एक्सप्रेस	बरेली	प्रथम दर्जा	2
			शयनयान	17

1	2	3	4	5
26.	5217 पवन एक्सप्रेस	मुजफ्फरपुर	वाता० 2 टियर	4
			शयनयान	10
27.	5218 पवन एक्सप्रेस	मुम्बई	शयनयान	16
28.	5219 कुर्ला-दरभंगा एक्सप्रेस	दरभंगा	वाता० 2 टियर	4
			शयनयान	10
29.	5645 दादर-गुवाहाटी एक्सप्रेस	गुवाहाटी	वाता० 2 टियर	4
			शयनयान	17
30.	6045 नवजीवन एक्सप्रेस	चेन्नई	वाता० 2 टियर	2
			वाता० 3 टियर	4
			शयनयान	10
31.	6046 नवजीवन एक्सप्रेस	अहमदाबाद	शयनयान	2
32.	5220 दरभंगा-कुर्ला	मुम्बई	शयनयान	16
33.	6506 स्वर्ण जयन्ती एक्सप्रेस	बेंगलूरु	शयनायान	12
34.	7384 महाराष्ट्र एक्सप्रेस	कोल्हापुर	वाता० 2 टियर	6
			शयनयान	22
		सोलापुर	शयनयान	4
35.	8002 मुम्बई मेल	मुम्बई	शयनयान	40
36.	8030 हवड़ा-कुर्ला एक्सप्रेस	मुम्बई	प्रथम दर्जा	12
			शयनयान	34
37.	8401 पुरी-ओखा एक्सप्रेस	ओखा	वाता० 2 टियर	2
			शयनयान	6
38.	8404 अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस	पुरी	वाता० 2 टियर	2
			शयनयान	18
39.	8403 पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस	अहमदाबाद	शयनयान	8
40.	2716 नांदेड-अमृतसर एक्सप्रेस	अमृतसर	वाता० 3 टियर	4
			शयनयान	30
41.	78 भुसावल-सूरत पैसेंजर	सूरत	प्रथम दर्जा	10
			शयनयान	58
42.	114 भुसावल-सूरत पैसेंजर	सूरत	प्रथम दर्जा	10
			शयनयान	58
43.	1077 झेलम एक्सप्रेस	जम्मू	वाता० 2 टियर	2
			वाता० 3 टियर	4
			शयनयान	6

ब्रेक ब्लाक्स की खरीद

4299. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रेक ब्लाक्स को खुले बाजार से खरीदने का कोई प्रस्ताव है जबकि पश्चिम रेलवे के दाहोद वर्कशाप में इसका कम कीमत पर उत्पादन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि पश्चिम रेलवे पर-दाहोद तथा अन्य कारखाने पश्चिम रेलवे के ब्रेक ब्लाक की बढ़ी हुई मांग को पूर्णतया पूरा करने में सक्षम

नहीं है इसलिए केवल व्यापार से खरीद के जरिए कमी को पूरा किया जा रहा है।

[हिन्दी]

काशीविश्वनाथ एक्सप्रेस की दुर्घटना

4300. डॉ० महादीपक सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी 1998 में काशीविश्वनाथ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसमें हुई जान-माल की हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) 5 जनवरी, 1998 को जब 136 डाउन बरेली एक्सप्रेस उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के कर्ना और मसीत स्टेशनों के बीच चल रही थी तब वह 4258 डाउन काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से टकरा गई जो एक पशु के कुचले जाने के कारण ब्लाक खंड में खड़ी हो गई थी। इस टक्कर के परिणामस्वरूप 51 व्यक्तियों की जानें गईं और 66 व्यक्ति घायल हुए जिनमें 41 गंभीर रूप से घायल हुए। रेल संपत्ति की क्षति 1.02 करोड़ रुपए आंकी गई है।

(ग) और (घ) रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा दुर्घटना की जांच की गई है जिन्होंने इसका कारण स्टार्टर सिगनल को अप्राधिकृत रूप से नीचे करना और 36 डाउन यात्री गाड़ी के ड्राइवर द्वारा खतरे के अग्रिम स्टार्टर सिगनल को पार करना बताया है, जिसके कारण दुर्घटना हुई। कर्ना स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर और 136 डाउन के ड्राइवर और डीजल सहायक को जिम्मेदार ठहराया गया है।

डीजल इंजन में आग लगना

4301. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्टेशन के निकट एक ट्रेन का डीजल इंजन उसके फिल्टर के जल जाने की वजह से जल गया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले एवं इससे रेल संपत्ति को कितना नुकसान हुआ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां। बहरहाल, 22-6-97 को कानपुर और गंगा घाट के बीच शताब्दी एक्सप्रेस में कार्य के समय रेल इंजन का केवल एयर फिल्टर जल गया था।

(ख) और (ग) जी, नहीं। बहरहाल, फिल्टरों के जलने के कारणों की छानबीन करने हेतु तकनीकी जांच की गई और ऐसे मामलों को रोकने के लिए अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। रेल इंजन की हानि केवल 12,900 रुपये थी जो एयर फिल्टर की लागत है।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार के लिए हवाई सेवा

4302. श्री मनोरंजन भक्त : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई तथा कलकत्ता से पोर्टब्लेयर के लिए सीडी/आईसी उड़ानों में सीटों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के लिए बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए किन कार्रवाईयों पर विचार कर रही है;

(ग) क्या अंडमान निकोबार प्रशासन का विचार अंतर द्वीप समूह उड़ान के प्रचालन के लिए हवाई सेवा उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अंडमान व निकोबार प्रशासन के लिए अंतर द्वीपसमूह विमान सेवाओं के प्रचालन के बारे में नागर विमानन मंत्रालय ने अंडमान व निकोबार प्रशासन के साथ विचार-विमर्श किया था जिसके अनुसरण में अंडमान व निकोबार प्रशासन ऐसी सेवा शुरू करने के लिए रीति बना रहा है।

छोटे और मझोले शहरों की एकीकृत विकास योजना के लिए ऋण पर कम ब्याज दर

4303. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत छोटे और मझोले शहरों के विकास के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज दर कम करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) इस समय, छोटे तथा मझोले शहरों की समेकित विकास योजना (आई० डी० एस० एम० टी०) में शामिल छोटे तथा मझोले शहरों को दिए गए ऋण की ब्याज-दर कम करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत खंड

4304. श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय खंडों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 के दौरान रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत आने वाले खंडों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत देश के सभी खंडों को लाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) राज्य-वार मौजूदा खंडों की संख्या तथा 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत कवर किए गए खंडों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) 1 अप्रैल, 1997 से देश के सभी ग्रामीण खंडों को सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत कवर किया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	सु०रो० योजना के अंतर्गत			
		कुल खण्डों की संख्या	कवर किए गए खंडों की संख्या वर्ष		
			1995-96	1996-97	1998-99
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	330	185	280	330
2.	अरुणाचल प्रदेश	56	56	56	56
3.	असम	218	142	218	218
4.	बिहार	727	447	577	727
5.	गोआ	11	0	4	11
6.	गुजरात	218	150	181	218
7.	हरियाणा	111	45	77	111
8.	हिमाचल प्रदेश	73	19	44	73
9.	जम्मू व कश्मीर	119	96	119	119
10.	कर्नाटक	175	133	162	175
11.	केरल	150	19	79	150
12.	मध्य प्रदेश	459	340	394	459
13.	महाराष्ट्र	298	211	247	298
14.	मणिपुर	31	22	31	31
15.	मेघालय	32	32	32	32
16.	मिजोरम	20	20	20	20
17.	नागालैंड	52	52	52	52
18.	उड़ीसा	314	250	290	314
19.	पंजाब	138	0	49	138
20.	राजस्थान	237	174	204	237
21.	सिक्किम	4	4	4	4
22.	तमिलनाडु	385	198	282	385
23.	त्रिपुरा	27	27	27	27
24.	उत्तर प्रदेश	901	362	611	901
25.	पश्चिम बंगाल	341	213	270	341
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	5	1	2	5
27.	दादरा व नगर हवेली	1	1	1	1
28.	दमन व द्वीव	2	1	2	2
29.	लक्षद्वीप	7	7	7	7
30.	पांडिचेरी	6	0	3	6
	कुल	5448	3207	4325	5448

कुप्पम में फ्लाई ओवर का निर्माण

4305. श्री के० येरननायडू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 50 प्रतिशत लागत आधार पर आंध्र प्रदेश में कुप्पम में एक फ्लाई ओवर निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में मंजूरी प्रदान कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां। समपार सं० 101 के बदले फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाएगा।

(ख) यह कार्य रेल बजट 1998-99 में स्वीकृत कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ई० ए० एस० के अंतर्गत निधियों का जारी किया जाना

4306. श्री अर्जुन सेठी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सी डी ब्लाक्स के लिए अनिवार्य है कि वो सरकार द्वारा परिचालित 60:20:20 आधार के मार्गनिर्देशों का पालन करे, अन्यथा निधि को जारी करने से रोक दिया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत ऐसी कोई शर्तें नहीं हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित रोजगार योजना एक मजूदरी रोजगार कार्यक्रम होने के कारण कम-से-कम निधियों का 60 प्रतिशत मजदूरी घटक पर खर्च किया जाना चाहिए और शेष सामग्री पर खर्च किया जाना चाहिए।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन

4307. श्री माधव राव पाटील : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा संबद्ध कार्यक्रमों के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत जिला ग्रमीण विकास एजेंसी की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने अन्य कार्यक्रमों की तरह ही ऐसी एजेंसियों के कर्मचारियों के पेंशन तथा उपदान के खर्च का कम-से-कम पचास प्रतिशत केन्द्र सरकार से देने का आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार को निर्णय की सूचना दे दी गई है। राज्य सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों का गठन किया जाता है। रजिस्टर्ड सोसाइटी होने के कारण इनके कर्मचारियों की सेवा शर्तें राज्य सरकार की सहमति से उनकी उप-विधियों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं और प्रशासनिक खर्च को पूरा करने के लिए निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं। प्रशासनिक खर्च को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्येक योजना के अंतर्गत आवंटन के एक निश्चित प्रतिशत का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है जिसे केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। केन्द्र सरकार का योगदान उपयुक्त अधिकतम प्रतिशत तक सीमित है।

[हिन्दी]

स्लीपरों की खरीद

4308. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में रेलवे बोर्ड द्वारा कितने स्लीपर खरीदे गए और किन एजेंसियों ने इस स्लीपरों की आपूर्ति की है तथा एजेंसीवार कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) 1 जनवरी, 1995 से 31 मार्च, 1998 तक स्लीपरों की आपूर्ति के लिए दी गई निविदाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से रद्द की गई निविदाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान मैसर्स मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और मैसर्स मध्य प्रदेश निर्यात निगम, भोपाल के माध्यम से 100412 अदद लकड़ी के स्लीपर खरीदे गए थे। एजेंसीवार अदा की गई राशि निम्नलिखित है—

(i) मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम—लगभग 3.38 करोड़ रुपए।

(ii) मैसर्स मध्य प्रदेश निर्यात निगम, भोपाल—17.06 करोड़ रुपए।

(ख) निविदाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं—

भारतीय रेलों को साल की लकड़ी के विशेष स्लीपरों के 52000 घनमीटर की सप्लाई के लिए निविदा संख्या—डब्ल्यू एस—103/97।

(ग) निविदा निरस्त नहीं की गई थी।

[अनुवाद]

पेयजल

4309. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय पेयजल मिशन की उपलब्धियों के बारे में कोई गहन अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस शताब्दी के अंत तक पूरी ग्रामीण जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) 1991-94 के दौरान ग्रामीण बसावटों में पेयजल की आपूर्ति की स्थिति का सत्यापन करने के लिए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया गया तथा 1996-97 में इसकी स्थिति का पुनः सत्यापन किया गया। इन सर्वेक्षणों के अनुसार 1-4-97 को पेयजल की सुविधाओं से युक्त ग्रामीण बसावटों की कवरेज की स्थिति राष्ट्रीय मानदंडों के संदर्भ में निम्नानुसार है—

कवर न की गई	:	61660
आंशिक रूप से कवर की गई	:	377484
पूर्णतः कवर की गई		991519

(ग) और (घ) राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई कार्य योजना के अनुसार, नौवीं योजना अवधि के दौरान, राजस्थान के कुछ भागों को छोड़कर सभी ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल की सुविधाओं के लिए कवर करना है बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

इस्पात की गुणवत्ता

4310. डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस समय उत्पादित किए जा रहे इस्पात की गुणवत्ता में सुधार लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) इस्पात की गुणवत्ता में सुधार एक सतत् प्रकिया है। यह उपभोक्ता द्वारा पर्याप्त मूल्य चुकाने की इच्छा, प्रौद्योगिकी, कच्चे माल की गुणवत्ता, प्रशिक्षित जनशक्ति आदि पर निर्भर करती है। सरकार सेमिनारों, बैठकों आदि के माध्यम से विभिन्न मंचों पर उत्पादकों द्वारा इस्पात की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता के मुद्दे को सुग्राही बनाती रही है। इस्पात संयंत्रों को उनके संयंत्रों में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन/आई एस ओ-9000 मानकों को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उन्हें गुणवत्ता में सुधार हेतु बेहतर गुणवत्ता के कच्चे माल का प्रयोग करने, नई और आधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने, सही प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित करने, निर्देश जारी करने, तथा अनुसंधान और विकास हेतु निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जम्मू और कश्मीर में छावनी की स्थापना

4311. श्री चमन लाल गुप्त : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में भदरेवाह में छावनी स्थापित करने का कार्य कब आरंभ किया गया था और उस पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) अब तक कितना कार्य पूरा हुआ है और इसके पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) छावनी अधिनियम, 1924 की धारा-3 के तहत जम्मू-कश्मीर में भदरवाह को छावनी के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बी० जी० एम० एल० कामगारों की छंटनी

4312. श्री के० एच० मुनियप्पा :
श्री ए० सिद्दराजू :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइंस लि० (बी० जी० एम० एल०), कोलार स्वर्ण खानें, वर्ष 1998-99 के दौरान कामगारों की छंटनी पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्होंने स्वैच्छिक सेवनिवृत्ति योजना को स्वीकार किया है;

(घ) परिचालन और प्रशासनिक कार्यों हेतु कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है;

(ङ) क्या उक्त कंपनी घाटे में चल रही है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) कंपनी को बिना लाभ बिना हानि के आधार पर चलाने हेतु प्रस्तावित कदम क्या हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) भारत गोल्ड माइंस लि० (बीजीएमएल) का वर्ष 1998-99 के दौरान कामगारों की छंटनी का एक प्रस्ताव है क्योंकि कंपनी में अतिरिक्त कामगार हैं।

(ग) वर्ष 1997-98 में 31-8-1997 तक, जो सरकार के निर्णय के अनुसार स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (बीआरएस) को स्वीकार करने की अंतिम तारीख है, 1535 कर्मचारियों ने वी आर एस को स्वीकार किया।

(घ) से (छ) यह कंपनी रुग्ण है और इसका मामला वर्ष, 1992 से औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के समक्ष विचाराधीन है। 31-3-1998 को वर्ष 1997-98 का अनंतिम शुद्ध घाटा और संचयी घाटा क्रमशः 66.60 करोड़ रु० और 370 करोड़ रु० है। जून, 1997 के दौरान सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ एक निजी सह-संवर्धक (संवर्धकों को-प्रमोटर) को शामिल करके संयुक्त उद्यम के माध्यम से बी जी एम एल के पुनर्वास की संभावना का पता लगाने का निर्णय लिया। तदनुसार, एक समिति गठित की गई जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। बीजीएमएल के भविष्य के बारे में निर्णय रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। बीजीएमएल के संबंध में बीआईएफआर द्वारा संस्वीकृत किसी पुनर्वास योजना के अभाव में परिचालन और प्रशासनिक कार्यों के लिए अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या बता पाना संभव नहीं है।

के० आई० ओ० सी० एल० द्वारा कर्नाटक को दिया गया मुआवजा

4313. श्री एच० जी० रामुलू : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने नेल्लीबीदु के निकट खनन संभावनाओं का पता लगाने हेतु कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लि० को अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) के० आई० ओ० सी० एल० द्वारा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के विकास हेतु कर्नाटक सरकार को कितना मुआवजा दिया जाएगा;

(घ) क्या के० आई० ओ० सी० एल० द्वारा दिए गए मुआवजे का उपयोग कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के विकास हेतु किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीन का भारत पर आरोप

4314. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मई, 1998 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'चाइना लैशेस आउट एट इंडिया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चीन के इस आरोप पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि नई दिल्ली ने चीन के 90,000 वर्ग मिलोमीटर भू-भाग पर कब्जा कर रखा है तथा परमाणु हथियारों से संपन्न भारत, चीन तथा दूसरे पड़ौसी देशों के लिए नया खतरा बन गया है;

(ग) क्या चीन के आरोप को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो देश की सुरक्षा तथा अखंडता की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सरकार का ध्यान दिनांक 19 मई, 1998 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'चाइना लैशेस आउट एट इंडिया' नामक शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है।

2. चीन का यह बयान तथ्यों के विपरीत है कि भारत ने उनके 90,000 वर्ग किमी० क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। वास्तव में चीन ने भारत के जम्मू तथा कश्मीर राज्य के लगभग 38,000 वर्ग किमी० क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान 'सीमा समझौते' के तहत पाकिस्तान ने अवैध रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 5180 वर्ग किमी० भारतीय क्षेत्र को चीन को दे दिया है।

3. जहां तक चीन के इस आरोप का संबंध है कि भारत चीन तथा अन्य पड़ौसी देशों के समक्ष नया खतरा पैदा कर रहा है, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि भारत का पड़ौसी, चीन पहले ही साठ के दशक से एक परमाणु शस्त्र देश है। चीन, पाकिस्तान को उसके परमाणु तथा प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों में भी सहायता कर रहा है। भारत का परमाणु कार्यक्रम केवल देश की रक्षा के प्रयोजन के लिए ही है। यह चीन सहित हमारे किसी भी पड़ौसी देश के समक्ष कोई खतरा पैदा नहीं कर रहा है।

4. हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं की लगातार निगरानी की जाती है तथा उनका आकलन किया जाता है। हमारी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए समुचित कदम उठाए जाते हैं ताकि सभी संभावित स्थितियों का सामना किया जा सके।

तालचेर को गोपालपुर से जोड़ना

4315. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर और गोपालपुर के बीच नई रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) 1998-99 के बजट में सर्वेक्षण शामिल किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

बॉक्साइट और लौह अयस्क की खानों का बंद किया जाना

4316. श्री बिक्रम देव केशरी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और बिहार में अनेक लौह अयस्क और बॉक्साइट खानें बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खानों को फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) उड़ीसा में 31 लौह अयस्क/लौह तथा मैग्नीज खानें तथा बिहार में 3 लौह अयस्क खानें बंद कर दी गई थीं। बाद में इनमें से 11 उड़ीसा में दोबारा खोल दी गई हैं। इन दोनों राज्यों में कोई बॉक्साइट खान बंद नहीं की गई।

(ख) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 में अपने दिनांक 12-12-1996 के आदेश द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार को उन वन क्षेत्रों में खनन कार्य रोक देने के निर्देश दिया जहां वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत यथा अपेक्षित किसी वनेतर कार्य के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी नहीं ली गई है। उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायलय के दिनांक 4-3-1997 के निर्णय के आधार पर उड़ीसा राज्य में 11 लौह अयस्क/लौह तथा मैग्नीज खानें, जिनके पट्टे 25-10-1980 से पहले दिए गए थे, दोबारा खोल दी गईं।

(ग) उड़ीसा सरकार ने 10 खानों के बारे में, वनेतर उद्देश्यों के लिए, वन भूमि के परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

[हिन्दी]

सुपरफास्ट रेलगाड़ियां

4317. **श्री मोहन सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय संपूर्ण देश में कितनी सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चल रही हैं;

(ख) क्या इन सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से वसूले गए अधिभार का अलग-अलग रिकार्ड रखा जाता है;

(ग) यदि हां, तो इससे रेलवे को प्रतिवर्ष औसत आमदनी कितनी हुई;

(घ) वसूल किया गया उक्त अधिभार किस शीर्ष पर खर्च किया गया;

(ङ) क्या इन सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में यात्रियों को घोषित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 57 जोड़ी।

(ख) जी, हां।

(ग) रेलों की औसत वार्षिक आमदनी 26.55 करोड़ रुपए है।

(घ) सभी आमदनियों का लेखा-जोखा भारत की समेकित निधि के अंतर्गत किया जाता है और मौजूदा प्रणाली के अंतर्गत शीर्ष विशेष जिसके तहत अधिभार से होने वाली आमदनी खर्च की जाती है, निर्धारित करना संभव नहीं है।

(ङ) और (च) जी, हां। बहरहाल, विभिन्न गाड़ियों में मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं की मात्रा कतिपय अन्य कारकों यथा गाड़ी से स्वरूप, ठहरावों की संख्या, कुल चालन समय और उपभोक्ता आदि पर भी निर्भर करती है न कि केवल औसत गति पर ही।

रक्षा उपस्करों की खरीद में पारदर्शिता

4318. **डॉ० चिन्ता मोहन :**
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से अस्त्र-शस्त्र और दूसरी रक्षा संबंधी सामग्री की खरीद करने के संबंध में पारदर्शिता लाने और मध्यस्थता को समाप्त करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) मौजूदा रक्षा क्रय प्रक्रियाओं में विदेशों से शस्त्रों और अन्य रक्षा सामानों की खरीददारी में बिचौलियों को शामिल किए जाने की इजाजत नहीं है। सभी संविदाओं में एक शर्त निहित होती है जिसमें विक्रेता इस बात की पुष्टि करता है कि वह मौजूदा सामानों का मूल निर्माता है तथा संविदा के आवंटन के वास्ते सरकार से माध्यस्थता करने के लिए उसने कोई एजेंट/बिचौलिया नियुक्त नहीं किया है। इस तरह की गई घोषणा गलत पाए जाने पर संविदा निरस्त किए जाने से लेकर आपूर्तिकर्त्ता को सरकार के साथ अनुवर्ती संविदाओं में शामिल होने से वंचित किए जाने तक का उपयुक्त दंड लगाया जाता है।

[अनुवाद]

अभारित माल डिब्बे

4319. **श्री चेतन चौहान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996, 1997 और 1998 के दौरान अभारित माल डिब्बों की प्रतिशतता क्या थी;

(ख) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी दांडिक (पैनल) मालभाड़े का नुकसान हुआ;

(ग) क्या इस मामले में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) इस संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मुजफ्फरनगर और रुड़की के बीच रेल लाइन का निर्माण

4320. **श्री सोहनवीर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और हरिद्वार के बीच यात्रा की अवधि को कम करने हेतु मुजफ्फरनगर और रुड़की के बीच सीधी रेल लाइन बिछाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रेल लाइन का निमार्ण कार्य कब शुरू होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है।

सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर प्रस्ताव पर आगे विचार करना संभव होगा।

सरकारी कालोनियों में अतिक्रमण

4321. श्री अमर रायप्रधान : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री सरकारी कालोनियों में अतिक्रमण के बारे में दिनांक 20-11-1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 356 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानीय निकायों, संपदा निदेशालय और पुलिस, जिन्हें मामलो की सूचना दी गई थी, ने अब तक कितने अनधिकृत अतिक्रमण हटाए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इन अतिक्रमणों को हटाने में विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार अतिक्रमण की गई भूमि को कब तक अपने नियंत्रण में लेने का है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) 20 नवंबर, 1997 से अब तक एक अनधिकृत दुकान हटाई गई है।

(ख) नियमों के अधीन अपेक्षित कानूनी औपचारिकताओं के पूरा न होने, मुकदमों और पुलिस बल की अनुपलब्धता के कारण अनधिकृत अतिक्रमण हटाए नहीं जा सके।

(ग) निश्चित समय-सीमा बताना कठिन है क्योंकि काफी मामलों में यह मुकदमों के निपटान पर निर्भर करता है।

उत्तर प्रदेश में नागरिक सुविधाओं में सुधार

4322. श्री प्रभूदयाल कठेरिया : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की कितनी नागरिक सुविधा योजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं; और

(ख) इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) देश के शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय, केन्द्र प्रायोजित दो स्कीमें अर्थात् कम लागत की सफाई स्कीम (एल० सी० एस०) तथा त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए० यू० डब्ल्यू० एस० पी०) कार्यान्वित कर रहा है।

कम लागत की सफाई स्कीम के अंतर्गत 'पोर फ्लश टायलेट्स' रहित क्षेत्रों में इनके निर्माण और शुष्क शौचालयों को 'पोर फ्लश शौचालयों' में परिवर्तित करने के लिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सरकार के पास अनुमोदन हेतु कोई स्कीम लंबित नहीं है।

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत, 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम जनसंख्या वाले कस्बों के लिए लागू 81 स्कीमें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अनुमोदित कर दी गई हैं तथा बजटीय संसाधनों के अभाव में 5 स्कीमें अभी अनुमोदित नहीं की गई हैं। केन्द्रीय योजना के अंतर्गत कार्यकम के लिए निधियों की उपलब्धता पर ही इन स्कीमों का अनुमोदन निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

दिघी और अकारा लेवल क्रासिंग्स पर ऊपरि पुलों का निर्माण

4323. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजीपुर-मुजफ्फरपुर मार्ग पर दिघी और अकारा लेवल क्रासिंग्स पर ऊपरि पुलों का निर्माण का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन दो पुलों का निर्माण कब तक कराने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) हाजीपुर और चकमकरंध हाल्ट के बीच दिघी में समपार संख्या 54 के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, पटना द्वारा 1996-97 में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किए जाने हेतु निक्षेप कार्य के रूप में प्रायोजित किया गया था। रेलवे के हिस्से के लिए सामान्य प्रबंधन, आरेख और विस्तृत अनुमान लोक निर्माण विभाग, गंगा परियोजना, पटना को स्वीकृति हेतु अगस्त, 1996 में भेजे गए थे। चूंकि यह एक निक्षेप कार्य है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति देने और राशि जमा कराने के पश्चात् इसका निष्पादन शुरू किया जा सकता है। अकारा में ऊपरी सड़क पुल के लिए अभी तक रेल को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली पहल पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

चालक रहित विमान

4324. श्री अजय कुमार एस० सरनायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना के लिए चालक रहित विमान के उत्पादन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) देश में ही विकसित चालकरहित विमान 'लक्ष्य' के सफल विकास के पश्चात् रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने वायुसेना, नौसेना और सेना की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित शृंखला उत्पादन शुरू किया है। दो चालकरहित विमान वायुसेना को अगस्त, 1998 तक सौंप दिए जाएंगे। इसके साथ ही थोक उत्पादन एजेंसी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स

लिमिटेड को प्रौद्योगिकी का अंतरण किया जा रहा है ताकि तीनों सेनाओं की भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

1986 से पूर्व के पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में संशोधन

4325. श्री वी० वी० राघवन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन करने के लिए अभी तक आदेश जारी नहीं किए हैं जबकि केन्द्रीय सिविल पेंशनभोगियों के मामले में यह आदेश 10 फरवरी, 1998 को जारी कर दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सशस्त्र बलों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को चिकित्सा भत्ता देने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं जैसा कि सिविल पेंशनभोगियों के मामले में किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) सशस्त्र सेनाओं से 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सवारी डिब्बों की दशा

4326. श्री दत्ता मेघे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि रेलगाड़ियों में अनेक डिब्बे खस्ता हालत में हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन सवारी डिब्बों की मरम्मत कब तक की जाएगी अथवा बदल दिए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सवारी डिब्बे नियमित रूप से निर्धारित मानदंडों के अनुसार बनाए रखे जाते हैं तथा उनका बदलाव उपलब्ध संसाधनों और विनिर्माण क्षमता के अनुरूप आयु एवं हालत के आधार पर किया जाता है। नए सवारी डिब्बों को लगातार लगाकर गतायु सवारी डिब्बों के प्रतिशत को धीरे-धीरे कम किया जा रहा है।

रेलें मौजूदा सवारी डिब्बों को अच्छी हालत में बनाए रखने के लिए उपाय कर रही हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं : रेकों का जीर्णोद्वार, सवारी डिब्बों का पुनर्स्थापन, यू आई सी गलियारों को लगाना, शौचालयों में स्टेनलेस स्टील प्लेट, पी वी सी वाला फर्श, एफ आर पी खिड़कियां लगाना आदि।

[अनुवाद]

सवारी डिब्बों का विनिर्माण

4327. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990-91 से पारंपरिक श्रेणी के सवारी डिब्बे लक्ष्य से ज्यादा मात्रा में बनाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से बजट आवंटन पारंपरिक श्रेणी के सवारी डिब्बों की अपेक्षा बेहतर रूपरेखा तथा ज्यादा सीट क्षमता वाले नए सवारी डिब्बों के विनिर्माण पर अंतरित नहीं किया गया है;

(ग) क्या 1995-96 के दौरान शयनयान श्रेणी सहित द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त होने वाली आय कुल यात्री भाड़े के रूप में प्राप्त होने वाली आय का 56 प्रतिशत था; और

(घ) यदि हां, तो विशेष रूप से लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में शयनयान श्रेणी सहित द्वितीय श्रेणी की क्षमता में वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां। 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1994-95 के दौरान परंपरागत सवारी डिब्बों का वास्तविक उत्पादन (वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित किस्म के) लक्ष्य से अधिक रहा है।

(ख) उत्पादन में सवारी डिब्बों की भिन्न-भिन्न किस्मों के ले-आउट और अभिकल्प में सुधार करना एक सतत् प्रकिया है और ले-आउट को अनुकूल बनाने, यात्री सुविधाओं, बेहतर विश्वसनीयता और संरक्षा में सुधार करने के लिए नयी विशेषताएं, नवनिर्मित सवारी डिब्बों में समय-समय पर शामिल की जाती हैं। ये आयोजन परम्परागत सवारी डिब्बों में उत्तरोत्तर रूप से शामिल किए जाते हैं।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान शयनयान दर्जा सहित दूसरे दर्जे (मेल और एक्सप्रेस) से यात्री-आमदनी कुल यात्री आमदनी का 55 प्रतिशत है।

(घ) भारतीय रेलों पर चल रही गाड़ियों में मुख्यत: दूसरे दर्जे के अनारक्षित/शयनयान दर्जे के सवारी डिब्बे होते हैं।

एम० एम० आर० डी० अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित क्षेत्र

4328. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम० एम० आर० डी० अधिनियम में निर्धारित क्षेत्र की अधिकतम सीमा क्या है जिसके लिए कोई व्यक्ति सामान्यत: देश में किसी एक खनिज या खनिजों के संबद्ध समूह के लिए खनन पट्टा अथवा संभावित खनिज प्राप्ति लाईसेंस प्राप्त कर सकता है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार निर्धारित क्षेत्र की सीमा को संशोधित करके बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) अधिकतम क्षेत्र खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है जिसके लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा दिया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 6(1)(क) के अनुसार पूरे देश में कुल 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक के लिए ही एक या अधिक पूर्वेक्षण लाइसेंस दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार इस अधिनियम की धारा 6(1)(ख) के अनुसार किसी खनिज या निर्धारित संबद्ध खनिज समूह के खनन पट्टे के लिए कोई भी व्यक्ति पूरे देश में अधिकतम 10 वर्ग मिलोमीटर क्षेत्र प्राप्त कर सकता है। तथापि, केन्द्र सरकार किसी भी व्यक्ति को लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से किसी खनिज के विकास के हित में उपरोक्त क्षेत्र सीमा से अधिक क्षेत्र के लिए एक या अधिक पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे प्राप्त करने की अनुमति दे सकती है।

केन्द्र सरकार ने हवाई पूर्वेक्षण करने के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस हेतु बड़े क्षेत्र की मंजूरी देने के संबंध में 30-10-1996 को दिशा-निर्देश जारी किए। अब पूर्वेक्षण लाइसेंस हवाई पूर्वेक्षण के लिए एकल पूर्वेक्षण लाइसेंस हेतु अधिकतम 5 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा किसी एकल कंपनी के लिए पूरे देश में अधिकतम 10 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए दिया जा सकता है जो तीन वर्ष में क्षेत्र को छोड़ने और भौतिक तथा व्यय से संबंधित प्रतिबद्धताओं से संबद्ध कतिपय शर्तों के अधीन होगा।

एन० आई० डी० की रिपोर्ट

4329. श्री सीताराम यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० आई० डी० ने हाल ही में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट पर कितनी राशि व्यय की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1995 में उत्तर रेल ने उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान, अहमदाबाद से स्टेशन परिसरों में भीड़-भाड़ कम करने, स्टाल/ट्राली का अभिकल्प तैयार करने, यात्री सूचना प्रणाली आदि के संबंध में एक अध्ययन करने के लिए कहा था। नवंबर, 1995 में राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान द्वारा उपर्युक्त विषय पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। इस संस्थान ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधारों का सुझाव दिया था—

1. स्टेशनों पर यातायात प्रबंधन।
2. जनता की सुविधा के लिए विभिन्न अभिकल्प तत्व यथा खान-पान स्टाल/ट्राली, कूड़ा-करकट निपटान, दूरभाष बूथ, जनता के बैठने का स्थान, कियोस्क आदि।
3. जनका की सहायता के लिए रेलवे सहायता जिसमें 'क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं जैसे बूथ', आरक्षण खिड़की और आरक्षण चार्ट आदि शामिल हैं।
4. रंग और प्रकाश के रूप में कारक को दक्ष परिचालन के लिए व्यक्तियों और स्थानों को प्रभावित करते हैं।
5. साइनेज, डायनामिक प्रदर्श आदि जैसे प्रयोजनामूलक दूरसंचार प्रणाली सहित ग्रॉफिक एलीमेंट।
6. विज्ञापन, होर्डिंग आदि जैसे वाणिज्यिक अनुप्रयोग के लिए प्रणाली।
7. अजमेरी गेट दिशा, नई दिल्ली स्टेशन पर पार्सल यातायात को अलग करना।
8. मौजूदा अजमेरी गेट स्टेशन इमारत योजना में आशोधन।
9. ऊपरी पैदल पुलों का परिचलन क्षेत्र में विस्तार और उन्हें ऊपर जोड़ना।
10. परिचलन क्षेत्र का चित्रण और पुनर्गठन और उन्हें ऊपर जोड़ना।
11. दोनों परिचलन क्षेत्रों में वृक्ष लगाना, गार्ड तैनात करना और हरियाली लाना।
12. खम्बों के चारों ओर बेंचों की व्यवस्था।
13. खम्बों के चारों ओर आरक्षण-चार्टों की व्यवस्था।

(ग) राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान की रिपोर्ट के लिए सरकार द्वारा 3,74,330/- रुपए की राशि खर्च की गई है।

उपरिपुलों का निर्माण

4330. श्री गंगाराम कोली : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली-रेवाड़ी खंड पर बड़ी लाइन की तरफ प्लेटफार्म स्तर ऊंचा कर देने के कारण लोगों/दैनिक यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसमें दुर्घटना का जोखिम भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समस्या को दूर करने के लिए रेलवे स्टेशनों, विशेष रूप से पटौदी रोड रेलवे स्टेशन पर उपरिपुलों का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उपरिपुलों का निर्माण, विशेष रूप से पटौदी रोड रेलवे स्टेशन पर कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

बंगलौर में मलव्ययन शोधन परियोजना

4331. श्री ए० सिद्दराजू : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से बंगलौर शहर में किसी बृहत् मलव्ययन शोधन परियोजना के लिए 17 करोड़ रुपये की भारत-कनाडा सहायता योजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

धोरीघाट-सहजनवा-घाघसारा-चितौनी-बगहा रेल लाइन का विस्तार

4332. श्री राजनारायण पासी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 में धोरीघाट-सहजनवा-घाघसारा-चितौनी-बगहा रेल लाइन का विस्तार करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति की गई है; और

(ग) इस रेल लाइन के विस्तार का कार्य कब तक आरंभ किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) जी, नहीं। बहरहाल, 1977 में बांसगांव के रास्ते सहजनवां से दोहरीघाट तक बड़ी लाइन के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था और 1989 में अद्यतन किया गया था तथा उससे ज्ञात हुआ कि इस लाइन का संभाव्य यातायात कम था। इस परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी को ध्यान में रखते हुए, यह परियोजना स्वीकृत नहीं की गई थी।

छितौनी-बगहा के पुनर्स्थापन के लिए 1973 में सर्वेक्षण किया गया था और यह कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और 1996 में मी० ला० यातायात के लिए खंड खोल दिया गया है। बगहा के रास्ते गोरखपुर से नरकटियागंज तक पूरा खंड आमान परिवर्तन के लिए स्वीकृत है और कार्य पहले ही प्रगति पर है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

4333. श्री पी० आर० किन्डिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन को पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए वार्षिक बजट आवंटन कितना है;

(ग) इस संबंध में चल रहे प्रमुख निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसी सड़कों के रख-रखाव तथा मरम्मत के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग को विशेष निधि उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) सीमा सड़क संगठन को पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ ही सड़कें बनाने का कार्य सौंपा गया है। इनमें से अधिकांश जनरल स्टाफ सड़कें तथा शेष एजेंसी निर्माण-कार्य हैं।

(ख) सीमा सड़क विकास बोर्ड के लिए वर्ष 1998-99 का बजट अनुमान 516.34 करोड़ रुपये है। यह राशि देश की रक्षा संबंधी जरूरतों के अनुसार खर्च की जाती है। वार्षिक बजट में न तो राज्य के लिए और न ही क्षेत्र विषेष के लिए अलग से कोई निर्धारण किया जाता है। एजेंसी निर्माण कार्यों पर वार्षिक रूप से खर्च की जाने वाली राशि संबंधित एजेंसियों द्वारा सीमा सड़क संगठन के लिए उपलब्ध कराई जा रही धनराशि पर निर्भर करती है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) सीमा सड़क संगठन, बी आर डी बी बजट में से जनरल स्टाफ सड़कों का अनुरक्षण करता है। जहां कहीं राष्ट्रीय राजमार्गों की देखभाल तथा मरम्मत का कार्य राज्य के लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। भूतल परिवहन मंत्रालय राज्य लोक निर्माण विभाग को राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए धनराशि उपलबध कराता है। लोक निर्माण विभाग की सड़कों की देखभाल तथा मरम्मत के लिए धनराशि राज्य सरकार के गैर-योजना बजट में से पूरी की जाती है। राज्य के लोक निर्माण विभाग की सड़कों का अनुरक्षण करने के लिए विशेष धनराशि का आवंटन करने के वास्ते योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

बड़े निर्माण कार्यों (सीमा सड़क संगठन के पास) का ब्यौरा

क्रम सं०	राष्ट्रीय राजमार्ग सं०	दूरी (बी आर ओ सहित)	राज्य	किया गया कार्य
1.	52	337	अरुणाचल प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग एकल लेन विनिर्देशनों में सुधार करने का कार्य चल रहा है।
2.	53	25	असम	बदरपुर-सिल्चर हिस्से में दोहरी लेन विनिर्देशनों में चौड़ा करने का कार्य चल रहा है।
3.	53	45	असम	सिल्चर-जीरीबाम हिस्से में दोहरी लेन विनिर्देशनों में चौड़ा करने का कार्य चल रहा है।
4.	53	218	मणिपुर	इंफाल-जीरीबाम हिस्से में दोहरी लेन विनिर्देशनों में चौड़ा करने का कार्य चल रहा है।
5.	54	40 140 390	असम मिजोरम मिजोरम	दोहरी लेन विनिर्देशनों में चौड़ा करने का कार्य चल रहा है। (2 किमी० से 192 किमी०)
6.	अगरतला सबरूम को हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का विस्तार घोषित किया गया है।	132	त्रिपुरा	राष्ट्रीय राजमार्ग मध्यवर्ती चौड़ाई विनिर्देशनों में सुधार करने का कार्य चल रहा है।

दिल्ली में ई० एम० यू० रेल गाड़ियों की बारंबारता

4334. **श्रीमती मीरा कुमार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग का दिल्ली में परिक्रमा रेलवे में चलाई जा रही ई० एम० यू० रेल गाड़ियों की बारंबारता बढ़ाने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हवाई अड्डों पर नियंत्रण कक्ष संबंधी सुविधा

4335. **श्री पुन्नुलाल मोहले :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई यातायात को नियंत्रित करने के लिए कौन-सी जिम्मेदार एजेंसी है;

(ख) भारत में कितने हवाई अड्डों पर नियंत्रण कक्ष की सुविधा उपलब्ध है;

(ग) सभी हवाई अड्डों पर इस सुविधा के उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश के शेष हवाई अड्डों पर यह सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारत में सिविल विमानपत्तनों पर विमान यातायात को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है।

(ख) से (घ) 62 विमानपत्तन, जहां से उड़ानें प्रचालित की जाती हैं, इनमें नियंत्रण कक्ष सुविधाएं हैं। अन्य विमानपत्तनों पर इस प्रकार की सुविधाएं प्रचालनात्मक आधार पर प्रदान की जा सकती हैं।

[अनुवाद]

रात्रि में विमान उतरने संबंधी सेवा

4336. **श्री के० करुणाकरन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर दिन और रात में अलग-अलग विमान उतरने संबंधी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या, जहां यह सेवा उपलब्ध नहीं है वहां दिन और रात में विमान उतरने संबंधी सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) सभी पांच अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर दिन/रात दोनों में प्रचालन की सुविधाएं हैं। देश में 57 प्रचालनात्मक अंतर्देशीय विमानपत्तनों में से, 32 पर दिन और रात्रि अवतरण सुविधाएं उपलब्ध हैं और 25 विमानपत्तनों पर केवल दिन में प्रचालनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) रात्रि अवतरण सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की चार अतिरिक्त विमानपत्तनों पर 1998-99 में यह सुविधा प्रदान करने की योजनाएं हैं। संसाधन तंगी और प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अन्य विमानपत्तनों पर भी यह सुविधा मुहैया कराने के लिए कदम उठा रही है।

सी एस डी कैंटीन के कर्मचारियों द्वारा शराब की कालाबाजारी

4337. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में सी एस डी कैंटीनों में व्हिस्की/रम के कुछ लोकप्रिय ब्रांड उपलब्ध न होने अथवा समाप्त हो जाने की बात कही जाती है जिससे सशस्त्र बलों के कर्मियों को इन कैंटीनों से मिलने वाले अपने इस अधिकार से वंचित होना पड़ता है;

(ख) ऐसे अधिकारियों/जवानों की संख्या कितनी है जो दिल्ली में जनवरी, 1997 से मई, 1998 के दौरान कैंटीन-वार और माह-वार व्हिस्की/रम का अपना पूरा कोटा नहीं ले पाए;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे अधिकारियों/जवानों का बचा हुआ कोटा काले बाजार में बेचा जाता है और रजिस्टर में उसे निर्गमित दिखा दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) यद्यपि सशस्त्र सेना कार्मिकों को शराब की लोकप्रिय ब्रांडों की पर्याप्त आपूर्ति किए जाने के सभी प्रयास किए जाते हैं तथापि कुछ अपरिहार्य कारणों जैसे मूल्य संशोधन की वजह से फर्म द्वारा शराब की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण अस्थायी रूप से आपूर्ति में व्यवधान हो सकता है।

(ख) से (घ) कभी-कभार ऐसा भी होता है जब अफसर और जवान व्हिस्की/रम का अपना पूरा कोटा नहीं लेते हैं। यूनिट कैंटीनें अगले महीने के लिए अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं का आकलन करते समय इन आंकड़ों/रखे स्टाक को हिसाब में लेती हैं। इन परिस्थितियों में शेष बची शराब को काले बाजार में बेचे जाने और इस संबंध में कोई दंडात्मक कार्रवाई करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

पंचायतों के उत्तरदायित्व

4338. श्री गिरिधर गमांग : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक किन-किन राज्यों ने पंचायतों को अधिकार, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व सौंपने के लिए अनुच्छेद 243(छ) के अंतर्गत अधिनियम बनाया है;

(ख) क्या राज्यों से आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय ग्यारहवीं सूची में सूचीबद्ध विषयों के बारे में योजनाएं तैयार करने तथा क्रियान्वित करने को कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो सभी स्तरों पर पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के अनुसार पंचायतों को राज्य द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) संविधान के अनुच्छेद 243(छ) में कहा गया है कि पंचायतों को अधिकार, प्राधिकार और उत्तरदायित्व सौंपने के लिए राज्य सरकारें कानून बनाएं। तदनुरूप, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने अपना कानून पारित कर दिया है।

(ख) यह एक संवैधानिक अधिदेश है कि ग्यारहवीं सूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में राज्य आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं तैयार करने तथा इन योजनाओं को कार्यान्वित करने संबंधी कार्य पंचायतों को सौंपा जाए।

(ग) राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों द्वारा पंचायतों को धन प्रदान किया जाता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य वित्त आयोगों ने अपनी रिपोर्टें संबंधित राज्य सरकारों को सौंप दी हैं। असम, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों ने राज्य वित्त आयोगों की अधिकांश सिफारिशों को मान लिया है। गुजरात, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव ने राज्य वित्त आयोगों की अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त कर ली हैं, जिन पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अभी कार्रवाई की जानी है। गोवा, उड़ीसा और सिक्किम के राज्य वित्त आयोगों को अभी अपनी रिपोर्टें भेजनी हैं।

बंजर भूमि का विकास

4339. श्री पी० एस० गढ़वी : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कच्छ, सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात की बंजरभूमि के विकास के लिए कुल कितनी अनुदान राशि दी गई;

(ख) विश्व बैंक द्वारा अब तक इस संबंध में कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या वर्ष 1998-99 के लिए कोई प्रावधान रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) बंजरभूमि विकास विभाग, भारत सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में सुरेन्द्रनगर (परियोजना-2), कच्छ (परियोजना-1), पंचमहल, अमरेली, जामनगर, मेहसाना, राजकोट, गांधीनगर, बनासकांठा, खेड़ा और जूनागढ़ में बंजरभूमि विकास के लिए समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के तहत कुल 1433.84 लाख रुपये की अनुदान राशि जारी की है।

(ख) बंजरभूमि विकास विभाग बैंक से सहायता प्राप्त किसी भी परियोजना को कार्यान्वित नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ) बंजरभूमि विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा चालू परियोजनाओं के लिए अनुवर्ती निधियां तिमाही प्रगति रिपोर्ट, उपयोग प्रमाण-पत्र, लेखों के लेखापरीक्षित विवरण तथा संतोषजनक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर बशर्ते कि संबंधित जिलों की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों के 50 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग किया गया हो, जारी की जाती है। कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया जाता है।

रसोई गैस वितरकों के लिए गोदाम स्थल

4340. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्थान-वार रसोई गैस वितरकों के लिए आवंटन हेतु निर्धारित/पहचान किए गए गोदाम स्थलों की संख्या कितनी है;

(ख) उन्हें अब तक भूमि आवंटित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों, विकलांगों और स्वतंत्रता सेनानियों को कोई तरजीह दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) डी० डी० ए० ने सूचित किया है कि 233 विद्यमान स्थलों के अलावा, 8 नये स्थलों की पहचान इस प्रकार की गई है—

स्थान	स्थलों की संख्या
दल्लुपुरा	4
ज्वालामुखी पुनर्वास स्कीम (रिसेटेलमेंट स्कीम) जोन-जी-17	3
सुखदेव विहार	1
जोड़	8

इन स्थलों का आवंटन एल० ओ० आई० धारकों को उनकी वरीयता के आधार पर 26-6-98 के ड्रॉ में किया गया। उसी प्रकार भूमि और विकास कार्यालय ने 26 स्थलों की पहचान इस प्रकार की है—

क्रम सं.	स्थान	स्थलों की संख्या
1.	राजघाट	4
2.	सरदार पटेल मार्ग	5
3.	आई० एन० ए०	3
4.	नानकपुरा	3
5.	आर० के० पुरम सेक्टर-4	2
6.	आर० के० पुरम सेक्टर 6-7	4
7.	आर० के० पुरम सेक्टर-2	1
8.	पश्चिम किदवईनगर	4
	जोड़ :	26

पहचान किए गए 26 स्थलों में से 18 स्थलों का आवंटन पहले ही हो गया है। 7 स्थलों के आवंटन का प्रस्ताव है और एक रिक्त है।

(ग) और (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जातियों, विकलांगों और स्वतंत्रता सेनानी श्रेणियों में आवंटन में किसी प्रकार की वरीयता कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि इन स्थलों का आवंटन ऑयल कंपनियों को किया गया है।

दूरस्थ क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4341. डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में दूरस्थ क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन का आश्वासन दिया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को कितनी राशि उपलब्ध कराने पर सहमत हुई है; और

(ङ) वर्ष 1998-99 के दौरान यह योजना किन-किन क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाएगी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में स्पंज आयरन संयंत्र

4342. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव उड़ीसा में कुछ स्पंज आयरन संयंत्र लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) उड़ीसा में स्पंज लोहा संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के पास नहीं है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसर्स बामरा आयरन एंड स्टील कंपनी लि० ने उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में बामरा में 3 लाख टन वार्षिक क्षमता का एक स्पंज लोहा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इस परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण अभी किया जाना है।

उद्योगों की समस्याएं

4343. श्री जुआल उराम : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कच्चा मेग्नेसाइट, जो अप्रसंस्कृत और अनुप्रयुक्त अयस्क है को प्रसंस्कृत मेग्नेसाइट डेड बर्नर मेग्नेसाइट (डी० बी० एम०) के साथ वर्गीकृत किया गया है;

(ख) क्या मेग्नेसाइट उद्योग रिफैक्टरी उद्योग और इस्पात उद्योग को इसके कारण काफी नुकसान हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन उद्योगों और इस धनराशि को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां। यद्यपि कस्टम टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत कच्चे मैग्नेसाइट और डी० बी० एम० को पृथक-पृथक उपशीर्षों में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) से (घ) कच्चे मैग्नेसाइट और डी० बी० एम० के लिए विभेदी कस्टम टैरिफ का सुझाव देते हुए इस संबंध में रिफ्रैक्ट्री उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार को इनकी जानकारी है।

एल्यूमिनियम का उत्पादन

4344. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एल्यूमिनियम का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) एल्यूमिनियम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में एल्यूमिनियम का उत्पादन निम्नवत है—

इकाई : टन में

कंपनी का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लि०	15401	22959	25853
भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि०	91240	91564	88198
इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लि०	54084	37370	38790
हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लि०	175398	166272	200304
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि०	192288	203823	200162
जोड़	528411	521988	553307

(ख) और (ग) वर्ष 1997-98 के दौरान भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) तथा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) द्वारा किए गए एल्यूमिनियम के उत्पादन में 1996-97 की तुलना में मामूली गिरावट आई है। नालको के मामले में उत्पादन में गिरावट का कारण एनोड्स की कमी की वजह से कम पॉट का प्रचालनरत होना था। बालको के मामले में बालको के गृहीत विद्युत संयंत्र की विद्युत उत्पन्न करने वाली एक इकाई, जो इस प्रगालक को विद्युत की आपूर्ति करती है, में खराबी आ जाना उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण था।

(घ) सरकार, नालको तथा बालको के कार्य-निष्पादन की निरंतर समीक्षा करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर कंपनी को उपचारी उपाय सुझाती है।

डेरा बस्सी के निकट उपरिपुल का निर्माण

4345. श्री सत्यपाल जैन :
श्री मंजुनाथ अयानूर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डेरा बस्सी (उत्तर रेलवे), पंजाब तथा शिमोगा (दक्षिण रेलवे) कर्नाटक के निकट रेलवे फाटक पर उपरिपुल का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त समपार पर निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) पंजाब सरकार द्वारा निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण योजना के आधार पर अम्बाला-कालका खंड के कि० मी० 229/10-11

पर डेरा बस्सी में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण शुरू किया जा रहा है। मौजूदा व्यस्त समपार के बदले शिमोगा और शिमोगा टाउन के बीच कि.मी. 62/11-12 पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण लागत की भागीदारी के आधार पर बदलाव के लिए अर्हक है परन्तु राज्य सरकार ने मौजूदा नियमों के अंतर्गत बार-बार अनुरोध किए जाने के बाद भी अपेक्षित प्रस्ताव अभी तक प्रायोजित नहीं किया है।

(ग) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

अयोध्या में सरयू नदी पर पुल का निर्माण

4346. श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में सरयू नदी पर रेल पुल का निर्माण करने के लिए आधारशिला रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई थी; और

(घ) उपरोक्त पुल का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना पर 51.26 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है।

(ग) 10 करोड़ रुपये।

(घ) पुल को 3 वर्षों की अवधि में पूरा किए जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

गुवाहाटी में सरकारी आवास

4347. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी और असम के अन्य शहरों में नियुक्त केन्द्र सरकार के कर्मचारी सरकारी आवास उपलब्ध न होने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुवाहाटी और असम के अन्य शहरों में निर्मित किए गए सरकारी फ्लैटों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा वहां नियुक्त अपने कर्मचारियों के लिए और फ्लैट बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। गुवाहाटी में 1899 केन्द्रीय कर्मचारी सामान्य पूल आवास के पात्र हैं।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान गुवाहाटी में किसी सामान्य पूल आवास का निर्माण नहीं हुआ है। तथापि इस समय गुवाहाटी में विभिन्न टाइपों के 136 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं।

लखीमपुर हवाई अड्डे (असम) पर लांज सुविधाएं

4348. श्रीमती रानी नरह : क्या नगार विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखीमपुर हवाई अड्डे (असम) पर समुचित आगमन और प्रस्थान की लांज सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) यदि नहीं, तो वहां यह सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) विद्यमान टर्मिनल भवन केवल 50 यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से ही उपयुक्त है। इसलिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 14.47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त नये टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया है। यह एक समय में 300 यात्रियों की अपेक्षाओं की पूर्ति कर पाएगा और इसके पूरा होने की नियत तिथि जुलाई, 1999 है।

कलाकारों को सरकारी आवास का आवंटन

4349. श्री पी० उपेन्द्र : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपदा निदेशालय संस्कृति विभाग की सिफारिशों के आधार पर कलाकारों को आवास आवंटित करता है;

(ख) क्या कुछ कलाकारों को आवास खाली कराने के लिए कहा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) आवास से संबंधित मंत्रिमंडल समिति की सहमति के आधार पर संपदा निदेशालय कलाकारों को आवासों का आवंटन करता है।

(ग) आवंटन अवधि समाप्त होने के पश्चात 39 कलाकारों का आवंटन रद्द किया गया। दिनांक 17-11-97 के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत प्रतिष्ठित कलाकारों सहित गैर-सरकारी व्यक्तियों को किया गया आवंटन उनके वर्तमान आवंटन अवधि के समाप्त होने तक ही वैध है। इसके अतिरिक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों में अपने विवेक से आवंटन तभी किया जा सकता है जब वह राष्ट्रीय हित में हों या

की अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझा जाए और यह भी आवास से संबंधित मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन से ही किया जा सकता है।

तुगलकाबाद रेलवे कैंटीन में परोसा गया विषाक्त भोजन

4350. श्री नरेश पुगलिया :
श्री के० एस० राव :
श्री डी० एस० अहिरे :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुगलकाबाद रेलवे कैंटीन में दोपहर का भोजन खाने के बाद रेलवे के अनेक कर्मचारी विषाक्तता के कारण बीमार हो गए थे जैसे कि 19 जून, 1998 के 'द स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक रेलवे कैंटीनों में खाद्य पदार्थों इत्यादि की गुणवत्ता बहुत घटिया और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने कैंटीनों में सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने और लापरवाही बरतने वालों के प्रति जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) 18-6-1998 को रेलवे डीजल शेड तुगलकाबाद की कैंटीन में विषाक्त भोजन की घटना सूचित की गई थी। इससे कुल 110 कर्मचारी प्रभावित हुए थे। इन्हें रेलवे डॉक्टरों के साथ तुरन्त विभिन्न अस्पतालों में भेजा गया था। 110 में से 51 कामगारों को भर्ती किया गया/उपचार के लिए रखा गया। अन्य की हालत भर्ती करने लायक नहीं थी अत: उन्हें छुट्टी दे दी गई। भर्ती किए गए 51 कामगारों में से 2 को रात भर के लिए रखा गया था तथा शेष को कुछ समय बाद छुट्टी दे दी गई थी। दो कामगारों को भी अगले दिन छुट्टी दे दी गई। इस घटना के कारणों के लिए एक तथ्य का पता लगाने वाली जांच समिति के आदेश दिए गए थे। जांच से पता चला कि दाल में छिपकली गिरने के कारण भोजन के विषाक्त होने की घटना घटी।

(ग) जी, नहीं। रेलवे कैंटीनों में भोजन की गुणवत्ता घटिया या अस्वस्थ्य कर नहीं है। यह मात्र एक घटना थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। जहां तक इस एकमात्र घटना का संबंध है, 3 कर्मचारियों को लापरवाही के लिए पहली नजर में दोषी पाया गया और रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

पुणे में 'लाइट रेल' परियोजना

4351. श्री विठ्ठल तुपे : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पुणे शहर में 'लाइट ट्रेन' चलाने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना के लिए कितनी सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी कंपनियों के साथ समझौता

4352. श्री खारबेल स्वाईं : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का किसी विदेशी कंपनी के साथ अभी भी ऐसा कोई समझौता है जो भारत की स्वतंत्रता से पूर्व किया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं और भारतीय रेल से उन्हें कितना लाभ हो रहा है;

(ग) ऐसे समझौतों के अब तक चलते रहने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे का विचार निकट भविष्य में इन समझौतों को समाप्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं। जहां तक आजादी के पहले निजी कंपनियों के स्वामित्व वाली दो शाखा रेलवे लाइनों का संबंध है, वे विदेशी कंपनियां नहीं हैं बल्कि तत्कालीन भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में समाविष्ट थीं।

(ख) संबंधित भारतीय कंपनियां हैं—दि अहमदपुर कटवा रेलवे कंपनी लि० तथा दि सेण्ट्रल प्राविन्सेज रेलवेज कंपनी लि० हैं। वित्तीय शर्तों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) करार में इस बात की व्यवस्था है कि रेल मंत्रालय द्वारा अधिग्रहण के मामले की आवधिक समीक्षा की जाए। तदनुसार रेल मंत्रालय ने विनिश्चय किया है कि दोनों निजी रेलों की खराब

वित्तीय स्थिति को देखते हुए इन्हें अधिगृहित करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए यह व्यवस्था जारी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

निजी स्वामित्व वाली रेलों के साथ किए गए करार की वित्तीय शर्तें

(1) दि अहमदपुर कटवा रेलवे कंपनी लि०

कंपनी के साथ किए गए करार के तहत यदि एक वर्ष में शुद्ध प्राप्तियां प्रदत्त पूंजी के 3.5 प्रतिशत प्रतिफल के भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है तो सरकार द्वारा घाटे को पूरा किया जाएगा। यदि ऐसी प्राप्तियां 3.5 प्रतिशत से अधिक होती है किन्तु प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होती हैं तो धनराशि कंपनी द्वारा रख ली जाएगी। यदि शुद्ध प्राप्तियां प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक होती है तो अधिशेष को कंपनी और सरकार के बीच बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा। इस समय कंपनी को प्रतिवर्ष प्रदत्त पूंजी के मात्र 3.5 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान किया है।

(2) दि सैंट्रल प्राविन्सेज रेलवे कंपनी लि०

करार के तहत सकल आमदनी का 45 प्रतिशत मध्य रेल द्वारा परिचालन और अनुरक्षण खर्चों के लिए रखा जाता है। यदि शेष धनराशि कंपनी की पूंजी 94 लाख रुपये जमा कंपनी के प्रबंधकीय खर्चों के लिए 21,000 रुपये की पूंजी पर सालाना 5 प्रतिशत का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है तो मध्य रेल कंपनी के घाटे को पूरा करेगी। यदि शेष धनराशि उपर्युक्त दर्शायी गई गारंटी शुदा धनराशि से ज्यादा होती है तो इसे मध्य रेल और कंपनी के बीच बराबर-बराबर बांटा जाएगा।

जवाहर रोजगार कार्यक्रम के अंग के रूप में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना

4353. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :
श्री रामशकल :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना जवाहर रोजगार कार्यक्रम का अंग है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए निर्धारित लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान जिन लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली गई उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, नहीं। ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्रामीण के साथ मिलकार 1 अप्रैल, 1989 से जवाहर रोजगार योजना बनाई गई थी जिसका उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीनों सहित ग्रामीण गरीबों को गैर-कृषि मौसम के दौरान अतिरिक्त लाभप्रद मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है।

(ख) और (ग) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत गत दो वर्षों के दौरान रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख श्रमदिन)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य केन्द्र	1996-97 लक्ष्य	1996-97 उपलब्धि	1997-98 लक्ष्य	1997-98 उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	373.67	329.75	336.97	310.98
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.42	2.79	4.94	2.88
3.	असम	98.77	91.54	110.36	107.69
4.	बिहार	489.25	460.02	546.64	533.04
5.	गोवा	4.39	5.30	3.32	2.55
6.	गुजरात	109.14	105.20	69.00	82.81
7.	हरियाणा	15.73	13.08	16.11	16.01
8.	हिमाचल प्रदेश	7.63	10.62	8.52	10.11
9.	जम्मू व कश्मीर	47.27	18.36	22.64	24.05
10.	कर्नाटक	255.74	250.94	222.78	265.91
11.	केरल	59.73	55.45	66.74	41.82
12.	मध्य प्रदेश	444.97	349.02	329.89	347.15
13.	महाराष्ट्र	469.32	455.08	524.38	527.74
14.	मणिपुर	3.20	3.49	3.15	2.16
15.	मेघालय	4.35	6.96	4.87	4.54
16.	मिजोरम	2.29	2.46	1.59	1.91
17.	नागालैंड	6.54	11.65	7.30	7.71
18.	उड़ीसा	321.32	314.19	299.18	299.82
19.	पंजाब	15.62	7.85	11.95	12.83
20.	राजस्थान	162.92	168.12	182.03	196.14
21.	सिक्किम	1.49	2.63	1.66	2.65
22.	तमिलनाडु	406.90	488.60	312.56	388.81
23.	त्रिपुरा	6.35	10.38	5.91	7.31
24.	उत्तर प्रदेश	603.21	658.18	561.71	599.49

1	2	3	4	5	6
25.	पश्चिम बंगाल	221.86	178.53	206.58	154.62
26.	अ० व नि० द्वीपसमूह	1.25	0.82	1.04	0.15
27.	दा० व ना० हवेली	0.65	1.02	0.73	0.49
28.	दमन व द्वीप	0.85	0.50	0.45	0.56
29.	लक्षद्वीप	0.80	0.88	0.90	1.46
30.	पांडिचेरी	1.74	2.91	1.00	0.63
	जोड़ :	4141.37	4006.32	3864.90	3954.02

डी० एम० यू० ट्रेन चलाने के लिए यातायात सर्वेक्षण

4354. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटनी से नरसिंहपुर वाया जबलपुर के लिए डी० एम० यू० ट्रेन चलाने के लिए यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण कार्य के कब तक पूरा हो जाने और डी० एम० यू० ट्रेन के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खान-पान की खराब सुविधाएं

4355. श्री सी० कुप्पुसामी :
श्री मोहन सिंह :
श्री मित्रसेन यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी एक्सप्रेस सहित सुपर फास्ट रेलगाड़ियों में खान-पान की खराब सुविधाओं के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) क्या यात्रा के दौरान खान-पान की सुविधाओं में सुधार लाने, भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भोजन की गुणवत्ता की आकस्मिक तत्स्थानिक नियमित रूप से जांच करने के लिए कोई निरीक्षण तंत्र स्थापित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 1997-98 के दौरान 482 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) से (ङ) खानपान सेवाओं में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। खानपान सेवाओं के स्तर में सुधार करने के लिए रेलों द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते हैं जिनमें स्वच्छता तथा सफाई बनाए रखना, लाने-ले जाने, भंडारण और भोजन की सेवा में सुधार, पीने योग्य पानी की व्यवस्था, निर्धारित व्यंजन-सूची प्रदर्शित करना, तत्काल कार्रवाई हेतु लॉबी कार्यालय में कमियों को प्रतिदिन दर्ज करना आदि शामिल हैं। नियमित तथा अचानक जांच की जाती हैं और निवारक कार्रवाई की जाती हैं।

[हिन्दी]

दाहोद लोको वर्कशाप में खलासियों की भर्ती

4356. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 से दाहोद लोको वर्कशाप में खलासियों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) उक्त रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) क्या सभी पुराने दैनिक मजदूरों को खपा लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 1990 से 1997 तक खलासियों के रिक्त पदों की संख्या इस प्रकार है—

1990	—	13
1991	—	65
1992	—	62
1993	—	90
1994	—	71
1995	—	117
1996	—	105
1997	—	94

(ख) रिक्त पदों को भरना दाहोद कारखाने के भावी कार्यभार और शून्य आधारित अध्ययन के परिणाम पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) दाहोद कारखाने में कोई वृद्ध नैमितिक श्रमिक नहीं है।

[अनुवाद]

मालगाड़ी का पटरी से उतरना

4357. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 जून, 1998 को दक्षिण मध्य रेलवे के राजमुंदरी-विजयवाड़ा सेक्सन पर जुंवाला पालेम रेलवे फाटक पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) 15 जून, 1998 को दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल के जवाबपालेम और ताडेपल्लीगुडेम स्टेशनों के बीच जुव्वालामालेम गांव में बिना चौकीदार वाले समपार के निकट तिरोवत्तूर-अवाडी/बाक्स 'एन' अप मालगाड़ी के 25 मालडिब्बे पटरी से उतर गए और पलट गए।

(ग) और (घ) अधिकारियों की समिति द्वारा दुर्घटना की जांच की गई थी जिनके निष्कर्षों के अनुसार पैकिंग ठीक से न किए जाने/परेषण का ठीक से लदान न किए जाने, जिसकी वजह से अंडर गियर सस्पेंशन का संतुलन बिगड़ गया तथा जिसके परिणामस्वरूप गाड़ी पटरी से उतर गई, के कारण दुर्घटना हुई।

रेल दुर्घटनाएं

4358. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुसावल और नागपुर के बीच पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या थे; और

(ग) उनमें कुल कितने जन-धन की हानि हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भुसावल और नागपुर के बीच 5 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं। वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है–

1995-96	–	2
1996-97	–	2
1997-98	–	1

(ख) उपर्युक्त दुर्घटनाएं (i) रेलपथ की खराबी, (ii) सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही, (iii) माल के ठीक ढंग से न लादे जाने, (iv) आकस्मिक कारणों से हुई।

(ग) उपर्युक्त दुर्घटनाओं के कारण 2 व्यक्तियों की जानें गईं और रेलवे को लगभग 2.45 करोड़ रुपये की हानि हुई।

कोयले की चोरी

4359. श्री अमर पाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कोयले के वैगनों से कोयले की चोरी होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान जोनवार/राज्यवार कितने कोयले की चोरी हुई और उसका मूल्य कितना था;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वित्त वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 (पब्लिक कोयला और रेलवे कोयला) के दौरान मालडिब्बों से कोयले की चोरी/उठाईगीरी का ब्यौरा दर्शाने वाले विवरण I और II में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां। सभी मामलों में जांच की गई है।

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अंतर्गत न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है।

विवरण-I

वित्त वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए क्षेत्रीय रेलों पर रेल कोयले की चोरी के मामलों को दर्शाने वाला विवरण

रेलवे	अवधि	सूचित किए गए मामलों की संख्या	संपत्ति का मूल्य चुराई गई		संपत्ति का मूल्य बरामद की गई		गिरफ्तार किए गए व्यक्ति		
			(रुपये)	मात्रा	(रुपये)	मात्रा	अ०क०	रे०क०	रे०सु ब०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
म० रे०	1995-96	33	13805	24805	13805	24805	47	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1996-97	19	2785	5250	2785	5250	24	1	—
	1997-98	15	8425	16400	8425	16400	24	—	—
पू० रे०	1995-96	239	447296	447295	498943	498943	62+2	1	—
	1996-97	145	226604	226604	228925	228925	47	—	—
	1997-98	164	64520	64520	178875	178875	71	2	—
उ० रे०	1995-96	2	275	70	275	70	1	1	—
	1996-97	—	—	—	—	—	—	—	—
	1997-98	—	—	—	—	—	—	—	—
पूर्वो० रे०	1995-96	31	4000	2000	4355	2200	37	5	—
	1996-97	8	525	260	525	260	9	1	—
	1997-98	—	—	—	—	—	—	—	—
पू० सी० रे०	1995-96	5	1130	151	1130	151	4	3	—
	1996-97	3	75	33	75	33	1	2	—
	1997-98	—	—	—	—	—	—	—	—
द० रे०	1995-96	—	—	—	—	—	—	—	—
	1996-97	—	—	—	—	—	—	—	—
	1997-98	—	—	—	—	—	—	—	—
द० म० रे०	1995-96	22	9860	4620	9860	4620	51	—	—
	1996-97	18	13415	6818	13415	6818	45	1	—
	1997-98	11	4470	2200	4470	2200	27	—	—
द० पू० रे०	1995-96	—	—	—	—	—	—	—	—
	1996-97	—	—	—	—	—	—	—	—
	1997-98	—	—	—	—	—	—	—	—
प० रे०	1995-96	6	970	370	970	370	15	—	—
	1996-97	—	—	—	—	—	—	—	—
	1997-98	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	1995-96	338	477336	479311	529338	531159	217	19	—
	1996-97	193	243404	238965	245725	241286	126	5	—
	1997-98	190	77415	83120	191770	197475	122	2	—

*मारे गए

विवरण-II

वित्त वर्ष 1995-96 1996-97 और 1997-98 के लिए क्षेत्रीय रेलों पर पब्लिक कोयले की चोरी के मामलों को दर्शाने वाला विवरण

रेलवे	अवधि	सूचित किए गए मामलों की संख्या	संपत्ति का मूल्य चुराई गई		संपत्ति का मूल्य बरामद की गई		गिरफ्तार किए गए व्यक्ति		
			(रुपये)	मात्रा	(रुपये)	मात्रा	अ०क०	रे०क०	रे०सु०ब०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
म० रे०	1995-96	55	9955	11617	9955	11617	76	1	–
	1996-97	49	74386	80710	74388	80710	96	9	–
	1997-98	54	18135	24910	18135	24910	90	5	–
पू० रे०	1995-96	87	409205	409205	409205	409205	276	4	–
	1996-97	99	217370	217370	219370	219370	280	–	–
	1997-98	58	165475	165475	173015	173015	161	2	–
उ० रे०	1995-96	57	491738	633906	1820	527	6	10	–
	1996-97	28	319856	271920	38990	15100	20	1	–
	1997-98	8	175910	79608	5500	708	8	–	–
पूर्वो० रे०	1995-96	4	16530	1724	16530	1724	6	–	–
	1996-97	1	6000	665	6000	665	–	–	–
	1997-98	1	160	20	160	20	1	–	–
पू० सी० रे०	1995-96	1	100	45	100	45	3	–	–
	1996-97	3	75	33	75	33	1	2	–
	1997-98	–	–	–	–	–	–	–	–
द० रे०	1995-96	–	–	–	–	–	–	–	–
	1996-97	–	–	–	–	–	–	–	–
	1997-98	–	–	–	–	–	–	–	–
द० म० रे०	1995-96	1	3000	2900	3000	2900	3	–	–
	1996-97	9	30310	41825	30310	41825	18	2	–
	1997-98	6	21840	19203	21840	19203	25	1	–
द० पू० रे०	1995-96	109	255917	234133	255917	234133	224	1	–
	1996-97	143	155025	137493	155025	137493	262	6	–
	1997-98	60	50268	28428	50268	28428	134	1	–
प० रे०	1995-96	2	1040	480	1040	480	3	–	–
	1996-97	14	3160	722	3160	722	27	1	–
	1997-98	12	2950	615	2950	615	21	–	–
जोड़	1995-96	316	1187485	1294010	697567	660681	597	16	–
	1996-97	346	806182	750738	527318	495918	704	21	–
	1997-98	199	434738	318859	271868	246899	440	9	–

गुंतकल रेलवे डिवीजन का विलय

4360. श्री के० येरननायडू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से दक्षिण मध्य रेलवे के गुंतकल डिवीजन के नवनिर्मित दक्षिण-पश्चिमी जोन जिसका मुख्यालय बंगलौर में है, में विलय न किए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिकिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण-पश्चिम जोन के क्षेत्राधिकार के ब्यौरे को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

रेल विकास योजनाओं का क्रियान्वयन

4361. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत भद्रक रेलवे स्टेशन के विकास के संबंध में मंजूर की गई विकासात्मक योजनाएं अब तक प्राधिकारियों द्वारा क्रियान्वित नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) 1993-94 के दौरान भद्रक के लिए (i) स्टेशन इमारत परिसर में सुधार, बुकिंग और आरक्षण कार्यालय, दो बिस्तर वाले विश्राम कक्ष की व्यवस्था (ii) परिचालन क्षेत्र में सुधार तथा (iii) प्लेटफार्म सं० 1 एवं 2 को ऊंचा उठाने संबंधी तीन विकासात्मक कार्य कमश: 23.7 लाख रुपए, 8.16 लाख रुपए तथा 15.33 लाख रुपये की लागत पर स्वीकृत किए गए थे और अब वे पूरे हो गए हैं तथा चालू कर दिए गए हैं।

रेलवे गेस्ट हाउस/यात्री निवास

4362. डॉ० सरोजा वी० :
श्री सी० कुप्पुस्वामी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान देश में और अधिक गेस्ट हाउसों/यात्री निवासों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नौसेना में फ्रिगेटों का कमीशन किया जाना

4363. श्री मुकुल वासनिक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1964 में यह निर्णय लिया था कि भारतीय नौसेना को 28 फ्रिगेटों की फोर्स तैयार रखनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो 1964 से भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए फ्रिगेटों की संख्या कितनी है;

(ग) कितने पुराने फ्रिगेट इस अवधि के दौरान भारतीय नौसेना से हटाए गए;

(घ) क्या माझगांव डाक लिमिटेड (एम डी एल) तथा गार्डेन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जी आर एस इ) द्वारा फ्रिगेटों के घरेलू उत्पादन की परियोजनाओं में देरी होने के कारण उनकी लागत में कई गुणा वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक मंजूर की गई परियोजनाओं पर लगे अतिरिक्त समय और लागत का ब्यौरा क्या है तथा आवश्यक संख्या में फ्रिगेटों को जल्द कमीशन किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) सरकार ने सभी श्रेणियों के 138 युद्धपोतों के बलस्तर का अनुमोदन सन् 1964 में कर दिया था।

(ख) 1964 से विनाशक/फ्रिगेट्स श्रेणी के 15 पोतों का जलावतरण कर दिया गया है।

(ग) इसी अवधि में विनाशक/फ्रिगेट्स श्रेणी के 18 पोतों को सेवा से हटा दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) माझगांव डॉक लिमिटेड तथा गार्डेन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा फ्रिगेटों को देश में ही तैयार करने में 1 से 3 वर्ष लगने की संभावना है। विशेषीकृत उपस्करों की प्राप्ति में विलंब, शिपयार्डों में आवश्यक आधारभूत ढांचा बनाने में विलंब श्रमिक उपद्रव आदि की वजह से इन परियोजनाओं में अधिक लागत आई है।

रक्षा विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों द्वारा विविध परियोजनाओं को शीघ्र चालू किए जाने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यनिष्पादन समीक्षा प्रणाली, विलंब के मामलों में निर्णीत हर्जाना लगाना नियत मूल्य के आधार पर संविदा देना आदि उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

बाल्को में वित्तीय अतियमितताएं

4364. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) में बड़ी धनराशि की हेराफेरी और वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) बालकों में बड़ी धनराशि की हेराफेरी और वित्तीय अनियमितताओं के किसी मामले का पता नहीं चला है। तथापि, खान मंत्रालय ने कोरबा स्थित बालको के प्रगालक के आधुनिकीकरण हेतु ठेके देने के संबंध में जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की थी। समिति ने 3-12-1996 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट से पता चलता है कि निविदा नोटिस में दिए गए दिशा-निर्देश विशिष्ट नहीं थे क्योंकि निविदा-नोटिस में कार्य का विशिष्ट विवरण, सुनिश्चित कार्य क्षेत्र आदि नहीं दिए गए थे। रिपोर्ट में बताई गई गंभीर गलतियों को देखते हुए यह मामला गहन जांच और उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए 13-6-1997 को सी० बी० आई० को भेज दिया गया।

[अनुवाद]

कन्नानूर सैनिक अस्पताल का विस्तार

4365. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना केरल में कन्नानूर स्थित सैनिक अस्पताल का आधुनिकीकरण करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए कितना आवंटन किया गया है; और

(ग) इस सैनिक अस्पताल की कब स्थापना की गई थी और पिछली बार कब इसका विस्तार किया गया था?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, नहीं। कन्नानूर, केरल में सैन्य अस्पताल के आधुनिकीकरण के बारे में सरकार की कोई योजना नहीं है क्योंकि उसमें मौजूद सुविधाएं पर्याप्त हैं।

(ग) इस सैन्य अस्पताल की स्थापना 1-1-1963 में की गई थी। हाल ही में इसका कोई विस्तार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का रख-रखाव

4366. डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से करोड़ों रुपये के अनेक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां रख-रखाव और मरम्मत (ओवर हालिंग) न होने के कारण बेकार पड़े हुए हैं जिससे हमारी रक्षा तैयारी और मुकाबला क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति से बचने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) कुल उपलब्ध टैंकों में से कुछ टैंक और कवचित वाहन पुराने हो जाने, टूटने-फूटने तथा उनके आयात किए जाने वाले अतिरिक्त हिस्से-पुर्जे उपलब्ध न हो पाने के कारण वे क्रमशः खराब हो जाते हैं। वांछित समाघात तैयारी का स्तर बनाए रखने के लिए टैंकों और कवचित वाहनों के रखरखाव के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों का आयात किए जाने में कुछ समस्याएं हैं जिनका शीघ्रता से समाधान किया जा रहा है।

नौवीं योजना के लिए 'सेल' द्वारा निवेश योजना

4367. श्री डी० एस० अहिरे : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनी निवेश योजनाओं में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे 'सेल' के उत्पादन लक्ष्य में कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) 'सेल' नौवीं योजना अवधि के दौरान अपनी परियोजनाओं पर कुल कितनी राशि व्यय करेगा?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने निवेश को कम करने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। यद्यपि नौवीं योजना अवधि के दौरान शुरू करने के लिए परिकल्पित संबंधित योजनाएं संसाधनों की उपलब्धता, बाजार स्थिति और अन्य वाणिज्यिक दृष्टिकोणों आदि पर निर्भर करते हुए शुरू की जाएंगी।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

फ्लाइंग क्लब

4368. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न शहरों में स्थित फ्लाइंग क्लबों में पायलटों और प्रशिक्षकों की कमी है;

(ख) क्या दिल्ली के फ्लाइंग क्लब में भी ऐसी ही स्थिति है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

हेलीकाप्टर सेवा

4369. श्री चमनलाल गुप्त : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई योजना लेह-श्रीनगर, लेह-जम्मू, कारगिल-जन्सकर, लेह-जन्सकर के बीच नियमित हेलीकाप्टर सेवा, विशेषकर शीतकाल में चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अंनत कुमार) : (क) और (ख) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड (पी० एच० एच० एल०) ने राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से जम्मू व कश्मीर सरकार को दीर्घकालिक आधार पर एक एमआई-172 हेलीकॉप्टर देने का प्रस्ताव रखा है। इस हेलीकॉप्टर का उपयोग राज्य सरकार द्वारा किसी भी उपयुक्त मार्ग पर किया जा सकता है।

कर्नाटक में जलापूर्ति और भूमिगत जल-निकासी सुविधाएं

4370. श्री एच० जी० रामुलु : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति और भूमिगत जल निकासी के लिए कोई मास्टर योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इसके अंतर्गत किन-किन शहरों को लाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या 19 नगरों के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि जलआपूर्ति और सफाई राज्य के विषय हैं, राज्य सरकारों और नगर स्थानीय निकायों द्वारा अपने ही स्तर पर स्कीमें तैयार और कार्यान्वित की जानी होती हैं।

(घ) और (ङ) 19 में से 17 नगरों के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और 346 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इस मंत्रालय में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन द्वारा तकनीकी दृष्टि से पास की गई थी। कर्नाटक के 19 नगरों के लिए 'ओवरसीज इकॉनोमिक कोआपरेशन फंड', (ओ० ई० सी० एफ०) जापान से सहायता के लिए प्रस्ताव की केन्द्र सरकार ने सिफारिश की थी लेकिन इसे ओ० ई० सी० एफ० द्वारा मंजूर नहीं किया गया।

दिल्ली शहरी कला आयोग

4371. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली शहरी कला आयोग जो शहरी सौंदर्य के लिए उत्तरदायी है की परियोजनाओं के लिए पूर्वानुमति के बिना होटलों और पुलों इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) दिल्ली नगर कला आयोग केन्द्र सरकार के लिए तथा दिल्ली में स्थानीय निकायों, तथा दिल्ली के अंदर शहरी और पर्यावरणीय डिजाइन के सौंदर्यपरक गुणों का विकास और उनको बनाए रखने की दृष्टि से एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 में निहित मामलों की जांच, अनुमोदन, निरसन करें या संबंधित प्रस्तावों को संशोधित करें। वर्ष 1996-97 के दौरान कुछ उदाहरण सामने आए हैं, जिनमें उक्त अधिनियम की अपेक्षानुसार दिल्ली नगर कला आयोग का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है—

(i) डी० डी० सी० ए० फिरोजशाह कोटला के मैदानों का विस्तार/परिवर्तन।

(ii) लेडी इरविन कॉलेज, सिकंदरा रोड को बढ़ाना/परिवर्तन करना।

(iii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, शहीद भगत सिंह मार्ग को बढ़ाना/परिवर्तन करना।

(iv) चाणक्यपुरी में आस्ट्रेलियन हाई कमीशन के लिए अतिरिक्त निर्माण।

(v) निजामुद्दीन में यमुना नदी के ऊपर दूसरा पुल।

(vi) नेशनल हाईवे सं० 8 में होटल रैडिसन।

ऐसे उल्लंघनों की सर्वसमावेशी सूची तैयार नहीं की जाती है। दिल्ली नगर कला आयोग उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर कोई दंडात्मक, प्रक्रिया नहीं अपनाता है। संबंधित स्थानीय निकाय ऐसे उल्लंघन होने पर कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं।

बिरूपा और महानदी नदियों के ऊपर पुलों का निर्माण

4372. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक को जोड़ने वाली बिरूपा और महानदी पर इस वर्ष रेलवे पुलों का निर्माण किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है; और

(ग) इन पुलों का कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) विस्तृत जांच और अभिकल्प कार्य पहले ही शुरू कर दिए गए हैं।

(ग) लगभग 5 वर्षों में बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

टर्मिनलों का निर्माण

4373. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :**
श्री पी० एस० गढ़वी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ कम करने की दृष्टि से साबरमती, अमीनगर तथा गांधीग्राम रेलवे स्टेशनों पर टर्मिनलों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति की गई है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना

4374. **डॉ० चिन्ता मोहन :**
प्रो० प्रेम सिंह चंदूमाजरा :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की सभी इकाइयों में इस समय कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या अगले तीन से चार वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत लगभग 60,000 कर्मचारियों के सेवा निवृत्त हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान सेवा निवृत्त होने वाले ऐसे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) 31-5-1998 की स्थिति के अनुसर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की सभी इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 1,75,096 है।

(ख) और (ग) आस्थगित भुगतान पर आधारित एक नई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी० आर० एस०) 1-3-1998 से सेल में लागू है और यह योजना 31-8-1998 तक लागू रहेगी। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत निर्मुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, 30-6-1998 तक 2,903 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृनि योजना के लिए आवेदन किया है। इसमें से 389 कार्यपालक और शेष गैर-कार्यपालक हैं।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर पानी की बिक्री

4375. **श्री मित्रसेन यादव :**
प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जून, 1998 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'एट रेलवे स्टेशन, वाटर यू पे फार नाट बी व्हाट यू गेट' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस गतिविधि को रोकने हेतु ठेकेदार/रेलवे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार पत्र रिपोर्ट में दिल्ली क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर मिनरल वाटर बोतल की कथित रि-साइकिल करने के बारे में उल्लेख किया गया था।

(ग) और (घ) ऐसी गतिविधियों में किसी ठेकेदार अथवा रेलवे पदाधिकारी की संलिप्तता नोटिस में नहीं आई है। बहरहाल, उत्तर रेल द्वारा की गई जांचों से पाया गया है कि कुछ असामाजिक तत्व/कूड़ा करकट बीनने वाले मिनरल वाटर बोतल को रि-साइकिल करने में लिप्त हैं। इन कारगुजारियों पर अंकुश लगाने के लिए जांचें गहन कर दी गई हैं। उपयोग की जा चुकी बोतल को नष्ट करने के लिए यात्रियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

रेलवे को बिजली की आपूर्ति

4376. **श्री थावर चंद गेहलोत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए कौन-कौन से राज्य रेलवे को बिजली की सप्लाई कर रहे हैं और यह किस दर पर सप्लाई की जा रही है;

(ख) क्या रेलवे अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में उच्चतर दर पर बिजली ले रहा है जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को मध्य प्रदेश

में रेल मार्गों का विद्युतीकरण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों द्वारा सप्लाई की जा रही बिजली की दरों में एकरूपता लाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) बिजली कर्षण के लिए रेलवे को बिजली की आपूर्ति करने वाले राज्यों के नाम और 1997-98 के दौरान संबद्ध राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा प्रभारित कर्षण ऊर्जा की औसत लागत/यूनिट इस प्रकार है—

क्रम सं०	राज्य का नाम	संबद्ध राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रभारित कर्षण ऊर्जा की प्रति यूनिट औसत लागत (पैसों में)
1.	आंध्र प्रदेश	378
2.	बिहार	363
3.	दिल्ली	418
4.	गुजरात	399
5.	हरियाणा	361
6.	कर्नाटक	329
7.	केरल	115
8.	महाराष्ट्र	363
9.	मध्य प्रदेश	512
10.	उड़ीसा	382
11.	पंजाब	323
12.	राजस्थान	320
13.	तमिलनाडु	346
14.	उत्तर प्रदेश	418
15.	पश्चिम बंगाल	338

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एयर टैक्सी आपरेटर

4377. श्री एस० एस० ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितने एयर टैक्सी आपरेशन के लिए अनुमति प्रदान की गई;

(ख) क्या अनेक एयर टैक्सी आपरेशन को परमिट की अवधि समाप्त होने से पहले ही रोक दिया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे कितने टैक्सी आपरेटर हैं जिन्होंने परमिट की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपना आपरेशन जारी रखा है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इसके कारण सरकार को कुल कितनी हानि हुई; और

(च) इन टैक्सी आपरेटरों से राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान अंतर्देशीय एयरटैक्सी प्रचालनों के लिए जारी किए गए परमिटों की कुल संख्या निम्न रूप में है—

1995	—	8
1996	—	4
1997	—	5

(ख) और (ग) परमिट की अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी एयरटैक्सी का प्रचालन नहीं रोका गया था।

(घ) परमिट की वैधता तारीख समाप्त होने के बाद किसी टैक्सी प्रचालक ने प्रचालन जारी नहीं रखा।

(ङ) 31 मार्च, 1998 को तेल कंपनियों, अंतर्देशीय एयर ट्रैवेल कर (आई० ए० टी० टी०) तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा० वि० प्रा०) को बकाया कुल देयताएं निम्न प्रकार हैं—

बकाया रकम		
तेल कंपनियां	—	43.64 करोड़ रु०
भा० वि० प्रा०	—	31.26 करोड़ रु०
अंतर्देशीय एयर ट्रैवेल कर	—	54.55 करोड़ रु०

(च) तेल कंपनियां निजी विमान कंपनियों को विमानन टरबाईन ईंधन (ए० टी० एफ०) की आपूर्ति के लिए उधार की अनुमति नहीं देती हैं। बकाया देयताओं की वसूली हेतु दोषी प्रचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है।

देयताओं की वसूली के लिए भा० वि० प्रा० द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं। दोषी विमान कंपनियों को देयताओं के भुगतान हेतु नियमित रूप से स्मरण कराया जाता है जिसमें असफल होने पर उनके प्रतिभूति जमा को देयताओं के मद में समायोजित कर लिया जाता है। इसके साथ ही ऐसे मामलों में उधार की सुविधा भी वापस ले ली गई है।

आई० ए० टी० टी० की वसूली हेतु दोषी विमान कंपनियों के विरुद्ध विमान के रोकने सहित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

रेलवे सैलून

4378. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में सैलूनों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) इन पर वार्षिक खर्च कितना होता है;

(ग) इन रेलवे सैलूनों की उपयोगिता क्या है; और

(घ) इनसे कितनी आय अर्जित होती है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 31-3-1997 को 631 रेलवे सैलून हैं जिसमें 503 निरीक्षणयान और स्पेशल आबजर्वेशन कार तथा 128 पर्यटक यान हैं।

(ख) मौजूदा बजटीय प्रणाली में निधि की व्यवस्था बजट में समग्र रूप से 'कैरिज' के लिए की जाती है न कि किस्म विशेष के कोच/सैलून के लिए और तदनुसार किया गया खर्च भी इसी तरीके से दर्ज किया जाता है।

(ग) निरीक्षण कैरिज का उपयोग रेलपथ और चल स्टाक के निरीक्षण के लिए रेल अधिकारियों को रनिंग शेडों, डिपुओं, यार्डों आदि में ले जाने के लिए किया जाता है और उन मामलों में ठहरने के लिए किया जाता है जहां स्टेशनों पर ठहरने की सुविधा नहीं होती है। पर्यटक कारें अपेक्षित किराये का भुगतान करके जनता द्वारा यात्रा करने के लिए उपलब्ध हैं।

(घ) पर्यटक कारों के संबंध में आमदनी के कोई आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, 1996-97 के दौरान पर्यटक कारों सहित विशेष गाड़ियों और आरक्षित सवारी डिब्बों से हुई कुल आमदनी 4.57 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

रेलवे लाइनों का दोहरा करना

4379. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा वर्ष 1980-81 तथा 1993-94 के दौरान रेलवे लाइनों को दोहरा करने के कार्य पर बल दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य से रेलवे को होने वाले लाभ में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) क्या एकल रेल लाइनों के कारण चल स्टॉक का प्रयोग नहीं हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अप्रयुक्त पड़ी इस संपत्ति का प्रयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि रेलवे के इस असंतुलन को कम किया जा सके?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं। 1980-81 अथवा 1993-94 में दोहरीकरण पर कोई विशेष बल नहीं था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) रेलों के बीच असंतुलन कम करने के उद्देश्य से मालडिब्बों के अंतर-रेलवे हस्तांतरण का आश्रय लिया जाता है।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

4380. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में सभी कार्यालयी कार्य केवल अंग्रेजी में किए जाते हैं और राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा हिन्दी की उपेक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दैनिक कार्यों में हिन्दी को उचित महत्व प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दैनिक काम-काज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का मंत्रालय द्वारा यथासंभव अनुपालन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कानूनों में परिवर्तन

4381. डॉ० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और हाउस बिल्डिंग सोसाइटी से संबंधित कानूनों में परिवर्तन का है;

(ख) क्या मुम्बई और कलकत्ता आदि शहरों से भिन्न जहां ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित कानून सफल है वहीं दिल्ली में यह असफल हो गए हैं क्योंकि सोसाइटी के मूल सदस्य अपने आवास/फ्लैट्स मुख्तारनामे पर बेच देते हैं;

(ग) यदि हां, तो मुख्तारनामा धारकों को क्या संरक्षण मिलता है तथा क्या उन्हें मूल सदस्यों के स्थान पर सोसाइटी का सदस्य बनने की अनुमति होगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार प्लाटों की रजिस्ट्री की अनुमति न देकर और मुख्तारनामे द्वारा हस्तांतरण के कारण कितनी धनराशि का नुकसान उठा रही है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गदाग और वाडी के बीच रेल लाइन का निर्माण

4382. श्री ए० सिद्दराजू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गदाग और वाडी के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) इस पर कितना खर्च हुआ है; और

(घ) उपर्युक्त लाइन पर कार्य कब तक शुरू किया जाएगा और कब तक पूरा होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 1997-98 में गदग और वाडी के बीच एक बड़ी लाइन हेतु एक टोह इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण 12.60 लाख रुपये की लागत पर किया गया था। सर्वेक्षण के परिणामों से यह ज्ञात हुआ है कि प्रतिफल की नकारात्मक दर सहित 252.50 किलोमीटर लंबी लाइन की लागत 457.72 करोड़ रुपये होगी।

इस लाइन के अलाभप्रद प्रकृति के होने तथा संसाधन की तंगी के कारण इस परियोजना को रोक दिया गया है।

ग्रुप 'ए' में ग्रुप 'बी' अधिकारियों को शामिल करना

4383. श्री एस० अजय कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ग्रुप 'बी' रेलवे बोर्ड सचिवालीय अधिकारियों को आई० आर० पी० एस० ग्रुप 'ए' में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) पांचवें वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि मौजूदा संवर्ग संख्या के आलोक में रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों को आई० आर० पी० एस० में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उपर्युक्त सिफारिश को रेल मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है।

मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड को घाटा

4384. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड की विभिन्न रुग्ण इकाइयों का पुनरुद्धार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां।

(ख) खनिज गवेषण निगम लि० (एम० ई० सी० एल०) को वर्ष 1991-92 से हो रहे घाटे का विवरण निम्न प्रकार है—

1. वर्ष 1991-92 तक घाटा	3.83 करोड़ रु०
2. वर्ष 1992-93 के दौरान घाटा	10.29 करोड़ रु०
3. वर्ष 1993-94 के दौरान घाटा	11.16 करोड़ रु०
4. वर्ष 1994-95 के दौरान घाटा	11.99 करोड़ रु०
5. वर्ष 1995-96 के दौरान घाटा	12.32 करोड़ रु०
6. वर्ष 1996-97 के दौरान घाटा	4.16 करोड़ रु०
7. वर्ष 1997-98 के दौरान घाटा	2.62 करोड़ रु०

घाटे के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं—

(1) पिछले कई वर्षों में प्राप्त इसकी क्षमता के अनुरूप संविदात्मक और संवर्धनात्मक (प्रोमोशनल) कार्य की उपलब्धता में कमी।

(2) सभी सार्वजनित क्षेत्र के उपक्रमों, विशेषकर कोल इंडिया लि०, जो कि एम० ई० सी० एल० का प्रमुख ग्राहक है, का सरकारी बजट सहायता में अत्यधिक कमी।

(3) उदारीकृत परिदृश्य में अनेक विख्यात अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी भारतीय इकाइयां स्थापित की जो गवेषण कार्य सहित खनिज क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए प्रयास कर रही हैं जिससे एम० ई० सी० एल० के पारंपरिक व्यवसाय में कमी आई।

(4) कुल कारोबार की तुलना में मजदूरी बिल का अधिक अनुपात।

(5) कंपनी की समग्र परिचालर्न क्षमता में कमी।

(ग) और (घ) भारत सरकार, खान विभाग में जून, 1995 में एम० ई० सी० एल० के पुनरुद्धार के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जिसने नवंबर, 1995 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में सरकार एम० ई० सी० एल० के पुनरुद्धार के लिए एक पैकेज को कार्यान्वित कर रही है जिसमें कंपनी की प्रशासनिक और वित्तीय पुनर्संरचना करना और परिचालन उत्पादकता में सुधार लाना शामिल है। इससे कंपनी का घाटा काफी कम हो गया है।

बहुमंजिली इमारतों के निर्माण की अनुमति

4385. श्रीमती मीरा कुमार : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शहरी कला आयोग ने ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों को अपनी छाया में ढक लेने वाली बहुमंजिली इमारतों के निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

केरल में रेल दुर्घटनाएं

4386. श्री वी० वी० राघवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) इन रेल दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या थे; और

(ग) इनमें से प्रत्येक मामले में जानमाल की कितनी क्षति हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) गाड़ी दुर्घटनाओं के आंकड़े रेलवे जोनवार रखे जाते हैं न कि राज्यवार। इस अवधि के दौरान दक्षिण रेलवे में 37 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई, जिनका कोटिवार ब्यौरा नीचे दिया गया है–

टक्कर	3
गाड़ी का पटरी से उतरना	30
चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं	1
चौकीदार रहित समपारों पर दुर्घटनाएं	2
आग लगना	1
कुल	37

(ख) ये दुर्घटनाएं (1) मानवीय चूक, (2) रेलपथ की खराबी, (3) माल डिब्बों की खराबी, (4) बिजली की खराबी, (5) सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही तथा (6) आकस्मिक कारणों की वजह हो सकती हैं।

(ग) इन दुर्घटनाओं के कारण रेलवे की लगभग 1.23 करोड़ रुपये की अनुमानित संपत्ति की हानि हुई है तथा 13 व्यक्तियों की जानें गईं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की आवास योजनाएं

4387. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को अनुमोदन तथा वित्तीय सहायता के लिए कुछ आवास निर्माण संबंधी योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक योजना की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) योजना-वार कितनी सहायता आवंटित किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार की मंजूरी तथा वित्तीय सहायता हेतु कोई आवासीय स्कीम नहीं भेजी है। मध्य प्रदेश आवासीय बोर्ड तथा मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों ने 23.72 करोड़ रु० की ऋण सहायता वाली 9 आवासीय स्कीमें भेजी हैं। इन स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) ये स्कीमें हुडको के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृति प्रक्रियाओं की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इन स्कीमों की मंजूरी तथा प्रलेखन कार्य पूरा होने के बाद मांगी गई ऋण सहायता (जो संलग्न विवरण के कॉलम 3 में उल्लिखित है) जारी की जाएगी।

विवरण

30-6-98 को समाप्त माह की राज्यवार/एजेंसीवार प्रक्रियाधीन आवासीय स्कीमें

क्रम सं०	स्कीमों का नाम	रिहायशी मकान	योग
1	2	3	4
1.	स्टेशन रोड खचरोड में कंपोजिट हाउसिंग स्कीम	227	175.94

1	2	3	4
2.	छतरपुर आश्रय सुधार	300	24.00
3.	सोनिया गांधी शहरी गरीब आवासकीय योजना भोपाल	64	74.96
4.	इन्दौर में कंपोजिट हाउसिंग स्कीम	1,863	1,036.77
5.	जवाड मंदसोर में कंपोजिट हाउसिंग स्कीम	253	121.38
6.	टिटुर्डी दुर्ग में कंपोसिट हाउसिंग स्कीम	121	89.98
7.	शाबरी नगरी इन्दौर में 132 फ्लैटों का निर्माण	132	78.14
8.	जबलपुर भूकंप पीड़ितों के लिए 500 एल० आई० जी० मकानों का निर्माण	500	733.25
9.	बडवाड़ा में कंपोजिट हाउसिंग स्कीम, ई० डब्ल्यू० एस० हाउसिंग स्कीम	161	37.84
	योग	3821	2372.46

[अनुवाद]

रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को वर्दी की आपूर्ति

4388. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक वर्ष में रेलवे सुरक्षा बल (आर० पी० एफ०) के कर्मियों को वर्दी (गर्म और टेरिकाट) के कितने सेट उपलब्ध कराए जाते हैं;

(ख) दस वर्ष की अवधि के भीतर इनको कितनी बार वर्दी उपलब्ध नहीं कराई गई और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान समुचित वर्दी न पहनने के लिए कितने कर्मियों के विरुद्ध आरोप पत्र दर्ज किए गए और उन्हें दंडित किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकार द्वारा वर्दी उपलब्ध न कराए जाने पर कर्मचारियों को अपने आप वर्दी की व्यवस्था करने के लिए प्रतिपूर्ति करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों को एक वर्ष में एक सेट टेरीकोट वर्दी तथा तीन वर्ष में ऊनी पतलून और अंगोला कमीज के दो सेट दिए जाते हैं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपयुक्त वर्दी नहीं पहनने के कारण छियालीस कार्मिकों को आरोप पत्र दिए गए हैं तथा दंडित किया गया है।

(घ) जी नहीं, चूंकि वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायती राज की समीक्षा

4389. श्री गिरिधर गमांग : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यों की संचित निधि से पंचायतों को आवंटन एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर सिफारिश करने हेतु अनुच्छेद 243(ज्ञ) के अंतर्गत राज्यों ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने अब तक अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं;

(ग) क्या सरकार को भेजने से पहले ये सिफारिशें राज्य विधान सभाओं द्वारा स्वीकृत की गई थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) संविधान की धारा 243-आई पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा धारा 243-एच में उल्लिखित प्रमुख मुद्दों को लागू करने के सिद्धांतों के संबंध में राज्यपाल से सिफारिश करने के लिए राज्य वित्तीय आयोग का गठन करने का प्रावधान है। आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्य वित्तीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट अपनी राज्य सरकारों को प्रस्तुत कर दी है। असम, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों ने राज्य वित्तीय आयोग की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। गुजराज, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव राज्य वित्तीय आयोग की अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त कर चुके हैं तथा उन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्रवाई की जानी है। उड़ीसा, गोवा तथा सिक्किम के राज्य वित्तीय आयोगों द्वारा अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा सिफारिशों पर कार्रवाई किए जाने से पूर्व राज्य वित्तीय आयोगों की सिफारिशों को विधान मंडल के समक्ष रखना होता है। इन रिपोर्टों को भारत सरकार को भेजने की जरूरत नहीं होती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा

4390. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे से विमानों के उड़ान भरने और उतरने की सुविधा शीघ्र शुरू किए जाने की संभावान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस तथा अन्य प्रचालकों के अनुरोध पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने असम राज्य सरकार के साथ एयरबस 320 किस्म के विमान के प्रचालनार्थ धावनपथ का उपयुक्त रूप से 6,000 फुट से 7,500 फुट तक विस्तार करने की दृष्टि से अपेक्षित भू-अर्जन संबंधी मामले को उठाया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 500 यात्रियों की एक ही समय में आवश्यकता पूर्ति की दृष्टि से सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नये टर्मिनल भवन के निर्माण की भी योजनाएं हैं। नक्शे अनुमोदित हो चुके हैं और तत्संबंधी कार्य चालू वित्त वर्ष में सौंपे जाने की संभावना है।

एयर इंडिया के बेड़े में विस्तार की योजना

4391. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री जी० गंगा रेड्डी :

क्या नागर विमानन मंत्री 11 जून, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2402 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विमान प्राप्त किए जाएंगे और उनकी क्षमता तथा अन्य अपेक्षित विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) उन्हें एयर इंडिया के बेड़े में कब से शामिल किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) कठिन वित्तीय स्थिति के कारण एयर इंडिया अपनी विमान आवश्यकता की समीक्षा कर रही है। इसलिए इस स्थिति में, इस विमान कंपनी द्वारा शामिल किए जाने वाले विमानों की संख्या, उनकी लागत तथा उनके अभिग्रहण की समय-सीमा के बारे में विस्तार से बताना संभव नहीं है।

गुवाहाटी विमानपत्तन का उन्नयन

4392. श्रीमती रानी नरह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी विमानपत्तन 'ग' श्रेणी का विमानपत्तन है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां, पर उड़ानें जारी रखने की दृष्टि से सरकार का इसका उन्नयन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) गुवाहाटी हवाई अड्डे का विकास आदर्श विमानपत्तन के रूप में किया जा रहा है। 21 करोड़ रुपये की लागत से वर्तमान टर्मिनल भवन का परिवर्धन और विस्तार किया गया है। आगमन हॉल और कार पार्क का निर्माण पूरा हो चुका है। इस समय, विमानपत्तन ए-300 प्रचालनों के लिए उपयुक्त है। विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक विकसित करने का प्रस्ताव है। बी-747 प्रकार के विमानों के प्रचालन हेतु आधारित सुविधाओं में वृद्धि के लिए 11.42 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार से 243 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

वृद्धि में निम्नलिखित अंतर्ग्रस्त हैं—

(1) रन-वे 9,000 फुट से 12,000 फुट तक विस्तार; और

(2) नये अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन और कारगो काम्प्लेक्स का निर्माण।

सांसद एवं पूर्व सांसदों से देय बिजली और पानी प्रभार

4393. श्री पी० उपेन्द्र : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज की स्थिति के अनुसार सांसदों एवं पूर्व सांसदों पर बिजली और पानी शुल्क की भारी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये शुल्क कब से बकाया हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नाल्को को घाटा

4394. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अंगुल में नाल्को द्वारा स्थापित डिबोटल नेकिंग संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) क्या यह परियोजना वांछित परिणाम देने में सफल रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नाल्को को इससे कुल कितना घाटा हुआ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के एल्युमिनियम प्रगालक की डिबॉटलनैकिंग 49.12 करोड़ रु० की कुल लागत से पूरी हो गई है।

(ख) एल्युमिनियम प्रगालक की डिबॉटलनैकिंग से संबंधित सभी सुविधाएं चालू की गई हैं तथा सभी उपकरणों के निष्पादन गारंटी परीक्षण भी पूरे कर लिए गए हैं। डिबॉटलनैकिंग सुविधाओं की स्थापना से इस संयंत्र के उत्पादन में पर्याप्त सहायता मिली है।

(ग) और (घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पंचायती राज संस्थाओं को आवंटन

4395. श्री विठ्ठल तुपे :
श्री माधवराव पाटील :
श्री डी० एस० अहिरे :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से पंचायतीराज अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए समय-सीमा दो वर्षों तक बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसके क्या कारण बताए हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय अधिनियम के कतिपय प्रावधानों की समीक्षा करने का भी अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष तथा आज तक महाराष्ट्र को पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया तथा इसमें से कितना जारी किया गया है; और

(च) शेष राशि कब तक जारी कर दी जाएगी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) और (च) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं को निधियां आवंटित नहीं करता। तथापि, वित्त मंत्रालय दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के वित्त में वृद्धि करने के लिए विभिन्न राज्यों को निधियां जारी करता है। निधियां वर्ष 1996-97 से दी जा रही हैं। इस उद्देश्य के लिए 1996-97 और 1997-98 के दौरान महाराष्ट्र राज्य को 86.75 करोड़ रुपए आवंटित और जारी किए गए।

रेलवे में नैमित्तिक कर्मचारियों का नियमितीकरण

4396. श्री सोमजीभाई डामोर :
श्री आदित्य नाथ :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नियमित किए नैमित्तिक कर्मचारियों का वर्ष-वार और डिवीजन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं;

(घ) क्या बहुत संख्या में योग्य नैमित्तिक कर्मचारी नियमित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी डिवीजन-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) नैमित्तिक श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए कार्य के दिनों की संख्या के आधार पर उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद नियमित स्थापना में समाहित किया जाता है बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों।

(ख) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नए सवारी डिब्बों को शामिल करना

4397. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मौजूदा यात्री डिब्बों के स्थान पर नए रेल डिब्बों को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने डिब्बे शामिल किए जाएंगे;

(ग) क्या अतिरिक्त डिब्बे यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ से निपटने के लिए पर्याप्त होंगे;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ङ) देश में नई किस्म के यात्री डिब्बों का वार्षिक उत्पादन कितना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ङ) नाकाराकरण और अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 2,000 से अधिक नये सवारी डिब्बे प्रणाली में शामिल किए जाते हैं। भारतीय रेल द्वारा निर्मित किए जा रहे सवारी डिब्बों के अभिकल्प और प्रौद्योगिकी में निरंतर उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी प्रयास किए जा रहे हैं। बहरहाल, मैसर्स एल एच बी, जर्मनी से प्रौद्योगिकी ठेका के हस्तांतरण सहित सप्लाई ठेका के अंतर्गत 24 अतिरिक्त सवारी डिब्बे प्राप्त किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) निरंतर बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष के आधार पर अतिरिक्त सवारी डिब्बे शामिल किए जा रहे हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

केरल में सोने के भंडार

4398. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में वाणिज्यिक आधार पर सोने के भंडारों की खोज में किसी विदेशी एजेंसी को लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, नहीं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में यथा-परिभाषित कोई भी कंपनी या भारतीय नागरिक खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियक, 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार खनन पट्टा प्राप्त करने के पश्चात् खनिज भंडारों का विदोहन करने के लिए स्वतंत्र है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेल द्वारा अलाभकारी इकाइयों को बंद किया जाना

4399. डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने प्रमुख अलाभकारी इकाइयों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(घ) बाजार में मंदी की स्थिति का सामना करने के लिए इससे किस हद तक सहायता मिलेगी?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) प्रमुख अलाभकारी इकाइयों को बंद करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

रक्षा मंत्रालय में शिकायत पेटी

4400. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मंत्रालय में रक्षा सौदों और सशस्त्र बलों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतों के लिए एक शिकायत पेटी रखी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उनसे कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा ये किस प्रकार की हैं; और

(ग) मंत्रालय द्वारा इस संबंध में, यदि कोई कार्रवाई की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) अब तक 16 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। शिकायतें अलग-अलग किस्म की अर्थात् भर्ती में हेरा-फेरी, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में भ्रष्टाचार तथा रक्षा सुरक्षा कोर के कार्मिकों आदि को परेशान किए जाने से संबंधित हैं।

(ग) प्रत्येक मामले में अपेक्षित कार्रवाई कर दी गई/की जा रही है।

[हिन्दी]

सरकारी कालोनियों का विकास

4401. श्री थावर चंद गेहलोत : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगरों में सरकारी कालोनियों के विकास के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है अथवा कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने कई मेट्रोपोलिटन शहरों में नई कालोनियों के विकास तथा कुछ मौजूदा कालोनियों के पुनर्विकास के लिए स्कीमें बनाई हैं।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	कार्य का नाम	शहर
1	2	3
1.	जी० पी० हास्टल, 106 कमरे, सेक्टर-10, आर० के० पुरम्	नई दिल्ली
2.	जी० पी० आर० ए० टाइप-4/36, सेक्टर-10, आर० के० पुरम्	नई दिल्ली
	(i) एस एच : टी-IV/72	
	(ii) टी-IV/24	
3.	105 टाइप-V क्वार्टरस्, सेक्टर-10 आर० के० पुरम्	नई दिल्ली
	(क) टाइप-V/63	
	(ख) टाइप-V/42	

1	2	3
4.	95 टाइप-V (फेस-II) सेक्टर-X, आर० के पुरम्	नई दिल्ली
5.	94+1 टाइप-V क्वार्टर (सेवा केन्द्र के लिए एक अलग से) सेक्टर 10, आर० के० पुरम्	नई दिल्ली
6.	ट्रांजिट हास्टल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग स्टाफ, अलीगंज, लोदी रोड	नई दिल्ली
7.	जी० पी० हास्टल, देव नगर में चार मंजिली इमारत में 60 एकल कमरे	नई दिल्ली
8.	टी-V/98 और VI/28 क्वार्टर्स, आई० एन० ए०	नई दिल्ली
9.	शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय का गेस्ट हाउस, किदवई नगर	नई दिल्ली
10.	32 टी-IV/क्वार्टर (दो मंजिली) उत्तर-पश्चिम मोती बाग	नई दिल्ली
11.	60 टी-III (4 मंजिली) जी० पी० क्वार्टर, सेक्टर-II, डी० आई० जेड० एरिया	नई दिल्ली
12.	मिंटो रोड में 56 टाइप-IV/क्वार्टर	नई दिल्ली
13.	14 आइरन साइड रोड में टी-V, जी + 9 मंजिले 72 क्वार्टर एस० एच० : पाइल फाउंडेसन	कलकत्ता
14.	जी०पी० क्वार्टर्स (6 + 7 मंजिले), रिची रोड, दो ब्लाकों में टी-IV/20, एस०एच० : पाइल फाउंडेसन	कलकत्ता
15.	मेरिलनि पार्क में जी०पी० हास्टल बिल्डिंग, दो शायिका कक्ष-48, एकल कक्ष-48, एस० एच० पाइल फाउंडेसन	कलकत्ता
16.	कोली वाडा में जी०पी०आर०ए० टी-2/60 और III/20, एस० एम० प्लाट, सेक्टर-VII,	बम्बई
	(क) टी-II/60	
	(ख) टी-III/20	
17.	न्यू बाम्बे में जी०पी०आर०ए० बिल्डिंग के लिए 1,018 क्वार्टर (टी-I/150, II/300, III/400, IV/112, V/56	न्यू बाम्बे
18.	जीपीआरए, मलाड़ (1016) टी-I/160, II/420, III/240, IV/140, IV/56, पूछताछ कार्यालय समुदाय केन्द्र	बम्बई
19.	हैदराबाद में डैपियन सी रोड पर ट्रांजेट हास्टल (72 कमरे)	बम्बई
20	जीपीआरए, अन्ना नगर मद्रास , फेस-II,	मद्रास
	(क) 200, टाइप-III क्वार्टर्स	
	(ख) 48 टी-II क्वार्टर्स	
	(ग) 24, टी-V और टी-6/4 क्वार्टर्स	
21.	32, टी-IV क्वार्टरस्, अन्ना नगर (फेज-III)	मद्रास
22.	कोर मंगला में केन्द्र सरकार का गेस्ट हाउस	बंगलौर
23.	जीपीआरए, होसूर शारजापुर रोड, आई/सी पूछताछ कार्यालय समुदाय केन्द्र-505	बंगलौर
	टी-I/96	
	टी-II/200	
	टी-III/160	
	टी-IV/40	
	टी-V/6	
	टी-VI/3	

खानों का दोहन

4402. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश और बिहार में खानों के समुचित दोहन के लिए कोई नई योजना बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) पूर्वेक्षण और खनन अधिकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में यह भी प्रावधान है कि इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के बारे में कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों द्वारा खानों के विदोहन के लिए न तो कोई नई योजना प्रस्तुत की गई है और न ही ऐसी कोई योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार से उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद

4403. श्री बंगबहादुर सिंह पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुसेना मुख्यालय सहित दिल्ली छावनी स्थित वायुसेना प्रतिष्ठान सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए लेखन सामग्री और अन्य वस्तुएं केन्द्रीय भण्डार/सुपर बाजार/एन सी सी एफ से नहीं खरीद रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये कार्यालय लेखन सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की खरीद किन-किन एजेंसियों से कर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गुणवत्ता संबंधी समझौता किए बिना सरकार द्वारा प्रायोजित उपर्युक्त सहकारी संस्थाओं से न्यूनतम दरों पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। वायुसेना मुख्यालय तथा दिल्ली स्थित सभी वायुसेना संस्थापानाएं स्टेशनरी की खरीद केवल प्राधिकृत एजेंसियों जैसे केन्द्रीय भंडार/सुपर बाजार/राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन से ही करती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

छोटे स्टेशनों के लिए आरक्षण कोटा

4404. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छोटे स्टेशनों के यात्री लंबी दूरी की गाड़ियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि छोटे स्टेशनों पर आरक्षण कोटा नहीं होता, जबकि इन स्टेशनों पर गाड़ियां रुकती हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) किसी स्टेशन पर आरक्षण कोटा के आवंटन गाड़ी में आरक्षित स्थान की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों पर मांग पैटर्न को ध्यान में रखकर किया जाता है। मांग को ध्यान में रखे बिना छोटे स्टेशनों पर आरक्षण कोटा निर्धारित करना संभव नहीं है। इसके अलावा, कम्प्यूटरीकरण के विकास से रोड साइड वाले स्टेशनों पर उपलब्ध आरक्षण कोटा जो काफी पुराना हो गया है को समाप्त किया जा रहा है। बहरहाल, उन स्टेशनों पर भी जहां गाड़ी में कोई कोटा आरक्षित नहीं है। यदि गाड़ी उस स्टेशन पर रुकती है तो यात्री अनारक्षित सवारी डिब्बों में हमेशा यात्रा कर सकते हैं।

(ख) और (ग) कोटे की आवधिक समीक्षा की जाती है और यदि औचित्यपूर्ण तथा व्यावहारिक पाया जाता है तो विभिन्न स्टेशनों पर आरक्षण कोटा में समायोजन किया जाता है।.

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन

4405. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री खारबेल स्वाईं :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष में ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को दिए गए आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध कराए गए धन के संबंध में स्थानीय संसद सदस्य की भूमिका को परिभाषित करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और इन्दिरा आवास योजना मंत्रालय द्वारा देश भर में कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन कार्यक्रम हैं। गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को किए गए आवंटनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। तथापि, चालू वर्ष के आवंटनों को संसद द्वारा वर्ष 1998-99 के केन्द्रीय बजट के अनुमोदन के बाद अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ख) और (ग) संसद सदस्य संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के शासी निकाय के सदस्य होते हैं जो अधिकांश ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को जिला और खंड स्तरों पर, जहां स्थानीय सांसद सदस्य होते हैं, में सतर्कता और निगरानी समितियां गठित करने के अनुदेश भी जारी किए हैं। ये समितियां उस जिले में इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण, सतर्कता और निगरानी करेंगी और वर्ष में कम-से-कम तीन बार बैठकें आयोजित करेंगी। ये समितियां जिलों में विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के दुरुपयोग की शिकायतों को भी देखेंगी।

विवरण

गत तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान मुख्य ग्रामीण-

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जवाहर रोजगार योजना			सुनिश्चित रोजगार योजना		
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	20785.92	13897.91	15528.39	14550.00	20110.00	16740.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	263.66	142.64	155.37	1859.00	1701.00	1890.00
3.	असम	8656.14	4574.54	5111.22	8020.00	10820.00	8592.00
4.	बिहार	62878.54	27260.46	30452.60	16230.00	21245.00	18234.00
5.	गोवा	284.87	154.12	172.20	0.00	80.00	140.00
6.	गुजरात	11803.00	5101.00	5695.44	6870.00	5850.00	4320.00
7.	हरियाणा	2718.62	1225.45	1358.22	3320.00	2680.00	2670.00
8.	हिमाचल प्रदेश	919.27	489.73	547.18	450.00	1590.00	2550.00
9.	जम्मू व कश्मीर	2704.80	995.14	1111.85	6740.00	3860.00	4760.00
10.	कर्नाटक	19537.93	9332.27	10427.12	10670.00	11560.00	10600.00
11.	केरल	6423.47	3395.33	3793.66	1850.00	2850.00	3389.00
12.	मध्य प्रदेश	40898.57	17611.61	19677.78	22940.00	22670.17	21507.85
13.	महाराष्ट्र	33327.03	15150.04	16927.42	11460.00	6730.00	11334.51
14.	मणिपुर	340.36	182.82	204.27	900.00	1080.00	810.00
15.	मेघालय	397.85	213.92	239.02	250.00	490.00	220.00
16.	मिजोरम	166.43	90.12	100.69	1200.00	1200.00	800.00
17.	नागालैंड	421.02	229.31	256.21	2080.00	2786.00	2100.00
18.	उड़ीसा	24514.35	11274.49	12597.20	11460.00	16427.55	14721.58
19.	पंजाब	1575.94	871.51	973.75	0.00	280.00	1840.00
20.	राजस्थान	16660.08	7317.12	8176.55	14030.00	10380.00	9265.00
21.	सिक्किम	273.54	63.49	93.28	330.00	220.00	220.00
22.	तमिलनाडु	26107.25	12563.97	14037.96	8410.00	14725.00	18720.00
23.	त्रिपुरा	446.92	237.46	265.32	1560.00	2160.00	1440.00
24.	उत्तर प्रदेश	69750.84	33867.93	37841.25	16560.00	21304.75	31448.06
25.	प० बंगाल	26630.17	12455.47	13916.74	8240.00	10170.00	7790.00
26.	अ० नि० द्वीप समूह	154.18	64.41	94.31	40.00	0.00	80.00
27.	दादरा और नगर हवेली	83.92	45.81	51.18	30.00	60.00	30.00
28.	दमन और दीव	19.28	26.89	0.00	0.00	20.00	0.00
29.	दिल्ली	0.00	0.00	47.28	20.00	140.00	0.00
30.	लक्षद्वीप	76.70	42.32	92.34	100.00	60.00	60.00
31.	पांडिचेरी	151.86	82.64	30.16	NR	0.00	0.00
	अखिल भारत	387899.00	179000.02	200000.00	170569.00	193959.47	196372.00

विवरण

विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत किया गया केन्द्रीय आवंटन दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम			त्वरित ग्रामीण जलआपूर्ति कार्यक्रम			इन्दिरा आवास योजना		
1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
9	10	11	12	13	14	15	16	17
4168.21	4168.21	4306.11	60.27	66.18	7964.00	2764.21	3870.30	8970.34
311.72	311.72	322.03	10.92	12.00	1444.00	79.71	79.71	80.74
1371.75	1371.75	1417.12	18.45	20.26	2438.00	2555.95	2918.68	2952.83
8109.12	8109.12	8377.40	70.99	77.95	9080.00	17078.21	17398.92	17597.09
70.94	70.94	73.29	1.70	1.89	227.00	86.12	86.12	87.63
1529.61	1529.61	1580.22	38.50	41.97	4672.00	3450.09	3255.70	3292.97
367.67	367.67	379.83	23.12	24.41	1746.00	1084.63	782.14	790.96
119.83	119.89	123.86	12.15	13.31	1568.00	273.65	273.65	276.72
499.53	499.55	516.08	33.62	36.88	4395.00	1056.07	556.07	562.66
2797.45	2797.45	2890.00	55.44	60.87	7325.00	5213.33	5956.29	6024.43
1018.07	1018.07	1051.75	28.19	30.95	3724.00	1896.68	2167.06	2191.85
5282.69	5282.69	6457.47	66.73	73.27	8817.00	11398.39	11240.56	11362.58
4543.87	4543.87	4694.20	80.23	88.10	10602.00	9064.06	9668.47	9772.75
224.80	224.80	232.24	4.01	4.40	528.00	102.16	102.16	103.77
238.78	238.78	246.68	4.30	4.72	568.00	119.54	119.54	121.07
100.91	100.91	104.25	3.07	3.37	406.00	50.36	50.38	50.73
167.85	167.35	173.40	4.22	4.22	422.00	128.13	128.13	125.14
3381.92	3381.92	3493.81	31.59	34.68	4173.00	6298.60	7195.91	7277.74
280.76	260.76	269.39	10.06	11.05	1330.00	486.85	556.24	562.55
2194.00	2194.00	2266.59	97.39	103.27	8732.00	5087.49	4670.13	4723.84
27.97	27.97	28.90	3.72	3.72	372.00	166.65	46.65	47.87
3768.57	3768.57	3893.25	47.79	52.47	6314.00	7468.73	3012.92	8110.20
320.71	320.71	331.32	3.80	4.18	503.00	132.69	132.82	134.90
10162.25	10158.25	10494.33	111.82	122.78	14775.00	20400.14	21616.11	21863.15
3736.10	3736.10	3859.71	43.17	47.40	5704.00	6957.67	7949.67	8035.87
70.94	70.94	73.29	0.44	0.25	12.50	47.17	47.17	47.27
14.99	14.99	15.49	0.25	0.15	12.50	25.61	25.61	25.37
0.00	0.00	0.00	0.29	0.30	5.00	0.00	0.00	0.00
27.97	.27.97	7.22	0.12	0.00	12.50	15.03	15.08	24.21
6.99	6.99	59.87	0.30	0.20	5.00	23.65	23.65	47.27
57.95	57.85	28.90	0.15	0.10	12.50	46.18	46.18	14.99
54950.00	54950.00	56768.00	866.80	945.90	108190.00	109499.00	114000.00	115300.00

[अनुवाद]

सशस्त्र सेनाओं के लिए निधियों का आवंटन

4406. श्रीमती जयंती पटनायक :
श्री पी० शिवशंकर :
डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1998-99 के दौरान सशस्त्र बलों को निधियों का आवंटन किस सीमा तक बढ़ाया गया है; और

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान रक्षानिधियों का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि संपूर्ण आवंटित धनराशि का वर्ष 1998-99 के दौरान लाभकारी रूप से उपयोग किया जाए?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) रक्षा सेनाओं/विभागों के लिए वर्ष 1997-98 के संशोधित आकलन में किए गए 36,099 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में वर्ष 1998-99 के बजट आकलन में 41,200 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। इस प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में 1998-99 के लिए 5,101 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान आवंटित धनराशि का सेना को दिए गए अनुदान के तहत पूरा उपयोग नहीं किया जा सका था। उक्त धनराशि का पूर्णतः उपयोग न किए जाने के मुख्य कारण हैं (1) पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए वेतन व भत्तों के अन्तर्गत अनुमानित से कम धनराशि का निर्गमन; और (2) कतिपय संविदाओं से संबंधित विवाद/विचार-विमर्श पर निर्णय न हो पाना।

संविदाओं और नई योजनाओं के लिए दिए जाने वाले धन पर नियमित रूप से निगरानी रखने के लिए पहले से ही व्यवस्था बनी हुई है। इन संविदाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। सभी संबंधितों को रक्षा सेनाओं के लिए आवंटित धनराशि का इष्टतम उपयोग किए जाने के लिए सतत प्रयास करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

सेना के अधिकारियों को अध्ययन अवकाश

4407. डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्री भुवनेश्वर कालिता :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेना ने प्रतिवर्ष 700 अधिकारियों को दो वर्ष के अध्ययन अवकाश पर भेजने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) थल सेना के अधिकारियों ने इस योजना का किस हद तक स्वागत किया है;

(घ) क्या इससे कनिष्ठ अधिकारियों को अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने और सैन्य बलों में पदोन्नति के मामले में अवरुद्धता को रोकने में सहायता मिलने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) रक्षा मंत्रालय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

हवाई सुरक्षा संबंधी सेमिनार

4408. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में संपन्न 5-दिवसीय सेमिनार में भारत तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्र के 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च किया गया तथा इसमें किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां। भारत ने 27 से 31 अक्तूबर, 1997 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के नागर विमानन महानिदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में एशिया और प्रशांत क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा भारत के 151 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ख) जबकि प्रतिनिधियों का व्यय उनके अपने-अपने देशों ने उठाया था फिर भी प्रोटोकॉल व्यवस्था पर भारत सरकार ने 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) व्यय किए थे। सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें से मुख्य मुद्दे पट्टे के विमानों के प्रचालन, नागर विमानन विनियमों के सुमेल, विमान दिक्चालन, विमानन सुरक्षा तथा संरक्षा, विमान परिवहन, तकनीकी सहयोग तथा क्षेत्रीय नियोजन से संबंधित थे।

[हिन्दी]

जमालपुर रेल कारखाने का जीर्णोद्धार

4409. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वी रेलवे के जमालपुर रेल कारखाने का जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। जमालपुर कारखाने के जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण से संबंधित निम्नलिखित कार्य प्रगति पर हैं—

क्रम सं०	कार्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष	लागत (करोड़ रुपयों में)
(i)	जमालपुर कारखाना—कर्षण जेनरेटर रिवाइंडिंग का विकास	1987-88	3.34
(ii)	जमालपुर—कारखाने का आधुनिकीकरण	1995-96	9.63
(iii)	जमालपुर—बी ओ एक्स मालडिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग के लिए सुविधाएं	1989-99	15.21

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन हेतु उपयोग की गई राशि

4410. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास की राशि में से 60 प्रतिशत राशि का उपयोग राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के लिए किया जाता है;

(ख) मध्य प्रदेश के कौन-से जिलों में उक्त मिशन कार्य कर रहा है;

(ग) इस मिशन के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य आते हैं और इन्हें पूरा करने के लिए कौन-से विभाग उत्तरदायी हैं; और

(घ) 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान इस मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए राज्यवार, कितनी राशि आवंटित की गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जल आपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने संपूर्ण राज्य में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को कार्यान्वित किया है। मिशन सभी ग्रामीण बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 1-4-98 को 1,59,868 ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। राज्य लोक स्वास्थ्य शिक्षा विभाग राज्य में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को चलाने के लिए उत्तरदायी है।

(घ) 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए आवंटित की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। परियोजनावार जानाकरी केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं रखी जाती है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति से लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधान

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम) 1995-96	1996-97	1997-98	प्रावधान (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) 1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	60.270	66.180	79.640	83.803	68.180	88.112
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.820	12.000	14.440	11.400	19.530	26.560
3.	असम	18.450	20.260	24.380	59.920	53.920	84.170
4.	बिहार	70.990	77.950	93.800	72.480	86.340	86.340
5.	गोआ	1.700	1.890	2.270	3.800	3.750	3.050
6.	गुजरात	38.500	41.970	49.870	54.050	66.800	102.000
7.	हरियाणा	23.120	24.410	27.360	24.900	26.400	26.250
8.	हिमाचल प्रदेश	12.150	13.310	15.960	47.030	32.800	56.914
9.	जम्मू व कश्मीर	33.620	36.880	44.310	43.492	43.492	52.384
10.	कर्नाटक	36.440	60.870	73.250	65.874	69.272	84.958
11.	केरल	28.190	30.950	37.240	51.640	51.640	51.840
12.	मध्य प्रदेश	66.730	73.270	88.170	66.730	74.526	65.759

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	महाराष्ट्र	80.230	88.100	106.020	204.890	230.983	349.889
14.	मणिपुर	4.010	4.400	5.280	7.710	14.230	15.109
15.	मेघालय	4.300	4.720	5.680	10.000	17.000	12.000
16.	मिजोरम	3.070	3.370	4.060	3.400	6.500	6.000
17.	नागालैंड	4.220	4.220	4.220	4.500	5.000	4.220
18.	उड़ीसा	31.590	34.680	41.730	33.760	42.700	45.040
19.	पंजाब	10.060	11.050	13.300	24.500	29.000	22.350
20.	राजस्थान	97.390	103.870	118.630	122.650	144.500	180.700
21.	सिक्किम	3.720	3.720	3.720	7.420	8.399	8.170
22.	तमिलनाडु	47.790	52.470	63.140	63.900	53.330	72.000
23.	त्रिपुरा	3.800	4.180	5.030	11.880	35.000	11.470
24.	उत्तर प्रदेश	111.820	122.780	147.750	123.466	241.709	231.170
25.	पश्चिम बंगाल	43.170	47.400	57.040	43.165	40.000	76.000
26.	अंडमान निकोबार	0.440	0.250	0.125	4.100	4.100	4.500
27.	दादरा व न० हवेली	0.250	0.150	0.125	0.330	1.340	2.830
28.	दिल्ली	0.280	0.300	0.050	5.000	5.000	7.500
29.	लक्षद्वीप	0.120	0.000	0.125	0.475	0.682	0.700
30.	पांडिचेरी	0.300	0.200	0.050	0.700	0.700	1.252
31.	दमन द्वीव	0.150.	0.100	0.125	0.630	0.320	0.620
	कुल	866.800	945.900	1126.300	1238.254	1602.158	1768.667

दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यकरण

4411. प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
डॉ० चिंता मोहन :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मई, 1998 के दैनिक 'पायोनियर' में 'रिवेम्प डी० डी० ए० साहिब' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में परिवर्तन लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (घ) जी, हां।

सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एजेंडा) में एक वर्ष में 2 मिलियन अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में, प्रथम चरण में मकानों के निर्माण के लिए भूमि के जुटाव और विकास की निजी विकासकर्ताओं (डेवलपरों) को अनुमति देने संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे बाजार में अच्छी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे अंतत: राजधानी के नागरिक लाभान्वित होंगे। इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों में यह निर्धारित है कि भूमि जुटाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल 30 एकड़ इकट्ठी भूमि होगी, व्यक्ति(यों) का भूमि स्वामित्व वैध होना चाहिए, डेवलपर को, 100 फर्शी क्षेत्रफल अनुपात पर कुल क्षेत्रफल के बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत आश्रय कोष में देना होगा, निर्मित क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (इ डब्ल्यू एस) और निम्न आय वर्ग (एल आई जी) श्रेणी के मकान होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और डी डी ए को इस आशय के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे कार्यान्वयन मशीनरी को दुरस्त बनाएं ताकि योजना और भवन नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करके किए जा रहे निर्माण/अन्य गतिविधियों को रोका जा सके।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्वीकृत पद

4412. श्री बेनी प्रसाद वर्मा : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक (कार्य), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 27-2-97 को प्रधान लिपिक 242 पद, अपर श्रेणी लिपिक के 1,325 पद और अवर श्रेणी लिपिक 1,305 पद स्वीकृत किए गए थे;

(ख) क्या इन पदों को भर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। अवर श्रेणी लिपिक के 1,365 पद थे, न कि 1,305 पद।

(ख) और (ग) इन पदों को भरने से संबंधित स्थिति निम्नलिखित अनुसार है–

(i) अवर श्रेणी लिपिक से प्रवर श्रेणी लिपिक

प्रवर श्रेणी लिपिकों के पदों के भर्ती नियमों के अनुसार 37 प्रतिशत पद वरिष्ठता सहउपयुक्तता द्वारा, 50 प्रतिशत पद इन श्रेणियों से विभागीय परीक्षा पास करने पर वरिष्ठता आधार पर और 12 प्रतिशत पद, प्रतियोगी परीक्षा से योग्यता आधार पर भरे जाते हैं। अवर श्रेणी लिपिकों से प्रवर श्रेणी लिपिकों से संबंधित वरिष्ठता सह-उपयुक्तता के सभी पद भर लिए गए हैं। परीक्षा कोटा पदों को भी भरने के लिए वरिष्ठता सह-उपयुक्तता आधार अपनाया जाता है, चूंकि यह पद लंबी सेवा अवधि वाले इन कर्मचारियों को गतिरोध से राहत दिलाने की दृष्टि से सृजित किए गए थे; कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से भर्ती नियमों में एक बार ढील देने का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन विभाग ने इसे अस्वीकृत कर दिया। इसके पश्चात् निर्माण महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इन रिक्तियों को कड़ाई से भर्ती नियमों के प्रावधान के अनुसार भरने के लिए अनुदेश जारी किए थे। अवर श्रेणी लिपिकों के 59 पद पहले ही भर लिए गए हैं और शेष पदों के लिए 21-7-98 और 22-7-98 को परीक्षा लेना तय किया गया है।

(ii) प्रवर श्रेणी लिपिक से प्रधान लिपिक

प्रधान लिपिकों के 50 प्रतिशत पद वरिष्ठता सह-उपयुक्तता आधार पर और 50 प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा से भरे जाते हैं। वरिष्ठता सह-उपयुक्तता आधारित सभी पद भर लिए गए हैं। सरकार से एक बार ढील देने के प्रस्ताव को मंजूरी न मिलने के बाद परीक्षा कोटा पदों को भरने के लिए 12-5-98 से 14-5-98 को परीक्षा आयोजित की गई है।

उड़ीसा में आयुध कारखाने से विस्थापित परिवारों को मुआवजा

4413. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बोलनगीर जिले में सेन्ताला आयुध कारखाने की स्थापना के कारण कितने लोग विस्थापित हुए;

(ख) क्या इन विस्थापित व्यक्तियों को 'क' तथा 'ख' दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भूमि के अधिग्रहण के समय प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो अब तक आयुध कारखाने द्वारा कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया; और

(च) शेष व्यक्तियों को कब तक रोजगार मिल जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) 1,020 परिवार विस्थापित हुए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) 778 व्यक्तियों को रोजगार दे दिया गया है और 15 अन्य को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं।

(च) शेष विस्थापित व्यक्ति केवल मजदूरी/अकुशल पदों पर भर्ती के ही पात्र हैं। इन्हें बढ़ते हुए कार्यभार के आधार पर पद खाली होते ही क्रमशः भरा जा रहा है। इन व्यक्तियों को ही प्राथमिकता दी जाती है।

सरकारी क्वार्टरों की मरम्मत

4414. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री सरकारी क्वार्टरों की, मरम्मत के बारे में 4-6-1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1280 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 5-10, 10-20, 20-30, 30-40 और 40-60 वर्ष पुराने सरकारी क्वार्टरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त में से कितने क्वार्टरों की व्यापक मरम्मत की गई;

(ग) क्या व्यापक मरम्मत करने के लिए कारणों का पता लगाने हेतु कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :

(क)	5-10 वर्ष पुराने	–	1155
	10-20 वर्ष पुराने	–	18885
	20-30 वर्ष पुराने	–	7163
	30-40 वर्ष पुराने	–	16107
	40-60 वर्ष पुराने	–	23963

(ख)	5-10 वर्ष पुराने	—	शून्य
	10-20 वर्ष पुराने	—	1015
	20-30 वर्ष पुराने	—	शून्य
	30-40 वर्ष पुराने	—	शून्य
	40-60 वर्ष पुराने	—	36

(ग) और (घ) कोई विधिवत जांच नहीं की गई। तथापि स्टील पर जंग लगने तथा कंकरीट के टूट जाने के कारण अधिकतर कैश हाउसिंग प्रोग्राम के अंतर्गत निर्मित क्वार्टरों में व्यापक तौर पर मरम्मत की जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवंटितियों को नोटिस

4415. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हायर परचेज स्कीम के अन्तर्गत जनता/एल० आई० जी० फ्लैट्स के आवंटितियों को जुर्माने सहित लंबित किस्तों का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है, जिन्होंने अब तक लंबित बकाया का भुगतान नहीं किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन लोगों के विरुद्ध वैसी ही कार्रवाई करने का है, जिन्होंने लंबित किस्तों का भुगतान कर दिया है लेकिन उन पर जुर्माने का भुगतान नहीं किया है;

(घ) क्या सरकार जनता फ्लैट्स के उन आवंटितियों, जिन्होंने अपनी लंबित किस्तों का भुगतान कर दिया है, की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर लगे जुर्माने को माफ करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) डी० डी० ए० को सूचित किया है कि नीति के अनुसार, चूककर्ता आवंटियों को आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार नोटिस जारी करके उन्हें सामान्य जुर्माने के साथ अपनी देयताओं को निपटाने के लिए उचित अवसर देने के पश्चात्, वह पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम और पी पी (एक्ट) के संगत प्रावधानों के तहत बेदखली कार्रवाई शुरू करता है। तथापि यह भी उल्लेखनीय है कि डी डी ए ने अपने आवंटियों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से समय-समय पर तीन हायर पर्चेज जुर्माना राहत स्कीमें चलाई थीं। ऐसी अंतिम स्कीम 30-6-98 को समाप्त होनी थी। सरकार ने इस स्कीम को 30-6-98 के बाद 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत जुर्माना राशि में 37 प्रतिशत की राहत दी जाती है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि वह आखरी और अंतिम राहत स्कीम होगी और यदि चूककर्ता डी डी ए के प्रति अपनी देयताओं को निपटाने के इस अवसर का लाभ उठाने में असफल रहते हैं, तो उनका आवंटन डी डी ए द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर रद्द कर दिया जाएगा।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी आवास का आवंटन

4416. श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-95 के दौरान पात्रता से एक टाइप ऊपर सरकारी आवास का आवंटन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या बिना बारी के आवंटन अध्यादेश, 1997 की वैधता के अंतर्गत पात्रता से ऊपर आवंटन के सभी आवंटी शामिल हैं;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे कितने आवंटी हैं, जो इससे वंचित हैं और ऐसे आदेश कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1991-95 के दौराम बिना बारी आवंटनों की वैधता हेतु दिनांक 21-8-97 को सरकारी वासों का बिना बारी आवंटन (वैधीकरण) अध्यादेश, 1997 जारी किया गया। उदत अध्यादेश के खंड 3(5)(ग) के अनुसार ऐसे बिना बारी आवंटियों का बेदखली से कोई बचाव नहीं है, जिन्हें उनकी पात्रता से ऊपर की टाइप के वास आवंटित किए गए हैं।

(ग) ऐसे आवंटियों की संख्या 45 है। उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए ऐसे आवंटियों को बेदखली से बचाने संबंधी आदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण ढांचागत विकास

4417. श्री मुकुल वासनिक :
श्री अर्जुन सेठी :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान राज्यों को ग्रामीण ढांचागत विकास के लिए कोई धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय का

ग्रामीण ढांचागत विकास के लिए कोई अलग कार्यक्रम नहीं है। परन्तु जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत सामुदायिक परिसंपत्ति का सृजन एक गौण उद्देश्य है क्योंकि इसका प्राथमिक उद्देश्य मजदूरी रोजगार है। इसके अलावा पेयजल सुविधाएं त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम की निधियों के 20 प्रतिशत तक का इस्तेमाल (उत्तर पूर्व में 25 प्रतिशत) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां कार्यक्रम के लिए ढांचागत सुविधाएं जुटाने के लिए कर सकती हैं। वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी केन्द्रीय आवंटन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गत दो वर्षों अर्थात् 1996-97 और 1997-98 के दौरान मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत किया गया केन्द्रीय आवंटन दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जवाहर रोजगार योजना		सुनिश्चित रोजगार योजना		त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम		समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	
		1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	13897.91	15528.39	20110.00	16740.00	66.18	7964.00	4168.21	4306.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	142.64	159.37	1701.00	1890.00	12.00	1444.00	311.72	322.03
3.	असम	4574.54	5111.22	10820.00	8592.00	20.26	2438.00	1371.75	1417.12
4.	बिहार	27260.46	30458.60	21245.00	18234.00	77.95	9380.00	8109.12	8377.40
5.	गोवा	154.12	172.20	80.00	140.00	1.89	227.00	70.94	73.29
6.	गुजरात	5101.00	5699.44	5850.00	4320.00	41.97	4672.00	1529.61	1580.22
7.	हरियाणा	1225.45	1369.22	2680.00	2670.00	24.41	1746.00	357.67	379.83
8.	हिमाचल प्रदेश	489.73	547.18	1590.00	2550.00	13.31	1568.00	119.89	123.86
9.	जम्मू व कश्मीर	995.14	1111.89	3860.00	4760.00	35.88	4395.00	499.55	516.08
10.	कर्नाटक	9332.27	10427.12	11560.00	10600.00	60.87	7325.00	2797.45	2890.00
11.	केरल	3395..33	3793.66	2850.00	3989.00	30.95	3724.00	1018.07	1051.75
12.	मध्य प्रदेश	17611.61	19677.78	22670.17	21507.85	73.27	8817.00	5282.69	5457.47
13.	महाराष्ट्र	15150.04	16927.42	6730.00	11334.51	88.10	10602.00	4543.87	4694.20
14.	मणिपुर	182.82	204.27	1080.00	810.00	4.40	529.00	224.80	232.24
15.	मेघालय	213.92	239.02	490.00	220.00	4.72	568.00	238.78	246.68
16.	मिजोरम	90.12	100.69	1200.00	800.00	3.37	406.00	100.91	104.25
17.	नागालैंड	229.31	256.21	2786.00	2100.00	4.22	422.00	167.85	173.40
18.	उड़ीसा	11274.49	12597.20	16427.55	14721.58	34.68	4173.00	3381.92	3493.81
19.	पंजाब	871.51	973.75	980.00	1840.00	11.05	1330.00	260.76	269.39
20.	राजस्थान	7317.12	8175.55	10390.00	9265.00	103.87	8732.00	2194.00	2266.59
21.	सिक्किम	83.49	93.28	220.00	220.00	3.72	372.00	27.97	28.90
22.	तमिलनाडु	12563.97	14037.96	14725.00	18720.00	52.47	6314.00	3768.57	3893.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	त्रिपुरा	237.45	265.32	2160.00	1440.00	4.18	503.00	320.71	331.32
24.	उत्तर प्रदेश	33867.93	37841.25	21304.75	31448.06	122.78	14775.00	10158.25	10494.33
25.	पश्चिम बंगाल	12455.47	13916.74	10170.00	7790.00	47.40	5704.00	3736.10	3859.71
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	84.41	94.31	0.00	80.00	0.25	12.50	70.94	73.29
27.	दादरा व नगर हवेली	45.81	51.18	60.00	30.00	0.15	12.50	14.99	15.49
28.	दिल्ली	26.99	0.00	20.00	0.00	0.30	5.00	0.00	0.00
29.	दमन व दीव	82.64	30.16	0.00	0.00	0.10	12.50	57.95	28.90
30.	लक्षद्वीप	0.00	47.28	140.00	0.00	0.00	12.50	27.97	7.22
31.	पांडिचेरी	43.32	92.34	60.00	60.00	0.20	5.00	6.99	59.87
	अखिल भारत	179000.02	200000.00	193959.47	196872.00	945.90	108190.00	54950.00	56768.00

•यह सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत नहीं किए जाने वाले निधि आवंटनों की रिलीज से संबंधित है।

••ये आंकड़े समग्र कार्यक्रम के आवंटन को दर्शाते हैं।

[हिन्दी]

मालगाड़ी का न रुकना

4418. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 अप्रैल, 1998 को जबलपुर से चली मालगाड़ी स्टापेज सिगनल होने के बावजूद कटनी स्टेशन पर नहीं रुकी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे और दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) जबलपुर से बोगी हापर ट्रक मालगाड़ी 28-4-98 को डूंडी स्टेशन से चली और चालन के दौरान खतरे के सिगनल पर कटनी स्टेशन को पार कर गई। घटना की क्षेत्रीय रेलवे के अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी जिन्होंने जबलपुर के सवारी और मालडिब्बा कर्मचारियों तथा मालगाड़ी के ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया। जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

खनिजों की खोज

4419. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार आज तक किन-किन खनिजों का दोहन किया जा रहा है;

(ख) संबंधित राज्यों को इन खनिजों पर रायल्टी किस आधार पर दी जा रही है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने खनिजों पर रायल्टी में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) विदोहन किए जा रहे खनिजों के बारे में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) और 9(2) के प्रावधानों के तहत, किसी पट्टाधारी को पट्टा क्षेत्र से उसके या किसी एजेंट द्वारा निकाले या खपत किए गए किसी खनिज आदि के लिए उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उस खनिज के लिए निर्दिष्ट दर पर रायल्टी का भुगतान करना होता है। प्रमुख खनिजों (कोयला और लिग्नाइट को छोड़कर) पर रायल्टी उत्पादन की इकाई के आधार पर या यथामूल्य आधार पर वसूल की जाती है। कोयला और लिग्नाइट को छोड़कर प्रमुख खनिजों पर रायल्टी की वर्तमान दरें भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या 214(ई) दिनांक 11-4-1997 द्वारा संशोधित की गई हैं जिसकी प्रति सदन के पटल पर 8-5-1997 को रख दी गई है। यह संशोधन प्रमुख खनिजों (कोयला और लिग्नाइट को छोड़कर) पर रायल्टी में संशोधन के लिए भारत सरकार द्वारा 1995 में गठित अध्ययन दल की सिफारिशों पर आधारित था। उक्त अध्ययन दल में अन्य प्रतिनिधियों के साथ-साथ गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों के सचिव स्तर के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल थे। परंपरा के अनुसार, विभिन्न अवसरों पर रायल्टी दरों संबंधी सिफारिशों के लिए गठित अध्ययन दल में राज्य सरकारों का बारी-बारी से प्रतिनिधित्व

किया जाता है। दिनांक 30-3-1989 को गठित पिछले अध्ययन दल, जिसकी सिफारिशें 1992 में रायल्टी दरों में संशोधन का आधार बनी थी, में सदस्य के रूप में मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व वहां के खनिज संसाधन विभाग के सचिव द्वारा किया गया।

1995 में गठित अध्ययन दल ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले, मध्य प्रदेश सरकार सहित, राज्य सरकारों से विस्तृत विचार-विमर्श किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने, अध्ययन दल के विचार-विमर्श के दौरान, खनिजों पर मौजूदा रायल्टी दरों में अलग-अलग मात्रा में बढ़ोत्तरी करने का समर्थन किया था तथा अप्रैल, 1997 में रायल्टी दरों में संशोधन के बाद, हीरे पर रायल्टी दरों में कमी के मुद्दे को केन्द्र सरकार के साथ उठाया था परन्तु उसके अनुरोध को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

विवरण

1. **आंध्र प्रदेश**

कोयला
प्राकृतिक गैस (प्रयुक्त)
पैट्रोलियम (क्रूड)
स्वर्ण (प्राइमरी)
लौह अयस्क (लम्पस)
लौह अयस्क (फाइंस)
सीसा सांद्र
मैग्नीज अयस्क
चांदी
एपेटाइट
एस्बेस्टस
बाल-क्ले
बाइराइटस
क्ले (अन्य)
कोरंडम
डोलोमाइट
फैलेस्पर
फायर-क्ले
ग्रेनैट (अब्रेसिव)
ग्रेफाइट (आर० ओ० एम०)
कोइलिन (प्राकृतिक)
लाइमस्टोन
लाइम कनकर
लाइमसैल
माइका क्रूड (पी)
माइका वास्ट एंड स्क्रैप
ओकर
क्वार्टज
सिलिका सैंड
सैंड (अन्य)
स्टीटाइट
वरमीकुलाइट
शैल
लैटेराइट

2. **अरुणाचल प्रदेश**

पैटोलियम (अपरिष्कृत)

3. **असम**

कोयला
प्राकृतिक गैस (प्रयुक्त)
पैट्रोलियम (अपरिष्कृत)
लाइम स्टोन

4. **बिहार**

कोयला
बाक्साइट
ताम्र अयस्क
स्वर्ण (सैकेंडरी)
लौह अयस्क (लम्पस)
लौह अयस्क (फाइंस)
मैग्नीज अयस्क
चांदी
डोलोमाइट
फेलस्पार
फायरक्ले
गारनेट (एब्रेसिव)
ग्रेफाइट (आर० ओ० एम०)
काओलिन (प्राकृतिक)
काओलिन (संसाधित)
कायनाइट
लाइमस्टोन
माइका क्रूड (पी)
माइका वास्ट एंड स्क्रैप
ओकर
पाइराइट
क्वार्टज्
क्वार्टजाइट
सिलिकासैंड
स्टीटाइट
लैटेराइट

5. **गोआ**

बाक्साइट
लौह अयस्क (लम्पस)
लौह अयस्क (फाइंस)
लौह अयस्क सान्द्र
मैग्नीज अयस्क

6. **गोवा**

लिग्नाइट
प्राकृतिक गैस (प्रयुक्त)
पैट्रोलियम (अपरिष्कृत)
बाक्साइट
अगेट
बालक्ले
चॉक
क्ले (अन्य)
डोलोमाइट
फायरक्ले
फ्लोराइट (ग्रेडिड)
फ्लोराइट सांद्र
जिप्सम
काओलिन (प्राकृतिक)
काओलिन (प्रोसेसड)
लाइमस्टोन
कैलकेरियस सैंड
ओकर
क्वार्टज
सिलिका सैंड
स्टीटाइट
वरमीकुलाइट
लैटेराइट
परलाइट

7. **हरियाणा**

लौह अयस्क (लम्पस)
डोलोमाइट
काओलिन प्राकृतिक
लाइमस्टोन
लाइसकनकर
सिलिका-सैंड
सल्फर

8. **हिमाचल प्रदेश**

बाइराइटस
लाइम स्टोन
नमक (चट्टान)
फूल

9. **जम्मू और कश्मीर**

कोयला
जिप्सम
चूना पत्थर

10. **कर्नाटक**

बाक्साइट
क्रोमाइट
स्वर्ण (प्राइमरी)
लौह अयस्क (लम्पस)
लौह अयस्क (फाइंस)
लौह अयस्क सांद्र
मैग्नीज अयस्क
चांदी
डोलोमइट
फैलस्पार
फायरक्ले
फेलसाइट
काओलिन (प्राकृतिक)
काओलिन (प्रोसेसड)
कायनाइट
लाइमस्टोन
लाइमसैल
मैग्नेसाइट
ओकर
क्वार्टज
फक क्वार्टजाइट
सिलिका सैंड

स्टीटाइट
शैल
डूनाइट

11. **केरल**
बाक्साइट
ग्रेफाइट (आर० ओ० एम०)
काओलिन (प्राकृतिक)
काओलिन (प्रोसेसड)
सिलिमेनाइट
लाइमस्टोन
लाइमसैल
सिलिका सैंड
सैंड (अन्य)

12. **मध्य प्रदेश**
कोयला
बाक्साइट
ताम्र अयस्क
लौह अयस्क (लम्पस)
लौह अयस्क (फाइंस)
मैग्नीज अयस्क
टिन सांद्र
फास्फोराइट
कैलसाइट
कोरँडम
हीरा
डायस्पोर
डोलोमाइट
फैलस्पार
फायरक्ले
काओलिन (प्राकृतिक)
काओलिन (प्रोसेसड)
लाइमस्टोन
ओकर
फ्रोफाइलाइट
क्वार्टज
क्वार्टजाइट
सिलिकासैंड
स्लेट
स्टीटाइट
वरमीकुलाइट
लैटेराइट

13. **महाराष्ट्र**
कोयला
बाक्साइट
क्रोमाइट
लौह अयस्क (लम्पस)
लौह अयस्क (फाइंस)
मैग्नीज अयस्क
कोरँडम
डोलोमाइट
फैलेस्पर
फायरक्ले
फ्लोराइट (ग्रेडिड)
कोअलिन (प्राकृतिक)
काइनाइट
सिलिमेनाइट
लाइमस्टोन
ओकर
पाइरोफाइलाइट
क्वार्टज
सिलिका सैंड
सैंड (अन्य)
शैल
लैटेराइट

14. **मणिपुर**
क्रोमाइट

15. **मेघालय**
चूना पत्थर

16. **उड़ीसा**
कोयला
बाक्साइट
क्रोमाइट
लौह अयस्क (लम्पस)
लौह अयस्क (फाइंस)
सीसा सांद्र
मैग्नीज अयस्क
कोरँडम (रूबी)
डोलोमाइट
फायरक्ले
ग्रेफाइट
काओलिन (प्राकृतिक)
काओलिन (प्रोसेसड)
सिलिमेनाइट
लाइमस्टोन
पाइरोफाइलाइट
क्वार्टजाइट
स्टीटाइट

17. **पंजाब**
सल्फर

18. **राजस्थान**
प्राकृतिक गैस (प्रयुक्त)
ताम्र अयस्क
लौह अयस्क (लम्पस)
सीसा सांद्र
टंगस्टन सांद्र
चांदी
जिंक सांद्र
फास्फोराइट
एस्बेस्टस
बालक्ले
जेराइट्स
कैलसाइट
चॉक
डोलोमाइट
फैलस्पर
फायरक्ले
फोलोराइट (ग्रेडिड)
गारनेट (अब्रेसिव)
गारनेट (जैम)
ग्रेफाइट (आर०ओ०एम०)
जिप्सम
जैसपर
काओलिन (प्राकृतिक)
काओलिन (प्रोसेसड)
काइनाइट
सिलिमेनाइट
लाइमस्टोन
माइका कूड (पी)
माइका वेस्ट एण्ड स्क्रैप
ओकर
पाइरोफाइलाइट
क्वार्टज
क्वार्टजाइट
सिलिका सैंड
स्टीटाइट
वरमीकूलाइट
क्लैसटोनाइट
लैटेराइट

19. **सिक्किम**
ताम्र अयस्क
सीसा सांद्र
जिंक सांद्र

20. **तमिलनाडु**
लिग्नाइट
प्राकृतिक गैस (प्रयुक्त)
पैट्रोलियम (क्रूड)
बाक्साइट
बालक्ले
फैलस्पर
फायरक्ले
गारनेट (अब्रेसिव)
ग्रेफाइट (आर० ओ० एम०)
जिप्सम
लाइमस्टोन
लाइम कनकर
मैग्नेसाइट
क्वार्टज
सिलिका सैंड
स्टीटाइट
सल्फर
वरमीकूलाइट
लैटेराइट
डूनाइट

21. **त्रिपुरा**
प्राकृतिक गैस (प्रयुक्त)

22. **उत्तर प्रदेश**
कोयला
फोस्फोराइट
डायसपोर
डोलोमाइट
लाइमस्टोन
मैग्नेसाइट
पाइरोफाइलाइट
सिलिका सैंड
स्टीटाइट
सल्फर

23. **पश्चिम बंगाल**
कोयला
अपेटाइट
क्ले (अन्य)
डोलोमाइट
फायरक्ले
काओलिन (प्राकृतिक)
काओलिन (प्रोसेसड)
सल्फर

[अनुवाद]

कोलार सोने की खान में खनन गतिविधियां

4420. श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिगारागुन्ता ओल्ड बिसानाथम, येप्पामाना, रामागिरी और कोलार सोने की खानों के आसपास के अन्य क्षेत्रों में खनन कार्य बन्द हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोलार सोने की खान में एक संयंत्र अधिष्ठापित करके लगभग 33 मिलियन टल टेलिंग से 12 टन से अधिक सोना निकाला जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिकिया है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रचालन एजेंसी (ओ ए) द्वारा अक्टूबर, 1996 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसर लगभग 77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक मैटलर्जिकल संयंत्र स्थापित करके 33 मिलियन टन पछोड़न (टेलिंग) से लगभग 12 टन स्वर्ण निकाला जा सकता है। यह परियोजना प्रचालन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई पुनर्वास योजना का एक भाग थी। प्रचालन एजेंसी की रिपोर्ट सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है। सरकार ने जून, 1997 में निजी सह-संवर्धक (संवर्धकों) को शामिल करके संयुक्त उद्यम के माध्यम से भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (बीजीएमएल) के पुनर्वास की संभावना का पता लगाने का निर्णय लिया। तदनुसार, एक समिति गठित की गई थी जिसने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है। बी जी एम एल के भविष्य के बारे में निर्णय रुग्ण औद्योगिक कंपंनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार लिया जाएगा।

युगोस्लाविया के साथ रक्षा सौदा

4421. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व युगोस्लाविया के मैसर्स एफ० डी० एस० पी० के साथ टी-55 टैंकों के लिए 35.4 मिलियन डालर की लागत पर 150 टी० एफ० सी० एस० की आपूर्ति के लिए एक समझौता हुआ था जैसा कि 22 जून, 1998 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने घाटे को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की है अथवा करने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा युगोस्लाविया के साथ लेन-देन पर प्रतिबंध हटाए जाने के तुरंत बाद सरकार द्वारा दिनांक 23-7-1997 की संविदा की शर्तों के अनुसर युगोस्लावियाई फर्म को भुगतान किया गया धन वापस प्राप्त किए जाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है—

(1) युगोस्लाविया के उप-रक्षा मंत्री ने दिसंबर, 1997 में नई दिल्ली का दौरा किया और उन्होंने एक प्रभुसत्तासम्पन्न गारंटी का प्रस्ताव किया। संयुक्त सचिव, अपर सचिव और रक्षा सचिव के स्तरों पर लगातार बैठकें आयोजित की गईं। उन्होंने बाद की संविदाओं के जरिए उन्हें भुगतान किए गए अग्रिम के निपटारे की इच्छा व्यक्त की। तथापि, भारतीय पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि युगोस्लाविया द्वारा 'अग्रिम' की संपूर्ण धनराशि वापस कर इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।

(2) इस समस्या को सुलझाने के लिए युगोस्लाविया पर दबाव दिए जाने के वास्ते इस बीच यह निर्णय लिया गया है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा किसी नई संविदा पर हस्ताक्षर न किए जाएं और युगोस्लावियाई फर्मों के प्रस्ताव स्वीकार न किए जाएं।

(3) बेलग्रेड में हमारे राजदूत से भी अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले को युगोस्लाविया सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर उठाएं।

(4) इस मामले में विदेश मंत्रालय के माध्यम से उच्चतम राजनयिक स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है, ताकि इस मामले का निपटारा किए जाने के लिए युगोस्लाविया सरकार को राजी किया जा सके।

तुगुस्का एअर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस से मुआवजा

4422. डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने तुगुस्का एअर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस की इस प्रणाली की आपूर्ति करने वाली कंपनी के साथ कई मिलियन डालर के मुआवजा पैकेज के लिए वार्ता करके महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) मैसर्स रोसइरोझनी के साथ 30 मई, 1998 को एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उक्त प्रणाली की कतिपय त्रुटिपूर्ण यूनिटों के लिए मुआवजे के रूप में रूसी पक्ष द्वारा 8.64 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान किए जाने की भी व्यवस्था है। विक्रेता की कार्यनिष्पादन संबंधी बैंक गारंटी के नकदीकरण द्वारा पहले वसूल की गई 5.75 मिलियन अमरीकी डालर की राशि को मुआवजे में समायोजित किए जाने के लिए परस्पर सहमति हो गई है। मुआवजे की शेष राशि को रूस के साथ की गई अन्य संविदा के तहत मदों की लागत में समायोजित किया जाएगा।

भारतीय वायु सैनिकों की शिकायतें

4423. श्री आर० सम्बासिवा राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सैनिकों की शिकायतों का अध्ययन करने के लिए कोई उच्चस्तरीय पैनल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पैनल का गठन और उसके निदेश पद क्या हैं; और

(ग) उक्त पैनल कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था।

(ख) यह समिति रक्षा सचिव, तीनों सहसेनाध्यक्ष तथा वित्त सलाहकार (रक्षा सेवाएं) को शामिल करके गठित की गई थी। इस समिति का गठन वेतन आयोग की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप उत्पन्न वेतन संबंधी विसंगतियों पर विचार करने के लिए किया गया था।

(ग) रिपोर्ट अप्रैल, 1998 में प्रस्तुत की गई थी।

अपराह्न 12 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इंडियन एयर लाइन्स लिमिटेड और नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की प्रति

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त कुमार हेगड़े) : मैं इंडियन एयर लाइन्स लिमिटेड और नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1099/98]

दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्य की सरकार द्वारा की गई समीक्षा आदि

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1100/98]

(ख) (एक) दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1101/98]

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 26 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1102/98]

जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट डिजाइन सेन्टर का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्य की सरकार द्वारा की गई समीक्षा

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेन्टर, नागपुर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेन्टर, नागपुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1103/98]

अपराह्न 12.02 बजे

विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1998*

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : मैं भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड-2, दिनांक 16.7.98 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

''कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

नाथू राम गोडसे पर नाटक के मंचन के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब सभा का ''शून्य काल'' आरम्भ होगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। इसके लिए मैंने नोटिस भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको श्री जोगी जी के बोलने के पश्चात् समय दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : अध्यक्ष जी, एक बहुत ही संगीन मामले की ओर मैं आपके माध्यम से राष्ट्र और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक ऐसी कोशिश हो रही है जो राष्ट्र की अस्मिता को नकारने की कोशिश है। एक ऐसी कोशिश जो आजादी की लड़ाई को पूरी तरह से नकारने की कोशिश है। एक ऐसी कोशिश जो भारत के इतिहास और संस्कृति को भुला देने की कोशिश है। उस कोशिश की तरफ आपके माध्यम से मैं राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मुम्बई में ''नाथूराम गोडसे बोलतोए'' नाम से एक नाटक खेला जा रहा है। यह नाटक महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की जीवनी पर आधारित है। उस जीवनी के माध्यम से महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं, जिनकी मेहरबानी से हम और आप आज यहां बैठे हैं, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, जिनके नेतृत्व में हम और आप आजाद होकर आज देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन महात्मा गांधी के जीवन, दर्शन और चिन्तन पर कुठाराघात करते हुए यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की जो हत्या की वह न्यायोचित थी। फासिज्म, फांसीवाद के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की जा रही है और पूरे राष्ट्र को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ महात्मा गांधी ने किया था वह गलत था। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा पर चले थे तो वह गलत था, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर आजादी दिलाई तो वह गलत था, महात्मा गांधी ने अगर उपवास और व्रत रखकर देश को ठीक रास्ते पर लाने की कोशिश की तो वह गलत था।

महात्मा गांधी ने अगर इस देश से अस्पृश्यता को दूर किया, छुआछूत को दूर किया तो वह गलत था। महात्मा गांधी इस देश में समता और समरूपता लाए तो वह गलत था। सही क्या था? सही यह था कि महात्मा गांधी जिन्होंने हम को आजादी दिलाई, उनके सीने में तीन गोलियां मार दीं। जब यह सही था तो यह दिखाने की कोशिश हो रही है ... *(व्यवधान)* मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैंने इस बारे में नोटिस दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके सभी को बोलने का समय दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : दलों और दीवारों से ऊपर उठकर सभी मेरा निवेदन सुनें। महाराष्ट्र सरकार के सैंसर बोर्ड ने इस नाटक को करने की अनुमति दी। यह एक गम्भीर मामला है। यह राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय संस्कृति का मामला है। आप महाराष्ट्र सरकार से कहिए वह इस अनुमति को वापस ले। नहीं तो हम यह मानेंगे कि आपके मुंह में राम है और दिल में नाथूराम है। अगर आपके दिल में नाथूराम नहीं है तो आप तत्काल महाराष्ट्र सरकार को, जो आपके समर्थन से चल रही है, कहिए कि वह इस नाटक को दी अनुमति वापस ले।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, महात्मा गांधी कोई साधारण आदमी नहीं है ... *(व्यवधान)* हम उनका आदर करते हैं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर देने जा रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जोगी जी, कृपया समझने की कोशिश कीजिए। मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गोविंदन जी, मंत्री महोदय उत्तर देने वाले हैं।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, यह सरकार 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकेगी। आप महात्मा गांधी के हत्यारों की प्रशंसा करने वाली सरकार में कैसे बने रहने दे सकते हैं? ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप समझने का प्रयास कीजिए। यह अच्छी बात नहीं है। मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी : प्रधान मंत्री जी को स्वयं सभा में आकर उत्तर देना चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसी विषय पर अन्य सदस्यों को भी बोलना है। श्री बोरा जी, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसी विषय पर अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं। श्री कवाड़े जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम गांधी जी की राष्ट्रपिता के रूप में ही इज्जत नहीं करते हैं बल्कि एक संत के रूप में भी हम उनका आदर करते हैं और पूरा देश इस बात का गवाह है कि बुद्ध के पश्चात् गांधी जी की बराबरी का कोई व्यक्ति इस देश में पैदा ही नहीं हुआ। आज उनके नाम को इस नाटक में भुनाया जा रहा है। गांधी जी द्वारा बोले गए वचनों को इस नाटक में गोडसे के मुख से कहलवाया जा रहा है। उसके भाई गोपाल गोडसे का महाराष्ट्र में स्वागत किया गया था। महोदय, इस समय मैं यह पूछना चाहता हूं कि *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे को पहले ही श्री जोगी जी द्वारा उठाया जा चुका है, आप कृपया उनकी मदद करें। आपको 'फैक्ट्स' बताने की कोई जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं एक सुझाव दे रहा हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने का प्रयास कीजिए कि मंत्री महोदय भी उत्तर देने आ रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इस नाटक को गुजरात और महाराष्ट्र में कैसे मंचित करने दिया जा सकता है और या फिर आप इस बात को गम्भीरतापूर्वक लें *(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि इस मामले को सभा गंभीरता से ले। *(व्यवधान)* महोदय, आपको तथा सरकार को इस मामले में स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो० सोज के भाषण के अलावा किसी बात को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले में स्थिति को स्पष्ट करे *(व्यवधान)* मैं आज ही इस विषय पर सरकार की टिप्पणी चाहता हूं। आपको इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। सरकार इस नाटक के मंचन की अनुमति कैसे दे सकती है? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा। मैंने श्री जयपाल रेड्डी को बोलने की अनुमति दी है। उनके पश्चात् मैं आपका नाम पुकारूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, अभी नहीं, श्री जयपाल रेड्डी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्होंने मेरे नाम का जिक्र किया है। मैं उनकी बात सुनना चाहता हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, प्रो० सोज साहब, आप अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार जवाब देगी। आपस में बात मत करें।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, यह अत्यन्त लज्जा की बात है कि गांधी जी, जो न केवल राष्ट्रपिता हैं अपितु इस सदी के सबसे बड़े महापुरुष हैं; उनका न केवल अपमान किया जा रहा है अपितु उनके हत्यारे को भी महिमा-मण्डित किया जा रहा है। यही बात है। विशेषरूप से इस नाटक को महाराष्ट्र सरकार के सेंसर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। और भारतीय जनता पार्टी जो कि यहां एक अग्रणी पार्टी है और वहां की सरकार की प्रमुख साझेदार है। जब कभी भी हम श्री नाथूराम गोडसे का उल्लेख आर०एस०एस० कार्यकर्ता के रूप में करते हैं; तो यह लोग इसे गलत कहते हैं। आज वही लोग इन नाटकों के मंचन को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्ट वक्तव्य दे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जोगी जी द्वारा कही गई बात का पुरजोर समर्थन करता हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपसे अध्यक्षपीठ को निर्देश देने की उम्मीद नहीं की जाती है। कृपया अपने स्थान पर बैठिए, मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने के लिए कहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा था कि ऐसे मामले में हमारे माननीय मित्र, जो अब सत्ता पक्ष में बैठे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। ये बात ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : चौबे जी कृपया अपने स्थान पर बैठिए। कृपया ये समझिए कि वे एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : हमको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। मैंने बोलने के लिए श्री सोमनाथ चटर्जी का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, आपको भी सुनेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं सोचता हूं कि अब वह समय आ गया है जब हम गंभीरतापूर्वक सोचें कि क्या सदन में कार्य सुचारु रूप से हो सकता है। जब इसी तरह का कोई गंभीर मुद्दा उठाया जा रहा हो, स्पष्ट रूप से क्रोध की और भय की बड़ी जोरदार भावनाएं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की जाती हैं। जिस तरह से इस तरह के व्यवधान उत्पन्न किए जा रहे हैं, उससे देश की अखंडता को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

महोदय, आज महात्मा गांधी जी की हत्या का सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम पर प्रत्यक्ष रूप से गुणगान न केवल उनकी स्मृति का अपमान है अपितु जिस अच्छाई के हम सदैव समर्थक रहे हैं, हमारा देश समर्थक रहा है उसका भी अपमान है। मेरे विचार से उनमें कुछ तो विनम्रता होनी चाहिए, कम से कम वे दूसरों की बात सुनने के लिए तो तैयार हों।

उस दिन कामरेड श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपना क्षोभ व्यक्त किया कि यदि हम कुछ मुद्दों की चर्चा सदन में नहीं कर सकते तो हमारा यहां बैठने का कोई अर्थ नहीं है। उनकी बात का हम समर्थन करते हैं। इसलिए मेरा दूसरे पक्ष के माननीय मित्रों से यह अनुरोध है कि उनके सत्ता में आने से देश को बहुत नुकसान हुआ है ... *(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : यह उनकी वास्तविक समस्या है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : यही तो इनको दुःख है। ... *(व्यवधान)*

श्री चमन लाल गुप्त (उधमपुर) : जिन लोगों ने हमको चुनकर भेजा है, यह उनके ऊपर ऐस्पर्शन है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यद्यपि मैं अपने मित्र श्री शरद पवार और उनके मित्रों से सहमत हूं जो बड़ी उदारता के साथ इस पक्ष की तरफ रहे। अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो कुछ भी इस देश की विरासत और महानता शेष बची है उस पर इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं होना चाहिए। आज, यदि मुम्बई जैसे शहर में इस नाटक का मंचन निरन्तर रूप से ऐसे ही चलता रहा, जिस महान शहर का मैं बहुत सम्मान करता हूं—तो सारे देश में इससे क्या संदेश जाएगा? इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम, कुछ सद्बुद्धि से कार्य किया जाए। परिवर्तन के तौर पर, श्री मदन लाल खुराना जी इससे सहमत होंगे और स्पष्ट रूप से कहेंगे कि ऐसे क्रियाकलापों से हमारे देश के उन सिद्धान्तों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है जो हमें बहुत प्रिय रहे हैं और महात्मा गांधी के हत्यारे की एक शहीद के रूप में प्रशंसा न की जाए।

इसलिए यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है और मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे।

श्री सुदीप बंधोपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : क्या श्री सोमनाथ चटर्जी महात्मा गांधी जी को "राष्ट्रपिता" के रूप में स्वीकार करते हैं? मैं सिर्फ उनके श्रीमुख से यह सुनना चाहता हूं ... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां, कुछ लोगों को यह बताना पड़ेगा ... *(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने श्री अजीत जोगी, प्रो० सैफुद्दीन सोज, श्री जयपाल रेड्डी और श्री सोमनाथ चटर्जी को सुना, मगर मैं एक बात नहीं जानता। इन चार माननीय सदस्यों में से किसने इस विशेष नाटक, इस विशेष ड्रामा को पढ़ा है? मैंने इसे नहीं पढ़ा है। जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, वह केवल समाचारपत्रों में ही पढ़ा है। किसी को भी समाचारपत्रों में छपी रिपोर्ट पर अक्षरशः विश्वास नहीं करना चाहिए ... *(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनें ... *(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : महोदय, वह कह रहे हैं कि उन्होंने वह पुस्तक नहीं पढ़ी है। मैंने वह पुस्तक पढ़ी है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अजीत जोगी, उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

श्री मधुकर सरपोतदार : हमें इस पुस्तक की विषयवस्तु देखनी चाहिए। बेकार में ही किसी पर आक्षेप नहीं लगाने चाहिए। आखिरकार, आप सरकार के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कोई तन्त्र है जो किसी भी कार्य का अनुमोदन करता है और विश्लेषण के पश्चात् ही वह रंगमंच पर आएगा। अब पूर्ण तथ्यों का पता लगाना आवश्यक है कि उस नाटक में क्या कहा गया और उसके पश्चात् ही इस सभा को किसी राज्य या मुम्बई के किसी नागरिक अथवा इस देश की किसी सरकार की आलोचना करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बिना विचारे किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यह गलत है ... *(व्यवधान)*

श्री सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैंने तथ्यों की जांच की है। उनका कथन गलत है। ··*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, मैं श्री सोमनाथ चटर्जी तथा इस सभा के अन्य माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि ··*(व्यवधान)* आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं है। ··*(व्यवधान)* यह उस व्यक्ति की सोच है जिसे नाटक में दर्शाया गया है। यह कोई आलोचना नहीं है। जहां तक महात्मा गांधी जी का सम्बन्ध है उनकी बिल्कुल आलोचना नहीं की गई है। आप जब शोर मचाते हैं तो पहले आपको विचार करना चाहिए फिर आप शोर मचाएं। बिना विचार किए शोर मचाना कोई तरीका नहीं है ··*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : क्या आप इसका अनुमोदन करते हैं? *(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरा पहलू भी होता है। प्रत्येक सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आपको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद ही आप यहां यह मुद्दा उठा सकते हैं। यही मेरा विनम्र निवेदन है।

मैं सूचना एकत्रित करके इस सभा को बताऊंगा। आपने जो कुछ कहा है यदि वह सही है, तो मैं इस बात की भी प्रशंसा करूंगा लेकिन हमें सच्चाई को जानना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र में समाचार या सूचना पर निर्भर करते हुए, इस सभा में किसी को नहीं चिल्लाना चाहिए। यही मेरा कहना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) अध्यक्ष महोदय, ···*(व्यवधान)*। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें···

[हिन्दी]

(व्यवधान) आप पहले से ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पहले सुन तो लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अजीत जोगी द्वारा उठाया गया मामला बहुत गंभीर मामला है। गांधी जी न केवल हमारे राष्ट्रपिता थे बल्कि विश्व में सभी लोग उनका दार्शनिक, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में सम्मान करते हैं। इसलिए, महोदय, श्री चटर्जी ने जो कुछ कहा है वह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।

मैं सरकार से महाराष्ट्र सरकार से ब्यौरा एकत्र करने का अनुरोध करता हूं। यदि ऐसा कोई प्रयास किया जा रहा है तो सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ताकि गांधी जी जैसे महापुरुषों के नाम, उनके दर्शनशास्त्र, मार्गनिर्देश और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश न किया जा सके ··*(व्यवधान)*। ऐसे किसी भी प्रयास से कठोरता से निबटा जाना चाहिए ताकि देश में यह संदेश जाए कि हम गांधी जी का राष्ट्रपिता के रूप में सम्मान करते हैं।

यहां अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह और सुभाषचन्द्र जैसे अन्य राष्ट्रीय नेता भी हुए हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन नेताओं के चरित्र पर कोई हमला न हो। यदि ऐसा होता है तो आपको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यदि ऐसा कोई प्रयास किया जाता है तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। ··*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण (कराड़) : आपने स्वयं यह नाटक नहीं देखा है। *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : इसीलिए, मैंने ऐसा कहा है। ··*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, अजीत जोगी जी ने जो सवाल उठाया है उस सवाल में से जो-जो बातें निकली हैं मैं समझता हूं कि उनके ऊपर हम गहन अध्ययन करें। मंचन की प्रकिया इस देश में आधुनिक रूप से दर्शाई जा रही है, दिखाई जा रही है। मंचन में जितने बड़े लोगों की, जिनकी किसी न किसी कारण से दूसरे द्वारा हत्या की गई है, मारा गया है, इसमें अरस्तू आते हैं, ईसामसीह इसमें आते हैं, महात्मा गांधी इसमें आते हैं। इनका मंचन जो पहले हुआ है, उनका भी मंचन आज हो रहा है और दिखाया जा रहा है। लेकिन मंचन में निर्णय जनता पर छोड़ा जाता है। किसी चीज को हम दबाकर नहीं रख सकते। नाथूराम हो, या कोई दुनिया में बद से बदतर काम करने वाला हो, उन चीजों को मंचन पर आने देना चाहिए ताकि लोग फैसला सुनाएं, मैं नहीं समझता। ··*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए, डा० शकील अहमद कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह, मैं आपको भी मौका दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले जी, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : आप मेरी बात सुनें। मैं जो बातें कह रहा हूं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं ··*(व्यवधान)* यह मंचन हुआ है, लेकिन अजीत जोगी जी का कहना है ··*(व्यवधान)* जोगी जी बैठ जाइए। जब मैं बोल रहा हूं, तो आप इस प्रकार से बीच में शोर क्यों कर रहे हैं, इसे मैं उचित नहीं समझता। डा० शकील अहमद जी बैठिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि मंच पर यदि "नाथूराम गोडसे बोलतोरा" यह मंचन हो रहा है, तो इस मंचन से साफ झलकता है ··*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लाल मुनी चौबे, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लाल मुनी चौबे, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : मेरी मानसिकता में गांधी के प्रति अटूट निष्ठा है, अरस्तू के प्रति अटूट निष्ठा है, ईसामसीह के प्रति अटूट निष्ठा है। पैगम्बर मोहम्मद के साथ मेरी अटूट निष्ठा है। आप मेरी बात को सुनिए, अगर आप हंगामा करना चाहते हैं तो मैं समझूंगा कि आप इस बात को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता ... *(व्यवधान)*

डा० शकील अहमद (मधुबनी) : राष्ट्रपिता के हत्यारे को इस प्रकार से नहीं दिखाना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : अध्यक्ष महोदय, सारे देखने वालों ने इस बात को स्वीकार किया है कि महात्मा गांधी की जो हत्या दर्शाई जा रही है उसे कोई भी दर्शक कबूल नहीं कर रहा है और इस बात से कभी यह नहीं होगा कि गांधी की सत्य और अहिंसा को कोई न माने या गांधी की बात को कोई न माने। गांधी की समता पर किसी को कोई शक नहीं होगा। गांधी की सत्य, अहिंसा और बराबरी की बात को पूरी दुनिया मानती है। ... *(व्यवधान)* गांधी की हत्या को इस देश में किसी ने कुबूल नहीं किया और आज तक इस देश में गांधी के खिलाफ कोई बात नहीं हुई और गांधी के बारे में कहा जाता है कि अभी 700 वर्ष तक ... *(व्यवधान)* इस पर बातें हो रही हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी की हत्या हुई, यह हिन्दुस्तान के माथे पर कलंक है। इंसानियत के माथे पर कलंक है। दुनिया के मुल्कों में जितने भी महारथी पुरुष हैं, जितने भी यशस्वी, महारथी और महाजन आदि महामानव हुए, सभी लोगों ने महात्मा गांधी को ऊंचा दर्जा दिया और महात्मा गांधी की इंसानियत, प्रेम, अहिंसा की देन बीसवीं सदी की सबसे बड़ी देन दुनिया के लिए है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लाल मुनी चौबे, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लाल मुनी चौबे, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। यह क्या है? यह अच्छी बात नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : अध्यक्ष महोदय, गांधी जी के हत्यारे की मानसिकता अभी भी जारी है। ... *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महात्मा गांधी की हत्या हुई। हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में इंसानियत के नाम पर यह एक कलंक है। आज हम इस आजाद मुल्क की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ... *(व्यवधान)* वैसी हालत में गांधी के हत्यारे की महिमा मंडित करना एक और सर्वनाश अध्याय है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, माननीय अजीत जोगी जी ने सवाल उठाया है, मुम्बई में यदि इस तरह की घटना हो रही है और गांधी के हत्यारे की महिमा मंडित की जा रही है, उसके चरित्र के द्वारा उसको हीरो बनाने का काम हो रहा है तो वह हिन्दुस्तान की सभ्यता, संस्कृति के नाम पर कलंक है। चाहे कोई भी उसको प्रोत्साहन देता हो, गांधी जी के हत्यारे को संरक्षण देता हो, गांधी जी के हत्यारे की महिमा मंडित करता हो, उसे हिन्दुस्तान सहन नहीं कर सकता। ... *(व्यवधान)* इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि भारत सरकार को निर्देश दिया जाए कि इनके जो मंत्री राज चला रहे हैं, वे गांधी को नीचा दिखाने और गांधी के हत्यारे को ऊंचा दिखाने की कोशिश न करें, नहीं तो हिन्दुस्तान इसे सहन नहीं करेगा। ... *(व्यवधान)* आर०एस०एस० द्वारा जो महिमा मंडित की जा रही है। ... *(व्यवधान)* उसे हिन्दुस्तान कभी भी सहन नहीं करेगा। ... *(व्यवधान)* जो गांधी जी के हत्यारे के परिवार के लोग हैं ... *(व्यवधान)* उनको हम सहन नहीं कर सकते। ... *(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसके बाद बोलिए।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) (उ०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, अजीत जोगी जी ने आज एक अहम सवाल उठाया है। पिछले कई दिनों से यह सवाल समाचार पत्रों में उठ रहा है। देश की जनता इसके बारे में बहुत चिन्तित है। मैं इस सवाल पर कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन शिवसेना के नेता हमारे मित्र ने जो भाषण दिया और दूसरे मित्र श्री चौबे जी ने जो भाषण दिया, उसके बाद मैंने समझा कि इस देश की और सदन की मानसिकता कुछ विकृत होती जा रही है। इस मानसिकता को परिष्कृत करने के लिए हमको अपने अन्तःकरण में सोचना

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहिए। यह सवाल सांस्कृतिक स्वतन्त्रता का नहीं है, यह सवाल देश की बुनियादी मान्यताओं का है। मैं ऐसा समझता था कि अजीत जोगी जी के सवाल उठाने के बाद सारा सदन सर्वसम्मति से इस बात की निन्दा करेगा जिसके कारण अपरोक्ष रूप से महात्मा गांधी के चरित्र पर, उनके व्यक्तित्व पर किसी तरह की आंच लग रही है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है कि इस बात पर हमारे परम मित्र शिवसेना के नेता ने यहां यह कहा कि यह राज्य का मामला है और पहले जांच पड़ताल होनी चाहिए कि उस नाटक में क्या है? आखिरकार सारे देश के समाचारपत्र लिख रहे हैं। क्या राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं था कि वे इस बारे में जांच करके अपनी तरफ से कोई वक्तव्य देते? क्या भारत सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं था, हमारे सूचना विभाग की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वे स्वयं उस पर चर्चा करके, बात करके सदन के सामने एक वक्तव्य के द्वारा आए होते? इससे एक भयावह दिशा में संकेत मिल रहा है और भयावह दिशा वह है जिसके बारे में देश के बड़े वर्ग में पहले से चिन्ता है। मैं अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि यदि इस विवाद को और आगे बढ़ाया गया तो इससे किसी की प्रतिष्ठा बढ़ने वाली नहीं है। देश के गौरव को नीचा करने का यह काम हुआ है।

इसे स्वीकार कर इस सदन को सर्वसम्मति से यह निश्चय करना चाहिए, यह बताना चाहिए, नम्र शब्दों में महाराष्ट्र सरकार से यह निवेदन करना चाहिए कि इस कुकृत्य को तुरन्त रोके। इसकी सफाई देने की, इस पर देर करने की कोशिश करना सदन का अपमान है, देश की मान्यताओं और अस्मिताओं का अपमान है। अध्यक्ष महोदय, आप इस अस्मिता से देश को बचाइए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकांता पाटील (हिंगोली) : महाराष्ट्र सरकार ने कल कह दिया है कि इस नाटक की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। उसने इसे मान्यता प्राप्त कर दी है। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने के लिए तीन बार आदेश दिया लेकिन इन्होंने बोलने नहीं दिया। ...*(व्यवधान)* सोमनाथ जी यह कह रहे थे कि हमको बोलने नहीं दिया। ...*(व्यवधान)* इसके पहले जोगी जी ने जो कहा, यदि जोगी जी ने वह ड्रामा देखा है, उस आधार पर कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : देखा नहीं, पढ़ा है।

श्री मदन लाल खुराना : मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस सदन में चन्द्रशेखर जी ने जो कहा है, इसके बारे में मैं पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमको किसी से सैर्टीफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम महात्मा गांधी को अपना आदर्श पुरुष मानते हैं। उन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए जो कुछ किया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए० सी० जोस (मुकुन्दपुरम): क्या आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में मानते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : जैसे आपने मामला उठाया, उसका जवाब मैं सीधा दे सकता था। लेकिन जिस तरह से बीच में आर०एस०एस० को लाया गया, जिस तरह से बीच में इस सरकार के बारे में यह कहा गया कि यह सरकार आई है तो देश का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। सोमनाथ दादा, आप यह कहकर देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। देश की जनता ने हमें यहां भेजा है। हम यहां आपकी दया पर नहीं आए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले उनकी बात सुनें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : चन्द्रशेखर जी यह प्रश्न उठाएं तो मेरी समझ में आता है लेकिन जिन कम्युनिस्टों ने 1942 में महात्मा गांधी और सुभाष बोस को ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनको इतिहास की जानकारी बहुत कम है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : जो कुछ जोगी जी ने कहा है, यदि वह सही है तो निन्दनीय है। ...*(व्यवधान)* आप पूरी बात तो सुन लीजिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चमन लाल गुप्त, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : जो कुछ जोगी जी ने कहा है, यदि वह सही है तो मैंने यह भी पढ़ा है कि इस नाटक का लगभग 40-50 बार गुजराती भाषा में मंचन हो चुका है, तब यह प्रश्न उठा है। इसके तथ्यों के बारे में आज शाम या कल तक, इस सदन की भावना का, चन्द्रशेखर जी की भावना का मैं बड़ा मान-सम्मान करता हूं। जो कुछ आपने कहा है, यह बहुत गंभीर मामला है, मैं इसे मानता हूं। यह कहकर कि केवल स्टेट का मामला है, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं आपकी भावनाओं के बारे में होम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जी से बात करके, इसके बारे में आज

या कल तक तथ्य इकट्ठे करके, राज्य सरकार से जानकारी लेकर सदन के सामने होम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जी आएंगे।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० चाक्को (इदुक्की) : अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त दु:ख के साथ इस सभा को यह सूचित करना चाहता हूं और अत्यन्त विध्वसंक भूस्खलन जो मेरे चुनाव क्षेत्र में हुआ है, के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जांच कराए जाने की मांग भी कर रहा हूं। केरल में मानसून अपने पूरे वेग के साथ आता है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम यहां लिस्ट में है।

[अनुवाद]

मैं आपको भी मौका दूंगा।

श्री पी०सी० चाक्को : महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र इदुक्की, केरल में प्रलयंकारी बाढ़ ने अनेक लोगों की जान ले ली है और कृषि भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र नष्ट कर दिया है। भू-स्खलन, जो एक प्राकृतिक आपदा है, केरल में अक्सर होता रहता है। दुर्भाग्य से, हम इस प्राकृतिक आपदा के हमेशा मूकदृष्टा बने रहे हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम भी लिस्ट में है। मैं आपको बुलाऊंगा। प्लीज बैठिए।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.41 बजे

[**श्री पी०एम० सईद** *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य बाहर जाना चाहते हैं शांति से बाहर जा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी०सी० चाक्को : सभापति महोदय, यह प्राकृतिक आपदा जो मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र, इदुक्की के रामली विधानसभा क्षेत्र में हुई है, ने अनेकों एकड़ कृषि भूमि को बर्बाद कर दिया है और एक पूरा परिवार नष्ट हो गया है। मेरे चुनाव क्षेत्र इदुक्की में भू-स्खलन अक्सर होता रहता है। पिछले पन्द्रह दिनों में अदिमली, कीरीथोडे और सीताथोडे पंचायत में चार स्थानों पर, भू-स्खलन से अनेकों एकड़ कृषि योग्य भूमि नष्ट हुई है और एक सम्पूर्ण परिवार भी नष्ट हो गया है।

केन्द्र सरकार को इदुक्की निर्वाचन क्षेत्र, इदुक्की जिले में और रामली विधानसभा क्षेत्र में एक दल भेजना चाहिए। यह अत्यधिक गंभीर परिमाण की प्राकृतिक आपदा है। हर बार केन्द्रीय सरकार यही कहती है कि वह रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है। यह एक गंभीर मामला है। कई लोग मर गए हैं और कृषि भूमि के अत्यधिक क्षेत्रफल में तबाही हुई है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अगर आपका नाम लिस्ट में है तो मैं आपको बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० चाक्को : महोदय, यह प्राकृतिक आपदा मानसून के दौरान बार-बार आती है। यदि केन्द्र सरकार कोई दल नहीं भेज रही है तो केरल राज्य के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। मैं केरल में इदुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आई इस प्राकृतिक आपदा के कारण हुई क्षति का आाकलन करने हेतु एक दल भेजने के मामले में केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं।

श्री वी० सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम) : सभापति महोदय, मैं तमिलनाडु से संबंधित एक अत्यावश्यक और संवेदनशील मामला उठा रहा हूं। व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश का कार्य चल रहा है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि प्रो० कुरियन उसी मुद्दे पर बोलना चाहते थे जिस पर श्री चाक्को पहले ही बोल चुके हैं। उन्होंने इसकी सूचना अध्यक्ष महोदय को पहले ही दे दी है।

श्री वी० सत्यमूर्ति : आप बोलने के लिए मुझे पहले ही बुला चुके हैं।

सभापति महोदय : यह मेरी गलती है। वे अध्यक्ष महोदय को उसी विषय पर सूचना दिए हैं जिस पर श्री चाक्को पहले ही दे चुके हैं। आपको प्रो० कुरियन के बाद बोलने का अवसर दिया जाएगा।

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलिकारा) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं उसी मुद्दे को रखना चाहता हूं जिसे श्री चाक्को उठा चुके हैं। केरल राज्य में विशेषकर इदुक्की जिले में सीथीथोड, अडिमालि, कीरीथोड आदि जैसे स्थानों पर भू-स्खलन हुआ है। इस दुर्घटना में भारी संख्या में पशु मारे गए हैं। कई लोग हताहत हुए हैं और कृषि क्षेत्र को भारी क्षति हुई है। मैं भारत सरकार से केवल यह अनुरोध करता हूं—इस समय कृषि मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं परन्तु वित्त मंत्री जी तो यहां उपस्थित हैं—कि वह अपनी विशेष निधि से तत्काल थोड़ी सहायता राशि केरल राज्य को जारी करें, क्यों पिछली बार जब ऐसी दुर्घटना हुई थी तो केन्द्र सरकार समय पर कार्यवाही नहीं कर पाई। हमारी तो बस यह शिकायत है। कृपया तत्काल कार्यवाही कीजिए ताकि इन पीड़ितों को थोड़ा मुआवजा मिल सके। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री वी० सत्यमूर्ति : सभापति महोदय, मैं तमिलनाडु से संबंधित अत्यावश्यक और संवेदनशील मामला रख रहा हूं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायों को न्याय दिलाने के लिए 69 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में तमिलनाडु सरकार के वचनबद्ध होने के बावजूद व्यावसायिक कालेज में प्रवेश दिए जा रहे हैं। यह नीति हमारे नेता डा० पुराथची तलैवी द्वारा दलित समुदाय को

सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपनाई गई है। अब उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण तमिलनाडु सरकार 69 प्रतिशत आरक्षण देने में असमर्थ है। यह आरक्षण नीति तमिलनाडु सरकार द्वारा 1980 से अर्थात् डा० पुराथची तलैवी एम०जी० रामचन्द्रन की सरकार के समय से कार्यान्वित की जा रही है।

इस मामले में तमिलनाडु सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के केन्द्र सरकार के प्रस्ताव के बाद ही तमिलनाडु सरकार के समक्ष समस्याएं उत्पन्न हुईं। तमिलनाडु में आरक्षण की व्यवस्था वहां के सभी राजनीतिक दलों के लिए एक स्वीकार्य नीति है और यह नीति सामाजिक न्याय दिलाने के लिए है। तमिलनाडु में दलित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से हमारे महान नेता डा० पुराथची तलैवी विधानसभा में यह अधिनियम पारित कराए और इसमें उन्हें सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त था।

हमारे नेता ने इस संबंध में संसद में सभी पार्टियों और दलों के नेताओं, तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित उक्त अधिनियम को हमारे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अनुरोध भी किए थे। इस संबंध में डा० पुराथची तलैवी के नेतृत्व में तमिलनाडु की सभी पार्टियों के नेताओं का एक दल इस संसद से संबंधित सभी नेताओं और अन्य संबंधित प्राधिकारियों से मिले।

सभापति महोदय : आप केन्द्र सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं?

श्री वी० सत्यमूर्ति : इस सभा की कार्यवाही का पचास प्रतिशत समय शोर-शराबे में ही बीत रहा है। मैं छ: करोड़ जनता की समस्या को रख रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री सत्यमूर्ति आप जानते हैं कि इस मुद्दे को आप शून्य काल में रख सकते हैं और उस समय आप सरकार से अपेक्षित कार्यवाही कराने की मांग कर सकते हैं।

श्री वी० सत्यमूर्ति : महोदय, मैं अपनी बात पर आ रहा हूं, कृपया मुझे विचलित मत कीजिए।

हमारे नेता तमिलनाडु में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ इस संसद के सभी राजनेताओं से मिले और उन्हें तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित अधिनियम को हमारे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया और इस बात पर बल भी दिया। तत्पश्चात् इस सम्मानित सभा में एक संकल्प स्वीकृत हुआ। इस बारहवीं लोक सभा में सभी पार्टियों और समूहों के लगभग सभी नेता इस पर अपनी स्वीकृति पहले ही दे चुके हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय के हस्तक्षेप से बचने के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक लाने में सरकार के समक्ष कोई भी अड़चन नहीं आएगी क्योंकि राज्य सरकार आरक्षण नीति के माध्यम से दलित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने में लगी है। अतएव सरकार और सरकार में शामिल पार्टियों के ढुलमुल रवैये के कारण संविधान (संशोधन) लाने में विलम्ब हो रहा है।

सभापति महोदय : सत्यमूर्तिजी आप इस तरह से भाषण नहीं दे सकते।

श्री वी० सत्यमूर्ति : अत: मैं सरकार को याद दिलाते हुए आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि वह शासन चलाने के लिए अपने राष्ट्रीय एजेंडा में आरक्षण नीति के बारे में अपनी वचनबद्धता के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे।

यदि सरकार इस संबंध में संविधान (संशोधन) विधेयक लाने के लिए तैयार नहीं है तो तमिलनाडु की जनता यह महसूस करेगी कि भारत सरकार उसके प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। तमिलनाडु की जनता पिछले छ: वर्षों से धैर्य बांधे हुए है और उच्चतम न्यायालय का निर्णय लागू हो रहा है।

सभापति महोदय : श्री सत्यमूर्ति, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। यह तरीका नहीं है। शून्य काल भाषण देने के लिए नहीं है।

श्री वी० सत्यमूर्ति : मैं समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, किसी बात की कोई हद होती है। यह सरकार का कर्तव्य और जिम्मेवारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय की कानून का पालन करने वाले नागरिकों द्वारा अवहेलना नहीं की जा रही हो तथा साथ ही साथ सरकार की यह भी जिम्मेवारी है कि 69 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में तमिलनाडु के लोगों की मांग को किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना क्रियान्वित किया जाए *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न किस रूल के तहत है—बताइए?

श्री प्रभुनाथ सिंह : नियम 182—इसके पहले आप सुन लीजिए। नए सदस्यों को *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जीरो आवर में मामले को उठाने के लिए क्या पाइंट आफ आर्डर का प्रोटैक्शन लेना चाहिए?

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, प्रतिदिन हम लोगों को *(व्यवधान)*

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

सभापति महोदय : इस तरह से बात नहीं कहनी चाहिए। किसी और माननीय सदस्य को भी बोलने नहीं दे रहे हैं। आपका नाम है, तो मैं आपको बुलाऊंगा। मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा। आप क्यों ऐसे चिन्ता करते हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह : सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सदन में उठाना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण बारिश और उपलवृष्ट के चलते भयंकर बाढ़ आ गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आठ जिलों के लोग पेड़ और घर की छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। 78 लाख रुपये की फसल बिल्कुल बरबाद हो गई है। नहर और बांध टूट गए हैं और सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पांच करोड़ जनता इस समय भयंकर तबाही के दौर में है। वहां लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश सरकार किसी भी तरह की मदद करने में विफल है। 135 करोड़ रुपये की लागत से बने छितौनी-बगहा रेल पुल में दरारें पड़ने की खबरें वहां के इंजीनियर दे रहे हैं। ऐसी भयंकर स्थिति में भारत सरकार एक टीम भेजे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आम जन-जीवन को सुरक्षित रखने के लिए विशेष आर्थिक सहायता देकर राहत पहुंचाए। इसके साथ ही तबाही से ऐसे लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार सामने आए। माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी सांसद, उधर के भी यहां मौजूद हैं, सभी क्षेत्रों में भयंकर तबाही की स्थिति है। जितनी नहरें थीं, वे सब टूट गई हैं और नेपाल से आने वाला जल उन इलाकों में भरता है। ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर, माननीय मंत्री जी सदन में बैठे हैं, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को इस भीषण विभिषिका से लोगों को बचाने के लिए क्या मदद दे रही है?

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। विशेषाधिकार संबंधी मामले को वरीयता दी जाती है। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं खड़ा हूं। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जैन, विशेषाधिकार का हनन किए जाने संबंधी आपका नोटिस माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राप्त हो गया है तथा इस समय यह मामला उनके विचाराधीन है।

श्री सत्यपाल जैन : महोदय, मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : नहीं, आपका नोटिस विचाराधीन है।

श्री सत्यपाल जैन : महोदय, यह एक गंभीर मामला है।

सभापति महोदय : अब आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, मैंने भी इस पर बोलने के लिए नोटिस दिया हुआ है, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाए।

सभापति महोदय : आपने नोटिस दिया होगा। लेकिन इसमें आपका नाम नहीं है।

श्री आदित्यनाथ : महोदय, मुझे भी इसी पर बोलना है, आपने उनको बोलने का मौका दिया है।

सभापति महोदय : उन्होंने नोटिस दिया हुआ था।

(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : महोदय, हमने भी नोटिस दिया हुआ है।

सभापति महोदय : मिश्र जी, आप देखिए, आपके पीछे कितने माननीय सदस्य खड़े हुए हैं, इस तरह क्या मैं आपकी बात सुन सकता हूं। अगर बोलना है तो एक-एक करके बोलिए।

(व्यवधान)

श्री आदित्यनाथ : सभापति महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, पडरोना, सिद्धार्थ नगर बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ आदि जिलों में पिछले दस दिनों की भीषण वर्षा से भयंकर बाढ़ आई है। नदियों के तटबंध टूट गए हैं। 30 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। लाखों एकड़ फसल नष्ट हो गई है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई भी राहत सामग्री नहीं भेजी है। पिछले दो वर्षों की बाढ़ में जिन नाव वालों ने अपनी नाव चलाने के लिए दी थी उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए वे नाविक अब अपनी नावों को देने के लिए तैयार नहीं हैं। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप यह बताएं कि भारत सरकार को इस पर क्या करना है।

श्री आदित्यनाथ : हम सरकार से मांग करते हैं कि वहां अविलम्ब राहत सामग्री दी जाए और वहां जो जान एवं माल का नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति भेजा जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मिश्र के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : सभापति जी, बहुत दिनों से पूर्वांचल में ऐसी भीषण बाढ़ कभी नहीं आई थी। वहां आठ जिले पानी में डूबे

•कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हुए हैं। नारायणी का बांध पिपरासी के पास टूट गया है। वहां प्राकृतिक बनावट ऐसी है कि नीचे की जमीन ढालू है और पूरा कुशीनगर और देवरिया जल से डूब जाएगा। वहां ऐसी विषम स्थिति है। अभी मोहन सिंह जी कह रहे थे कि मैं हर बात की ताईद करता हूं, लेकिन मैं एक बात की ताईद नहीं करता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री हैलीकोप्टर से गए थे और वहां रुपया भेजा गया लेकिन इतनी भीषण बाढ़ है कि चाहकर भी सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि जहां करोड़ों-करोड़ लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं वहां भारत सरकार एक पर्यवेक्षक दल भेजे और अपने विवेकाधीन कोष के अतिरिक्त साधन देकर वहां लोगों की रक्षा करे। वहां से जो संकेत मिले हैं कि वहां एक रेलवे पुल बना हुआ है और अगर वह टूट गया तो हमारा इलाका बर्बाद हो जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी से खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य प्रदेशों और जिलों में ऐसी बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार अपने विवेकाधीन कोष से जो धन देती है वह धन देकर वह हमारे इलाके को बचाए, यही मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : मैं इस माननीय सभा का ध्यान एक प्रसिद्ध व्यवसायी श्री राजन पिल्लई की न्यायिक हिरासत में दिनांक 7 जुलाई, 1995 को हुए दुखद मौत की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। यह मौत उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण हुई। मैं कहना चाहूंगा कि श्री राजन पिल्लई सिंगापुर में व्यापार करते थे तथा वे भारत के नागरिक थे तथा उन्हें सिंगापुर के किसी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट द्वारा मिली कम्पनी के धन का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया था। इसके पश्चात् वे भारतीय न्यायिक प्रणाली के तहत न्याय पाने हेतु भारत आए। सिंगापुर की सरकार ने उनके प्रत्यर्पण की मांग तथा भारत सरकार ने प्रत्यर्पण न्यायालय गठन किया था और मजिस्ट्रेट द्वारा 1 जुलाई, 1995 को वारंट जारी किया गया तथा उन्हें 4 जुलाई, 1995 को *ली मेरिडियन होटल* से रात के 0.15 बजे गिरफ्तार किया गया। उसी दिन उन्हें दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया तथा उनकी जमानत नामंजूर हो गई। उन्होंने उचित चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु एक आवेदन किया। उन्होंने सिंगापुर अस्पताल के सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए। लेकिन केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस आवेदन का पूरी तरह विरोध किया तथा आवेदन को नामंजूर कर उन्हें हिरासत में रखा गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि 7 जुलाई, 1995 की सायं लगभग 8.30 म०प० बजे पूरे राष्ट्र ने यह समाचार सुना कि श्री राजन पिल्लई की उचित चिकित्सा के अभाव में हिरासत में मौत हो गई। मैं कहना चाहूंगा कि 27 जुलाई, 1995 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मदल लाल खुराना ने जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत जांच का आदेश दिया तथा लीला सेठ आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस आयोग के मुख्य निदेश पद निम्नलिखित थे।

सभापति महोदय : आप शून्य काल के दौरान इस प्रकार का भाषण नहीं दे सकते हैं।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : सभा इस मामले को लेकर चिन्तित है। इस मामले से संबंधित विचारार्थ विषयों से घटनाओं का क्रम शुरू होता है जिनकी वजह से श्री राजन पिल्लै की मौत हुई। यह एक मुख्य मुद्दा है जिसकी जांच करने की जरूरत है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की स्पष्ट रूप से भर्त्सना की गई है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में जेल प्राधिकारियों और डाक्टरों की भी भर्त्सना की गई है लेकिन षडयंत्र के तथ्यों की जांच नहीं की गई है। इन सबसे यह जानकारी मिलती है कि इसके पीछे बहुत बड़ा षडयंत्र था जिसके कारण श्री राजन पिल्लै की मौत हुई। इसका एक प्रमाण यह भी मिलता है कि जब उसे जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया था, उस समय तिहाड़ जेल के आर०एम०ओ० को एक पत्र दिया गया था जिसमें उनसे चिकित्सा रिपोर्ट मांगी गई थी और उन्हें वह रिपोर्ट अदालत में 5 जुलाई, 1995 को अपराह्न 2.00 बजे पेश करनी थी।

लेकिन वह पत्र गायब है। यह पहला मुद्दा है। दूसरा यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस बात की पूरी जानकारी थी कि वह जिगर के कैंसर, उच्च रक्तचाप और खून की उलटियों से पीड़ित थे *(व्यवधान)*। जहां तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो का संबंध है, उसे इस बात की पूरी जानकारी थी। इसका प्रमाण भी मिला है। इस बात का उल्लेख रिपोर्ट के संगत पैराग्राफों में भी किया गया है। लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की भी विशेष रूप से आलोचना की गई है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सरकार से क्या कार्रवाई करने की आशा करते हैं? कृपया अपनी बात केवल एक पंक्ति में कहें।

(व्यवधान)

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : मैं एक और बात कहना चाहता हूं, यह मुलाझिया के बारे में है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार होता है तो उसकी चिकित्सा जांच की जानी चाहिए *(व्यवधान)*

मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मुलाझिया सही वक्त पर नहीं किया गया था। यह केवल 7.7.95 को जब श्री पिल्लै की मृत्यु हुई थी, किया गया था। अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि विचारार्थ विषयों को ध्यान में रखते हुए षडयंत्रों के तथ्यों का पता लगाने के लिए इस मामले की विशेष जांच की जाए। इस मामले की जांच करने के लिए केन्द्र सरकार एक उपयुक्त प्राधिकार है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सबको सहयोग देना होगा। अब श्री प्रभुनाथ सिंह बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : हम चाहते हैं कि जांच आयोग का गठन किया जाए। सरकार को जांच आयोग गठित करना चाहिए *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इस मामले को सभा में पहले ही उठा चुके हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री पी०सी० चाको : महोदय, यह एक नृशंस हत्या का मामला लगता है। लीला सेठ आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में जेल प्राधिकारियों की भर्त्सना की है। इसमें षडयंत्र होने का आभास होता है। अत: केन्द्र सरकार को इस मामले में तत्काल व्यापक रूप से जांच करवानी चाहिए ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह को बोलने के लिए कहा है। कृपया इस बात को समझें कि मैं सरकार को आदेश नहीं दे सकता हूं। यदि वे इस संबंध में कोई प्रतिकिया व्यक्त करना चाहते तो वह उसे व्यक्त करने की लिए स्वतन्त्र हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। पीठासीन अधिकारी सरकार को आदेश नहीं दे सकता है।

(व्यवधान)

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : यह एक नृशंस हत्या है। आप यह जानते हैं कि भारतीयों के साथ हर जगह किस तरह व्यवहार किया जाता है ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में प्रतिकिया व्यक्त करना चाहते हैं। क्या आप उनकी बात सुनना चाहेंगे। वह इस संबंध में प्रतिकिया व्यक्त करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : क्या आप कृपया एक मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे ... *(व्यवधान)*

प्रो० पी०जे० कुरियन : श्री राम जेठमलानी आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आप मानव अधिकारों के रक्षक हैं। यह मानव अधिकारों का मामला है जिसमें एक व्यक्ति न्यायिक हिरासत में रहते हुए मारा गया। कृपया हमारी बात को प्रधानमंत्री अथवा गृह मंत्री तक पहुंचाएं और इस मामले में षडयंत्र की तह तक पहुंचने के लिए जांच आयोग गठित करवाएं ... *(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैं माननीय सदस्य की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। लेकिन उनके बोलने की गति इतनी अधिक थी कि मेरा अंग्रेजी का ज्ञान भी उसके सामने फीका पड़ गया ... *(व्यवधान)* कृपया मेरे से बात करें और मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं और मैं वह सब कुछ करूंगा जो आप चाहते हैं। मैं सही तरह से यह समझ सकूं कि आखिर मामला क्या है? कृपया मुझे बताएं। हम वह सब कुछ करेंगे तो आप चाहते हैं ... *(व्यवधान)*

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : मैं दोबारा बताऊंगा कि वहां क्या हुआ ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : दोबारा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताऊंगा वि उन्होंने क्या कहा है? आप कार्यवाही वृत्तान्त दे सकते हैं। वे यह कह रहे थे कि कोई जांच की गई थी। उन्होंने यह कहा है कि जांच के दौरान कुछ अनियमितताएं बरती गईं।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस मामले को देखेंगे और जो कुछ सम्भव होगा, करेंगे।

सभापति महोदय : वे इस मामले को देखेंगे और जो कुछ सम्भव होगा, करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, रॉ मैटिरियल डिविजन सेल के भवनाथपुर जिला गढ़वा (बिहार) में लाइम स्टोन माइन्स 1968 में स्थापित हुई। इसकी शुरूआत बोकारो स्टील प्लांट के कैपटिव माइन्स के रूप में हुई। इसे 1992 से आर०एम०डी० से जोड़ा गया। आर०एम०डी० में जोड़ने से पहले इसका सारा माल बोकारो जाता था। उस समय इसका उत्पादन 30 रैक तक था लेकिन आर०एम०डी० से जुड़ने के बाद इसका उत्पादन दो-तीन रैक हो गया यानी उत्पादन मात्र 10 परसैंट रह गया। सन् 1998-99 के लिए लाइम स्टोन का कोई बजट तक एलोकेट नहीं किया गया। परिणामस्वरूप 4 अप्रैल, 1998 को वहां के प्रबंधन ने साजिश के तहत माइन्स बंद करने की सूचना मजदूरों को दी।

यह बन्द किया जा रहा है। माइन्स बन्द होने के दौरान मजदूरों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत सेवानिवृत्ति के लिए दबाव डाला जा रहा है। यहां तक कि सी०आई०एस०एफ० के जवान लगाकर मजदूरों को जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। सभापति महोदय, इन खदानों के बन्द होने से 10 हजार मजदूर बेकार हो गये हैं और लाखों परिवार भुखमरी के शिकर हो रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि भवनाथपुर में उत्पादन पुराने स्तर पर होना चाहिए और भवनाथपुर से लोडिंग पुन: शुरू कराई जाए। लाखों परिवारों को भुखमरी से बचाने के लिए काम पुन: शुरू कराया जाए। अभी माननीय स्टील मिनिस्टर यहां नहीं हैं लेकिन कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, उनसे पुन: गढ़वा लाइन के कारखाने को चालू करवाने के लिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री प्रदीप कुमार यादव (कन्नौज) : सभापति महोदय, नए लोगों को बिलकुल भी टाईम नहीं मिला। हमने भी नोटिस दिया है।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : सभापति महोदय, हम कई दिनों से नोटिस दे रहे हैं लेकिन हमें बुलाया नहीं जा रहा है ...

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति जी, हम भी कई दिन से नोटिस दे रहे हैं लेकिन हमें चांस नहीं दिया गया है। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त बोलेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने पहले सूचना दी है। उनका नाम सूची में है। मैं उन्हें पहले बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभापति महोदय, मैं आपसे केवल दो मिनट चाहता हूं। मैं एक मामला उठाना चाहता था जिसे मैं बहुत आवश्यक समझता हूं। मुझे खुशी होती यदि दो अथवा तीन मंत्री यानी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और संचार मंत्री यहां होते ताकि वे इस संबंध में अपनी कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते। मैं समाचार पत्रों में छपे समाचार का हवाला दे रहा हूं जिसमें यह कहा गया है कि सरकार सेना की सेवाएं लेने के बारे में विचार कर रही है। डाक कर्मचारियों की हड़ताल तोड़ने के लिए सशस्त्र सेना की सेवाओं को इस्तेमाल में लाने के बारे में विचार किया जा रहा है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि यह रिपोर्ट सही है अथवा नहीं।

मैं चाहता हूं कि सरकार यहां यह बताए कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है। मैं समझता हूं कि हमारी सेना देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए ही है और वह इस कार्य को बड़ी हिम्मत के साथ कर रही है। सेना मजदूरों की हड़ताल को तोड़ने के लिए नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है कि देश का प्रत्येक नागरिक इस बात की निन्दा करेगा। मेरा अनुरोध है कि सरकार यह देखे कि डाक कर्मचारियों की हड़ताल को तोड़ने के लिए सेना को न बुलाया जाए। बस, मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह एक गंभीर मसला है। हम सरकार की ओर से स्पष्टीकरण और वक्तव्य चाहते हैं। डाक कर्मचारियों की हड़ताल को तोड़ने के लिए सेना को तैनात किया जा रहा है ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह पहले ही इस बात को कह चुके हैं। सरकार ने इस बात पर गौर फरमाया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी०एच० विद्यासागर राव (करीमनगर) : सभापति महोदय, जीरो आवर में जूनियर मेम्बरों को मौका नहीं दिया जा रहा है और ये सीनियर हैं। मैं तीन दिन से देख रहा हूं कि ये विषय उठाना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय : ये तो सीनियर हैं, जूनियर नहीं हैं।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : सभापति महोदय, मैं तीन दिन से यह सवाल उठाना चाहता था। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मौका दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नगरों की जो बहुमूल्य जमीन है ...

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : ऐसा तो कभी नहीं हुआ। डाककर्मियों की हड़ताल को तोड़ने के लिए सेना से मदद ली जा रही है। यह एक गंभीर मामला है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री त्रिपाठी की बात के अलावा अन्य किसी बात की कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैंने श्री त्रिपाठी जी का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी जी द्वारा कही जा रही बात के अलावा अन्य किसी की बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हद हो चुकी है। कोई भी जूनियर सदस्य सीनियर सदस्य के सामने गुस्से में बोलना शुरू कर देता है। आखिर उन्हें भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : मैं निवेदन कर रहा था कि मध्य प्रदेश सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश के नगरों की बेशकीमती जमीनें, झोंपड़ी वालों को पट्टे पर दे रही है और इसके बाद उन जमीनों को कांग्रेस के प्रभावी नेता लोग सस्ते दामों पर खरीद रहे हैं। मुख्य मंत्री उस पर अपनी फोटो लगा रहा है। ये लोकतंत्र का जमाना है, कोई राजा-महाराजाओं का जमाना नहीं है कि मुख्य मंत्री अपनी फोटो छपवाकर पट्टा दे, फिर उन जमीनों को स्वयं खरीद ले। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रामनारायण मीणा।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : मैं अपनी बात नहीं कह पाया हूं। *(व्यवधान)* नदी-नालों के किनारों पर गरीबों को झुग्गी-झोंपड़ी का पट्टा देकर बसाया जाता है, फिर उनको मुआवजा दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और मंत्री जी से मांग करूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने बेशकीमती जमीनों को हथियाने के लिए जो योजना बनाई है, उसको बन्द करे। *(व्यवधान)*

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : सभापति महोदय, कोटा नगर निगम ने अपनी किसी भी जिम्मेदारी का वहन नहीं किया है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बाढ़ राहत कार्य जिसका पैसा भारत सरकार देती है, राजस्थान सरकार उस पैसे का उपयोग नहीं कर रही है। 1995 में जो बाढ़ राहत योजना स्वीकृत हुई थी, उस योजना के तहत कोई काम नहीं करने से, कोटा नगर निगम की आलस्यपूर्ण नीति से वहां पर दो बच्चों की जानें चली गईं, वह बाढ़ में बह गए और बहुत नुकसान वहां पर हुआ है। मान्यवर सभापति महोदय, उसके बाद कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, नगर निगम के सदस्यों—अब्दुल रशीद पेपरवाला, राजेन्द्र

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

भारद्वाज और हुक्मचन्द जैन ने, नगर निगम के चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन तथा नगर महापौर और उपमहापौर से जाकर बात करनी चाही। वहां कोई भी नहीं मिला और उन्होंने इसके बाद जनता की आवाज को दबाने के लिए, नगर निगम के सदस्यों की आवाज को दबाने के लिए उनके खिलाफ गलत मुकदमे दर्ज किए और राष्ट्रीय सम्पत्ति के नुकसान जैसे मुकदमे दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। राजस्थान में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सीधे मुकदमे हैं, उनको हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं ताकि वह अपनी आवाज नहीं उठा सकें, गलत कामों का विरोध नहीं कर सकें। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बाढ़ राहत योजना के तहत जो भी कार्रवाई राजस्थान के कोटा नगर में की जानी चाहिए थी, उसमें राज्य सरकार फेल हो चुकी है *(व्यवधान)* अत: वहां बाढ़ राहत का काम किया जाए और जिन दो बच्चों की मौत हुई है, उनको भारत सरकार अपने फण्ड से रिलीफ दे, प्रधान मंत्री अपने राहत कोष से सहायता दें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा० रंजीत कुमार पांजा (बारसात) : सभापति महोदय, मलेरिया, डेंग्यू और कालाजार जैसी कीटाणुओं के द्वारा फैलने वाली बीमारियां पुन: महामारी के रूप में उभर रही हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि पश्चिम बंगाल में मलेरिया एक भयानक महामारी के रूप में फैल रहा है। मैं जानता हूं कि वहां की समस्या अत्यधिक जनसंख्या, गरीबी और सही ढंग के मकान तथा साफ-सफाई का न होना है। दूसरी तरफ, ये लोग कीटनाशी दवाओं के लिए वेक्टर का भी विरोध करते हैं। वहां पर दवाएं भी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। नैदानिक उपकरणों के अभाव में वहां के चिकित्सक बिना निदान किए ही रोगियों का इलाज करते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि दवाएं असर करना बन्द कर देती हैं और वही रोग पुन: उभर आता है और यही प्रकिया चलती रहती है।

मलेरिया के साथ-साथ वहां पर डेंग्यू और कालाजार का भी भारी प्रकोप है। महोदय, यदि जून के महीने को मलेरिया माह कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। जून महीने के दौरान वेक्टर नियंत्रण के लिए क्या किया गया? डी०डी०टी० और गैमक्सीन जैसी पुराने कीटनाशक अब कारगर नहीं रह गए हैं और आजकल उन्हें कोई प्रयोग नहीं करता। हालांकि कुछ नए प्रकार के कीटनाशक उपलब्ध हैं। कुछ एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं (तरीकों) का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस प्रकार की खबरें अखबारों में भी प्रकाशित हुई हैं।

चूंकि इस तरीके से इन भयानक बीमारी को रोकने के लिए यह सबसे पहली चीज है और इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है।

पिछले वर्ष दवा होने पर भी हमारे यहां कई बार मलेरिया फैला और उससे सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। लेकिन प्रिमा कुनीन नाम की दवाई को नियमित रूप से उपलब्ध नहीं कराया गया। परन्तु इस वर्ष इस दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कुनीन का उत्पादन करने के लिए सिनकोना की उपज करने पर विचार कर रही है। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या मलेरिया पर नियन्त्रण पाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सहायता ली जा रही है और क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने उन्हें इसके लिए अधिकारिक तौर पर ऐसा करने की सलाह दी है।

मलेरिया के इलाज, अनुसंधान और इससे बचाव के लिए विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी अपार धनराशि प्रदान करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस धनराशि को पूरे देश में वितरित कर दिया गया है और क्या इसका सही ढंग से उपयोग किया जा रहा है?

हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे तो मलेरिया, कालाजार, मियादी बुखार को क्षय रोग की जानकारी रखे बिना कोई भी एम०बी०बी०एस० पास नहीं कर सकता था। और अब चूंकि ये बीमारियां पुन: वापिस आ गई हैं। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अंडर ग्रेजुऐट मेडिकल शिक्षा के स्तर पर इन बीमारियों के बारे में पर्याप्त जोर दिया जा रहा है? "मलेरिया पर हो नियंत्रण; बस सभी का यही चिन्तन।" उस समय यह नारा था। क्या अब यही संदेश ठीक प्रकार से सम्प्रेषित किया जा रहा है?

कुमारी ममता बनर्जी : हर परिवार का कोई न कोई सदस्य मलेरिया का शिकार है।

डॉ० रंजीत कुमार पांजा : इस संबंध में हालत बिगड़ती ही जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग की किसी केन्द्रीय टीम को वहां का दौरा करना चाहिए अथवा जहां-जहां भी महामारी फैलने के आसार हैं वहां का संसद सदस्यों के किसी दल द्वारा दौरा किया जाना चाहिए। ऐसे स्थानों में से पश्चिम बंगाल भी है। हम चाहते हैं कि किसी चिकित्सा दल अथवा संसद सदस्यों के किसी दल द्वारा वहां का दौरा अवश्य किया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप डिस्टर्ब मत करिए, सबको बोलने का चांस मिलेगा।

श्री प्रदीप कुमार यादव : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के कन्नौज में दिनांक 28.6.1998 को एक ही परिवार के तीन लोगों श्री गेंदन लाल कटियार, उनकी पत्नी तथा उनके बेटे की हत्या कर दी गई और उनकी सारी सम्पत्ति लूट ली गई। इसका मुकदमा क्राइम नम्बर 411/98 पर धारा 396 के तहत दर्ज है। अभी थोड़े दिन तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है, कुछ निर्दोष लोगों को बन्द भी किया गया। लेकिन जैसे ही सही तथ्यों की जानकारी हुई, उसमें मौजूदा सरकार के एक विधायक और मंत्री के रिश्तेदार का हाथ निकला, उसके तुरन्त

बाद बिना एस०एस०पी० और डी०एम० की आज्ञा मांगे इसमें सी०आई०डी० जांच के आदेश कर दिए गए।

सभापति महोदय : इसमें भारत सरकार को क्या करना चाहिए, जल्दी से बताइए।

श्री प्रदीप कुमार यादव : आपके द्वारा मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस केस की सी०बी०आई० से जांच कराकर सही तथ्य सबके सामने पेश किए जाएं।

डा० रामकृष्ण कुसमरिया : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में खजुराहो विश्व का अनोखा और अद्वितीय पुरातत्वीय सम्पदा का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। लाखों दर्शनार्थी वहां आया करते हैं। वहां जो हवाई जहाज उतरते हैं, उनकी भीषण धमक और आने-जाने के कारण वहां के मंदिरों, जिनके कारण खजुराहो की महत्ता है, उन मंदिरों में क्रैक्स आने या तोड़-फोड़ होने की आशंका है। यह वहां के विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों ने बताया है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि खजुराहो से 60 किलोमीटर दूर एक सकरिया एरोड्रम है, पहले वहां वायुयान उतरा करते थे, वहां हवाई पट्टी बनी हुई है, यदि वहां हवाई जहाज उतारे जाएं तो खजुराहो के पुरातात्विक महत्व के मंदिरों की सुरक्षा हो सकती है और उस ऐतिहासिक स्थल को हम अक्षुण्ण बना सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहां एक नया एरोड्रम बनाया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया इस बात को नोट करें।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : माननीय सभापति जी मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में नक्सली गतिविधियों के कारण वहां भयंकर आतंक और उपद्रव मचा हुआ है। समाचार मिले हैं कि कुछ नक्सलियों द्वारा वहां हत्याएं की गई हैं।

सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में बस्तर के जो आदिवासी हैं जहां पर ये नक्सली गतिविधियां इतनी तीव्रतर हो गई हैं कि एक समानान्तर सरकार वहां पर चल रही है। वहां पर प्रदेश सरकार नक्सली गतिविधियों को रोकने में असमर्थ है। हत्याएं जारी हैं। आदिवासी पलायन कर रहे हैं। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह इसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार अकर्मण्य है। विशेषकर आदिवासियों की जानमाल की रक्षा करे और सीमावर्ती इलाकों में ऐसा प्रबन्ध करे ताकि लोगों को इस प्रकार से संकट का सामना न करना पड़े।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : सभापति जी, आज के प्रश्न संख्या 423 के उत्तर में जो नई परियोजनाएं रेल मंत्री जी ने घोषित की हैं, उनका ब्यौरा दिया है। मैं उनको पढ़कर बहुत दु:खी हुआ हूं। एक परियोजना चण्डीगढ़ से लुधियाना तक रेलवे लाइन बिछने की 1996-97 में मंजूर की गई थी उसका इसमें कहीं नाम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको छोड़ दिया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और जानना भी चाहूंगा कि क्या उस परियोजना को निलंबित किया गया है या त्याग दिया गया है? यदि त्याग दिया गया है, तो क्या कारण है क्योंकि इसी सदन में वह पास हुई थी। जो पंजाब के सदस्य अभी यहां बैठे हैं वे उस समय भी यहां थे। मैं जानना चाहता हूं कि किस कारण से पंजाब की वह रेल परियोजना जो लुधियाना को चण्डीगढ़ से मिलाने के लिए पास हुई थी, उसके लिए बजट नहीं रखा गया? उसको क्यों ड्राप किया गया है? यदि यह कोई भूल है, तो उसकी दुरुस्ती की जाए। यदि भूल नहीं है, तो सदन को बताया जाए कि वह योजना क्यों छोड़ दी गई है?

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : सभापति महोदय, मुझे सिर्फ एक मिनट का समय दिया जाए। मैं किसानों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण मामला सदन में उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अभी नहीं। पहले लिस्ट के नामों को पूरा हो जाने दें। चूंकि आप किसानों का मामला उठाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको समय अवश्य दूंगा।

[अनुवाद]

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कोंकण रेलवे परियोजना को देश को समर्पित किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देश के सर्वाधिक दूरी के क्षेत्र 750 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को कवर करती है जो कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पश्चात् भारत ने स्वयं इसे बनाया है। बाकी लाईनों को अंग्रेज बनाकर भारत छोड़ गए थे। सरकार ने 3,500 करोड़ रुपये जनता से प्राप्त किए हैं। तीन वर्षों के अन्दर उसे 1,000 करोड़ रुपये वापस करने हैं। हमें इस बात को जानकर दु:ख है कि देश को हर रोज एक करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। यह राष्ट्र के लिए गहन चिन्ता का विषय है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वे इस लाईन पर तत्काल और अधिक रेलगाड़ियां चलाने की कार्यवाही करें ताकि देश को हर रोज एक करोड़ रुपये का घाटा न उठाना पड़े। हालांकि उनका यह कहना है कि पहले वर्ष तो कुछ घाटा होगा ही। रेल मंत्रालय द्वारा यह तर्क दिया गया है। लेकिन यदि वे इस संबंध में तत्काल कोई कदम नहीं उठाते हैं तो तीन वर्ष के भीतर 1,000 करोड़ रुपये वापिस करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए राष्ट्र हित और रेल प्रणाली के बेहतर भविष्य के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में तत्काल कोई कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठले : सभापति जी, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 3 जुलाई को आर्म्ड कोर एण्ड कैडेट स्कूल में प्रशिक्षण लेने वाले दो अधिकारियों ने एक रास्ता क्रास करने का प्रयत्न किया। एक समीर मोटे नाम के लड़के ने उनको बोला कि आप सिगनल तोड़ रहे हैं, तो उसके बाद इन अधिकारियों ने उस लड़के को बहुत पीटा। उसके बाद वे अशोक चान्दुरकर नाम के कार्यकर्त्ता के घर चले गए और वहां कम से कम 40-50 मिलिट्री अधिकारियों ने गुंडागर्दी करने का प्रयत्न किया। उसके संबंध में हमारे रक्षा विभाग को विचार करना

चाहिए और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और इस बारे में कुछ न कुछ तो होना चाहिए।

श्री लाल बिहारी तिवारी : सभापति महोदय, श्री चन्द्र हास पांडेय सुपुत्र श्री राम नरेश पांडेय जो वर्क्स मैनेजर आर्डीनेंस फैक्ट्री बड़माल, जिला बोलांगीर (उड़ीसा) में कार्यरत हैं। दिनांक 9.2.98 से लापता हैं। उनके पिता श्री राम नरेश पांडेय ने दिनांक 18.3.98 को किडनैपिंग की रिपोर्ट क्षेत्रीय थाने में लिखाई है। इन दिनों यह मामला क्राइम ब्रांच के पास जांच के लिए गया है, परन्तु आज तक चन्द्रहास पांडेय को खोजने में पुलिस नाकामयाब रही है। मैंने इससे पहले भी गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवानी जी से इस केस की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की थी, परंतु अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अत: मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि इस केस की जांच सी०बी०आई० से कराई जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मेरा निर्वाचन क्षेत्र चैल है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी, फतेहपुर में अब तक हैजे से कम से कम 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहां पर एक 30 बेड का उच्चस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। मेरे क्षेत्र और पूरे ब्लाक में और भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। मैंने खुद उन ग्रामों का दौरा किया है जहां पर हैजे का प्रकोप है। उन स्वास्थ्य केन्द्रों में न तो डाक्टर हैं और न ही कर्मचारी हैं। लिहाजा वहां प्रतिदिन पांच व्यक्ति हैजे से मर रहे हैं। मेरे पास इसकी पूरी सूची उपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से मांग करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आखिर आप चाहते क्या हैं?

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं डिमांड ही कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार से यह मांग कर रहा हूं कि एक सर्वेक्षण परीक्षण दल वहां भेजा जाए ताकि वहां जो प्रतिदिन पांच मौतें हो रही हैं, उस पर कारगर कदम उठाया जाए। वहां पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनमें डाक्टरों की नियुक्ति हो सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : किसी भी बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही जरूरी विषय आपके बीच में रखना चाहता हूं। अपने देश में भयंकर रूप से आबादी बढ़ रही है। मैं कल का अखबार पढ़ रहा था कि दिल्ली में 23 चोरियां हो गयीं। पिछले हफ्ते यहां पर महंगाई के ऊपर बहुत शोर हुआ कि चीजें नहीं मिल रही हैं। एक नेशनल पालिसी ऑन पापुलेशन बनने वाली थी। उसकी रिपोर्ट शायद चल रही है क्योंकि अभी तक वह रिपोर्ट नहीं आई है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सब पार्टियों की एक मीटिंग हो क्योंकि यह समस्या बहुत जटिल है। कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, कितना भी एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन हो जाए लेकिन तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आबादी बढ़ती जाएगी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप सरकार से कौन-सा विशिष्ट कार्यक्रम शुरू करवाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान : मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह जो नेशनल पालिसी ऑन पापुलेशन बनने वाली है, उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द आए। जितनी भी पार्टियां हैं, उन सबकी बैठक बुलाई जाए और एक नेशनल मूवमेंट बनाकर जो कुछ भी किया जा सकता है, वह हर संभव प्रयत्न किया जाए ताकि हमारे देश की जो आबादी बढ़ रही है, *(व्यवधान)* उस पर नियंत्रण हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : सभापति जी, मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मेरे साथी इस बात को जरूर उठाएंगे। आज सुबह जब मैं मद्रास से लौटा तो मैंने अखबार में पढ़ा कि कल एक माननीय सदस्य के साथ घटना हुई और जब उसका मेडिकल हुआ तो उसके पास कुछ अस्त्र पाए गए। यह अखबार में लिखा हुआ है। यह बहुत दुखद घटना है। अगर सदन में ऐसी बात हुई है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसमें क्या सच्चाई है? क्या वाकई ही कोई मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट अस्त्र लेकर पार्लियामेंट में आता है? इस सच्चाई को सदन के सामने रखना चाहिए क्योंकि यह सदन की गरिमा की बात है। आज जो भी नागरिक इस न्यूज को पढ़ेगा, तो वह क्या सोचेगा? इससे सदन की गरिमा गिरेगी। अगर इस सदन की गरिमा गिरेगी तो यह देश के लिए बहुत बुरी बात है, प्रजातंत्र के लिए बुरी बात है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को लाए और जो सच्ची रिपोर्ट है, उसको सदन के सामने रखे। यदि ऐसा हुआ है तो सदन इस पर बैठकर विचार करे कि क्या यह प्रथा देश में चलेगी या सदन में चलेगी? इस बारे में सदन को फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो देश के लिए यह बहुत गंभीर बात होगी।

श्री शैलेन्द्र कुमार : वे नशे में भी थे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया इस बात को नोट किया जाए।

मेजर जनरल भुवन चन्द खण्डूरी ए०वी०एस०एम० (गढ़वाल) : मैं श्री राजेश पायलट की बात का समर्थन करता हूं।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय सभापति जी, उत्तरांचल राज्य के निर्माण का विधेयक इसी सत्र में लाए जाने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं लेकिन बीच में जो अपनी पहचान, संस्कृति आदि के आधार पर हमारे सहयोगी दल की ओर से विषय उठाए गए हैं, उस संबंध में मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि तत्काल इस समस्या का हल निकालने के लिए उपाय किए जाएं। जहां तक उस क्षेत्र की बात है तो वहां से चारों सांसद भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतकर आए हैं और घोषणा पत्र के अनुसार पूरा मतदान उसके पक्ष में हुआ है।

अभी एम०एल०सी० के इलैक्शन हुए थे। उसमें भी सारे मत वहीं पड़े थे। इसके समाधान के लिए वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी बुलाएं और हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं, जिनके मन में कुछ शंकाएं हैं, उनका निवारण करने के लिए दोनों पक्षों को साथ बिठाया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द) : आप हमको बोलने का चांस नहीं देते।

सभापति महोदय : यदि इस तरह से हल्ला करेंगे तो आज भी चांस नहीं मिलेगा।

श्री चन्द्रशेखर साहू : मत दीजिए, हम चले जाते हैं।

सभापति महोदय : हम सबको बुला रहे हैं, आप इस तरह से हल्ला क्यों करते हैं।

(व्यवधान)

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : इसके समाधान के लिए दोनों पक्षों को साथ बिठाया जाए। तथ्यों की पूरी जांच-पड़ताल की जाए अन्यथा इसके राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं क्योंकि आज के अखबार जनसत्ता में इसके बारे में विस्तार से रिपोर्ट छपी है कि फिरोजपुर, पठानकोट, चण्डीगढ़, अबोहर हिन्दी बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पंजाबी भाषा और रहन-सहन नहीं है। कल वे भी मांग उठा सकते हैं कि हम राजस्थान में जाएंगे और तमाम चीजें आएंगी। मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस संबंध में सारे प्रतिनिधियों को आपस में बिठाकर तथ्यों की जांच-पड़ताल करके कार्य किया जाए। ...*(व्यवधान)*

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अभी इन्होंने कहा है कि पार्लियामैंट के मैम्बर चुने गए, जिला परिषद के लोग चुने गए, उसी को रायशुमारी मान लिया जाए। इस प्वाइंट पर इलैक्शन नहीं हुए थे। मैं भी उनकी सपोर्ट में जाकर आया था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इन्होंने सरकार से इसका हल सोचने के लिए कहा है, आप क्यों परेशान हैं। आप बैठिए।

(व्यवधान)

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी ए०वी०एस०एम० : सभापति जी, जो रायशुमारी का मामला उठाया गया है, वह बहुत गलत है। यदि हम जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर रायशुमारी करने लगेंगे कि कौन-सी तहसील कहां जाएगी तो भारतवर्ष में अराजकता फैल जाएगी। यह उचित नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप इसे इसमें न रखें। ...*(व्यवधान)*

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : लेकिन पंजाब और हरियाणा में एक-एक गांव के खिलाफ रायशुमारी हुई थी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए। जीरो आवर में जो भी मामले उठाए जाते हैं, यदि उनमें अनपार्लियामैंट्री शब्द होते हैं तो कहा जाता है कि विदड्रा करें, यदि एक्सपंज करना हो तो एक्सपंज कर देते हैं। बाकी जो भी कहा जाता है, उसका हल ढूंढने के लिए सरकार से कहा जाता है, दूसरों को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे सदन का समय बर्बाद होता है।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, सरकार द्वारा इस सदन में इस बात पर सहमति हुई थी कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मगर दुर्भाग्यवश जब सरकार ने अपने निर्णय की घोषणा की तो इन संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं सदन में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर एक गैर-सरकारी विधेयक वापस ले लिया गया था। इसे बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इस आश्वासन के आधार पर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई और इस बैठक में इन संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिए जाने पर सर्वसम्मति से फैसला किया गया था। मगर भारत सरकार ने जब वनांचल, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने तथा पांडिचेरी को राज्य का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई तो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि जब वो विधेयक पारित कराएं तो इस पर भी विचार करें। इन संघ राज्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ना कि इनकी अनदेखी की जाए। उन्हें, संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों को आन्दोलन के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। भारत सरकार से मेरा यह अनुरोध है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं श्री मनोरंजन भक्त की मांग का समर्थन करता हूं।

श्री सत्य पाल जैन : मैं भी श्री मनोरंजन भक्त का समर्थन करता हूं और भारत सरकार से अपील करता हूं कि समस्त संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में समान नीति अपनाए। हम सब इस मुद्दे पर एकमत हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और चण्डीगढ़ को राज्य का दर्जा दिया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरी भी मांग है कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को राज्य का दर्जा दिया जाए। सरकार को अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करनी चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री यहां बैठे हैं। संबंधित मंत्री द्वारा कार्यवाही करने हेतु महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र किया गया है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दुनिया की प्रसिद्ध हीरा खदान है। अब उस पर दक्षिण अफ्रीका की कम्पनी डीबियर्स की नजर लगी हुई है और लगातार चार साल से मध्य प्रदेश सरकार यह कोशिश कर रही है कि वह सारा ठेका, सारा प्रोस्पैक्टिंग का कार्य, मार्केटिंग का कार्य, उत्खनन का कार्य डीबियर्स को मिल जाए, लेकिन जब वह इसमें सफल नहीं हुई तो पिछले दरवाजे से वह हीरा खदान में प्रोस्पैक्टिंग के लिए और दूसरे प्रकार के कार्य के लिए उन्होंने मुम्बई की एक फर्म को देने का फैसला किया है, जो वास्तव में अनुचित है, एक व्यक्ति को लाभ देने का प्रयास है, जबकि यह रिजर्व फौरेस्ट है। वह हीरा खदान भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वहां पर अभी क्लियरेंस नहीं मिली है, इसलिए भारत सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर तत्काल हस्तक्षेप करे, क्योंकि एक नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य बनना तय हुआ है। केन्द्र सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है तो नए राज्य के बाद उस हीरा खदान के बारे में फैसला किया जाए, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : सभापति जी, हमारा जनपद सिद्धार्थनगर इस समय बाढ़ से बहुत प्रभावित है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती में बाढ़ आई हुई है और पूरा जिला मुख्यालय अन्य तहसीलों से कट गया है। प्रत्येक वर्ष यह बाढ़ की चपेट में आता है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि बाढ़ की रोकथाम के लिए इस जिले में कोई मास्टर प्लान बनाया जाए और सैंट्रल टीम भेजकर वहां जो जन-धन की हानि हुई है, उसकी पूर्ति कराई जाए। वहां फसल बर्बाद हो गई है।

सभापति महोदय : कृपया संक्षिप्त रूप में जल्दी बोलें, क्योंकि अन्य 2-3 मैम्बर्स बोलने वाले हैं।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : सभापति जी, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर किसानों को उन्नत किस्म का बीज नहीं मिल रहा है और बीज नहीं मिलने के कारण वहां आज से चार रोज पहले तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 34 प्रतिशत खरीफ की फसल की बुआई हुई है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। आज किसानों को बीज नहीं मिलने से फिर बुआई कब होगी, उससे जो पैदावार कम होगी, उसका पूरे देश पर असर पड़ेगा। राजस्थान के अन्दर आज ग्वार नकदी फसल मानी जाती है और किसान वहां पर ग्वार की फसल ज्यादा पैदा करता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राजस्थान का जो मुख्य पेपर है, उसने भी इस बात को माना है कि राजस्थान के किसानों को पैसा देने के बाद भी उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है। ग्वार की फसल की बुआई का जो लक्ष्य तय हुआ है, उसकी 7.5 प्रतिशत बुआई हुई है। बीज उपलब्धि का लक्ष्य 3.70 लाख क्विंटल था, इतने बीज की किसानों को आवश्यकता थी, उसमें सरकार ने जो लक्ष्य तय किया, वह 1,300 क्विंटल का तय किया, लेकिन उसमें भी बीज की उपलब्धि 630 क्विंटल हुई है।

सभापति महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं, भारत सरकार को क्या कहना है, वह कहिए न।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : यह तो कृषि का मामला है। आज पूरे पेपर ने इस बात को लिखा है कि किसान को बीज नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कृषि मंत्री जी को राजस्थान सरकार को पूछना चाहिए कि किसान को बीज क्यों उपलब्ध नहीं हो रहा है। किसानों को बीज उपलब्ध नहीं हुआ, इसका भारी हर्जाना देश को और प्रदेश को होगा, इसलिए मेरी मांग है कि किसानों को उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए भारत सरकार जो भी कदम उठा सकती है, वह किसानों के हित में उठाने चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : सभापति महोदय, मैं बन्द उद्योगों के कर्मचारियों को भविष्य निधि जारी करने का मुद्दा उठा रही हूं। अभी तो मैं मैटल बॉक्स कम्पनी के संबंध में बोल रही हूं। इसके कुछ कर्मचारी अभी दिल्ली में हैं। वो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मैटल बाक्स कम्पनी की चेन्नई, मुम्बई और कलकत्ता स्थित इकाइयां दस वर्ष पहले बन्द हो गई थीं। उन्होंने अनेक मुसीबतें उठाईं। यह एक पुरानी बात हो गई है। इस बीच अनेक कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। इस समय वो केवल यह मांग कर रहे हैं कि सेवानिवृत्ति की आयु पार करने वाले कर्मचारियों को भविष्य निधि जारी कर देनी चाहिए।

मगर यह नहीं हो रहा है। यदि माननीय श्रम मंत्री इस विषय में हस्तक्षेप कर संबंधित प्रबंधन को, उन्हें देय भविष्य निधि राशि जारी करने को कहें और उनकी आवश्यकताओं के प्रति निर्दय ना हों तो सैकड़ों परिवार और मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों की विधवाएं इस सरकार के प्रति अत्यधिक आभारी होंगी। मेरा सरकार से यही निवेदन है।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : सभापति जी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला नगर कानपुर है, जहां की जनसंख्या 40 लाख है। वहां से दिल्ली के लिए 22 रेलगाड़ियां प्रतिदिन जाती और आती हैं। उनमें से सिर्फ आठ रेलगाड़ियों में कानपुर के लिए आरक्षण कोटा निश्चित है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि लगभग दस हजार यात्री रोज कानपुर से दिल्ली आते-जाते हैं। लेकिन वहां आरक्षण की सुविधा सिर्फ 1,056 शैयाओं की है, जिसमें 358 वातानुकूलित

और 658 सामान्य श्रेणी की बर्थ हैं। इसी स्थान से चार लोक सभा के सदस्य और चार राज्य सभा के सदस्य भी हैं, जो स्थाई रूप से आवागमन करते हैं। पहले कानपुर के लिए शताब्दी एक्सप्रैस चलाई गई थी, जिसको किन्हीं कारणों से लखनऊ को दे दिया गया। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और वहां की जनसंख्या की तुलना में गाड़ियों में आरक्षण कोटे के विरोध में मैं कहना चाहता हूं कि यह अपर्याप्त है, इसको बढ़ाना चाहिए। कम-से-कम वर्तमान कोटा पांच गुना होना चाहिए, जिससे यात्रियों को सुविधा हो। अभी जो दस हजार में से 1,056 को आरक्षण मिलता है, वह करीब दस प्रतिशत है। शेष लोग बाध्य होकर बसों के द्वारा सफर करते हैं, जिनकी संख्या करीब पांच हजार है। इसके कारण लोगों को असुविधा हो रही है और कानपुर की जनता में इसे लेकर बड़ा असंतोष है। मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि एक रेलगाड़ी कानपुर से दिल्ली के लिए सवेरे चले और शाम को वापस चली आए। शेष जो 22 रेलगाड़ियां हैं, उनमें कानपुर का कोटा निश्चित किया जाए।

श्री सैयद हुसैन (लद्दाख) : जनाब चेयरमैन साहब, जैसा कि सबको मालूम है, लद्दाख जम्मू-कश्मीर रियासत का पसमान्दह तरीन इलाका है। मरकजी सरकार को रियासत जम्मू-कश्मीर की सरकार को हर तरह की मदद देनी चाहिए, ताकि वह लद्दाख की पसमान्दगी को दूर करने की कोशिश करे।

आज मैं चंद खसूसी मुश्किलात का जिक्र करना चाहता हूं, ताकि लद्दाख खित्ते की तामीर और तरक्की की तरफ खसूसी तवज्जोह दी जा सके।

मैं मरकजी सरकार से मांग कर रहा हूं कि जोजिला पहाड़ पर टनल बनाई जाए, ताकि लद्दाख खित्ते को 12 महीने के लिए सड़क मिल जाए और इस खित्ते में रहने वाले लोगों को मुश्किलात से निजात मिल सके।

कारगिल में कोई हवाई अड्डा नहीं है। दो बरस पहले वहां हवाई अड्डा बनना शुरू हुआ था, जो मुनासिब रकुमात फराहम न होने की वजह से मुकम्मल नहीं हुआ है। मेरी मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त है कि वह रकम फराहम करके हवाई अड्डे को मुकम्मल करके कारगिल, जॉस्कार और लेह के अवाम को राहत पहुंचाए।

इसके अलावा इस खित्ते के अवाम से इनकम टैक्स न लिया जाए, क्योंकि यह इलाका दौरे अफतादह और पसमान्दह है।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, मैं सदन तथा वित्त मंत्री, जो यहां पर उपस्थित हैं, उनका ध्यान, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण से संबंधित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन (केन्द्र सरकार, 1998 का वाणिज्यिक चार) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और विभागों से सम्बद्ध उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों को पहले ही सभा पटल पर रखा गया है। परियोजना को मंजूरी देने में हुए अत्यधिक विलम्ब पर समिति ने अपना क्षोभ व्यक्त किया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के पैरा 9बी में कहा गया है कि ठेकेदारों को तदर्थ रूप में दी गई 135 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि, मार्च 1997 तक वसूल नहीं की जा सकी। संविदात्मक शर्तों पर एक निजी पार्टी को 37.25 करोड़ रुपये की अग्रिम तदर्थ राशि पर कोई ब्याज नहीं वसूल किया गया। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि डिजाइन बनाने वालों में समन्वय के अभाव के कारण कूलिंग वाटर सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में हानि हुई और 12.88 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरणों को हानि हुई। फरवरी 1989 में आधुनिकीकरण योजना की लागत 2,667.56 करोड़ रुपये थी और इसे 31 मार्च 1993 तक पूरा किया जाना था। इसे पूर्ण करने में विलम्ब तथा प्रबंधन एवं ठेकदारों की अपवित्र साठ-गांठ के कारण यह राशि दुगुनी हो गई। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं।

सभापति महोदय : कृपया शून्य काल में भाषण न दें।

श्री सुनील खां : ए०एम०आर० योजना पर बहुत भारी राशि व्यय की गई थी। इस व्यय के केवल 210.22 करोड़ रुपये को ही आधुनिकीकरण लागत का एक अंश माना जा सकता है। ए०एम०आर० योजना के एक बड़े भाग का आधुनिकीकरण से कोई वास्ता नहीं था अतः नजरअंदाज किया गया। वर्ष 1997 तक इस शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय 1,164.56 करोड़ रुपये था और 225 लाख रुपये मैसर्स एम०एस० साहनी को सात योजनाओं के लिए दिया गया था। मगर वास्तव में कुछ कार्य नहीं किया गया। इसके बावजूद इस पार्टी को डी०एस०पी० से ठेका मिलता है।

बिना औपचारिक निविदा के दायित्व के डी०एस०पी० द्वारा बी०टी०एस० के कलकत्ता स्थित कार्यालय को नियमित रूप से 43 लाख रुपये का भुगतान किया गया। मगर दुर्गापुर में डी०एस०पी० द्वारा जीर्ण-शीर्ण आवास उपलब्ध कराने पर एच०एस०सी०एल० पर भारी भुगतान लिया गया।

एक अनिवासी ठेकेदार, एस०पी०एस० 12 करोड़ रुपये मूल्य की छः बैंड सा (पट्टी आरा) खरीदी गई। ये मशीनें जापान की बनी हैं। जब डी०एल०पी० ने जापानी फर्म से सीधा सम्पर्क किया तो उन्होंने प्रत्येक मशीन के लिए केवल 28 लाख रुपये बताए। छः मशीनों की कीमत 1.68 करोड़ रुपये बैठती है। डी०एस०पी० द्वारा इन मशीनों पर कुल 10.32 करोड़ रुपये की हानि हुई *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह लम्बा भाषण देने का समय नहीं है।

श्री सुनील खां : मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराएं और दोषी व्यक्तियों को सजा दें। माननीय वित्त मंत्री यहां मौजूद हैं, उन्हें इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए। यह एक गंभीर मामला है।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुझा) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान रबड़ की खेती करने वाले किसानों से संबंधित मुद्दे की ओर दिलाना चाहूंगा। पहले भी, यह मुद्दा सरकार के समक्ष कई बार लाया गया। मेरे विचार

से इस सदन के करीब पचास सांसद, जब सत्र आरम्भ हुआ तो धरने पर बैठे। यह मुद्दा अभी भी कायम है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि रबड़ पर आयात शुल्क, वर्तमान 20 रुपये से बढ़ाकर 25 या 30 रुपये कर दी जाए, और पॉलियूरेथीन, जिसे भारी मात्रा में आयात किया जाता है, इस पर शुल्क वर्तमान में जो 30 रुपये है, बढ़ाकर 35 रुपये या 40 रुपये कर देनी चाहिए, जिससे कि अनियंत्रित आयात को रोका जा सके और किसानों को कुछ हद तक संरक्षण दिया जा सके। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आयात और निर्यात नीति इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि रबड़ को आयात की काली सूची में डाल दिया जाए। क्योंकि इस देश में प्राकृतिक रबड़ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

श्री टी० गोविन्दन (कासरगोड) : मैं सरकार का ध्यान केरल में समुद्री कटाव से उत्पन्न हुए गंभीर मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि केरल के कुल 750 कि०मी० लम्बे तटीय क्षेत्र में से 300 कि०मी० का तटीय क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र कासरगोड में आता है। मानसून के दौरान केरल में गंभीर समुद्री कटाव की खबर सुनते हैं। दो सप्ताह पूर्व मछुआरों के प्रतिनिधि मुझे प्रभावित क्षेत्रों में ले गए जहां मैंने समुद्री कटाव की गंभीरता को देखा। समुद्री कटाव द्वारा एक लम्बा भूखण्ड प्रभावित हुआ है। सैकड़ों नारियल के पेड़ उखड़ गए। सैकड़ों परिवार खाली कराए गए। प्रत्येक वर्ष समुद्र में बहुमूल्य तटीय भूमि का एक बड़ा हिस्सा बह जाता है। मैं केन्द्र सरकार से वहां पर दीवार का निर्माण करने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करने का आग्रह करता हूं। गत पचास वर्षों में दीवार का निर्माण करने के लिए काफी कम धनराशि आबंटित की गई थी। वहां पर दीवार खड़ा करना केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है क्योंकि तटीय क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है। अतएव, दीवार का निर्माण करना सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार वहां पर दीवार बनाने की स्थिति में नहीं है।

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त (जम्मू) : सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर रेशम कार्य करने के लिए देश में सबसे बड़ा प्रांत है। इसमें भी रजोरी एक ऐसा क्षेत्र है, जो सबसे बढ़िया रेशम तैयार करता है। यहां रेशम का कोकून तैयार होता है, लेकिन व्यापारी लोग यहां आकर सस्ते दामों पर खरीदकर ले जाते हैं और वहां के जमींदारों को कुछ नहीं मिलता है। मेरी प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में रेशम निकालने के छोटे कारखाने और मशीनें लगाई जाएं। वहां सेरीकल्चर इंडस्ट्री लगाई जाए ताकि उस क्षेत्र में अच्छा रेशम तैयार हो सके।...*(व्यवधान)*

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, जब देवेगोड़ा जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जम्मू-कश्मीर में उन्होंने एक पैकेज दिया था।...*(व्यवधान)* उस पैकेज के मुताबिक जितने इनसरजेंसी से प्रभावित थे, जिन्होंने सरकार से 50,000 रुपए तक के कर्जे लिए हुए थे वह उन्होंने माफ कर दिए थे। जो दुकानदारों ने कर्जे लिए थे उनके भी माफ कर दिए, शिकारे वाले ने जो कर्जा लिया हुआ था उसका भी माफ हो गया, इस प्रकार बहुत सारे लोगों के कर्जे माफ हो गए, परन्तु पता नहीं किसानों के कर्जे क्यों नहीं माफ हुए, जबकि किसान समाज की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। उसने जो एग्रीकल्चर लोन लिया हुआ है वह उस पैकेज में नहीं आया।

महोदय, देश में जिन 500 से ज्यादा किसानों ने कर्जे लिए हुए हैं उनमें से कई आत्महत्या कर चुके हैं, मेरी प्रार्थना है कि अब आगे इस तरह आत्महत्याएं न हों इसलिए बाकी लोगों पर जो एग्रीकल्चर लोन 50,000 रुपए तक का है वह तुरन्त माफ किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके।...*(व्यवधान)*

श्री सीताराम यादव : सभापति महोदय, सीतामढ़ी महाजगत जननी की जन्मस्थली है तथा यह क्षेत्र नेपाल की जनकपुर की सीमा से सटा हुआ है। यहां पर्यटक काफी संख्या में आते हैं, लेकिन यहां पर्यटकों के लायक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिससे वहां आने वाले पर्यटकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर पर्यटकों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए वहां सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो वहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और पर्यटकों को असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि सीतामढ़ी को पर्यटक स्थल बनाने हेतु सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा सीतामढ़ी को बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़कर सड़कों का निर्माण कराया जाए।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के पेण्ड्रा जिला बिलासपुर में भारतीय खेल विकास प्राधिकरण की खेल परियोजना (एल०पी०डी०ए०) की स्थापना के संबंध में निवेदन है कि खेल विकास में ग्रामीणों को समुचित अवसर व प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आज से लगभग पांच वर्ष पूर्व भारतीय खेल विकास प्राधिकरण द्वारा स्पोर्ट डेवेलपमेंट एरिया (एल०पी०डी०ए०) की स्थापना हेतु खेल निदेशक डी०के० आर्या समिति द्वारा मां नर्मदा के तट पर बसे पेण्ड्रा नगर में प्राकृतिक सौन्दर्य स्थल को देखते हुए तथा वहां की जलवायु, खेल के मैदानों को देखकर चयन किया गया। पेण्ड्रा का विद्यानगर क्षेत्र, जहां 40 एकड़ जमीन खाली पड़ी है उस क्षेत्र के 18 एकड़ में फुटबॉल, बालीबाल, बास्केटबाल, हॉकी, तैराकी प्रशिक्षण हेतु पूर्व निर्मित स्वीमिंग पूल, टेनिस मैदान, कबड्डी, खो-खो तथा 400 से 800 मीटर के ट्रेक बनाए जाने हेतु पर्याप्त जगह है। खाद्य सामग्री, अन्न, फल, सब्जी, दूध वगैरह सस्ता व सहज उपलब्ध है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि बिलासपुर जिले के पेण्ड्रा नगर में भारतीय खेल विकास प्राधिकरण खेल परियोजना की स्थापना की जाए।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस लोकसभा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में अगर माननीय सदस्य किसी भी पार्टी का हो, अगर वह यहां अपने क्षेत्र की आवाज को रख रहा है तो उस पर सरकार को गंभीरता से विचार करके अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उसका जवाब ठीक तरीके से उसे मिलना चाहिए ताकि इस हाउस की गरिमा बनी रहे। इसी आशा के साथ सुबह भी मैंने मंत्री जी को प्रश्न-काल में अवगत कराया था

कि फिरोजाबाद में एक बार पहले भी बहुत बड़ी घटना घट चुकी है, जिससे पूरा देश रो पड़ा था। हजारों लोगों की रेलवे एक्सीडेंट में मौत हुइ थी। उन मौतों के कारण लोकसभा में घंटे भर तक मायूसी छाई रही थी। उसी विषय पर मैंने रेल मंत्री जी को सुबह भी अवगत कराया था कि कहीं भी ऐसी घटना हो सकती है, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न है।

महोदय, शिकोहाबाद में ओवर ब्रिज के लिए मैं 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा में भी कई बार इस हाउस में रेल मंत्रियों को समय-समय पर अवगत कराया है। दिल्ली से कलकत्ता 160 गाड़ियां अप-डाउन करती हैं। महोदय, 30-30, 40-40 मिनट तक फाटक बंद रहने के कारण वहां से ट्रेफिक नहीं जा सकता है। इतनी देर तक फाटक बंद रहने के कारण वहां दो महिलाएं, जोकि प्रेगनेंट थीं उनको समय पर चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी, इस कारण वे एक्सपायर हो गईं।

अपराह्न 2.00 बजे

फिरोजाबाद में एक बार हादसा हो चुका है। इसलिए आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें और शुकाबाद में ओवर-ब्रिज की व्यवस्था कराए।

श्री ब्रजमोहन राम (पलामू) : सभापति जी, बिहार स्थित मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के भवनाथपुर में सेल के रॉ-मैटीरियल डिवीजन की एक लाइम-स्टोन एवं डोलोमाइट की एक माइंस है। भवनाथपुर लाइम स्टोन माइंस बोकारो-स्टील-प्लांट की कैपटीव माइंस थी, जिसे एक साजिश के तहत बंद करने की चेष्टा की जा रही है। लाइम-स्टोन एवं डोलोमाइट स्टील बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है। हमारा पलामू प्रमंडल बुरी तरह उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है। वहां पर रोजगार का अभाव है। ऐसे में अगर यह माइंस बंद हो जाती है तो मजदूरों का वहां से पलायन होगा और रोजगार के अभाव में वे भटक सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि उसे पुन: चालू कराकर वहां के लोगों को भूख से मरने और रोजगार के अभाव में उग्रवाद की गिरफ्त में आने से बचाएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई

[श्री खगपति प्रधानी पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

सभापति महोदय : *अब हम नियम 377 के अधीन मामले पर विचार करेंगे।*

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में सई नदी के पानी को आस-पास के कारखानों द्वारा किए जा रहे प्रदूषण से बचाए जाने की आवश्यकता

डॉ० रामविलास वेदान्ती (प्रतापगढ़) : सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सई नदी बहती है। रायबरेली में स्थित चीनी कारखाने तथा चमड़े के कारखाने का विषैला पानी लगातार इस नदी में गिर रहा है। इसके कारण नदी का जल इतना प्रदूषित हो गया है कि मछलियां तथा अन्य जल जन्तु समाप्त हो चुके हैं। यदि जानवर उक्त नदी का पानी पी लेते हैं तो मर जाते हैं। वे अनेक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वहां का वातावरण अत्यंत दूषित हो गया है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस नदी के तटवर्ती गांवों में जो इंडिया मार्का-2 हैड पंप लगाए गए हैं, उनमें भी अब प्रदूषित पानी निकलने लगा है। लोगों पर इस पानी का बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अविलंब सई नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए शीघ्र उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि समय से पूर्व लोगों तथा जानवरों को महामारी से बचाया जा सके।

(दो) उत्तर प्रदेश में परियर और विठूर को पर्यटन केन्द्र घोषित किए जाने तथा इनके विकास के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री देवी बक्स सिंह (उन्नाव) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने जनपद उन्नाव (उत्तर प्रदेश) की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्नाव और कानपुर जिले से लगा हुआ परियर व विठूर क्षेत्र जहां पर महर्षि बाल्मीकि जी का आश्रम था और जहां सीता जी ने श्रीराम द्वारा वन में छोड़ देने के बाद जीवन बिताया था, वहां के बारे में लोगों की ऐसी मान्यता है। यहां पर जानकी कुंड, बाल्मीकि आश्रम के प्रमाण अभी भी हैं। उत्तर प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के कई पर्यटक लोग यहां आते हैं लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। यहां के बारे में मान्यता है कि यहां श्रीराम की सेना एवं लव-कुश में युद्ध हुआ था और बाद में सीता जी यहीं पर धरती में समा गई थी। क्षेत्र के निवासियों एवं जन-प्रतिनिधियों द्वारा सरकार से बार-बार मांग की गई कि इस स्थान को पर्यटन केन्द्र की मान्यता देकर इसका विकास किया जाए।

मेरा केन्द्रीय पर्यटन मंत्री जी से विशेष अनुरोध है कि वह इस स्थान का निरीक्षण करके इसे तुरन्त पर्यटन केन्द्र घोषित करें और इसके विकास के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए पर्याप्त धन उपलब्ध कराएं।

(तीन) बिहार में रांची में बाई पास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान रांची बाई-पास की ओर दिलाना चाहता हूं। इस

कार्य का सर्वे भी हो चुका है किन्तु अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है। बाई-पास के न होने से वाहनों को शहर के बीच में से जाना पड़ता है जिससे अक्सर यातायात जाम हो जाता है। इससे पैट्रोल की खपत भी ज्यादा होती है और दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती हैं। रांची बिहार की द्वितीय राजधानी है और झारखंड की राजधानी भी होने जा रही है। कई छोटे-छोटे शहरों में बाई-पास की व्यवस्था है। इस शहर की आबादी लगभग 10 लाख के करीब है। आदिवासी लोगों एवं आदिवासी क्षेत्रों के विकास की गतिविधियां इसी क्षेत्र से क्रियान्वित होती हैं।

मेरा सरकार से इस सदन के माध्यम से अनुरोध है कि रांची में बाई-पास का निर्माण किया जाए।

(चार) राजस्थान में चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : सभापति महोदय, संपूर्ण राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों और विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू में ग्रामीण पी०सी०ओ० और दूरभाष केन्द्रों के खराब होने के कारण संपूर्ण क्षेत्र में संचार व्यवस्था ठप्प पड़ी है जिससे जनता को अपार कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अनेक बार राजस्थान दूरसंचार परिमंडल के उच्चाधिकारियों के लिखने और टेलीफोन करके राजस्थान की दूरसंचार व्यवस्था को सुधारने का आग्रह किया गया, किन्तु मात्र आश्वासन ही मिले और व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के खराब ग्रामीण पी०सी० ओज के संबंध में अनेक पत्र संचार मंत्री महोदय को लिखे परन्तु इस संबंध में समुचित कार्यवाही अभी भी अपेक्षित है और व्यवस्था अब पूर्णत: ठप्प हो गई है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान के मेरे संसदीय क्षेत्र चुरु में ठप्प संचार व्यवस्था को शीघ्र दुरुस्त किया जाए। वहां नये दूरभाष केन्द्र खोलने, एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराने, दूरभाष केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने, ओप्टीकल फाईबर केबल से जोड़ने जैसी अनेक योजनाएं स्वीकृत हैं किन्तु उनका कार्य भी या तो प्रारंभ नहीं किया गया या जहां प्रारंभ किया गया है वहां बहुत धीमी गति से चल रहा है। मेरा आग्रह है कि शीघ्र पूर्ण किया जाए ताकि आम जनता को संचार सेवाएं सुचारू रूप से मिलती रहें।

[अनुवाद]

(पांच) कपास एवं मिर्च बोर्ड बनाने तथा इनके मुख्यालय क्रमशः आंध्र प्रदेश के हैदराबाद तथा गुंटूर में स्थापित किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री आर० साम्बासिवा राव (गुंटूर) : माननीय सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को यह कहा था कि उन्होंने कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड इत्यादि इन महत्वपूर्ण फसलों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए हैं। उन्होंने यह सुझाव दिया कि कपास एवं मिर्च दो महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलें हैं। आगे इन फसलों को लगाए जाने वाले क्षेत्र, उनकी किस्मों आदि की दृष्टि से इन्हें विनियमित करने हेतु कोई बोर्ड नहीं है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केन्द्र से यह आग्रह किया है कि सांविधिक कपास बोर्ड जिसका मुख्यालय हैदराबाद जैसी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित हो, की स्थापना हेतु अविलंब कदम उठाए जाएं। आगे, उन्होंने सांविधिक मिर्च बोर्ड, जिसका मुख्यालय गुंटूर में, जो मिर्च उत्पादन का एक प्रमुख केन्द्र है, स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इन बोर्डों की स्थापना से किसान समुदाय को सहायता मिलेगी। यह प्रस्ताव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 17-11-1996 को पूर्व प्रधानमंत्री के पास भेजा गया था।

महोदय, अतएव मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह इन बोर्डों की स्थापना हेतु अविलंब उपाय करे जिससे मिर्च तथा कपास के किसानों को सहायता मिलेगी।

(छह) आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बिटरागुंटा में एक प्रमुख लोकोशेड अथवा एक कैरेज और वैगन वर्कशाप स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती लक्ष्मी पनबाक (नेल्लोर) : सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश में बिटरागुंटा (जिला नेल्लोर) भारतीय रेल का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन तथा एक रेलवे शहर है।

जिन दिनों भाप के इंजन चलते थे, अन्य रेल गतिविधियों के अलावा बिटरागुंटा लोको शेड का रख-रखाव होता था। यह लोकोशेड भारतीय रेल में सबसे बड़ी थी। यह एक बड़ा यार्ड तथा चालकों और गार्डों की अदला-बदली का डिपो भी था।

भाप के इंजन बंद होने के परिणामस्वरूप बिटरागुंटा में अवसंरचना, अन्य उपस्करों तथा भूमि आदि का किसी और प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। 1997 में रेल मंत्री को कई अभ्यावेदन दिए गए कि इसे या तो प्रमुख इलैक्ट्रिक लोकोशेड में अथवा कैरिज, वैगन वर्कशाप में बदल दिया जाय। लेकिन अब तक रेलवे ने बिटरागुंटा में वर्तमान अवसंरचना के उपयोग हेतु प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया। महोदय, बिटरागुंटा के लोगों ने रेल अधिकारियों को धमकी भी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। अतएव, मैं रेल मंत्री से तत्कालीन रेल मंत्री को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को देखने का अनुरोध करती हूं कि अन्य किसी स्थान पर भारी निवेश से नई वर्कशाप स्थापित करने के बजाय इस लोकोशेड को ही कैरेज और वैगन वर्कशाप में बदला जाय।

(सात) पश्चिमी उड़ीसा विकास परिषद् का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्ना आचार्य (सम्बलपुर) : कालाहांडी सहित दस जिलों का उड़ीसा का पश्चिमी भाग आर्थिक रूप से अत्यंत ही पिछड़ा है। यद्यपि देश का यह क्षेत्र खनिजों, बहुमूल्य वन संपदा तथा जल संसाधनों से संपन्न है, तथापि यह क्षेत्र इन संसाधनों का उपयोग न किए जाने के कारण अभी भी गरीबी से ग्रस्त है। अतएव इस क्षेत्र की पूरी जनता कई वर्षों से एक स्वर से आवाज पश्चिमी उड़ीसा विकास परिषद् के गठन की मांग कर रही है। यद्यपि विगत में कई सरकारों द्वारा आश्वासन दिए गए फिर भी इस संबंध में अभी तक कुछ भी ठोस कार्य नहीं किया गया है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) दूरदर्शन केन्द्र, इम्फाल के लिए अनुदान और स्टाफ में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

कुमारी किम गंगटे (बाह्य मणिपुर) : इम्फाल का दूरदर्शन केन्द्र अपनी स्थापना के समय से ही बहुत ही बुरी स्थिति में है। मणिपुर में इम्फाल के इस दूरदर्शन केन्द्र की सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह हुई कि 1995 में आग लगने की एक बड़ी घटना से स्टूडियो परिसर को क्षति पहुंची तथा स्टूडियो बेकार हो गया। काफी विलंब से मरम्मत का कार्य शुरू किया गया तथा इसमें तीन वर्ष लगे। यद्यपि कि स्टूडियो अब काम के लायक हो गया है तथापि जिन मशीनों में आग लगी थी वे तीन वर्षों से अनप्रयुक्त रहीं। परिणामत: इन मशीनों से कार्य सुचारू ढंग से नहीं हो पाता। कुछ मशीनें अभी भी चालू नहीं की गई हैं। फलत:, कार्यकम का स्तर अपेक्षाकृत काफी घटिया है तथा इन कार्यकमों का सभी जिलों में प्रसारण करना संभव नहीं है। केन्द्र की दूसरी समस्या अभियांत्रिकी स्टाफों की कमी है। इस समय मुख्य प्रचालन स्टाफ (ई ए और एस ई ए) की कुल संख्या दस है जबकि मापदंड के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता 26 स्टाफ की है। यद्यपि कि जनता स्थानीय प्रसारण की अवधि में वृद्धि करने की मांग कर रही है, स्टाफ तथा उपकरणों की इसी के कारण ऐसा नहीं हो सका है। मणिपुर में इम्फाल दूरदर्शन की दूसरी समस्या बजट की है। कार्यक्रमों तथा इनमें भाग लेने वालों की संख्या बढ़ गई है जबकि बजट अनुदानों में समानुपातिक वृद्धि नहीं की गई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इम्फाल दूरदर्शन केन्द्र के लिए बजट अनुदान बढ़ाया जाय तथा स्टाफ क्षमता में वृद्धि की जाए जिससे कि इस केन्द्र का कार्यकरण और कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

[हिन्दी]

(नौ) 1984 के दंगों की घटनाओं की निंदा करते हुए प्रस्ताव लाए जाने की आवश्यकता

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : महोदय, मैं आज सदन में बीते दशक की अमानवीय घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसने प्रत्येक जिंदादिल इंसान को हिलाकर रख दिया था। नवंबर 1984 में देश ही नहीं, विश्व जानता है कि सारे देश में, विशेषकर दिल्ली में एक संप्रदाय के लोगों का कत्लेआम हुआ। इस घटना के पीछे उस समय के प्रशासन और हुक्मरानों का हाथ प्रतीत होती है। श्रीमान जी, प्रश्न उठता है कि यह संप्रदाय कौन था। इसकी देश की आजादी में, राष्ट्र के इतिहास में क्या भूमिका थी? गुरु तेग बहादुर जी द्वारा दमन, अत्याचार और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए किए गए बलिदान की उपज यही संप्रदाय था। इन्हीं उसूलों की रक्षा के लिए गुरु गोविन्द सिंह जी ने पिता, पुत्रों का बलिदान किया और एक कौम का गठन किया जो भविष्य में भी इनकी रक्षा के लिए तैयार रहे। देश की आजादी में पोर्टब्लेयर की जेल का रिकार्ड गवाह है, सिखों का फांसी चढ़ने वालों में 80 प्रतिशत, जेल जाने में 93 प्रतिशत, जायदाद कुर्क कराने में 85 प्रतिशत हिस्सा रहा है। पंजाब के हित को ध्यान में रखकर अकाली दल ने पानी, चंडीगढ़, राज्यों को अधिकार और पंजाबी भाषी क्षेत्रों की मांग रखी। बस इसी दोष के लिए इतनी बड़ी सजा देने का राजनैतिक कुचक्र रचा गया। सिखों के मानबिंदु हरविन्दर साहब, पवित्र अकाल तख्त पर सेना भेजी गई। फलत: पंजाब में स्वाभाविक रोष और आक्रोश पैदा होना था और इसी का लाभ उठाकर सारे देश में सिखों का कत्लेआम हुआ। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि इस मानव विरोधी, शर्मनाक घटना पर सार्वजनिक रूप से अफसोस तक जाहिर नहीं किया गया।

आज मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगा कि इस अमानवीय घटना की सार्वजनिक रूप से निंदा करने के लिए एवं हताहत परिवारों के प्रति हमदर्दी जाहिर करने के लिए सदन में प्रस्ताव लाया जाए।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : सभापति जी, चन्दूमाजरा जी ने जो सुझाव दिया है, वह बहुत अच्छा है। हम सब इसका समर्थन करते हैं और हमें इस प्रकार का एक रेजोल्यूशन यहां से पास करना चाहिए।

[अनुवाद]

(दस) कन्याकुमारी के समुद्री तट को समुद्री कटाव से बचाने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : कन्याकुमारी जिले का अरब सागर-तट देश का एक प्रमुख मत्स्य उत्पादन केन्द्र है। वहां बड़ी संख्या में मछुआरे रहते हैं। वे पूरी तरह से मत्स्यन पर निर्भर हैं जो उनका परंपरागत तथा एकमात्र जीविका का साधन है।

हाल के वर्षों में समुद्री-तट के कटाव से भारी विनाश हो रहा है जिससे गरीब मछुआरों को क्षति हो रही है। यह देश में सबसे विनाशकारी समुद्री कटाव की संभावना वाला क्षेत्र है। इस वर्ष मानसून की शुरुआत के साथ वेगवती जलधाराओं, तूफानी हवाओं, भारी वर्षा तथा समुद्री-तट के कटाव से बड़ी संख्या में घर गिरने लगे। मानसून के आने वाले दिनों में स्थिति में और गिरावट आएगी। अतएव यदि कन्याकुमारी जिले के पश्चिमी अरब सागर-तट पर बड़े पत्थरों को पाटकर तटबंध तैयार करने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाया जाता है तो समुद्री कटाव से अनेक गांव तथा घर बह जाएंगे।

समुद्री कटाव के कारण मत्स्यन पोतों के रुकने के प्राकृतिक स्थान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसलिए उन्हें समुद्र में मत्स्यन पोत का प्रचालन करना कठिन हो गया है। अतएव मछुआरों, उनके गांवों, उनके घरों तथा उनके मत्स्यन सामग्रियों को समुद्री कटाव से बचाने के लिए समुद्री कटाव को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदमों के उठाए जाने की जरूरत है। अतएव मैं सरकार से अत्यावश्यक उपाय के रूप में प्रभावित समुद्र-तट के किनारे-किनारे बड़े पत्थर लगाकर तत्काल तटबंध बनाकर समुद्री कटाव को रोकने के लिए कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) दिल्ली-गुवाहटी राजधानी एक्सप्रेस को बिहार में किशनगंज पर रोके जाने की आवश्यकता

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज) : बिहार में किशनगंज एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और साथ ही सिविल जिला मुख्यालय भी है। इससे पश्चिम बंगाल का उत्तर दीनाजपुर जिला जुड़ा हुआ है। रेल संचार अत्यंत सीमित होने के कारण उत्तर दीनाजपुर और किशनगंज जिलों के यात्रियों की दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को किशनगंज रेलवे स्टेशन पर रोकने की जोरदार मांग है। मैं इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(बारह) असम में संथाल और बोडो जनजातियों के बीच जातीय हिंसा का स्थायी हल ढूंढने तथा संथालियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज) : महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान असम में संथालों और बोडों के बीच जातीय हिंसा के लिए स्थायी समाधान ढूंढ़ने की तत्काल आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जिन संथालों और अन्य जनजातियों को अंग्रेज एक शताब्दी पूर्व झारखंड से चायबागानों तक ले गए थे, उन्हें, जनजातियों को सामन्यतया दी गईं कई सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। उन्हें असम के अनुसूचित जनजाति सूची में तत्काल शामिल किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अन्य स्थानों पर इस सूची में शामिल हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा आदि से बड़ी संख्या में संथाल 5 जुलाई, 1998 को एक केन्द्रीय मंत्री की उपस्थिति में संथाली भाषा रैली में जमशेदपुर, बिहार में एकत्र हुए थे और उन्होंने असम में शोचनीय स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की और संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में तत्काल शामिल किए जाने की जोरदार मांग भी की।

अत: मैं केन्द्र और असम सरकार से तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का निवेदन करता हूं।

अपराह्न 3.20 बजे

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1998

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा यशवंत सिन्हा जी द्वारा 15 जुलाई, 1998 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार आरंभ करेगी कि वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए केन्द्र सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। इस चर्चा के लिए नौ घंटे का समय आवंटित है। उसमें से दो घंटे, इक्यावन मिनट पहले ही लिए जा चुके हैं और चार घंटे, नौ मिनट बचे हैं।

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा जी बोल रहे थे। वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि सैंटर-स्टेट रिलेशन रिव्यू करने के लिए लौंगोवाल-राजीव ऐकॉर्ड में सरकारिया कमीशन के तहत आनंदपुर साहब के रेजोलूशन में माना गया था कि स्टेट को ज्यादा पावर दी जाए। उसे लागू नहीं किया गया। फिर यूनाइटेड फ्रंट की सरकारें आईं, उन्होंने भी माना कि रिव्यू होना चाहिए और देश में संघीय ढांचा बनना चाहिए। वह भी लागू नहीं हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारी सरकार ने राष्ट्रीय एजेंडा में यह बात सबसे पहले लिखी है कि यदि देश के विधान को रीराइट भी करना पड़े तो सेंटर-स्टेट रिलेशंस रिव्यू होने चाहिए क्योंकि पिछले समय में जो फैसले होते रहे, वे पोलीटिकल फैसले होते रहे, स्टेट्स को उनकी जरूरत के आधार पर नहीं किया गया, राजनीतिक कम्पलशन के तहत दिया गया। नतीजा यह हुआ कि स्टेट्स अपनी योजनाएं नहीं बना सके। जैसे यदि एक परिवार के कमाऊ पुत्र को अच्छी खुराक न दी जाए तो वह परिवार खत्म हो जाता है। ऐसे ही जो स्टेट टैक्स कलैक्शन करती थी, उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जाता था और स्टेट को आगे बढ़ने का समय नहीं दिया जाता था। इसलिए देश खुशहाली की ओर नहीं बढ़ पाया, देश कमजोर होता गया। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि जिस रेशियो में टैक्स कलैक्शन होता है, उसमें से 50 प्रतिशत स्टेट्स को दिया जाए तो स्टेट्स आगे बढ़ सकती हैं। ऐसे ही उनको अपनी योजनाओं में स्वतंत्रता होनी चाहिए, वे रिजर्व बैंक से लोन ले सकें, बाहर के देशों से लोन ले सकें और अपनी जरूरत के अनुसार योजनाएं बना सकेंगे तो देश आगे बढ़ सकता है।

मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय एजेंडा में घोषणा की गई है कि राष्ट्रीय जल नीति बनाई जाएगी। इसकी भी बहुत जरूरत थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में माना था कि हमारा 75 प्रतिशत रेन वाटर मिसयूटीलाइज हो जाता है और वह डैमेज भी करता है। आज पंजाब, हरियाणा में जो बाढ़ आई हुई है उससे करोड़ों रुपये की फसलें तबाह हो गई हैं। यदि हिमाचल में कहीं डैम बनाए जाते तो उस पानी को रोका जा सकता था और वह सिंचाई के लिए काम आ सकता था। हमारे देश की 21 प्रतिशत कल्टीवेटेड लैंड ऐसी है जिसमें ऐक्सस वाटर है और 15 प्रतिशत कल्टीवेटेड लैंड ड्राउट में है, 62 प्रतिशत नार्मल है। इसलिए सूखे और बाढ़ से बचाने के लिए यदि राष्ट्रीय जल नीति में इस बात को प्रॉयरिटी दी जाए तो यह हो सकता है। मैं चाहूंगा कि देश को फ्लड प्रूफ बनाने के लिए राष्ट्रीय जल नीति के तहत ऐसे प्रोजैक्ट्स तैयार किए जाएं जिससे बाढ़ के पानी की तबाही से बचा जा सके। ऐसे ही पावर सैक्टर को संभालने की जरूरत है। हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो संसार में सबसे ज्यादा हैं, उसे चैक करने की जरूरत है। ऐसे ही पीक सीजन में कई प्रदेश ऐसे हैं जहां उनको साल में 3-4 महीने पावर की जरूरत होती है और आठ महीने कम जरूरत होती है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, जहां बिजली सरप्लस होती है तो सरप्लस स्टेट से डैफीसिट स्टेट में ट्रांसमीशन के कोई उपाय होने चाहिए। जैसे पंजाब में तीन-चार महीने के लिए बिजली की जरूरत होती है, आठ महीने बिजली फालतू होती है। जिस स्टेट में सरप्लस बिजली है, उससे डैफीसिट स्टेट के लिए ट्रांसमीशन का कोई उपाय करना चाहिए।

इसी तरह अनएम्पलायमेंट की प्राब्लम भी गंभीर है। हर मां-बाप को अपने पुत्रों की चिंता है कि उनको कैसे एम्पलायमेंट दी जाए। इसके

[प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा]

लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव यूनिट्स होनी चाहिए। जो मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं, उनको भी यह इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि उनके उद्योग कैपीटल इंटेंसिव न हों, लेबर इंटेंसिव हों। आज क्या हो रहा है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, उससे या तो गंदा धुआं मिलता है या गंदा पानी मिलता है या गंदी गैसें मिलती हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिलता है। बिजली, जमीन और सड़कें हमारी हैं, परन्तु हमारे युवक बेकार घूम रहे हैं। यह बड़ा सीरियस मैटर है, 360 लाख लोग तो रजिस्टर्ड हैं, जो अनएम्पलायड हैं और जो गांवों में अन-रजिस्टर्ड हैं, उनकी गिनती तो बहुत है। मुझे खुशी है कि इन्होंने रूरल एम्लायमेंट के लिए विशेष ध्यान दिया है, परन्तु और ध्यान देने की जरूरत है।

एक बात बहुत जरूरी है, मैं समझता हूं कि सरकार के खर्चे कम करने चाहिए। सरकार के खर्चे की पहले से आदतें पड़ी हुई हैं, 50 वर्षों से खर्चा बढ़ता जा रहा है, अब इसको चैक करने की जरूरत है। कितनी परेशानी की बात है, सोचने की बात है, 40 परसेंट लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। यहां 79 हजार करोड़ रुपया सरकार ने फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशंस से उधार लिया। अगर सरकार ने इतना पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से उधार ले लिया तो पहले तो रेट ऑफ इंटरैस्ट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फिर जो कृषि का क्षेत्र है, इंडस्ट्री है और प्राइवेट लोग हैं, वे कहां से लोन लेंगे। आज उनको लोन नहीं मिलता, इन्वैस्टमेंट नहीं होता और काम रुक जाता है। इसलिए सरकार को खर्चे कम करने चाहिए।

इसी तरह देश का बहुत सारा धन अनप्रोडक्टिव पड़ा है। 64 करोड़ रुपया तो लिटिगेशन में टैक्सेज का, इन्कम-टैक्स और कस्टम ड्यूटी का ही पड़ा है, इनकी उगाही नहीं हो रही है, इसको उगाहना चाहिए। 44 करोड़ रुपया नॉन परफोरमिंग असैट्स हैं, जो नेशनल बैंकों के पड़े हैं, अगर इस धनराशि को प्रोडक्टिव बनाया जाए तो देश आगे बढ़ सकता है और उससे एम्पलायमेंट भी मिल सकता है।

इसी तरह महंगाई को चैक करने की जरूरत है। सात परसेंट इन्फ्लेशन बढ़ गया, ढाई-तीन परसेंट तो पिछले दो-तीन महीनों में ही बढ़ गई। आलू 127 परसेंट बढ़ गया, प्याज बढ़ गई, टमाटर बढ़ गई, दालें 40-50 रुपये किलो हो गईं। सरकार कहती है कि यह सीजनल इन्क्रीज है। मैं नहीं समझता हूं कि यह सीजनल इन्क्रीज है। इसको चैक करने की जरूरत है। कहीं कोई कमी है, यह बात ध्यान मांगती है। माननीय मंत्री हेगड़े साहब ने कहा कि निर्यात कम हो रहा है, निर्यात इसलिए कम हो रहा है कि उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन इसलिए कम हो रहा है कि डिमांड कम हो रही है। मांग कम हो रही है, अगर मांग कम होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, यह बड़ी चिंता की बात है। कहीं-न-कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में कोई कमी है, सिस्टम में कोई कमी है, उसको चैक करने की जरूरत है, जिसमें हम सब कुछ कर सकें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि देश का जो बहुत सारा धन है, उसका मिसयूटीलाइजेशन हुआ, वह इसलिए भी हुआ क्योंकि देश में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं, उनको किसी ने सोल्व नहीं किया। पिछले 50 वर्षों से भाषा के आधार पर और कई बातें ऐसी होती रहीं, हम चंडीगढ़ मांगते थे। देश में जितने प्रदेश भी रीआर्गेनाइज हुए, जो पेरेंट स्टेट थी, उस हर प्रदेश को उसकी राजधानी दी गई। महाराष्ट्र को भी दी गई, गुजरात को भी दी गई, हर प्रदेश को दी गई, मगर पंजाब एक ऐसा प्रदेश है, जिसको राज-धानी नहीं दी गई। हमें मोर्चा लगाना पड़ा, वहां एकोर्ड हुआ, एकोर्ड में बाधा डाली गई, वह भी लागू हुआ। हम जो बातें कहते हैं, उसमें पानी की बात है, हम कहते थे कि रिबेरियन लॉ है, रूल है, कांस्टीट्यूशन है, ट्रेडीशन है, उसके तहत फैसले हो जाएं तो बड़ी आसानी से हो सकते हैं, परन्तु किसी ने ऐसा किया नहीं। इसी तरह जब स्टेट रीआर्गेनाइज हुए तो भाषा के आधार पर हुए, पंजाब पंजाबी भाषा के आधार पर बना, परंतु पंजाबी स्पीकिंग एरियाज बाहर रह गए, उसको किसी ने नहीं माना। मेरे कहने का मतलब है कि जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं, अगर वे रूल्स के अनुसार, कांस्टीट्यूशन के अनुसार, ट्रेडीशंस के अनुसार सोल्व किए जाते तो देश में बहुत सारे लफड़े खत्म हो सकते थे और जो धन बेकार गया, वह बच सकता था। आज उसको बचाने की जरूरत है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ आपने सर्विस टैक्स लगा दिया है, जैसे ट्रांसपोर्टर्स पर लगाया है, जो कि टैक्सी वाले हैं, ट्रक वाले हैं या गुड्स ट्रांसपोर्ट का धंधा करते हैं। इससे महंगाई और बढ़ेगी। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसे उन्होंने सर्विसेज टैक्स कई चीजों पर वापस ले लिया है, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट पर लगाया गया सर्विस टैक्स भी विदड्रा किया जाए। आपने अपने बजट में ब्रांडेड मिल्क प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाया था, लेकिन अभी उस संबंध में आपने एक अच्छा संकेत दिया है, अगर वह अमल में लाते हैं तो स्वागत योग्य बात होगी।

देश में 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। कृषि का सहायक धंधा या तो ट्रांसपोर्ट है या मिल्क प्रोडक्ट है। अगर इन पर टैक्स लगाते हैं तो इससे कृषि क्षेत्र भी प्रभावित होगा और हमारी इकोनोमी पर भी असर पड़ेगा। इसलिए मिल्क पर लगाया गया टैक्स वापस लिया जाए।

आपने आयकर की सीमा 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है, अगर उसको 60 हजार रुपये कर दें तो अधिक अच्छा होगा। क्योंकि हमारे जो कर्मचारी टैक्स देते हैं, वे ईमानदारी से देते हैं और लगातार देते हैं इसलिए उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, वैसे भी महंगाई काफी बढ़ गई है।

हमारे कई साथी जब इकट्ठा होते हैं तो बात करते हैं कि महंगाई काफी बढ़ गई है और आपने हर वर्ग के लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, उनको आप टी०ए० और डी०ए० आदि भी देते हैं, लेकिन हम सांसदों की तनख्वाह अभी तक वहीं 1500 रुपये महीना है। इसके बारे में भी कुछ सोचा जाना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में 1500 रुपये महीने से क्या होता है। अतः मेरा अनुरोध है कि इसमें वृद्धि की जानी चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री जी ने जो प्रपोजल रखे हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इन बजट प्रपोजल्स से देश तरक्की करेगा तथा आगे बढ़ेगा।

[अनुवाद]

श्री वी० वी० राघवन (त्रिचूर) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस वित्त विधेयक का विरोध करता हूं। हमारे देश में अधिकांश संपत्ति एकाधिकार वाले पूंजीपतियों, बड़े व्यावसायिक घरानों और जमींदारों द्वारा इकट्ठा की गई है। संपत्ति को इन्हीं लोगों ने एकत्र किया है। देश के अधिकतर लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ऐसी स्थिति में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा इस वित्त विधेयक में संसाधन जुटाने का जो प्रस्ताव है वह निश्चय ही हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। मैं यही कहना चाहता हूं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने निगमित क्षेत्र को नए कर या लेवी से पूरी तरह से छूट दे दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह निवेश में सहायक है। हमारे पिछले अनुभव भी हैं। निगमित क्षेत्र को जो रियायतें वे देते हैं उनका पूंजी के रूप में निवेश नहीं होता। उनका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है। यही है गत वर्षों का हमारा अनुभव। नए करों और लेवी का पूरा भार मध्यम वर्ग और आम जनता पर लाद दिया जाता है। वित्त मंत्री जी ने यह संकेत दिया है कि डिब्बा बंद मिठाई और नमकीनों को आठ प्रतिशत उत्पाद शुल्क की छूट दी जा सकती है।

दूसरी चीजों के बारे में क्या कहना है? सभी डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं और अगर हमने इन सब पर आठ प्रतिशत उत्पाद शुल्क जोड़ दिया तो आम जनता इन्हें कैसे खरीद सकेगी? बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद से चाय के दाम 15 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। यह वित्त विधेयक पारित होने से पूर्व ही हो चुका है। यह हमारे बाजार की स्थिति है। इसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है। वित्त विधेयक पारित नहीं किया गया है और बजट प्रस्तावों को प्रभावी नहीं किया गया है। लेकिन उन्होंने इन वस्तुओं की कीमतें पहले ही बढ़ा दी हैं। अतः मैं वित्त मंत्री जी से डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों पर लगाई गई इस आठ प्रतिशत उत्पाद शुल्क को हटाने का आग्रह करता हूं।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने कर के दायरे को बढ़ाने का प्रयत्न किया है। यह आवश्यक है और मैं इससे सहमत हूं। किन्तु कर की नई संभावनाएं ढूंढ़ने हेतु आम जनता पर कर लगाने के बजाय वे अपार धनवान लोगों की तरफ क्यों नहीं देखते?

उन्होंने प्रस्ताव किया है कि प्रत्येक टेलीफोन धारक को आयकर विवरणी भरनी चाहिए। टेलीफोन आजकल अमीरों के विलास की वस्तु नहीं रह गया है। छोटे व्यवसायियों को भी इस सुविधा की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि शहरों में जिनके पास टेलीफोन है उन्हें आयकर विवरणी भरनी चाहिए।

महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि हजारों लोगों के पास दो-दो कारें हैं। कुछ के पास तो छह-छह महंगी कारें हैं। आखिरकार वह वाहनों की संख्या कम क्यों नहीं करते हैं। यही उचित समय है जब हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। यदि वित्त मंत्री महोदय एक से अधिक गाड़ी रखने पर कर लगा देते हैं तो कोई शिकायत नहीं करेगा। यदि वह ऐसा कर देते हैं तो सड़कों पर भीड़ कम हो जाएगी और तेल की भी बचत होगी। उन्हें आम आदमी पर कर लगाने की बजाए आमीर लोगों पर कर लगाने के बारे में सोचना चाहिए।

महोदय, लघु उद्योग के लिए मात्र भाषण देने से कोई भला होने वला नहीं है। वित्त मंत्री बजट पेश करते समय लघु उद्योगों के लिए काफी जोरदार ढंग से भाषण दे चुके हैं। वित्त विधेयक में रबड़युक्त नारियल जटा की चटाई पर 8 प्रतिशत का उत्पाद शुष्क लगाया गया है। नारियल जटा की चटाइयां बनाने वाले उद्योग लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं और ये उद्योग केरल के अनेक भागों में फैले हुए हैं। यह न केवल केरल में फैले हुए हैं बल्कि पूरे देश में फैले हुए हैं। यदि वित्त मंत्री रबड़युक्त नारियल जटा की चटाइयों पर 8 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगा देते हैं तो ये उद्योग बंद हो जाएंगे क्योंकि वे काम ही नहीं कर पाएंगे। अब हम रबड़ के नए उपयोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नारियल के पेड़ से प्राप्त होने वाला प्रमुख उत्पाद नारियल जटा होती हैं और अनेक उद्योग इससे रबड़युक्त नारियल जटा उत्पाद तैयार करते हैं। अब यदि वित्त मंत्री जी ऐसे उत्पादों पर 8 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगा देते हैं तो केरल राज्य के ये लघु उद्योग चालू नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से तहेदिल से अनुरोध करता हूं कि वे रबड़युक्त नारीयल जटा की चटाइयों और ऐसे ही उत्पादों पर लगाए गए 8 प्रतिशत कर को वापिस ले लें।

महोदय, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा है कि करों और अन्य बैंक देनदारियों के मामले में भारी धनराशि का संग्रहण किया जाना है।

मुझे पता चला है कि बड़े घरानों पर बैंकों की 45,000 करोड़ रुपए की देनदारियां बकाया हैं। आप उस बकाया राशि को वसूलने के लिए क्या कर रहे हैं? निगमित घरानों पर इतनी भारी धनराशि बकाया है। जिन दिनों मैं लोक लेखा समिति का सदस्य था, तो मुझे उनकी संवीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। हम यह सब जानकर आश्चर्यचकित रह गए थे।

अब आपने एक नई योजना कर विवाद समाधान स्कीम की शुरुआत की है। यह योजना तो दोषी लोगों को बढ़ावा देने वाली है। पिछले वर्ष इस योजना का नाम बी०डी०आई०एस० था। अब इस योजना का नाम के०बी०एस०एस० है। आप तो दोषी व्यक्तियों को रियायतें प्रदान कर रहे हैं तो फिर ईमानदार आदमी कैसे कर का भुगतान करेगा? यदि आप ऐसी-ऐसी योजनाएं चलाकर दोषी लोगों को रियायतें प्रदान करते रहेंगे तो यह कर दाताओं के प्रति धोखा होगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कर की बकाया पड़ी इस भारी धनराशि और लंबे समय तक मुकदमे चलने का कारण आपके विभाग द्वारा सतर्कता का नहीं बरतना है। क्या आपके अधीन कार्यरत प्रर्वतन निदेशालय और विभिन्न विभाग सतर्क और चौकस थे, यदि वे चौकस होते तो इतनी बड़ी धनराशि बकाया नहीं होती और न ही मुकदमों

[श्री वी०वी० राघवन]

की कार्यवाही इतनी लंबी होती। इन योजनाओं के नाम पर तो आप दोषी लोगों को रियायतें प्रदान कर रहे हैं। दोषियों को रियायतें प्रदान करना सही कदम नहीं है।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि वे राज्यों की भागीदारी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन बजट को ध्यान से देखने पर मैंने यह पाया है कि वास्तव में इस भागीदारी को कम कर दिया गया है। पिछली बार यह सकल घरेलू उत्पाद का 5.6 प्रतिशत था और इस बार यह केवल पांच प्रतिशत है। इस वर्ष कर भागीदारी को 43,602 करोड़ रुपए से घटाकर 39,074 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस मामले में दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें ध्यान देने योग्य हैं। मुझे नहीं मालूम कि गणना कैसे की जाती है। परन्तु मेरा कहना यह है कि राज्यों की भागीदारी नहीं बढ़ाई गई है। बल्कि इसके विपरीत इसे और कम कर दिया गया है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी इस संबंध में कोई टिप्पणी करेंगे।

महोदय, आपको राज्यों को और धनराशि प्रदान करनी चाहिए। वे संकट के दौर से गुजर रहे हैं। वे अनेक योजनाओं और मांगों को रख रहे हैं परन्तु इस मामले में तो किसी भी प्रकार से आपको उनकी भागीदारी बढ़ानी ही पड़ेगी। वैसे मुझे यह मालूम नहीं है कि गणना कैसे की जानी है।

दसवें वित्त आयोग के मार्गनिर्देश हैं। फिर भी वर्ष 1997-98 में उन्होंने 43,000 रुपये कैसे प्राप्त किए और वर्ष 1998-99 में 39,000 रुपये कैसे प्राप्त करेंगे? मैं नहीं जानता कि यह अंतर क्यों आया। और अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी। बस यही मेरा अनुरोध है।

महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के नाम पर वास्तव में हम अपनी अर्थव्यवस्था की नींव को ही ध्वस्त कर रहे हैं।

मुझे आशा है कि आपकी विचारधारा इसमें नहीं है। यह सारा सिलसिला तब शुरू हुआ जब हमने विश्व अर्थव्यवस्था की अखंडता के लिए नव उपनिवेशी देशों का विश्वव्यापीकरण संबंधी नारा स्वीकार किया था जैसा कि इस संबंध में मेरे मित्र ने कल ही जिक्र किया था। यह नव उपनिवेशी देशों द्वारा बिछाया गया एक जाल था। वह जाल दिसंबर, 1994 में तब एक हो गया जब हम विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बन गए। जैसा कि मैं इसे विश्व व्यापार संगठन की दास बनाने वाली धाराएं कहता हूं, की बंदिशों के अधीन आपने हमारे बाजार पर कब्जा करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करके आयात को और भी अधिक उदार बना दिया है।

केरल, जिस राज्य से हम आए हैं, वह इन उदारवादी आयात नीतियों के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। हमारे किसान बड़ी मुसीबत में हैं। रबड़, नारियल और मसाले जैसी नकदी फसलों के उत्पादक भी शोचनीय स्थिति में हैं। अन्य देशों से भी पहले से इस्तेमाल किए हुए टायर इस बाजार में आते हैं। सिंथेटिक रबड़ बनाने के लिए पोलरीथेन रसायन भी बाहर से आ रहे हैं। इन सब चीजों ने बड़ी दुरुह स्थिति पैदा कर दी है। यही हाल समुद्री उत्पादों का भी है। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि इनसे भारत कैसे प्रभावित हो रहा है।

आयात के उदारीकरण करने के पश्चात् तथा प्रतिबंधों के बाद अपनी शर्तों पर विदेशी निवेश आमंत्रित करने की भीड़ लगी है। मुझे समझ में नहीं आता कि जो कुछ भी प्रयास आप कर रहे हैं उनके माध्यम से आप इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकोगे। मुझे ताज्जुब होता है कि क्या आपकी पार्टी के स्वदेशी आंदोलन का इन नीतियों के साथ टकराव नहीं हो रहा है। उन्हें 74 प्रतिशत पूंजी निवेश करने तथा भारतीयों को केवल 26 प्रतिशत पूंजी निवेश करने की इजाजत देने का मतलब यह हुआ कि पूरी व्यवस्था उनके हाथों में चली गई है। हम अपने खनिज पदार्थ भी विदेशियों को दे रहे हैं। ये सारा का सारा काम बड़ी तेजी से हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप इन चीजों के मामले में समान गति से आगे कैसे बढ़ सकते हैं।

महोदय, जब यह क्षेत्र अच्छी तरह से कार्य कर रहा है तो बीमा क्षेत्र शुरू करने की क्या आवश्यकता है। 1956 में 256 बीमा कंपनियां थीं और सभी प्राइवेट कंपनियों के घोटाले होते थे और पैसे की लूटखसोट होती थी। ये सभी बड़ी बुरी स्थिति में थी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहल की और बीमा क्षेत्र को राष्ट्रीयकृत कर दिया और जिससे हमको काफी लाभ हुआ। बीमा कंपनियां बीमा क्षेत्र और जल आपूर्ति योजनाओं इत्यादि को सहायता दे रही हैं। हम अपनी विकास संबंधी गतिविधियों पर बहुत सारी राशि खर्च कर रहे हैं। यह हमारे अधीन हैं। बीमा कंपनियां आम लोगों की सहायता कर रही है। आप कह रहे हैं कि भारतीय कंपनियों को इस क्षेत्र के लिए शुरू कर रहे हैं। कौन-सी भारतीय कंपनी बीमा कार्य करने में सक्षम है। वे सहयोग के लिए विदेशी कंपनियों की बाट जो रही हैं। विदेशी कंपनियां पिछले दरवाजे से भारत में आएंगी। इसकी क्या आवश्यकता है?

श्री मुरली देवरा (मुंबई दक्षिण) : क्या आप जानते हैं कि पुर्नबीमा का अभिप्राय क्या है? सभी बीमा कंपनियां विदेशी कंपनियों का पुर्नबीमा कर रही हैं।

श्री वी० वी० राघवन : श्री देवरा जी, मैं जानता हूं कि आपको अर्थशास्त्र में महारत हासिल है। अब मैं आप लोगों को अपने विचार से भी अवगत करा दूं, मैं आप लोगों की बात से सहमत नहीं हूं और मैं श्री चव्हाण जी की बात से भी सहमत नहीं हूं। इस बात को लेकर मेरी आपसे असहमति है। अतः इस समय बीमा क्षेत्र को शुरू करने का कार्य बिल्कुल अनावश्यक है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगी।

श्री मुरली देवरा : यह काम तो उन्होंने अभी तक नहीं किया है।

श्री वी० वी० राघवन : मुंबई का निवासी होने के कारण आप बीमा क्षेत्र को शुरू करने के संबंध में बड़ी रुचि ले रहे हैं।

लो बीमा निवेश के बारे में भी एक बात कह दूं। प्रेस में एक खबर छपी है और मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि सर्वाधिक सुप्रबंधित, सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का नाम विनिवेश

हेतु सूची में आ गया है। ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या कारण है? आप भारतीय रेल और प्राकृतिक गैस निगम का विनिवेश क्यों कर रहे हैं। आप 'फैकट' का भी विनिवेश क्यों कर रहे हैं जोकि केरल की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली इकाई है। लेकिन इसका नाम भी सूची में आ गया है। मुझे समझ में नहीं आत है कि निवेश नीति के संबंध में सरकार क्या विचार कर रही है और अनावश्यक रूप से आप फिर से बीमा क्षेत्र शुरू कर रहे हैं। आप सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली सरकारी क्षेत्र की कंपनी का भी विनिवेश कर रहे हैं। इस प्रकार के कदम से हमें मदद नहीं मिलेगी। इससे हमारी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी और मेरी माननीय वित्त मंत्री से अपील है कि आपने चुनाव के दौरान जो अभियान चलाया है आप उस अभियान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं?

भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जन-जागरण मंच ने लोगों को बता दिया है कि वे बहुराष्ट्रीय और साम्राज्यवादी शक्तियों और नव-उपनिवेशी देशों के खिलाफ हैं। अर्थव्यवस्था के लिए हमारा अलग रास्ता है। हम स्वदेशी हैं और आप अपने रास्ते से भटक गए हैं। कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। अतः इस पर आप विचार करें। यह अत्यंत आवश्यक है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। यह बातें हमें बरबाद कर देंगी। हम विश्व व्यापार संगठन की सभी धाराओं के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम सभी धाराओं को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। इस यूरोपीय संघ के अपने कानून हैं। यह संघ अपने हितों का अनुकरण करवा रहा है। यह संघ विश्व व्यापार संगठन के खंडों के अनुरूप नहीं चल रहा है तो फिर हम इसके सभी खंडों को लागू क्यों करें। हम इसके सभी खंडों को यथावत रखने के लिए बाध्य नहीं हैं। हमें अपने ढंग से कार्य करना है तो आपको चाहिए कि आप चुनाव के दौरान लोगों से किए गए वचन और वायदों से विमुख न हों। यह बात देश और पार्टी के लिए भी अच्छी नहीं है।

मैं एक बार पुनः माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि वे पैक हुए भोजन पर उत्पाद शुल्क हटा लें और वे नारियल की जटाओं से बनी रबड़ीकृत चटाइयों पर भी 8 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क हटा लें या लघु उद्योग के आम उत्पादों से भी इसे हटा लें। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी मुद्दों पर विचार करेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि वित्त मंत्री विपक्ष के लोगों से प्रस्ताव आने पर ही अपना सिर हिलाने लगे हैं। मेरी उनसे अपील है कि वे हमें इतना निराश न करें।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मेरा माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे मेरी भाषा पर ऐसी टिप्पणी न करें जैसी यहां की गई हैं।

श्री सुदीप बंधोपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री जी शाबाश, आज आप पुनः वहीं मुख्य बातें कह रहे हैं और उन्हीं बातों को लेकर आज आप समाचार मीडिया के अजीज हो गए हैं। जिन लोगों ने आपकी आलोचना की है उन लोगों ने भी आपके पक्ष में पत्र लिखे हैं क्योंकि वित्त विधेयक पुरःस्थापित करते समय आपने मुख्यतः आयातित क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया है। जो विधेयक आपने पुरःस्थापित किया है उसमें आपने स्पष्ट रूप से आसूचना प्रौद्योगिकी निर्यात पर शत-प्रतिशत आयकर में छूट देने का जिक्र किया है और इस वर्ष 2003 तक आसूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क कम करने के लिए साफ्टवेयर के आयात को करमुक्त किया जाए।

स्वभावतः आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी हैं। विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा करनी है। अभी तो केवल एक मंत्रालय की अनुदान मांगों पर ही चर्चा हुई है। सभा में कृषि मंत्रालय के संबंध में अनुदान मांगों पर केवल एक अथवा दो सदस्यों को बोलने दिया गया था और इस पर केवल एक घंटे ही चर्चा हुई है। इसलिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान बहुत सी बातों पर चर्चा नहीं की गई। मुझे एक अथवा दो मुद्दे जो याद हैं को उद्धृत कर सकता हूं। मैं ऐसा वित्त (संख्या 2) विधेयक पर चर्चा करने के बाद ही करूंगा।

हाल ही में दूरदर्शन चैनल पर टिप्पणी करते हुए माननीय मंत्री यह कह रहे थे कि उन्होंने सब्जियों पर कोई कर नहीं लगाया है और इसलिए वे मूल्यवृद्धि के लिए जिम्मेवार नहीं हैं, जिसके कारण आम जनता में भारी खलबली मची हुई है। मैं निश्चित रूप से उनकी बात से सहमत हूं। परन्तु, मैं उन्हें यह सुझाव दूंगा कि ऐसे समय में जब कृषि उत्पादों की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो हमें इन कृषि उत्पादों के निर्यात, जिनका अब हम निर्यात कर रहे हैं, पर रोक लगानी चाहिए। इस समय हम किन कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं? इस मसय हम दलहन, चावल, गेहूं अनाज, चीनी, तंबाकू, शीरा, कुक्कुट, डेयरी और बागवानी उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, चूंकि दूसरी सभा के सभापति ने मुझे बुलाया है, इसीलिए मैं इस सभा से जाने के लिए आपकी और इस सभा की अनुमति लेता हूं। मेरे मंत्रालय में राज्य मंत्री और अन्य केबिनेट मंत्री यहां उपस्थित हैं *(व्यवधान)*

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, प्रमुख विपक्षी दल की ओर से मैं बोलने जा रहा हूं इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री मेरी बातों को सुनें। मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने जा रहा हूं जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं जाकर पुनः लौट आऊंगा। आप मेरे आने तक प्रतीक्षा कीजिए। दूसरी सभा के सभापति ने मुझे बुलाया है अतः मुझे जाना है। मैं सभा की अनुमति चाहता हूं। मेरे मंत्रालय के राज्य मंत्री उपस्थित हैं *(व्यवधान)*

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : ठीक है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा क्योंकि मुझे महत्वपूर्ण वित्त विधेयक पर अत्यधिक महत्वपूर्ण सुझाव देना है *(व्यवधान)*

कार्मिक, लोकशिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन) : मैं आपके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को लिख लूंगा *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डॉ० रेड्डी वे शीघ्र लौट आएंगे। वैसे भी राज्य मंत्री तो यहां उपस्थित हैं ही।

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : मैं चाहता हूं कि मेरी बात दोनों मंत्री सुनें। यशवन्त सिन्हा जी आप कब तक लौटेंगे।

श्री यशवन्त सिन्हा : कृपया मेरे लौटने तक प्रतीक्षा कीजिए।

सभापति महोदय : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। वित्त मंत्री भी लौटकर आएंगे।

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : जैसाकि मैं कह चुका हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी बात दोनों मंत्री सुनें। मैं प्रमुख विपक्षी दल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। आज मैं प्रमुख विपक्षी दल का पहला वक्ता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी बात दोनों मंत्री सुनें। इसलिए मैं उनके आने तक प्रतीक्षा करूंगा।

श्री सुदीप बंधोपाध्याय : अपनी बात पर आते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि हम बागवानी उत्पादों, मूंगफली, फल और सब्जियों तथा प्रसंस्कृत सब्जियों का निर्यात करते आ रहे हैं।

यह अत्यधिक चौंकाने वाली बात है कि पिछले वर्ष देश के कुल निर्यात में कृषि संबंधी निर्यात 15 से 18 प्रतिशत रहा। उस समय भारत द्वारा 20,021 करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया जबकि भारत का कुल निर्यात 1,18,817/- करोड़ रुपये मूल्य का हुआ। अतः जब कीमतें बढ़ रही हैं तो हमें सभी एहतियाती कदम उठाने चाहिए और इस निर्यात को कम-से-कम एक या दो वर्षों के लिए रोकना सुनिश्चित करना चाहिए।

अगली बात यह है कि आवश्यक वस्तुओं और जीवन रक्षक औषधियों पर सभी तरह के बिक्री कर हटा लिए जाने चाहिए। इसका आर्थिक सर्वेक्षण के पैरा 5.5 में उल्लेख किया गया है। गरीब लोग जिन्हें जीवन रक्षक औषधियां खरीदने की पर्ची दी जाती है वे इसे खरीदने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं और हम ऐसी घटनाएं कई बार देख चुके हैं। इसलिए हम सरकार को एक सकारात्मक प्रस्ताव देते हैं कि सरकार इस समस्या पर गौर करे और जीवन रक्षक औषधियों को पूरी तरह से कर रहित किए जाने को सुनिश्चित करें। माननीय मंत्री इसके बारे में अपना उत्तर वित्त विधेयक पर वाद-विवाद का उत्तर देते समय आज ही दें।

अपराह्न 4.00 बजे

इस सरकार ने प्रति लीटर पेट्रोल के शुल्क दर में एक रुपये की वृद्धि करने की घोषणा की है। इसके बारे में कुछ भ्रांतियां थीं। वित्त विधेयक में भी इसका उल्लेख किया गया है। पूर्णतया कुप्रबंध और सही घोषणा न होने के कारण प्रति लीटर पेट्रोल पर चार रुपये का अधिक शुल्क लिया गया। मैं नहीं जानता कि इसके क्या कारण थे। अतिरिक्त रूप से लिया गया शुल्क भी लौटाया नहीं गया। पेट्रोल पंप से चार रुपया प्रति लीटर अधिक शुल्क देकर पेट्रोल खरीदने वालों को अतिरिक्त शुल्क लौटाने से इनकार कर दिया गया। इसके कारणों की हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। यह सब अवसंरचना के अभाव में हुआ।

आपने इस सभा में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि वित्त-विधेयक पर चर्चा के समय आप अवसंरचनात्मक क्षेत्र के बारे में बोलेंगे। कांग्रेस की ओर से श्री चौहान ने रेलवे की अवसंरचना के बारे में उल्लेख किया। परन्तु, मैं सरकार से विद्युत उत्पादन, कच्चा तेल, कोयला, शोधनशाला, इस्पात और सीमेंट जैसे अवसंरचनात्मक एककों के बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा क्योंकि केवल कर और शुल्क लगाकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। आप समुचित अवसंरचनात्मक प्रणाली विकसित कीजिए।

आपके बजट भाषण के पृष्ठ संख्या उन्नीस, पैरा 180 में डाक कर्मियों के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख किया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि वित्त विधेयक के पारित होने के बाद अधिसूचित होने की तिथि से संशोधित दरें लागू होंगी। इसमें निम्नलिखित बातें कहीं गई हैं जिनका मैं उद्धरण दे रहा हूं :

"डाक सेवाओं के लिए शुल्क में संशोधन अपरिहार्य हो चुका है। तथापि, आम आदमी और लोकतन्त्र में प्रिंटमीडिया की भूमिका के हित में पोस्टकार्ड और पंजीकृत समाचारपत्रों के शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तथापि, प्रतियोगिता पोस्टकार्ड की दर 2 रु. से संशोधित कर 3 रु., अन्तर्देशीय पत्र 1 रु. से बढ़ाकर 1.50 रु., प्रत्येक 20 ग्राम अथवा उसके भाग के लिए पत्र की दर 2 रु. से बढ़ाकर 3 रु. और प्रत्येक 500 ग्राम अथवा उसके भाग के लिए पार्सलों की दर 8 रु. से बढ़ाकर 10 रु. की जा रही है। कुछ अन्य परिवर्तन भी किए गए हैं जिन्हें बजट दस्तावेजों के साथ परिचालित ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है। ये परिवर्तन वित्त विधेयक के पारित होने के बाद अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे।-इन संशोधनों से एक पूरे वर्ष में लगभग 270 करोड़ रु. और 1998-99 में लगभग 180 करोड़ रु. का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।"

अपराह्न 4.04 बजे

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

इस समय देश में चल रही डाक हड़ताल की वजह से इस देश की आम जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर सदन में चर्चा की जा रही है। डाक कर्मचारियों की समस्याओं पर भी गौर करने के लिए बजट भाषण में विशेष रूप से एक और पैरा जोड़ा गया है। परन्तु, इस मुद्दे पर सभा में चर्चा किए जाने के बावजूद इस सभा के सदस्यों को इस आंदोलन के परिणाम अथवा सरकार की निर्णय के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई है। मंत्री महोदय, अपना उत्तर दे चुके हैं, परन्तु डाक हड़ताल से संबंधित समस्या जिसके कारण उनमें अत्यधिक खलबली मची हुई है, को सुलझाने के मामले में सरकार क्या रवैया अपनाएगी ताकि आम जनता को इस ज्वलंत समस्या से राहत मिल सके।

वित्त मंत्री हमारे ऊपर कर और शुल्क लगाए जा रहे हैं, परन्तु जापान, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, नोर्वे और नीदरलैंड जैसे अन्य देशों के साथ-साथ अमेरिका भी हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाता जा रहा है। हम यह आपसे स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि क्या आप इन प्रतिबंधों के कारण विभिन्न विभागों के बजटीय प्रावधानों का पूर्ण आवंटन करेंगे।

चालू स्वीकृत परियोजनाओं का क्या होगा? क्या इन प्रतिबंधों से हमारी आर्थिक संरचना अथवा सरकार द्वारा घोषित बजटीय प्रस्तावों पर किसी रूप में कोई प्रभाव पड़ेगा?

अब मैं आपके कुछ कर प्रस्तावों पर बोलना चाहूंगा। यह अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है। प्रतिष्ठित (ब्रांड वाले) मिठाइयों न नमकीनों पर आठ प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने के मुद्दे पर अभी भी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इसे अभी स्थगित रखा गया है। परन्तु मैं सरकार से मिठाइयों पर घोषित आठ प्रतिशत कर को वापिस लेने का अनुरोध करना चाहूंगा क्योंकि बंगाली लोग मिष्ठान्न प्रेमी हैं और उन लोगों ने मुझसे इस कर को वापिस कराने को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

चिकित्सा उपस्करों और उपकरणों, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के मामले में कर पांच प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दिया गया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे विचार से आज के युग में प्रदूषण नियंत्रण की सर्वाधिक आवश्यकता है। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों पर किसी तरह का कर लगाने से हमारे देश को प्रदूषण मुक्त करने के बारे में हमारी सरकार की सही मंशा जाहिर नहीं बनेगी।

उसी प्रकार चिकित्सा संबंधी उपकरण और उपस्करों पर से लगाए गए कर वापस ले लेने चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने केन्द्र और राज्य स्तर दोनों पर सरकारी क्षेत्र के एककों के बारे विशेष रूप से उल्लेख किया है। मैं आई०आई०एस०सी०ओ०, एम०ए०एम०सी०, एम०पी०सी०, मेटल बॉक्स और साइकिल निगम सहित कुछ सरकारी क्षेत्र के एककों के आधुनिकीकरण के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। ये सभी एकक बी०आई०एफ०आर० के समक्ष लंबित है। मैं सरकार से इन पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। आपका विचार कुछ ऐसे सरकारी क्षेत्र के एककों को विदेशी निवेशकों के हाथ में सौंपने का है। ऐसा ही एकक बालको है, जो भारत एल्यूमीनियम कंपनी है। महोदय, हमारा सुझाव है कि इन सरकारी क्षेत्र के एककों में विनिवेश की घोषणा किए बिना क्या आप उन भारतीय उद्योगपतियों को करों में राहत नहीं दे सकते, जो उन्हें अपने हाथ में ले सकते हैं अथवा उन्हें कोई प्रस्ताव दे सकते हैं जिससे उन्हें चलाया जा सके या किसी एक औद्योगिक घराने का अधिग्रहण कर लें? यदि आप किसी बेहतर पैकेज की घोषणा करते हैं अथवा प्रत्येक औद्योगिक घराने को कुछ राहत पहुंचाने का प्रस्ताव करते हैं अथवा ऐसे किसी सरकारी क्षेत्र के एककों का अधिग्रहण करके चलाते हैं तो मुझे आशा है कि वे अवश्य ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए, इस संबंध में मेरा सुझाव है कि सरकार की ओर से गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए।

कर विवाद समाधान योजना जिसका वित्त विधेयक के पैरा 89 से 101 में उल्लेख किया गया है। सरकार की एक नई योजना है। यह देखना है कि क्या कर विवाद समाधान की यह प्रकिया पारदर्शी है। यह किसी भी खतरे से परे होनी चाहिए। कर प्रस्तावों में पारदर्शिता के अभाव में कोई भी सरकार अपने संसाधन नहीं जुटा सकती है। मैं सरकार को कर राहत देने और उन्हें प्रोत्साहन देने का भी सुझाव देना चाहता हूं जो नौवीं योजना में संपूर्ण देश के लिए पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

सरकार को वह सभी कदम उठाने चाहिए क्योंकि मूल्यवृद्धि के मुख्य कारणों में से एक देश में पर्याप्त संख्या में प्रशीतन गृहों का न होना है। इसलिए, नौवीं योजना में प्रशीतन भंडारण गृह स्थापित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए अन्यथा किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, वे राष्ट्र के कल्याण में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन अंततः प्रशीतन सुविधा के अभाव में उन्हें कोई लाभान्वित नहीं किया जा रहा है। इसीलिए इस समय इसकी बहुत जरूरत है। देश में बड़ी संख्या में प्रशीतन गृहों के निर्माण के लिए एक व्यापक योजना की जरूरत है जिससे मूल्यवृद्धि को भी रोका जा सके।

एक बार श्री मुरली देवरा ने अनेक सुझाव दिए थे और अनेक विचार प्रस्तुत किए थे। उनमें से एक फसल बीमा योजना है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 1998-99 में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जब जी०आई०सी० को गांवों में कार्य करने का अनुभव ही नहीं है तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक नए निगम का गठन क्यों नहीं किया जाता है? यह कृषि विभाग, ग्रामीण विकास और नाबार्ड के साथ मिलकर कार्य कर सकता है। सरकार को इस मामले में सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि नीतियां और प्रस्ताव जिनकी वित्त मंत्री ने घोषणा की थी, के बारे में सरकार कुछ सकारात्मक निर्णय लेने की घोषणा करेगी।

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : वित्त मंत्री इस समय यहां मौजूद नहीं हैं।

सभापति महोदय : राज्य मंत्री आपकी बात नोट कर रहे हैं। कोई समस्या नहीं है।

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : सभापति महोदय, दोनों मंत्रियों की मौजूदगी में अपनी बात कहने में मुझे खुशी होती। यह बड़ी निराशाजनक बात है कि जब मुख्य विपक्षी कांग्रेस दल के प्रतिनिधि आज पहली बार सदन में बोल रहे हैं तो माननीय वित्त मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं। हमें इस बात का बड़ा दुख है। वास्तव में, श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन यहां हैं, लेकिन यदि दोनों मंत्री यहां उपस्थित होते तो मुझे खुशी होती।

सभापति महोदय : मंत्री यहां हैं। एक केबिनेट मंत्री और दूसरे राज्य मंत्री यहां हैं। इसलिए, आप अपनी बात जारी रखें।

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : मैं अपने एक महान कवि की पंक्ति से अपनी बात शुरू करता हूं :

[हिन्दी]

"लोकोनारायण: संघटन: निरुपमा: सन्निवेश: न द्वितीय।"

[अनुवाद]

भारत की जनता इस देश से गरीबी को दूर करना और रोजगार के अवसर बढ़ाकर सुनहरे भविष्य की कामना करती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में प्रत्येक युवा को जो शिक्षित है, को रोजगार

[डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी]

मिलना चाहिए। गरीब जनता जो ग्रामीण क्षेत्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में रह रही है को कम-से-कम जीवनयापन के लिए काम मिलना चाहिए। यह लाख टके की बात है। यही सबका सपना है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है।

हमारे वित्त मंत्री वित्त विधेयक के बारे में काफी उत्साहित हैं। उनका नजरिया बहुत ही आशावादी है कि इससे वह काफी राजस्व की वसूली कर लेंगे। 5 से 6 प्रतिशत राजकोषीय घाटा जो 6.2 प्रतिशत तक भी बढ़ सकता है, के बावजूद –2 प्रतिशत कृषि विकास, औद्योगिक विकास कम हुआ है, मुद्रास्फीति बढ़ी है; इन सब चीजों के होने के बावजूद, उन्हें आशा है कि उन्हें औद्योगिक विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाने और गरीबी हटाने के संबंध में बहुत अच्छे परिणाम मिलने की आशा है। उनके अनेक सपने हैं। किसी भी प्रकार से हमें उनके आशावादी विचारों का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने अनेक योजनाओं को बढ़ावा दिया है। वास्तव में यह अल्पकाल के लिए और शायद अस्थायी रूप से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया है।

अब मेरा प्रश्न यह है कि हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? हम गरीब लोगों को घर कैसे उपलब्ध कराएंगे। जैसाकि श्री रामजेठमलानी जी का गरीब लोगों को घर उपलब्ध कराने का सपना है भाजपा का गरीबी हटाने और 'राम राज्य' बनाने का सपना है। उत्तर यह है कि आपको हर तरफ अच्छा माहौल पैदा करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि यदि हम औद्योगिक क्षेत्र की मदद करते हैं तो इस बात पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि हम धनी उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हम केवल औद्योगिक क्षेत्र का विकास करके ही हम भारत को विश्व के बड़े देशों की तरह बना सकते हैं। यदि हम औद्योगिक क्षेत्र की मदद करना चाहते हैं तो हमें भ्रांतियों को दूर करना चाहिए कि हम बड़े उद्योगों की मदद कर रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका ने परमाणु अप्रसार अधिनियम की धारा 105(ख) के अंतर्गत उन सभी सुविधाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है जो हमें दी जा रही थी। उन्होंने विकासपरक सहायता पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उन्होंने अपने आयात-निर्यात बैंक को किसी भी प्रकार की सहायता जारी करने से मना कर दिया है। उन्होंने अपने वाणिज्यिक बैंकों को खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों के अलावा सभी प्रकार के ऋणों को बढ़ाने और ऋण सुविधाओं पर रोक लगाने के लिए कह दिया है। वह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा हमें दी जा रही ऋण सुविधाओं पर रोक लगाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। एक तरफ जहां अमरीका यह कार्रवाई कर रहा है वही जापान, जर्मनी, कनाडा और अन्य देशों ने हमें दी जाने वाली सभी सहायता को रोक देने का निर्णय लिया है।

माननीय वित्त मंत्री महोदय, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार शायद यह सोचती है कि इन प्रतिबंधों का हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में, वे गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। सहायता दो प्रकार की होती है, एक तो अल्पावधि की सहायता और दूसरी दीर्घकालिक सहायता। कोई भी सहायता, ऋण अथवा मदद जिसके लिए अमरीका और अन्य देश पहले ही सहमति दे चुके थे, उसे नहीं रोका जा रहा है। लेकिन वे भविष्य में कोई सहायता नहीं देंगे।

अतएव बजट में वर्तमान व्यवस्था यह है कि वित्तीय स्थिति और देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। वे इस दर्शन को लेकर खुश हैं कि कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया हो रही है। यह सिर्फ बजट और वित्त विधेयक का ही प्रश्न नहीं है। इससे अत्यधिक आर्थिक भार पड़ेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय वित्तीय स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अतएव हमें इस बात को यहां ध्यान में रखना होगा। मैं सिर्फ आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं भर्त्सना करने के लिए आलोचना करने में विश्वास नहीं करता। आलोचना भी रचनात्मक, व्यावहारिक और सकारात्मक होनी चाहिए। हमें ऐसे सुझाव देने चाहिए जो इस देश और राष्ट्र-निर्माण के हित में हो और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

एक ओर जहां हमें प्रतिबंधों से परेशानियां हो रही हैं वहीं दूसरी ओर पूर्वी-एशियाई देशों में वित्तीय और आर्थिक संकट का दौर चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप सहायता प्रभावित हुई है। इस स्तर पर हम अवसंरचना विद्युत परियोजनाएं, सड़कें, पत्तन और औद्योगिक एककों का निर्माण कैसे करेंगे? उनकी सहायता के बिना यह संभव नहीं है। अतएव मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा और उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वे इनकी सहायता के बिना गुजारा करने को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करें।

दिल्ली में बड़े पैमाने पर लालफीताशाही व्याप्त है और कोई कार्य नहीं हो रहा है। उदाहरणार्थ, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हम विशाखापट्टनम में परियोजनाएं शुरू करने का विचार बना रहे हैं जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, राजस्व में वृद्धि होगी और सकल घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोत्तरी होगी। यदि किसी परियोजना के संबंध में वित्त मंत्रालय कुछ कहता है तो अन्य मंत्रालय कुछ और ही टिप्पणी करते हैं। विभिन्न मंत्रालय के बीच कोई समन्वयन नहीं है। आपसी तालमेल का पूर्णतया अभाव है। मैं कई बार सुझाव दे चुका हूं कि कम-से-कम यदि यह सरकार इस चुनौती का सामना करना चाहती है तो उसे एक समन्वयन समिति गठित करनी चाहिए और उस समिति के परिणाम निकलने चाहिए। इस मामले में सिर्फ वार्ता और वक्तव्य का ही क्रम जारी न रखा जाए अपितु रचनात्मक पद्धतियों के कार्यान्वयन से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जाने चाहिए।

आज पूंजी बाजार में गिरावट आई है और कोई भी संस्था उद्योगों को ऋण नहीं दे रही है। मैं यह पूछना चाहूंगा : कि गत दो अथवा तीन वर्षों में देश में कौन-सा नया उद्योग लगा है? आप ही बताइए कि कितने उद्योग लगे हैं? वे दस प्रतिशत औद्योगिक वृद्धि दर की कल्पना कर रहे हैं। इस दर पर तो वृद्धि दर तीन प्रतिशत भी नहीं हो पाएगा।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम विदेशी मुद्रा के प्रवाह को नियमित करने के लिए बनाया गया था।

उन्होंने पुन: 1973 में तत्कालीन लोक लेखा समिति के 56वें प्रतिवेदन और विधि आयोग की 47वीं रिपोर्ट के आधार पर इसको पूर्णत: संशोधित कर दिया था। 1947 में इसमें 21 धाराएं थीं। 1973 में उन्होंने इसमें 86 धाराएं पुर:स्थापित की थीं और फिर 1993 में इसे पुन: संशोधित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने व्यापक शक्तियां प्रदत्त कर दी हैं। इसके परिणामस्वरूप कनिष्ठ अधिकारी देश के सबसे बड़े व्यक्ति की भांति रोब दिखा सकते हैं और दहशत पैदा कर सकते हैं। मुझे यह जानकर बहुत धक्का पहुंचा। उन्होंने 16,000 मामले दायर किए हैं परन्तु केवल 72 मामलों में ही लोगों को दोषी ठहराया गया है। महोदय, क्या किसी कार्य को करने की प्रकिया ऐसे ही होती है? यदि कोई दोषी है तो उसे छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। दोषी चाहे जो भी हो उसे दंडित किया जाना चाहिए। हमारे लोगों का दर्शन दोषी व्यक्तियों को दंडित करने का है। परन्तु, इसका मतलब यह नहीं कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दें और विश्व को यह आभास करा दें कि भारत की जनता लोकतंत्रीकरण की पक्षधर है। समाचार पत्रों में यह समाचार हमेशा प्रकाशित होता है कि अमुक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अमुक व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन चलाया गया है। परन्तु होता कुछ नहीं है। आई०टी०सी० के मामले में पूरे उद्योग को यह जानकर धक्का लगा कि न्यूयार्क के न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया था कि आई०टी०सी० दोषी नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इस प्रश्न का उत्तर 'फेरा' है। यदि ऐसी स्थिति रहेगी तो आप भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग से विकास की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं?

मैं आपको उदाहरण दूंगा। 1973 में प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार थे :

(1) बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन की बचत करना।

(2) विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से बाहर ले जाना।

(3) हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाह्य निर्भरता को कम करना।

वर्ष 1973 में उन्होंने कहा कि तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार शीघ्र ही नए लक्ष्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। आज तक की स्थिति के अनुसार हमारी स्थिति क्या है? उनके लक्ष्य इस प्रकार हैं :

(1) विदेशी निवेशकों को यह स्पष्ट संकेत देना कि 'फेरा' नीति निवेशक का स्वागत करने और इसके कार्यों को सुचारु और निर्बाध गति देने के लिए बनायी गयी है।

(2) अर्थव्यवस्था का सक्रिय विकास सुनिश्चित करना।

(3) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रतियोगितात्मकता को आमंत्रित करना।

(4) उन्नत देशों से आगे निकलने हेतु सीमांत प्रौद्योगिकियों को उन्नत बनाना और विद्यमान उद्योगों में प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना।

(5) वित्त, उद्योग, प्रौद्योगिकी, बाजार और प्रबंधन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नेटवर्क के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को समन्वित करना।

आज की स्थिति के अनुसार हम अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की कल्पना कर रहे हैं। हम दुनिया को इस बात के लिए प्रेरित करने का स्वप्न देख रहे हैं कि वे हमारे देश में आएं तथा हमारे उद्योगों का निर्माण करें ताकि हमारे यहां बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके। जब आपके बच्चे डिग्रीधारी हो जाएंगे तो उनके लिए रोजगार कहां है? लोगों में निराशा की भावना व्याप्त है। इसके परिणामस्वरूप हिंसा फैल रही है। चूंकि इन युवाओं को समृद्धि की दिशा में कोई लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए वे गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। इस गलतफहमी को भुलाना ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। हमें इसे मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमें इस दुनिया को छोड़ने से पहले इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हमने अपने देश, समाज और व्यवसाय के मामले में क्या कार्यवाही की है। हमें इन मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और न ही इस मामले में आडंबर करने की आवश्यकता है। साथ ही हमें लोगों को परेशान और तंग न करते हुए इस महान राष्ट्र के निर्माण में जुट जाना चाहिए।

सभापति महोदय : डॉ० रेड्डी कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

डॉ० टी० सुब्बरामी रेड्डी : यदि आप चाहते हैं तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं वित्त विधेयक पर बोल रहा हूं। यदि मेरी बातों में से कोई भी बात व्यर्थ है तथा वह अर्थव्यवस्था और वित्त के मामले में उपयोगी नहीं है तो मैं बैठ जाऊंगा। यदि ये बातें उपयोगी हैं तो मुझे बोलने दीजिए। मैं व्याख्यान अथवा भाषण नहीं दूंगा केवल उचित बातें रखूंगा।

सभापति महोदय : आप बहुत अच्छा भाषण और अच्छे सुझाव दे रहे हैं।

डॉ० टी० सुब्बरामी रेड्डी : सरकार ने अस्पष्ट और अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि वह 'फेरा' के स्थान पर 'फेमा' लाने जा रही है। वह इसे कब अंजाम दे रही है और इनके लिए क्या कर रही है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जवाब देते समय यह वायदा करें कि वे कब अंजाम देंगे। वे एक नया वातावरण कब बनाने वाले हैं? वे अंतर्राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण की बात कर रहे हैं और दुनिया भर के लोगों को हमारे महान देश में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं जिसका हजार वर्षों तक वर्चस्व रहा है। परन्तु यह क्या हो रहा है?

वित्त मंत्री जी को यह उत्तर भी देना चाहिए कि वे मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करने वाले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने समाधान जैसी अन्य कई योजनाएं शुरू की हैं। मैं इसकी सराहना करता हूं। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि समाधान योजना के अंतर्गत पांच लाख मामले लंबित हैं और आयकर में 40,000 करोड़ रुपये वादाधीन हैं।

जहां तक सीमाशुल्क और उत्पादनशुल्क का संबंध है, डेढ़ लाख मामले और 12,000 करोड़ रुपये की राशि लंबित हैं। यह स्वागतपूर्ण है। इस अधिनियम में एक गलती है 'समाधान'। यदि हम 'समाधान' कहते हैं तो इसे कोई गंभीरता से नहीं लेगा। उन्हें यह कहना चाहिए कि अमुक तिथि से 'समाधान' लागू होगा। इसके बाद कोई 'समाधान'

[डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी]

नहीं होगा। जब तक कोई विशिष्ट तिथि अथवा कोई बाध्यता नहीं होगी तब तक व्यक्ति इसे हल्के-फुल्के ढंग से लेगा। क्योंकि यदि मंदिर बगल में हो तो कोई वहां दर्शन करने नहीं जाता है।

[हिन्दी]

देखेंगे बाद में, जल्दी क्या है, वैसे भी समाधान जल्दी नहीं आता।

[अनुवाद]

आपको अपेक्षित राशि भी कभी नहीं मिलती।

सभापति महोदय : कई वक्ता हैं। हमें इस वाद-विवाद को आज पूरा करना है।

(व्यवधान)

डॉ० डी० सुब्बारामी रेड्डी : हम यह चाहते हैं कि हमारे स्वदेशी उद्योग सुरक्षित रहें। चीनी को ही लीजिए। चीनी एक बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है। लाखों-करोड़ों श्रमिक चीनी उद्योग पर आश्रित हैं। चीनी के आयात को बढ़ावा देने का क्या औचित्य है? हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप चीनी पर पांच प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क की वसूली कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह केवल 12 प्रतिशत है। हमारे देश में चीनी के उत्पादन पर 20 प्रतिशत कर लगाया जाता है। श्री जनार्दन, कृपया इस बात को नोट करें। इसका अर्थ यह है कि भारत में उत्पादित होने वाली चीनी पर 20 प्रतिशत कर लगाया जाता है और विदेशों से आयात की जाने वाली चीनी पर 12 प्रतिशत की दर से सीमा-शुल्क वसूल किया जाता है। इसका क्या औचित्य है? यदि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर एक नजर डालें तो आप यह देखेंगे कि पाकिस्तान और बंगलादेश भी 40 से 50 प्रतिशत की दर से सीमा-शुल्क वसूल कर रहे हैं। जबकि हम केवल 12 प्रतिशत की दर से सीमा-शुल्क वसूल कर रहे हैं। अत: सीमा-शुल्क को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि इससे भारतीय उद्योग को कोई नुकसान न पहुंचे।

हमें यह जानकर बहुत धक्का लगा है कि आज हमारे पास इस वर्ष चीनी की खुली बिक्री करने के लिए 10 मिलियन टन स्टॉक उपलब्ध है और इस वर्ष 12.6 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया जा रहा है। बाजार में हमेशा चीनी का इतना भंडार उपलब्ध रहता है। हम दो लाख टन चीनी का आयात कर रहे हैं। हमने पहले ही एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिकांशत: चीनी का आयात पाकिस्तान से किया जाता है। हम उसे कैसे उचित ठहरा सकते हैं? एक ओर आप विदेशी मुद्रा गंवा रहे हैं तो दूसरी ओर आपके राजस्व को घाटा हो रहा है और भारतीय चीनी उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है। भारतीय चीनी मिल संघ यह दावा कर रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुट्ठी भर लोगों की सहायता करने के लिए आयात को बढ़ावा दिया जा रहा है। अत: मैं चाहता हूं कि आप इस विषय की ओर ध्यान दें और कुछ त्याग करें।

पूंजी बाजार का उत्थान करने के लिए हमें कुछ विशेष प्रयास करना होगा। वर्ष 1990-91 में, लौह और इस्पात उद्योग पूर्णत: नियंत्रित था। इस उद्योग में कई लघु ब्लास्ट फरनेस संयंत्र लगाए गए जिन पर 3,000 करोड़ रुपए व्यय हुए। अब उन सभी संयंत्रों की हालत गलत आयात नीति और एंटी-डंपिंग नीति के कारण बहुत खस्ता है। जब आप कोक का आयात कर रहे हैं तो आप अनावश्यक रूप से एंटी-डंपिंग प्रभार लगा रहे हैं। इससे इस उद्योग को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस उद्योग पर एक लाख श्रमिक आश्रित हैं। कृपया इस संबंध में भी मदद करें।

श्री अनंत कुमार अभी गए हैं। संपूर्ण वित्त विधेयक में देश के विमानपत्तनों के विकास के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। विमानपत्तन कोई विलासिता नहीं है। आधुनिक समाज में, देश के निर्माण में विमानपत्तन एक आवश्यकता बन गया है। लेकिन इनके लिए कोई धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है। आप व्यापार संतुलन चाहते हैं। व्यापार संतुलन केवल अनुदान के रूप में मिलेगा और इस देश में इससे कुछ भी नहीं होगा। अत: वित्त मंत्री को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चार महत्वपूर्ण शहरों नामत: मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कलकत्ता के अलावा कुछ दूसरे छोटे शहरों जैसे कि विशाखापत्तनम, कोचीन अथवा कोयम्बटूर और सभी मध्यम दर्जे के शहरों को महत्व दिया जाए। इन शहरों में स्थित विमानपत्तनों को आधुनिक बनाया जाए। इसके लिए, या तो आप धन दें अथवा धन उधार लें और किसी के माध्यम से धन निवेश कराएं।

अंत में आपको वित्तीय प्रतिबंधों को भी ध्यान में रखना होगा। विदेशी विनिमय अधिनियम के बारे में, आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि विश्व में किसी भी देश में चाहे वह बंगलादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान हो, ऐसा अधिनियम नहीं है। हमारे देश में यह अधिनियम क्यों है? इस अधिनियम को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। देश में चीनी, कोकिंग कोल का भंडार, पूंजी बाजार का पुनरुत्थान और पेयजल के लिए सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। आप उनके बारे में मौन हैं। आपको पेयजल के लिए और अधिक धनराशि मुहैया करानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों को मकान उपलब्ध कराए जा सकें। श्री जेठमलानी जिसकी कल्पना कर रहे हैं आपको उन्हें इस कार्य के लिए धनराशि मुहैया करानी चाहिए।

सभापति महोदय : नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वित्त विधेयक पर चर्चा आज ही पूरी की जाएगी चाहे इसके लिए सभा की कार्यवाई को रात के आठ अथवा नौ बजे के बाद भी चलाना पड़े। जो सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं उन्हें आज ही बोलने का अवसर दिया जाएगा और वित्त मंत्री कल वाद-विवाद का उत्तर देंगे। अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें।

राव इन्द्रजीत सिंह (महेन्द्रगढ़) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : किस नियम के अंतर्गत आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

राव इन्द्रजीत सिंह : सभा की कार्यवाही के बारे में किसी भी समय व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। जब तक आप मुझे मौका नहीं देंगे, मैं यह कह नहीं सकता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने से पहले आप उसे कैसे निरस्त कर सकते हैं?

सभापति महोदय : आपको किसी नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना होगा।

राव इन्द्रजीत सिंह : महोदय, मैं यह प्रश्न नियम 376 के अधीन उठा रहा हूं जिसके अंतर्गत व्यवस्था के प्रश्न को किसी भी समय उठाया जा सकता है जब तक वह सभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नियम के अनुसार यह व्यवस्था है कि व्यवस्था का प्रश्न तत्काल सभा के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकता है।

राव इन्द्रजीत सिंह : सभा के समक्ष यह कार्य है कि सभापति इसे स्थगित करना चाहते हैं। मुझे इस पर आपत्ति है और मैं इस संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : सभा की कौन-सी कार्यवाही स्थगित हुई है?

राव इन्द्रजीत सिंह : आप सभा की कार्रवाई को सायं 6 बजे के बाद भी जारी रखना चाहते हैं।

सभापति महोदय : यह निर्णय नेताओं की बैठक में लिया गया है।

राव इन्द्रजीत सिंह : सभा सर्वोच्च है। सभा ने इस बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। यह नेताओं की बैठक का निर्णय है। यह सभा की प्रथा है। व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

(व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह : आपको सभा की अनुमति लेनी होगी *(व्यवधान)* हम सायं 6 बजे के बाद बैठना नहीं चाहते हैं।

श्री खारबेल स्वाइन (बालासोर) : वे सभा का समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? अनावश्यक वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। उपयुक्त समय पर सभा की राय जान ली जाएगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सायं 6 बजे सभा की राय जान ली जाएगी। सदस्यों की जानकारी के लिए, मैंने नेताओं की बैठक में लिया गया निर्णय बताया है और मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें।

राव इन्द्रजीत सिंह : सभापति महोदय, मैं इस मामले पर आपका मत जानना चाहता हूं कि क्या सभा सर्वोच्च है अथवा नहीं, क्या आप जिस कार्यकारी समिति की बैठक का जिक्र कर रहे हैं वह सभा के निर्णय से ऊपर है?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सभा सर्वोच्च है अथवा नहीं।

सभापति महोदय : मैंने सदस्यों को निर्णय से अवगत कराया है और सभा की राय उपयुक्त समय पर ले ली जाएगी। आप इस बारे में चिंतित क्यों हैं?

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानंद स्वामी (मछलीशहर) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया।

हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठित इस सरकार का पहला बजट है और अपने आपमें कई मौलिक बातों को लेकर सामने आया है। स्वाभाविक था, इस क्षण में जो बजट आएगा, उसमें कुछ मौलिक बातें होंगी और वे मौलिक बातें हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आधारभूत सहयोग देने के लिए होंगी और आधारभूत साधन उपलब्ध कराने के लिए होंगी। पिछले पचास वर्षों से जिस अर्थव्यवस्था से हम जूझते रहे थे, उससे हमारे देश की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं। हमारे देश का वह आदमी जो गांव में रहता है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। वह आदमी जो गांव में रहता है, उसके पास पीने का पानी नहीं था, चलने के लिए सड़कें नहीं थीं, जीवित रहने के लिए दवाएं नहीं थीं और पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे। अगर ये सब होते, तो शिक्षा का प्रतिशत जो इतना गिरा हुआ है, वह इतना गिरा हुआ न होता। मरने वालों की इतनी तादाद न होती, देश प्रगति के रास्ते पर बढ़ता। विपुल संसाधन, तमाम कच्चा माल, श्रम संपदा होते हुए भी हमें आर्थिक दृष्टि से जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था उस गति से नहीं बढ़ पाए। उसके पीछे कारण केवल आर्थिक नीतियों का गलत होना था। यहां आर्थिक नीतियां कभी ऐसी नहीं बन पाई, जो हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ऐसा आधार प्रस्तुत कर पाती, जिनके द्वारा हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब जून के महीने में बजट प्रस्तुत किया गया था उस समय लोगों को यह अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार का बजट आएगा। चारों ओर आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, राजस्व घाटा था, राजकोषीय घाटा, मुद्रा का अवमूल्यन, बाजार भाव का बढ़ना, यहां तक कि नाभिकीय परीक्षण से एक ऐसी स्थिति बनी थी जिससे पूरा देश यह उम्मीद करता था कि एक ऐसा बजट आएगा जिसमें देश को बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। मैं अपने गतिशील वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने प्रधान मंत्री जी की भावनाओं का आदर करते हुए बजट में उन सभी सुविधाओं का समावेश किया,

[श्री चिन्मयानंद स्वामी]

जिनके द्वारा देश को आर्थिक दृष्टि से संपन्न करने की जरूरत होती है। हमारे देश में तमाम ऐसे राष्ट्रीय उपक्रम थे, सार्वजनिक क्षेत्र में चलने वाले उद्योग थे, जो बरसों से बीमार चल रहे थे। केवल उनके कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था, उनमें उत्पादन शून्य हो चुका था। उत्पादन न होने और खर्चे बढ़ते जाने के कारण देश के ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ रहा था, उसके उपाय खोजने के प्रयाय नहीं किए गए। हम अपने विचारों में, संस्कारों में बंधे हुए थे, कुछ मिथ्या आडंबरों में बंधे हुए थे, जिनसे हम छूटना नहीं चाहते। लेकिन कुछ साल पहले इस देश में जो दौर शुरू हुआ, समाजवादी नारे के नीचे उस राष्ट्रीयकरण के दौर की उदारीकरण के नाम पर, निजीकरण के नाम पर रोका गया था, लेकिन वह निजीकरण, उदारीकरण देश के आर्थिक दबाव को देखते हुए नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नहीं बल्कि विदेशी दबाव में किया गया था और उस समय भी देश का शेयर बाजार गड़बड़ाया था, उछला था, ऊपर गया था। जब देश का शेयर बाजार ऊपर गया तब लोग तालियां पीट रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि फारेन इनवेस्टमेंट के कारण, विदेशी धन आने के कारण शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, लेकिन चार महीने बाद ही लोगों को पता चल गया था कि यह घाटे का नहीं, घोटाले का काम था। यह एक षड्यंत्र था जिसके तहत शेयर बाजार ऊपर गया था, लेकिन आज शेयर बाजार ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि यह हमारी आर्थिक नीतियों की गलती के कारण है परन्तु ऐसा नहीं है। अगर मूडी ने हमारे देश की रेटिंग को कम न किया होता तो शायद शेयर बाजार पर यह प्रभाव न पड़ता। लेकिन अब शेयर बाजार सुधर रहा है और सुधार की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बात कही थी वह सामने दिखाई पड़ने लगी है। शेयर बाजार पर नियंत्रण होने लगा है।

महोदय, मैं सार्वजनिक उपक्रमों की बात कर रहा था। सार्वजनिक उपक्रमों के घाटे को पूरा करने के लिए हमें जितना पैसा खर्च करना पड़ता था, अब उसकी नीति बदल गई। उस बदली हुई नीति में सार्वजनिक उपक्रमों को हम देख सकते हैं कि वह चलने लायक है या नहीं, अगर चलने लायक है तो उनको चलाने का इंतजाम किया जा रहा है। अगर वे चलने लायक नहीं होंगे तो उनका विकल्प ढूंढ़ना चाहिए। उसमें जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनको कहीं-न-कहीं स्थापित करने का या उनके लिए जो पैकेज बनाया गया था, वीआरएस स्कीम बनाई गई, उससे उनको राहत मिलेगी। पहले थोड़ा-सा उनको देकर जो हटाने की कोशिश की थी वह अब बहुत कुछ बढ़ाया गया है। जहां 15 दिन का प्रतिवर्ष के हिसाब से पेमेंट दिया जाता था वहां 45 दिन तक उसको बढ़ाया गया है। यहां तक कि अगर वे 30 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उनको पांच साल का इकट्ठा वेतन देकर संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से यह सार्थक कदम है।

इसी तरह हम यह कहते हैं कि विदेशी पैसा देश में आए। लेकिन सवाल यह है कि विदेशी पैसा किस क्षेत्र में आए? अगर वह आधारभूत ढांचे को डैवलप करने के लिए आता है, उन संसाधनों को विकसित करने के लिए आता है जिससे औद्योगिक विकास हो, जिससे हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें बुनियाद मिले, आधार मिले, उन उपक्रमों में आए जिससे हमें रोजगार के अवसर मिले तो अच्छा है। आज उन्हीं में पैसा आमंत्रित किया जा रहा है। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के सारे समाचार पत्रों में आया है कि उन्होंने कम्प्यूटर साफ्टवेयर पर आयात शुल्क समाप्त किया है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह पहला बजट है जिसमें आधारभूत संसाधनों की जरूरत को समझा गया है।

50 साल तक हम इस बात से इंकार करते रहे कि कृषि हमारे देश की जरूरत है और हम बाहर से अनाज खरीदते रहे। सब चीजें बाहर से देश में मंगाकर लोगों को खिलाते रहे और हमने अपने देश को मजबूत बनाने की कोशिश नहीं की। पहली बार कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है और वह कदम अभिनंदनीय है। इसके लिए बजट में 58 प्रतिशत दे देना, यह अपने आपमें एक उदाहरण है।

इसी तरह से ग्राम विकास में बजट को 19 प्रतिशत कर देना, यह भी एक उदाहरण है। शिक्षा के क्षेत्र में बजट में बढ़ोत्तरी, सामाजिक क्षेत्रों में बजट में बढ़ोत्तरी—चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या परिवार कल्याण का क्षेत्र हो, या बच्चों के कल्याण का प्रश्न हो अथवा सामाजिक कल्याण का प्रश्न हो, सब जगह बजट बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। एक तरफ हम बजट बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जरूरतें पूरी करने की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी सोचना चाहिए कि पैसा कहां से आए? पैसा लाने के जो तरीके हैं वे भी वैज्ञानिक ढंग से तैयार किए गए हैं। इसमें यह नहीं किया गया है कि जो टैक्स दे रहे हैं केवल वे ही टैक्स दें। इसमें टैक्स का दायरा नहीं बढ़ाया गया है बल्कि टैक्स-पेयर का दायरा बढ़ाया गया है जिससे किसी को दिक्कत नहीं आती है। पहले टैक्स लगाने की बात सोची थी कि ट्रांसपोर्ट पर टैक्स लगाया जाए, पंडालों पर टैक्स लगाया जाए, लेकिन फिर सोचा गया कि इनकी जरूरत नहीं है।

दूसरी ओर वे लोग जिन पर टैक्स लगाने की बात पहले नहीं सोची जाती थी चाहे चार्टेड एकाउंटेंट्स हो, इंटीरियर डैकोरेटर्स हों, या दूसरे काम में लगे लोग हों, जिनको हमने छोड़ दिया था, आज 12 बड़े शहरों को हमने इस दायरे में ले करके एक संदेश दिया कि जो लोग टैक्स दे सकते हैं उनसे टैक्स लिया जाए और दे सकने वालों का दायरा बढ़ाया जाए।

आज तक कर देने वालों को हमने सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। 'समाधान' पर चर्चा और आलोचना हमारे मित्रों ने की है। वी०डी०आई०एस० की एक स्कीम आई थी और उससे सरकार को पैसा मिला था। हम उस पर नहीं जाते हैं, हम 'समाधान' की बात इसलिए करते हैं जैसे हमारे मित्र चंदू माजरा ने कहा था कि 64 हजार करोड़ रुपए या कुछ यहां पर उन्होंने नंबर बताया था कि इतना पैसा विवाद में फंसा हुआ है। अगर वे विवाद कम समय में निपटा लिए जाएं तो क्या वह पैसा हमें नहीं मिल सकता है? 'समाधान' के द्वारा हमने वहां तक पहुंचने की कोशिश की है जिससे वह पैसा वापस आए। देश के निर्माण में, देश के संचालन में और देश की समृद्धि में जो

व्यक्ति अपना योगदान अपनी कमाई से दे सका है उसको सम्मान देने की बात हम इन 50 वर्षों में नहीं सोच पाए। पैसे वालों की हम हमेशा निंदा करते रहे। पहली बार टैक्स-पेयर को सम्मान देकर हमने एक सकारात्मक कदम उठाया है। जो लोग टैक्स देकर देश की समृद्धि में योगदान करते हैं, उनको हमें सम्मान देना ही चाहिए।

कर प्रणाली को सरल बनाने की पहल भी माननीय वित्त मंत्री जी ने की है, वह भी स्वागत योग्य है और मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं। इस बजट के द्वारा हमने इस देश के लोगों को और देश के बाहर के लोगों को यह संदेश दिया है कि भारत में निवेश की गारंटी है और भारत में निवेश हो सकता है। इसी तरह से विदेशी पैसे को भारत में आमंत्रित करने के लिए हमने दरवाजे खोले हैं। वह दरवाजे अगर पहले खोल दिए गए होते और उस ढंग से खोल दिए गए होते जैसे अब खोले हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था समृद्ध और काफी मजबूत होती।

नाभकीय परीक्षण के बारे में कहा गया कि उसकी चर्चा बजट में नहीं की गई। उस समय भी वित्त मंत्री ने कहा था कि नाभकीय परीक्षण का कोई प्रभाव हमारे बजट पर पड़ने वाला नहीं है और वह बात आज ठीक दिखाई दे रही है।

अमरीका प्रतिबंध लगाने की बात करता था और जो देश में लोग प्रतिबंध लगने की बात करते थे, वह बात भी पीछे छूट गयी।

माननीय वित्त मंत्री की बात सही साबित हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने इस बजट के द्वारा देश की समृद्धि के लिए जो कदम उठाए हैं, वे सर्वदा अभिनंदनीय है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री का अभिनंदन करते हुए कहना चाहूंगा कि यह देश में अपनी प्रकार का पहला बजट है जिसमें आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए, साधनों को मजबूत करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

श्री आर० एस० गवई (अमरावती) : सभापति जी मैं अपनी बात बड़ी संक्षेप में रखूंगा। मैं पेश बजट के संबंध में दिए गए तर्कों के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

घाटे का बजट देश के मूल उपभोक्ता के लिए सदैव हानिकारक और घातक होता है। अप्रत्यक्ष करों का सहारा लेने से बचा जाना चाहिए। क्योंकि यह देश के मूल उपभोक्ता के लिए हानिकारक है।

मैं पूरे बजट का अध्ययन करने के पश्चात् इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि कुल बजट परिव्यय का एक-तिहाई गैर योजना के अंतर्गत रखा गया है। वैसे सिद्धांत रूप में गैर योजना और योजना परिव्यय के बीच कोई-न-कोई अनुपात होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि गैर-योजनागत खर्च में भेदभाव और भ्रष्टाचार के भी पूरी-पूरी संभावना रहती है।

इसलिए मैंने पहले ही यह कहा था कि प्रतिबंधों के अब तक हुए प्रभाव के बारे में हैं। बजट में कुछ नहीं कहा गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अमरीका तथा अन्य देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का क्या असर होगा। अंततः यह बात जनता के सामने लाई जानी चाहिए।

मेरी चिंता का विषय यह है कि यह बजट सरकारी क्षेत्र को समाप्त करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला है। इस बजट का गरीब तबके विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर यह प्रभाव पड़ेगा कि वे निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण पाने के अपने कानूनी सम्मत अधिकार से वंचित हो जाएंगे। निजी क्षेत्र द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के बारे में भेदभाव बरतने की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात पर ध्यान दें और ऐसा कोई प्रबंध करें कि निजी क्षेत्र सरकार की नीतियों का पालन करें क्योंकि जल और विद्युत जैसी अनेक प्रकार की सुविधाएं निजी क्षेत्र को सरकार ही देती है। इसलिए वे सरकार की नीतियों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

अब मैं विशेषघटक योजना और जनजातीय उपयोजना के बारे में बात करूंगा। विशेषघटक योजना व्यक्तिगत लाभार्थी और विभागवार अनुसुचित जातियों के लोगों के बारे में है और इसी प्रकार जनजातीय उपयोजना जनजातीय लोगों के लिए बनी है।

मुझे वित्त मंत्री महोदय से यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि विशेषघटक योजना और जनजातीय उपयोजना के लिए मुहैया कराया गया परिव्यय मूल बजट परिव्यय के उचित अनुपात में नहीं है।

महोदय, कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चल रही कल्याणकारी योजनाओं के परिव्यय में की गई कटौती भी बहुत अधिक है। यदि हम विस्तार में जाएं तो आप देखेंगे कि हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हित करने के बजाए अहित करने जा रहे हैं।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर ने सन् 1945 में ब्रिटिश शासन के दौरान विदेश छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की थी। यह योजना गरीब तबके के प्रतिभावान शिक्षार्थियों को विदेश में अध्ययन करने के अवसर प्रदान करती है। किन्तु अब इस योजना को ताक में उठाकर रख दिया गया है और यही स्थिति भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना की भी है। यदि बाबा साहेब डॉ० अम्बेडकर के नजरिये से देखें तो यह छात्रवृत्ति नहीं है बल्कि गुजारा भत्ता है। पिछले तीन-चार वर्षों से जो छात्रवृत्ति इस वर्ग के लोगों को दी जा रही है वह रहन-सहन के स्तर को ध्यान में रखकर नहीं दी जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से इस मामले पर भी ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखे ताकि माननीय सदस्य यह जान सकें कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वास्तविक स्थिति क्या है। इन रिपोर्टों पर सभा में चर्चा क्यों नहीं होती?

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री आर० एस० गवई : बस एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[श्री आर०एस० गवई]

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही खाद्यप्रसंस्करण उद्योग पर कर लगाया जा रहा है। मिठाई और मसाला उद्योग पर कर लगाया गया है तथा पशुवध गृहों पर 1000/- रुपए शुल्क लगाया गया है और इन कार्यों से गरीब लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए इन करों को वापिस लिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री तपन सिकदर (दमदम) : सभापति महोदय, यहां उपस्थित माननीय सदस्यों की संख्या बहुत कम है, शायद मेरा भाषण भी छोटा हो जाएगा।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री तपन सिकदर : महोदय, वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा द्वारा पेश किया गया बजट अपने आप में विशेष है। जैसा कि मैं किसी और दिन यह कह चुका हूं कि स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती वर्ष में यह बजट भी 'स्वर्ण बजट' है।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि पिछली सरकार द्वारा पेश किया गया लुभावना बजट देश का कोई भी भला नहीं कर पाया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री जी सब्जबाग दिखाने वाले नहीं हैं।

इस बजट ने योजना परिव्यय में 2400 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है जो कि पिछले वर्ष से 35 प्रतिशत ज्यादा है। इस बजट में कृषि क्षेत्र के परिव्यय में भी 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार इस बजट से गांवों, गरीबों और किसानों की और सहायता कर सकेगा। कल वित्त मंत्री महोदय द्वारा लिए गए निर्णय से भी रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे।

हमारा स्टॉक मार्किट हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति का सूचक है।

मैं समझता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसरों, विदेश व्यापार के विकास तथा गरीब लोगों विशेषकर ग्रामीण लोगों के उत्थान में सहायक होगा। इसीलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : सभापति महोदय, मैं थोड़े समय के लिए वित्त विधेयक पर हस्तक्षेप करना चाहूंगा। मैं बजट पर बहुत ही विस्तार से बोला था और मैंने वित्त मंत्री से क्षमा मांगी थी कि परिवार में व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण मैं उनका उत्तर सुनने के लिए उपस्थित नहीं हो सकूंगा। उन्होंने उदारता से मेरी बात मान ली। मैंने उनका भाषण पढ़ा। उन्होंने वित्त विधेयक की अनेक बातों का उत्तर नहीं दिया। कल फिर दोबारा उन्होंने वित्त विधेयक संबंधी अनेक उत्तरों को टाल दिया है। इससे हम सोच में पड़ गए हैं कि सरकार अपना निर्णय लेने में इतना विलंब क्यों कर रही है। आखिरकार, बजट पर बहस के दौरान इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और सरकार को इन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए तीन या चार सप्ताह से ज्यादा का समय मिल चुका है। यदि, वह आगे आकर कुछ निर्भीक निर्णयों की घोषणा करते, चाहे इससे उन्हें अपने प्रस्तावों को उलटना पड़ता, तो हम उनको इस सदन में एवं बाहर व्यक्त की गई कुछ चिंताओं पर दिए गए सुझावों को मानने के लिए बधाई देते।

खैर, महोदय, मैं वित्त विधेयक के बारे में व्यक्त की गई कुछ चिंताओं पर संक्षिप्त में विशेष ध्यान देना चाहूंगा, और मुझे उम्मीद है, कि जैसा कि उन्होंने कल कहा था कि सुझावों को वे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, उसी तरह से आज के सुझावों पर भी वे गौर करेंगे तथा वे कल वापस आकर व्यक्त की गई चिंताओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे।

पहले मैं, वित्त संबंधी स्थाई समिति द्वारा प्रस्तुत बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट, 'तीसरा प्रतिवेदन' की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं विशेष तौर से तीन पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहले, मैं आपका ध्यान वित्तीय घाटे पर टिप्पणी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वित्तीय घाटा दलगत मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं है कि श्री यशवन्त सिन्हा ने वित्तीय घाटे को ईजाद किया और ऐसा भी नहीं है कि यह उन्हें विरासत में मिला हो। साल दर साल होने वाले वित्तीय घाटे का कारण इस देश में अनेक वर्षों से हमारे द्वारा अपनाई गई नीति है। सरकार का खाता हर वर्ष 31 मार्च को बन्द हो जाता है। अत: एक तरह से आप नए सिरे से आरंभ करते हैं सिवाय ब्याज भार के। ऐसे में हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि इस देश का संपूर्ण योजना व्यय अनेक वर्षों से ऋण द्वारा वित्त पोषित है। अर्थात्, आप कर या अन्य तरीक से जो आमदनी करते हैं वह गैर योजनागत व्यय में चली जाती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मानते हैं कि सभी योजना व्यय लाभकारी होता है और हरेक गैर योजना व्यय सही नहीं होता है मगर पारंपरिक वर्गीकरण के अनुसार योजना व्यय को गैर-योजना व्यय के मुकाबले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। डॉ० मनमोहन सिंह से पहले हम अनेक वर्षों से ऋण द्वारा अपनी योजना को वित्त पोषित करने की नीति अपनाते रहे हैं। यदि हम राजस्व और पूंजी पर नजर डालें तो देखेंगे कि राजस्व व्यय का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह अच्छा नहीं है। यह किसी भी सत्ताधारी दल के लिए अच्छा नहीं है। चाहे वह कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी अन्य दलों की सांझा सरकार हो। हमें यह समाप्त करना ही होगा। हर वर्ष वित्तीय घाटा क्यों बढ़ता जाता है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, ब्याज के भार की समस्या, दूसरा व्यय पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।

अपराह्न 5.00 म०प०

हमारी सोच है और एक तरह से मैं समझता हूं कि शायद मेरे मित्र, वित्त मंत्री ने इस भ्रांतिपूर्ण सोच को सुदृढ़ किया होगा कि व्यय लाभकारी होता है और यदि सरकार व्यय करती है तो इससे रातों रात लाभ होगा। अत:, इससे पहले कि वित्त मंत्री वित्तीय प्रबंधन पर समस्त नियंत्रण खो बैठें, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे व्यय एवं ब्याज के मुद्दे पर ध्यान देकर वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करें। ब्याज की दर को लेकर मुझे आशंका है कि ब्याज के मुद्दे पर सरकार की तरफ से लंबे-चौड़े वायदे के बावजूद ब्याज की दरें बढ़ रही हैं।

मैं तहेदिल से यह चाहता हूं कि सरकार प्रतिबंधों का सफलतापूर्वक सामना करे। हम पर प्रतिबंध लगाने का विश्व में किसी को हक नहीं

है। अमरीका को भारत या किसी अन्य विकासशील देश पर प्रतिबंध लागू करने का कोई नैतिक हक नहीं है। मगर प्रतिबंध जिंदगी की वास्तविकता है। यह अच्छी बात है कि वित्त मंत्री यहां और विदेश में कहते हैं कि ''प्रतिबंधों से हमें कोई नुकसान नहीं होगा।'' जो भी इस पद पर है उसे यह कहना ही चाहिए।

हम प्रतिबंधों के प्रत्यक्ष प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं। हम प्रतिबंधों के अप्रत्यक्ष प्रभाव की बात कर रहे हैं, जो मेरे विचार से श्री यशवन्त सिन्हा और श्री जेठमलानी समझ सकते हैं। प्रतिबंधों का अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। जब मूडी या अन्य कोई साख निर्धारण एजेंसी हमारी साख कम करती है तो विश्व दक्षिण एशिया को संघर्ष के क्षेत्र के रूप में देखता है, जब विदेशी निवेश के विकल्प हों एवं ऐसे में यदि भारत ऋण लेता है तो वह महंगा मिलेगा। मुझे बताया गया है कि विदेशी वाणिज्यिक ऋण में तकरीबन 450 बेसिक प्वाइंट की वृद्धि हुई है। हमारे देश की एक कंपनी जो पहले एल०आई०बी०ओ०आर०डी० की तीन या चार प्रतिशत अतिरिक्त दर पर ऋण लेती थी, मुझे बताया गया है कि अब यह कंपनी एल०आई०बी०ओ०आर०डी० की सात या आठ प्रतिशत अतिरिक्त दर पर ऋण ले रही है। वित्त मंत्री को ब्याज की दरों में बचत करने के तरीके ढूंढने चाहिए। 1997-98 मे पहली बार भारत सरकार पर जो ब्याज की दर जो 13 प्रतिशत से थोड़ी ज्यादा थी घटकर 12 प्रतिशत से थोड़ी ज्यादा रह गई है।

सरकारी ऋणों, निजी क्षेत्र द्वारा ऋणों तथा सरकारी क्षेत्र द्वारा ऋणों की लागत में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब यह है कि मैं यह मानकर चलता हूं कि यह सरकार पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी— और इसका बोझ बढ़ेगा और अगले वर्ष व्यय में भारी वृद्धि हो जाएगी। अत: ब्याज की दरों में कमी की ही जानी चाहिए।

अन्य मुद्दा व्यय नियंत्रण का है। इस बात पर भी तीसरे प्रतिवेदन की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस पर ध्यान दें। इसमें व्यय प्रबंधन एवं सुधार आयोग का उल्लेख किया गया है, जिसके बारे में मैंने वित्त मंत्री के रूप में वायदा किया था, मगर इसे मैं लागू नहीं कर सका। इसके कारण साफ हैं। मैं चाहता था कि यह विपक्ष के नेता के नेतृत्व में एक ब्लू रिबन कमीशन हो। मैं चाहता था कि उस आयोग में सभी राजनीतिक दल हों। व्यय नियंत्रण, सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करना, सही करना, सरकार को अधिक कुशल बनाना, अनुत्पादक गैर-राजस्व व्यय पर नियंत्रण, विशेष तौर से प्रशासनिक एवं सेवाओं के खर्चों में भारी कमी लानी होगी।

जब मैं वित्त मंत्री था तब मैंने इधर बैठने वाले सदस्यों से अपील की थी। मगर मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर अब यह अवसर आया है। कांग्रेस दल व्यय नियंत्रण एवं प्रबंधन के प्रति वचनबद्ध है। ऐसा श्री मनमोहन सिंह ने कहा था। संयुक्त मोर्चा सरकार व्यय नियंत्रण और प्रबंधन के प्रति वचनबद्ध थी। इस समय जब वे वित्त मंत्री हैं, तो वे समिति के तीसरे प्रतिवेदन के अनुरूप एक व्यय प्रबंधन आयोग का गठन करने की पहल करें ताकि व्यय नियंत्रण संसद एवं सरकार की प्राथमिकता बने।

तीसरे प्रतिवेदन के तीसरे पहलू की ओर जो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह 'ऐसेट्स रिकन्सट्रक्शन' कंपनी के संबंध में है जिसका प्रस्ताव वित्त मंत्री ने किया था। स्थाई समिति ने इस संबंध में सही निष्कर्ष निकाला है कि 'रेसेट्स रिकन्सट्रक्शन' कंपनी के मामले में जल्दबाजी न की जाए।

यह नरसिंहम् समिति का पुराना सुझाव है जिसे अनेक बार वित्त मंत्रालय द्वारा ठुकरा दिया गया था। उस सुझाव को पुनरुज्जीवित करने में कोई हानि नहीं है। मगर यदि आप सहमत हैं कि यह अच्छा है तो आप इस पर कार्य करें। यद्यपि हम इस पर सहमत नहीं हैं कि यह एक अच्छा सुझाव है। यह एक गलत विचार है। इससे बैंकों की हालत और खस्ता हो जाएगी। इससे बैंकों को लापरवाही बरतने में बढ़ावा मिलेगा और वह समस्त तथाकथित अनुप्रयोज्य अस्तियों को 'ऐसेट्स रिकन्सट्रकशन' कंपनी के हवाले कर देंगे, जो समिति के अनुसार उन्हीं बैंक अधिकारियों द्वारा संभाली जाएंगी। इससे आपको क्या हासिल होगा? पुराने अनुप्रयोज्य आस्तियों के मुकाबले मूल मानदंडों के आरंभ किए जाने के बाद पुराने अनुप्रयोज्य आस्तियों में कितनी वृद्धि हुई? आप पाएंगे कि मूल मानदंडों के आरंभ होने के बाद अनुप्रयोज्य आस्तियों काफी कम थीं, करीब चार या पांच प्रतिशत पूर्व में शुरू की गयी अनुप्रयोज्य आस्तियां जिनको मिलाकर कुल अनुप्रयोज्य आस्तियां लगभग 17 या 18 प्रतिशत हो जाती हैं। उन ऋणों को जिन्हें पहले दिया गया था और जिनकी वसूली अभी तक नहीं हो पाई है, को वसूल करने की कार्रवाई करनी होगी। इसका उत्तर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है।

इन महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर ध्यानाकर्षण करवाने के बाद प्रथमत: वित्तीय घाटा, विशेष रूप से ब्याज दर, द्वितीय व्यय प्रबंधन तथा तृतीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, मैं माननीय वित्त मंत्री से कुछ अन्य मुद्दों की ओर ध्यान देने की अपील करूंगा।

प्रथमत: मैंने प्रश्नकाल में ही अपनी चिंता धारा 10(23)(छ:) के संबंध में व्यक्त की थी। मैं यह पाता हूं कि कल विधेयक प्रस्तुत करते समय आपने कहा था कि उस विषय पर आप ध्यान दे रहे हैं। मैं यह सोचता था कि आप खड़े होकर तुरन्त कहेंगे कि यह गलती थी, यह प्रारूपण और संकल्पना संबंधी भूल थी। लेकिन धारा 10(23)(छ:) का संशोधन करने की कोशिश करना एक भूल थी। हमारी अवसंरचनात्मक पूंजी कम्पनी काफी प्रभावित होगी। मैं आपसे अनुग्रहपूर्वक आग्रह करूंगा कि शालीनता से आप धारा 10(23)(छ) में लाए गए संशोधन को वापस ले लें।

द्वितीयत: मैं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर आऊंगा। पुन: मैं आपको दोष नहीं दूंगा। ऐसा संभव है कि यह आपके ध्यान से निकल गया हो। कई वर्षों से हम विकास तथा अनुसंधान के लिए कंपनियों विशेषरूप से भेषज कंपनियों द्वारा स्थापित की गई प्रयोगशालाओं को शत-प्रतिशत रियायत देते रहे हैं। दो-तीन वर्षों से उद्योग यह अभ्यावेदन कर रहे हैं कि उन्हें अनुसंधान तथा विकास में निवेश करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आपको कुछ वर्ष पूर्व की परिस्थिति बहाल करनी चाहिए। जब आप 125 प्रतिशत की भारी कटौती देते थे। गत वर्ष के बजट में भी हमने 125 प्रतिशत की कटौती दी थी। तब हमने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यप्रणाली तय करने के लिए समूह स्थापित किए। डॉ० मशेलकर, डॉ० अशोक पार्थसार्थी को शामिल

[श्री पी० चिदम्बरम]

किया गया, उद्योग को शामिल किया गया। अंत में मार्च 1998 में सरकार ने अधिसूचना जारी की क्योंकि 1 अप्रैल, 1998 से शुरू होने वाले आकलन वर्ष 1998-99 में प्रावधान लागू होंगे। अब वित्त मंत्रालय ने क्या किया? इसने मार्च 1998 में यह अधिसूचित किया कि अनुसंधान तथा विकास में निवेश करने की इच्छुक भारतीय कंपनियों में घरेलू अनुसंधान तथा विकास में 125 प्रतिशत की भारी कटौती देगी। उसके बाद 1 जून में बजट आता है, जो इसे वापस ले लेता है तथा कहता है : "अब हम आपको केवल एक सौ प्रतिशत देते हैं।" अब, एक उल्टी स्थिति आ गई है। मैं इसमें कोई तर्क नहीं पाता हूं। मुझे विश्वास है कि पार्टी लाइन को छोड़ते हुए सभी सदस्य भारतीय कंपनियों द्वारा अनुसंधान तथा विकास पर भारी कटौती को समर्थन देंगे ताकि घरेलू अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन मिले तथा घरेलू अनुसंधान तथा विकास पर और ज्यादा पैसा निवेश किया जाए। मैं माननीय मंत्री से उस विशेष धारा में प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने का आग्रह करूंगा।

अंत में मैं चार प्रतिशत एस०ए०डी० के मुद्दे पर आऊंगा। मुझे नहीं मालूम है कि आपने इसका नाम एस०ए०डी० क्यों रखा। जिस दिन से इसका यह नाम रखा गया, इसका इतिहास काफी दुखद रहा है। मैं मानता हूं कि गत वर्ष 3 प्रतिशत विशेष सीमा शुल्क लगाना पड़ा। लेकिन वह बुनियादी शुल्क का एक हिस्सा था क्योंकि हमें वेतन आयोग के भारी भुगतान को पूरा करना था। यह कदम गलत भी हो सकता है और सही भी। यदि फिर से ऐसी स्थिति आए तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं कहता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। कम-से-कम मेरे पास तो 'सनसेट क्लॉज' था। ऐसा 'सनसेट क्लॉज' था कि यह 3 प्रतिशत 31 मार्च, 1999 को समाप्त हो जाएगा। अब, आपने जो लगाया है वह बुनियादी सीमा शुल्क में अतिषेक नहीं है। यह सभी शुल्कों से ऊपर है। हमने गणना की तथा आपको दिखाया कि आठ प्रतिशत वास्तव में 12 या 13 प्रतिशत बैठता है। आपने अच्छा ही किया कि इसे घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया। लेकिन 4 प्रतिशत भी वास्तव में छः या सात प्रतिशत होता है। इस देश में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादकों ने विरोध प्रकट किया और प्रारंभिक आंकड़ों के बावजूद, सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए नए आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि गत वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन तिमाही में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग ऊपर आए हैं। गिरावट केवल चौथी तिमाही में शुरू हुई, शायद कुछ दिनों बाद जब चुनाव घोषित किए गए तथा असंतुलन स्थायी हो गया। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि दृढ़तापूर्वक आप इस चार प्रतिशत शुल्क को समाप्त करें। यह उचित है कि आप ऐसा करेंगे। लेकिन यदि आप इस चार प्रतिशत शुल्क को समाप्त नहीं करते हैं, तो पूंजीगत वस्तुओं पर से इसे हटा लें। एक तेलशोधक, एक विद्युत संयंत्र या एक उर्वरक संयंत्र की लागत के बारे में सोचें। यह सोचें कि एक संयंत्र भारत में आ रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर आधारित है। किसी अन्य देश में यदि यह शून्य शुल्क पर जाता है—तो शुरुआती लागत, शुरुआती पूंजीगत परिव्यय ही केवल मशीनरी तथा अन्य विकासात्मक कार्य की लागत है—भारत में, आप पहले दिन से 25 प्रतिशत या 30 प्रतिशत सीमा शुष्क से शुरू करते हैं। लागत बढ़कर बीस प्रतिशत तक जाती है। तमाम मूल्य निर्धारण इस पर आधारित है। भारतीय उत्पाद किस प्रकार विश्व उत्पाद से प्रतिस्पर्द्धा कर पाएगा? इसलिए डॉ० मनमोहन सिंह ने उर्वरक के लिए शून्य शुल्क लगाया। कुछ शर्तों के साथ तेल-शोधक कारखानों पर मैंने शून्य शुल्क लगाया। मुझे ख़ुशी है कि उद्योग के प्रदर्शन के बावजूद, आप उससे पीछे नहीं रहे। मुझे खुशी है कि आप दृढ़ रहे तथा कहा : नहीं, तेलशोधक तथा उर्वरक की पूंजीगत वस्तुओं पर शून्य शुल्क लगना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा करें। यदि इसकी जरूरत है, तो आप इसका अन्य क्षेत्रों में विस्तार करें। लेकिन यह चार प्रतिशत शुल्क उर्वरक तथा तेलशोधक पर नहीं लगना चाहिए। यही तर्क उन सभी उद्योगों पर लगना चाहिए जो पूंजीगत वस्तुओं का आयात करते हैं। जब तक भारतीय उद्योग आयात आधारित है, इस अर्थ में कि निर्यात उद्योग भी उच्च आयात वस्तुओं पर आधारित है, सीमा शुल्क में कोई बढ़ोत्तरी हमारे निर्यात को और ज्यादा अप्रतिस्पर्द्धात्मक बनाएगा। इसलिए उच्चकोटि के अर्थशास्त्री यह कहेंगे कि आयात शुल्क वास्तव में निर्यात पर कर हैं। यह घरेलू बाजार को लाभदायक बनाएगा लेकिन यह निर्यात बाजार को अलाभकारी तथा अप्रतिस्पर्द्धात्मक बनाता है तथा इससे निर्यात में कमी आएगी। आपने आखिरकार उर्वरकों के बढ़े मूल्य को वापस लिया, आपने पेट्रोलियम के मूल्य में अवांछित मूल्य वृद्धि को वापस लिया। अतएव, गलत वृद्धि को वापस लेना हार नहीं है और न ही अपमान की बात है। मेरे विचार में यह राजनीतिक सूझ-बूझ का परिचायक है कि कुछ किया गया काम सही नहीं भी हो सकता है तथा आप इसे वापस ले सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने कार्य में साहस तथा दूरदर्शिता लाकर इस चार प्रतिशत को वापस ले लें।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : आप सभा में उस समय उपस्थित नहीं थे जब मैं यह विधेयक ला रहा था। आपके पांच प्रतिशत के बारे में मैंने इस सभा में घोषणा की थी कि मैं 31 मार्च, 1999 से 'सनसेट क्लॉज' को प्रभावी कर दूंगा तथा आपका पांच प्रतिशत उस दिन से समाप्त हो जाएगा।

श्री पी० चिदम्बरम : उसे मैंने नोट किया। वह 'सनसेट क्लॉज' तो वित्त विधेयक में ही था। जब तक कि संसद 'सनसेट क्लॉज' का संशोधन करने पर सहमत न हो, यह 31-3-1999 से समाप्त हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपका चार प्रतिशत अभी समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन यदि आप इस वर्ष चार प्रतिशत राजस्व उद्देश्यों के लिए रखना चाहते हैं तो इसे भी उसी 'सनसेट क्लॉज' के अंतर्गत रखा जाए। आप अपना चार प्रतिशत भी 31-3-1999 को समाप्त करें। दुर्भाग्यवश आपका चार प्रतिशत स्थायी कर है। आपने कानून की किताब में इसे स्थायी कर के रूप में रखा है। आपने इसे आठ प्रतिशत रखा था, आपने इसे चार प्रतिशत के रूप में पाया। मैं इस वर्ष के लिए चार प्रतिशत के तर्क से संतुष्ट नहीं हूं। मैंने ऐसा तब कहा जब मैं बजट के दौरान बोला। मैंने कहा कि यह मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा और यह भारतीय उद्योग को अप्रतिस्पर्द्धात्मक बनाएगा। आपने अच्छा किया कि इसे चार प्रतिशत पर वापस ले गए। लेकिन मैं कहता हूं कि बाकी चार प्रतिशत भी वापस ले लें। लेकिन अगर राजस्व कारण से—हम अभी जुलाई माह में हैं—यदि आप सभी वस्तुओं पर से वापस नहीं ले सकते हैं तो कम-से-कम चयनित क्षेत्र, पूंजीगत क्षेत्र के लिए इसे वापस ले लें।

मैं आपको तीसरा विकल्प देता हूं। यदि आप पूंजीगत वस्तुओं के लिए भी वापस लेने में असमर्थ हैं, तो कम-से-कम इसे 31-3-1999 से वापस कर लें ताकि इसके बाद यह गलती जारी न रहे।

अंत में, मुद्रास्फीति के संबंध में मैं कुछ शब्द कहूंगा। पुन: सत्ता पक्ष के लोग काफी उत्सुक तथा उदार होकर गहरे ध्यान से मेरी बात सुन रहे थे और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। कृपया एक मिनट के लिए और मेरे साथ सहयोग करें तथा मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मुद्रास्फीति एक दलगत मामला नहीं है। हम तभी मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सभी मुद्रास्फीति को 5 प्रतिशत से कम रखने पर प्रतिबद्ध हैं। वास्तव में, वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से यह कहा कि मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत के अंदर नियंत्रित किया जाना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है वह ऐसा नहीं जिसकी भविष्य के लिए हम कामना कर रहे थे। हम यह नहीं चाहते कि इस देश में मुद्रास्फीति बढ़े ताकि हम संसद में खड़े होकर आप पर व्यंग्य कसें। मुद्रास्फीति से गरीब लोगों को तकलीफ होती है। निश्चित आय वाली जनता को मुद्रास्फीति से कठिनाई होती है। मुद्रास्फीति 7.5 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।

मैं अत्यंत ही विनम्रतापूर्वक या विश्वास करता हूं संयुक्त मोर्चा सरकार तथा पिछले वर्ष कांग्रेस सरकार की मुद्रास्फीति पर नियंत्रण अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। हमन मुद्रास्फीति को लक्ष्य किया था। मुद्रास्फीति का औसत आठ या नौ प्रतिशत चल रहा था तथा 1992-93 तथा 1993-94 में दस प्रतिशत तक पहुंच गया, डॉ० मनमाहेन सिंह ने इसे नियंत्रित करके औसत 7.5 प्रतिशत तक कम कर दिया। संयुक्त मोर्चा सरकार के दो वर्षों में पहले वर्ष हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके औसत 6.5 प्रतिशत तक ले आए तथा उसके बाद औसत पांच प्रतिशत तक ले आए।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए कोई जादू की छड़ी है। किन्तु मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह मौद्रिक तथा वित्तीय प्रबंधन पर नियंत्रण रखें। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मौद्रिक व्यवस्था पर से नियंत्रण खो दिया है। किन्तु जब वे वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रण में लेते हैं तो वह वित्तीय प्रबंध का प्रयोग करारोपण के लिए कर रहे हैं जिससे कि मुद्रस्फीति बढ़ती है। उत्पाद शुल्क तो मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाला है ही। एक ऐसे देश में जहां उद्योग आयात पर निर्भर हैं सीमा शुल्क का प्रभाव मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला होता है। मैं एक बार फिर उनसे करों की प्रकृति पर विचार करने तथा अर्थशास्त्रियों के कहे में न आने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, भौतिकी में न्यूटन का एक प्रसिद्ध नियम है। न्यूटन का अर्थशास्त्र में भी एक नियम है। प्रत्येक अर्थशास्त्री के विरोधी तथा समर्थक अर्थशास्त्री होते हैं। इसलिए उन्हें अर्थशास्त्री जो कहेंगे उसमें नहीं आना चाहिए कि 'लाफर कर्व' प्रभावी नहीं होगा। 'लाफर कर्व' काम करेगा। वास्तव में उन्हें 'लाफर कर्व' से लाभ होगा। पिछले वर्ष निगमित कर के संबंध में 'लाफर कर्व' काफी प्रभावी हुआ था। यह निजी आयकर पर 3,000 करोड़ रुपए की सीमा तक वी०डी०आई०एस० के कारण प्रभावी नहीं हुआ। 'लाफर कर्व' काम करेगा और यदि अपनी समाधान योजना की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं एवं पूरी शक्ति से इसे लागू करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत उसकी प्रतीक्षा करना लाभप्रद होगा। ऐसा नहीं है कि राजस्व आय नहीं होगी। अतएव वह मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले करों पर एक बार पुनर्विचार कर सकते हैं। मैं करों का उल्लेख करने नहीं जा रहा हूं। मैंने अपने बजट भाषण में सिलाई मशीन, ट्रैक्टरों, कच्ची सड़कों पर चलने वाले वाहनों तथा मिठाईयों के बारे में कहा था, इन सभी चीजों पर कर लगाने की क्या जरूरत है? कृपया इस सूची पर विचार करें।

ऐसा नहीं है कि डॉ० मनमोहन सिंह या मैंने शून्य सीमा शुल्क भूल से लागू कर दिया। कई मदों पर शून्य सीमा शुल्क इसलिए लगाया गया कि वे बहुसंख्यक जनता के उपभोग की चीजें हैं तथा इन वस्तुओं को भारत की जनता को कम मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिए। कई अन्य उत्पादों पर भी शून्य सीमा शुल्क लगाया गया है ताकि हम जनता को उन चीजों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण बैलगाड़ियों तथा दूसरी ऐसी गाड़ियों के टायर हैं।

अब यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि हमें 8 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाना चाहिए तथा धन अर्जित करना चाहिए। यह मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला है। यह उन वस्तुओं के प्रयोग के लिए लोगों को हतोत्साहित करेगा। लोगों को कम मूल्य पर उत्पाद नहीं मिल सकेंगे। मैं उनकी सूची बताने नहीं जा रहा हूं। मैं उनसे उन पर विचार करने का अनुरोध करूंगा। वह 9,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटा रहे हैं। भारत के लोग करों के माध्यम से केवल केंद्र सरकार को 1,70,000 करोड़ रुपया देती है। वह इसमें 9,000 करोड़ रुपया और क्यों जोड़ना चाहते हैं? मैं जानता हूं कि आज मेरे लिए इतना विलंब हो चुका है कि उन्हें 9,000 करोड़ रुपए के लेवी को वापस लेने के लिए मनाया जा सके। किन्तु वह अपने कुछ करों, कुछ उत्पाद करों, कुछ सीमा शुल्कों विशेषकर चार प्रतिशत पर विचार करें तथा इसे पहले जैसा ही रहने दें।

महोदय, मुद्रास्फीति 7.41 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। यह एक अनंतिम आंकड़ा है। हमारा अनुभव है कि अंतिम आंकड़े सामान्यत: अनंतिम आंकड़ों से लगभग 0.02 या 0.3 प्रतिशत अधिक होते हैं। अतएव, यह कतई संभव है, जैसा आज मैंने कहा कि मुद्रास्फीति पहले ही आठ प्रतिशत तक पहुंच चुका है। यह सिर्फ थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर यह दस प्रतिशत को पार कर चुका है। जहां कृषि श्रम का संबंध है मुद्रास्फीति संभवत: दस प्रतिशत को पार कर चुकी है। मैं जानता हूं कि किसी के लिए भी कुछ सकारात्मक करने के लिए 150 दिन की अवधि अपर्याप्त है। हम चाहते हैं कि अच्छा काम करें। हम उनसे चर्चा कर सकते हैं, उनके साथ वाद-विवाद कर सकते हैं, उनसे झगड़ा कर सकते हैं किन्तु इन सबके बावजूद अंतत: भारत सरकार, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जनता, को सकल तथा विजयी होना है। इसलिए जितना वे चिंतित हैं हम भी उतना ही चिंतित हैं तथा जब हम यह कहते हैं तो हम उन्हें मदद करने का प्रयास करने की भावना से कहते हैं। मैं सच्चे तौर पर इससे यह समझता हूं कि हम उनके लिए सहायक होना चाहते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया मुद्रास्फीति को लक्ष्य करें। जबकि

[श्री पी० चिदम्बरम]

मुद्रास्फीति आठ प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है, जैसा कि मैंने कहा, वह पाएंगे कि दल में भी उनके कुछ मित्र हैं। चूंकि मुद्रास्फीति दस प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है, वे वित्त मंत्री को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे उन परामर्शों को नहीं मानें जो कि अच्छे परामर्श तो लगते हैं किन्तु गलत परामर्श हैं और जिनसे केवल मुद्रास्फीति ही बढ़ेगा। वित्त मंत्री जी, सरकार का मुख्य लक्ष्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होना चाहिए। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे मौद्रिक उपायों पर से नियंत्रण नहीं खोएं तथा वित्तीय साधनों का इस तरह से प्रयोग नहीं करें कि उससे मुद्रास्फीति बढ़े।

मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इन चिंताओं पर ध्यान दें। जब वह कल आएंगे तो मैं आशा करता हूं कि वह हमारे द्वारा सुझाए गए इन तथा दूसरी चिंताओं के प्रति कुछ उपाय कर चुके होंगे जिससे कि हम वित्त विधेयक का समर्थन कर सकें।

[अनुवाद]

•श्री वी० के० चिन्नासामी (गोविचेट्टिपालयम) : माननीय सभापति जी, मैं अपनी मातृभाषा तमिल में बोलना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कषगम के महासचिव हमारे प्रिय नेता डा० पुरात्ची भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कषगम के महासचिव हमारे प्रिय नेता डा० पुरात्ची थलैवी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे और भविष्य में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होंगे। हमारे नेता ने मुझे तमिलनाडु में गोविचेट्टिपालयम चुनाव क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने योग्य बनाया है। मैं पुन: अपना आभार व्यक्त करता हूं।

मैं दिलों में रहने वाले हमारे नेता पुरात्ची थलैवी द्वारा चुनाव में मुझे अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कषगम के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किए जाने के बाद 1,14,626 मतों के अन्तर से जीतने पर अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र गोविचेट्टिपालयम के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अपने दल के कार्यकर्त्ताओं और मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अथक प्रयत्न करके मेरी विजय को सम्भव बनाया।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं और अपने मतदाताओं से सम्बद्ध कुछ सुझाव और मांगें आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। मैंने अपने से ठीक पूर्व श्री चिदम्बरम जी को बोलते हुए सुना जो पूर्व वित्त मंत्री और इस समय लोक सभा के माननीय सदस्य हैं। उन्होंने विधेयक का विस्तृत रूप से विश्लेषण करते हुए कई सुझाव दिए। जहां तक मेरा संबंध है, मैं चिदम्बरम जी जो तमिलनाडु के हैं, को आश्वासन देना चाहूंगा कि इस गठबंधन सरकार के हमारे वित्त मंत्री जी किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं रहेंगे। मैं उन्हें यह भी आश्वासन दे सकता हूं कि अब वित्त मंत्रालय को किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कुशल वित्त मंत्री को नामित कर एक सही चुनाव किया है।

•मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री जी ने पेट्रोल की कीमत में वृद्धि की घोषणा की थी। किन्तु बाद में इस सभा के माननीय सदस्यों की मांग पर विचार करते हुए उन्होंने पेट्रोलियम की कीमतें कम कर दीं। मेरा विचार है कि उनके इस सद्भावपूर्ण कार्य हेतु धन्यवाद देना हमारा कर्त्तव्य है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सभा के लगभग 75% सदस्यगण कृषक परिवारों से हैं। जब वित्त मंत्री ने यूरिया की कीमत में एक रुपया प्रति किलो की वृद्धि का प्रस्ताव किया तो विभिन्न दलों के सदस्यों ने उनका ध्यान आकृष्ट किया था। उन्होंने इसे तुरन्त पचास पैसे कम कर दिया और तत्पश्चात् पूरी तरह हटा लिया जिससे यह सिद्ध हो गया कि हम सकारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं।

भारत में लगभग 70% बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है। वहीं हमारी लगभग 40% जनसंख्या जीवित रहने हेतु भोजन खरीदने और काम करने व अपनी जीविका कमाने योग्य नहीं है।

सरकार को इस अवसर पर यह आग्रह करना मेरा कर्त्तव्य है कि भूख और बीमारी जैसी गरीबी से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाएं। गरीबी और भूख मात्र आर्थिक समस्याएं नहीं हैं, ये राजनीतिक समस्याएं भी समझी जाती हैं। अत: इस देश से गरीबी हटाने के उपाय करने की तात्कालिकता पर बल देना अनावश्यक है। भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दलों की नई सरकार का सांझा उद्देश्य भूख की समस्या को समाप्त करना है। इसका पूरा दायित्व वित्त मंत्री जी पर है।

उत्पादन वृद्धि पर बल देने वाली नई कृषि नीति और खाद्य नीति शीघ्र बनाई जानी चाहिए। मेरे विचार से इसके लिए भारत में नदियों, विशेषकर अन्तर्राज्यीय नदियों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता होगी। हमारे पास पर्याप्त भू और जल संसाधन हैं। अत: इस समय जब हम अमेरिका जैसे देशों द्वारा अपने विरुद्ध लगाई गई आर्थिक पाबंदियों का सामना कर रहे हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए।

मुझे हमारे संस्थापक नेता श्री पुरात्ची थलैवी के कथन का स्मरण होता है। स्वर्गीय डा० एम० जी० रामचन्द्रन, जो अपने समय के बहुत लोकप्रिय फिल्म अभिनेता थे और ग्यारह वर्षों तक तीन बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे, ने विवासायी (किसान) नामक फिल्म, मुझे आशा है श्री चिदम्बरम जी ने शायद वह फिल्म देखी होगी, में यह कहकर हमें सोचने पर मजबूर किया था कि "इस देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वे बहुतायत में हैं। इसलिए हमें अन्य देशों के पास जाकर भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं है।

अत: मैं वित्त मंत्री जी के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि करोड़ों एकड़ भूमि पर्याप्त जल और सिंचाई सुविधाओं के अभाव में शुष्क भूमि और परती भूमि की तरह पड़ी हुई है। यदि हम प्रभावी और व्यवहार्य उपाय करें तो इस भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं। तब हम खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और अन्य देशों को खाद्य सामग्री निर्यात करने योग्य भी बन जाएंगे। अत: मैं गंगा-कावेरी लिंक परियोजना की आवश्यकता पर बल देना चाहूंगा।

हमें आजादी मिले पचास वर्ष हो गए हैं। देश में कांग्रेस जैसे दलों का ही शासन रहा है। उन्होंने कई चीजें अपूर्ण छोड़ी होंगी। अत: मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने देश में कितने समय तक शासन किया बल्कि इससे महत्वपूर्ण यह सिद्ध करना है कि हमने वे परियोजनाएं और योजनाएं कैसे आरम्भ और कार्यान्वित कीं जो स्थायी रूप से प्रभावशाली होंगी। पुरात्ची थलैवी एमजीआर द्रष्टा के रूप में सूझबूझ के साथ कार्य करते थे।

कल कामराज जी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने स्वर्गीय कामराज जी की मध्याह्न भोजन योजना की सराहना की थी। किन्तु वे तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री डा० एम०जी०आर० ही थे जिन्होंने सिद्ध किया था कि ऐसी मध्याह्न पौष्टिक भोजन योजना दीर्घकालिक हो सकती है और वह भी 'प्लस टू' तक। उन्होंने पूरे भारत को एक मार्ग दिखाया था। अत: मैं प्रधानमंत्री जी से तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन योजना आरम्भ करने वाले वहां के एकमात्र मुख्यमंत्री के संकेत को समझकर इस योजना को पूरे देश में लागू करने का अनुरोध करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी से गंगा-कावेरी परियोजना के कार्यान्वयन पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का भी अनुरोध करता हूं। यदि इस पर हजारों करोड़ रुपयों की लागत भी हो तो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस परियोजना को आरम्भ करने का मार्ग अवश्य ढूंढ़ना चाहिए। यदि इस वर्ष इस परियोजना का सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया जाए तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं आगामी सत्र में आपकी यह घोषणा सुनने के लिए उत्सुक हूं कि इस हेतु धनराशि निर्धारित कर दी गई है।

कोयम्बटूर और इरोड जिलों में अन्नूर, अविनाशी, नाम्बियूर, गोबी, पेरून्दुरई, भवानी सागर, करमदइ, उतुकुली, चेन्निमलाइ वे दस पंचायत संघ हैं जहां सूखे और गहरे भूजल स्तर के कारण बड़ा भू-क्षेत्र शुष्क है। सिंचाई जलाशयों और पनधाराओं को भरने के लिए एक योजना विकसित की गई थी। यह अथिक्कदावू योजना एक बड़ी पेयजल योजना के रूप में तैयार की गई थी। 1995 में जब हमारे नेता पुरात्ची थलैवी जी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, एक सर्वेक्षण कराया गया था। तमिलनाडु सरकार के लोक निर्माण विभाग ने एक सर्वेक्षण किया था और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। इस योजना को व्यवहार्य पाया गया था। तमिलनाडु सरकार ने भी परियोजना पर विचार आरम्भ किया था। 135 करोड़ रुपये की इस परियोजना से इन क्षेत्रों के लगभग 20 लाख लोगों को लाभ होगा। इससे उनके प्यास से व्याकुल कंठ के लिए जल उपलब्ध होगा। इस योजना से इन 20 लाख लोगों की पेयजल समस्या का समाधान हो जाएगा। अथिक्कदावू से नहरों के माध्यम से पानी ले जाया जाना है। 135 करोड़ रु. की लागत वाली इस व्यवहार्य योजना के लिए अपेक्षित धनराशि का आबंटन केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। इससे पहले कि किसी लागत वृद्धि के कारण यह परियोजना धराशायी हो जाए, मैं केन्द्र सरकार से इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए अपना 50% हिस्सा शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस पर गौर करें।

मैं बरास्ता इरोड चलने वाली कुछ रेलगाड़ियों के रुकने संबंधी विषय सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। इससे इरोड, तिरुपुर, सलेम, कोयम्बटूर का व्यवसायी समुदाय काफी प्रभावित होता है। अन्य राज्यों, विशेषकर उत्तरी राज्यों को भेजे जाने वाले हल्दी, चीनी, तेल, हथकरघा उत्पादों आदि हेतु परिवहन की समस्या खड़ी हो गई है। पुन: मार्ग निर्धारण के बाद चार-पांच रेलगाड़ियां इस मार्ग पर रोकी जा रही हैं। अपर्याप्त रेल यातायात के कारण इस माल का परिवहन उतनी आसानी से नहीं हो सकता जैसे पहले हुआ करता था। अत: मैं सरकार से, विशेषकर रेल मंत्रालय से, इन आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए कुछ अन्य रेलगाड़ियां तुरन्त उपलब्ध कराने का आग्रह करूंगा।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

एक माननीय सदस्य : महोदय, कृपया उन्हें बोलने दें। यह उनका पहला भाषण है।

श्री वी०के० चिन्नासामी : इरोड के हस्तकरघा बुनकर संघ ने माननीय प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया है।

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात एक मिनट में समाप्त करने दें।

श्री वी०के० चिन्नासामी : मेरे निर्वाचन क्षेत्र के उतुकुली, चेन्निमलई और थिरूपुर जैसे आसपास के स्थानों और शहरी घर में तैयार किए गए मक्खन से घी का उत्पादन कुटीर उद्योग के रूप में होता है। इस क्षेत्र के सभी गांवों के प्रत्येक घर द्वारा इस ग्रामीण स्तर के कुटीर उद्योग में सहयोग दिया जाता है। घी और मक्खन पर उत्पाद शुल्क लगाया गया है। इसे वापिस लिया जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री से हल्दी, मिर्च और टाइल्स पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को वापिस लिए जाने का भी अनुरोध करता हूं।

हस्तकरघा बुनकर स्वर्गीय डा० पुराताची थालावियार एम०जी०आर० के कार्यकाल से विगत 15 वर्षों से 20 प्रतिशत की रियायत प्राप्त कर रहे थे। गत 2 वर्षों से हस्तकरघा बुनकरों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह 20 प्रतिशत के रियायत योजना को वापिस लिए जाने के कारण हुआ है। तमिलनाडु की डी०एम०के० सरकार ने इस योजना को वापिस ले लिया है। हस्तकरघा बुनकरों की स्थिति हस्तकरघा वस्तुओं की बिक्री में जड़ता आने के कारण और भी दयनीय हो गई है। मैं केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करने और केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष भर रियायत देकर हस्तकरघा वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने का अनुरोध करता हूं। यह बेहतर होगा यदि केन्द्र सरकार स्वयं इन वस्तुओं की खरीद कर इसे घरेलू बाजार अथवा निर्यात द्वारा अन्य देशों में इनकी बिक्री करे। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक मिनट समाप्त हो चुका है। श्री चिन्नासामी कृपया अपनी जगह बैठ जाएं। आप 15 मिनट तक बोल चुके हैं। अब आप कृपया बैठ जाएं। अब श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन बोलेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री प्रेमचन्द्रन का नाम लिया है।

श्री वी०के० चिन्नासामी : कृपया मुझे एक मिनट का समय और दें।

[श्री वी०के० चिन्नासामी]

इस समय यह अफवाह है कि केन्द्र सरकार तमिलनाडु में तम्बाकू की खेती पर प्रतिबन्ध लगाने जा रही है। इससे खलबली मच गई है और बिक्री में कठिनाई हो रही है। किसानों में अत्यधिक असंतोष है और उन्होंने तम्बाकू की खेती छोड़ने का फैसला किया है। व्यापारियों द्वारा उन्हें अत्यन्त कम मूल्य दिया जा रहा है। अतः मैं केन्द्र सरकार से तमिलनाडु में तम्बाकू की खेती पर प्रतिबंध न लगाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि इससे इस पर निर्भर रहने वाले हजारों कृषकों और परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा।

सभापति महोदय : आपने 15 मिनट का समय ले लिया है। आप हमारे दल के दूसरे वक्ता हैं।

श्री वी०के० चिन्नासामी : कृपया मुझे एक मिनट और बोलने दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री प्रेमचन्द्रन के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। श्री चिन्नासामी अब आप अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(व्यवधान)•

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है, यह डाक कर्मचारियों की हड़ताल से संबंधित है। हमें अन्य सूत्रों से पता चला है कि हड़ताल समाप्त हो गई है लेकिन सरकार ने इसे सभा को सूचित नहीं किया है। अतः क्या आप सरकार को सभा की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने का निर्देश देंगे? हम जानना चाहते हैं कि यह वास्तव में समाप्त हो गई है अथवा नहीं?

सभापति महोदय : मुझे यह पता नहीं है कि वित्त मंत्री सभा को सूचित करने की स्थिति में हैं अथवा नहीं।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं अपने सहयोगी को सूचित कर देता हूं।

सभापति महोदय : संचार मंत्री को यह सूचित कर दिया जाए की वे डाक कर्मचारियों की हड़ताल की वास्तविक स्थिति के संबंध में सभा को जानकारी दें।

(व्यवधान)

श्री वी०के० चिन्नासामी : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दें।

सभापति महोदय : आप अपने कागजात वित्त मंत्री को दे सकते हैं। मैं श्री प्रेमचन्द्रन का नाम पहले ही ले चुका हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री प्रेमचन्द्रन के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : सभापति महोदय, मैं आपको वित्त विधेयक (संख्या 2) 1998 के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने हेतु धन्यवाद देता हूं।

मैं इस विधेयक के विरोध में बोल रहा हूं क्योंकि इस विधेयक का आम स्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों अथवा निकायों और समाज के धनी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का है। इस बजट की अवधारणा पर व्यापक चर्चा हुई है। मैं इस वित्त विधेयक के संबंध में एक और बात कहना चाहूंगा। इन दिनों यह एक प्रचलन हो गया है कि जब कभी भी हम बजट प्रस्तावों को तैयार करते हैं अथवा कर प्रस्तावों को तैयार करते हैं तो हम समाज के धनी वर्ग को अत्यधिक महत्व देते हैं। हम देश के मेहनतकश वर्ग, कामकाजी वर्ग, किसानों और आम व्यक्तियों की अनदेखी कर रहे हैं। यह वित्त विधेयक भी समाज के धनी और सम्पन्न वर्गों को लाभ पहुंचाते हुए इसी दिशा में बढ़ रहा है।

हम वित्त मंत्री से सहमत हैं कि देश की आर्थिक वृद्धि कल्याण संबंधी उपायों को निर्धारित करने में मुख्य कारक है। लेकिन आर्थिक वृद्धि समानता के साथ होनी चाहिए।

सभापति महोदय : श्री प्रेमचन्द्रन, कृपया एक मिनट के लिए रुकें, संसदीय कार्य मंत्री यहां हैं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, पोस्टल स्ट्राइक के बारे में मंत्री महोदया राज्य सभा में साढ़े पांच बजे स्टेटमेंट दे रही हैं, क्योंकि यह सदन साढ़े पांच बजे एडजार्न हो जाता है। उसके बाद मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे यहां आ जाएं।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० चाक्को (इदुक्की) : पूरा देश इस कठिनाई से गुजर रहा है। कृपया यह बताएं कि हड़ताल समाप्त हुई है अथवा नहीं। हम कोई भाषण नहीं चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : वे स्वयं यहां आकर बताएंगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वे राज्य सभा में एक वक्तव्य देने जा रही हैं।

[हिन्दी]

श्री मदल लाल खुराना : वे बताएंगी साढ़े पांच बजे वहां स्टेटमेंट देकर तुरन्त यहां आ जाएंगी।

[अनुवाद]

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना के साथ-साथ राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त कल्याणकारी राज्य और आर्थिक न्याय की व्यवस्था करते हैं। जहां तक इस वित्त विधेयक का

सवाल है, इस संबंध में सबसे मुख्य बात यह है कि क्या ये कर प्रस्ताव आर्थिक न्याय के सिद्धान्त के पोषक हैं अथवा अवशोषक। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि ये न्यायिक सिद्धान्त का पोषण नहीं करते हैं क्योंकि हमारे देश के कर ढांचे में सबसे बड़ी कमी है, वह यह है कि हम निर्धारित समय सीमा में कर संकलन नहीं कर पाते हैं। इसी मुख्य बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारा कर संग्रह तंत्र सही और प्रभावी नहीं है। यह आश्चर्यजनक बात नोट करने वाली है कि इस समय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत कुल मिलाकर 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूल करना बाकी है। यदि इसी धन की वसूली हो जाती है तो इसी से हमारी बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था भी सुधर सकती है। इन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण में भी अच्छा-खासा अंतर है। आइए अब देखें कि वर्ष 1992-93 से लेकर 1997-98 तक सकल कर राजस्व में इन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का कितने प्रतिशत सहयोग रहा। इस अवधि में 36 प्रतिशत योगदान प्रत्यक्ष करों का रहा और 64 प्रतिशत योगदान अप्रत्यक्ष करों का रहा जो कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के द्वारा प्राप्त किया गया। इसका अर्थ है कि हम अधिकांशतः अप्रत्यक्ष करों पर आश्रित हैं। तभी तो कुल कर राजस्व का 64 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ और प्रत्यक्ष करों से केवल 36 प्रतिशत की ही प्राप्ति हुई। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे बचा जाना चाहिए क्योंकि यह भारत जैसे देश जहां कि 40 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे हो, ऐसे देश के लिए अच्छा नहीं है। इससे देश की आम जनता पर भारी बोझ पड़ेगा और इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भी उलटा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए महोदय मेरा सुझाव है कि कर संग्रहण के लिए एक सही और प्रभावी प्रवर्तन तंत्र होना चाहिए।

रियायतों, लाभों और विस्तार के बारे में मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि इन्हें तो हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों, निगमों और समाज के धनी लोगों को दे रहे हैं। पिछले वर्ष के बजट में पूर्व वित्त मंत्री जी ने वी.डी.आई.एस. नाम की एक नई योजना आरम्भ की थी। परन्तु हमें यह मालूम नहीं कि इसके अन्तर्गत कितने लोगों ने कितनी धनराशि जमा करवाई। कौन कितनी धनराशि जमा करा रहा है, इस संबंध में तो गरिमापूर्ण उच्चतम निकाय अर्थात् संसद को कोई जानकारी नहीं है। इसे व्यक्त नहीं किया गया है, हो सकता है यह योजना की कोई शर्त हो। लेकिन सुनने में यह आया है कि इसमें अनेक राजनेता संलिप्त हैं। मुझे किसी स्रोत से यह मालूम हुआ है कि आयकर आयुक्त के कार्यालय में दो ट्रंकों में भरकर 170 करोड़ रुपये लाए गए और वे इसे गिनने तक में असमर्थ थे। मैं तो कहूंगा कि हम अप्रत्यक्ष रूप से काले धन को बढ़ावा दे रहे हैं।

अप्रत्यक्ष रूप से हम कर चोरी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस योजना की आखिरी तारीख निकल जाने के पश्चात् धन जमा कराने वालों के नामों का खुलासा करना संभव है? अब कर विवाद समाधान नाम की एक नई योजना आई है। 31 मार्च, 1998 से बकाया करों और ब्याज में छूट देकर सरकार अनेक रियायतें दे रही है और साथ ही मुकदमे और दंड का भी अभयदान दे रही है। कर चोरी करने वालों को छूट, रियायत और लाभ देने की स्थायी प्रथा नहीं बनाई जानी चाहिए क्योंकि ऐसे में कर चोरी की आदत पड़ जाएगी।

अब मैं उत्पाद शुल्क ढांचे की बात पर आता हूं। अधिकांश माननीय सदस्यों ने, बंद पैकेट चाय और ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों तथा मिठाई पर लगाए गए आठ प्रतिशत शुल्क, जिससे आम आदमी पर बहुत बोझ बढ़ जाएगा, पर अपनी-अपनी चिन्ता व्यक्त की है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य जी कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर लीजिए।

श्री एन०के० प्रेमचन्दन : मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय लगाए करों के प्रस्तावों को वापिस ले लेंगे।

अब मैं अगले प्रस्ताव रबड़ कयर मेट्रेस पर लगाए 5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क पर आता हूं। यह पूर्णतया कृषि पर आधारित औद्योगिक उत्पादन है क्योंकि कयर मेट्रेस का 70 प्रतिशत नारियल रेशे से प्राप्त होता है और 30 प्रतिशत रबड़ से बनाया जाता है। यदि आप इस पर 5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगा देते हैं तो इससे सम्पूर्ण टायर उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा जो कि सरकार की नीति के भी खिलाफ है और साथ ही बजट भाषण में भी पर्यावरणानुकूल संबंधों पर अधिक जोर दिया गया है। फिर यह पांच प्रतिशत उत्पाद शुल्क क्यों लगाया जा रहा है? इसकी अनिवार्यता को सिद्ध नहीं किया जा सकता। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इसे वापिस लेने का अनुरोध करता हूं क्योंकि रबड़युक्त कयर टायर उद्योग को पोलियूरथीनफोम के साथ मुकाबला करना पड़ रहा है क्योंकि पोलियूरथीनफोम पूर्णतया आयातित कच्चे माल से निर्मित होती है। इससे हमारे स्वदेशी उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा और साथ ही इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। भारत में रबड़ आधारित कयर उद्योगों की कुल संख्या 92 है और इससे नारियल रेशा अलग करने वाली एक हजार लघु इकाइयां भी जुड़ी हैं। इस शुल्क के लगाने से इन सभी इकाइयों पर असर पड़ेगा। रबड़युक्त कयर मेट्रेस पर लगाए गए 5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को वापस लिया जाना चाहिए।

मैं कैपटोलेक्टम पर लगाए गए शुल्क के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा कि 30 प्रतिशत शुल्क को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। एफ.ए.सी.टी. केरल में सरकारी क्षेत्र की प्रमुख संस्था है और सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर देने से इसे बहुत नुकसान होगा। इस संस्था पर सामाजिक जिम्मेदारी भी है क्योंकि देश की खाद्यान्न सुरक्षा मुख्यतः उर्वरकों पर ही निर्भर करती है। इसलिए मेरे सुझाव पर विचार किया जाना चाहिए।

अब मैं टापेल शुल्क की बात पर आता हूं। डाक सामग्री की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। अन्तर्देशीय पत्र की कीमत को एक रुपये से बढ़ाकर डेढ़ रुपया कर दिया गया है और इसी तरह लिफाफे की कीमत को दो रुपये से बढ़ाकर तीन रुपये कर दिया गया है। और इसका सीधा प्रभाव देश की पूरी आम जनता पर पड़ा है क्योंकि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी संचार के इन्हीं माध्यमों पर निर्भर रहता है। धनी वर्ग के लोगों के पास तो अनेक प्रकार की अत्यन्त आधुनिक प्रौद्योगिकीय उपकरण मौजूद हैं। इसलिए इस मामले की भी पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

[श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन]

वित्त मंत्री जी ने सड़क कोष के लिए पेट्रोल की कीमतें भी एक रुपया प्रति लीटर बढ़ा दी हैं। जिससे सरकार को सड़क विकास कोष योजना के लिए 790 करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद है। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि सरकार को बीओटी योजना की तरह बुनियादी सुविधाओं का विकास करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार को पेट्रोल पर अधिक शुल्क नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि आम आदमी पर भारी बोझ पड़ता है।

खेलों के मामले में मैं माननीय वित्त मंत्री जी का स्वागत करना चाहूंगा कि उन्होंने देश में खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय खेल-कूद कोष की स्थापना की घोषणा की है। यह अत्यन्त स्वागत योग्य सुझाव है। विश्वकप फुटबाल टूर्नामेंट के फाइनल से हम सब लोग परिचित हैं कि इसमें भारत की क्या स्थिति रही। अटलांटा ओलम्पिक की तरह, अगर लिएंडर पेस नहीं होते तो भारत को एक भी मेडल नहीं मिलता। उसी ने भारत को कांस्य पदक दिलाया। अन्यथा मेडलों की सूची में भारत का कहीं भी नाम नहीं होता। इसीलिए हमें अपने देश में खेल-कूद को बढ़ावा देना चाहिए और इसके लिए एक कोष की स्थापना करनी पड़ेगी। देश में खेल-कूद का उचित प्रशासन और प्रबंधन होना चाहिए। सरकार की एक खेल नीति होनी चाहिए जिसके आधार पर हम खेल-कूद को बढ़ावा दे सकें।

केवल 40 लाख की आबादी वाला क्रोएशिया विश्व कप फुटबाल टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहा। परन्तु भारत किस स्थान पर रहा? मैं समझता हूं कि इसमें भारत का स्थान 106वां था। इतने पानी में हैं हम। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी के सुझाव का स्वागत करता हूं। खेलों का प्रशासन और प्रबंधन सही ढंग से होना चाहिए। मैं सरकार के खेल नीति संबंधी इरादे का स्वागत करता हूं। सभी प्रकार के कर चाहे वह प्रत्यक्ष कर हों, अप्रत्यक्ष कर हों, सेवा शुल्क हो अथवा टेवल राजस्व हो सभी केन्द्रीय संसाधनों को जुटाते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : बस मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। मेरे राज्य के बारे में दो बातें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय संसाधनों का राज्यों के बीच न्यायपूर्ण और बराबर का बंटबारा नहीं है। उदाहरण के तौर पर केरल को आबंटित किया गया प्रति व्यक्ति परिव्यय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। केरल का प्रति व्यक्ति आबंटन 1883 रुपये है जबकि राष्ट्रीय औसत 2162 रुपये है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : संचार मंत्री एक वक्तव्य देना चाहती हैं और उसके पश्चात् वह राज्य सभा जाना चाहती हैं।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं केवल एक मिनट लूंगा। मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस कमी को दूर किया जाए। इस पर विचार किया जाना चाहिए और इसे ठीक किया जाना चाहिए।

इसी तरह से केरल में केन्द्रीय क्षेत्र का निवेश 1975 में 3.24 प्रतिशत से घटकर 1995 में 1.8 प्रतिशत हो गया है। मेरा सुझाव है कि योजना आबंटन और केन्द्रीय निवेश जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय और बेरोजगारी पर आधारित होना चाहिए।

निगमित आयकर को समभागी राजस्व बनाना होगा। दसवें वित्त आयोग ने इसकी सिफारिश की है और इसे स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने भी इसे स्वीकार किया है। मुझे आशा है कि वह अविलम्ब इस संबंध में सभा के समक्ष प्रस्ताव लाएंगे ताकि हम उसे भी अनुमोदित कर सकें।

मैं अन्त में एक और सुझाव देना चाहता हूं। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि खेल-कूद निधि की तरह ही खाड़ी देशों से लौट कर आने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए एक कोष बनाया जाए। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा था कि 30 लाख भारतीय खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि खाड़ी देश हमारे लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला मुख्य क्षेत्र है। खाड़ी देशों में रह रहे अनिवासी भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। तीस हजार मलयाली लोग संयुक्त अरब अमीरात से लौटे हैं। इससे 1,000 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ है। तीस प्रतिशत मुद्रा खाड़ी देशों से अर्जित होती है। मेरा सुझाव है कि एक स्थाई पुनर्वास कोष और योजना बनाई जाए ताकि खाड़ी देशों से लौटे लोगों का पुनर्वास किया जा सके। इससे इन लोगों के कल्याण में सहायता मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, डाक कर्मचारियों की हड़ताल का क्या हुआ? क्या कोई समझौता हुआ है अथवा नहीं? मंत्री महोदय कहां हैं? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह आती ही होंगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब श्री चमन लाल गुप्त बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : माननीय संचार मंत्री महोदया यहां पर उपस्थित हैं। हम डाक कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में नवीनतम स्थिति जानना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात शुरू करने दीजिए। वह आकर वक्तव्य देंगी। कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : उन्हें माननीय अध्यक्ष महोदय ने बुलाया है। कृपया थोड़ा धैर्य रखिए। वह वापिस आ रही हैं। *(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : डाक कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : गुप्ता जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। संचार मंत्री को वक्तव्य देने दीजिए।

अपराह्न 5.46 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

डाक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त किया जाना

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सभापति जी, मेरे लिए यह एक बहुत सुखद संयोग है कि जिस मुद्दे को आप इतनी इनटैंसिटी के साथ इस सदन में उठा रहे थे, उसके समाधान की घोषणा मैं उस समय कर रही हूं, जब आप पीठ पर विराजमान हैं। कई बार समय इतनी तेज गति से दौड़ता है कि सुबह की घटना शाम को बासी हो जाती है। आज सुबह हमारे साथी बहुत उत्तेजना से इसी हड़ताल से संबंधित एक मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हड़ताल का संतोषपूर्ण हल निकल गया है। यह हस्ताक्षरित वक्तव्य है जो सैक्रेटरी जनरल नेशनल फैडरेशन ऑफ पोस्टल एम्पलाइज श्री आर०एल० भट्टाचार्य और सैक्रेटरी जनरल फैडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल आर्गेनाइजेशन श्री पदमानाभन ने संयुक्त रूप से दस्तखत करके दिया है। मैं इस वक्तव्य को पढ़ना चाहती हूं।

[अनुवाद]

15.7.98 को ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ बहुत उपयोगी बातचीत हुई। 16.7.98 को 'ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन' की माननीय संचार मंत्री से मुलाकात हुई थी और उन्होंने यूनियन से उन पर पूरा भरोसा करने की अपील की और मांग-पत्र में दी गई तलवार समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन सहित सभी मुद्दों का सहानुभूतिपूर्वक और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। 'ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन' ने मंत्री महोदया द्वारा दिए गए आश्वासन में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया और हड़ताल तुरन्त समाप्त कर दी। 'ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन' ने सभी कर्मचारियों से तुरन्त काम शुरू करने की अपील की। 'ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन' ने कर्मचारियों की ओर से मंत्री महोदया को आश्वासन दिया है कि रुके हुए काम को यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा और सामान्य स्थिति बहाल की जाएगी।

[हिन्दी]

सभापति जी, आपने ट्रेड यूनियन के नेता के तौर पर बहुत बार हड़ताल के दौर देखे होंगे, लेकिन शायद पहली बार यह हस्ताक्षरित वक्तव्य गवर्नमेंट और ट्रेड यूनियन के बीच केवल म्यूचअल ट्रस्ट और कॉनफिडैंस का आदर्श दस्तावेज है। शायद हम नई शताब्दी में ट्रेड यूनियनिज्म के इस नए दौर में शामिल हो रहे हैं। ऐसा विश्वास मैं सदन के लोगों को देना चाहती हूं कि यह नया कदम मील का पत्थर साबित होगा। आप लोगों का जो सहयोग मिला, उसके लिए आभार प्रकट करना चाहूंगी।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : हम इसके लिए माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं।

[अनुवाद]

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैं इस मुद्दे का समाधान करने के माननीय मंत्री महोदया को बधाई देना चाहता हूं। कृपया हमें यह बताएं कि आप तलवार समिति की रिपोर्ट कब तक कार्यान्वित करेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज : बहुत जल्दी।

प्रो० पी०जे० कुरियन : हम आपके शब्दों "बहुत जल्दी" को सभा को दिया गया आश्वासन मान रहे हैं।

अपराह्न 5.48 बजे

वित्त (संख्याक-2) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री चमन लाल गुप्त बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति जी, मैं बहुत कम समय लूंगा। मैं फाइनैन्स बिल के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। पहली बार इस बजट में आवास, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं कल्याण के क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया गया है। जो क्षेत्र पहले निग्लैक्टिड रहते थे, उनकी ओर ध्यान दिया गया है। पहली बार जमीन से जुड़ा बजट हमारे सामने आया है और उससे संबंधित टैक्स प्रपोजल्स हैं।

सभापति जी, मैं अपनी रियासत से ताल्लुक रखने वाले दो-तीन मुद्दे आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। ऐसे बहुत सारे जिले हैं जिनको आपने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है। इसके अन्तर्गत दस साल के लिए उन जिलों को टैक्स हॉलिडे मिलेगा। दुर्भाग्य से 1993-98 तक सारा क्षेत्र टैक्स फ्री था। आप जानते हैं कि वहां पर किस तरह से इनसर्जैंसी और मिलिटेंसी जारी है। मेरी जानकारी के अनुसार कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड डिक्लेयर नहीं किया गया है। लद्दाख जैसे क्षेत्र को भी हॉलिडे टैक्स की सीमा से बाहर रखा हुआ था। मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि जिस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों को इनकम टैक्स से मुक्त किया हुआ है, उसी प्रकार से पूरे कश्मीर के बाकी जिलों को भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करके टैक्स हॉलिडे में इनक्लूड करना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्माल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनमें तीन करोड़ तक इनवैस्टमेंट माना जाता था लेकिन उसे अब एक करोड़ तक कर दिया गया है।

वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा : वह रिवाईज कर दिया गया है।

श्री चमल लाल गुप्त : अखबारों में निकला है कि यह एक करोड़ माना जाएगा लेकिन लगातार कीमतों के बढ़ते रहने से वह रिडक्शन कोई जरूरी नहीं है। इसलिए लिमिट तीन करोड़ ही रखनी पड़ेगी।

[श्री चमन लाल गुप्त]

सभापति महोदय, हमारे यहां पर तारपीन ऑयल की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। जंगलात से पाईन ऑयल लिया जाता था और इस आधार पर वहां 40 इंडस्ट्रीज चलती हैं। देश के बाकी हिस्सों में ऐसी इंडस्ट्रीज की तादाद 150 है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह से जंगलों का नाश हुआ है, उसके बाद यह रॉ-मैटीरियल अपने देश में बहुत कम हो गया है। इस मैटीरियल को बाहर से मंगवाना पड़ रहा है परन्तु बाहर से मंगाने पर भी 8 परसेंट एक्साईज ड्यूटी लगी हुई है। इस एक्साईज ड्यूटी के चलते हम बाहर के देशों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। इस कारण ऐसी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। इस पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि डेयरी फार्म, नमकीन और मिठाई आदि पर जो 8 प्रतिशत का टैक्स लगाया है, वह किसी को दिखाई नहीं देता क्योंकि सब तरफ से मांग की जा रही है कि छोटे घर में बनाने वाले और खुद बनाकर बेचने वाले लोग हैं, बड़ी इंडस्ट्री चलाने वाले नहीं हैं, इनको किसी विदेशी इंडस्ट्री से कम्पीट करके दिखाना ठीक नहीं है। इसलिए उन पर टैक्स हटा लिया जाए।

सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चेनाब नदी पर 15 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है परन्तु आज तक उस पर कोई प्राजेक्ट नहीं बन पाया है। इसका कारण यह है कि इस सैक्टर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहां पर दुलहस्ती में एक प्रोजैक्ट 1983 में शुरू हुआ था, पिछली सरकार ने उसे चालू किया था लेकिन अब वह फिर से बन्द हो रहा है। मेरा निवेदन है कि कम से कम थोड़ा बिजली की तरफ ध्यान दें। यदि इस तरफ कोशिश करेंगे तो हमारी रियासत आत्मनिर्भर हो सकती है। आपसे पैसा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बशर्ते हमारे बिजली के प्रोजैक्ट्स यहां से क्लीयर कर दें और एन.एच.पी.सी. अपने हाथ में लेकर उन्हें डेवलेप करना शुरू कर दें।

सभापति महोदय, एक बात यहां पर बार-बार कही गई है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए पैसा केन्द्र सरकार देती है। इनमें जवाहर रोजगार योजना प्रमुख है। यहां सभी माननीय सदस्यों द्वारा यह कहा गया है कि इनमें कोई भी राज्य सरकार किसी तरह से एम. पी. को साथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपने कहा कि इंस्ट्रक्शन्स दे रहे हैं लेकिन चार महीने के बाद भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एम.पी. को सहभागी नहीं बनाया गया है। मैं चाहूंगा कि आपके यहां से मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन्स जानी चाहिए कि जो पैसा इन योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है वह तब तक खर्च नहीं होगा जब तक लोकल एम.पी. को उसके साथ नहीं जोड़ दिया जाएगा।

अंत में, जो बात मैंने सुबह कही थी कि हमारे जम्मू कश्मीर में 50 हजार रुपये के कर्जे आपने माफ कर दिए हैं, विशेषकर जो व्यापारी है, उसका कर्जा माफ हो गया है। जो हमारा शिकारे वाला है, उसका कर्जा माफ हो गया है, छोटे दुकानदार का कर्जा माफ हो गया है परंतु दुर्भागा किसान ही ऐसा है कि जिसका कर्जा आपने माफ नहीं किया है। 50,000 रुपये तक का एग्रीकल्चर लोन उसी पैकेज में आ जाए और वह भी माफ हो, यह मेरी प्रार्थना है। मुझे पूरा भरोसा है कि इन दो-तीन मुद्दों पर मंत्री जी ध्यान देंगे और हमारी रियासत जिस तरह से इनसरजेन्सी से लड़ रही है, अच्छी तरह से वह लड़ सके, इसके लिए उनको तरजीह दें, ऐसा ही मुझे निवेदन करना है।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० चाक्को (इदुक्की) : सभापति जी, श्री यशवन्त सिन्हा इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार के वित्त मंत्री हैं। उनकी वर्तमान स्थिति को समझना मेरे लिए बहुत कठिन है क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के नेता के रूप में जानता हूं। यह परिवर्तन तो हाल ही में हुआ है।

मुझे यह आशा कभी नहीं थी कि यशवन्त सिन्हा जी एक आम भारतीय गृहिणी द्वारा अतिथि को एक प्याली चाय दिए जाने के सौभाग्य से उसे वंचित कर देंगे। यह उनके बजट का क्रूरतम भाग रहा। दिल्ली में रहते हुए सम्भवतः हम अपने अतिथियों को एक प्याली चाय से अधिक कुछ भी नहीं दे सकते। अधिक से अधिक हम केवल एक प्याली चाय ही दे सकते हैं। आप जानते हैं कि सरकार संसद सदस्यों को मात्र 1,500 रु. वेतन दे रही है। आज हमारे लिए भी एक प्याली चाय देना कितना महंगा हो गया है। मैं नहीं जानता कि जो अतिरिक्त वायदा श्रीमती सिन्हा करने जा रही हैं उसके बारे में उन्होंने सिन्हा जी को बताया है या नहीं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : कृपया यह बताएं कि श्रीमती चाक्को ने आपको यहां क्या कहने के लिए कहा है।

श्री पी०सी० चाक्को : यही तो मेरे घर का भी दुखड़ा है जिसे मैं यहां वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं।

मार्का वाली एक किलोग्राम चाय 10 से 15 रुपये तक महंगी होने वाली है। अर्थात् मार्का वाले उत्पादों से आपको एक प्रकार की चिढ़ हो गई है। पता नहीं आपको ये चिढ़ क्यों हो गई है।

मैं भी चाय संबंधी बोर्ड की कुछ समितियों से सम्बद्ध रहा हूं। मुझे चाय संबंधी बोर्ड के लिए टंडन समिति की सिफारिशें याद हैं। यह चाय संबंधी बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति थी जिसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश की थी कि खुली चाय के बजाय पैक की गई चाय की बिक्री को प्रोत्साहित किया जाए। खुली चाय में मिलावट की सम्भावनाएं पैक की गई चाय की तुलना में कहीं अधिक होती हैं। चाय संबंधी बोर्ड द्वारा नियुक्त एक अन्य समिति ने बड़े स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि पैक की गई चाय पर उत्पाद शुल्क और किसी अन्य 'लेवी' को हटाया जाना चाहिए। यह सिफारिश चाय बोर्ड द्वारा गठित समिति ने की है जो कि भारत सरकार का एक संगठन है। पैकिंग वाली चाय की बहुत सारी विशेषताएं हैं, सस्ती पैकिंग, अधिकतम खुदरा मूल्य प्रत्येक पैक पर लिखा होना, उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाना आदि। परन्तु आपने पैकिंग वाली श्रेणी में से बहुत सारी मदें हटा ली हैं जो कि कर मुक्त सूची में हैं, जिन पर अब 8 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 13 प्रतिशत शुल्क लगा दिया गया है।

मैं नहीं जानता कि आपने देश के डेरी उद्योग के प्रति प्रतिकूल रवैया क्यों अपनाया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसके प्रति कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है। परन्तु आपने ब्रांड वाले मक्खन, ब्रांड वाले पनीर, ब्रांड वाले घी, दूध, पाउडर और मसालों पर अधिक कर लगाए हैं। मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हूं जो कि मसालों के बागों से भरपूर है। देश में प्रयोग होने वाले मसाले जैसे इलायची, काली मिर्च, वैनिला का उत्पादन यहां होता है। बजट प्रस्तुत होने से ठीक एक दिन पहले मैं एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति था परन्तु बजट प्रस्तुत होने के पश्चात् मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का सबसे दुर्भाग्यशाली प्रतिनिधि बन गया।

अपराह्न 6.00 बजे

पैकिंग वाले मसालों पर भी अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाया गया है, वहां और भी बहुत सारी मदें हैं परन्तु समयाभाव के कारण मैं अधिक विवरण नहीं दे पाऊंगा। परन्तु इस बजट से निश्चित रूप से मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

मुझे याद है कि पूर्व वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम ने बजट प्रस्तुत होने के पश्चात् कहा था कि "यह बजट अत्यधिक मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला होगा।" मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि अधिकतर मुद्रास्फीति का प्रभाव तो खाद्य उत्पादों पर अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने के कारण, विशेषकर पैकिंग वाले खाद्य उत्पादों और चाय के कारण ही बढ़ा है। आपने इससे इन्कार किया है और कहा है कि सभी लोगों ने यह कहा है कि इससे मुद्रास्फीति में वृद्धि नहीं होगी हम इस पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। आज मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है? पूर्व वित्त मंत्री ने इसके बारे में काफी व्याख्यात्मक रूप में कहा है और इसलिए मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। परन्तु इस देश में मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक पर पूरी तरह से आधारित है जो कि बिल्कुल गलत है। मैं माननीय वित्त मंत्री पर इस बात का आरोप नहीं लगा रहा हूं परन्तु मैं उस प्रणाली पर आरोप लगा रहा हूं जो कि उन्हें विरासत में मिली है। इसे सुधारने के लिए उन्हें साहस करना चाहिए। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।

10 जुलाई, 1998 के सप्ताहांत तक मुद्रास्फीति की आधिकारिक दर 7.41 प्रतिशत थी जो कि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थी, चालू सप्ताह के लिए यही मुद्रास्फीति दर है। पिछले सप्ताह की मुद्रास्फीति की दर 6.86 प्रतिशत से बढ़कर इस सप्ताह मुद्रास्फीति की दर 7.41 प्रतिशत हो गई है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि चार दिन में मुद्रा स्फीति में लगभग 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देश में इस तरह से मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है। मैं नहीं जानता कि क्या माननीय वित्त मंत्री इस तरह के अप्राकृतिक तरीके से जैसा कि वे कहते हैं हम *(व्यवधान)*

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, अब छह बजे हैं। कृपया समय सीमा बढ़ाई जाए।

श्री राम नाईक : महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्यों को अभी भी बोलना है। आपके पास माननीय सदस्यों की बड़ी लम्बी सूची है। आज सुबह माननीय अध्यक्ष महोदय ने राजनीतिक दलों के नेताओं और ग्रुपों के नेताओं के साथ बैठक की थी। ऐसा सुझाव है कि सभी माननीय सदस्य आज बोलेंगे और चर्चा का उत्तर कल माननीय वित्त मंत्री देंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि प्रतीक्षारत माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान किया जा सके।

सभापति महोदय : इस विषय पर बोलने के लिए लगभग 25 सदस्य हैं। अभी हम सदन का समय 8 बजे तक बढ़ा देते हैं।

प्रो० पी०जे० कुरियन : मैं इस बात से सहमत हूं परन्तु मेरा एक अनुरोध है कि हमारे पक्ष के सभी माननीय सदस्य जो बोलना चाहते हैं उनको बोलने की अनुमति दी जाए।

श्री राम नाईक : सभी को अवसर मिलना चाहिए।

प्रो० पी०जे० कुरियन : मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं।

सभापति महोदय : लेकिन सदस्यों को पांच मिनट से अधिक नहीं लेना चाहिए।

श्री राम नाईक : हां, माननीय सदस्यों को पांच मिनट से अधिक नहीं लेने चाहिए, सिवाय श्री पी०सी० चाक्को के, जो पहले ही पन्द्रह मिनट ले चुके हैं।

श्री टी०आर० बालू (मद्रास दक्षिण) : इस तरह समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल पांच मिनट देने का क्या फायदा है? हम पांच मिनट में अपनी बात कैसे समाप्त कर सकते हैं?

सभापति महोदय : ठीक है, आप दस मिनट तक बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी०सी० चाक्को : महोदय, श्री राम नाईक द्वारा मुझे दी गई विशेष रियायत के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा का समय आठ बजे तक बढ़ा दिया गया है।

श्री पी०सी० चाक्को : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं अन्य माननीय सदस्यों का समय नहीं लूंगा।

माननीय सदस्यों और देश की जनता की चिन्ता का विषय यह है कि आज मुद्रास्फीति की दर तेजी से बढ़ी है जो वित्त मंत्री की सभी भविष्यवाणियों और वक्तव्यों को खोखला साबित करती है। 10 जुलाई, 1998 की स्थिति के अनुसार मुद्रास्फीति की दर के सरकारी आंकड़े 7.41 प्रतिशत हैं। यह हाल ही में उपलब्ध सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार है। लेकिन यह थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। यदि हम खुदरा मूल्य सूचकांक अथवा औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लेते हैं तो यह 10.50 प्रतिशत है। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री को ये सभी आंकड़े मिल गए होंगे। आज जब हम इस वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, औद्योगिक कामगारों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की दर 10.51 प्रतिशत है। यदि आप शहरी सफेदपोश कर्मियों को भी शामिल करेंगे तो यह और अधिक भी हो सकती है। यदि आप कृषि कामगारों पर विचार करें तो यह और भी अधिक हो सकती है। इसलिए महोदय, मुद्रास्फीति की दर दो अंकों को पार कर गई है। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार को इस आपदा के बारे में जानकारी है जो इस देश में हो रही है। आप हमें आश्वासन दे रहे थे कि मुद्रास्फीति की दर

[श्री पी०सी० चाक्को]

केवल एक अंक में रहेगी और मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी। माननीय चिदम्बरम जी ने कहा है कि पहले की दो सरकारों ने इस देश को कर्ज में डुबो दिया है। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद, दो पूर्व वित्त मंत्रियों ने मुद्रास्फीति की दर को नीचे ला दिया। डा० मनमोहन सिंह के समय में यह छ: प्रतिशत तक आ गया था और श्री चिदम्बरम जी के समय में यह पांच प्रतिशत हो गया था। जहां तक मुद्रास्फीति का संबंध है पांच से छ: प्रतिशत तक एक आदर्श स्थिति होती है। आप एक विशेष स्तर तक मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। चाय और दूसरे सामान के मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है। आप मोटर स्प्रिट का मूल्य बढ़ाते जा रहे हैं और आप मुद्रास्फीति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ा रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करिए। आप दस मिनट बोल चुके हैं।

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय इसी बीच लगभग पांच मिनट का समय बर्बाद हो गया है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करें क्योंकि अभी सदस्यों को बोलना है।

श्री पी०सी० चाक्को : मैं संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहूंगा। मुझे विश्वास है वित्त मंत्री उस बात को भलीभांति समझने में समर्थ हैं जो मैं कह रहा हूं। वे समझ जाएंगे मेरे विचार क्या हैं। अत: मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

कल मैं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में वित्त मंत्री जी के भाषण को गहरी रुचि से सुन रहा था। आपने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कतिपय रियायतें दी हैं। यह अच्छी बात है। सूचना प्रौद्योगिकी भविष्य में उद्योग का दर्जा प्राप्त करने वाली है तथा मैं आपके द्वारा उन्हें दी गई रियायतों का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं आपके द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करता हूं।

लेकिन मुझे एक बात कहनी है। मैंने माननीय मंत्री महोदय से एक अनुरोध किया था। उन्होंने मेरे अनुरोध पर ध्यान देने की कृपा भी की। स्ट्रोन्शियम रसायन का उपयोग रंगीन टेलीविजन के पिक्चर ट्यूबों के निर्माण में किया जाता है। आपने कंप्यूटर साफ्टवेयर के कई मदों तथा अन्य वस्तुओं पर रियायत दी है लेकिन आयातित स्ट्रोन्शियम रसायन पर कोई रियायत नहीं दी गई है। हम देश में आयातित स्ट्रोन्शियम अयस्क से स्ट्रोन्टियम रसायन का विकास कर रहे हैं *(व्यवधान)* आपने इसे 25 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर दिया है। आपने 8 प्रतिशत शुल्क लगाकर एक तरफ से देकर दूसरे तरफ से वसूल कर लिया है। इस 4 प्रतिशत का असर रुपये के अवमूल्यन के कारण सात से आठ प्रतिशत तक पड़ता है। रुपये के अवमूल्यन के कारण कोई भी आयातित सामग्री महंगी हो जाती है। अत: यदि आप 4 प्रतिशत भी कहें तो यह छ: अथवा सात प्रतिशत बैठेगा। स्ट्रोन्टियम पर कोई भी संचयित प्रभाव उद्योग के लिए अत्यन्त अलाभकारी सिद्ध होगा।

मैं अपने देश के एल्यूमिनियम उद्योग पर आता हूं। हमारे उद्योग प्रतिस्पर्द्धात्मक भी होने चाहिए। यदि आप गत चार वर्षों पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि एल्यूमिनियम के घरेलू उत्पादकों ने इसके मूल्य में दोगुनी वृद्धि कर दी है। यह 42,000 रुपये प्रति टन था। अब यह बढ़कर 70,500 रुपये प्रति टन हो गया है। लेकिन क्या हुआ है? एल्यूमिनियम पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत था जो बढ़कर 25 प्रतिशत हुआ और अब यह 30 प्रतिशत है। उन घरेलू उत्पादकों जो अपने आपको अनुशासित नहीं कर सके उनका क्या हुआ? वे शुल्क में वृद्धि किए जाने पर मूल्यों में दोगुने से अधिक की वृद्धि कर रहे हैं, हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं, इस उद्योग द्वारा इस गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

मेरे मित्र श्री प्रेमचन्द्रन ने रबड़ और नारियल जटा उद्योग के बारे में कहा है। मैं केरल का हूं। इसका नाम भी नारियलपूरक से ही बना है। इसके रेशे नारियल से निकलते हैं जिसमें रबड़ मिलाकर नारियल जटा वाले गद्दे बनते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि उनका बिना काष्ठ वाले वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से शत-प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव है। हम मंत्री महोदय के उदार दृष्टिकोण से अवगत हैं। इसमें सिर्फ घनत्व का अंतर है। आप जानते हैं कि नारियल जटा के रेशों तथा लोटेक्स को साथ मिलाने से हम गद्दे तथा फोम रबड़ का निर्माण करते हैं। दुर्भाग्यवश, गत कुछ वर्षों के दौरान आयातित पी.यू.एफ.—पोलीयूरेथिन फोम, पर शुल्क में कमी की गई है। अब रेशे वाले फोम का स्थान पी.यू.एफ. ले रही है। पी.यू.एफ. लोटेक्स फोम का स्थान ले रही है। पी.यू.एफ. घरेलू उत्पादों का स्थान ले रही है। आप स्वदेशी सरकार देने का दावा करते हैं। सैकड़ों उद्योग इस रेशे वाले फोम का उत्पादन कर रहे हैं *(व्यवधान)* महोदय, आप श्रमिक वर्ग के हितैषी रहे हैं। हजारों उद्योग इस फोम का उत्पादन कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री पी०सी० चाक्को : महोदय, आप श्रमिक वर्ग के हितैषी हैं। यदि यह शुल्क जारी रहा तो हमें इन उद्योगों को बन्द करना पड़ेगा। मैं इस छोटी बात को आपके ध्यान में लाना चाहता था।

तांबे के आयात पर लगने वाला सात प्रतिशत का प्रभावी शुल्क इस पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। कापर सल्फेट का उपयोग कृषि प्रयोजनों हेतु किया जाता है। केरल में कुछ इकाइयां कापर सल्फेट का उत्पादन कर रही हैं। कापर सल्फेट का कृषि प्रयोजनों के लिए आयात तथा उत्पादन किया जाता है। हम तांबे का उत्पादन नहीं करते हैं। हमारे पास तांबा नहीं है। तांबे का आयात किया जाता है। इसमें संतुलन लाने की दृष्टि से घरेलू उत्पादकर्त्ताओं को सहायता देने हेतु आप यह लेवी लगा रहे हैं। आयातित तांबे का विभिन्न प्रयोजनों हेतु आयात किया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशकों के निर्माण में किया जाता है। कापर सल्फेट कृषि कार्यों में उपयोग किया जाने वाला आम कीटनाशक है। 'बोलामिक्सपर' एक आम कीटनाशक है। आप जानते ही होंगे कि इसका 101 उपयोग है। अत: कापर सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। कच्चा माल अर्थात् तांबे का इस उद्देश्य से आयात किया जाता है। कृपया इसे भी शामिल नहीं किया जाए। यह उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है।

दूसरा प्रश्न धर्मार्थ और धार्मिक संगठनों के विषय में है। मुझे मालूम है कि अपने भाषण में आपने इसका उल्लेख किया है। आपने 'अल्पविराम' लगाया है, 'पूर्णविराम' नहीं। आपने कहा है कि धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों को शामिल नहीं किया जाए। इस वित्त विधेयक में आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खण्ड 22 और 22(क) हैं। यदि प्रस्तावित संशोधन इसमें कर दिया जाता है, तो धर्मार्थ संस्थान और शैक्षणिक संस्थानों को नुकसान होगा। वे पूरे देश में उन जगहों पर सहायक का कार्य कर रहे हैं जहां सरकारी सेवा अपर्याप्त है। जिन स्थानों तक सरकार नहीं पहुंच सकती है, वहां पर वे गरीबों की सेवा करते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी०सी० चाक्को : मेरे अनेक प्रश्न हैं, परन्तु मैं सभी विषयों को अपने भाषण में नहीं उठा पाऊंगा। जब कभी कोई संशोधन लाया जाता है तो इसे किसी पिछली तारीख से लागू करने से इसकी अनेक प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ अति उत्साही अधिकारी गलती कर बैठते हैं। वे कुछ खण्ड पढ़वाएंगे जो कि अनैतिक और अत्यन्त क्लिष्ट हैं। इस वित्त विधेयक में, खण्ड 40-क ले लीजिए एक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसमें शब्द 'पूरा' का स्पष्टीकरण जोड़ने की मांग की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि खोज प्रकिया शुरू होने के बाद अधिकारियों को निरंकुश अधिकार मिल जाते हैं। वे आज खोज शुरू कर सकते हैं और आठ, नौ अथवा दस महीने में पूरा कर सकते हैं। अंतिम 'पंचनामा' जारी करने के बाद ही खोज का कार्य शुरू होता है। तो इसमें एक संशोधन है जो पिछली तारीख से लागू है। यह अधिकारियों के लिए निरंकुश अधिकार सृजन कर रहा है। आप 'इंस्पेक्टर राज्य' हटा सकते हैं। यहां की स्थिति भिन्न है। नौकरशाही में अनैतिक तत्वों द्वारा निर्धन करदाताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। इसमें सरकारी संशोधन हैं। आप इस प्रश्न में अपने विवेक का इस्तेमाल करें।

चूंकि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम सभी इस विधेयक का समर्थन करना चाहेंगे। परन्तु आप केवल दो ही मदों पर 7,000 करोड़ रुपये का और पेट्रोल पर 790 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क लगा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपका ईमान हमें इस विधेयक का समर्थन करने के लिए नहीं कहेगा। अत: हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सर्व-जन विरोधी शुल्क समाप्त करेंगे।

प्रो० पी०जे० कुरियन कृपया ये सभी चीजें समाप्त की जाएं। हम आपका समर्थन करेंगे।

श्री यशवन्त सिन्हा : मै आपके सभी सुझाव स्वीकार करता हूं।

श्री पी०जे० कुरियन : तब हम आपको समर्थन देंगे।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पुर:स्थापित विधेयक का विरोध करता हूं। मैं इसका विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरा दृष्टिकोण नकारात्मक है। अपितु इसके कुछ कारण हैं। इससे पहले कि मैं इस विधेयक पर चर्चा करूं, मुझे इस सभा में वित्तीय मामलों के निपटान के बारे में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की अनुमति दी जाए। हम सब यह जानते हैं कि वैधानिक उत्तरदायित्व संसदीय लोकतंत्र का मूल तत्व है।

सायं 6.11 बजे

[श्री पी०एम० सईद *पीठासीन हुए*]

लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस सम्माननीय सभा में यह पहली घटना हुई है। कल हमने बिना कोई चर्चा किए एक ही क्षण में लगभग 14,000 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए।

क्या यह संसदीय परम्परा है? हम कोई चर्चा किए बिना विधान बना रहे हैं। कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों को केवल दो सदस्यों द्वारा चर्चा में भाग लेने के बाद पारित कर दिया गया। मेरा यह मानना है कि स्थायी समिति द्वारा की जाने वाली संवीक्षा की तुलना सभा द्वारा की जाने वाली संवीक्षा से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। ये दोनों पूर्णत: भिन्न हैं। स्थायी समिति संबंधित मंत्रालय के कार्य की संवीक्षा करती है जबकि सभा द्वारा की जाने वाली संवीक्षा पूर्णत: भिन्न स्वरूप की होती है। सभा को अनुदान मांगों की जांच करने से वंचित रखा गया है। स्थायी समितियों द्वारा संवीक्षा हमने हाल ही में आरम्भ की है। केरल में हमने यह प्रणाली संसद में इसके आरम्भ होने से एक दशक पूर्व ही शुरू कर दी थी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सभा को इसकी अलग से संवीक्षा करने के अधिकार से वंचित कर दें। दुर्भाग्यवश, इस सभा में हमने सभा द्वारा अनुदान मांगों की संवीक्षा करने की प्रणाली को ताक पर रख दिया है। पिछले दो दिनों में सभा की कार्रवाई को देखते हुए यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अखण्ड राष्ट्र का पक्षधर हूं। मैं इस देश के लिए अपने जीवन की आहुति देने के लिए भी तैयार हूं। यदि हम इस तरह से कार्य करते रहेंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब दक्षिण के सदस्यों का उत्तर के सदस्यों के साथ टकराव होगा। यह बहुत जल्दी होगा। यह बात हम महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में देख चुके हैं। हमने इस सभा में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखे हैं जिन पर हमें शर्म आती है। इन शब्दों के साथ, मैं मूल वित्त विधेयक के संबंध में अपनी बात कहता हूं।

सभापति महोदय : क्या आप अब विधेयक पर चर्चा शुरू करेंगे।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मंत्री महोदय, मुझे यह सब कहते हुए खेद हो रहा है। हम सब लोग अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम यहां उनकी शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए हैं लेकिन हमें सभा में उस अल्पमत वर्ग को इस अवसर मे वंचित रखा गया है जिन्हें इस सभा को अपने नियंत्रण में रखने की शक्ति प्राप्त है। इससे संसदीय लोकतंत्र की जड़ें खोखली हो गई हैं। यह दृष्टिकोण हमें कहीं नहीं ले जाएगा। इससे हमारे संविधान में निहित लक्ष्य पूरे नहीं हो पाएंगे जो दूसरे देशों के लिए एक आदर्श है।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, आप अभी भी विषय पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं वित्त विधेयक का मुख्यत: दो कारणों से विरोध करता हूं। जब हम इसकी जांच करते हैं तो हम पाते हैं कि 65 प्रतिशत निबल आय अप्रत्यक्ष करों से होती है और

[श्री वारकला राधाकृष्णन]

35 प्रतिशत प्रत्यक्ष करों से होती है। अत: गरीब व्यक्ति ही करों का भुगतान कर रहा है। हालांकि हमें 50 वर्ष पहले स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन आज भी खेत में काम करने वाले अथवा कारखाने में काम करने वाले गरीब आदमी को ही उत्पाद शुल्क अथवा सीमा शुल्क के रूप में करों का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की आय का एकमात्र स्रोत अप्रत्यक्ष कर हैं। सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार हम 11 प्रतिशत निबल कर ही इकट्ठा करते हैं। इस विधेयक में उल्लिखित कर संबंधी प्रस्तावों का विरोध करने का यह एक मुख्य कारण है। यह गरीब आदमी पर भारी बोझ है। आप इस तथ्य को नकार नहीं सकते हैं। हमें प्रगतिशील कर नीति का अनुकरण करना चाहिए लेकिन हम प्रत्यागामी कर-नीति का अनुकराण कर रहे हैं। प्रत्यागामी कर-नीति से समाज में कोई सुधार नहीं होगा और वास्तव में इसका परिणाम यह होगा कि अमीर आदमी और अधिक अमीर हो जाएगा और गरीब आदमी और अधिक गरीब हो जाएगा। उसे प्रत्यागामी कर-नीति के वजह से भूखा मरना पड़ेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमें करों की बकाया राशि के रूप में 80 करोड़ रुपये वसूल करने हैं। सरकार उन्हें वसूल नहीं कर पाई है। सम्भव है कि बकाया राशि का कुछ भाग अपीलों में और कुछ भाग अन्य तकनीकी कारणों से बिन वसूली के बकाया पड़ा रहे।

वित्त मंत्रालय कर बकाया की वसूली में उतना इच्छुक नहीं है जितनी कि वह आम आदमी को कठिनाई में डालने की इच्छुक है। जब कभी भी वित्तीय संकट उत्पन्न होता है सरकार आम आदमी को अपना निशाना बनाती है। सरकार तत्काल पेट्रोलियम उत्पादों पर कर बढ़ा देती है, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क बढ़ा देती है। यह घरेलू उत्पादकों को घोर विपत्ति और आर्थिक कठिनाई में डाल देता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछता हूं "क्या हमारा ऐसा अनुभव नहीं रहा है?"

मैं रबड़ मिश्रित नारियल जूट के बारे में बात करना चाहता हूं। श्री पी०सी० चाक्को जी ने भी इस बारे में बात की थी। मैं समझता हूं कि वित्त संबंधी स्थाई समिति ने पुरजोर सिफारिश की है कि इस मद को शुल्क मुक्त किया जाए। केवल रबड़ मिश्रित नारियल जूट ही नहीं बल्कि चावेरी मिनरल्स, त्रावनकोर केमिकल्स और फर्टीलाइजर्स और केमिकल्स उद्योग मण्डल, अल्वेयी द्वारा निर्मित कुछ अन्य स्वदेशी उत्पाद हैं जिन्हें शुल्क मुक्त किए जाने की आवश्यकता है। यह स्वदेशी उत्पाद हैं और ये केवल द्वितीयक उत्पाद हैं। ये तैयार माल नहीं हैं। इन स्वदेशी उत्पादों से कुल कर वसूली नगण्य होगी। क्या सरकार को इन घरेलू उद्योगों को इतनी अधिक कठिनाईयों में डालना चाहिए?

फास्फेट और रसायनों के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि वह स्वयं तैयार माल का उत्पादन नहीं करते हैं। वे आयातित सामग्री पर निर्भर रहते हैं। तथापि, आयात करने वाली एजेंसियों के पास तैयार माल होता है क्योंकि सरकार ने सभी आयात शुल्कों में रियायत दी है। देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि घरेलू उद्योग विदेशी उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है।

मैं वित्त मंत्री जी से एक बात से सहमत हूं कि उन्होंने कर दायरे को बढ़ाया है। 33 केन्द्रों में स्थाई खाता संख्या 'पैन' जारी करने का प्रावधान किया गया है यह अच्छी बात है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। देश के सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार करना होगा। सरकार को सभी स्थानों पर और सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष कराधान के माध्यम से कर वसूली करनी होगी और गरीब आदमी को उसका काम करते रहने देना होगा।

वित्त मंत्री जी ने समाधान योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। उसमें भी कमी है। इस योजना के अनुसार जिन लोगों पर करों का बकाया है और जिनके कर विवादास्पद हैं वह अपील कर सकते हैं जिसके बाद यह मामला अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित रहेगा और उन्हें तब तक अपने करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि मामले के संबंध में निर्णय नहीं हो जाता है। लेकिन ऐसे मासूम और ईमानदार लोग हैं जो पहले कर अदा करके अपील करना पसंद करें। इस योजना से एक ओर तो वह व्यक्ति लाभ उठा रहा है जिसने अपने कर बकाया का जान-बूझकर भुगतान नहीं किया है और दूसरी ओर जिस व्यक्ति ने अपने कर बकाया का भुगतान कर दिया है उसे इस योजना के अन्तर्गत उसके मामले के समाधान से वंचित किया गया है। मैं वित्त मंत्री जी से समाधान योजना का क्षेत्र व्यापक बनाने इसमें उन करदाताओं को शामिल करने का अनुरोध करता हूं जिन्होंने अपने कर बकाया का भुगतान कर लिया है। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह उन लोगों के प्रति अन्याय करेंगे जो अपने कर बकाया का पहले ही भुगतान कर चुके हैं। मुझे आशा है कि मंत्री जी स्थिति को समझेंगे और इस तरह के मामलों को भी इस योजना में शामिल करने का निर्णय लेंगे।

एक अन्य मामला है जिसे मैं माननीय वित्त मंत्री जी को समझाना चाहता हूं और वह मामला बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बारे में है। आपने यह परिभाषित नहीं किया है कि "निजी कम्पनी" क्या है। मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था कि "निजी कम्पनी" क्या है। क्या यह भारतीय है अथवा बहुराष्ट्रीय एवं भारतीय है? मुझे नहीं मालूम। हम इस संबंध में केवल तभी मत प्रकट कर सकते हैं जब इसे परिभाषित कर लिया जाए। बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में सरकार का इस संबंध में क्या करने का विचार है। एक वास्तविक निजी कम्पनी कौन-सी है? यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। हम केवल तभी निर्णय ले सकते हैं। कुछ भी हो हम बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण का हर कीमत पर पुरजोर विरोध करते हैं। *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : क्या आप राष्ट्रीयकरण या निजीकरण का विरोध करते हैं?

श्री वारकला राधाकृष्णन : मेरे विद्वान मित्र, माननीय वित्त मंत्री जी जानते हैं कि बीमा क्षेत्र इस समय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है और बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू किया था और इसका कारण यह था कि बीमा क्षेत्र से जुड़े लोग और निजी उद्यमी जनता के धन का गबन कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया था। हम इसका उल्टा कर रहे हैं। यदि हम इसे फिर उसी स्थिति में ले आते हैं तो सामान्यतया स्थिति

बेहतर नहीं होगी। गरीब आदमी का धन निजी अथवा बेईमान लोगों के हाथों में चला जाएगा जो निश्चित रूप से जनता के धन का गबन करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम इस कारोबार से पर्याप्त लाभ अर्जित कर रहे हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि ये राजकोष पर देयताएं लाद रहे हैं। आप ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं। साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम ने अपने कारोबार में तीन से पांच गुणा वृद्धि की है। यह बीमा क्षेत्र में सरकारी उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण का कारण नहीं होगा। हम इस संबंध में सरकार की नीति का प्रबल विरोध करते हैं।

मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हम विदेश यात्रा कर के रूप में 500 रुपये क्यों वसूल करते हैं। देश के अन्य भागों के साथ-साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र से गरीब लोग खाड़ी देशों में जा रहे हैं। वे जब खाड़ी देशों को जाते हैं अथवा वहां से लौटते हैं तो विमानपत्तन अधिकारी उनसे 500 रुपये वसूल करते हैं। इससे पहले वे 750 रुपये वसूलते थे। अब इसे घटा कर 500 रुपये कर दिया गया है। यह राशि क्यों वसूल की जाती है? साथ ही इसका एक-तिहाई भाग निजी एयरलाइंस की एजेंसी को और इसका दो-तिहाई भाग केन्द्र सरकार को मिलता है। ये गरीब मजदूर और कामगार बीजा लेकर विदेशों में नौकरी चाहते हैं। वे खाड़ी देशों से बीजा प्राप्त करने के लिए हजारों रुपये खर्च करते हैं। ऐसे समय में श्री यशवन्त सिन्हा इस पैसे की मांग कर रहे हैं। आप 500 रुपये देकर ही देश छोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति है। मुझे मालूम नहीं है कि आपको इस बात की जानकारी है या नहीं। हमारे राज्य से हर रोज हजारों लोग रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों में जा रहे हैं। आपको इससे बहुत थोड़ी राशि प्राप्त होती है। धनी पर्यटकों से पैसे लेने की बात तो समझ आती है। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी इन दोनों मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेंगे।... *(व्यवधान)* मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं मुझे कुछ मदों पर सीमा शुल्क में हुई वृद्धि माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाने की अनुमति दी जाए। माननीय वित्त मंत्री जी ने आम आदमी से संबंधित 98 मदों की सूची दी है। महोदय, यदि आप अच्छी किस्म का या आयातित कागज खरीदना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त सीमा शुल्क देना पड़ेगा। यदि आप विदेशी कलम खरीदना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। मैं इसमें दी गई सभी वस्तुओं के नाम पढ़कर अधिक समय नहीं लूंगा।

उन्होंने वीडियो कैसटों जैसी कुछ वस्तुओं पर छूट दी है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कागज या अन्य घरेलू सामान खरीदना चाहता है तो उसे अधिक भुगतान करना होगा। मैं निराधार नहीं बोल रहा हूं, मैं इस पुस्तक में दी गई सूची से पढ़कर आपको सुना रहा हूं। यदि आप इस सूची को देखें तो आप देखेंगे कि उन्होंने साफ्टवेयर, टेलीविजन इत्यादि जैसी अनेक वस्तुओं को कर मुक्त किया है। लेकिन गृह निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री पर शुल्क बढ़ा दिया गया है। पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया गया है, अथवा अन्य सामग्री जो आम आदमी की क्रय शक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया है।

मैं सम्मान सहित श्री यशवन्त सिन्हा से यह पूछना चाहता हूं कि वह इस वृद्धि को कैसे औचित्यपूर्ण सिद्ध करेंगे। इसलिए श्री चिदम्बरम की बात सुनकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उन्होंने यह बात कही थी कि माननीय वित्त मंत्री जी ने मुद्रास्फीति को दो अंकों में पहुंचाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह सही थी। पहले यह एक अंक में थी। इसका कारण यह है कि उत्पाद शुल्क इतना अधिक है कि इससे निश्चित रूप से आम आदमी और गरीब आदमी की क्रयशक्ति प्रभावित होगी।

मेडीकल, सर्जिकल और औषधियों आदि जैसी अन्य मदों पर शुल्क बढ़ा दिया गया है। चिकित्सा उपकरणों पर पांच से आठ प्रतिशत तक शुल्क बढ़ाया गया है। चश्मों पर आठ प्रतिशत शुल्क बढ़ाया गया है। मुझे नहीं मालूम कि माननीय वित्त मंत्री जी चश्मा लगाते हैं अथवा नहीं लेकिन मैं लगाता हूं। यह मदें इस देश के गरीब आदमी से संबंधित हैं।

अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि शुल्क में इस वृद्धि को यथासंभव कम किया जाए और शुल्क दर में परिवर्तन किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वित्त विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि वर्तमान वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट में सभी चीजों को व्यवस्थित करने का भरसक प्रयास किया है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह अति उत्तम बजट है। यह दो कारणों से अति उत्तम बजट है। विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों को प्रत्येक ने सुना। क्या आप में से किसी ने यह कहने के कि यह कर बढ़ गया है और वह कर बढ़ गया है सिवाय बजट में कोई गंभीर त्रुटि देखी है? उन्हें इस बजट में कोई गंभीर खामी नहीं मिली। यह पहला कारण है जिसके लिए मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

हमने पूर्व वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम द्वारा दिया गया भाषण सुना है। दूसरी बात यह है कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह आपको जानना चाहिए। उन्होंने ज्यादा बोलने की बजाय कम बोला है। क्या उन्होंने यह कहा कि उन्होंने वर्तमान वित्त मंत्री को एक अच्छी अर्थव्यवस्था प्रदान की है? क्या उन्होंने ऐसा कहा? मैं उनके इस सनसनीखेज भाषण के लिए उन्हें बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने अपना भाषण विपक्ष के लिए नहीं दिया उन्होंने रचनात्मक भाषण दिया। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि वे यहां उपस्थित नहीं हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा भाषण दिया जो उनके स्तर के अनुकूल है।

जो कुछ मैं कह रहा हूं वह यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने एक अच्छी अर्थव्यवस्था प्रदान की है तो अब माननीय सदस्यों में से एक माननीय सदस्य ने तथा श्री पी० चिदम्बरम ने ये कहा है कि इस बजट से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वर्तमान वित्त मंत्री ने यहां-वहां कर बढ़ा दिए हैं? यह मुद्रास्फीति

[श्री खारबेल स्वाईं]

कारक रवैया आजकल देखने को मिल रहा है। गत वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है। क्या यह सच नहीं है कि गत 18 महीनों में अर्थव्यवस्था जाम हो गई है? क्या यह सच नहीं है कि 7.5 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, जो 1996-97 में थी वह वर्ष 1997-98 में 5 प्रतिशत गिर गई है? क्या यह सच नहीं है कि गत वर्ष मुद्रास्फीति में कमी का लक्ष्य 4.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, जो कि 6.1 प्रतिशत तथा चला गया? गत वर्ष, निर्यात 4.5 प्रतिशत से गिरकर 2.6 प्रतिशत हो गया? क्या आपके कहने का आशय यह है कि इन सभी मुद्दों से मुद्रास्फीति बढ़ने वाली नहीं है? इन सभी मुद्दों से मुद्रास्फीति बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि सरकार को व्यय पर नियंत्रण करना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं कि सरकार का व्यय नियंत्रित होना चाहिए। यही एक ऐसी सरकार है जिसका नियंत्रित करने का इरादा है क्योंकि हमारे सत्ता में आने से पूर्व हमारे पार्टी सर्किलों में सरकार के खर्च को नियंत्रित करने की आवश्यकता के बारे में बातचीत हो रही थी। श्री पी० चिदम्बरम ने कहा है कि संयुक्त मोर्चा सरकार और कांग्रेस सरकार ने कभी भी सरकारी व्यय को नियंत्रित करने की इच्छा जाहिर नहीं की।

इस वर्ष हमारा ऋण 1,75,000 करोड़ रुपये है।

हमारी राजस्व प्राप्ति कितनी है? यह 1,61,994 करोड़ रुपये है। हमारी राजस्व प्राप्ति हमारी ऋण दाताओं को देने वाली धनराशि से काफी कम है। 1,75,000 करोड़ रुपये का ऋण 1,00,000 करोड़ रुपये की पूंजी से भी अधिक है। क्या वह स्वस्थ स्थिति है? पिछली सरकार हमें इस स्थिति में लाई है। इसलिए वर्तमान सरकार मुसीबत में है जिसके कारण मुद्रास्फीति इतनी बढ़ रही है।

तीसरी बात यह है कि उन्होंने "मूड़ी" द्वारा भारत की दरों के कम करने के बारे में बातचीत की थी परन्तु "मूड़ी" ने किस तरह से इन दरों को कम किया? ऐसा कोई एक दो अथवा तीन महीनों में ही नहीं हुआ है और न ही इन महीनों में भारत की वित्तीय स्थिति गिरी है। यह तो केवल एक इरादा था "मूड़ी" ने भारत की 'रेटिंग' इसलिए कम की है कि उसने सोचा कि संयुक्त राज्य अमरीका और विश्व के अन्य देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत की वित्तीय स्थिति खराब हो जाएगी। उन्होंने बस यही सोचा था।

पोखरण परमाणु परीक्षण के दो अथवा तीन महीनों के पश्चात् बहुत से देश और जबरदस्त प्रतिबंध लगाने की कह रहे थे। क्या अब कोई देश ऐसा कह रहा है? अब वे इन प्रतिबंधों को समाप्त करने, इनमें शिथिलता बरतने और इन्हें हटाने की बात कर रहे हैं? अमरीकी सीनेट तथा अमरीकी सरकार स्वयं अब खामियां खोज रही हैं। वे अब स्वयं अपने कानून में खामियां खोज रही हैं। वे अब सोच रहे हैं कि किस प्रकार प्रतिबंधों को कम किया जाए क्योंकि वे हमसे ज्यादा उन्हें क्षति पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। जब दो या तीन माह बाद प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिए जाएंगे तब क्या मूड़ी भारत की 'रेटिंग' में वृद्धि करेंगे? यह एक संक्रमण काल है। यह कुछ और नहीं केवल एक विचार है।

अतएव, मैं श्री चिदम्बरम से कहना चाहता हूं कि यह देश प्रतिबंध का शिकार नहीं होने जा रहा है। मैं यह स्पष्ट रूप से पूछ सकता हूं। मैं आपको कह सकता हूं कि यह एक शानदार बजट है जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई है। पहले यह सम्भव नहीं था यद्यपि सरकार थी वही देश था, वही अर्थव्यवस्था थी, विचारधारा नहीं थी, कुछ ठोस कार्य करने की मंशा नहीं थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतमाता की एकमात्र संतान हैं जो यह सब कर सकते हैं तथा जो विश्व को दिखा सकते हैं भारत अगली 21वीं शताब्दी में सबसे बड़ा तथा सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। यह श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं जिन्होंने सारे परिवर्तन लाकर पिछली सरकार, पिछली कांग्रेस सरकारों तथा संयुक्त मोर्चा की सरकार के बीच अन्तर को स्पष्ट किया है।

मैं नया सदस्य हूं। आप जिस प्रकार से मुझे देख रहे हैं, मैं उसे समझता हूं। यह धमकी भरी दृष्टि है। मुझे अपना भाषण पूरा करने दीजिए। निश्चित रूप से मैं ऐसा करूंगा।

मैं इस बजट के विस्तार में नहीं जाऊंगा। हमने शिक्षा क्षेत्र पर आबंटन में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस बजट में मुख्यतः अवसंरचनात्मक विकास पर जोर है। हमने अवसंरचनात्मक क्षेत्र के आबंटन पर 35 प्रतिशत की वृद्धि की है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार स्वस्थ अर्थव्यवस्था में 8 प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होती है। आप इस वृद्धि को किस प्रकार प्राप्त करेंगे? जब तक आप अवसंरचनात्मक विकास नहीं करते, तब तक प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह संभव नहीं है। जब तक आप सड़क नहीं बनाते, विद्युत क्षेत्र का विकास नहीं करते, दूर संचार क्षेत्र का विकास नहीं करते, आप इस वृद्धि दर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

वृद्धि दर के बारे में, मुझे पूरा विश्वास है कि अवसंरचनात्मक ढांचे में 35 प्रतिशत वृद्धि होगी। इस वर्ष के अन्त तक, हम सकारात्मक रूप से 8 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त कर सकेंगे जो किसी भी सरकार द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी। मैं विपक्ष के अपने माननीय सहयोगी को यह बताना चाहता हूं कि खीर का स्वाद इसके खाने में है। कृपया उन्हें एक वर्ष तक प्रतीक्षा करने दें और तब देखें कि हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा अपेक्षा की जा रही 8 प्रतिशत वृद्धि दर को हम प्राप्त कर पाते हैं या नहीं।

अन्त में, मैं केवल दो या तीन सुझाव देना चाहूंगा। पहला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं रेल संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं। पहला सुझाव यह है कि मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अपील करता हूं कि वह राष्ट्रीय परिवहन नीति तैयार करें। मेरे कहने का अर्थ है कि अब सड़क क्षेत्र को रेल क्षेत्र के साथ प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति दे दी गई है, परन्तु सड़क क्षेत्र जिससे हम वस्तुओं का परिवहन कर रहे हैं, वह काफी महंगी है। प्रति इकाई लागत ज्यादा पड़ती है यदि हम सड़क मार्ग से माल मंगाते हैं। यदि हम रेल द्वारा माल मंगाएं तो यह काफी कम होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि वह राष्ट्रीय परिवहन नीति में यह बताएं कि कितनी दूर रेलवे माल ले जाएगा तथा कितनी दूर सड़क क्षेत्र माल ले जाएगा।

अन्त में, मुझे वित्त मंत्री को राज्यों तथा संसद सदस्यों को भेजी जा रही धनराशि के बारे में कहना चाहता हूं। वह ई.ए.एस. योजनाएं, जवाहर रोजगार योजना तथा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत राज्यों पर विकास हेतु करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सांसदों को और शक्तियां दी जाएं, उन्हें और ज्यादा शक्तियां दी जाएं ताकि वे इसका और पर्यवेक्षण कर सकें। अभी वे इस स्थिति में नहीं हैं कि और पर्यवेक्षण कर सकें। हम समाहर्ता की दया पर निर्भर हैं, हम सरकार तथा राज्य सरकार की दया पर निर्भर हैं। वे कृपया यह देखें कि हमें और शक्तियां प्राप्त हों। वे सांसदों की धनराशि को भी 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करें ताकि हम सार्थक रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र की मदद कर सकें। धन्यवाद।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, मुझे सिर्फ एक-दो विषयों पर ही बोलना है। मैं सर्वप्रथम कुछ सामान्य टिप्पणियां करूंगा और आशा करता हूं कि वे उन पर कार्रवाई करेंगे।

मैं चाहता हूं कि वह बिक्री कर के पूरे ढांचे पर विचार करें तथा इसे बदलें क्योंकि अधिकांश मामलों में लोग बिक्री कर बिल्कुल ही नहीं देते हैं। अतएव कई लोगों ने इंस्पेक्टर राज के बारे में कहा है तथा इंस्पेक्टर राज के बारे में मुझे निजी तौर पर अनुभव है। चाहे यह दिल्ली हो या कोई राज्य सरकार हो, जिसे बिक्री कर वसूलना है, व्यापारियों द्वारा यह नहीं चुकाया जाता है; मैं केन्द्रीय बिक्री कर के बारे में भी बोलूंगा। किन्तु एक वित्त मंत्री के रूप में वह इस पर विचार करेंगे, क्योंकि मैंने यह पाया है कि दिल्ली में कुछ इम्पोरियमों के अलावा कोई भी बिक्री कर बिल्कुल ही नहीं चुकाता है।

पंचकुइयां रोड, लाजपत नगर तथा साउथ एक्सटेंशन और जहां कहीं भी घरेलू फर्नीचर बेचे जा रहे हैं, कोई भी बिक्री कर नहीं चुकाता है। उनमें से ही एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने उससे फर्नीचर खरीदा, जब वह बिल बनाने लगा तो अधिकारी ने कहा, "मेरे लिए भी होगा?" दुर्भाग्य की बात है कि बिक्री कर 12 प्रतिशत है तथा यह कोई भी नहीं दे रहा है। यदि मंत्री जी को पूरे कर ढांचा की समीक्षा करनी है, तो यह बिक्री कर सबसे बड़ी असफलता है। कोई भी 12 प्रतिशत बिक्री कर का भुगतान नहीं करता है तथा वास्तव में इंस्पेक्टर पैसे कमा रहा है। इंस्पेक्टर कितनी वसूली करता है यह किसी को पता नहीं है। वे जमीन खरीदते हैं, वे घर बनाते हैं तथा और कितनी चीजें लेते हैं, कोई नहीं जानता।

यह भी काले धन का एक हिस्सा है, यह सतत अर्थव्यवस्था है। सिर्फ इंस्पेक्टर को हटाने की जरूरत है। हम यह कैसे कर सकते हैं? वित्त मंत्री यह कर सकते हैं। अभी नहीं, किंतु बाद में यह इस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। इन सारी गतिविधियों पर नजर रखना होगा तथा हमें अपराधियों को दंड देना है। हमें लोगों से पैसा वसूलना है। मुझे सिर्फ कुछ ही बातें आपके विचारार्थ कहनी हैं।

पुनश्च:, मैं यह कहना चाहता था कि यह एक फैशन बन गया है। यह एक व्यक्तिगत तौर पर आपकी शिकायत नहीं है। श्री चिदम्बरम ने भी यही किया। मैं सोचता हूं कि डॉ० मनमोहन सिंह ने भी यही किया। उन्होंने इसे अनिवार्य बताया। मैं ऐसा नहीं मानता। जहां तक पेट्रोल के मूल्य का संबंध है, भारत सबसे महंगा देश है। पेट्रोल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती है। अब, वे कहते हैं कि प्रति लीटर एक रुपये की वृद्धि की गई है। खान मार्केट में उन्होंने मटन के मूल्य में अनुपात से अधिक वृद्धि कर दी थी। अतएव मैंने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हुआ?

[हिन्दी]

कहता है कि हमें यमुना पार से स्कूटर में लाना पड़ता है।

[अनुवाद]

अब पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर एक रुपये की वृद्धि हो सकती है किन्तु स्कूटर वाला छह रुपया लेगा तथा मटन के मूल्य में पांच रुपये की वृद्धि हो जाएगी। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि का यही प्रभाव है। आज मैं यह पूरे उत्तरदायित्व की भावना से बोल रहा हूं। पूरे विश्व में भारत में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है। मैंने कुछ आंकड़े भी एकत्रित किए हैं। किन्तु मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वादा किया था कि जो यहां कहा जा चुका है, उसे मैं नहीं दोहराऊंगा। अतएव, राज्यों तथा केन्द्र के कर ढांचों की भी समीक्षा की जानी चाहिए।

किन्तु जो प्रावधान किए गए हैं उन पर प्रकाश डालने वाले ज्ञापन के पृष्ठ 20, 21 तथा 24 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यदि आपके पास समय है तो आप उन पृष्ठों को देखें। आप स्वयं यह देखेंगे कि सीमा शुल्क में कतई वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। किन्तु संभवत: आपके पास समय की कमी थी एवं आप इन विषयों पर विस्तार में नहीं सोच सके। किन्तु यहां मैं आपसे मक्खन तथा पनीर के बारे में विचार करने का अनुरोध करता हूं। ये चीजें बच्चों के लिए अत्यावश्यक हैं। उन्हें मक्खन और पनीर अवश्य खाना चाहिए। मैं मध्यम वर्ग तथा निम्न मध्यम वर्ग के बारे में बात कर रहा हूं। किन्तु घी चाहे किसी ब्रांड का हो या बिना ब्रांड का, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए, और यदि पाबंदी नहीं लगाई जाती है तो आप कर बढ़ा दीजिए। शुद्ध घी हमें चाहिए। शुद्ध घी खराब है क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर तथा दूसरे तनाव बढ़ते हैं। यदि माननीय मंत्री ने घी का दाम बढ़ाया होता तो मैं गुस्सा नहीं करता। उन्होंने आठ प्रतिशत कर बढ़ाया है। किन्तु मक्खन का क्या है? बचपन में हमें मक्खन बिल्कुल नहीं मिलता था। किन्तु आज मैं निम्न मध्यम वर्ग, चपरासी भी, जो कहीं काम कर रहा है अपने बच्चे के लिए थोड़ी शिक्षा तथा थोड़ा-सा खाने का इंतजाम करने का प्रयास करेगा। अतएव मक्खन तथा पनीर जरूरी चीजें हैं।

जहां तक पैक की हुई चाय का सवाल है, इसमें मैं बहुत रुचि नहीं लूंगा। श्रीनगर से टेलीफोन आया था कि केसर पर कर लगा दिया गया था। यह एक फूल है। गरीब लोगों के छोटे-छोटे खेत हैं। इसलिए मैं आपसे केसर पर कर नहीं बढ़ाने का अनुरोध करूंगा। इन चीजों पर आपको कर नहीं बढ़ाना चाहिए।

अब मैं सिगरेट पर आऊंगा। माननीय मंत्री ने 10 रुपया बढ़ा दिया है अर्थात् 90 रुपये प्रति हजार से 100 रुपया प्रति हजार। आप इसे ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। हमें विश्व में अनोखा होना चाहिए।

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

शून्य काल में मैं कहा रहा था कि महाराष्ट्र में वे कहते हैं कि अमेरिकी यह कर सकते हैं। वे लिंकन तथा उसके हत्यारे के बारे में एक ही समय पर चर्चा कर सकते हैं, तथा दोनों पक्षों में वार्ता हो सकती है। किन्तु हमारा देश अलग है। अमरीका में दस वर्ष का किशोर हथियार रख सकता है। कतिपय मामलों में अमरीकी समाज हिंसक समाज है। किंतु हम शांतिप्रिय देश हैं। जब मैंने कहा कि हमें अनोखा होना चाहिए तो हमें अनोखा होना चाहिए। हमें धूम्रपान समाप्त कर देना चाहिए। इससे प्रदूषण फैल रहा है तथा लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। निर्धन लोगों पर इसका असर पड़ा है। प्रति हजार दस रुपये की वृद्धि नगण्य है। मैं यह कहूंगा कि आप कृपया इस पर विचार करें तथा आपको उदार होकर मक्खन, पनीर, दूध, बिस्कुट इत्यादि में छूट देनी चाहिए।

महोदय, बजट अत्यंत रुचिकर दस्तावेज है। मैं वित्त मंत्री जी को शुभकामना देता हूं। आप यहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कारण हैं तथा हमें इस पर दुर्भाव नहीं रखना चाहिए। अगली बार यदि आप वित्त मंत्री रहते हैं तो बजट बनाने से पहले आपको हम लोगों को बैठक के लिए बुलाना चाहिए क्योंकि आप यह प्रक्रिया समय पर शुरू करेंगे।

डाक प्रभारों में वृद्धि पर आते हुए मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा। आज शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों की पहुंच ई-मेल, कम्प्यूटर, फैक्स, टेलीफोन, टेलेक्स तथा तमाम चीजों तक है किन्तु आम जनता की पहुंच इनमें से किसी तक भी नहीं है। इसलिए अंतर्देशीय पत्र के मूल्य में पचास पैसे की वृद्धि अत्यधिक है। आपको कृपा करके इसका मूल्य एक रुपया ही रखना चाहिए। लिफाफा का मूल्य भी बढ़ाकर तीन रुपया नहीं करना चाहिए। इस पर आप कृपया विचार करें क्योंकि निर्धनों में निर्धनतम चिट्ठी लिखते हैं। मैं शिक्षित लोगों जिनकी आधुनिक जुगतों तक पहुंच है को पत्र लिखते हुए नहीं देखता हूं। वह समय अब बीत चुका है। वे ई-मेल से संदेश संप्रेषित करते हैं। मेरे पास कम्प्यूटर है किंतु मैंने अभी तक ई-मेल के बारे में नहीं सीखा है संभवत: वित्त मंत्री जानते होंगे। अब लोग चिट्ठी नहीं लिखते हैं। यह निर्धनों में निर्धनतम के लिए है। अतएव पोस्टकार्ड या अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे के मूल्य में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। आप कहीं और वृद्धि करके इसकी प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। किन्तु कृपया इसमें वृद्धि नहीं कीजिए।

मैं कश्मीर के बारे में काफी संक्षेप में एक या दो बातों का उल्लेख करूंगा। श्री चमन लाल गुप्ता ने कहा कि किसानों को ऋण की माफी मिलनी चाहिए। मैं इस पर उनका समर्थन करता हूं तथा वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण माफ कर दिए जाने चाहिए।

मुझे दो बातें और कहनी हैं। एक रेलवे के संबंध में है। मैं इसे काफी सोच-समझकर तथा अत्यंत गंभीरता से उठा रहा हूं क्योंकि रेल मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था। मैं वे आंकड़े दे रहा हूं जो उनके पास उपलब्ध नहीं थे, हालांकि उन्होंने इस पर काफी मेहनत की थी। वर्ष 1995 में जम्मू-कश्मीर में रेलवे के लिए 50 करोड़ रुपया उपलब्ध था। वर्ष 1983 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व० श्रीमती इंदिरा गांधी ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जम्मू-ऊधमपुर रेलवे लाइन के लिए और पांच करोड़ रुपया उपलब्ध कराया जाएगा। किन्तु यह कभी नहीं हुआ। फिर मूल्य में भी वृद्धि हुई। फलत: यह रेल लाइन नहीं बिछ सकी। माननीय देवेगौड़ा तथा माननीय आई० के० गुजराल भी कश्मीर गए थे तथा शिलान्यास किया था। अभी जो मैं देखता हूं कि इस वर्ष इसके लिए 200 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था किन्तु इसे कम करके 75 करोड़ रुपया कर दिया गया। जब श्री नीतीश कुमार यहां पर मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े हुए, उन्होंने टिप्पणी की कि रेलवे अपने कोष से केवल इतनी ही राशि वहन कर सकता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि चालू दर पर उन्हें 2,500 करोड़ रुपये की जरूरत है तथा यदि वे प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और यदि इस चर्चा में मूल्य वृद्धि को शामिल नहीं किया जाए तो रेलवे को रेल लाइन बिछाने में 25 वर्ष लगेंगे। हमें रेल की अत्यधिक आवश्यकता है। कश्मीर अलगाव में नहीं रह सकता है। हम लोग इस देश के अंग हैं किन्तु रेल के मानचित्र पर हम नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि रेल मंत्री हमें रेल के मानचित्र पर नहीं ला सकते हैं किन्तु माननीय प्रधानमंत्री को तथा माननीय वित्त मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए। कृपया जम्मू-कश्मीर के लिए एक विशेष योजना बना दें। मैं तो कहूंगा कि आप कोंकण रेलवे की तरह कश्मीर एक्सप्रैस कार्पोरेशन बना सकते हैं जो सामान्य बजट का एक भाग रहे। केवल इसी तरह जम्मू-कश्मीर में रेलवे का विकास हो सकता है, अन्यथा ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि रेल मंत्री जी ने कहा है कि अपने बजट में से वे केवल इतना ही दे सकते हैं।

महोदय, जम्मू-कश्मीर राज्य वित्तीय संकट से गुजरा है और पाकिस्तान टेलीविजन अतिशयोक्तिपूर्ण और असत्य प्रचार करके तबाही मचा रहा है। यदि बिहार में वित्तीय संकट है तो मैं यह नहीं कहता कि कश्मीर में ऐसा नहीं है। लेकिन हमें उस पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। अंतत: आपको ही धनराशि व्यय करना है। एक-एक पाई भारत की संचित निधि से आता है। अत: हमें स्थिति का जायजा पहले से ही ले लेना चाहिए ताकि इससे लाभ हो सके। पिछले दो या तीन महीनों से जम्मू-कश्मीर में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है। उसे दूर किया जाना चाहिए। आपने पहले ही उसे दूर करने का प्रयत्न किया है और इसके लिए हम आपके आभारी हैं किन्तु भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

सायं 7.00 बजे

सभापति महोदय : प्रोफेसर सोज कृपया अपनी बात समाप्त करें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सभापति महोदय, मैं बस अंतिम बात उठा रहा हूं। मैं जानता हूं कि समय कम है। मैंने उद्योग मंत्रालय के समक्ष एक बात रखी थी। मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई गड़बड़ है लेकिन यह जरूर कहूंगा कि वहां कुछ गलत हुआ है। मैं उद्योग मंत्री जी के पास यह बताने गया था कि हिन्दुस्तान मशीन्स एण्ड टूल्स वहां (एच०एम०टी०) एकमात्र रुग्ण इकाई है। मैं सदन में पुन: कहता हूं कि वहां हिन्दुस्तान मशीन्स एण्ड टूल्स केन्द्र सरकार का एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। उसका पुनरुद्धार करने के बजाय उन्होंने शोरूम स्थानान्तरित कर दिया। एक उत्साहवर्धक वक्तव्य दिया गया था। उसका वहां प्रैस ने काफी प्रचार किया।

जन-प्रतिनिधि के रूप में मैं आग्रह करता हूं कि उस शोरूम का स्थानान्तरण न किया जाए। क्या वे बेंगलूर में बैठने वाले हिन्दुस्तान मशीन्स एण्ड टूल्स के अध्यक्ष की बात सुनेंगे जो कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं जानते? मैंने उन्हें कश्मीर आकर शोरूम स्थानान्तरित करने का कारण समझाने के लिए आमंत्रित किया था। वहां पांच ही कर्मचारी हो सकते हैं पर स्थानान्तरण का गलत प्रभाव पड़ता है। और वे उसका एक भाग जम्मू स्थानांतरित कर रहे हैं। वे जम्मू में एक और इकाई खोल सकते हैं लेकिन श्रीनगर से एच०एम०टी० को हटाना नहीं चाहिए। उन्होंने उत्साहवर्धक टिप्पणी की थी कि शोरूम स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, एच०एम०टी० इकाई का पूर्णरूपेण पुनरुद्धार किया जाएगा और इसका भाग जम्मू स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। कश्मीर में प्रैस ने उन्हें इसके लिए बहुत श्रेय दिया था। यदि उन्हें जम्मू में एच०एम०टी० इकाई स्थापित करनी ही है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। किन्तु श्रीनगर में एच०एम०टी० इकाई को कुछ नहीं होना चाहिए। वे कृपा कर उद्योग मंत्रालय को बताएं कि उन्होंने पिछली बार यहां ऐसा किया था।

मेरी कई बातें हैं जिन्हें समय की कमी के कारण मैं नहीं उठा रहा हूं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री टी०आर० बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मुझे आपने इस सम्मानीय सदन में अपनी पार्टी की ओर से और उस भारत देश के एक साधारण किसान की हैसियत से, जिसकी 95 करोड़ आबादी में से 37.2 मिलियन गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और जहां की प्रतिव्यक्ति आय केवल 310 डालर प्रति वर्ष है और जहां की आबादी 1.9 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, एक आम आदमी की हैसियत से मुझे बोलने का मौका दिया। मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उन्हें जनसंख्या नियंत्रण पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इस बजट और वित्त विधेयक में मैंने देखा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। एक दशक पूर्व जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को सख्ती से अपना लिया गया था। तमिलनाडु राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के तरीकों को इस हद तक अपनाया कि केन्द्र सरकार की ओर से हमें लोक सभा की दो सीटें खो देने का इनाम दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को लागू करने से पूर्व तमिलनाडु में लोक सभा की 41 सीटें होती थीं। परन्तु जनसंख्या नियंत्रण उपायों को अपनाने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर के कम हो जाने की वजह से लोक सभा सीटों की संख्या घटकर 39 रह गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जो सीटें जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के सही ढंग से कार्यान्वयन के कारण हमने खोई हैं सरकार को उन्हें वापस करना चाहिए और इन उपायों को अपनाने के लिए हमें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए।

आपातकाल के दुःखपूर्ण समय के दौरान मुझे, हमारे नेता मुरासोली मारन अनेक वरिष्ठ सदस्यों और भा०ज०पा० के नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। उस समय कांग्रेस सरकार द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। तब भा०ज०पा० के बड़े नेताओं द्वारा बहुत ही हो-हल्ला मचाया गया था। आज जबकि सरकार उनकी है, मैं उनसे 'शिक्षा' को राज्य सूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

मैं पुनः इस बात पर बल देता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि सबको बराबर का हिस्सा मिले। आप रोजगार के अवसरों को कैसे बढ़ाएंगे? रोजगार के अवसर बढ़ाने का एकमात्र उपाय कृषि है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

महोदय, वित्त विधेयक पर चर्चा करने से पूर्व यह मांग करता हूं कि मेरे नेता डॉ० कलाईजनर करुणानिधि द्वारा की गई मांग के अनुसार केन्द्र को कर-संग्रहण का एक-तिहाई राज्यों को देना चाहिए।

महोदय, मैं अपने साथ कुछ आंकड़े लाया हूं। हमारे देश की 65 प्रतिशत श्रम शक्ति से कृषि क्षेत्र में 31 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का सहयोग देती और उद्योग क्षेत्र में 13 प्रतिशत श्रम शक्ति 27 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का सहयोग देती है। एक तरह से देखा जाए तो कृषि क्षेत्र अधिक रोजगार प्रदान करता है। परन्तु उद्योग क्षेत्र रोजगार कम देता है किन्तु अधिक सकल घरेलू उत्पाद का निर्माण करता है। क्या हम अधिक सकल घरेलू उत्पाद के लिए अधिक उद्योग लगाकर जनता के लिए रोजगार के अवसरों को कम करने जा रहे हैं। अथवा क्या हम कृषि क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 40 प्रतिशत लोगों को रोजगार के अवसर देने जा रहे हैं? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने और किसानों द्वारा प्रयोग की जा रही प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए आगे आए। मैं यह भी मांग करता हूं कि भूमि संरक्षण किया जाए और भूमि की उर्वरता को भी बनाए रखा जाए ताकि फसलें अच्छी प्रकार से हो सकें।

महोदय, मैं दूसरी बात मुद्रास्फीति के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का यह कहना है कि वे मुद्रास्फीति की दर को 6.5 से 7 प्रतिशत के बीच बनाए रखेंगे और साथ वे इस बात पर नजर रखेंगे कि राजकोषीय घाटा 5.6 प्रतिशत से अधिक न होने पाए। वित्त मंत्री महोदय राजकोषीय घाटे को 5.6 प्रतिशत से अधिक बढ़ने को कैसे रोकेंगे? जब तक आज के मूल्य स्तर में 14.8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि नहीं हो जाती है तब तक वह कुछ नहीं कर सकेंगे और मुद्रास्फीति बढ़ती ही जाएगी।

महोदय, आइए हम देखें कि बजट में मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं? मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले सभी कारण हमारे वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में मौजूद हैं। इसमें 91,025 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा और 48,068 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा, 75,000 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान किया जाना दिखा गया है। ब्याज की दर कर तथा शुल्क आदि से प्राप्त कुल राजस्व की तुलना में .46 प्रतिशत है।

वर्तमान समय में 91,025 रुपये का राजकोषीय घाटा तथा 48,068 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का अर्थ हुआ कि 50 प्रतिशत वित्त का उपयोग राजस्व खर्च में किया जाता है। क्या वित्त मंत्री द्वारा ऐसा करना उचित है? क्या इससे मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी? इससे हमारी राष्ट्रीय बचत का दुरुपयोग ही नहीं होगा बल्कि बजट पर बढ़ते हुए ब्याज का भार भी पड़ेगा।

महोदय, अब मैं व्यय की बात करता हूं। 1998-99 में वित्त मंत्री ने यह प्रस्ताव रखा था कि योजना खर्च 72,002 करोड़ रुपये होगा, गैर योजना खर्च 1,95,925 करोड़ रुपये होगा तथा कुल व्यय 2,67,927

[श्री टी०आर० बालू]

करोड़ रुपये होगा। श्री चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत बजट पर जो अतिरिक्त धनराशि वह देने जा रहे हैं, वह है 21,310 करोड़ रुपए गैर योजना खर्च के रूप में तथा 11,372 करोड़ रुपए योजना खर्च के रूप में। इसे वित्तपोषित करने की क्या व्यवस्था है? उन्हें बजटीय समर्थन देना होगा तथा उन्हें आंतरिक बजटेतर समर्थन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से देना होगा। वे 29 प्रतिशत बजटीय समर्थन तथा 71 प्रतिशत आंतरिक बजटेतर संसाधनों से समर्थन दे रहे हैं। श्री चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत बजट के अलावा बजटीय समर्थन के रूप में 8,835 करोड़ रुपये तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से आंतरिक बजटेतर समर्थन 15,319 करोड़ रुपये की कुल राशि देने जा रहे हैं।

अतएव, 14,154 करोड़ रुपये की कुल राशि अतिरिक्त है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संसाधन किस प्रकार 47,404 करोड़ रुपये से बढ़कर अचानक 62,723 करोड़ रुपये हो जाएंगे जबकि अतिरिक्त धनराशि 15,319 करोड़ रुपये है। क्या यह लाभ के माध्यम से होगा? क्या यह आंतरिक प्राप्तियों के माध्यम से होगा? क्या यह डिबेंचर या बांड से होगा जिससे प्राप्तियां होंगी या बाह्य व्यावसायिक कर्ज के माध्यम से होगा? मैं एक प्रासंगिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। शेयर बाजार की वर्तमान परिस्थिति में आप डिबेंचर जारी नहीं कर सकते हैं। आप कोई बांड जारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति इन्हें नहीं खरीदेगा। आप केवल बाह्य व्यावसायिक ऋण ले सकते हैं। इस पड़ाव पर पोखरन-II के बाद क्या बाह्य व्यावसायिक ऋण लेना संभव है? मैं यह माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं। कोई अन्य विकल्प नहीं है। अत: आपको चादर की लंबाई के हिसाब से ही पैर फैलाना होगा। आपको योजना परिव्यय में कटौती करनी होगी। महोदय, गत बजट में आपके पूर्ववर्ती ने योजना परिव्यय में से 10,000 करोड़ रुपये की कटौती की है। अब, मेरे प्रिय मित्र श्री यशवंत सिन्हा ने हिम्मत जुटाकर 20,000 करोड़ रुपये और बढ़ा दिए हैं। लेकिन क्या ऐसा करना संभव है। आप केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर निर्भर हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की हालत इतनी अच्छी है कि आपके प्रस्ताव को पूरा कर देंगे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वैसे तो वित्त मंत्री को सहायता पहुंचाने वाला वातावरण नहीं है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। यूरिया तथा पेट्रोल की कीमत फिर से पुरानी जगह पर ले आए हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। रुपये का मूल्य घटकर 43 रुपए प्रति डालर हो गया है। हमारे ऊपर 1,75,253 करोड़ रुपये का भारी ऋण सेवा भार है। इसमें से 75,000 करोड़ रुपये केवल ब्याज का भार है। हम पांचवें वेतन आयोग की बकाया राशि के खर्च को रोक नहीं सकते हैं। आप 40,000 करोड़ रुपये के रक्षा खर्च मे कमी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक पवित्र गाय की तरह है। हम आपको राजसहायता कम करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। आप ऋण सेवा दायित्व को स्थगित नहीं कर सकते हैं। आप योजना खर्च को कम नहीं कर सकते हैं और न ही ऐसा किया जाना चाहिए क्योंकि इससे रोजगार सृजन प्रभावित होगा। अंतत: आपके पूर्ववर्ती की तरह से योजना परिव्यय में कटौती करने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता है।

महोदय, वर्तमान परिस्थिति में ऋण सेवा का भार 1,75,253 करोड़ रुपये है। इसमें से 75,000 करोड़ रुपये ब्याज भार तथा 1,00,253 करोड़ रुपये इस वर्ष की अदायगी है। लेकिन कुल राजस्व प्राप्तियां 1,61,994 करोड़ रुपये ही हैं। यह सरकार के लिए शर्म की बात है कि 1,61,994 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियों के स्थान पर 1,75,253 करोड़ रुपये का ऋण सेवा भार है। अतएव, हमारी राजस्व प्राप्तियों से ऋण सेवा भार अधिक है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इन मामलों को किस प्रकार निबटाएगी।

महोदय, इस अल्पमत सरकार को समर्थन दे रही सुश्री जयललिता के इशारे पर कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। यह सरकार उनके आदेशों का पालन कर रही है ...*(व्यवधान)**

कार्मिक लोकशिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) (श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन) : महोदय, ये शब्द उन्हें वापस लेने चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : सभापति महोदय, ये शब्द वापस होने चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं। श्री सत्यमूर्ति, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया इससे मुझे निबटने दें। यदि कुछ आपत्तिजनक हुआ, तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने इसे पहले ही कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)***

सभापति महोदय : मैंने इसे पहले ही कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है।

श्री टी० आर० बालू : मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा।

श्री यशवंत सिन्हा : श्री बालू ...*(व्यवधान)*

श्री टी० आर० बालू : महोदय, मैं केवल आधा मिनट लूंगा।

श्री यशवंत सिन्हा : यदि आप बैठेंगे नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री बालू, आपको केवल वित्त विधेयक पर बोलना है तथा आपको अन्य व्यक्तियों का उल्लेख नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मुझे उनसे निबटने दें। श्री बालू माननीय वित्त मंत्री की बात मान गए हैं। माननीय वित्त मंत्री, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, वित्त विधेयक पर चर्चा में हस्तक्षेप के बहाने श्री बालू ने एक मामला उठाया है जिसका वित्त विधेयक से कोई संबंध नहीं है तथा जारी चर्चा से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन चूंकि उन्होंने यह मामला उठाया है यह मेरा दायित्व बनता है कि प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं लगाए गए आरोप का पुरजोर खंडन करूं।

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया किसी व्यक्तित्व या ऐसी कोई बात बीच में न लाएं। आपको वित्त विधेयक पर बोलना है।

(व्यवधान)

श्री टी०आर० बालू : महोदय, एक अन्य मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने *(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया मेरी बात सुनें। मैं इससे निबट रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री वी० सत्यमूर्ति : महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मैं यह स्पष्टीकरण दे दूं कि चेन्नई के प्रधान न्यायालय ने ही जांच अफसरों को मामले की जांच करने के संबंध में निर्देश दिए हैं।

सभापति महोदय : मैं आपका संदेह दूर करूंगा। यदि उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बातें कही हैं तो वे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दी जाएंगी।

(व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

श्री पी० राजरतिनम (पेरम्बलूर) : श्री टी० आर० बालू गलत सूचना देकर इस सदन को गुमराह कर रहे हैं **

सभापति महोदय : अब आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए कि ऐसे शब्द न बोले जाएं।

इसे भी कार्यवही वृत्तांत से निकाल दें। आप अध्यक्षपीठ पर उंगली उठा रहे हैं।

राव इन्द्रजीत सिंह (महेन्द्रगढ़) : महोदय, मैं यह समझता हूं कि वित्त विधेयक पर बोलना मेरे लिए अभाव तथा कमियों के बावजूद प्रयास करना है। अभाव समय का है। चूंकि मैं पहली बार चुनकर आया हूं, मुझे बजट पर जारी विचार-विमर्श के बिल्कुल अंत में समय दिया गया है तथा मैं सोचता हूं कि इससे पहले कि वित्त मंत्री तथा सरकार के समक्ष मैं अपने विचार रख ही पाऊं, आपको समय की समाप्ति को इंगित करने के लिए घंटी बजा देनी पड़ेगी। फिलहाल, मैं दिए गए समय का सदुपयोग करूंगा।

कमी यह है कि मैं एक कृषक हूं। मैं ऐसे विषय पर बोल रहा हूं जो मुख्यत: कृषकों से जुड़ा हुआ है। वित्त विधेयक पर बोलना सामान्यत: अर्थशास्त्रियों, व्यापारियों तथा उद्योगपतियों का क्षेत्र है। . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह उनका पहला भाषण है। कृपया व्यवधान नहीं डालें।

(व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह (महेन्द्रगढ़) : यह मेरा पहला भाषण है। अतएव यदि सदस्यगण विघ्न डालेंगे तो स्पष्ट है कि मेरे विचारों के सिलसिले में विघ्न पड़ेगा। . . *(व्यवधान)* मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जब वित्त विधेयक पर वाद-विवाद किया जाता है तो सामान्यत: यह उद्योगपतियों, व्यापारियों तथा अर्थशास्त्रियों का क्षेत्र होता है। जब वित्त का उल्लेख होता है। कृषक उठकर बाहर चले जाते हैं। केवल श्री के० नटवर सिंह तथा कुछ अन्य ही दृढ़प्रतिज्ञ हैं जो यहां बैठे रहते हैं तथा वित्त विधेयक पर बोलते हैं। किन्तु सामान्यत: कृषक उठकर बाहर चले जाते हैं। जब कृषक बोलने के लिए खड़ा होता है तो वह सामान्यत: लाइसेंसों तथा यूरिया संयंत्रों एवं बिजली के बिल जैसे विषयों पर बोलते हैं। मैं उन विषयों पर विचार-विमर्श करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि उन पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। किन्तु मैं एक चीज कहना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब वित्त मंत्री कहते हैं कि यूरिया का मूल्य प्रति किलो एक रुपया बढ़ाया जाएगा तो क्या उनका यह अभिप्राय रहता है कि इस कक्ष में चारों ओर बैठे हुए कृषकों को यह समझ में नहीं आता कि इसका क्या परिणाम होगा? श्री यशवन्त सिन्हा कौन-सा किसान किलो के हिसाब से यूरिया खरीदता है? कोई भी किसान नहीं खरीदता है, यहां तक कि ढाई एकड़ की जोत रखने वाला किसान भी किलो के हिसाब से यूरिया नहीं खरीदता। आज इस व्यवसाय में लगे लोगों की स्थिति यह है कि वे अच्छी तरह से जीवन बसर नहीं कर रहे हैं। वे मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं। जब आप एक रुपया कहते हैं, तब आप यूरिया के 50 किलो की बोरी के प्रत्येक किलो की बात कर रहे होते हैं। किसान कई किलो यूरिया खरीदते हैं। यूरिया के एक बोरे पर पचास रुपये की वृद्धि का अर्थ है यूरिया के मूल्य में 25 से 28 प्रतिशत तक की वृद्धि है। क्या यह एक रुपया की बढ़ोत्तरी है? मुझे खुशी है कि उनके अपने गठबंधन के सदस्यों ने ही इस मूल्य वृद्धि के इस सुविचारित प्रयास को फलीभूत होने से रोक दिया।

दूसरा मुद्दा विद्युत संबंधी विधेयक का है। विद्युत विधेयक यदि अपने मूल रूप में पारित हो जाता तो जैसा कि भा०ज०पा० का इरादा था तो तीन वर्षों की अवधि में ही किसानों के हाथ-पांव कट जाते। क्यों? क्योंकि तब तीन वर्षों के बाद किसान को बिजली की सुविधा पहुंचाने की व्यवस्था करने पर आने वाली लागत का भुगतान करना

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[राव इन्द्रजीत सिंह]

होगा। मैं कह सकता हूं कि आज किसान बिजली के प्रत्येक यूनिट के लिए 1.50 या 1.75 रुपया चुकाता है। तीन वर्ष के बाद उसे 5 या 7 रुपये प्रति यूनिट निर्माण लागत चुकाना होगा। समय अत्यंत ही अचंभित करने वाला है। इस सदन के बाहर किसानों ने तथा हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं। यह विधेयक किसानों के लिए घातक हैं। मैं एक बार फिर ए०आई०ए०डी०एम० के यहां बैठे सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

जिबट कर दिया था आपने किसानों को। मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, बहुत से लोगों ने इस पर बोला है।

[अनुवाद]

मेरा गांव हरियाणा में है। मैं हरियाणा का हूं। मेरा चुनाव क्षेत्र दिल्ली के समीप है। मैं सप्ताह में दो बार आता-जाता था। जब मैं दिल्ली आता हूं तथा जब मैं हरियाणा वापस जाता हूं तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में एक गांव में पैदा हुआ हूं। जब मैं वापस जाता हूं तो मैं पेड़ों के बीज सरसों तथा धान से लहलहाते पीले-पीले तथा ज्वार एवं गेहूं से लहलहाते हरे-हरे खेत देखता हूं। मैं ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हूं। एक ग्रामीण की तरह जब मैं चलता हूं तो मेरा मस्तक गर्व से ऊपर उठ जाता है। एक गांव वाले के सिर पर पगड़ी उसका विशेषाधिकार होता है।

[हिन्दी]

और वह पहनकर शान से सब जगह जाया करता था, लेकिन आज क्या स्थिति है, आज मैं अपने गांव जाता हूं तो उन एरियाज में जहां मैं हरे-भरे खेत देखा करता था, अब वहां ईंटों की दीवारें लगी हुई हैं, फैक्टरियों की तारें लगी हुई हैं। हमारा छोटा-सा हरियाणा जो पंजाब के बाद देश का पेट भरता है। उसकी एग्रीकल्चरल जमीन के ऊपर, हरे-भरे खेतों के ऊपर धड़ाधड़ कब्जे हो रहे हैं। कौन कब्जे कर रहे हैं—बी०जे०पी० के समर्थक।

[अनुवाद]

यह मेरा आकलन है। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वर्ग में व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं और अंततः उसके पास एक महत्वपूर्ण चेहरा है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। यदि श्री अटल जी न होते तो वे 182 सीटें नहीं जीत सकते थे। मैं टेलीविजन पर उनका भाषण सुना करता था। मैं बस यह कहा करता था कि यह व्यक्ति सच्चे दिल से बोल रहा है। मैं महसूस करता था कि यदि उन्हें अवसर मिले तो वे देश का भला करेंगे और इसीलिए उन्हें एक अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने इतनी लंबी-लंबी अवधि तक कठिन परिश्रम किया। वे इतनी लंबी अवधि तक प्रधान मंत्री का पद प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे हैं। अंततः उन्होंने इसे प्राप्त कर लिया। किन्तु पहले ही सत्र में मुझे उनसे यह सुनकर आश्चर्य हुआ।

[हिन्दी]

अगला इलैक्शन नहीं लड़ रहा हूं, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए।

[अनुवाद]

मैं सोचता था वे बड़े मजबूत व्यक्ति हैं। पर वे बड़े नाजुक हैं। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर पूरे देश को विश्वास था। उन्हीं के कारण भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटें मिली थीं ··· *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं जानता हूं। मैं आपसे एक मिनट रुकने की अपील कर रहा हूं। आपसे मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि वित्त विधेयक तक सीमित रहें। हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। अतः हमें स्वयं को वित्त विधेयक पर चर्चा तक ही सीमित रखना चाहिए। हमें ऐसे विषयों की चर्चा करनी चाहिए जो पूरी तरह से इस परिचर्चा से संबंधित नहीं हैं या जो पूरी तरह असंबद्ध हैं।

[हिन्दी]

राव इन्द्रजीत सिंह (महेन्द्रगढ़) : महोदय, मैं भूमिका बांध रहा था।

सभापति महोदय : आप फाइनेंस बिल पर बोलिए।

राव इन्द्रजीत सिंह : मैं फाइनेंस बिल पर बोलता हूं। ··· *(व्यवधान)* मेडन स्पीच है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, मैं वैसा ही बोल देता हूं।

[अनुवाद]

श्री टी० आर० बालू : यह उनका पहला भाषण है। उन्हें बोलने दीजिए ··· *(व्यवधान)*

राव इन्द्रजीत सिंह : वित्त विधेयक के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि कृषकों के लिए कई कठिनाइयां पैदा की गई थीं। उनका भाग्य नियंत्रण वे नौकरशाह, वित्त मंत्री और सरकारें करती हैं जिन्हें किसानों की गतिविधियों में कोई रुचि नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि श्री यशवन्त सिन्हा ही पूरी तरह से उत्तरदायी हैं। वे उन वित्त मंत्रियों में से एक हो सकते हैं। सामान्यतया मैंने यह पाया है कि अधिकांश वित्त मंत्रियों में एक स्विच-सा होता है जो कभी भी कृषकों की मांग का उल्लेख होने पर, उनकी दशा का उल्लेख होने पर अपने आप बंद हो जाता है। अब यदि वित्त मंत्री जी का स्विच मेरे द्वारा कृषकों और उनकी समस्याओं की बात करने से बंद हो जाए तो वे इसे फिर से स्वयं चालू कर दें। वे ध्यान से नहीं बल्कि ऐसे ही सुन लेते हैं।

मुझे अब कृषि और वित्त विधेयक के संबंध में कुछ कहना है। कृषकों के लिए 'नाबार्ड' बनाया गया है। सभी के लिए रिजर्व बैंक है। लेकिन यह कृषकों के मूल स्रोत पर प्रहार करना है कि जब कोई व्यवसायी या व्यावसायिक घराना बैंकों से ऋण लेता है तो बैंकों को उसे अशोध्य ऋण, मानकर बट्टेखाते में डालने का अधिकार है और व्यवसायी को उसे चुकाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बैंकों को ऋण अशोध्य लगता है अतः वे बट्टे खाते में डाल देते हैं, ऐसे असंख्य

मामले हैं, पर जब कृषक ऋण लेता है तो उसे नाक के बल उसका भुगतान करना पड़ता है। श्री देवीलाल का मामला ही लें।

[हिन्दी]

हमारे प्रांत के थे, वे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने एनाउंस किया, फार्मर्स ने उनकी बात मानी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कोआपरेटिव्स के लोन हम माफ कर देंगे। माफ भी हो गए थे। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ कि जब ब्यूरोक्रेसी प्रिवेल हुई, तो लोगों को नाक से पैसा देना पड़ा, सिर्फ इंटरेस्ट माफ हुआ, लोन माफ नहीं हुआ।

[अनुवाद]

कृषकों और व्यवसायियों के बीच यह विषमता क्यों है? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। केवल यही नहीं है। संपत्ति कर अधिनियम के अंतर्गत, इस वित्त विधेयक में चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उद्योगों की संतुष्टि हेतु काफी कुछ दिया गया है।

[हिन्दी]

हरेक आदमी अपनों की बात करता है, इन्होंने भी अपनों की बात की है तो कोई बात नहीं है। हमारे यहां एक कहावत है कि अगर अपना गिराएगा भी तो अपना होने के नाते कम-से-कम रेत में गिराएगा।

[अनुवाद]

क्या यह कृषकों को हानि पहुंचाकर होना चाहिए? क्या कृषकों पर भी सरकार को थोड़ा-सा ध्यान नहीं देना चाहिए? यदि वित्त मंत्री जी कृपा कर इसे सुन लें—संपत्ति कर अधिनियम की धारा 2(ई)(ए) के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों की परिभाषा में उस कृषि भूमि को शामिल किया गया है जो नगरपालिका कमेटी या छावनी परिषद् के आठ किलोमीटर के भीतर है अर्थात् उस पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद संपत्ति कर लग रहा है। आयकर अधिनियम की धारा 2(14) के अंतर्गत इस भूमि पर पूंजीगत प्राप्ति कर भी प्रभार्य है।

हरियाणा का अधिकांश भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यदि कृषक किसी नगरपालिका से आठ किलोमीटर की दूरी पर हैं तो अपनी भूमि बेचने पर उनसे पूंजीगत प्राप्ति कर लिया जाता है। औद्योगीकरण, देश के वित्तीय रूप से बेहतर बनने के कारण जो किसान अपनी दो, तीन या चार एकड़ भूमि से जीवन निर्वाह कर रहा है उसे अपनी भूमि का मूल्य बढ़ने पर पूंजीगत प्राप्ति कर अदा करने को कहा जाता है। किसी उद्योग के संबंध में ऐसा नहीं होता। इसी से भारी कष्ट होता है। वित्त मंत्री महोदय, यदि शहरी क्षेत्र में कोई उद्योग कृषि भूमि का कोई अंश ले ले और तीन वर्षों के भीतर हम उस पर उद्योग का निर्माण करें तो हमसे पूंजीगत प्राप्ति कर नहीं लिया जाएगा। मारूति उद्योग की हरियाणा में एक बड़ी फैक्ट्री है। वह मेरे चुनाव क्षेत्र में है। इस उद्योग के लिए किसानों से एक हजार एकड़ भूमि ली गई थी। आज कार विनिर्माण के लिए भूमि का केवल एक हिस्सा प्रयुक्त हो रहा है। यदि आज वे लाभ पर 500 एकड़ भूमि बेच दें तो पूंजीगत प्राप्ति कर नहीं लिया जाएगा। किन्तु एक किसान को एक व्यक्ति के रूप में अपनी भूमि बेचने पर पूंजीगत प्राप्ति कर भुगतान करना पड़ता है। केवल यह नहीं, यदि किसी किसान को पूंजीगत प्राप्ति कर का भुगतान करना हो और वह वित्त मंत्री के कर के दायरे से बाहर रहना चाहे तो उसे बेची गई भूमि के स्थान पर किसी दूसरी भूमि का टुकड़ा खरीदना पड़ेगा। और जब कुछ धन अर्जित करने और सुखी जीवन बिताने हेतु उसे बेचने का समय आए तो उसे कुछ भाग सरकार को देना पड़ता है। यह क्या है? पूंजीगत प्राप्ति कर के प्रभार से बचने के लिए यह और कुछ नहीं बल्कि बेची गई भूमि के स्थान पर भूमि खरीदना है। यह सुविधा केवल व्यक्ति को उपलब्ध है 'एच यू एफ' को नहीं, पूरे देश में लोग 'एच यू एफ' के अंतर्गत हैं। पिता 'एच यू एफ' का सदस्य है, पुत्र सदस्य है, प्रपौत्र सदस्य है। किन्तु 'एच यू एफ' को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसे संसद में पहले क्यों नहीं लाया गया।

भारतीय जनता पार्टी आम नागरिक संहिता की बात करती है। किन्तु वे 'एच यू एफ' की बात नहीं करते। 'एच यू एफ' के अंतर्गत हिन्दू को कराधान सुविधा का लाभ उठाने का अधिकार है। उस पर कम कर लगता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार इसका उल्लेख नहीं करती। मैं नहीं जानता कि यह क्यों नहीं हुआ है।

अब मैं थोड़ा विषयान्तर करूंगा।

मैं कृषि भूमि और पूंजीगत प्राप्ति संबंधी विषय के बारे में बोल रहा था। मंत्री महोदय, आश्चर्य इस बात का है कि गत जनगणना में 10,000 तक की जनसंख्या वाले नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि संपत्ति कर के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्ति कर मुक्त है। किन्तु 40,000 की जनसंख्या वाली पंचायत, न कि नगरपालिका, यदि किसी नगर के आठ किलोमीटर के भीतर हो तो उस क्षेत्र में लोगों को पूंजीगत प्राप्ति कर का भुगतान करना पड़ता है। क्या यह अन्याय नहीं है? अधिकांश हरियाणा आपके 80 किलोमीटर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत है, वहां पर यदि 180, 200, 500 लोगों की रिहायश वाले बहुत छोटे-छोटे 150 गांव हैं तो उन्हें उस भूमि पर पूंजीगत प्राप्ति कर का भुगतान करना है।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

राव इन्द्रजीत सिंह : महोदय, मैं इन्हीं बातों का उल्लेख करना चाहता था। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया और मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी उन बातों पर प्रकाश डाल पाएंगे जो मैंने उठाई हैं।

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : सभापति, महोदय, मैं वित्त विधेयक 1998-99 का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : आप कन्नड़ में क्यों नहीं बोलते? भाषान्तरण की सुविधा उपलब्ध है।

***श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या** : ओह, धन्यवाद सभापति महोदय।

महोदय, मैं वित्त विधेयक, 1998-99 की सराहना करता हूं और इसका पूरे मन से समर्थन करता हूं। करदाताओं के लिए आयकर का

---

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या]

फार्म भरना भी बोझ-सा लगता है। इस विधेयक में इसे बहुत सरल बनाया गया है। यह स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। परन्तु इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि निरीक्षक और निर्धारण अधिकारी निर्धारिती के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या इन निरीक्षकों और कर निर्धारण प्राधिकारियों के रवैये और बर्ताव में कोई बदलाव लाया गया है। निर्धारिती तो देश की संपदा हैं। वे अपनी आय का एक हिस्सा सरकार को देते हैं। यह बात इन अधिकारियों के दिमाग में सदैव होनी चाहिए। अतएव इन अधिकारियों द्वारा सुपरिष्कृत और सुसंस्कृत दृष्टिकोण और रवैया अपनाए जाने की नितांत आवश्यकता है। यह एक अच्छी बात है कि कुछ निरीक्षक बहुत ही अच्छे हैं। परन्तु इनमें से कई ऐसे हैं जो निर्धारिती को अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं और उन्हें बार-बार आयकर कार्यालय आने के लिए कहते हैं। अब नई सरकार का गठन हुआ है। परन्तु कर्मचारी तो वही पुराने हैं। हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या इन कर्मचारियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन लाया गया है। निर्धारिती भी अन्य मनुष्यों की भांति हैं। इनके प्रति निरीक्षकों और निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अच्छा व्यवहार किए जाने की अपेक्षा की जाती है। कई संघों और अन्य संगठनों द्वारा मंत्री महोदय को अभ्यावेदन भेजे गए हैं। मंत्री जी इनकी आयकर समस्याओं को सुलझाने के लिए चर्चा कर चुके हैं। मंत्री महोदय का यह रवैया अत्यंत प्रशंसनीय है।

हमारे देश में भारी मात्रा में कालाधन है। कालेधन की इस अपार राशि को जुटा कर विश्व बैंक का समस्त ऋण चुकाया जा सकता है। कालेधन की इस राशि को उजागर करने के लिए मैं माननीय मंत्री से ठोस प्रस्ताव लाने का अनुरोध करता हूं। इसे एक अत्यधिक सफल योजना बनाया जाए। छुपे हुए कालेधन की समग्र राशि उजागर की जानी चाहिए। भारतीय धन का एक बहुत बड़ा भाग स्विस बैंक में जमा है। परन्तु मैं यह नहीं जानता कि इस भारी राशि को वापिस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

महोदय, एक संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए केवल एक करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाती है। परन्तु यह राशि पर्याप्त नहीं है। यहां संसद सदस्य प्रगति के कार्य का प्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षण करते हैं। इस कार्य की गुणवत्ता प्रभावित न हो अतएव मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस राशि को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दिया जाए। भारत सरकार विभिन्न परियोजनाओं पर धनराशि खर्च कर रही है। वह पी०डब्ल्यू०डी०, जिला परिषद, तालुक पंचायत, मंडल पंचायत और अन्य संगठनों को धनराशि जारी कर रही है। संसद सदस्य कोष के मामले में समग्र राशि प्रत्यक्ष रूप से खर्च की जाती है और कार्य निर्धारित अवधि में पूरा किया जाता है। योजना अनुभाग में संबद्ध व्यक्तियों को संसद सदस्यों को सही जानकारी देनी चाहिए।

यदि दर कम होगी तो वसूली बेहतर तरीके से की जाएगी। अतएव अत्यधिक दर नहीं होनी चाहिए। यह न्यूनतम और सरल हो। यदि ऐसा होगा तभी कर राशि कोषागार में आसानी से जा पाएगी।

तीन लाख प्रैक्टीशनर हैं और यदि इसमें क्लर्कों, टाइपिस्टों और उनके अन्य आश्रितों की संख्या जोड़ी जाएगी तो यह दस लाख होगी। ये प्रैक्टीशनर आयकर अधिनियम, 1922, धारा 288(2) के अंतर्गत अपना नाम पंजीकृत कर चुके हैं। आयकर नियम 50 से 58 में प्रैक्टीशनरों के बारे में विनिर्दिष्टियां भी हैं। अतएव इन कर प्रैक्टीशनरों के कार्यकरण के बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। ये प्रत्यक्ष रूप से आयकर आयुक्त के नियंत्रण में आते हैं। यदि ये उचित रूप से प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, यदि इनमें कोई कमी अथवा खामी होगी तो इनके विरुद्ध अभियोजन चलाया जाएगा और इनके नाम को सूची से रद्द कर दिया जाएगा एवं उन्हें काली सूची में रख दिया जाएगा। अतएव शक्तियों के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। उनके और उनके कर्त्तव्यों के बारे में आठ से दस नियम हैं। हाल ही में 44एबी और एएफ लागू किया गया है और यह प्रैक्टीशनरों को प्रतिबंधित करता है। अब इसमें यह कहा गया है कि केवल चार्टेड एकाउंटेंट ही लेखा परीक्षण कर सकते हैं। इस प्रणाली को समाप्त करके पुरानी लेखा परीक्षा प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। चार्टेड एकाउंटेंट के अंकेक्षण के संदिग्ध होने पर इसे पुनरंकेक्षण के लिए किसी अन्य चार्टेड एकाउंटेंट को सौंप दिया जाए। आयकर प्रैक्टीशनरों के मामले में भी कोई खामी होने पर इस तरह से इसे किसी अन्य को भी सौंपा जा सकता है। अतएव मेरा यह कहना है कि चार्टेड एकाउंटेंट से कर प्रैक्टीशनरों को अलग करना उचित नहीं है।

चालू वर्ष 1998-99 के दौरान अल्यूमिनियम उद्योग पर भारी कराधान था। देश में कई सुप्रतिष्ठित अल्यूमिनियम उद्योग हैं और भारी कराधान के कारण ये सभी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि वे तत्काल प्रभाव से कर को कम करके इस उद्योग को बचाएं।

नारियल-जटा उद्योग के बारे में केरल से मेरे कई मित्र इस उद्योग की दशा का उल्लेख कर चुके हैं। कर्नाटक में कई उद्योग कार्यरत हैं। इस वर्ष शुल्क में की गई वृद्धि से कयर उद्योग को गहरा धक्का पहुंचा है। कयर उद्योग एक औद्योगिक उद्योग है। इस उद्योग से लाखों लोगों को विशेषकर, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, को रोजगार मिलता है। अतएव मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे आगे और बिना विलंब किए कयर उद्योग पर लगाए गए शुल्क में कटौती करें।

महोदय, तुमकुरवासियों को कुमार धारा नदी से जल प्रबंध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तत्काल कदम उठाए जाएं। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इस मामले में रुचि नहीं ले रही है। परन्तु, यह जिला सूखा प्रवण जिला है। गरीबी बढ़ रही है और यहां के लोगों, विशेषकर जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, को पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। टंकियों में पानी नहीं है। नारियल और अरेका के पेड़ सूख रहे हैं, इन पेड़ों से पिछले दस वर्षों से समुचित पैदावार नहीं हो पाई है। कुमारधारा नदी जिसका जल पश्चिम की ओर बह रहा है, उसको पूर्व की ओर प्रवाहित किया जाना चाहिए, इससे समग्र तुमकुर जिले को पानी उपलब्ध हो पाएगा। वहां की जनता इस कार्यक्रम में विलंब के बारे में अपना आक्रोश पहले ही प्रकट कर चुकी है।

नाविल टनल के पास में पानी के प्रवाह को दूसरी ओर मोड़ दिया गया है; जिसके परिणामस्वरूप तिप्तूर की जनता को पेयजल भी

उपलब्ध नहीं है। तुमकुर जिले में मुगादनहल्ली तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। राज्य सरकार तुमकुर जिले में पेयजल की गंभीर समस्या के बारे में किंचित भी चिंतित नहीं है। अतएव वहां की जनता को परेशानी से बचाने के लिए केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से कुमारधारा नदी पर एक बांध बनवाने और नहरों के माध्यम से समग्र तुमकुर जिले में पानी उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध करता हूं।

महोदय मैं भाषण समाप्त करने से पहले माननीय वित्त मंत्री जी से एक बार पुन: अनुरोध करूंगा कि वे कर प्रैक्टीशनरों को बिना किसी प्रतिबंध के अंकेक्षण के उनके व्यवसाय को जारी रखने की अनुमति प्रदान करें। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस गंभीर समस्या पर विचार करेंगे और देश में कर प्रैक्टीशनरों के हितों की सुरक्षा करेंगे।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, वित्त विधेयक पर विचार किया जा रहा है। बजट पर आम वाद-विवाद के दौरान विचाराधीन बजट नीति और वित्तीय नीति पर विचार-विमर्श किया गया था। अत: मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा परन्तु वित्त विधेयक में उल्लिखित प्रस्तावों पर ही अपने विचार व्यक्त करूंगा।

प्रारंभ में, मैं उत्पाद शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि के बारे में कहना चाहूंगा। उत्पाद शुल्क में वृद्धि करने से 5,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। मेरा यह विचार है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा। पेट्रोलियम अर्थात् पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि करने से ईंधन की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस बजट में चाय के कप पर भी वृद्धि को नहीं छोड़ा गया है। आम आदमी की पेय वस्तु नहीं छोड़ी गई है। उदाहरण के तौर पर पैकेट वाली चाय पर शुल्क को शून्य प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दिया गया है। यह बहुत अजीबोगरीब बात है। हमारे सामने एक बहुत ही अनोखा वित्त विधेयक पेश किया गया है। ह्विस्की, रूसी शराब और बियर का आयात करने के मामले में, मूल सीमा शुल्क को घटाकर पंद्रह प्रतिशत कर दिया गया है।

श्री यशवंत सिन्हा : श्री बनातवाला क्या आप कुछ क्षण के लिए अपनी बात कहना बंद करेंगे।

यह बात सही है कि हमने उत्पादों के मामले में शुल्क कम किया है लेकिन हमें ऐसा जी ए टी टी की दरों के अनुरूप लाने के लिए करना पड़ा है। यह हमारी सरकार का वायदा न होकर पूर्व सरकार का वायदा था।...*(व्यवधान)* एकरूपता लाने की दृष्टि से ...*(व्यवधान)*

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या आप उस वचनबद्धता को स्वीकार करते हैं? अथवा आप उससे मुकरना चाहते हैं?

श्री यशवंत सिन्हा : मैंने यह कहा है कि हम दूसरों द्वारा किए गए गलत कार्यों को भुगत रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप उससे मुकरने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : क्या आप यह सुझाव अपनी पार्टी की ओर से दे रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं आपको कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं।

सभापति महोदय : वे आपसे जवाबी प्रश्न पूछ रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं कोई मंत्री नहीं हूं जो इसका उत्तर दूं।

सभापति महोदय : ठीक है, श्री बनातवाला आप बोलना जारी रखें।

श्री जी० एम० बनातवाला : इसे मेरे समय में शामिल न किया जाए।

सभापति महोदय : हां, मुझे इसका पता है।

श्री जी० एम० बनातवाला : जैसा कि मैंने कहा है, इन मुद्दों पर विशेष उत्पाद शुल्क को भी खत्म कर दिया है। मैं यह बात किसी राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर नहीं कह रहा हूं। कृपया वित्त विधेयक से उत्पन्न स्थिति पर एक नजर डालें। हमने रूसी शराब, ह्विस्की, बियर को सस्ता किया है और चाय का कप महंगा किया है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

आपका अपना कोई झगड़ा हो सकता है लेकिन आम आदमी पर इस बजट का बुरा प्रभाव पड़ा है। कम-से-कम हमें चाय के पैकेट पर उत्पाद शुल्क को बढ़ाते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था।

सभापति महोदय, क्या नजर के चश्मे विलासिता की वस्तु हैं। इन पर उत्पाद शुल्क को शून्य प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत किया गया है। यह शुल्क न केवल शीशों पर ही लगाया गया है अपितु फ्रेमों पर भी लगाया गया है। वे यह चाहते हैं कि मैं उनकी ओर देखूं भी नहीं। इस पर भी उत्पाद शुल्क शून्य प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दिया गया है। वे यह नहीं चाहते हैं कि हम अपने कागजों पर एक दृष्टि भी न डालें या वित्त मंत्री की ओर न देखें। यह सब क्या है?

चिकित्सा उपस्करों पर उत्पाद शुल्क को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दिया गया है। तैयार मीट, मछली आदि पर उत्पाद शुल्क शून्य प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दिया गया है। प्लास्टिक के कई घरेलू सामान पर भी उत्पाद शुल्क शून्य प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। जैसा कि बताया गया है कि स्नैक और मिठाई पर उत्पाद शुल्क शून्य प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दिया गया है। मसालों, मक्खन, पनीर आदि को वित्त मंत्री ने उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान कर दी है।

निश्चित तौर पर, इस विधेयक में एक अच्छा प्रस्ताव भी है जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क

[श्री जी०एम० बनातवाला]

के लिए अग्रिम शुल्क निर्धारण करने के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। यह एक स्वागतयोग्य प्रस्ताव है क्योंकि विदेशी निवेशकों को अप्रत्यक्ष करों के संबंध में अपनी देयता के बारे में अग्रिम रूप से पता चलेगा। इससे कई अनिश्चितताएं दूर होंगी।

पंजीकृत बूचड़खानों में गौजातीय पशुओं का वध करने पर प्रत्येक पशु के लिए 1,000 रुपये सेवा कर के रूप में देने पड़ते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या सरकार की अंतर्निहित कार्यसूची में गौजातीय पशुओं के वध पर लगाए जाने वाले सेवा कर को दर्शाया गया है। मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं कि यह सेवा कर एक बहुत ही गलत, घृणित है और इसके मीट उद्योग पर बहुत भीषण और भयानक परिणाम होंगे। यह बहुत ही गलत उपकर है क्योंकि इसको लगाने से बूचड़खाने के आधुनिकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह गरीब व्यक्तियों के अनुकूल बजट नहीं है। गौजातीय पशुओं का मीट मुख्यत: दलित, गरीब, कामकाजी मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों आदि के लोगों द्वारा खाया जाता है। ये वे तथ्य हैं जिनसे मुंह नहीं छिपाया जा सकता है।

पशुओं का वध करते समय पशुओं से कई कीमती उप-उत्पाद प्राप्त होते हैं और बड़ी संख्या में उद्योग-धन्धे उन पर निर्भर करते हैं। अत: आप इस सेवा कर के दुष्प्रभावों का अवलोकन कर सकते हैं। मैं एक बार पुन: इस प्रस्ताव में संशोधन करने के बारे में अपने सुझाव लेकर सभा में आऊंगा और मुझे आशा है कि वित्त मंत्री उसका उत्तर देंगे और उद्योगों के हित में सेवा कर को वापस लेंगे।

अनिवासी भारतीयों को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि असाधारण निवासियों के मौजूद कर समाप्त करने का प्रस्ताव है। उनकी कठिनाई के एक पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। हम सभी अनिवासी भारतीयों को आमंत्रित कर रहे हैं और तत्पश्चात् उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जो लोग विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं और काफी लंबे समय के बाद आते हैं, को पहले नौ वर्ष की अवधि के लिए भारत से बाहर निवेश करने पर आय अर्जित करने की अनुमति दी जाती थी। उस आय पर भारत में कोई कर नहीं लगता था। लेकिन अब उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। यहां, मैं दोहरी कर प्रणाली के पहलू के बारे में जोर नहीं दे रहा हूं। मैं केवल यह आशा करता हूं कि वित्त मंत्री उन लोगों, जो विदेश गए हुए हैं, के बारे में कोई कड़ा निर्णय नहीं लेंगे और उन्हें अपनी निवेश राशि पर कुछ राशि बेतौर मिलती रहेगी।

सभापति महोदय, आयकर विवरणी भरने के लिए छ: मदों में से एक मद जैसे कि टेलीफोन आदि को ही लीजिए। अब दो और मदों को भी शामिल किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास दो मदों की बजाए केवल एक मद भी हो तो भी उसके लिए आयकर विवरणी भरना आवश्यक होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम आयकर के दायरे में अधिक व्यक्तियों को लाना चाहते हैं। लेकिन बेहतर होगा यदि हम आम आदमी के लिए दिक्कतें पेश करने की बजाए बड़े पूंजीपतियों पर नजर रखें।

सायं 7.57 बजे

[*अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए*]

महोदय, चिकित्सा और शैक्षिक संस्थाएं जिनकी स्थापना मुनाफा कमाने के लिए नहीं की गई है, को वर्तमान आयकर से छूट दी गई है। इस छूट को समाप्त करने की मांग की गई है। मैं समझता हूं कि ये संस्थाएं धर्मार्थ न्यास के रूप में धारा 11 और 12 के अंतर्गत अपील करेंगी लेकिन इसके लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की आवश्यकता होगी। इससे इन संस्थाओं की परेशानियां और बढ़ेंगी।

अध्यक्ष महोदय, अब से जो व्यक्ति उपहार प्राप्त करेंगे उसे उनकी आय में शामिल किया जाएगा। उपहार अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव है और उपहार को दूसरे स्रोतों से होने वाली आय माना जाएगा। अब, ऋण मुक्ति को भी आय माना जाएगा। मैंने कुछ धन उधार पर लिया और संबंधित व्यक्ति ने मुझे उस ऋण से मुक्त कर दिया जिसे मैंने कुछ समय पहले लिया था और मैंने उस धन को अपनी आवश्यकता के अनुसार खर्च कर दिया। आज मैं ऋण मुक्त हूं। आप मेरे प्रति कड़ा रवैया अपनाते हुए उसे मेरी आय समझ रहे हैं जो कर योग्य है। मैं जानता हूं कि इन प्रावधानों का कुछ मामलों में गलत इस्तेमाल हो सकता है लेकिन हमें सही मामलों में व्यक्तियों को दंडित करने की बजाए इन प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना चाहिए।

महोदय, उपहार के रूप में प्रतिवर्ष 30,000 रुपए तक प्राप्त होने वाली राशि को कर से छूट देने का प्रावधान है। मेरा यह सुझाव है कि इस सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दिया जाए।

विवाह में 2 लाख रुपए तक मिलने वाले उपहारों को छूट प्रदान की गई है। 2 लाख रुपए से अधिक मिलने वाले उपहारों को दूसरे स्रोतों से होने वाली आय समझा जाएगा और वह कर योग्य होगी। आप विवाह के बाद उनके जीवन में खलल क्यों डाल रहे हैं?

रात्रि 8.00 बजे

हमें कुछ विचार करने दें। इन दिनों 2 लाख रुपए की राशि का कोई महत्व नहीं है। कुछ छोटा-छोटा सामान शादी के समय दे दिया जाता है। मुझे विश्वास है कि इसकी सीमा को पांच लाख रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए।

अपील दायर करने के लिए शुल्क में वृद्धि हुई है। अब, विशेष रूप से छोटे कर निर्धारितियों के मामले में कठिनाई होगी। मेरा विनम्र निवेदन है कि अपील दायर करने की लागत को बढ़ाकर न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

यहां अनेक ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन मैं इसके लिए सभा में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहता हूं। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं केरल की स्थिति का उल्लेख करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से, इस राज्य के साथ काफी अन्याय हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो हम सभा की कार्यवाही का समय रात्रि 9 बजे तक बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, सभा की कार्यवाही का समय रात्रि 9 बजे तक बढ़ाया जाता है।

श्री जी० एम० बनातवाला : केरल में केन्द्रीय निवेश बहुत कम किया गया है, इसमें लगातार कमी हो रही है, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर यह सभी राज्यों में किए गए निवेश से कम है। केरल में ब्लाक स्तर पर केन्द्रीय निवेश कुल निवेश का मुश्किल से 1.40 प्रतिशत है। यदि हम इसकी सभी राज्यों में कुल केन्द्रीय निवेश के साथ तुलना करें तो हमें ज्ञात होगा कि केरल में केन्द्रीय निवेश मुश्किल से 1.40 प्रतिशत किया गया है, तो फिर क्या स्थिति होगी। रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि कुल रोजगार में केरल के हिस्से का प्रतिशत मुश्किल से 1.58 प्रतिशत है जो कि कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के एकदम बाद में आता है।

केरल में केन्द्रीय निवेश में कमी हो रही है। 1975 में केरल में केन्द्रीय निवेश के हिस्से की जब हमने कुल केन्द्रीय निवेश से तुलना की तो यह 3.24 प्रतिशत था जो कि देश की कुल जनसंख्या में केरल की जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर था। 3.24 प्रतिशत से इसमें लगातार कमी आई है। आज, यह मुश्किल से 1.6 प्रतिशत है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार को इस गंभीर समस्या पर भी विचार करना चाहिए। सरकार को हमारी अर्थव्यवस्था के इस असंतुलन को दूर करके इस गंभीर स्थिति का समाधान करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस समस्या का शीघ्र समाधान करेंगे। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ हूं कि जब मैं बोल रहा था तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अत: मुझे आशा है कि जिन मुद्दों को यहां उठाया गया है उन पर मंत्री महोदय सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने वित्त विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री सिन्हा साहब बैठे हुए हैं, उनके समक्ष मैं कहना चाहूंगा कि भारत में 80 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं। 76 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। जब से यह बजट पेश हुआ है तब से सभी सम्मानित सदस्यों ने देखा होगा कि पूरे देश में महंगाई चरम सीमा तक बढ़ी है। अगर ध्यान से देखा जाए तो मध्यम वर्ग के यूज में आने वाली वस्तुएं आपने महंगी की हैं और जो उच्च वर्ग के लोगों के यूज की वस्तुएं हैं, उनको आपने सस्ता किया है। भारत वर्ष में 76 प्रतिशत किसान ग्रामीण क्षेत्र में वास करते हैं। उनकी सिंचाई, खाद तथा कृषि उपकरण से संबंधित कई ऐसी सुविधाएं हैं जिनकी तरफ आपको बड़ी गंभीरता से ध्यान देना होगा। गांव की पूंजी जो शहरों की ओर बहुत तेजी से जा रही है, उस पर रोक लगानी होगी। आज किसान कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद भी अपनी अपज का सही मूल्य नहीं पा रहा है। उसे जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, वे भी नहीं मिल पा रही हैं। आप देखें कि जो किसान ऋण लेता है चाहे वह ग्रामीण बैंक से लेता हो या सहकारी बैंक से, उन पर बहुत बोझा हो जाता है। वे ऋण की अदायगी नहीं कर पाते हैं तथा उन्हें ऋण लेने में भी कठिनाई होती है। आज ब्याज की दरें भी बढ़ी हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि ब्याज की दरें कम हों तथा उन्हें ऋण आसानी से मुहैया हो ताकि वह अपना उत्पादन बढ़ा सकें।

अध्यक्ष महोदय, हमें एक बात और कहनी है कि एक वक्त ऐसा था जब किसान ने आलू का उत्पादन काफी किया लेकिन वे सारे सड़ गये जिससे उनको उसका मूल्य नहीं मिल पाया। आज आलू की कीमत कितनी बढ़ गई है, यह आप जानते हैं। माननीय मंत्री जी ने एक टी०वी० इंटरव्यू में कहा था कि सब्जियों पर कर नहीं लगाया गया, यदि सब्जियों का मूल्य बढ़ा है तो उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये तमाम बातें चाहे वह खाद्य संस्करण या कृषि मंत्रालय से संबंधित हों, सरकार को उसमें चिंता करनी चाहिए। आज आपने देखा होगा कि चाहे मिठाइयां हों, दूध हो, नमकीन हो, मसाले या चाय हो, तमाम चीजों पर कर बढ़े हैं। इन पर हमें कर कम करना होगा क्योंकि ये सभी चीजें हमारे मध्यम वर्गीय परिवार की यूज की चीजें हैं।

आपने व्यक्तिगत आय कर मुक्त सीमा को 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया है। आज आप महंगाई की मार को देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में चाहे मजदूरी की या दूसरे उत्पाद की चीजें हों, उन सबकी कीमतें बढ़ी हुई हैं। यदि एक व्यक्ति अपने मकान का निर्माण करता है, तो इसमें लगने वाली तमाम चीजों के दाम में भी बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि व्यक्तिगत आय कर की मुक्त सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 70 हजार रुपये कर दें। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बात यहां रखी है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज नये संसद सदस्य के रूप में हम दिल्ली आए हैं। आज तक हम जिन जनपदों या राज्यों में रहते थे वहां भी हमने खर्च की सीमा देखी है। यहां आकर सभी सम्मानित सदस्यों के खर्चे बढ़े हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हमें देश की राजधानी दिल्ली में वास करना है तो माननीय संसद सदस्यों के वेतन भत्तों, उनकी सुख-सुविधाओं को बढ़ाया जाए ताकि हम लोग एकत्र होकर जनता की समस्याओं को यहां रख सकें। यदि खर्च ज्यादा होगा तो हम अपनी बात फ्री माइंड से नहीं कर सकते।

इसी तरह सांसद निधि का पैसा है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें सभी विधायकों को 50 लाख रुपये निधि में दिए गए हैं। हम पांच विधान सभा क्षेत्रों से चुनकर आते हैं परन्तु हमें 1 करोड़ रुपये मिलता है। यह पैसा बहुत कम है। यदि आप 1 करोड़ प्रति विधान सभा क्षेत्र को दें तब जाकर विकास की बात हो सकती है। मैं मांग करता हूं कि अगर आप कुछ नहीं बढ़ा सकें तो एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर कम से कम दो करोड़ रुपये कर दें। ऐसा सम्मानित सदस्यों ने कहा है लेकिन हमारी मांग प्रति विधान सभा क्षेत्र कम से कम एक करोड़ रुपये की है। *(व्यवधान)*

दूसरी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा जो सभी मांननीय सदस्यों की समस्याओं से जुड़ी हुई है। प्रश्नकाल, शून्यकाल, नियम 377 में तमाम

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

सदस्य अपनी प्रौबल्म यहां पर उठाते हैं। जब हम भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को बजट भेजते हैं, हमारी कौन्सटीटूएंसी में तमाम योजनाएं होती हैं चाहे वह सुनिश्चित रोजगार योजना हो, इंदिरा आवास हो या पेयजल त्वरित योजना हो, तमाम ऐसे बजट केन्द्र सरकार से जाते हैं लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट में बैठक होती है तो सम्मानित विधायक एक ही बात कहते हैं कि आपको तो एक करोड़ रुपये मिलते हैं। हमसे न ही पूछकर कोई काम किया जाता है, न ही कोई सुझाव लिया जाता है और न ही कोई भागीदारी होती है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि जो पैसा आप केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को भेज रहे हैं, उस पर माननीय संसद सदस्यों के सुझाव और कम से कम उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।

अभी हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट इकट्ठे हुए थे। उस बैठक में अग्निहोत्री जी भी गए थे। उत्तर प्रदेश के सभी मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट्स को बुलाया गया था। उन्होंने कई बिन्दुओं पर बात कही कि चाहे विधान सभा हो या लोक सभा, वहां पर आप घोषणाएं कर देते हैं लेकिन वे इम्प्लीमैंट नहीं हो पाती। इसलिए मैं चाहूंगा कि उद्योग लगाने के लिए जो भी संसाधन हों, उन्हें हमको बढ़ावा देना चाहिए और उनकी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए।

एक बहुमूल्य बात जो सरकार से संबंधित है, कहना चाहूंगा। जैसे आप अन्य खर्चों में मितव्ययिता बरत रहे हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वहां पर जैम्बो जैट मिनिस्ट्री बनी है। अग्निहोत्री जी, आप पढ़ें तो पता लगेगा कि उनके खान-पान, चाय, साज-सज्जा, रख-रखाव पर इतना खर्चा आ रहा है जिसका कोई हल नहीं है। अभी मैंने देखा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी दो-तीन दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के पास विकास संबंधी कुछ बजट मांगने आए थे। अच्छा होता यदि वे उत्तर प्रदेश के सदस्यों को भी बुलाते। हमारी बात सुनते तो अच्छा होता। हम भी उनको सुझाव देते।

इसी प्रकार से निर्जीव या बंद होने के कगार पर जो बहुत-सी फैक्ट्रियां हैं, उनके पुनर्जीवन के लिए आपने कुछ धन की व्यवस्था की है। हमारे यहां इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में केबिल फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है। आई.टी.आई. भी बंद होने के कगार पर है, बी.पी.सी.एल. फैक्ट्री बहुत घाटे में चल रही है। उनके लिए आपने जो व्यवस्था की है, उस पर और बजट बढ़ाने की बात है।

किसानों से संबंधित जो डीजल, मिट्टी का तेल या पेट्रोल है, उनके दामों में बढ़ोत्तरी की और बाद में दाम घटाए, यह बहुत अच्छा किया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम मिट्टी के तेल पर कर कम करें ताकि किसान, जो पम्पिंग सैट लगाकर या अपने ट्रैक्टर चलाकर अपने खेत जोतते हैं, उनको फायदा हो सके। इसलिए डीजल पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रुपया और अतिरिक्त कर बढ़ाया है जिससे किसानों पर ज्यादा बोझ पड़ा है।

डाक को एक रुपये से बढ़ाकर डेढ़ रुपये किया गया है। तमाम गरीब जनता जो लिफाफे में पत्र नहीं लिख सकती, पोस्ट कार्ड से पत्राचार करती है। अभी कई सदस्यों ने कहा कि जरूरतमंद रोजमर्रा की वस्तुएं चाहे मक्खन, पनीर या घी हों, उन पर एकदम 8 प्रतिशत कर बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ फल, मोटर स्प्रिट, आइसक्रीम पर 18 प्रतिशत, 35 प्रतिशत तमाम ऐसे कर बढ़ाए हैं। इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जहां तक मुकदमे के शुल्क को 250 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने की बात है, उससे गरीबों को नुकसान होगा लेकिन बड़े लोगों को फायदा होगा।

लद्दाख में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के सदस्यों को आय कर में छूट दी गई है। मैं गुजारिश करूंगा कि इसी प्रकार नोर्थ-ईस्ट में भी और कम से कम उत्तर भारत में भी अनुसूचित जाति के लोगों पर अगर आप कर कम करते तो बड़ा अच्छा होता।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय मंत्री जी से आशा है कि मैंने जो सुझाव दिए हैं, उन पर विशेष ध्यान देंगे। इस बढ़े हुए कर और इस विधेयक का मैं विरोध करता हूं।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मुझे देहात की एक-दो कहावतें याद आ रही हैं, जैसे 'भई गति सांप छछूंदर केरी', हमारे उत्तर प्रदेश में यह कहावत बहुत ज्यादा प्रचलित है। दूसरी है 'गुड़ भरी हंसिया है, न उगलते बनता है, न निगलते बनता है', पर ऐसा हो क्यों रहा है। आज हमारे वित्त मंत्री श्री सिन्हा जी एक विषम स्थिति में हैं, क्योंकि पूर्वजों के वित्त मंत्रियों द्वारा इनको जो आर्थिक नीतियां और उनके संचालन की स्थिति विरासत में मिली है, उसको ठीक करना, उन गलतियों को और उन भूलों को, इन्हें भुगतना पड़ रहा है। मैं अपने वित्त मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन गलतियों को संभालते हुए, उनको भुगतते हुए, उन्होंने देश को एक नई आर्थिक दिशा और आर्थिक शक्ति के विषय में स्थायित्व प्रदान करने का काम किया है।

मैं यशवन्त सिन्हा जी को इस बात में भी साधुवाद देना चाहता हूं कि जैसे ओझा भूत-प्रेतों की झाड़-फूंक करता है, उसी प्रकार एक अच्छे ओझा की तरह उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो पिछले प्रेत सवार थे, उनको झाड़-फूंक कर, हटाकर एक नई अर्थव्यवस्था को देश में लाने का प्रयास किया है, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था भूत-प्रेतों से अलग होकर एक अच्छी संस्कारयुक्त अर्थव्यवस्था का संचार इस देश में करे। परन्तु रोग बड़ा कठिन है, इसलिए इलाज लम्बा चलेगा। केवल 100 दिन में या केवल एक साल में पुरानी सारी भूलों का समाधान नहीं हो सकेगा। फिर भी जो प्रयास माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के निर्देशन में हमारे वित्त मंत्री जी ने किया है, वह सराहनीय है और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

वित्त मंत्री जी ने आर्थिक रूप से एक शक्तिशाली देश की संरचना का आह्वान किया है और केवल आह्वान ही नहीं किया है, उस ओर कदम भी उठाए हैं। मैंने दसवीं लोक सभा में इसी सदन में कहा था कि महात्मा गांधी के देश में लंगोटी वाले आम आदमी को उधार की टाई, पैंट और कोट मत पहनाओ, क्योंकि वह उधार की टाई और पैंट

जब वापस करनी पड़ेगी तो लंगोटी भी साथ में चली जाएगी और वह लंगोटीविहीन हो जाएगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने उस लंगोटी वाले इन्सान की ओर ध्यान दिया है, गांव में रहने वाले उस गरीब किसान और मजदूर की ओर ध्यान दिया है। गांधी जी के उस लंगोटी वाले निर्बलतम और निर्धनतम व्यक्ति पर न केवल ध्यान देकर कृषि के ऊपर, रोजगार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर धन का आवंटन पिछली व्यवस्था के अन्तर्गत अब की बार ज्यादा किया है, यह एक ठोस कदम है। कृषि के क्षेत्र में 58 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, नाबार्ड को शक्ति प्रदान कर उसकी आधारगत पूंजी बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, वह सराहनीय है।

गांधी जी ने कहा था कि यह देश गांवों का है। पर आज हम गांव में पचास वर्ष की आजादी के बाद जाएं तो देखेंगे कि किसान किन विषम समस्याओं और कठिनाइयों से घिरा है, उसके पास न रहने को मकान है, न पीने को पानी है, न स्वास्थ्य की सुविधा है, न ही उसके बच्चों के पढ़ने के लिए कोई स्कूल है, न उसके पैरों में जूता है और न ही सिर पर पगड़ी है। आज अगर हम इस पर आगे बढ़ें तो भारतीय जनता पार्टी का जैसा नारा था—रोटी, कपड़ा और मकान का, उसी को चरितार्थ करते हुए माननीय वित्त मंत्री ने ग्रामीण मकानों की व्यवस्था की है और शिक्षा की व्यवस्था की है, विशेष तौर से लड़कियों की पढ़ाई की व्यवस्था की है। इसके अलावा गांवों में पीने के पानी के लिए हैंडपम्पों की व्यवस्था के लिए विशेष धन का आवंटन किया गया है और भरपेट भोजन देने के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है। मैं इन सब कार्यों के लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं।

हमारी पूर्व की सरकारों ने भी कुछ व्यवस्थाएं की थीं, लेकिन वे व्यवस्थाएं जानवरों के लिए की गईं तो चारा घोटाला कांड हो गया, किसानों के लिए खाद की व्यवस्था की गई तो यूरिया घोटाला कांड हो गया। बेचारे किसान और मूक जानवरों तक वह व्यवस्था नहीं पहुंची, बीच में कुछ इन्सान खा गए और उनको बदहजमी भी हो गई। आज हमारा बजट आ रहा है, उसमें इस प्रकार की व्यवस्थाओं के प्रावधान से हम आगे बढ़ेंगे।

मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि इसमें संशोधन करने की भी आवश्यकता है। आयकर की सीमा बढ़ाई है, उत्पाद शुल्क में 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया है, सर्विस टैक्स को समाप्त किया है, मिठाई और नमकीन पर उत्पाद शुल्क समाप्त करने की बात कही, इन तमाम चीजों के लिए मैं उनको धन्यवाद देते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि आपने चाय पैकेजिंग पर आठ प्रतिशत की एक्साइज लगाई है। चाय की पैकिंग कोई बड़े कारखानों में नहीं होती, छोटे घरों में यह की जाती है। खुली चाय लाई जाती है और उसकी वहां पैकिंग की जाती है। 1993 में टंडन कमेटी ने रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पर एक रुपया प्रति किलो एक्साइज थी, वह समाप्त की गई थी। अब यह बढ़कर 12 रुपये प्रति किलो हो जाती है। मेरा अनुरोध है कि लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसको समाप्त करने का कष्ट करें। इसी तरह से पिसे हुए मसालों की पैकिंग पर आठ प्रतिशत कर लगाया है। मसाले भी कुटीर उद्योग के अन्तर्गत आते हैं और गांवों में चक्की से मसाले पीसे जाते हैं, कोई बड़ा कारखाना नहीं है। मेरा अनुरोध है कि इसे भी समाप्त करने का कष्ट करें। इसी तरह से दवाओं पर आठ प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। दवाओं में जीवन रक्षक दवाएं भी हैं, गरीब आदमी भी दवा खरीदता है, तो जो इसमें आठ प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाया गया है, उसको भी वापस लेने का काम आप करें।

हमारे उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में कांच का सामान बनता है। हाथ से उस पर दस्तकारी और पेंटिंग होती है। उस दस्तकारी और पेंटिंग किए हुए सामान पर आपने आठ प्रतिशत की एक्साइज ड्यूटी लगाई है। दस्तकारों और कारीगरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं अपेक्षा करता हूं कि इसको आप समाप्त करने का काम करेंगे। दूध डेयरी के ऊपर भी आपने आठ प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाया है। यह उद्योग सीधा किसानों से सम्बन्धित है जिसमें घी, मक्खन, पनीर और दूध होता है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसको भी वापस लेने का कष्ट करेंगे।

आपने 40 हजार रुपये की बिक्री पर आडिट की व्यवस्था कर रखी है। इस समय महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है, उसको देखते हुए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि यह सीमा आप 75 हजार रुपये तक करने का कष्ट करेंगे। नकद भुगतान की सीमा आपने 30 हजार रुपये निर्धारित की है। आजकल कोई भी आदमी जब बाहर जाता है तो पांच हजार रुपये, दस हजार रुपये का तकादा लेकर बैंक से ड्राफ्ट बनवाने जाता है तो बैंक वाले नकद रुपया जमा करके ड्राफ्ट नहीं बनवाते। अगर सारी राशि लेकर चलता है, तो रास्ते में लुट जाने की व्यवस्था होती है। इसलिए इस सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए और बैंकों को निर्देश दिया जाए कि इस प्रकार के लोग जो तकादे के हिसाब से जाते हैं, बैंक उनसे रुपया लेकर ड्राफ्ट देने की व्यवस्था करे।

महोदय, मैं दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। सुनिश्चित रोजगार योजना या जो अन्य योजनाएं हैं, उन योजनाओं के विकास के लिए संसद सदस्यों से भी प्रारूप मांगा जाना चाहिए, लेकिन आज वह नहीं मांगा जा रहा है। गांव, कस्बों और शहरों में आपने मकान बनाने की व्यवस्था कर दी है, लेकिन बेरोजगारी दूर करने के लिए नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि गांवों, कस्बों और शहरों में छोटे-छोटे कॉमर्सियल काम्पलैक्स बनाकर, उनमें 8×8 फुट और 15×15 फुट की दुकानें बनाकर बेरोजगार लोगों को दुकानें खोलने के अवसर दिए जाएं।

एक निवेदन और करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उत्तर प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय सरकार ने विधायकों को अपने क्षेत्रों का विकास करने के लिए 50 लाख रुपये देने की व्यवस्था की है। इसके साथ 25-25 हैंडपाइप और पांच-पांच गांवों के विद्युतीकरण की भी व्यवस्था की है। इस हिसाब से देखा जाए, तो एक करोड़ रुपये जो निधि हमें मिलती है, वह कम है, जबकि सरकार की यह योजना सफल हुई है। इसलिए कम से कम इसको दो करोड़ रुपये करने की व्यवस्था करें। आप चाहें, तो एक करोड़ रुपये से जो विकास के काम हुए हैं, उनको देख सकते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : यह तो माननीय अध्यक्ष महोदय पर निर्भर है।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि इस राशि को वे बढ़ाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्य इस धनराशि में वृद्धि चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है, मैं उसमें एक ही बात कह सकता हूं—

वक्त आने पर हम दिखा देंगे तुझे वह आसमां,

हम अभी से क्या बताएं कि हमारे दिल में क्या है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, सदन में वित्त विधेयक पर बहस चल रही है, मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा। हम लोग साधारण ढंग से जानते हैं कि कर नीति कैसी होनी चाहिए। ये लोग रामराज्य की कल्पना करते हुए कहते थे कि हम रामराज्य में भूख, भय और भ्रष्टाचार को मिटाएंगे तथा सरल, समान, समाधान करेंगे। करना था समाधान, लेकिन कर दिया कराधान।

महोदय, मैं मूल बात में जाना चाहता हूं, नीति वही सही है जो ग्रामोन्मुखी हो। कर नीति इस तरह की होनी चाहिए जिसमें आम आदमी जिन चीजों को इस्तेमाल करता है, उसको सस्ता किया जाए और जो विलासिता से संबंधित है, आराम से संबंधित है और जिनको बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको महंगा किया जाए। सब चीजें सस्ती हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह की घाटे की हमारी अर्थव्यवस्था है और खराब आर्थिक हालत है उसको देखते हुए सब चीजों को सस्ता करना संभव नहीं है। कम से कम गरीब लोग जिन चीजों को इस्तेमाल करते हैं उनको सस्ता किया जाए और जिन चीजों को बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं उनको महंगा किया जाए। उसी तरह से कराधान भी डायरेक्ट और इंडायरेक्ट दो रूपों में है। हम लोगों ने पढ़ा है कि कर की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे भंवरा फूल पर बैठता है और उससे मधु ले लेता है और उस फूल का कुछ बिगड़ता भी नहीं है। इसी तरह से टैक्स का प्रावधान होना चाहिए जिससे आम गरीब आदमी पर जोर न पड़े और उन्हें तकलीफ भी न हो तथा सरकार का भी काम चले। हम लोगों के गांव में एक कहावत है—नदियक पानी न दिए जो, जो हम्मर नुंगा सुखैले जो। जिस तरह से भीगा हुआ कपड़ा सूख जाता है और पानी भाप बनकर उड़ जाता है, उसी तरह से जनता से टैक्स लिया जाए और वह टैक्स भी जनता पर ही खर्च किया जाए। उसी नीति पर हम सभी चल रहे हैं, लेकिन जो वित्त विधेयक है उसको देखने से पता चलता है कि जो वस्तुएं गरीबों द्वारा इस्तेमाल होती हैं उनको महंगा किया गया है और कर भी बढ़ाया गया है। जो बड़े लोगों के इस्तेमाल की वस्तुएं हैं उन पर कर घटाया गया है, बल्कि कर खत्म कर दिया गया है। ये कहते हैं कि हम चीजें सस्ती कर रहे हैं। हम बाहर से मंगाएंगे, उन पर कोई कर नहीं होगा। शराब आएगी उस पर कर नहीं होगा और चाय पर कर होगा। सारे वक्ताओं ने कहा है, हम इस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि इस वित्तीय प्रावधान और वित्त विधेयक के लागू होने से देश में गरीबी, गैर-बराबरी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ी है तथा और बढ़ेगी, रुकेगी नहीं।

महोदय, हम हिन्दुस्तान की जनता को सावधान करना चाहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत हुई। लोगों ने बड़े-बड़े सपने देखे थे, मीडिया ने बड़ा प्रचार किया था कि अटल जी को मौका दिया जाए, यह बड़ा सुधार करेंगे। लेकिन महंगाई और इनके बजट प्रावधान को देखते हुए तथा जो गरीबों की तकलीफ बढ़ी हैं। उनको देखने से पता चलता है, अब सभी लोगों का भ्रम टूट गया है कि यह सरकार भी बेकारी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाली है। आप भूख, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कहते हैं, यह महंगाई घटाने वाले नहीं हैं बल्कि बढ़ाने वाले हैं तथा और बढ़ाकर रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है।

महोदय, मैं बिहार के संबंध में कहना चाहता हूं, बिहार के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। बिहार की लोग हंसी उड़ाते हैं, शिकायत होती है और बदनामी भी होती है। सब लोग एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि राजनीति लोग एक-दूसरे के खिलाफ करते हैं। यदि हिन्दुस्तान में बिहार पीछे छूट जाएगा तो क्या हिन्दुस्तान आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है। जब इस देश का एक बहुत बड़ा भूभाग पीछे छूट जाएगा तो हिन्दुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सारी खराबी के बाद बिहार को यह गौरव प्राप्त है कि बिहार में रीज्नलिज्म नहीं है और बिहार समझता है कि हम हिन्दुस्तानी हैं, हिन्दुस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप बिहार का इकोनोमिक इंडीकेटर देखेंगे तो बिहार में 54 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 86 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। पर केपिटल इनकम देश भर में सबसे कम है। सीडी रेश्यो सबसे कम है, 34 से घटकर 27 प्रतिशत हुआ, जबकि देश का नेशनल एवरेज 60 फीसदी है। इस प्रकार सारे इकोनोमिक इंडीकेटर को देखने से पता चलता है कि बिहार को विशेष स्पेशल केटेगरी में जाना चाहिए। देश की जो स्थिति है और जो आपका गाडगिल फार्मूला लागू होता रहा, फाइनेंस कमीशन के मुताबिक जो खर्चा होता रहा उससे बिहार में गरीबी, गैर-बराबरी, बेकारी बढ़ी है और सारी समस्याएं वहां पर हैं। बिहार राज्य वित्तीय संकट में चल रहा है।

महोदय, यशवन्त बाबू वहां के हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। हमने बिहार की प्रशंसा की है कि वहां रीज्नलिज्म नहीं है। लेकिन इन्होंने अभी तक एक बार भी बिहार की हालत कुछ सुधरे, उनकी क्या कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं उनको देखने का काम नहीं किया है। यह बिहार को हमसे कम नहीं जानते हैं बल्कि ज्यादा जानते हैं, लेकिन अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पर केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों का पैसा बिहार पर बाकी है। 1,200 करोड़ रुपये पांच वर्षों में सेंट्रल असिस्टेंस जो मिलता है उसे काट लिया गया है। पांच

वर्षों में कम से कम 1,200 करोड़ रुपया भारत सरकार का जो उपक्रम है उसका बिहार के उपक्रमों पर बाकी है, उसे काट लिया गया है। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : किस सरकार ने काट लिया। ...(व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हम सभी सरकारों के लिए कह रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी मिश्र : बिहार में और यहां पर आपकी सरकार थी तो आपने यह कर्जा क्यों नहीं अदा कराया। ...(व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं जनता की और राज्यों की बात कह रहा हूं, उसमें चाहे यह सरकार हो या वह सरकार हो। हम जनता के लिए कमिटिड हैं और खासकर गरीबों के लिए कमिटिड हैं। चाहे कोई भी सरकार आए, उनके लिए हम उनसे मुकाबला करेंगे।

बिहार के उपक्रमों का भारत सरकार के उपक्रमों पर 1,700 करोड़ रुपया बाकी है। यशवन्त बाबू वित्त मंत्री हैं, आप ही बताएं कि क्या यह बिहार के साथ न्याय है? क्या बिहार को न्याय नहीं दिया जा सकता है। बिहार में 9 करोड़ लोग रहते हैं और आज बिहार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसे न्याय नहीं मिल रहा है। उस पर जो 1,200 करोड़ बकाया है वह काट लिया गया लेकिन उसका 1,700 करोड़ जो बकाया है वह नहीं दिया है। मैं सभी बातें विस्तार से बताना चाहूंगा। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, बरौनी पर 27 करोड़ बाकी है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन पर 148 करोड़ बाकी है, सेंट्रल फील्ड कोल पर 164 करोड़ बाकी है, भारत कोकिंग कोल पर 1,092 करोड़ बाकी है, ईस्टर्न कोल फील्ड पर 201 करोड़ बाकी है। इस तरह से 1,700 करोड़ बाकी है। लेकिन भारत सरकार ने जोर-जबरदस्ती से बिहार को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता से 1,200 करोड़ रुपया पांच साल में काटने का काम किया है, लेकिन बिहार का जो 1,700 करोड़ रुपया बकाया है वह देने का काम नहीं किया है। इसी तरह से दसवें वित्त आयोग द्वारा राज्य की पंचायतों, राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के लिए 560 करोड़ रुपया और क्रमशः 67 करोड़ रुपये की अनुशंसा दसवें वित्त आयोग ने की है। उसे एक साल का 126 करोड़ रुपया और 16 करोड़ रुपया 1996-97 में और 1997-98 तथा 1998-99 में हर साल जो 143 करोड़ रुपया इसको मिलना चाहिए था लेकिन वह नहीं मिला है। कारण बताया जाता है कि वहां पंचायतों चुनाव नहीं हुआ है इसलिए हम पैसा नहीं देंगे, यह न्यायसंगत नहीं है। पंचायत के चुनाव के लिए वहां कानून बना, हाईकोर्ट में फेस किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील है, इस कारण चुनाव नहीं हुआ है। इस वजह से बिहार का पैसा भारत सरकार भुगतान न करे, यह अत्याचार है और इसे सहन नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसे तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। इसी तरह से राज्य सरकारों की भागीदारी जो 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 29 प्रतिशत होने वाली है उसके तहत राज्य सरकार को 450 करोड़ रुपया मिल सकता है वह भी नहीं मिला है। इसलिए हम आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि उसका भुगतान करा दिया जाए।

गाडगिल फार्मूले के आधार पर केन्द्र से राज्यों को जो सहायता मिलती है उसमें जो हमारा हिस्सा 1,484 करोड़ का है वह 1997-98 और 1998-99 में भी वही रखा गया है। जो 15 प्रतिशत हर राज्य का बढ़ता है वह बिहार का नहीं बढ़ाया गया है। इसलिए जो 223 करोड़ हमको और मिलना चाहिए वह भी नहीं मिला है। मैं प्रार्थना करूंगा कि गाडगिल फार्मूले के अतिरिक्त जो 15 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ाने का फार्मूला है उसे लागू करना चाहिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : बिहार के साथ जो अन्याय हुआ, उस समय आप सरकार में मंत्री थे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार के साथ अन्याय एक दिन में नहीं हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना जब लागू हुई तो पांच रुपया पर-कैपिटा सेंट्रल एलोकेशन में बिहार के लिए प्रावधान किया गया। यह भारत में सबसे कम था। बिहार के लोग केन्द्र सरकार में हमेशा से ताकत में रहे हैं लेकिन उन्होंने कोई अपने स्टेट की नाजायज तरफदारी नहीं की, रीजनलिज्म नहीं किया। कोई नहीं कह सकता कि किसी व्यक्ति ने अपने स्टेट की प्रकट होकर के नाजायज मदद की हो, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा सकता है। हमारे बिहार से स्वर्गीय राजेन्द्र बाबू, जगजीवन राम से लेकर जितने भी व्यक्ति विभिन्न सरकारों में रहे हैं उन व्यक्तियों ने ऐसा कोई नाजायज काम नहीं किया। इस बात के लिए पूरे बिहार को उन पर गौरव है। इसलिए बिहार को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए और इसके लिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जगजीवन राम जी और राजेन्द्र बाबू का नाम लिया। उन्होंने बिहार और देश को ऊपर उठाने के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने केवल बिहार को साधन मुहैया नहीं कराए बल्कि पूरे देश को प्रदान कराए। उन्होंने काफी योगदान दिया।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। उनके सामने पूरा देश था। उनके सामने देश का कोई छोटा हिस्सा नहीं था।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जगजीवन राम और राजेन्द्र बाबू का नाम लिया और कहा कि उन्होंने बिहार की उपेक्षा की। यह शब्द गलत है। अतः इन शब्दों को वापस लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उन्होंने बिहार की उपेक्षा नहीं की। इन महापुरुषों के सामने देश था और हिन्दुस्तान का नक्शा था। मेरा कहना है कि बिहार को जो उचित न्याय मिलना चाहिए वह नहीं मिला। बिहार का पक्ष मजबूत रखना चाहिए। जब बड़ी चीजें सामने होती हैं तो छोटी चीजें छूट जाती हैं। महान लोगों से इस प्रकार की भूल हो जाती है। जो समाजसेवी, परमार्थी होते हैं, उनका परिवार आगे नहीं बढ़ पाता। हमने यह चीज व्यवहार में देखी है। मैं उन महान लोगों पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। मैं उनकी उदारता और महानता बयान कर रहा था। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर गरीबों के लिए लड़े लेकिन अपना परिवार नहीं बना सके और उनके लिए कुछ नहीं कर सके। जो महान लोग होते हैं, उनके सामने ऊंचा आदर्श होता है। वे करोड़ों गरीबों के हित के बारे में सोचते हैं। जब डाक्टर लोहिया अस्पताल में थे

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

तो अपना कलेजा पीट रहे थे। वह उस समय भी यह कह रहे थे कि करोड़ों गरीबों का क्या होगा, एक आदमी के लिए 12-12 डाक्टर और करोड़ों गरीबों के लिए एक डाक्टर भी नहीं। यह डाक्टर लोहिया का कहना था। जो गरीबों को, समाज को और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका अपना परिवार, जिला प्रदेश छूट जाता है। यह चीज महान लोगों के लिए प्रमाणित होती है। अगर किसी को न्याय नहीं मिलता था तो वे उनके हकों के लिए लड़ते हैं।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : ऑल इंडिया सर्विसेज में बिहार सबसे आगे है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारा गौरवशाली इतिहास है। बिहार का इतिहास हिन्दुस्तान का इतिहास है। वैशाली जहां से मैं जीत कर आया हूं वहां से ही लोकतंत्र का जन्म हुआ था। वह भगवान बुद्ध की कर्म भूमि और भगवान महावीर की जन्म भूमि है। वहां लिच्छवी गणतंत्र का उज्ज्वल अध्याय है। वैशाली का उज्जवल अध्याय है।

आज जिन राज्यों से कोयला आता है, वे राज्य सबसे अधिक गरीब हैं। उनको रायल्टी ओ.जी.एल. के आधार पर मिलती है। उनको रायल्टी कीमत के आधार पर मिलनी चाहिए जिसे ऐड वैलॉरम कहते हैं। इस बारे में एक समिति बनी थी। उसने भी इस बारे में सितम्बर 1997 में अनुशंसा की थी। 8-9 महीने से इस बारे में कुछ नहीं हुआ। यह सरकार भेदभाव करती है। जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच रिश्ता होना चाहिए, उनको बिगाड़ने का काम भारत सरकार करती है। पिछड़े राज्यों को अगर आप ऊपर नहीं उठाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि ऐड वैलॉरम की हमारी मांग तुरन्त पूरी होनी चाहिए। इसी तरह से 40 लाख परिवारों के लिए 18 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 18 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ उसमें से राज्य सरकार को पांच वर्षों में 6,899 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा है। इसके लिए पहले आन्दोलन हुए, हड़तालें हुईं। राज्य सरकार संकट में थी, इसलिए केन्द्र सरकार को 50 प्रतिशत भाग उसे देना चाहिए। इसी तरह कृषि, जल-संसाधन और ऊर्जा से संबंधित योजनाएं भारत सरकार के पास लम्बित हैं। कृषि के विकास के लिए उत्तर बिहार में 489 करोड़ रुपये की एक योजना भारत सरकार के पास पड़ी हुई है। बागवानी की काश्त के लिए 38 करोड़ की योजना, भूमि संरक्षण विकास से संबंधित 59 करोड़ रुपये की योजना, ऊसर भूमि विकास की 80 करोड़ रुपये की योजना भारत सरकार के पास रुकी हुई है। इसे भारत सरकार नहीं करना चाहती है। कोसी फेस-2 प्रोजैक्ट 568 करोड़ रुपये की योजना, सोन कैनाल मॉडर्नाइजेशन स्कीम 235 करोड़ रुपये की योजना, उत्तर बिहार कोयला प्रोजैक्ट 475 करोड़ रुपये की योजना, दुर्गावती जलाशय प्रोजैक्ट 124 करोड़ रुपये की योजना, अजय बैराज 82 करोड़ रुपये की योजना, औरंगाबाद जिला की 488 करोड़ रुपये की योजना, करवन डैम प्रोजैक्ट 1,050 करोड़ रुपये की योजना, सुवर्ण रेखा प्रोजैक्ट 1,800 करोड़ रुपये की योजना तथा कोयलकारो प्रोजैक्ट 732 मेगावाट बिजली की लम्बित है।

मैं 1977 में बिहार में राज्य मंत्री था। मैं अड़ा हुआ था कि इसको केन्द्रीय सरकार को भेजेंगे, लेकिन भारत सरकार के पास कोयलकारो योजना अभी तक लम्बित है। उसका क्लीयरेंस होना चाहिए, उसका कार्यान्वयन होना चाहिए। जब श्री एन०पी०के० साल्वे भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार शर्तें मान ले। बिहार सरकार ने उन शर्तों को मान लिया लेकिन योजना अभी तक लम्बित है।

अध्यक्ष महोदय, हम सदन से प्रार्थना करना चाहते हैं कि बिहार का जो पिछड़ापन है, राज्य के सामने जो संकट है उसके लिए बिहार के 9 करोड़ लोगों के लिए 10 से 15 किलो अनाज टी.पी.डी.एस. स्कीम में देना चाहिए। जिसमें तीन हजार करोड़ रुपया लगना था और 18 हजार करोड़ रुपया चालीस लाख परिवार के लिए मिलना था, लेकिन छः करोड़ परिवारों के लिए तीन हजार करोड़ रुपया नहीं दिया जा सका। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो गरीबी रेखा के नीचे छः करोड़ परिवार हैं उन्हें 10 से 15 किलो अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

***श्री एस० मुरुगेसन** (तेनकासी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं जिस सम्माननीय सदन का सदस्य हूं इसका श्रेय क्रान्तिकारी नेता 'पुरात्ची थलाइवी' को जाता है जो आज हमारे दिलों में देवता का स्थान ग्रहण किए हुए हैं। मैं एक गरीब परिवार से आया हूं और मेरा चयन अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रकषगम के महासचिव पुरात्ची थलाइवी द्वारा किया गया है। सबसे पहले मैं, अपनी जनता के दिलों में बसने वाले महान नेता को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मैं तेनकासी चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे बहुकोणिय मुकाबले में भारी मतों से विजयी बनाकर भेजा।

वर्ष 1998-99 का बजट वर्तमान वित्त मंत्री का पहला बजट है। संयोग से वित्त विधेयक जो कि इस बजट का परिणाम है पर अपने विचार प्रकट करने के लिए यह मेरा पहला भाषण है। इस सम्माननीय सदन जिसमें अनेक विद्वान हैं, मेरे साथी जिन्होंने मुझसे पहले चर्चाओं में हिस्सा लिया है, ने इस वित्त विधेयक पर अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे गर्व है और इस वाद-विवाद के दौरान अपने विचारों को रिकार्ड कराने का अपना विशेषाधिकार समझता हूं।

व्यय जिसका आश्वासन दिया गया है, को स्पष्ट करते हुए, आवंटन जो निर्धारित किए गए हैं, को दर्शाते हुए, कर प्रस्तावों के माध्यम से राजस्व एकत्रित करने के तौर तरीकों का पता लगाने के लिए यह वित्त विधेयक इस परिवर्तन के साथ एक ऐसा विधेयक है जिसका उद्देश्य सांत्वना देना है।

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मैं वित्त मंत्री को, की गई मूल्य वृद्धि को वापस लेने और कर प्रस्तावों में घोषित कतिपय करों को कम करने के लिए बधाई देता हूं। विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पाद और यूरिया से सम्बन्धित किए गए उपायों को पर्याप्त रूप से संशोधित किया गया है। मैं अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा।

हमारी वित्त नीति का केन्द्रीय बिन्दु हमारे देश में पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में ठप्प पड़ी आर्थिक गतिविधियों को नई शक्ति देना है। इसके अनुसरण में पिछड़े क्षेत्रों, जिनमें औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, में योजनाएं शुरू करने की आवश्यकता है जिससे आर्थिक विकास होगा।

हमारा तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यद्यपि प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, यद्यपि कोर्टाल्लयम के आस-पास के क्षेत्र में कई प्रकार की जड़ी-बूटी के पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन इन संसाधनों का दोहन करने का कोई औद्योगिक प्रयत्न नहीं किया गया है। एक जड़ी-बूटी औषध बनाने तथा इतर बनाने की फैक्ट्री तो वहां लगाई जा सकती है। केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि वह इस मामले पर विचार करे। यह वित्त विधेयक ऐसे प्रस्तावों को उचित दिशा प्रदान करेगा।

आज समस्त देश में फैले पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों को सुधारने के लिए व्यापक योजना बनाना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तेनकासी का जिक्र करना चाहता हूं। इस पिछड़े क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों तथा बीड़ी कामगारों की बड़ी आबादी है। उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जारी की गई धनराशि उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए।

हमारे नेता पुरात्ची थलाइवी विवादास्पद कावेरी जल विवाद की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करते रहे हैं। यही बात उन्होंने कार्ययोजना के राष्ट्रीय एजेंडे में भी शामिल करवाई थी। इसी तरह से प्रभावी जल वितरण और जल प्रबंधन संबंधी मानदण्डों का अनुपालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कोर्टाल्लयम मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है। शिमला अथवा ऊटी की तरह पर्यटक स्थल के रूप में इसे विकसित किया जाना चाहिए, इतना ही नहीं मौसम के दौरान प्रति वर्ष यहां बड़ी दूर से पर्यटक आते हैं। यहां वर्ष के तीन महीनों के दौरान सभी झरनों में काफी पानी रहता है। वर्ष के शेष नौ महीनों के दौरान सिंचाई के लिए जल व्यवस्था की बात तो छोड़िए पीने के लिए भी पानी का अभाव हो जाता है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कोर्टाल्लयम में जल संग्रह करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी ले, चूंकि जल सागर में व्यर्थ चला जाता है। जलाशय से इसका हल हो सकता है। और मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस योजना को पूरा करने के लिए इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करे।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पड़ोस में स्थित तिरुनेल्वेल्ली कस्बा एक महत्वपूर्ण कस्बों में से एक है। नगर निगम के रूप में इसका उन्नयन किया गया है। लेकिन एक भी रेलगाड़ी तिरुनेल्वेल्ली से नहीं चलती हालांकि तिरुनेल्वेल्ली एक रेलवे स्टेशन है। इसके कारण औद्योगिक विकास बाधित होता है। इससे आर्थिक वृद्धि भी प्रभावित होती है क्योंकि वाणिज्यिक गतिविधि अपर्याप्त ढुलाई सुविधाएं के कारण धीमी पड़ जाती है। कन्याकुमारी जाने वाली गाड़ियां यहीं से होकर जाती हैं। यहां कोई 'पिटलाईन' नहीं है। इसलिए यहां से कोई गाड़ी बनकर भी नहीं चलती। इस उभरते हुए कस्बे की आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तथा इस क्षेत्र के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए तिरुनेल्वेल्ली से रेल सेवा शुरू करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

केन्द्र सरकार गरीबों के उद्धार के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। और विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले गरीब लोगों की हालत में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता संबंधी योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि जो लाभ गरीबों के लिए होते हैं और वे उन जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचते हैं तो हमें बहुत आश्चर्य होता है। उदाहरण के तौर पर 'टाल्को' के मार्फत दी जाने वाली वित्तीय सहायता जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। कुछ बैंक भी लोगों को ऋण देते हैं, वे गरीब लोगों के प्रयास विफल कर देते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से मिलने वाली उचित धनराशि में बिचौलिए भी बाधा डालते हैं। 'ट्राईसेम' तथा जवाहर रोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से मिलने वाले कई अन्य लाभ गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्री से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे इस मामले में दखल दें और यह सुनिश्चित करें कि गरीबों को दी जाने वाली यह सहायता वास्तव में गरीबों तक पहुंचे और उन लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएं। मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि 'ट्राईसेम' के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण की राशि बढ़ाई जाए चूंकि 'ट्राईसेम' योजना स्वरोजगार हेतु गरीबों की मदद करने के लिए है।

यह कहने की बात नहीं कि कृषक इस देश का मेरुदण्ड है। वे पशु और पशुधन खरीदने के लिए ऋण लेते हैं। यह राशि बढ़ाई जाए। बंजर भूमि के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली अनेक योजनाएं हैं। इन योजनाओं के लिए और अधिक आवंटन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जाए ताकि ग्रामीण लोगों को अधिक रोजगार प्रदान किया जा सके।

जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों की योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता मिल सकती है। सभी तरह के योग्यता मानदण्ड पूरा करने के पश्चात् और आवश्यक जमानत देने के बावजूद ऐसे लोगों को जरूरत के समय ऋण स्वीकृत नहीं होता है। ऋण की 25 प्रतिशत राशि बैंक को अग्रिम रूप से देनी होती है। विद्यार्थियों को ऋण सहायता देने के लिए उदारता बरती जानी चाहिए और मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस मुद्दे पर बैंकों को उचित दिशा-निर्देश दें ताकि बैंकों का दृष्टिकोण नरम और उदारवादी हो सके जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को ऋण प्राप्त करने में आसानी हो सके। मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच करें।

इसके अतिरिक्त मैं इस सम्माननीय सभा के ध्यान में लोक महत्व का एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा लाना चाहूंगा।

[श्री एस० मुरुगेसन]

इंडियन बैंक में लगभग 1,300 करोड़ रुपये की राशि का बैंक घोटाला हुआ था। घोटाला करने वालों तथा उन अपराधियों, जिन्होंने इंडियन बैंक को बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है, का पता लगाया जाना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करे तथा अपराधियों को दण्डित करे और इंडियन बैंक में फिर से सुचारु रूप से कार्य आरम्भ करवाए जिसने ऋण देने में काफी नुकसान हुआ उठाया है।

मेरे साथी, जो मुझसे पहले बोल रहे थे उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर बल दिया। मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं कि सरकारिया आयोग द्वारा अपराधी ठहराए गए व्यक्ति आज भी खुले आम घूम रहे हैं। सरकारिया आयोग ने यह माना था कि उन्होंने योजनाबद्ध रूप में भ्रष्टाचार किया है।

श्री टी०आर० बालू (मद्रास दक्षिण) : जैसा कि उन्होंने अपना पहला भाषण दिया है, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता ... *(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है। ... *(व्यवधान)* यदि उन्हें बोलने की अनुमति दी गई तो मुझे भी स्पष्टीकरण देने का समय मिलना चाहिए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

(व्यवधान)

श्री सी० गोपाल (अर्कोनम) : उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। ... *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : ... *(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

श्री वी० सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम) : चेन्नई में प्रधान सत्र न्यायालय ने इन आरोपों की जांच करवाने हेतु पुलिस को निर्देश दिए थे। ... *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : ... *(व्यवधान)**

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) (श्री कादम्बूर एम० जनार्दनन) : उनकी सरकार ने वहां क्या किया? ... *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : ... *(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : सरकारिया आयोग ने यह सिद्ध कर दिया है ... *(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, कृपया बैठिए।

****श्री एस० मुरुगेसन** : मैं यह कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु सरकार में एक माननीय मंत्री पर न्यायालय ने आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का अभियोग लगाया था। ... *(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।
**मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री टी० आर० बालू : यह न्यायालय के समक्ष लम्बित मामला है।

श्री एस० मुरुगेसन : मैं वित्त मंत्री से इस संबंध में की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं। यहां सहकारी समितियों के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण मामला भी है। मैं पढ़कर सुनाता हूं :

"हमारे देश में कृषि सहकारी समिति पद्धति अनेक स्तरों पर नौकरशाही और राजनीतिक दखलअंदाजी से त्रस्त है। सहकारी पद्धति को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम के रूप में सरकार शीघ्र 1984 के बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के स्थान पर एक माडल सहकारी कानून लाएगी और राज्यों को अपने-अपने अधिनियमों को इसी तरह संशोधित करने के लिए कहेगी।"

अत: मेरा सरकार से इस ओर ध्यान देने का अनुरोध है ताकि तमिलनाडु में सहकारी निकायों के चुनाव प्रस्तावित अधिनियम के अनुसार हों। उसके बाद ही सहकारी बैंक और अन्य निकाय अपने-अपने कार्यों को प्रभावकारी रूप से निर्वहन कर सकते हैं। मैं वित्त मंत्री से इस ओर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए इस विधेयक के समर्थन में अपने विचार प्रकट करते समय मैं बुनियादी आवश्यकताओं और अनेक अन्य विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता को दोहराना चाहता हूं।

इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

रात्रि 9.00 बजे

श्री के० बापीराजू (नरसापुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे वित्त विधेयक पर अपने सुझाव देने के लिए दिए गए इस अवसर के लिए मैं आपका आभारी हूं। वित्त मंत्री के रूप में हमारे पास एक युवा व्यक्ति हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बापीराजू कृपया एक मिनट इंतजार करें। अभी पांच वक्ता और भी हैं। यदि सदन अपराह्न 9.30 बजे तक बैठने के लिए सहमत हो तो हम आज ही वक्ताओं की इस सूची को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहां एक शर्त है कि प्रत्येक सदस्य को केवल पांच मिनट ही बोलना होगा।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल वोरा (राजनंदगांव) : अध्यक्ष महोदय, क्या पहले सभी वक्ताओं ने केवल पांच मिनट ही लिए हैं? ... *(व्यवधान)*

श्री सानसुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : अध्यक्ष महोदय, सदन की बैठक अपराह्न 10.00 बजे तक बढ़ाई जानी चाहिए।

प्रो० पी०जे० कुरियन : अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे सहमत हूं। सदन की बैठक अपराह्न 10.00 बजे तक बढ़ा दी जाए। ... *(व्यवधान)*

श्री पी०एम० सईद (लक्षद्वीप) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आपने कहा है कि अब केवल पांच वक्ता शेष हैं। लेकिन यदि आप यह कहें कि वक्ताओं की सूची पूरी करने के लिए सदन की बैठक अपराह्न 9.30 बजे या अपराह्न 9.40 बजे तक चलेगी; तो हमारे अनुभव के अनुसार, हमने देखा है कि यह 10.00 बजे तक चलेगी। अध्यक्षपीठ द्वारा पहले ही यह विनिर्णय दिया गया था कि यदि अपराह्न 9.00 बजे के बाद सदन की बैठक चलती है तो रात्रिभोज की व्यवस्था की जाएगी। यह एक पहलू है।

अन्य पहलू यह है कि हमारा स्टाफ और अन्य लोग आज देरी से जाएंगे और उन्हें कल सुबह फिर आना है। इसलिए, मेरा नम्र निवदेन है कि आप इन पांचों वक्ताओं को कल सुबह बोलने का अवसर दे सकते हैं और मंत्री महोदय के उत्तर और विधेयक पारित करने के लिए हमारे पास अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक समय होगा। यदि हमें और समय चाहिए तो हम 3.30 बजे के पश्चात् गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य शुरू कर सकते हैं। यदि कल हमारे पास एक घंटे का शून्य काल ही है तो हम अपराह्न 3.30 बजे तक वित्त विधेयक को पारित कराने की स्थिति में होंगे और यदि आधे घंटे या एक घंटे की और आवश्यकता पड़ती है तो हम सदन की अनुमति लेकर गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को अपराह्न 4.00 बजे तक स्थगित कर सकते हैं।

यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

प्रो० जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, यदि हम आधे घंटे तक और अधिक बैठ सकें तो आज ही सभी वक्ताओं को अवसर मिल सकता है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री पी०एम० सईद ने एक सुझाव दिया है कि इससे आज और कल विलम्ब से जाने वाले स्टाफ की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए तथा यह तथ्य भी ध्यान में रखते हुए कि भोजन की व्यवस्था नहीं है हम कल पांच वक्ताओं को अनुमति दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है। मेरा एक अन्य सुझाव भी है। यदि आवश्यकता हो तो हम भोजन काल का अवकाश भी नहीं करें ताकि पर्याप्त समय मिल सके। अब केवल पांच वक्ता शेष रहे हैं। यदि माननीय अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य के लिए पांच मिनट का निर्धारित समय सुनिश्चित करते हैं तो हम वक्ताओं की सूची आधे घंटे में पूरी कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कल सुबह कुछ अन्य सदस्य भी बोलना चाहेंगे। समस्या यही है। यदि हम वक्ताओं की सूची आज ही समाप्त कर दें तो यह बेहतर होगा और मंत्री महोदय इस पर कल जवाब दे सकेंगे।

प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या यह आपका निर्णय है?

अध्यक्ष महोदय : यह विनिर्णय नहीं है। मैं सभा का विचार जानना चाहता हूं।

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : अध्यक्ष महोदय, अपने दूरदर्शिता के सहयोग से प्रो० कुरियन हम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेवारी सरकार की है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम सायं 9.30 बजे तक बैठेंगे तथा इसके बाद फिर देखा जाएगा। श्री बापीराजू अपना भाषण जारी रख सकते हैं। कृपया समय सीमा को ध्यान में रखें।

श्री के० बापीराजू (नरसापुर) : अध्यक्ष महोदय, अंततः मुझे समय प्रदान करने हेतु मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हमारे पास एक ऐसे मंत्री हैं जो युवा तथा अत्यन्त शालीन हैं। उनकी बड़ी जिम्मेवारी है। मैं उन्हें सलाह देने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि संसद में मैं नया चुनकर आया हूं। मैं विधान सभा में मेरे कम समय के अनुभव के आधार पर कतिपय सुझाव देना चाहूंगा क्योंकि मुझे राज्य के वाणिज्यिक कर और उत्पाद कर मंत्री के रूप में रहने का भी अवसर मिला है।

महोदय, मैं समझता हूं कि कर दरों में 50 प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक कमी करके तथा इस पर प्रभावी निगरानी रखकर हम अधिक राजस्व की प्राप्ति कर सकेंगे। मैंने यही महसूस किया है। वाणिज्यिक कर मंत्री के रूप में मुझे इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। वास्तव में, हमें 11 प्रतिशत की उच्चतम राजस्व की प्राप्ति हुई जो स्वतंत्रता के पश्चात् कभी भी राज्य द्वारा प्राप्त नहीं किया गया। किसी उद्योगपति को किसी प्रकार से परेशान किए बगैर मैं अपने सहयोगी अधिकारियों तथा उद्योगपतियों की मदद से राज्य की राजस्व प्राप्ति में सुधार कर सका। इसी प्रकार मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कर दरों में कमी किए जाने तथा इसकी प्रभावी निगरानी की दिशा में सोचें क्योंकि इससे और अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी *(व्यवधान)*

श्री सईद जी जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं इस सभा में नया चुनकर आया हूं। मैंने सोचा कि आप यहां मेरा मार्गदर्शन करेंगे। आप यहां वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं। हम सभी आपका आदर करते हैं और आपसे मार्गनिर्देशन चाहते हैं। मुझे आशा है कि आपने मुझे गलत नहीं समझा है। आप अनुशासनप्रिय हैं।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से केवल अनुरोध करूंगा कि वे इस संबंध में किसी प्रकार का संकेत दें ताकि हम अपने सुझाव दे सकें। मैं नहीं समझता हूं कि मेरे भाषण अथवा अन्य माननीय सदस्यगण के भाषणों से निश्चित रूप से कुछ हो जाएगा। क्योंकि मैं विधान सभा तथा यहां कई बैठकों में भाग लेता रहा हूं तथा इनमें बहुत कम बातों पर ध्यान दिया जाता है और इस पर कार्यवाही की जाती है। अतः मुझे आशा है यह सज्जन शायद कार्यवाही करेंगे। मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं। अन्यथा मैंने इस सत्र की कार्यवाही में सिर्फ भाग लिया होता। मैं भाषण नहीं देना चाहता था। लेकिन मैं यह समझकर कि वे कार्यवाही करेंगे मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं।

जब मैंने कर को कम करना चाहा तो हमारे वित्त सचिव और प्रमुख सचिव ने मुझे यह सलाह दी कि हम कर में कमी नहीं कर सकते। उन्होंने मुझसे कहा कि जब अमेरिका अपने करों की दरें बढ़ा रहा है तो आन्ध्र प्रदेश में कर कैसे कम किए जा सकते हैं। फिर

[श्री के० बापीराजू]

मैंने कहा कि अमरीकी जनता कर अदा करती है परन्तु हमारे यहां तो बड़े पैमाने पर कर अपवंचन होता है। इसलिए यदि जनता कर का भुगतान कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है। अतएव कर हमेशा चुकाने योग्य होना चाहिए। केवल तभी जनता कर का भुगतान करने के लिए स्वयं आगे आएगी। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री समुचित रूप से इस पहलू पर चर्चा करेंगे। इन सबके अलावा हम चाहे जो भी सुझाव दें, परन्तु हम अधिक धनराशि नहीं जुटा सकते। यदि हम किसी एक विभाग के बारे में सुझाव दें तो दूसरा विभाग वंचित होगा। अत:, हम राज्य अथवा अपनी इच्छानुसार किसी विभाग विशेष के बारे में केवल सोच ही सकते हैं। परन्तु मैं नहीं जानता कि यह कहां तक उपयोगी होगा क्योंकि यदि एक व्यक्ति की सहायता करते हैं तो दूसरा व्यक्ति प्रभावित होगा। अतएव, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे सर्वोत्तम संभव तरीके से धनराशि की बचत करें। उदाहरण के लिए आप सड़क की ही बात ले लीजिए।

उचित सड़क मार्ग बनाने के लिए आप इच्छानुसार ऋण ले सकते हैं। इस प्रकार से हम निश्चित रूप से भारी विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं। खराब सड़कों के कारण हम अपने गन्तव्य स्थान पर समय पर पहुंच नहीं सकते हैं। भारी मात्रा में पेट्रोल नष्ट हो रहा है। यदि अच्छी सड़कें होंगी तो पेट्रोल के आयात पर भारी मात्रा में व्यय की जाने वाली विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यह एक छोटा-सा सुझाव मैं माननीय मंत्री को देना चाहता हूं। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं अथवा मुझे पत्र भी लिख सकते हैं क्योंकि आपसे स्पष्टीकरण मांगने के लिए मैं अपने आपको बहुत छोटा आदमी समझता हूं। क्योंकि इस विषय पर कई सदस्य बोल चुके हैं। परन्तु, जब आप मुझसे अलग से बात करेंगे तब आप मुझे इस पर सलाह दे सकते हैं मैं अन्यथा नहीं लूंगा।

फसल बीमा के बारे में हम सभी अपने किसानों की मदद करना चाहते हैं। इस मामले पर विचार करने के लिए 1986 में अतिरिक्त सचिव (कृषि और सहयोग) के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई थी। परन्तु, समस्या यह है कि हम इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे पाए हैं। हम इसके इच्छुक नहीं हैं। हम इसका उल्लेख तो अवश्य ही कर रहे हैं परन्तु समाज के लिए थोड़ा भी कार्य नहीं कर पाए हैं। मुझे यह देखकर दुख हुआ कि इस मामले से संबंधित प्रश्न पर संसद में उत्तर नहीं दिया गया। प्रश्न यह है कि हम इनकी कितनी परवाह करते हैं। निस्संदेह इस पर बोझ होगा परन्तु, हमारे समाज के 65 प्रतिशत लोग चाहे वे किसान हों अथवा खेतिहर मजदूर, कृषि पर आश्रित हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस मामले पर विचार करते हुए किसानों के लाभार्थ कोई कार्य करेंगे।

महोदय, यदि आप एक और बार घंटी बजा देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आप जानते हैं कि मैं अनुशासन पसंद हूं। आप तो मुझे विधान सभा कार्यकाल के समय से ही जानते हैं। यदि आप एक और बार घंटी बजा देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा चाहे मेरा भाषण बीच में ही क्यों न रहे। महोदय, मैं आत्मानुशासन में विश्वास रखता हूं। इसलिए यदि आप एक और बार घंटी बजा देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है।

अब मैं पोलावरम परियोजना के बारे में बोलूंगा। हमारे लोग शिलान्यास करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह बात पार्टी अथवा मुख्यमंत्री की खासियत है अपितु आमतौर पर सभी लोगों की। जब इनको कार्यान्वित करने की बात आती है तो वे कहीं और ही चले जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी गोदावरी जिले के एक छोर के हैं और मैं उसके दूसरे छोर का हूं। वर्ष 1978 में इस परियोजना का लागत अनुमान 1,100 करोड़ रुपये था। इसके पूरा होने से 1100 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। आज एक ताप विद्युत के निर्माण पर 5,000 करोड़ रुपये की लागत आती है। आज लागत वृद्धि इतनी अधिक है कि इसके लिए 11,000 करोड़ अथवा 12,000 करोड़ रुपये भी लग जाएंगे। अतएव महोदय इस परियोजना को कम से कम अब तो शुरू कर दिया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप यह राशि हमें तुरन्त उपलब्ध करा दीजिए। परन्तु कम से कम अब इसकी शुरूआत तो की जानी चाहिए। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोदावरी नदी का 80 प्रतिशत पानी समुद्र में गिरता है और केवल 20 प्रतिशत पानी का उपयोग किया जाता है। इसी तरह हम किसी एक मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पा रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अन्य संबंधित मंत्रियों के साथ इस मामले की समीक्षा करें और इस पानी के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करें। जैसा कि आप जानते हैं कि पन-बिजली बहुत सस्ती है। हम केवल कोयले पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं। हालांकि अमरीका में हमारे कोयला भंडार का 100 गुना कोयला है तथापि वे अन्य देशों से कोयला खरीद रहे हैं और इसे बर्बाद नहीं कर रहे हैं। वे इसे भंडारित कर रहे हैं। हमारे भंडार में जितना कोयला उपलब्ध है, हम उसका दोहन कर रहे हैं। हम अपनी खानों को बेकार नहीं कर सकते हैं। हमें इन्हें जहां तक संभव हो, सुरक्षित रखना है और उसके साथ-साथ विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाना है। यह करना बहुत आवश्यक है।

आपने चावल और दूसरी वस्तुओं के निर्यात पर सी.एस.टी में चार प्रतिशत की छूट देने की बात कही है। लेकिन इसका लाभ स्थानीय तौर पर नहीं होगा क्योंकि उनका यह कहना है कि जब कोई चावल मिल मालिक दूसरे देश को चावल का निर्यात करेगा तो उसे सी.एस.टी में 4 प्रतिशत की छूट दी जाएगी लेकिन इस देश में कोई चावल मिल मालिक, कोई व्यक्ति चावल का निर्यात नहीं कर सकता है। केवल विदेशी एजेंसियां ही यह निर्यात कर सकेंगी जिसके बारे में कोई उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा है उसे हमारी राज्य सरकार सही प्रकार से समझ नहीं पाई है।

वे नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं और इस संबंध में नीति यह है कि जितना राजस्व वे अर्जित करते हैं उसका आधा भाग उन्हें अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, जिनके लिए उन्हें कुछ ऋण की आवश्यकता होती है, दिया जाएगा। मुझे आशा है कि आप इस बारे में विचार कर सकते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम के लिए ऋण सुविधा का प्रावधान किया जाए।

हम झींगा मछली का उत्पादन करते हैं और तटीय क्षेत्र में मछली उद्योग से हमें लगभग 3 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

लेकिन झींगा मछली उद्योग और मत्स्य उद्योग को आयकर से छूट नहीं मिली हुई है। इसे भी कृषि के समान समझा जाना चाहिए। अगर हम मछली का अधिक उत्पादन करेंगे तो निर्यात अधिक होगा जिससे हमें अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। यह मेरा सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : श्री के० बापीराजू, कृपया अब अपनी बात खत्म करें।

श्री के० बापीराजू : मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

•**श्री बी०एम० मेनसिंकाई** (धारवाड़ दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको वित्त विधेयक पर लगभग पांच मिनट बोलने के लिए अवसर देने हेतु धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं कन्नड़ में बोलना चाहता हूं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि यहां पर भाषांतरण सुविधा उपलब्ध है या नहीं।

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : हां, भाषांतरण सुविधा उपलब्ध है।

•**कुछ अन्य माननीय सदस्य :** हां, हम भाषांतरण सुन रहे हैं।

श्री बी०एम० मेनसिंकाई : महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे बड़ी रुकावट भ्रष्टाचार है। इसकी जड़ें पूरे देश में फैली हुई हैं। यह पूरे देश में फैल रहा है और समूचे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है। लोगों की प्रवृत्ति किसी भी तरीके से अधिक से अधिक धन को बटोरने की है। हमारे समाज के शिक्षित लोगों के बीच धन को बटोरने की प्रवृत्ति अधिक है। वास्तव में, संसद के कई माननीय सदस्य भी इस प्रवृत्ति के शिकार हैं।

महात्मा गांधी की प्रतिमा संसद भवन के बाहर स्थापित है। हम सभा आते हुए उसका प्रतिदिन अवलोकन करते हैं। लेकिन हमें उनके जीवन के सिद्धान्तों के बारे में सोचने की कोई परवाह नहीं है। उनके जीवन के सिद्धान्तों की हम तुलना नहीं कर सकते हैं। यह स्थिति हमारे राष्ट्र के अधिकांश भागों में पाई जाती है। भ्रष्टाचार की जड़ें उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक सभी स्तरों पर फैली हुई हैं। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे समाज में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ कदम उठाएं। वर्ष 1998-99 के बजट अथवा वित्त विधेयक में इन प्रयासों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सार्वजनिक जीवन से सम्बद्ध सभी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सम्पत्ति की समय-समय पर जांच की जाए। कानून में इसका प्रावधान होना चाहिए और मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएं।

हमारी सरकार के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या काले धन को बाहर निकालने की है। यह राशि हमारे कुल बजटीय आवंटन से अधिक होगी। अत: सरकार को लोगों को विशेष रूप से राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों को समय-समय पर अपनी संपत्ति की घोषणा करने के तत्काल कदम उठाने चाहिए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यह कदम बहुत आवश्यक है। महोदय, अब मैं वित्त विधेयक 1998-99 से संबंधित दो या तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करूंगा।

अधिनियम में यह सीमा निर्धारित की गई है जिसके लिए किसी व्यक्ति को स्थाई खाता संख्या लेना चाहिए। इससे लोगों के मन में बहुत भ्रांति है। इससे गांवों में साधारण व्यापारियों को भी परेशानी होती है। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से धारा 139(क) को भी निरस्त करने का अनुरोध करता हूं।

अब मैं धारा 142(2क) पर आता हूं। इस धारा के अन्तर्गत यदि आयकर अधिकारी चार्टर्ड एकाउंटेंट (सनदी लेखाकार) द्वारा किसी निर्धारिती के खातों की की गई लेखापरीक्षा से संतुष्ट नहीं हैं तो आयकर अधिकारी उस मामले को लेखापरीक्षा प्रयोजन हेतु किसी अन्य चार्टर्ड एकाउंटेंट (सनदी लेखाकार) को अन्तरित या भेज सकता है। अत: कुछ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षित कुछ खातों के संबंध में विश्वास नहीं किया जा सकता है। अत: चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा खातों की लेखापरीक्षा का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। आयकर की धारा 288(2) के अन्तर्गत आने वाले व्यवसायियों से कुछ तो प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। धारा 288(2) के अन्तर्गत की चार्टर्ड एकाउंटेंट्स लेखाकार के रूप में आते हैं। अत: दोनों को एकसमान समझा जाना चाहिए। अत: मेरा अनुरोध है कि धारा 44(क, ख) और धारा (क, छ) को इस कानून से हटा दिया जाना चाहिए। क्योंकि उनसे कोई प्रयोजन हल नहीं हो रहा है। कालाधन बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। धारा 44(क, ख) और 44 (क, छ) कालेधन का पता लगाने के लिए लाई गई थी। अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन दोनों धाराओं को हटा दिया जाए। यदि इन्हें जारी रखा जाता है तो आयकर व्यवसायियों और अन्य कर अधिवक्ताओं जिन्हें पांच या दस वर्ष का अनुभव है उन्हें खातों की लेखापरीक्षा करने की अनुमति दी जाए। मैं यह भी महसूस करता हूं कि यदि वित्त मंत्री जी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षा में विश्वास रखते हैं तो लेखापरीक्षा के लिए 40 लाख रुपये की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपया किया जाए।

मेरा अगला मुद्दा यह है कि सहकारिता आंदोलन का देश में आधार कम होता जा रहा है। बाजार अर्थव्यवस्था और उदार अर्थव्यवस्था के कारण सहकारिता आंदोलन को बचाने के लिए कुछ आरक्षण की आवश्यकता है। अत: मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं सहकारिता पर से कर हटा दिए जाएं। कर के कुछ उपाय मौजूद हैं। अमरीका और इंग्लैंड में भी सहकारिता आंदोलन करमुक्त है। इसलिए मैं वित्त मंत्री से इस संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। यदि वित्त मंत्री चाहते हैं कि सहकारी समितियां भी कुछ कर चुकाएं तो आय का कम से कम 10 प्रतिशत कर के रूप में वसूल किया जाए।

कोई माडल सहकारिता कानून नहीं है। अतएव केन्द्र को माडल सहकारिता कानून कार्यान्वित करने पर विचार करना चाहिए जिससे कि भारत में सहकारी समितियों की दशा को सुधारने के लिए राज्य विशेष कानून बना सकें।

मैं एक दूसरा विषय भी उठाना चाहता हूं *(व्यवधान)* आयकर विभाग के अधिकारियों की शक्तियां काले धन को उजागर करने के लिए अपर्याप्त हैं। इसलिए, मैं सुझाव दूंगा कि वित्त मंत्री देश में काले

•मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

•भाषण का यह भाग अंग्रेजी में दिया गया।

[श्री बी०एम० मेनसिंकाई]

धन का भंडाफोड़ करने के लिए उन्हें पूरी शक्तियां दें। यद्यपि कई आयकर अधिकारी या आयकर आयुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट नहीं हैं तथापि उन्हें लेखापरीक्षा करने तथा निष्कर्ष निकालने की शक्तियां हैं कि ठीक लेखा रखा जा रहा है या नहीं।

इस तरह से वित्त मंत्री जी को उन्हें अधिक शक्तियां देनी चाहिए जिससे कि उनकी जिम्मेदारी कम हो।

इन शब्दों के साथ ही एक बार फिर मुझे बोलने का अवसर देने हेतु के लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : माननीय अध्यक्ष महोदय तथा इस सम्माननीय सभा के विद्वान सदस्यगण एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री जी मेरा भाषण संक्षिप्त होगा। समयाभाव के कारण मैं लम्बा भाषण नहीं दे सकूंगा।

वित्त विधेयक से संबंधित चर्चा पर बोलते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में तथा बोड़ोलैंड के क्षेत्र में रह रहे पददलित बोड़ो एवं जनजातीय लोगों एवं अन्य सभी वर्गों के महती हित में निम्नलिखित कुछ अत्यन्त ही वाजिब तथा गंभीर बातों का ध्यान दें।

मैंने इस बजट में जनजातीय लोगों के कल्याण तथा विकास के लिए कुछ भी विशेष या कोई योजना या परियोजना नहीं देखी। मुझे इस बात का खेद है। इसीलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के तीव्र विकास के लिए कतिपय प्रभावशाली तथा ठोस नीतिगत उपाय किए जाएं जिससे कि भारतीय समाज के ये दो सर्वाधिक असुरक्षित वर्ग भी देश के अन्य वर्गों के साथ बराबरी पर आ सकें।

विगत पचास वर्षों में, जनजातीय उपयोजना क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति घटक योजना क्षेत्र में जिस प्रकार की विकासात्मक गतिविधियों के चलाने की योजना थी वे कभी भी निष्ठा तथा गंभीरता से नहीं चलाई जा सकीं। इसका यह कारण है कि हमारे देश के अधिकांश इलाके और क्षेत्र अभी भी काफी पिछड़े हैं। इन्हीं कारणों से मौजूदा राज्यों से पृथक् होने जैसी बात को बल तथा महत्व मिल रहा है। इसने अनेक लोकतांत्रिक तथा गैर-लोकतांत्रिक आन्दोलनों को जन्म दिया है। मैं यहां बोड़ोलैंड आंदोलन का उल्लेख करना चाहूंगा। बोड़ोलैंड के मूल निवासी क्यों पृथक् बोड़ोलैंड राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं? हमारे नागा भाइयों, मिजो भाइयों, अरुणाचल के भाइयों तथा मेघालय के भाइयों का असम से पृथक् होने के क्या कारण थे? कारण एक ही है। इसीलिए हम भी पृथक् बोड़ोलैंड राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अब समय है कि बोड़ो आदिवासी असम से बाहर चले जाएं। असम के स्थानीय आदिवासियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा अन्याय करने के कारण ही वे अलग राज्य की मांग कर रहे हैं।

यहां मैं कुछ तथ्यों को रखना चाहूंगा। बोड़ोलैंड स्वायत्तशासी परिषद् 1993 में राज्य अधिनियम के अन्तर्गत गठित किया गया था। 1993 से आज तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान बोड़ोलैंड स्वायत्तशासी परिषद् को मुश्किल से मात्र 330 करोड़ रुपये असम सरकार ने दिए हैं जबकि असम का कुल बजट आवंटन लगभग 1,400 से 1,500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बैठता है।

प्रतिशत में यह मुश्किल से 1.5 बैठता है। हम बोड़ो तथा मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासियों ने क्या अपराध या गलतियां की हैं? हम लोगों के साथ इस प्रकार से भेदभाव क्यों किया जाता है? 1998 में भी गत बजट सत्र के दौरान, असम सरकार ने बोड़ोलैंड के लिए कुल 1,400-1,500 करोड़ रुपये में से मात्र 30-40 करोड़ रुपये ही निर्धारित किया। यह केवल 2.26 प्रतिशत है। यहां तक कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की बहुचर्चित 6,100 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री की विशेष आर्थिक पैकेज में से असम के लिए 3,550 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था तथा बोड़ोलैंड क्षेत्र में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं तथा परियोजनाओं के लिए मुश्किल से 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं तथा केवल दो योजनाएं शुरू की गई हैं या इन्हें शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। यह केवल 14 प्रतिशत के लगभग बैठता है। इस संबंध में भी बोड़ोलैंड क्षेत्र के प्रति गंभीर भेदभाव प्रदर्शित किया गया है।

इसलिए मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अविलम्ब ही उत्तराखंड, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर भारत संघ में चिरप्रतीक्षित अलग बोड़ोलैंड राज्य का निर्माण करने के संबंध में एक दृढ़ सकारात्मक तथा ठोस निर्णय ले।

यहां पुनः मैं माननीय वित्त मंत्री से पृथक् राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम स्थापित करने का अनुरोध करूंगा। भारत सरकार को आदिवासी मामलों, आदिवासी विकास तथा आदिवासी सुरक्षा के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित करना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से एक आयोग होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग बनाया जाना चाहिए।

यहां पुनः मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे बोड़ोलैंड में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करें क्योंकि यह बोड़ोलैंड क्षेत्र काफी उपजाऊ है। यदि हम बोड़ोलैंड राज्य स्थापित कर सकें तब हम बोड़ोलैंड को उत्तर पूर्व का पंजाब या हरियाणा घोषित कर सकते हैं।

भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र की ओर कई बड़ी तथा छोटी नदियां तथा इनकी सहायक नदियां आती हैं। इन नदियों पर, भारत सरकार को कुछ बहुउद्देश्यीय सिंचाई बांध परियोजनाएं तथा कुछ जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : जी हां महोदय, मैं अपनी बात अब समाप्त कर रहा हूं।

यहां पुनः मैं केन्द्र सरकार तथा विशेष रूप से माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे हमारे उपेक्षित बोड़ोलैंड क्षेत्र के विकास के लिए प्रति वर्ष कम से कम 1,000 करोड़ रुपये नियत करें। भारत सरकार आदिवासियों के लिए अलग से एक राष्ट्रीय आयोग बनाए तथा

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तैयार करे। हम यह देख रहे हैं कि योजना भवन में कितने आदिवासी हैं जो आदिवासी क्षेत्रों में शुरू की जाने वाली योजनाओं की देख-रेख कर रहे हैं। केवल असम सरकार द्वारा दिए गए सुझाव पर अमल करने हेतु विचार किया जाता है। लेकिन आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजने में असम सरकार की रुचि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : बैसीमुथियारी जी, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : अतएव मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह बोडोलैंड क्षेत्र में कुछ अर्थक्षम औद्योगिक इकाइयां, कुछ बहुउद्देश्यीय सिंचाई बांध परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करे। उन्हें वहां पर कुछ कृषि आधारित तथा वन आधारित उद्योग स्थापित करने चाहिए।

मैं सरकार से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में कम से कम अपने चुनाव क्षेत्र के मामले में वृद्धि करने की भी अपील करता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विधान सभा की दस सीटें आती हैं। इसलिए मुझे कम से कम 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी जी, अब बस भी कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, बस एक मिनट में ही मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

महोदय पिछले पचास वर्षों के दौरान जनजातीय लोगों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को बहुत क्षति पहुंचाई है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वह गत पचास वर्षों के दौरान समाज के इन कमजोर वर्गों के लिए प्रत्येक विभाग बजट से कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि निर्धारित करे ताकि उनकी क्षतिपूर्ति की जा सके।

[हिन्दी]

पिछले 50 सालों में शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राईब्स के लोगों के साथ अन्याय किया गया। जब तक कनसर्न्ड डिपार्टमेंट में रिलेटिड बजट नहीं बनाया जाएगा, तब तक उनके साथ इन्साफ नहीं होगा।

[अनुवाद]

कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि इनके लिए निर्धारित की जाए। यदि आप प्रधानमंत्री विशेष आर्थिक पैकेज भी देखेंगे, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और वित्त मंत्री महोदय से पुनः इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करता हूं। भारत सरकार को और देर किए बिना तत्काल चिरप्रतीक्षित बोडोलैंड का गठन करने के बारे में प्रभावी और सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। दोहरे मानदंडों के रहते न्याय नहीं किया जा सकता। पंथनिरपेक्षता के मामले में दोहरे मानदंड नहीं अपनाए जा सकते। जिस प्रकार भारत सरकार उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ के बारे में सकारात्मक विचार कर रही है उसी प्रकार उसे बोडो लोगों की जन्मसिद्ध और दशकों पुरानी वास्तविक और विधि सम्मत मांग को भी स्वीकार कर लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मोतीलाल वोरा और श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री दो वक्ता और बचे हैं।

सभा कल 17 जुलाई, 1998 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.36 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 17 जुलाई, 1998/26 आषाढ़, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०—48/4/23/98 (एन०)
220

©1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।